सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४७

(जून-सितम्बर, १९३१)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डमें १८ जूनसे लेकर ११ सितम्बर, १९३१ तककी सामग्री दी गई है। दिल्ली-समझौतेको कार्यान्वित करनेमें जो कठिनाइयाँ पेश आ रही थीं वे इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि उसके भंग होनेकी आशंका पैदा हो गई और गांधीजी को विवश होकर वाइसरायसे कहना पड़ा कि वे ब्रिटिश सरकारको सूचित कर दें कि उन्होंने [गांधीजी ने] लन्दनमें होनेवाले गोलमेज सम्मेलनमें भाग न लेनेका निश्चय किया है। लेकिन फिर भी इस विषयपर गांधीजी और वाइसरायके बीच शिमलामें तीन दिनतक बातचीत होती रही, और ऐन मौकेपर उन दोनोंमें एक कामचलाऊ समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप गांधीजी डाउन फ्रन्टियर मेल द्वारा ठीक समय पर बम्बई पहुँच सके और वहाँसे २९ अगस्तको "एस० एस० राजपूताना" से इंग्लैंडके लिए रवाना हो गये। गांधीजी हिन्दुओं और मुसलमानोंमें मतैक्य न होनेके कारण सम्मेलनमें भाग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस कार्य-समितिने उनकी इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए जब एक सुविधाजनक सूत्र निकल आया और उन्हें अपना रास्ता साफ नजर आया तब उन्होंने इंग्लैंड जानेका निश्चय किया, हालाँकि तब भी उनके मनमें बड़ी बेचैनी और आशंकाकी भावना थी। ट्रेनपर 'यंग इंडिया' के लिए उन्होंने जो लेख बोलकर लिखवाया, उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं लन्दन सम्मेलनकी सम्भावनाओंपर विचार करता हूँ, जब मैं यह सोचता हूँ कि भारतमें परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, और यह कि दूसरा समझौता भी किसी तरहसे शोभनीय नहीं है तथा उसके साथ कोई मधुर स्मृतियाँ नहीं जुड़ी हुई हैं तब मेरा मन घोर निराशासे भर उठता है (पृष्ठ ४०८)। लेकिन सदासे आशावादी होनेके कारण उन्होंने समाचारपत्रोंके लिए एक वक्तव्यमें कहा कि मैं अब भी उम्मीद लगाये बैठा हूँ। ईश्वरमें मेरा विश्वास है और लगता है लन्दन जानेके लिए उसने मेरा रास्ता साफ कर दिया है (पृष्ठ ४२६)।

लगातार बढ़ते हुए प्रमाणोंके आधारपर गांधीजी को यह सन्देह होने लगा था कि सिविल सर्विसके सदस्य "समझौतेको क्रियान्वित करनेकी दिशामें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं," और "वे इरादतन समझौतेको भंग कर रहे हैं" (पृष्ठ ६४)। उनको ऐसा लगता था "मानो सरकार कांग्रेसके साथ लड़ाई ठाने हुए है" (पृष्ठ १२९)। गुजरातमें, बोरसद और बारडोली अशान्तिवाले इलाके थे जहाँ गांधीजी ने लगभग डेरा ही डाल दिया था ताकि वे किसानोंसे समझौतेकी शर्तोंका पालन करवा सकें। लेकिन स्थानीय अधिकारियोंको कांग्रेसकी मध्यस्थकी भूमिका पसन्द नहीं थी और उनका आग्रह सीधे किसानोंसे निबटनेपर रहा। उन्होंने कांग्रेसके सहयोगका उपयोग न करके शक्ति-प्रयोगका सहारा लिया। गांधीजी ने बताया कि कमिश्नर महोदय कांग्रेसको इस बातके लिए कभी क्षमा नहीं कर सके कि वह अपनेको किसानोंका प्रतिनिधि मानती

थी। यदि वे अपनी जैसी करा पाते, तो सम्भव था कि बोरसद और बारडोलीमें कुछ हजार रुपयोंको छोड़कर शेष सारे चालू लगानकी जो वसूली उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओंके प्रयत्नोंसे कर ली, उसे स्वीकार करनेके बजाय वह जोर-जबरदस्तीसे जितनी वसूल हो सके उतनी रकम वसूल करना ज्यादा पसन्द करते (पृष्ठ ३५४)। जाहिर था कि अधिकारी लोग इस तथ्यको स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि "सत्ता जनताके हाथोंमें जा रही है" और यह कि "कांग्रेस जनताकी प्रतिनिधि है" (पृष्ठ ३५५)।

स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनताकी बदली हुई मन:स्थितिके अनुरूप अपने आपको ढालनेकी इस असमर्थता अथवा अनिच्छाके फलस्वरूप संयुक्त प्रान्त और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्तमें गम्भीर झगड़े हुए। संयुक्त प्रान्तके ग्रामीण क्षेत्रोंमें गम्भीर आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ और किसानोंके लिए वार्षिक लगान चुका सकना असम्भव हो गया। इसपर सरकारने बड़े पैमानेपर किसानोंको बेदखल कर दिया। सरकारकी इस कार्रवाईसे लोगोंमें बहुत ज्यादा अशान्ति फैल गई और कांग्रेसने जवाहरलाल नेहरूके नेतृत्वमें किसानोंके पक्षका समर्थन किया। सरकार एक ओर तो किसानोंके साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित कर रही थी, लेकिन उसको फिक्र जमींदारोंके हितोंकी रक्षा करनेकी थी। उसने सैकड़ों नोटिस जारी करके कांग्रेसियोंका मुँह बन्द करने और किसानोंको डराने-धमकानेकी कार्रवाई शुरू कर दी (पृष्ठ १२३)। सरकार द्वारा यह तर्क दिये जानेपर कि किसानोंको इस तरह बेदखल करना कानून-सम्मत है, गांधीजी ने उत्तर दिया कि जिस प्रणालीमें इतनी बड़ी संख्यामें बेदखलीकी गुंजाइश हो, उस प्रणालीमें निश्चय ही कोई खराबी है (पृष्ठ ४१०)। उन्होंने गवर्नर सर मैलकम हेलीको याद दिलाया कि "भारत-भरमें जो एक जबरदस्त जागृति आई है, उसके कारण लोग अन्यायोंको जितनी तीक्ष्णतासे अब महसूस करते हैं उतनी तीक्ष्णतासे १२ महीने पहले नहीं करते थे" (पृष्ठ ४१०)। इस भूलको सुधारनेके लिए गांधीजी ने गवर्नरको सलाह दी कि वे जवाहरलाल नेहरूको बुला भेजें और उनसे सीधा सम्पर्क स्थापित करें। लेकिन यह तो ठीक वही बात थी जो अधिकारी लोग करनेको तैयार नहीं थे।

उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्तमें पिछले वर्षके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान खान अब्दुल गफ्फार खाँके नेतृत्वमें खुदाई खिदमतगारोंका एक नया दल उठ खड़ा हुआ। समझौता होनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजी के पास आये और उनके साथ रहे। बादशाह खानके साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित होनेके कारण गांधीजी को इस बातका यकीन हो गया कि वह निर्विवाद रूपसे अहिंसामें विश्वास करते हैं (पृष्ठ १४-५)। लेकिन लगता है कि इस अत्यन्त विस्फोटक क्षेत्रमें राजनीतिक अशान्तिके लक्षण देखकर स्थानीय अधिकारी भयभीत हो उठे थे, और बादशाह खानने गांधीजी से शिकायत की कि समझौतेके बाद भी लोगोंका कठोरतापूर्वक दमन किया जा रहा है (पृष्ठ १७८-९)। तथापि सरकारने गांधीजी के सम्मुख सीमा प्रान्तके हालातका अपने ढंगसे वर्णन किया। इसपर गांधीजी ने वाइसरायको यह आश्वासन देनेके बाद

अपने पुत्र देवदासको शान्ति मिशनपर भेजनेका निश्चय किया कि उससे कहा जायेगा कि "वह कोई भाषण न दे और न कोई अभिनन्दन-पत्र स्वीकार करे" (पृष्ठ १९८)।

संकटकी शुरुआत सूरतके कलक्टरकी कार्रवाईसे हुई। जब गांधीजी प्रान्तीय अधिकारियों और कांग्रेसके बीच बढ़ते जानेवाले झगड़ोंका समाधान ढूँढ़नेके लिए जुलाईके मध्यमें वाइसरायसे मिलने शिमला गये हुए थे, उसी समय सूरतके कलक्टरने बारडोलीके किसानोंसे जोर-जबरदस्तीसे पूरी रकम वसूल करनेकी कोशिश की। वापस लौटनेपर जब गांधीजी को इसके बारेमें पता चला तो वे बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने कलक्टरको लिखा "...पिछले १० दिनोंमें जो भयानक घटनाएँ घटीं उनके लिए मैं तैयार नहीं था" (पृष्ठ २१९)। साथमें उन्होंने उसे सूचित किया कि जबतक उन्हें उचित आश्वासन नहीं दिया जाता तबतक वे यह मानेंगे कि "सरकारने समझौतेका और उसमें निहित विश्वासका भंग किया है और कांग्रेस जिस जनताका प्रतिनिधित्व करती है उस जनताके हितोंकी रक्षाके लिए जो कार्रवाई जरूरी होगी, वह कार्रवाई करनेके लिए मैं अपनेको स्वतन्त्र मानूँगा" (पृष्ठ २२०-१)। भारत सरकारके गृह-सचिवको तार द्वारा इस पत्रका सारांश सूचित करते हुए गांधीजी ने कहा कि यह मामला मेरी प्रतिष्ठाका सवाल है, क्योंकि मैंने सार्वजनिक सभाओंमें लोगोंसे खुलेआम कहा है कि यदि वे लोग अपनी सामर्थ्यानुसार लगान देंगे तो उनके साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की जायेगी (पृष्ठ २२१-२)। गांधीजी ने बम्बई सरकारके गृह-सचिवको भी पत्र लिखा और कहा कि यदि गवर्नर महोदय मेरी भावनाओंको समझ सकें तो उन्हें इस मामलेमें हस्तक्षेप करना चाहिए (पृष्ठ २२२)। सरकारने इसका उत्तर देनेमें दो हफ्तेसे भी ज़्यादा समय लिया। उसने गांधीजी की बातको माननेसे इनकार कर दिया और स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि "न सरकार ने और न कलक्टरने कभी इस स्थितिको स्वीकारा है कि भूमिकर-वसूली कांग्रेसकी सलाहपर निर्भर होनी चाहिए। . . . अमुक व्यक्ति कर-अदायगीकी सामर्थ्य रखता है अथवा नहीं, इसके निर्णयका अधिकार कलक्टरको ही होना चाहिए" (पृष्ठ ४९०)। कांग्रेस इस स्थितिको स्वीकार करे, यह बात गांधीजीको असम्भव प्रतीत हुई। उनका निष्कर्ष यह था कि "यहाँके प्रमुख राज्याधिकारी नहीं चाहते कि मैं [गोलमेज] सम्मेलनमें शामिल होऊँ या चाहते भी हैं तो ऐसी परिस्थितियोंमें जिसे कांग्रेस-जैसी राष्ट्रीय संस्था कभी सहन नहीं कर सकती" (पृष्ठ ३१९)। गांधीजी मानते थे कि कांग्रेस जनता और सरकारके बीच मध्यस्थ है और उन्हें भय था कि "चूँकि सरकार समझौतेके इस स्वाभाविक परिणामको स्वीकार नहीं करना चाहती, इसलिए सरकारने बारडोलीके मामलेमें उस समझौतेको तोड़ा है" (पृष्ठ ३४६)। उन्होंने कहा कि बारडोली मेरे लिए अग्नि-परीक्षा थी (पृष्ठ ३५७)। इससे पहले अपने एक मित्रको यह बताते हुए कि यदि समझौतेसे उत्पन्न समस्याओंका उचित समाधान नहीं ढूँढ़ा गया तो वे अपना लन्दन जाना व्यर्थ समझते हैं, उन्होंने लिखा: "एक कर्जदार जो सूद नहीं दे सकता वह मूल कभी देनेवाला नहीं है" (पृष्ठ २४४)।

१३ अगस्तको कांग्रेस कार्य-समितिने गांधीजी के गोलमेज सम्मेलनमें भाग न लेनेके निश्चयका अनुमोदन किया। इसके बाद घटनाएँ बहुत तेजीके साथ घटीं और सरकारके विरुद्ध कांग्रेसके अभियोग-पत्र सहित गांधीजी और सरकारके बीचका सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशनार्थ जारी कर दिया गया। सम्भवतः जनमतके दबावके कारण किसी-न-किसी समझौतेपर पहुँचनेके प्रयासमें गांधीजी और वाइसराय एक बार फिर २५ से २७ अगस्ततक शिमलामें मिले। लेकिन इस समझौता-वार्ताकी गति निर्बाध नहीं थी। एक स्थानपर तो हम देखते हैं गांधीजी कुछ अधीर हो उठे थे और उन्होंने इमर्सनको लिखा था कि "मेरे विचारमें तो यदि हमारा उद्देश्य एक ही है तो विचार-विमर्श और समझौतेके लिए बहुत गुंजाइश है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर जितनी जल्दी दुविधाकी यह स्थिति खत्म हो उतना ही अच्छा है" (पृष्ठ ३९७)। अन्तमें एक बीचका रास्ता निकाला गया, हालाँकि वह बहुत सन्तोषजनक नहीं था। इसमें कांग्रेस और सरकारके एक-दूसरेसे बहुत ही भिन्न दृष्टिकोणोंके बीच सामंजस्य बैठानेकी कोशिश की गई थी। असमंजसकी स्थिति खत्म हो जानेपर गांधीजी ने राहतकी साँस ली और इसके तुरन्त बाद ही वे २७ तारीखकी शामको बम्बईके लिए रवाना हो गये। उन्होंने ट्रेनपर से वाइसरायको लिखा: "यात्राकी एक मंजिल पूरी हो गई है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशानी पहुँचाई है। लेकिन मुझे जिस बातसे कुछ सन्तोष मिल सकता है और जो मैं आपको भी दे सकता हूँ वह यह तथ्य है कि मैं स्वयं कुछ कम चिन्तित और परेशान नहीं रहा हूँ" (पृष्ठ ४०४)। वाइसरायने उत्तरमें लिखा कि "मैं आपको . . . अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ" (पृष्ठ ४०५)।

इससे पहले गांधीजी ने लन्दन न जानेका जो निर्णय किया था वह बहुत अधिक आन्तरिक संघर्षके बाद किया था। लगता है कि वे व्यक्तिगत कारणोंसे लन्दन जानेको उत्सुक थे और जहाँ लन्दन न जानेके अपने निर्णयपर वे दुःखी थे वहीं उनका यह भी कहना था कि "मुझे यह भी लगता है कि यही [निर्णय] सर्वोत्तम था और मेरे लन्दन जानेका उपयुक्त समय अभी नहीं आया है" (पृष्ठ ३२४-५)। इस निर्णयको लेते समय उन्होंने सी० एफ० एण्ड्रूजको लिखा "मुझे शास्त्री, पोलक और सबसे ऊपर म्यूरियलका खयाल था। लेकिन कर्तव्य व्यक्तिगत सम्बन्धोंका विचार नहीं करता" (पृष्ठ ३२५)। गांधीजी को इस बातका भी दुःख था कि वे रोमाँ रोलाँसे नहीं मिल पायेंगे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि "ईश्वरकी इच्छा थी कि मैं न जाऊँ, और उन्हें उम्मीद थी कि "किसी दिन किसी-न-किसी प्रकार हम परस्पर साक्षात्कार करेंगे" (पृष्ठ ३२८)। और इस तरह यदि लन्दन न जानेका निर्णय करना सहल नहीं था तो लन्दन जानेका निर्णय करना भी कोई कम मुश्किल नहीं था। गांधीजी कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे और एक पलके लिए लगता है जैसे जबर्दस्त लाचारीकी भावनाने उन्हें अभिभूत-सा कर दिया। बम्बई जाते हुए ट्रेनपर से उन्होंने 'यंग इंडिया' के लिए एक लेख बोलकर लिखवाया जिसका शीर्षक था "अकेला, फिर भी अकेला नहीं"। उसी लेखमें उन्होंने आगे कहा, "लेकिन

जिस समय लन्दन जानेके लिए मेरा रास्ता साफ हुआ, और उससे भी अधिक जब २७ तारीखको ७ बजे शाम वह रास्ता खुल गया, ठीक उससे पहले मैं अचानक इतनी कमजोरी महसूस करने लगा जितनी पहले कभी भी महसूस नहीं की थी, और जिस समय . . . मैं ये पंक्तियाँ लिखवा रहा हूँ, उस समय भी मैं उसपर काबू नहीं पा सका हूँ" (पृष्ठ ४०७)। लेकिन ईश्वरके प्रति उनकी आस्थाने उनके मनोबलको बनाये रखा। अपने लेखमें उन्होंने आगे लिखा, "केवल ईश्वरको ही अपना मार्गदर्शक मान कर मुझे लन्दन जाना चाहिए" और कहा, "इसलिए हमें अपनी पूरी कमजोरियोंके साथ और खाली हाथों तथा पूर्ण आत्म-समर्पणके भावसे उसके [ईश्वरके] सामने खड़ा होना चाहिए और तब वह आपको सारे संसारके खिलाफ खड़ा होने योग्य बना देगा और सभी आपदाओंसे आपकी रक्षा करेगा" (पृष्ठ ४०८)। राजगोपालाचारीको लिखते हुए गांधीजी ने कहा, "जब मैं अपनी तमाम सीमाओं और अपने अज्ञानकी बात सोचता हूँ तब मेरा मन घोर निराशामें डूब जाता है, लेकिन यह विचार और अनुभव करते ही मै फिर ऊपर निकल आता हूँ कि यह तो मेरे अन्दर बैठा भगवान है जो मुझे चला रहा है और अपने साधनके रूपमें मेरा प्रयोग कर रहा है। वह मुझे ठीक समय पर ठीक शब्द सुझा देगा" (पृष्ठ ४११)। उन्होंने आगे लिखा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझसे कोई भूल नहीं होगी, "लेकिन मैं ऐसा मानने लगा हूँ कि भले ही हमारा घमण्ड तोड़नेके लिए ही क्यों न हो, ईश्वर हमसे जानबूझकर गलतियाँ कराता है" (पृष्ठ ४११-२)।

गांधीजी ने बार-बार यह कहा कि मैं लन्दन जा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने उद्देश्यके सफल होनेकी बहुत आशा नहीं है। 'अल अहराम'को दिये गये एक वक्तव्यमें उन्होंने कहा कि "जैसी स्थिति मुझे इस समय दिखाई पड़ती है यदि उसके आधारपर मैं अनुमान लगाने बैठूँ तो मुझे सम्मेलनसे कतई कोई आशा नहीं है" (पृष्ठ ४४०)। यदि कांग्रेस कार्य-समिति लन्दन जानेके लिए गांधीजी को विवश नहीं कर देती तो उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया था जिसमें सर्व-साधारण शामिल हो सके और जिसका उद्देश्य स्वराज्यकी प्रतिच्छाया न होकर उसके सार तत्त्वको प्राप्त करना था। जैसा कि उन्होंने कई बार कहा था, राजनीतिक सत्ता उनके लिए साध्य न होकर जनताकी हालतको सुधारनेका साधन-मात्र थी। उनका कहना था कि "जनताको विलायत अथवा शिमला अथवा दिल्लीकी ओर देखनेकी आवश्यकता ही नहीं है। जनताका कर्तव्य तो यह है कि वह स्वयं अपनी ओर ही देखे। . . . जो-कुछ होना होगा, सो उसकी अपनी शक्तिसे होगा और जो होगा सो उसकी शक्तिका परिचायक होगा" (पृष्ठ ३८८)। उनका कहना था कि अपनी शक्तिपर निर्भर करनेसे स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। वे चाहते थे कि "बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किये हुए, और जो शक्तियाँ हैं, सीधे उन्हींके आधारपर काम करते हुए" (पृष्ठ २) तथा रचनात्मक कार्य करते हुए कांग्रेस देशके विभिन्न भागोंमें जनताकी ठोस शिकायतोंको दूर करवानेके लिए संघर्ष करे। गांधीजी का विचार था कि ऐसे जन-संघर्षोंसे जनता साम्प्रदायिक और प्रादेशिक तत्वोंसे ऊपर उठेगी और उसमें

एक ऐसी एकता स्थापित होगी जो नेताओंमें होनेवाले कागजी समझौतोंसे मुमकिन नहीं है। गुजरातीमें लिखे अपने एक लेखमें उन्होंने कहा: "तदनुसार भले साम्प्रदायिक भेदभावको माननेवाले हिन्दू-मुसलमान आदि अंग्रेजोंसे हुकूमतका थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें . . . उस राज्यसत्तासे सत्ता या हुकूमत माँगनेके बदले कांग्रेस वह चीज माँगेगी, जिसके लिए सत्ताकी आवश्यकता है, और उसके न मिलनेपर सत्याग्रह द्वारा लड़ेगी" (पृष्ठ २८)। इसका कारण गांधीजी का यह विश्वास था कि "जो चीज जरूरी है और राजनीतिक सत्ताके जरिये प्राप्त की जा सकती है, वही चीज सत्याग्रहके जरिये ज्यादा जल्दी और ज्यादा निश्चयपूर्वक प्राप्त की जा सकती है" (पृष्ठ २) जो कि वयस्क मताधिकारकी अपेक्षा सीधी कार्रवाईका अधिक शक्तिशाली स्वरूप है।

गांधीजी को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि पिछली मार्चमें कांग्रेसके कराची अधिवेशनमें मौलिक अधिकारोंसे सम्बन्धित जो प्रस्ताव पास किया गया था उसकी २० धाराओंमें से १५ धाराओंको जनता बिना सरकारी सहायता लिये स्वयं ही लागू कर सकती है। उनका तर्क था कि जो काम हमें आज करने चाहिए, वे यदि हम न करें तो सत्ता हमारे हाथमें आनेपर "हम उन कामोंके लिये तैयार दिखाई न देंगे" (पृष्ठ २६०)। उन्होंने आगे खुलासा करते हुए कहा, "एक लोकप्रिय सरकार लोकमतकी अवहेलना करके कोई काम नहीं कर सकती। यदि वह उसके विरुद्ध जायेगी, तो उसका विनाश हो जायेगा। अनुशासित और प्रबुद्ध प्रजातन्त्र संसारकी सुन्दरतम वस्तुओंमें से एक है। दूषित भावना, अज्ञान और अन्धविश्वाससे युक्त प्रजातन्त्र स्वयं अशान्ति और अव्यवस्थामें परिणत हो जायेगा" (पृष्ठ २६०)। इसलिए उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस और जनता अपनी शक्ति रचनात्मक कार्योंमें और ऐसे कार्योंमें लगाये जिससे आत्मशुद्धि हो सके। गांधीजी इस आधारपर आतंकवादियोंके तरीकोंका विरोध करते थे कि "जनताके द्वारा और जनताके लिए हिन्दुस्तानका कारोबार चलानेकी शक्ति . . . मात्र अंग्रेजोंके भारतसे चले जाने अथवा उनका नाश होनेसे नहीं आनेवाली है" (पृष्ठ २३१)।

गांधीजी अपने और अधिकांश कांग्रेसियोंके दृष्टिकोणके मौलिक अन्तरसे भली-भाँति परिचित थे। उनके लिए अहिंसा एक सिद्धान्तकी चीज थी, जबकि कांग्रेसने उसे एक नीतिके रूपमें स्वीकार किया था और उसका पालन भी वह आधे मनसे करती थी। बम्बईके कार्यवाहक गवर्नरकी हत्याके प्रयासपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा: "मेरा यह विश्वास मिट नहीं सकता कि स्वराज्यकी दिशामें प्रगति करनेमें सबसे बड़ी बाधा अपनी नीतिमें हमारी श्रद्धाकी कमी है" (पृष्ठ २५६)। उन्होंने कांग्रेसको याद दिलाया कि पथभ्रष्ट नौजवानके कार्योंके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा: "जो लोग हत्या करते हैं वे भी हमारे बन्धु ही हैं। हमें उनपर दबाव डालना चाहिए। जब हम उनका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते हैं तब वे जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए" (पृष्ठ २८७)। गांधीजी साम्प्रदायिक हिंसासे और भी अधिक दुखी थे। ८ अगस्तको बम्बईमें

अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके दौरान हाल ही में साम्प्रदायिक असहिष्णुताकी जो वारदातें हुई थीं उनकी चर्चा करते हुए गांधीजी विचलित हो उठे और उन्होंने कहा : "मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ और लगता है मेरी सारी शक्ति खो गई है" (पृष्ठ ३०२)। असहायताकी इस भावनाको भी गांधीजी ने आध्यात्मिक शक्तिमें बदल दिया, क्योंकि इससे उन्हें तमिलकी उस लोकोक्तिका सत्य समझमें आया जिसका अर्थ है : "असहायका सहाय ईश्वर है"। उन्हें विश्वास था कि "इसका अनुभव हमें . . . वर्तमान अभेद्य अन्धकारमें से निकलनेका मार्ग बतायेगा" (पृष्ठ ३१६)।

सी० एफ० एण्ड्रयूज और मीराबहनको गांधीजी ने जो पत्र लिखे उनसे पता चलता है कि वे इन दोनोंके साथ किस प्रकारके सम्बन्ध-सूत्रमें बँधे हुए थे। ऐसा लगता है कि एन्ड्रयूजने गांधीजी से यह अपील की थी कि लंकाशायरके मजदूरोंके कष्टोंके प्रति सहानुभूतिके तौरपर वे ब्रिटिश कपड़ेके बहिष्कारको ढीला कर दें। इसका उत्तर देते हुए जहाँ एक ओर गांधीजी ने यह कहा कि "इंग्लैंडमें बेरोजगारीका इलाज यह नहीं है कि भारत अविवेकपूर्ण उदारता दिखाये, बल्कि यह है कि इंग्लैंड उन लोगोंके शोषणकी भयंकरताको पूरी तरह समझे" (पृष्ठ १६), वहाँ दूसरी ओर वे एण्ड्रयूजकी भावनाओंको भी अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने यह भी लिखा कि "जैसी कि तुम्हारी आदत है, तुम उन चीजोंको लेकर दुःखी हो जिन्हें तुम्हारी आँखें देखती हैं और कान सुनते हैं। . . . बेरोजगारोंके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। तुम जिस भीषण नैतिक संघर्षमें पड़े हो, उसमें तुम्हारे साथ मेरी सहानुभूति है" (पृष्ठ ५४-५)। मीराबहनकी माँ इंग्लैंडमें बीमार चल रही थीं और उनकी हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही थी। तथापि गांधीजी ने उन्हें अपनी माँसे मिलनेके लिए लन्दन जानेके लिए नहीं कहा। उन्होंने मीराबहनको लिखा : "सच्चा प्रेम वह है जो शरीरके बजाय उसके भीतर रहनेवाली आत्माके प्रति रखा जाये और जो यह जरूरी तौरपर अनुभव करे कि असंख्य शरीरोंमें रहनेवाली जीवात्माएँ एक ही हैं" (पृष्ठ १२५)। उनकी माँके देहान्तका समाचार सुननेपर उन्हें एक पत्रमें गांधीजी ने लिखा : "तुम्हारे पत्रकी हर पंक्तिमें छिपे हुए शोकको मैंने पहचान लिया" (पृष्ठ १४४), और उनके दुःखको 'मानवोचित' कहते हुए उनके साथ हमदर्दी रखने पर भी उन्होंने उसे अपने मनसे निकाल देनेके लिए कहा। लेकिन एक अन्य पत्रमें उन्होंने मीराबहनको लिखा कि "अगर तुम्हें रंज हो तो मुझसे छिपानेका कोई कारण नहीं है। बौद्धिक विश्वास होते ही ये चीजें तुरन्त नहीं मिट जातीं" (पृष्ठ २२६)। गांधीजी ने सेवाकार्यको व्यक्तिगत सम्बन्धोंसे हमेशा अधिक महत्त्व दिया। मीराबहनको अपनेसे दूर भेजनेके बाद उन्होंने उन्हें लिखा कि तुम्हारी सेवा स्वीकार करते हुए मैं मन-ही-मन कष्ट और क्लेशका अनुभव किया करता था। हमारा जो कार्य है, उसमें प्रसन्नतापूर्वक लगकर तुम मेरी सच्ची सेवा करोगी। (पृष्ठ ५६)।

अपने राजनीतिक विरोधियोंके प्रति भी गांधीजी ने यही व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया था। शिमलामें हुई बातचीतके समाप्त होनेके बाद उन्होंने इमर्सनको लिखा : "शिमलेमें आपकी स्पष्टतः अड़ंगा पैदा करनेकी नीतिसे मुझे बहुत दुःख पहुँचा।

. . . जिन व्यक्तियोंके ऊपर भरोसा किया जा सके, ऐसे मनुष्योंसे मिलनेका जो सुख है उसके मुकाबले एक संविधान प्राप्त कर लेनेका सुख मेरे लिए तुच्छ है।" तथापि गांधीजी ने आगे यह भी कहा: "मैं शीघ्र ही पिछले तीन दिनोंकी बातें भूल जाऊँगा और मैं जानता हूँ कि यदि मैंने अनजाने आपको गलत समझा है तो आप मुझे क्षमा कर देंगे' (पृष्ठ ४१४)।

अपने राजनीतिक निर्णयोंमें भी वे केवल उसकी कार्य-साधकताका ही खयाल नहीं रखते थे, बल्कि उनके निर्णय किसी-न-किसी नैतिक सिद्धान्तपर आधारित होते थे। देशी रियासतोंमें सत्याग्रहके सम्बन्धमें अपने दृष्टिकोणको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा: "संसारका ऐसा नियम है कि एक वातावरणमें किसी स्थानपर यदि कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो आसपासके स्थानोंको उसकी छूत लगे बिना नहीं रह सकती" (पृष्ठ १७२)।

आश्रमवासियोंको लिखे गये अपने पत्रोंमें वे हर किसीकी मदद करते और प्रोत्साहन देते हुए दिखाई देते हैं। गंगाबहनको उन्होंने लिखा: "बुद्धिकी कीमत कम है, हृदयकी बहुत ज्यादा है, और वह तो सबके पास होता ही है" (पृष्ठ ८२)। छगनलाल जोशीको लिखे पत्रमें उन्होंने प्रेमाबहनके अनेक गुण बताते हुए लिखा: "उसमें दोष तो अवश्य हैं, लेकिन हममें से दोषरहित कौन है" (पृष्ठ २२९)। न्याय करनेके सम्बन्धमें अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए उन्होंने स्वयं प्रेमाबहनको लिखा: "मैं तो तुम्हारी माता और पिता दोनों बन गया हूँ। . . . सत्याग्रही न्याय नहीं माँगेगा। न्यायका अर्थ है जैसेको-तैसा। सत्याग्रहीका अर्थ है 'शठं प्रत्यपि सत्यं', हिंसाके सामने अहिंसा, क्रोधके सामने अक्रोध, अप्रेमके सामने प्रेम" (पृष्ठ २३९)।

"एस० एस० राजपूताना" जहाजपर प्रार्थना-सभाओंमें दिये गये उनके भाषण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। पहले भाषणमें उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर प्रार्थनाके विषयमें कहा कि आत्माका अनिवार्य आहार मानकर यदि सच्चे मनसे प्रार्थना की जाये तो उससे अतुलनीय शान्ति और प्रकाश प्राप्त होता है (पृष्ठ ४३७)। दूसरे भाषणमें उन्होंने "सीधी-सादी बालोचित श्रद्धा . . . जो नम्रताकी भी प्रतीक है," की आवश्यकता बताते हुए अन्तमें इस अद्वैतवादी मान्यताको अद्भुत स्पष्टता और निश्चयात्मकताके साथ प्रस्तुत किया कि यदि मैं हूँ, तो ईश्वर भी अवश्य है (पृष्ठ ४४२)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों, पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हैं:

संस्थाएँ: साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्ली; महाराष्ट्र सरकारका गृह विभाग, बम्बई; इंडिया ऑफिस, लन्दन; राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली।

व्यक्ति: श्री क० मा० मुन्शी; श्री किसनसिंह चावड़ा; श्रीमती गंगाबहन वैद्य; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री जमनादास गांधी; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री परशुराम मेहरोत्रा; श्री प्रभुदास गांधी; श्रीमती प्रेमाबहन कंटक; श्री फूलचन्द के० शाह; श्री महेश पट्टणी; श्रीमती मीराबहन, आस्ट्रिया; डा० युद्धवीर सिंह; श्री रमणीकलाल मोदी; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद; श्रीमती वसुमती पण्डित और श्रीमती शारदाबहन शाह, बढ़वाण।

पुस्तकें: 'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'बापुना पत्रो – ६: गं० स्व० गंगाबहेनने', 'बापुना पत्रो – ७: श्री छगनलाल जोशीने', 'बापुना पत्रो – ९: श्री नारणदास गांधीने', तथा 'बापूज लेटर्स टु मीरा'।

पत्र-पत्रिकाएँ: 'अमृतबाजार पत्रिका', 'आज', 'गुजराती', 'टाइम्स', 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'ट्रिब्यून', 'डेली टेलिग्राफ', 'डेली मेल', 'डेली हेरल्ड', 'नवजीवन', 'न्यूज क्रॉनिकल', 'न्यूयॉर्क टाइम्स', 'पायनियर', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'मॉर्निंग पोस्ट', 'मैनचेस्टर गार्जियन', 'यंग इंडिया', 'यॉर्कशायर पोस्ट', 'स्टेट्समैन', 'हिन्दी नवजीवन', 'हिन्दुस्तान टाइम्स', और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजी के स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरोंके द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाको यथासम्भव मूलके निकट रखनेका प्रयत्न किया गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और संशोधन करनेके बाद किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था, उनको वैसे ही लिखा गया है जैसा कि गांधीजी ने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्री के बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजी ने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजी के नहीं हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यकता होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'एम० एम० यू०' गांधी स्मारक संग्रहालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

१. सार और छाया

जनसाधारणको यह बात जाननेका अधिकार है कि [कांग्रेस] कार्यसमितिने प्रस्ताव[१] पास करके मुझसे यह क्यों कहा है कि (अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो) कांग्रेसका पक्ष प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता होनेपर मैं गोलमेज सम्मेलनमें भाग लूँ, जबकि इससे पहले वह बार-बार सम्मेलनमें भाग न लेनेके निश्चयकी घोषणा कर चुकी है।

साधारणतया कार्यसमिति जो प्रस्ताव पास करती है, उनपर हुई बहस, अस्वीकृत संशोधनों या प्रति-प्रस्तावोंका हवाला समितिका कोई सदस्य जनताको नहीं दे सकता। लेकिन इस मामलेमें कार्यसमितिने विशेष छूट दी है और मुझे अधिकार दिया है कि मैं जनताको सारी बातें बताऊँ ताकि मैं अपनी स्थिति साफ कर सकूँ और कार्यसमितिकी स्थिति भी स्पष्ट कर सकूँ।

यह मेरा मूलतः लोकतांत्रिक स्वभाव ही है जिसने मुझे, व्यक्तिगत तौर पर कड़ी आपत्ति होते हुए भी, प्रस्तावको स्वीकार करनेपर विवश किया था। प्रत्येक आपत्तिको सिद्धान्तका जामा नहीं पहनाना चाहिए, और यदि वह आपत्ति स्वीकार न की जाये तो संस्थासे अलग हो जानेकी धमकी देकर अथवा बहुमतके आगे सर झुकानेसे इनकार करके रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। इसलिए मैं कार्यसमितिसे लड़ा, उसे अपने बार-बार सार्वजनिक और खानगी तौर पर प्रकट किये गये निश्चयकी याद दिलाई, और अनौपचारिक रूपसे मैंने स्वयं एक प्रस्ताव पेश किया जो मेरी रायमें कहीं अधिक सुसंगत और राष्ट्रीय हितमें वांछनीय था। लेकिन मैं बहुमतको अपने पक्षमें नहीं कर सका। अधिकांश सदस्योंका विचार था कि एक साम्प्रदायिक समझौतेकी विफलताके कारण सम्मेलनमें शरीक न होना दुश्मनके हाथमें खेलना होगा और इससे कार्यसमितिके बारेमें अनावश्यक गलतफहमियाँ फैलेंगी।

हालाँकि बहुमतके दृष्टिकोणके पक्षमें कहने योग्य बहुत-सी बातें हैं, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोणको ज्यादा सुरक्षित, और साम्प्रदायिकताके प्रश्नपर लाहौर-प्रस्तावके[२] ज्यादा अनुरूप मानता हूँ। मेरी रायमें मेरी इस घोषणाके पीछे काफी ठीक विचार था कि यदि साम्प्रदायिक प्रश्नपर सहमतिसे कोई समझौता न हो तो मुझे

१. यह प्रस्ताव ९ जूनको पास किया गया था। इसमें कहा गया था: "कार्यसमितिको आशा है कि साम्प्रदायिक समस्याका सम्मानजनक और संतोषजनक हल निकालनेकी जो कोशिश की जा रही है वह सफल होगी। समितिका मत है कि यदि दुर्भाग्यवश ये प्रयत्न विफल हो जायें तो कांग्रेसके रवैयेके बारेमें किसी प्रकारकी कोई गलतफहमी न होने पाये, इस उद्देश्यसे अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल होनेपर, और बुलाये जानेपर महात्मा गांधीको गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसका पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए कांग्रेसका प्रतिनिधि होना चाहिए।"

२. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३७०।

गोलमेज सम्मेलनमें भाग नहीं लेना चाहिए। समझौतेके न होनेका मतलब था एकताका अभाव और एकताका अभाव होनेसे राष्ट्रीय माँगमें वह शक्ति नहीं रह जायेगी जो उसको स्वीकार करानेके लिए जरूरी है।

अत: कार्यसमितिके सामने मैंने यह मत व्यक्त किया था कि कोई सर्वसम्मत समझौता न हो सके तो कांग्रेसको मौजूदा गोलमेज सम्मेलनके जरिये स्वराज्य संविधान प्राप्त करनेकी आशा छोड़ देनी चाहिए और जबतक सभी जातियाँ एक विशुद्ध राष्ट्रीय उपायके ऊपर सहमत नहीं हो जातीं तबतक उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस अपनी स्थिति और मजबूत बना सकती है और जनसाधारणके लिए, जिसमें सभी जातियाँ शामिल होंगी, ज्यादा एकाग्रताके साथ काम कर सकती है और इस प्रकार जैसे हिन्दू लोग कांग्रेसको अपनी संस्था मानते हैं उसी प्रकार अन्य जातियोंके मेहनतकशोंको भी ऐसा अनुभव करा सकती है कि वह उनकी संस्था है।

इसका अर्थ आजादीकी लड़ाईको रोक देना नहीं है।

यह सब इस बातपर निर्भर करता है कि हम पूर्ण स्वराज्यका क्या अर्थ लगाते हैं और उसके जरिये क्या चाहते हैं। इससे अगर हमारा अर्थ है जनतामें जागृति होना, उनके अन्दर इस बातका ज्ञान होना कि उनका सच्चा हित क्या है और सारे संसारके विरुद्ध होकर भी उस हितके लिए कार्य करनेकी क्षमता होना, और यदि पूर्ण स्वराज्यके जरिये हम सुव्यवस्था, आन्तरिक या बाह्य आक्रमणोंसे मुक्ति और जनसाधारणकी आर्थिक दशामें उत्तरोत्तर सुधार चाहते हैं तो हम अपने उद्देश्य-को बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किये हुए, और जो शक्तियाँ हैं, सीधे उन्हींके आधारपर काम करके प्राप्त कर सकते हैं। सीधी कार्रवाईका एक रूप है वयस्क मतदान। दूसरा तथा अधिक शक्तिशाली रूप है सत्याग्रह। यह चीज आसानीसे दिखाई जा सकती है कि जो चीज जरूरी है और राजनीतिक सत्ताके जरिये प्राप्त की जा सकती है, वही चीज सत्याग्रहके जरिये ज्यादा जल्दी और ज्यादा निश्चयपूर्वक प्राप्त की जा सकती है। यदि ऐसी बात है, और यदि साम्प्रदायिक-प्रश्नका कोई सम्मान-जनक हल निकालनेके सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमें फिलहाल इस समय एक स्वराज्य-संविधान प्राप्त करनेकी सभी कोशिशें छोड़ देनी चाहिए। अत्यधिक कृत्रिम वातावरणके जरिये स्वराज्य थोपनेकी कोशिश करनेकी अपेक्षा यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दीका तरीका है कि उस समयतक प्रतीक्षा की जाये जबतक कांग्रेस अन्य सम्प्रदायोंमें भी समान रूपसे लोकप्रिय नहीं हो जाती। यदि कांग्रेस जो कहती है वही उसका मंशा भी हो तो अन्य जातियोंका समर्थन प्राप्त करनेमें उसे ज्यादा देर नहीं लग सकती। इस बीच कांग्रेसको जनसाधारणकी सहायताके लिए संघर्ष करके करोड़ों क्षुधापीड़ितोंका प्रतिनिधित्व करनेके अपने अनुष्ठानको पूरा करना चाहिए। यदि यह सहायता वह सत्ता प्राप्त करके नहीं दे सकती तो उसे मौजूदा सरकारके जरिये यह सहायता प्राप्त करवानी चाहिए। इस सम्भावनापर अंग्रेज मित्रोंसे बातचीत करते हुए मुझे याद दिलाया गया कि यह बात तो उचित नहीं है, अर्थात् खुद सुधार करनेकी शक्ति लेनेसे इनकार करना और उन लोगोंको कोई कार्रवाई करने

पर मजबूर करना जिनकी रायमें ये सुधार नाम भरके सुधार हैं, और जो यदि ये सुधार प्रदान कर दें तो प्रशासन नहीं चला सकते। मैंने उनका ध्यान उनकी इस झिड़कीमें निहित तर्कदोषकी ओर दिलाया। यदि कांग्रेसको सत्ता सौंपी जाये तो वह उसे लेनेके लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह गोलमेज सम्मेलनके कृत्रिम वातावरणमें और सो भी प्रमुख अभिनेताओं, यानी सम्प्रदायोंके बीच वास्तविक एकताके अभावमें, अनिच्छुक हाथोंसे सत्ता छीन सके, ऐसी ताकत कांग्रेसमें नहीं है।

कांग्रेस सार चाहती है, छाया नहीं। इसलिए वह सत्ताकी छायाके लिए प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन स्वतन्त्रताके सारके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती जिसकी करोड़ों मूक लोगोंको सख्त आवश्यकता है और जिसे वे समझ सकते हैं।

कार्यसमितिमें मैंने जो तर्क दिये थे उनका मुख्य अंश मैंने जनताके सामने रख दिया है। ये तर्क समितिके अधिकांश सदस्योंको कायल नहीं कर सके। अतः ये तर्क अधिकांश जनताको भी कायल करनेमें विफल हो सकते हैं। तथापि यदि सम्मेलन कांग्रेसकी स्थितिको स्वीकार नहीं कर सका तो वैसी दशामें मेरी स्थिति तब भी वही होगी जो इस समय है।

लेकिन कार्यसमितिके प्रस्तावको स्वीकार कर लेनेके बाद मैं उसे ईमानदारीसे पूरा करूँगा, और यदि मेरे भाग्यमें सम्मेलनमें भाग लेना बदा है तो मैं सम्मेलनमें पूरे उत्साहसे काम करूँगा। मैं वास्तविक सत्ताको अस्वीकार नहीं करूँगा, बशर्ते कि वह वास्तविक हो। मैं उसे प्राप्त करनेके लिए पूरे दिलसे प्रयत्न करूँगा। लेकिन यदि आवश्यक हो तो मुझमें उसके लिए प्रतीक्षा करनेकी बुद्धि और धीरज है, और मैं जानता हूँ कि यह इन्तजार ही सम्भवतः उसे शीघ्र प्राप्त करनेका तरीका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-६-१९३१

२. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

तिलक विद्यालयके प्रधानाध्यापकने मुझे निम्नलिखित फटकार दी है:[१]

और कुछ नहीं तो नागपुरके राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा किये जा रहे बहुत अच्छे कामको विज्ञापित करनेके उद्देश्यसे ही मैं इस पत्रको खुशीके साथ छाप रहा हूँ। जहाँतक तिलक विश्वविद्यालयका सवाल है, मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि मैंने उपरोक्त अवसरपर उसका उल्लेख करनेसे छोड़ दिया था। मेरा भाषण पहलेसे तैयार नहीं था। मैंने बिना तैयारीके भाषण दिया था। मैंने जो नाम गिनाये वे

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें गांधीजी द्वारा गुजरात विद्यापीठमें दिये गये भाषणमें (देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ४३१-५) पूनाके तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठका और नागपुरके तिलक विद्यालयका तथा इन दोनों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें जो योगदान किया था उसका उल्लेख न किये जानेकी शिकायत की गई थी; देखिए खण्ड ४६, "पत्र: एम० जी० दातारको", पृ० २४३ भी।

दृष्टान्तके तौरपर थे, सभी नाम उसमें नहीं थे। मैं निश्चय ही ऐसे बहुतसे राष्ट्रीय विद्यालयोंके नाम ले सकता हूँ जिन्होंने संघर्षके दौरान महान सेवा की। मेरा उद्देश्य सरकारी विद्यालयों और राष्ट्रीय विद्यालयोंके बीच अत्यन्त स्पष्ट अन्तरको स्पष्ट करना था और यह दिखाना था कि राष्ट्रीय विद्यालयोंमें खर्च होनेवाला हरएक आना स्वराज्यके लिए खर्च किया गया एक आना था। मैंने यह भी दिखाया कि यह बिलकुल स्वाभाविक और अनिवार्य था। कांग्रेसका प्रबन्ध कितना ही गड़बड़ क्यों न हो, फिर भी कांग्रेस और केवल कांग्रेस ही स्वराज्य ला सकती है, कोई सरकारी विभाग नहीं ला सकता। एक बार फिर यहाँ स्वदेशी बनाम विदेशीका सवाल है। अंग्रेजीमें इसको यों कहा जायेगा : "अच्छा शासन स्वशासनका स्थान नहीं ले सकता।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-६-१९३१

३. एडिनबरामें रंग-भेद

एडिनबरा भारतीय संघके अवैतनिक मंत्री लिखते हैं:

> **याद होगा कि १९२७ में सभी कैफे, रेस्ट्राँ और नाचघरोंमें रंग-भद लागू किया जाता था, लेकिन विभिन्न अधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी करनेके बाद एक समझौता हुआ और इसके शीघ्र ही बाद यह प्रतिबन्ध उठा लिया गया। इस साल फिर एडिनबराके दो कैफेमें रंग-भेद पुनः लागू कर दिया गया है। ये दोनों कैफे (स्ट्रैण्ड कैफे और कैफेटेरिया) सभी अश्वेत छात्रोंको बिना कारण बताये प्रवेश देनेसे इनकार करते हैं। एडिनबरा भारतीय संघने एडिनबराके लॉर्ड प्रोवोस्ट और एडिनबरा विश्वविद्यालयकी छात्र प्रतिनिधि परिषद्से इसकी शिकायत की, लेकिन अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और रंग-भेद अभी भी जारी है।**

अवैतनिक मंत्री महोदय यह नहीं बताते कि इन दो कैफेने यह प्रतिबन्ध फिर क्यों लागू किया है या मूलतः यह क्यों लागू किया गया था। पश्चिमी देशोंमें उपाहार-गृहोंमें प्रवेशकी मनाहीसे इतनी असुविधा होती है जिसकी भारतमें हमें कोई ठीक कल्पना नहीं हो सकती। तीव्र सार्वजनिक आन्दोलन ही इस अविवेकपूर्ण रंगभेदसे निपटनेका एकमात्र उपाय है। एडिनबरा भारतीय संघको जनताके सामने पूरे तथ्य रखने चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-६-१९३१

४. दक्षिणमें हिन्दी

यह एक शुभ लक्षण है कि जिस समय तमिलनाडु सम्मेलन हुआ उसी समय एक हिन्दी प्रचार सम्मेलन भी आयोजित किया गया। मद्रास प्रान्तके लोग वचनबद्ध हैं कि वे अगले वर्ष कांग्रेस अधिवेशनमें ऐसे प्रतिनिधि भेजेंगे जो हिन्दुस्तानी बोलेंगे और समझ सकेंगे। यदि हम लोग अस्वाभाविक वातावरणमें न रहते होते तो दक्षिणमें रहनेवाले लोगोंको हिन्दी सीखना बोझ नहीं मालूम होता, अनावश्यक तो बिलकुल ही नहीं। निश्चय ही, हिन्दी भाषी जनताके लिए दक्षिणकी भाषाएँ सीखना जितना जरूरी है उसकी अपेक्षा दक्षिणवालोंके लिए हिन्दी सीखना कहीं अधिक जरूरी है। सारे भारतमें दक्षिणकी भाषाएँ बोलनेवाले लोगोंकी तुलनामें हिन्दी बोलने और समझनेवालोंका अनुपात एकके मुकाबले दो है। समस्त भारतके लिए प्रान्तीय भाषा या भाषाओंके स्थानपर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त अन्तरप्रान्तीय सम्पर्क भाषाके रूपमें एक समान भाषा होनी चाहिए। यह भाषा केवल हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो सकती है। कुछ लोग जिनके मनमें जनसाधारणका कोई विचार नहीं है, अंग्रेजीको न केवल एक वैकल्पिक बल्कि एकमात्र सम्भव माध्यम मानना चाहेंगे। विदेशी आधिपत्यका मोहकारी प्रभाव न होता तो ऐसी बात सोचना भी सम्भव नहीं था। दक्षिणके जनसाधारणके लिए, जिन्हें राष्ट्रीय मामलोंमें अधिकाधिक भाग लेना चाहिए, क्या चीज ज्यादा सरल हो सकती है—हिन्दी सीखना, जिसके बहुतसे शब्द उनकी भाषाओंमें भी मौजूद हैं, और जो लगभग सारे उत्तर भारतका मार्ग उनके लिए खोल सकती है, या अंग्रेजी सीखना, जो एक सर्वथा विदेशी भाषा है जिसे चन्द चुने हुए लोग ही बोलते हैं? इन दोनोंके बीच चुनाव वास्तवमें इस बातपर निर्भर करता है कि स्वराज्यकी हमारी परिकल्पना क्या है। यदि स्वराज्य केवल अंग्रेजी जाननेवाले भारतीयोंके लिए ही होना है तब तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही समान माध्यम है। किन्तु यदि स्वराज्य करोड़ों क्षुधापीड़ित लोगोंके लिए, करोड़ों अनपढ़ लोगोंके लिए, अनपढ़ स्त्रियोंके लिए, दलित अस्पृश्योंके लिए होना है, तो हिन्दी ही एकमात्र सम्भव समान भाषा है। इसलिए जो लोग मेरी तरह सोचते हैं, वे पिछले बारह वर्षोंके संगठित प्रचारकी अवधिमें हिन्दी द्वारा की गई जबर्दस्त प्रगतिकी रिपोर्टका स्वागत करेंगे। इस अवधिमें किये गये कार्यका विवरण इस प्रकार है:

हिन्दीका अध्ययन आरम्भ करनेवालोंकी संख्या	४,००,०००
हिन्दीका कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेनेवालोंकी संख्या	२,५०,०००
हमारी परीक्षाओंमें बैठनेवालोंकी संख्या	११,०००
हमारी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेवालोंकी संख्या	१०,०००
सभा द्वारा अपने प्रेसमें मुद्रित और प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकोंकी संख्या	३,००,०००

बिक चुकी पुस्तकोंकी संख्या	२,५०,०००
प्रकाशित की जानेवाली विविध प्रकारकी पुस्तकोंकी संख्या (इन सभी पुस्तकोंके कई संस्करण निकल चुके हैं; एक पुस्तकके १२ संस्करण हो चुके हैं)	३५
जिन केन्द्रोंमें अबतक हिन्दीकी शिक्षा दी जाती है उनकी संख्या	४००
चालू केन्द्रोंकी संख्या (कुल)	१५०
जिन केन्द्रोंपर सीधा नियंत्रण है उनकी संख्या	२५
जिन केन्द्रोंमें फरवरी, १९३१ में परीक्षाएँ हुई थीं उनकी संख्या	११३
अभीतक प्रशिक्षित शिक्षकोंकी संख्या	२५०
अभीतक एकत्र और खर्च की गई धन-राशि	रु० २,५०,०००
उत्तर भारतसे एकत्र की गई कुल धन-राशि	रु० १,५५,०००
दक्षिण भारतसे एकत्र की गई कुल धन-राशि	रु० ९५,०००

हमें आशा करनी चाहिए कि इस चालू वर्षमें प्रगति और भी अधिक तेज होगी, और सारा धन पूरी तरह दक्षिण भारत ही जुटा देगा। यह राष्ट्रीय भाषाको सीखने और भारतको एक अविभाज्य इकाई बनानेकी दक्षिण भारतकी इच्छाकी कसौटी होगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-६-१९३१

५. टिप्पणी

लंकाके लिए स्वराज्य

लंकाके एक पत्र-लेखकने निम्नलिखित विचित्र प्रश्न पूछे हैं:[1]

मुझे नहीं पता कि लंका एक दिवालिया द्वीप है या चूँकि वह अपनी जरूरत भरका सारा कपड़ा स्वयं तैयार नहीं करता या सारा अनाज नहीं पैदा करता इसलिए वह जरूरी तौर पर दिवालिया ही है। लेकिन अगर यह मान लें कि पत्र-लेखकने जैसा बयान किया है, लंकाकी स्थिति वैसी ही है, तब तो यह और भी बड़ा कारण है कि उसे स्वतन्त्र होना ही चाहिए। लंकाकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो शायद इस खराबीकी वजह उसकी पर-निर्भरता है। मैं एक भी ऐसे अवसरकी

१. यहाँ नहीं दिये गये हैं। पहला प्रश्न था कि क्या एक आर्थिक दृष्टिसे पर-निर्भर देशको स्वतन्त्र होनेकी कोशिश करनी चाहिए; और दूसरा यह था कि क्या भारत लंकाको स्वतन्त्र होनेमें मदद दे सकता है।

कल्पना नहीं कर सकता जब गुलामी या पर-निर्भरता स्वराज्य या स्वतन्त्रताके मुकाबले ज्यादा वांछनीय हो।

जहाँतक भारतकी सहायताका सवाल है, जब भारत स्वतन्त्र होगा, तो वह चाहे अथवा न चाहे, उसकी स्वतन्त्रतासे लंकाको अपने-आप ही उत्साह प्राप्त होगा और वह मुक्ति पा लेगा। जिस प्रकार भारतकी गुलामी या पर-निर्भरता उसके पड़ोसियों और यहाँतक कि पूर्वके अन्य देशोंके विकासमें भी बाधक है, उसी प्रकार उसकी स्वतन्त्रताका अर्थ उनके लिए और अधिक स्वतन्त्रता होगा। पड़ोसियोंके बीच बीमारीका होना कभी लाभप्रद नहीं हो सकता। और भारत जैसा रुग्ण प्रायद्वीप अपने पड़ोसियोंके लिए सदा एक खतरा रहेगा। पर-निर्भरता शायद सबसे बड़ी बीमारी है। आत्माकी बीमारीकी अपेक्षा मात्र शरीरकी बीमारी हर सूरतमें अच्छी है। आत्माकी बीमारीसे अनेक प्रकारकी शारीरिक बीमारियाँ और उससे भी ज्यादा खराब चीजें पैदा होती हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-६-१९३१

६. जापानी या ब्रिटिश?

यह बात कि आर्थिक दृष्टिसे (और करोड़ों व्यक्तियोंके लिए केवल यही दृष्टिकोण महत्त्व रखता है) जापानी कपड़ेका बहिष्कार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चीज है, बम्बई मिल-मालिक संघके अध्यक्ष श्री एच० पी० मोदीके निम्नलिखित पत्रसे[1] सपष्ट है:

अतः यदि बहिष्कारके लिए काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी ओरसे कहीं कोई ढिलाई है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि आर्थिक दृष्टिकोणसे ब्रिटिश कपड़ेके बहिष्कारपर जोर देनेसे कोई फायदा नहीं होगा। इसी प्रसंगमें, कोई भी देख सकता है कि ब्रिटिश कपड़ा व्यापारपर जापानी कपड़ेसे कैसा धक्का पहुँचा है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-६-१९३१

७. पत्र : कुसुम देसाईको

बोरसद
सुबहकी प्रार्थनासे पहले, १८ जून, १९३१

चि० कुसुम,

तेरा सन्देशा तो मैं समझा नहीं था, परन्तु पत्र समझा और पढ़कर दुखी हुआ। पत्रका न आना ही बताता था कि तू दूर भागती जा रही है। न भागने

१. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने दिखाया था कि भारतीय कपड़ा उद्योगका सबसे गम्भीर प्रतिद्वन्द्वी ग्रेट-ब्रिटेन नहीं बल्कि जापान है, और जापानकी प्रतिद्वन्द्विता भारतीय उद्योगके लिए भी इतना ही बड़ा खतरा है जितना वह लंकाशायरके वस्त्र-उद्योगके लिए है।

और भागनेका उपाय तो तेरे ही हाथमें है। चेते तो अच्छा। यहाँ तो जब तेरी इच्छा हो, तू आ सकती है।

२३ तारीखको यहाँसे रवाना होना है। दो दिनके लिए बम्बई जाना पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८२२) से।

८. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
१८ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

मैं आपको इसी १० तारीखके आपके पत्र और उसके साथ संलग्न मेसर्स रामजीलाल एण्ड ब्रदर्सके[1] एक पत्रकी प्रतिके लिए धन्यवाद देता हूँ। यदि उन्होंने जो तथ्य दिये हैं वे सही हैं, तो मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि धरना स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अतः मैं स्थानीय कांग्रेस कमेटीको मामलेकी जाँच करनेको लिख रहा हूँ,[2] और यह भी लिख रहा हूँ कि यदि मेसर्स रामजीलालके पत्रमें लगाये गये आरोपोंको वे संतोषजनक रूपसे गलत सिद्ध न कर सकें तो धरना स्थगित कर दिया जाये। मैं अपने पत्रकी प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न १

श्री एच० डब्ल्यू० इमर्सन
भारत सरकारके गृह-सचिव
शिमला

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३८७, १९३१। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. यह फर्म विदेशी कपड़ेका आयात और व्यापार करती थी। उसने शिकायत की थी कि कांग्रेसी धरनेदार लोग तंग करते हैं और जोर-जबर्दस्ती करते हैं।

२. देखिए अगला शीर्षक।

९. पत्र : कानपुर कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको

बोरसद
१८ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं साथमें केन्द्रीय सरकारको प्राप्त मेसर्स रामजीलाल एण्ड ब्रदर्सके एक पत्रकी प्रति भेज रहा हूँ। यदि धरनेसे सम्बन्धित आरोप सही हैं तो यह बिलकुल स्पष्ट है कि धरना तुरन्त स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अतः अगर आप उस पत्रके दूसरे और उसके बादवाले अनुच्छेदोंमें लगाये गये आरोपोंको सन्तोषजनक ढंगसे गलत नहीं सिद्ध कर सकते तो मुझे आशा है कि आप धरना तुरन्त स्थगित कर देंगे। मैं चाहूँगा कि आप जो कार्रवाई करनेका निश्चय करें, उनकी सूचना तारसे[1] मुझे दें।

हृदयसे आपका,

मन्त्री
स्थानीय कांग्रेस कमेटी
कानपुर

प्रति श्री इमर्सनको

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३८७, १९३१। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१०. पत्र : रेहाना तैयबजीको

१८ जून, १९३१

प्रिय रेहाना,

मुझे तुम्हारे सत्यनिष्ठ स्वभावपर इतना अधिक भरोसा है कि तुम्हारी किसी बातसे मुझे आघात नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारे विचार अस्पष्ट और विशृंखलित हैं। लेकिन हम आज इस चीजपर चर्चा नहीं कर सकते। कोई जल्दी नहीं है। शायद तुम्हारी अपनी खोजके फलस्वरूप, और तुमने कायल होकर नहीं लेकिन अनुशासनके नामपर मेरी सलाहपर अमल करनेका जो वादा किया है उसके कारण, चीजें तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जायेंगी। ईमानदारीसे अनुशासन स्वीकार करनेसे अक्सर

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", २४-६-१९३१ की पाद-टिप्पणी २।

विश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुमने इतने स्पष्ट ढंगसे मुझे लिख कर अच्छा किया।

मेरी बाबत तुम्हारी एक धारणा मैं ठीक कर दूँ। तुम लिखती हो "मैं जानती हूँ कि आप स्वयं इतने शुद्ध हैं कि आपमें विषय-वासना है ही नहीं।" काश कि यह सही होता। तुम्हारा भ्रम दूर करते मुझे दुख होता है। मैं इस वासनासे मुक्त होनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन मैं उससे मुक्त हुआ नहीं हूँ। यह मुक्ति पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी नहीं। मुझे किसी ऐतिहासिक दृष्टान्तका पता नहीं है। मैं जानता हूँ कि इतिहासमें इस प्रकारके दृष्टान्तोंका उल्लेख होना कठिन है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६३१) से।

११. पत्र : वी० के० सदगोपाचारीको[1]

बोरसद
१८ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे आशा है कि आप अदालतमें पूरे जोरके साथ अपने मामलेका बचाव करेंगे और अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके लिए जो कानूनी कदम जरूरी होंगे वे सब उठायेंगे। मैं अपनी तरफसे जो-कुछ हो सकता है वह सब कर रहा हूँ, लेकिन जब आरोप यह हो कि फौजदारी कानूनका उल्लंघन किया गया है तब मैं बेबस हूँ। मैं तभी कुछ कर सकता हूँ जब यह सिद्ध किया जा सके कि समझौतेके किसी अंशका उल्लंघन किया गया है। अतः इस मामलेमें जबतक शान्तिपूर्ण धरनेपर निषेध न हो, तबतक राहत प्राप्त करनेके लिए समझौतेका उपयोग नहीं किया जा सकता[2]।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत वी० के० सदगोपाचारी
अध्यक्ष, ताल्लुक कांग्रेस कमेटी
तिरुत्तणी (चित्तूर जिला), दक्षिण भारत

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३०८) से।

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ३४३।

२. एक अन्य पत्रमें, जो उपलब्ध नहीं है, गांधीजीने राजगोपालाचारीको तफसीलसे लिखा था कि क्या कदम उठाये जाने चाहिए, और राजगोपालाचारीने उन्हें गवर्नरके सामने रखते हुए यह आशा प्रकट की थी कि अनुकूल आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

१२. पत्र : जमनालाल बजाजको

बोरसद
१८ जून, १९३१

चि० जमनालाल,

शाह मंगलदास हरिलाल गांधी, ठिकाना फणसवाड़ी, दूसरी गली, दादीशेठ अगियारी लेन, हरिलाल माणेकलाल गांधीका माला। यह भाई शाह हरिलाल माणेक-लाल गांधीके लड़के हैं। भाई हरिलाल सूरजबहनके धर्मपिताके नामसे प्रसिद्ध थे। इनके पास सूरजबहनकी सारी रकम है। इनकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सूरजबहन कहती है कि एक समय हालत बहुत अच्छी थी। मैंने भाई हरिलालको लिखा है कि विधवा बाईके रुपये किसी खानगी पेढ़ीमें नहीं रखने चाहिए। इसलिए उनको 'इंडिया बैंक' में रखकर उसकी रसीद सूरजबहनके नाम भेज दें। इसका जवाब साथमें है। सम्भव है कि रुपये बिलकुल खतरेमें न हों। पर मैं चिन्तामें पड़ गया हूँ। तुम भाई मंगलदासको अपने पास बुलवा लेना अथवा उनसे मिल लेना और पूछताछ कर लेना। सारे हाल जान लेना और रुपये बैंकमें रखे जा सकें तो रखवा देना। सूरजबहनके नामसे रखवाने हैं। इनके यहाँ सूरजबहनके गहने वगैरा भी हैं। इन्हें भी अपने कब्जेमें ले लेना। अथवा उनकी जो सेफ डिपोजिटकी रसीदें हैं वे ले लेना। इस वक्त तो तुमको सूरजबहनके पत्रकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परन्तु जरूरत जान पड़े तो मुझे तार देना तो मैं भेज दूँगा; परन्तु भाई मंगलदाससे तो तुरन्त मिल लेना।

उन अंग्रेज भाइयोंसे[1] मिलनेके लिए २४ ता० को वहाँ आना है। वल्लभभाई साथ होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८८९) से।

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ४१०; तथा "यूरोपीय युवक", २-७-१९३१ भी।

१३. पत्र : जमनादास गांधीको

१८ जून, १९३१

चि० जमनादास,

मेरा हेतु यही था कि तुम्हें विद्यापीठसे पैसा प्राप्त करना चाहिए लेकिन इससे पहले तुम्हें काका साहबसे अपनी माँगकी जाँच करा लेनी चाहिए। जैसा ठीक समझो वैसा लिख कर काका साहबको भेज देना और उन्हें लिख देना कि तुमने यह जाँचके लिए भेजा है। इस ऐसे अनिश्चित समयमें क्या तुम इस योजनाको मौकूफ नहीं कर सकते?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२५) से। सौजन्य : नारणदास गांधी

१४. पत्र : तिरुत्तणी कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको[1]

[१९ जून, १९३१ से पूर्व][2]

गांधीजीने धरना देनेवालोंसे कहा है कि वे आदेश भंग न करें क्योंकि वैसा करना कांग्रेसकी ओरसे युद्ध-विरामकी शर्तोंको भंग करने जैसा होगा, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वह भारत सरकारके गृह-सचिवसे पत्र-व्यवहार करेंगे।

इस बीच गांधीजीने तिरुत्तणीके कांग्रेसजनोंसे आदेशकी एक प्रति तथा तिरुत्तणीमें धरना आन्दोलनकी तफसीली रिपोर्ट भेजनेको कहा है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-६-१९३१

१. यह सलाह इस प्रश्नके उत्तरमें दी गई थी कि स्थानीय मजिस्ट्रेटने शराबकी दुकानोंपर धरना देनेका निषेध करते हुए जो आदेश निकाला था उसको भंग किया जाये या नहीं।

२. इसकी रिपोर्ट "मद्रास, १९ जून" तारीखके अन्तर्गत दी गई थी।

१५. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
१९ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

मैं भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर सर्वश्री मोरारजी देसाई और दुर्लभजी देसाई द्वारा प्राप्त पत्रोंकी प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ। इन दोनोंके बारेमें केन्द्रीय सरकारने बम्बई सरकारको सलाह दी थी कि वह उन्हें पेंशन, या पेंशनके बदले आनुतोषिक प्रदान करे। आपको याद होगा कि यह व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि आपने लार्ड इर्विनको यह सलाह दी थी कि उच्च श्रेणीके राजकर्मचारियोंको उनके मूल पदोंपर बहाल करना प्रान्तीय सरकारोंके लिए बड़ा कठिन होगा। मुझे याद है कि शिमलामें हमारी बातचीतके[1] दौरान आपने मुझे बताया था कि इन दो सम्बन्धित अधिकारियोंको कुछ देनेके मामलेमें बम्बई सरकारके सामने कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जिस पत्रकी प्रति मैं संलग्न कर रहा हूँ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। इन दोनों महानुभावोंने कृपा की याचना नहीं की थी बल्कि समझौतेकी शर्तोंके तहत अर्जी दी थी। अतः क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप बम्बई सरकारको इन दोनों अधिकारियोंके बारेमें समझौतेको कार्यान्वित करनेकी सलाह देंगे।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. १३ मई, १९३१ को।

१६. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
१९ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

मुझे पता नहीं कि जब्त की गई बन्दूकोंके बारेमें आपने कानूनी राय ली अथवा नहीं। बहुत-सी जगहोंसे शिकायतें मिल रही हैं कि ये बन्दूकें लौटाई नहीं जा रही हैं। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, अधिकांश मामलोंमें लोगोंके पास ये बन्दूकें जंगली जानवरोंसे अपनी और अपनी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए थीं। मेरे पास कर्नाटकसे ऐसे कई मामलोंकी शिकायत है।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१। सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१७. पत्र : कैप्टेन बार्न्सको

बोरसद
१९ जून, १९३१

प्रिय कैप्टेन बार्न्स,[1]

आपके विस्तृत पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तथापि मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जायेंगे। आपका पत्र साबरमतीसे पुनर्प्रेषित किया गया था। इसलिए खान साहबके मेरे पाससे जानेके लगभग फौरन बाद मुझे मिला। वह मेरे साथ कुछ दिनों रहे, और पहली बार मैं उनके घनिष्ठ सम्पर्कमें आया। उनके बारेमें मेरा अनुभव यह है कि वह अत्यन्त सौम्य प्रकृतिके और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है जिन्हें अहिंसामें पूर्ण आस्था है। आपके पत्रमें उनकी दूसरी ही तस्वीर मिलती है। चूँकि वह अभी भी

१. कैप्टेन बार्न्स १९३० में पेशावर जिलेके चारसद्दा सब-डिवीजनके सब-डिवीजनल अफसर थे; उन्होंने १४ जून, १९३१ को गांधीजीको पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँके कार्यों और भाषणोंको 'हिंसोत्तेजक' बताया था।

पहुँचके अन्दर ही हैं इसलिए मैं एक मित्रको आपके पत्रकी प्रतिके साथ स्पष्टीकरण के लिए भेज रहा हूँ, और अगर आपको बताने लायक कुछ और हुआ तो मैं आपको फिर लिखूँगा।

आपने जिस नाटकका उल्लेख किया है क्या आप उसकी एक प्रति उसके अनुवादके साथ, और अनुवाद आसानीसे न भेज सकें तो उसके बिना ही, भेज सकते हैं?

हृदयसे आपका,

कैप्टेन बार्न्स
हमला कॉटेज
नथियागली, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१८. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

व्यक्तिगत

स्थायी पता : साबरमती
१९ जून, १९३१

प्रिय चार्ली,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले, दोनों ही बिल्कुल तुम्हारे अनुरूप हैं। तुमने जो नैतिकता-विषयक प्रश्न रखे हैं उनके जवाब इस प्रकार हैं। यह बिलकुल सच है कि मेरा बस चले तो मैं एक ही बारमें विदेशी कपड़ेपर निषेध लगा दूँ और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें हिंसाका तनिक भी पुट है। इस निष्कर्षपर मैं १८८९ और ९० में पहुँचा था जब मैं लन्दनमें पढ़ रहा था और पूर्ण मद्य-निषेधके पक्षपातियों और मद्यपानकी आदतमें सुधारके समर्थकोंके बीच चल रहे विवादका बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। पूर्ण निषेधके समर्थकोंका नेतृत्व सर विलफ्रेड लॉसन कर रहे थे जिनका कहना था कि मालिकोंको कोई मुआवजा दिये बिना सभी सार्वजनिक शराबखानोंको बन्द किया जाना चाहिए। सुधार पार्टीने जिसे वास्तवमें सार्वजनिक शराबखानोंके मालिकोंसे पैसा मिलता था, मुआवजा देने और निषेधको धीरे-धीरे लागू करनेके लिए जोरदार संघर्ष किया और इसमें उसे सफलता मिली। यदि कोई व्यक्ति गलत कामके जरिये आजीविका कमा रहा हो तो उसे कोई परम्परागत अधिकार प्राप्त नहीं होता, और यदि सरकार उसका व्यापार बन्द कर दे या उसके ग्राहक उसके साथ

व्यवहार रखनेसे इन्कार करके उसका व्यापार बन्द कर दें तो वैसी दशामें उसे किसी प्रकारका मुआवजा या क्षतिपूर्ति पानेका अधिकार नहीं है। यह सोचना अप्रासंगिक है कि जो अनेक मजदूर गलत काम करनेवालेकी अनजानेमें मदद कर रहे हों, उनका क्या होगा। इस तर्कके पीछे यह मान्यता है कि गलतीको हर कीमतपर सुधारा जाना चाहिए, और इसके परिणामस्वरूप गलत काम करनेवाले और उनके आश्रितोंको यदि कोई क्षति पहुँचती दिखाई पड़ती है तो ऐसी क्षति ऊपरी ही है; इससे अन्तमें उनका लाभ ही होता है। यदि ऐसी बात न होती तो बहुतसे सुधार असम्भव हो जायेंगे। बेशक तुम कह सकते हो कि तुम विदेशी कपड़ेके व्यापारकी समानता शराब या अफीमके व्यापारके साथ नहीं करोगे। लेकिन यह तो अपनी-अपनी रायकी बात है।

यदि मैं बम्बईकी मिलोंको किसी प्रकार या किसी भी रूपमें सहारा दे रहा होता तो यह निश्चय ही हिंसा होती। लेकिन इस मुद्देपर मेरा अन्तःकरण बिलकुल साफ है। मैं न केवल भारतीय मिलोंको सहारा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि कई मामलोंमें मैं उनसे संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे हस्तक्षेपके परिणामस्वरूप श्रमिकोंकी दशामें निरन्तर सुधार हो रहा है। यदि ये मिलें खद्दरके मामलेमें दखल देंगी तो मैं चाहूँगा कि उनका भी उतनी ही सख्तीसे बहिष्कार किया जाये जितनी सख्तीसे विदेशी मिलोंका।

इंग्लैंडमें बेरोजगारीका इलाज यह नहीं है कि भारत अविवेकपूर्ण उदारता दिखाये, बल्कि यह है कि इंग्लैंड उन लोगोंके शोषणकी भयंकरताको पूरी तरह समझे जिन्हें उसने हिंसात्मक साधनोंसे अपने अधीन कर लिया है, और जीवन-स्तरकी अपनी कल्पनामें आमूल परिवर्तन करके फिरसे सादगीका जीवन अपनाये। जो व्यक्ति चिरकालिक भुखमरीकी स्थितिमें रह रहा हो, क्या उसके लिए अपनेसे अधिक भाग्यशाली व्यक्तिके प्रति उदारताका कोई अर्थ है?

तुमने जो दक्षिण आफ्रिकाका उदाहरण दिया है वह उचित नहीं है। जिसे तुम उदारताका कार्य समझते हो वह वास्तवमें अहिंसाकी दृष्टिसे एक जरूरी कार्य था। यह सिद्ध करनेके लिए कि मेरे संघर्षका उद्देश्य सरकारको अटपटी स्थितिमें डालना या सत्ता छीनना नहीं है, अहिंसाके पालनार्थ मेरे लिए संघर्षको स्थगित करना जरूरी हो गया था।[1] ताकि मैं दिखा सकूँ कि मेरी उन यूरोपियोंके साथ कोई सहानुभूति नहीं है जो सरकारको अटपटी स्थितिमें डाल कर उसे इतना अधिक असहाय बना देनेपर तुले हुए थे जिससे कि वे खुद सत्ताको हड़प सकें। जिसे तुम उदारता कहोगे उसे दिखानेका अवसर यहाँ दिल्ली समझौतेके[2] समय आया था और इस समय जबकि समझौतेको लागू किया जा रहा है उसके अवसर आते ही रहते हैं, और अगर तुम्हें पता होता कि किस प्रकार ऐसे प्रत्येक अवसरका पूरा लाभ उठाया जा रहा है तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाता। और इंग्लैंडकी वर्तमान बेरोजगारीके सिलसिलेमें भी बहुत तरहसे उदारता दिखाना सम्भव है, लेकिन यदि उदारताका

१. १९१४ में रेल्वेके यूरोपीय कर्मचारियोंकी हड़तालके दौरान; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ३१६-१७।
२. गांधी-इर्विन समझौता; देखिए खण्ड ४५, परिशिष्ट ६।

मतलब भारतको होनेवाले नुकसानको जारी रखना हो या कोई नया नुकसान उठाना हो, तो वह सम्भव नहीं है। यदि इंग्लैंड साम्राज्यवादी ढंगसे सोचना बन्द कर दे, यदि भारत आजाद हो जाये और इंग्लैंडका अधीन प्रदेश होनेके बजाय उसका भागीदार या मित्र बन जाये तो इंग्लैंडको ऐसी सैकड़ों चीजोंमें अधिमान्यतापूर्ण व्यवहार मिल सकता है जिनकी कि प्रगतिके पथपर अग्रसर जागृत भारतको पश्चिमके देशोंसे आवश्यकता होगी। इसलिए लंकाशायर दूसरे बाजारोंके लिए चलनेवाली मिलोंमें श्रमिकोंसे कताई और बुनाईका काम लेना जारी नहीं रख सकता तो उसे कोई दूसरा काम ढूँढ़ना चाहिए जिसमें श्रमिकोंका उपयोग किया जा सके। अन्तमें, याद रखो कि यदि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार न भी होता, और खुली प्रतियोगिता होती तो जापान लंकाशायरको कहीं पीछे छोड़ देता जैसा कि वह पहले ही कर रहा है।

मुझे तुम्हारा तार मिला। बेशक अगर मैं लन्दन आया तो मेरा कार्यक्रम तुम्हारे हाथोंमें होगा, और तुम जितनी जल्दी चाहोगे मैं खुशीके साथ लंकाशायर चलूँगा।

मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ कि तुम्हारा नाम जितना अधिक सम्भव हो उतना ही पृष्ठभूमिमें रहना चाहिए।

बोअर युद्धमें मेरे योगदानके ऊपर कैसा अशोभन विवाद छिड़ा है। मुझे रायटर और 'स्टेट्समैन'को तथ्य देने पड़े।[1]

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजी की फोटो-नकल (जी० एन० ९६९)से।

१९. पत्र : कावसजी जहाँगीरको

बोरसद
१९ जून, १९३१

प्रिय सर कावसजी,

आपके इसी १८ तारीखके पत्रके[2] लिए धन्यवाद।

आप मेरा कोई भी पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि वह महिला[3] अब कहती हैं कि शिकायतकी अब कोई वजह नहीं है। लेकिन जिन लोगोंके विरुद्ध शिकायत की गई थी, उनके साथ न्याय करनेकी दृष्टिसे मैं यह दोहराये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपोंको कभी स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने पूरी जाँच होने दी है। मेरी अपनी स्थिति हमेशा यह रही है कि मैं ऐसे आरोपोंको कभी दबाऊँ नहीं, क्योंकि मैंने अनुभवसे देखा है

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ४०८-९ तथा ४११-१२।
२. घाटकोपरमें धरना देनेवालों द्वारा तंग किये जानेके कथित आरोपके बारेमें।
३. श्रीमती कांट्रैक्टर।

कि ऐसे व्यापक आन्दोलनोंको, जैसाकि हमारा आन्दोलन है, कार्यकर्त्ताओंकी प्रत्येक कमजोरी प्रकाशमें लाकर ही शुद्ध रखा जा सकता है।

हृदयसे आपका,

सर कावसजी जहाँगीर
फोर्ट, बम्बई

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६–सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२०. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
१९ जून, १९३१

चि० नारणदास,

आज मैं ज्यादा नहीं लिख सकता। मंजुलाके बारेमें जो जानकारी मिली है उससे चिन्ता होती है। वह बहुत बार मौतके मुँहसे बच गई है अतः इस बार भी बच जायेगी। उसका हर सम्भव उपचार करना चाहिए। महावीर विद्यापीठ जाना चाहता हो तो जाने देना। उसको मैंने जो पत्र लिखा है वह पढ़ जाना। सीतला सहायने लिखा है कि उसे पत्र तुम्हारे पतेपर भेजूँ। इसीलिए ऐसा किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती की माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

२१. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
१९ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्र मिले। द्वारकानाथके सम्बन्धमें तुमने जो कहा है सो मैं समझा। उसके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

सोराबजीवाली पॉलिसीके पैसे हम नहीं भरेंगे। मूल रकमके वापस हाथमें आनेकी मुझे कम सम्भावना दिखाई देती है। और मुझे इसका कोई उपाय भी दिखाई नहीं देता।

अब जमना बिलकुल ठीक हो गई है क्या? दवाकी मात्रा जमनाने भूलसे ज्यादा ली थी कि इसमें वैद्यजीने भूल की थी?

पण्डितजीको विद्यार्थियोंके बारेमें मुझसे बात करनी थी। उनकी मान्यता है कि प्रेमाबहन गुजराती पढ़ाती है सो ठीक नहीं है और पर्याप्त भी नहीं। इससे उन्होंने शिवाभाईकी माँग की थी और उसे तुमने स्वीकार भी कर लिया था लेकिन उन्हें दफ्तरमें रखनेके लिए ही। प्रेमाबहनके स्वभावकी तो वे भी बहुत शिकायत कर रहे थे। वाचनालय प्रेमाबहनकी उपस्थितिमें इतना ज्यादा बन्द रहता है कि मगनभाईके लिए भी नहीं खुलता। सब-कुछ सुननेपर मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि यदि अब मैं आश्रमकी व्यवस्थामें हस्तक्षेप करता हूँ तो यह मेरे आश्रममें रहनेके समान होगा। मैं तो मार्गदर्शनकी दृष्टिसे थोड़ा-बहुत कुछ कहना पड़े तो कह सकता हूँ। इसलिए उन्हें तुम्हींसे सारी बात करके समझ लेनी चाहिए। पण्डितजी बहुत सरल हृदयके व्यक्ति हैं। उन्होंने यदि तुमसे यह सब नहीं कहा है तो इस पत्रका उपयोग करते हुए तुम उनके साथ बातचीत करना और उन्हें सान्त्वना देना। मुझसे कुछ पूछनेकी जरूरत पड़े तो पूछना।

चम्पा आज वहाँ आई होगी। मैंने तो उसे आश्रममें रहनेकी सलाह दी है। लेकिन यदि वह वैसा नहीं करती तो भले ही लाल बंगलेमें रहे। वहाँ रहे अथवा चाहे जहाँ रहे। शशीकी पढ़ाईका कुछ खास बन्दोबस्त करना होगा। पढ़ानेवाली कोई अच्छी महिला मिले तो उत्तम बात है। काका साहबसे पूछना। सविताबहन भी इस बारेमें कुछ बता सकती है। चम्पाका भाई बलवन्त आश्रममें रहनेकी माँग करता है। मैंने कहा है कि यदि वह आश्रमके नियमका पालन करता है तो रह सकता है। कृष्णन् नायरके पास रहनेकी भी उसकी इच्छा है। मैंने उसे पत्र लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

२३ तारीखको यहाँसे रवाना होऊँगा और २४-२५ को बम्बईमें रहूँगा। बादमें २६ को बारडोली वापस आऊँगा। यह अन्तिम बात निश्चित नहीं है।

गुजराती की माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

२२. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

बोरसद
१९ जून, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला था। इन्दुकी देखभाल तुम अपने जिम्मे ले लेना। यह बच्चा माँ बिना सूखता जा रहा है। बात यह है कि माँ तुल्य तुम्हारी दृष्टि सब बच्चोंपर समान रूपसे पड़नी चाहिए। जो बहन माँ बनना चाहती है ये सब बच्चे उसीके हैं। माँ अनेक भी हो सकती हैं। तात्पर्य यह कि किसी अन्य बहनके हृदयमें वात्सल्य भाव जगे तो अच्छा है, उत्पन्न होना भी चाहिए। लेकिन तुम तो इस दिशामें अवश्य प्रयत्न करना।

कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना लेकिन कभी हारना नहीं। जो नय भाई और नई बहनें आई हैं उनसे जान-पहचान करना। स्मरण रखना कि तुम तो कार्यकारी समितिकी सदस्या भी हो।

तुमने आहारके सम्बन्धमें जरा कड़े नियमोंको अपनाया है। लेकिन आहारम दूध शामिल है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। इससे शरीरपर जो प्रभाव होगा उसके बारेमें बताती रहना।

अमतुलबहनसे परिचय बढ़ाना। उसका हृदय अत्यन्त निर्मल है, ऐसा जान पड़ता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७७७ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

२३. पत्र : वाइसरायको

बोरसद
२० जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके इसी १७ तारीखके पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मेरा निजी तौरपर सम्बन्ध है, मैं लगभग सभी दूसरे काम छोड़कर कांग्रेस द्वारा समझौतेके पालनकी ओर ध्यान दे रहा हूँ।

मैं हूँ,
हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

वाइसराय महोदय
शिमला

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३३/९/१९३१; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

२४. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
२० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आपका इसी १६ जूनका पत्र मिला जिसके साथ आपने मद्रास सरकार द्वारा भेजे गये धरने सम्बन्धी एक विवरणके अंश भेजे हैं। अगर यह रिपोर्ट सही है तो खराब है। लेकिन मुझे मद्राससे पूर्णतः विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्त्ताओं द्वारा भेजी गई जो रिपोर्टें लगभग प्रतिदिन मिल रही हैं उन्हें पढ़ कर मैं आपको मिलनेवाली रिपोर्टोंका विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है, मैं चाहता हूँ कि वह समझौतेको पूरी तरह लागू करे। इसलिए मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। क्या आप स्थानीय सरकारोंको दोनों पक्षोंके आरोपोंकी फौरी जाँच करनेके लिए एक जाँच-मण्डल नियुक्त करनेकी सलाह देंगे जिसमें एक कांग्रेसका और एक सरकारका नामजद सदस्य हो, और जहाँ कहीं ऐसा पता चले कि शान्तिपूर्ण धरनेके नियमका उल्लंघन किया गया है वहाँ धरना बिलकुल स्थगित कर दिया जायेगा। दूसरी ओर सरकार यह जिम्मेदारी ले कि जिन मामलोंमें धरना शान्तिपूर्ण होनेके बावजूद मुकदमे चलाये गये हैं वहाँ वह उन्हें वापस ले लेगी। और मेरा सुझाव आपको ठीक न लगे, तो शायद आप इससे बेहतर और अधिक ग्राह्य कोई सुझाव देंगे। इस बीच आपके पत्रमें जिस विशिष्ट आरोपका उल्लेख किया गया है, मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३६९) से; सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

१. श्री इमर्सनके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १।

२५. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
२० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आपने सूरतके जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई १९ मईकी रिपोर्टके अंश संलग्न करते हुए जो पत्र भेजा था उसके सन्दर्भमें मैं अब आपको रिपोर्टके अंशमें उल्लिखित एक फरीक, नारण दुलभ[1] द्वारा दिये गये वक्तव्यका अनुवाद भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न – १

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३३/९/१९३१; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

२६. पत्र : भुजंगीलाल कान्तिलाल छायाको

बोरसद
२० जून, १९३१

चि० भुजंगीलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे परिवारके साथ मेरा पुराना सम्बन्ध है सो मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें जमनादाससे मिलनेके लिए लिखा था, तुम्हारे पिछले पत्रका मेरा वही उत्तर था। मुझे मंगवलारको यहाँ (बोरसदमें) मिल जाना। आणंद स्टेशन-पर बोरसदके लिए बसें मिल ही जाती हैं।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६०२) से।

१. नारण दुलभने एक शराब-विक्रेता, धनजीशा एरकशा, को अपनी जमीन पट्टेपर देनेका निश्चय किया था, किन्तु गाँवका लोकमत उसके विरुद्ध देखकर उसने यह निश्चय बदल दिया था।

२७. पत्र : जमनालाल बजाजको

बोरसद
२० जून, १९३१

चि० जमनालाल,

तुम्हारा भेजा भगतसिंह-सम्बन्धी प्रस्ताव पढ़ लिया। देवने भी तुम्हारे कहनेसे भेजा था। मुझे यह प्रस्ताव बिल्कुल पसन्द नहीं आया। 'आज' शब्दसे इस प्रस्ताव-का मूल्य बदल गया। 'आज' शब्द जोड़ देनेसे ऐसी ध्वनि निकल सकती है कि आज भी सभाको अहिंसापर विश्वास नहीं है। जो अहिंसाको शाश्वत धर्म नहीं मानते हैं उन्हें भी 'आज' जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है।

वहाँ २४को नहीं, बल्कि २५ ता० गुरुवारको, आना है। मैं तो गुजरात मेलसे जाऊँगा। उस समय इस विषयमें अधिक चर्चा करनी हो तो कर लेना।

इसके साथ चौंडे महाराजके सम्बन्धमें पत्र है, उसे पढ़ लेना और कुछ छान-बीन करने जैसी हो तो करना।

राजेन्द्रबाबूको फिलहाल बिहार जानेका विचार छोड़ देना चाहिए। राधिका वहाँ आई है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८९०) से।

२८. पत्र : पद्माको

बोरसद
२० जून, १९३१

चि० पद्मा,

तेरा पत्र मिला। वसुमती बहन तेरी विचार-पोथी [निजी डायरी] कैसे मँगवा सकती है, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। किसी व्यक्तिकी कोई चीज चोरीसे ले लेनेका किसीको अधिकार नहीं है। मैं जाँच करता हूँ लेकिन तू दुखी मत हो। तुझे तो उदार हृदय बनना चाहिए और अपने स्वास्थ्यको सुधारना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२१)से।

२९. पत्र : नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाको

बोरसद
२० जून, १९३१

भाई नानाभाई,

श्री देशपाण्डे जैसे व्यक्तिको चाहिए कि जो लोग खादी नियमका पालन नहीं करते उन्हें विनयपूर्वक समझायें और तब भी यदि वे ऐसा न करें तो त्यागपत्र देकर अपना सारा समय खादी प्रचारमें लगा दें। ऐसी परिस्थितियोंमें कांग्रेसकी सेवा कांग्रेससे बाहर रहकर हो सकती है।[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६८२)से।

३०. पत्र : परशुराम मेहरोत्राको

बोरसद
२० जून, १९३१

चि० परसराम,

तुमारा खत मिला। विश्वासके भाजन बने या नहिं ऐसा क्यों पूछते हो यदि नहिं होता तो मैं तुमसे कठिन त्याग कैसे करवाता। हां यह कह दुं तुमारी विव्हलता अब गई ऐसा मैं नहीं कह सकता। घंटेमें २५० गज तकलीपर कात लेते हो? जो चित्र[2] तुम भेज रहे हो बहोत हि बुरे हैं। सबके सब जला देनेके योग्य हैं।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सदस्योंके कातनेके बारेमें देखूंगा।

श्रीयुत परसराम मेहरोत्रा[3]
फीलखाना
कानपुर (यू० पी०)

मूल की फोटो-नकल (जी० एन०. ७४८९) से। सी० डब्ल्यू० ४९६६ से भी; सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २५-६-१९३१ के अन्तर्गत "नियम पालनके आग्रही क्या करें?" उप-शीर्षक।

२. इन चित्रोंमें गांधीजीको भगवान कृष्ण तथा कई नेताओंको पाँच पाण्डवोंके रूपमें चित्रित किया गया था।

३. मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें था।

३१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बोरसद
२० जून, १९३१

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र और लिंडसेके खतका उत्तर मिला है। उत्तर पढ़ लुंगा और उसमें कुछ बाकि होगा तो फिर लिखुंगा।

खादीकी फेरी होती है सो तो अच्छा हि है। यह रहा मेरा संदेशा।

"यदि स्वराज्यका अर्थ कंगालोंके लिये रोटी है तो कोई स्वराजवादी स्त्री या पुरुष बगैर खादी और कुछ कपड़ेका उपयोग कर सकते हैं? मँघी खादी भी सस्ती पड़ती है क्योंकि जितने गज और कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं उतने गज खादी नहिं लेते हैं।"

"खादीकी फेरी एवं स्वदेशी प्रचार" ऐसा आपने लिखा है। स्वदेशी प्रचारके क्या माने?

बोस सेनगुप्ताका मामला तय हो जाय तो बहुत अच्छा हो जायेगा।

का० वा० समितिके प्रस्तावसे[1] मेरे जानेका निश्चय हो गया ऐसा न माना जाये। पहले तो मुझे निमंत्रण हि नहिं मिला है और मिलने पर भी काफी विघ्न रास्तेमें पड़े हैं। दिल्लीकी संधीके पालनमें प्रांतिक सरकार बहोत शिथिल होये हैं। विलायत जानेका मुझे कोई उत्साह नहिं रहा है। यं० इं० में जो लेख[2] मैंने लिखा है उसे और न० जी० में कल छपेगा उसे ध्यानसे पढ़ें। ठीक वही अब मेरा ख्याल हो गया है। उसीमें लोग कल्याण है अन्यथा नहिं—इस अंतके दो शब्दके लिये थोड़ा संदेह है सही। लेकिन वह भी कमी होता जाता है।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ७८९० से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

१. बम्बईमें ९ जूनको पास किया गया; देखिए पृष्ठ १ की पाद टिप्पणी १।

२. "सार और छाया", १८-६-१९३१। यह लेख इसी तारीखके **हिन्दी नवजीवन**में भी प्रकाशित किया गया था। गुजराती लेखके अनुवादके लिए देखिए अगला शीर्षक।

३२. गेहूँ या भूसी[1]

कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावको सब किसीने पढ़ा ही होगा। उसका आशय यह है कि यदि और सब बातें अनुकूल हों और मुझ गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेने-के लिए बुलाया जाये तो साम्प्रदायिक सवालका निपटारा न होनेपर भी, मुझे कांग्रेसकी माँगें पेश करनेके लिए गोलमेज सम्मेलनमें जाना चाहिए। मुझे यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। मैंने उसका विरोध किया। और मैं जो चाहता था उस तरहका प्रस्ताव मैंने बहसके लिए समितिके सामने पेश किया। 'लेकिन मेरी हार हुई और उपर्युक्त आशयका प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया।

मैं अपनेको लोकमतको सर्वोपरि माननेवाला समझता हूँ; भले कोई मुझे निरं-कुश कहे, लेकिन पंचके आगे झुकना मेरा स्वभाव है। पंच अर्थात् लोकमत। इसीलिए मैंने बहुमतका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इस नीतिका एक अपवाद है। सिद्धान्तके मामलेमें किसीके वश नहीं हुआ जा सकता। लेकिन सिद्धान्त जगतमें थोड़े होते हैं। जो पग-पगपर सिद्धान्तकी बात करता है लेकिन किसीकी नहीं सुनता, वह निरंकुश और स्वार्थी समझा जाता है। सिद्धान्तका सवाल कभी-कभी ही उठता है। यहाँ ऐसा सवाल नहीं था, इसलिए मैं झुक गया।

मैं अपना यह आग्रह कई बार प्रकट कर चुका हूँ कि हिन्दू-मुसलमानका, अर्थात् साम्प्रदायिकताके सवाल का, जबतक कोई हल नहीं निकल आता तबतक मैं गोलमेज सम्मेलनमें नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं अपनी दलील कार्य-समितिके गले नहीं उतार सका। सामान्यतः मैं उस दलीलको सर्व-साधारणके सामने नहीं रख सकता। कार्य-समितिमें होनेवाली चर्चाको प्रकट करनेका अधिकार किसी सदस्यको नहीं है। परन्तु इस मामलेमें समितिने मुझे छूट दी है। समितिने महसूस किया कि मेरी स्थितिको समझाने और समितिकी स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए इस प्रकारकी छूट देना आवश्यक था।

साम्प्रदायिकताके प्रश्नके समाधानके बिना गोलमेज सम्मेलनमें न जानेके मेरे आग्रहकी तहमें ये विचार काम कर रहे थे: यदि इसका समाधान हो जाता है तो भी विलायतमें कांग्रेसकी माँगका मंजूर होना मुश्किल है, लेकिन यदि समाधान न हो, तो माँगके पीछे जो शक्ति निहित है, वह बहुत-कुछ कम हो जायेगी। "आप अपना घर ही साफ नहीं कर सकते, परस्पर एक नहीं हो सकते और स्वतन्त्रता चाहते हैं?" शिष्टाचारवश अंग्रेज सदस्य यह बात मुँहसे भले न कहें, तो भी यह वाक्य उनके मनमें तो होगा ही, उनकी आँखोंमें हम इसे पढ़ सकेंगे। यह ताना बहुत करके सच भी होगा।

१. देखिए पिछले शीर्षक की पाद-टिप्पणी २।

एसी दयनीय स्थितिमें जाकर हँसी करानेकी अपेक्षा कमजोरी कबूल कर लेना बेहतर होगा। सत्याग्रही अपनी कमजोरीको छिपाता नहीं है। उसके सिद्धान्तके अनुसार तो कमजोरी स्वीकार करनेसे नया बल पैदा होता है। कमजोरी दूर करनेकी पहली सीढ़ी यह है कि हम अपनी कमजोरीको स्वीकार कर लें।

मेरी दलीलसे कोई यह अनुमान न लगा ले कि कार्य-समितिके प्रस्तावमें कमजोरीको छिपानेकी बात है। इस प्रस्तावमें कमजोरीसे जो-कुछ फलित होता उससे अस्वीकार ही है और इसलिए वह अनजाने छिपानेके समान है। कमजोरीको स्वीकार करनेका सीधा परिणाम यह होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलनमें न जाया जाये। इसीका नाम कमजोरीकी सच्ची स्वीकृति है। जिसमें चलनेकी शक्ति न हो, जो व्यक्ति मुँहसे यह स्वीकार करता है कि उसमें चलनेकी शक्ति नहीं है और व्यवहारमें चलने लगता है तो कहना होगा, उसने सच्चे दिलसे कमजोरी कबूल नहीं की है; चलकर वह दूना कमजोर बनता है। शायद मूर्च्छित होकर जमीनपर भी गिर सकता है।

यदि हम इस प्रश्नका समाधान करनेकी अपनी असमर्थताको कबूल करते हैं और गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधिको नहीं भेजते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हमें गोलमेज सम्मेलन द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा और लोभका त्याग करना होगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम पूर्ण स्वराज्यकी लड़ाई बन्द कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन तो स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नमें एक साधन है। हमें उस साधनको छोड़ देना होगा। इतनी बात तो सब तुरन्त समझ लें। परन्तु हम सबको एक कड़वा घूँट पीना होगा, और वह यह कि फिर जो लड़ाई होगी, वह पूर्ण स्वराज्यके नामसे न होगी, हालाँकि काम तो वही होगा।

आज यदि साम्प्रदायिक प्रश्नका सन्तोषजनक समाधान नहीं होता तो यह समझ लेना चाहिए कि इस समाधानके लिए आजतक जो कोशिशें की गई थीं, वे खोटी या अधूरी थीं। आजतक जो प्रयत्न हुए हैं वे राजनीतिमें पड़े हुए हिन्दू-मुसलमानोंके बीच समझौता करनेके लिए हुए हैं। उनमें राज्याधिकार पानेकी खींचातानी रही है। इस खींचातानीसे दिली एकता पैदा नहीं होती, हुई भी नहीं है। इसलिए यदि कांग्रेस दिली एकता कायम करना चाहती है तो उसे इस क्षेत्रसे निकल जाना चाहिए और वह हिन्दू जनतापर जैसी सत्ताका उपभोग कर रही है, वैसी सत्ताका उपभोग उसे मुसलमान वगैरा लोगोंपर करना चाहिए और उसके लिए उसे जी-तोड़ मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकारके प्रयत्नसे दिली एकता अवश्य पैदा होगी; इसमें असफलताकी गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेसकी सत्ताका आधार जनताकी सेवापर है। कांग्रेसका कार्यक्रम इस तरह गठित किया जाना चाहिए जिससे कि मुसलमान आदि लोगोंको एकसमान लाभ पहुँचे। यदि ऐसा होगा तो वे लोग भी कांग्रेससे परिचित हो जायेंगे।

यह नहीं कि आज उनकी सेवा नहीं की जाती है। फिर भी हमें यह स्वीकार करना ही चाहिए कि जिस हदतक कांग्रेसको हिन्दू अपनाते हैं, उस हदतक मुसल-

मान, सिख आदि नहीं अपनाते। इस त्रुटिके लिए सम्बद्ध सम्प्रदायोंका दोष बतानेके बजाय कांग्रेसको अपनी त्रुटिको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके लिए यही बेहतर रास्ता है और इसीमें उसकी शोभा है।

जब कांग्रेस हिन्दुओंके अतिरिक्त अन्य हिन्दुस्तानियोंसे भर जायेगी, साम्प्रदायिक प्रश्नके समाधानमें और राष्ट्रीय प्रश्नके समाधानमें कोई भेद नहीं रह जायेगा, तब मुसलमानोंको अथवा अन्य लोगोंको इस खयालसे हिन्दुओंका डर न रहेगा कि वे संख्यामें कम हैं, और हिन्दू ज्यादा हैं। और न तब संख्यामें अधिक होते हुए भी बलहीन हिन्दुओंको अल्पसंख्यक लेकिन बलवान मुसलमानों या सिखोंका ही भय होगा। सबकी ताकत सबके काम आयेगी। जबतक ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, तबतक दस्तावेजी स्वराज्य दस्तावेजके कागजकी तरह फूँक मारते ही उड़ जायेगा।

दस्तावेजी स्वराज्यसे हमारा क्या तात्पर्य है और दूसरे स्वराज्यका मतलब क्या है? जरा इसपर विचार करें। गोलमेज सम्मेलन द्वारा प्राप्त किया जानेवाला स्वराज्य, अर्थात् जिस स्वराज्य-संविधानको हमने स्वीकार किया हो और ब्रिटिश संसदने कानूनका रूप दिया हो वह स्वराज्य। यह कानूनके पन्नोंमें निहित अर्थात् किताबी स्वराज्य होगा। उसपर करोड़ोंके दस्तखत न होंगे, करोड़ों एक दूसरेका विश्वास न करते होंगे। कानपुर और काशीमें हिन्दू-मुसलमान लड़ते हों, तो वह स्वराज्य 'भूसी-रूप स्वराज्य' होगा।

सच्चा स्वराज्य वह है जिसपर करोड़ोंके दस्तखत होंगे, करोड़ों लोग जिसकी शीतल छायाका अनुभव करेंगे, जिसमें कानपुर और काशीकी घटनाएँ हमें अतीतके इतिहासके रूपमें याद रहेंगी, हम उस समयकी अपनी मूर्खतापर जी-भर कर हँसेंगे। यह स्वराज्य दस्तावेजपर लिखा गया हो या न लिखा गया हो तो भी यह स्वराज्य सच्चा स्वराज्य कहा जायेगा, गेहूँ-रूप माना जायेगा। उससे पोषण मिलेगा।

मेरी राय है कि अगर आज हम साम्प्रदायिक प्रश्नका सन्तोषजनक समाधान नहीं कर पाते हैं और यदि हम मेरी कल्पनाके सच्चे स्वराज्यकी लड़ाई लड़नेका निश्चय करते हैं, तो गोलमेज सम्मेलनके त्यागमें ही हमारी शक्ति छिपी है और उसीमें स्वाभिमान भी निहित है।

मेरी कल्पनाकी लड़ाई यह है — यदि साम्प्रदायिक प्रश्नका हल नहीं निकलता और यदि कांग्रेसका प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलनमें भाग नहीं लेता तो भी कुछ-न-कुछ तो होगा ही। तदनुसार भले साम्प्रदायिक भेदभावको माननेवाले हिन्दू-मुसलमान आदि अंग्रेजोंसे हुकूमतका थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें और अपनेको राजकाजमें हाथ बँटानेवाला मानें। उस राज्यसत्तासे सत्ता या हुकूमत माँगनेके बदले कांग्रेस वह चीज माँगेगी, जिसके लिए सत्ताकी आवश्यकता है, और उसके न मिलनेपर सत्याग्रह द्वारा लड़ेगी। हमें हुकूमतकी जरूरत नामके लिए नहीं, कामके लिए है। और वह काम है, करोड़ोंकी सेवा करना। उनकी आर्थिक, नैतिक और सामाजिक स्थितिको सुधारनेके लिए यदि राज्यकी बागडोर आज हमारे हाथमें नहीं है, तो भी काम बन्द करनेकी जरूरत नहीं है।

स्वराज्यकी लड़ाईको यह रूप देनेसे हम साम्प्रदायिक झगड़ोंसे बच जाते हैं, और इस लड़ाईमें भाग लेनेके लिए हम सारी प्रजाका आह्वान कर सकते हैं। इस लड़ाईमें हर किसीको भाग लेना होगा। जो इसमें शामिल न होगा वह अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। करोड़ोंकी हालत सुधारनेके लिए जिस चीजकी आवश्यकता हो, उसे माँगते समय वे सब लोग इसमें अवश्य शामिल होंगे जिनमें त्याग करनेकी शक्ति और वीरता है। नहीं होते तो भी झगड़ा तो कभी न होगा।

उदाहरणके तौर पर लगानके कानूनको न्यायानुकूल बनानेके लिए, लगान कम करानेके लिए, जो लड़ाई छिड़ेगी वह सबके लिए होगी, इसलिए समय आने पर सब उसमें अवश्य शामिल होंगे। इस प्रकार लड़ते हुए या तो इच्छित सुधार किये जायेंगे, या सत्ताधिकारी लड़नेवाली जनताको सत्ता सौंप देंगे। हमारे लिए परिणाम एक जैसा होगा, इस तरह लड़ते-लड़ते साम्प्रदायिक झगड़े मिट जायेंगे और यह प्रकट हो जायेगा कि सेवक कौन है, और स्वामी कौन है। इससे जनताकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी, जनताको सच्ची राजनैतिक तालीम मिलेगी, जनता अपने स्वार्थको जानने लगेगी, मेरे लिहाजसे यही सच्चा स्वराज्य होगा। ऐसा करते हुए पूर्ण स्वराज्य हमारी गोदमें आ पड़ेगा।

लेकिन मैं अपनी यह योजना कार्यसमितिके गले न उतार सका। अधिकांश सदस्योंने यह अनुभव किया कि जब समझौता हुआ ही है, तो अन्य परिस्थितियोंके अनुकूल होने पर, साम्प्रदायिक समझौतेके अभावमें भी मुझे गोलमेज सम्मेलनमें अवश्य जाना चाहिए। पंचकी सत्ताके मानकी खातिर मैं जाऊँगा। जाऊँगा, अर्थात् मुझमें जो शक्ति होगी, उसका उपयोग कांग्रेसकी माँगें उपस्थित करने और उन्हें मंजूर करानेमें करूँगा। परन्तु साम्प्रदायिक समझौता न हुआ, तो माँगोंकी स्वीकृतिको मैं लगभग असम्भव मानता हूँ; अतएव यदि माँगें मंजूर न हुईं और लड़नेका निश्चय ठहरा, तो मैं लड़ाईको उपर्युक्त रूप देनेकी कोशिश करूँगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-६-१९३१

३३. टिप्पणियाँ

नग्नावस्था और समाज

इस प्रकरणको लेकर 'जैन मित्र' में एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक जैन न्यायतीर्थ परमेष्ठीदासने मुझसे उसके उत्तरमें कुछ लिखनेको कहा है। मैं इस अंकमें उपर्युक्त लेखके बारेमें अपने विचार प्रकाशित तो करना चाहता था लेकिन बहुत प्रयत्न करनेपर भी समय नहीं निकाल सका। अवसर मिलते ही इसका उत्तर सबसे पहले देनेकी आशा रखता हूँ[1] और चूँकि यह विषय तात्कालिक नहीं है इसलिए स्वाभाविक ही मैंने इससे अधिक तात्कालिक विषयोंको प्राथमिकता दी।

विद्यार्थी[2]

एक विद्यार्थी लिखता है:[3]

सुना है कि ऐसी जमानत अन्य प्रान्तोंमें भी ली जाती है। इससे समझौता भंग होता है या नहीं, इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन इससे जो एक अन्य प्रश्न उठता है उसकी चर्चा मैं यहाँ करूँगा। माता-पिता ऐसी जमानत किसलिए दें? और यदि वे देते भी हैं तो उसका क्या मूल्य है? समझौतेके बाहर भी ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनके प्रति सरकार गलत रुख अख्तियार कर सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो उसमें अपनी सम्मति अथवा सहयोग देना धर्म नहीं है। इसलिए सहयोग न देना ही धर्म हो जाता है। समझौतेसे किसीको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब जनताको निस्तेज होकर बैठ जाना है। समाधानसे तो कुछ समस्याओंका निराकरण हो सकता है और कुछ समस्याएँ वैसीकी वैसी ही रह जाती हैं। जिन समस्याओंका कोई समाधान नहीं निकलता उनको लेकर जनताको अपने आत्मसम्मानकी आहुति देनेकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं यह सलाह अवश्य देना चाहूँगा कि जिन माता-पिताओं अथवा विद्यार्थियोंसे इस प्रकारकी जमानत माँगी गई है वह उन्हें कदापि नहीं देनी चाहिए और यदि इस कारण वे सरकारी स्कूलोंमें न जा सकें तो उन्हें सरकारी स्कूलोंसे बाहर रहना चाहिए। यह बात सबको याद रखनी चाहिए कि आज जो स्थिति है हमेशा वही स्थिति नहीं रहनेवाली है। आगामी वर्षके आरम्भतक तो हम निश्चित रूपसे यह जान जायेंगे कि सरकार कांग्रेसकी माँगोंको स्वीकार करनेवाली है या नहीं। यदि वह स्वीकार नहीं करती तो क्या करना होगा इसके बारेमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है।

१. देखिए "दिगम्बर साधु", ५-७-१९३१।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", २५-६-१९३१ का उप-शीर्षक "आत्म-सम्मान सर्वोपरि"।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रके साथ एक गारन्टी फार्म भी था जो विद्यार्थीके अभिभावकको भरना पड़ता था कि वह राजनीतिक गतिविधियोंमें भाग नहीं लेगा।

नमककी छूट दिये जानेके बारेमें

जिस गाँवमें नमक बनाया जाता है क्या हम वहाँसे उसे उठाकर आस-पासके उन गाँवोंमें बेच सकते हैं जहाँ नमक नहीं बनाया जाता?

जो गाँव इतने निकट हों कि वहाँ पैदल जाया जा सकता हो तो वहाँ अपना बनाया हुआ नमक अवश्य बेचा जा सकता है।

अबतक यह कानून था कि कोई व्यक्ति तटसे १० मीलके अन्दर-अन्दर बंगाली एक मनसे ज्यादा नमक नहीं रख सकता। शिमलामें जो विज्ञप्ति जारी की गई है उससे क्या इस कानूनमें कोई परिवर्तन हुआ है?

ऐसा कानून हो ही नहीं सकता। इस आशयकी विज्ञप्तिके प्रकाशित किये जानेकी बात सुनी तो अवश्य थी। जो अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उससे पहले जितनी भी विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की गई हैं और जो इससे मेल नहीं खातीं उन्हें रद समझना चाहिए। सही स्थिति यह है: समझौतेके अनुसार लोग अपने इस्तेमाल भरके लिए और अपनी सीमामें जितना तैयार किया गया हो और पैदल चल कर जितना नमक बेचा जा सकता हो उतना नमक रखनेके अधिकारी हैं।

नमक बेचनेके लिए क्या उसका संग्रह किया जा सकता है? भाद्रपदके महीनेमें मछियारोंको नमककी ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या नमकका संग्रह कर उसे उस समय उन्हें बेचा जा सकता है?

इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ।

नमकके लिए गड्ढे और क्यारियाँ सरकारी जमीनपर बनाई जानी चाहिए अथवा निजी जमीनपर?

ये गड्ढे जहाँ कहीं भी नमक बनाया जाता हो वहाँ खोदे जा सकते हैं। निजी जमीनपर तो जमीनके स्वामीकी अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतएव समझौतेके अधीन अपनी अथवा सरकारी जमीनपर नमक बनानेके लिए गड्ढे खोदे जा सकते हैं।

धर्मके नामपर अधर्म

मातर ताल्लुकेमें रघवाणज नामका एक गाँव है। गुजरातमें ठक्कर बापाकी देखरेखमें अनेक स्थानोंपर कुएँ खोदनेका काम चल रहा है, यह बात सब कोई जानते हैं। ऐसा ही कुआँ रघवाणज गाँवमें भी खोदा जा रहा है। उसकी देखरेख करनेवाले व्यक्तिने ठक्कर बापाको जो वृत्तान्त लिख भेजा है उसमें से निम्नलिखित भाग सब हिन्दुओंके मनन करने योग्य है।[1]

यह तो अत्याचारकी परिसीमा हुई। इसमें मुझे धाराला भाइयोंका दोष अधिक नहीं जान पड़ता। इसमें दोष तो तथाकथित उच्च वर्णके हिन्दुओंका है। उन्होंने

१. इसे यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस तरह ढेढ लोगोंके साथ काम करनेपर धाराला कारीगरोंको सजा मिली थी।

जो वातावरण तैयार किया है धाराला लोग उसके वशीभूत होकर व्यवहार करते जान पड़ते हैं। ये तीखे वचन लिखकर मैं धाराला भाई-बहनोंको सावधान करनेकी उम्मीद नहीं रखता लेकिन इसके द्वारा मैं कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओं और 'नवजीवन'के हर पाठकको सावधान करनेकी आशा अवश्य रखता हूँ। इस हालतमें उन कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंको जिन्हें इस बातका पता चले, स्वयं अपने हाथोंमें कुदाल लेनी चाहिए। उन्हें धाराला आदि लोगोंको जो अत्याचार करते हों, अपने धर्मका भान कराना चाहिए; अन्त्यज भाई-बहनोंको भयका त्याग कर स्वावलम्बी बननेका पाठ पढ़ाना चाहिए। यह सारा काम तब सहज ही हो सकता है जब हम स्वयं मजदूरी करनेको तैयार हो जायें। लेकिन हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब इन अत्याचारोंसे हम थर्रा उठें।

लाखों रुपये धुएँमें

कलकत्तासे एक भाई लिखते हैं:[1]

मेरे कुछ लिखनेसे सिगरेटके धुएँमें जो लाखों रुपये फुँक जाते हैं सो कोई बन्द थोड़ा होनेवाले हैं। लेकिन एक बात जो अनुभवमें आ रही है उसका उल्लेख उपर्युक्त पत्रके प्रसंगमें कर दूँ। सत्याग्रहके दौरान जो सुधार सहज ही हो गये थे उनमें अब शिथिलता आ गई जान पड़ती है। इससे ज़ो निष्कर्ष निकलता है वह हमें चौंकानेवाला है और वह यह कि यदि हम केवल आन्दोलनके दौरान ही व्यवस्थित रहते हैं और आन्दोलनका नशा दूर होते ही हम ढीले पड़ जाते हैं तो स्वराज्यको बनाये रखना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा। ऐसी स्थितिमें क्या यह अभीष्ट नहीं कि लड़ाईका दौर चलता रहे। खैर ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित तो न होगा। लेकिन मुझे इस बातकी आशंका अवश्य है कि स्वराज्यको बनाये रखनेकी योग्यता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे यदि हमारी लड़ाई लम्बी चलती रहती है तो इसमें राष्ट्रका हित होनेकी सम्भावना है। आन्दोलनके समय जो सुधार हुए उन्हें पचानेकी शक्ति हममें आये तबतक तो आन्दोलन समाप्त हो चुका था। इस तथ्यको समझ लेनेके बाद जो पाठक सुस्त पड़ गये हों उन्हें चाहिए कि वे नींदसे जगें और अन्य लोगोंको जगायें। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सत्याग्रहकी लड़ाई आत्म-शुद्धिकी लड़ाई है उनके लिए तो नित्य ही लड़ाई अथवा नित्य ही शान्ति है। क्योंकि आत्म-शुद्धि[की साधना] तो एक पलके लिए भी मन्द नहीं पड़नी चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-६-१९३१

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान सिगरेटोंका बहिष्कार कर दिया गया था लेकिन लोग अब फिर सिगरेट पीने लगे हैं।

३४. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

बोरसद
२१ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

यह रहा श्रीयुत चतुर बिहारीलाल ऐंडलेका एक और पत्र। तुम ही जानो कि इसका कोई महत्त्व है या नहीं।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

संलग्न-१

श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा
६५, एस्प्लेनेड रोड
बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १००९६) से।

३५. पत्र : नाथम मुस्लिम एसोसिएशन, अबिराममको

[स्थायी पता :] साबरमती
२१ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपका तार[1] मिला। मैं जानता हूँ कि बर्मामें भारतीयोंकी जान खतरेमें है, लेकिन यहाँसे बैठे हुए क्या किया जा सकता है? आपको अपनी ओरसे जो कोशिश हो सके करनी चाहिए और जहाँ कहीं सुरक्षाको खतरा हो वहाँसे ज्यादा सुरक्षित स्थानोंको चले जाना चाहिए। इस तरफ कोई कार्रवाई की जा सके, इसके लिए आपको जीवन-हानि, तथा जीवन-हानि किस प्रकार हुई, इसका पूरा ब्योरा भेजना चाहिए। क्या गाँवोंके बर्मी लोग भारतीय व्यापार तथा भारतीयोंकी रिहाइशके विरुद्ध

१. तारमें कहा गया था : "बर्मामें बहुत सारे निर्दोष भारतीयोंकी जान-माल अभी भी बहुत खतरेमें है। रोज हत्याकाण्डकी सूचना मिलती है। कृपया अधिकारियोंको शान्ति और व्यवस्था स्थापित करनेके लिए तत्काल कदम उठानेको कहिए।"

हैं? क्या हमारे लोगोंका उनकी ओर व्यवहार अच्छा है? अगर आप मुझे ये सब ब्योरे दे सकें, तो शायद यहाँ लोकमत तैयार किया जा सके।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २-७-१९३१

३६. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

बोरसद
२१ जून, १९३१

भाई काशीनाथ,

तुम्हारा पत्र मिला।

दिगम्बर जैन साधुओंके बारेमें मैं कुछ लिखनेवाला तो हूँ।[1] देखूंगा कि क्या सम्भव है?

तुम्हारे जानेके बारेमें हरिभाऊके साथ भी बात हुई थी। तुमने जो कारण दिये हैं, सो मैं समझता हूँ। तुम दोनोंका पतन होकर रहेगा। सच बात तो यह है, कि तुम दोनों पतित हो चुके हो।

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।
इन्द्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।।[2]

यहाँ विमूढ़ात्माका अर्थ यही है कि वह ज्ञानहीन है और इसीसे वह मिथ्या आचरण करता है। जिसने मनसे विषयोंका सेवन किया है यदि वह बाह्याचारसे बचा रहता है तब भी वह ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता। इसलिए मनमें उत्पन्न होनेवाले विषयोंको दूर करना ही चाहिए। विषयोंको दूर करनेके लिए प्रयत्नशील व्यक्तिको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तुमने वे कदम नहीं उठाये हैं। अब तुम दोनोंको इस सम्बन्धमें अपनी असमर्थताको पहचानकर विनम्र भावसे गृहस्थाश्रमका उपभोग करना चाहिए और जो त्याग मनःपूर्वक किया जा सकता है उतना आचरणमें उतारना चाहिए। 'त्याग न टकरे वैराग्य विना' भजनपर विचार कर जाना। इसे तुम आक्षेप मत समझना। बल्कि ऐसा मानना कि मैंने तो तुम्हें सही स्थिति बताते हुए चेतावनी भर दी है।

'नवजीवन' और आश्रमकी तुम्हारी ओर जो रकम निकलती है उस खातेको समेट लेनेके लिए मैं इन दोनोंको लिख रहा हूँ।[3] तुम इसका उपयोग करना। यह

१. देखिए "दिगम्बर साधु", ५-७-१९३१।
२. **भगवद्गीता**, ३, ६।
३. देखिए अगला शीर्षक।

तुम्हारी भूल थी। तुम्हें इस तरहसे कर्ज नहीं लेना चाहिए था। और कर्ज कर लेनेके बाद उसके लिए क्षमा माँगनेसे बेहतर तो यह होता कि तुम कर्ज लेते समय ही उतने अधिक वेतनकी माँग करते। सेवाके रूपमें किये गये कार्यकी कीमत इस तरह नहीं आँकी जाती। यह बात मैंने शुद्ध व्यवहारके अन्तर्गत लिखी है। हमारा व्यवहार अत्यन्त शुद्ध रहे तो हम इस रंक स्थितिसे उबर सकते हैं। जिसका मन कभी रंक नहीं होता वह अरबपतिसे भी अधिक धनवान होता है।

मैं यहाँसे बुधवारको बम्बई जानेवाला हूँ। उससे पहले आना चाहो तो तुम दोनों मेरे पास आ जाना। यदि पत्र द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर तुम सन्तुष्ट रह सको तो न आना और इस तरह समय और पैसा बचा लेना। हमने अभी गरीबीका पाठ नहीं पढ़ा है। इस दोषके भागी लगभग सभी लोग हैं। इसमें दोष परिस्थितियोंका है। मुझे पैसेकी कमी कभी नहीं रही है इसलिए मैं उसपर पूर्ण नियन्त्रण कभी नहीं कर पाया हूँ; जिससे मैंने अनेक बार चाहा है कि लोग मुझे पैसा देना बन्द कर दें और खानेके भी लाले पड़ने लगें तो कितना अच्छा हो। इस सम्बन्धमें 'नवजीवन' में लिखा मेरा लेख[1] फिरसे पढ़ जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५२८१) से।

३७. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
२१ जून, १९३१

चि० नारणदास,

बहीखातेमें भाई काशिनाथके नाम जो रकम निकलती है, उसे बट्टे खाते डाल देना। उक्त रकम वापस देनेकी सामर्थ्य उनमें नहीं है।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ १६८-९।

३८. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको

बोरसद
२१ जून, १९३१

भाई लक्ष्मीनारायणजी,

आपका विनोदसे और दुखसे भरा हुआ काश्मीरमें झंडेके बारेमें जो कुछ हुआ उसका चित्र पढ़ा। चित्र बहोत मनोरंजक है, देशी राज्योंकी अधम स्थिति बतानेवाला है। आपके लेखित हुकमके आग्रहने आपको बचा लिया। स्पष्ट है कि यदि कोई गरीब आदमी झंडा लेकर चला जाता तो गिरफ्तार हो जाता। देखें अबकी गोलमेजी परिषद क्या करती है।

हां, काश्मीरमें कोटक अच्छा काम कर रहे हैं।

विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके लिये घर घर आंदोलनकी आवश्यकता है। उसका असर पिकेटिंगसे अधिक होता है और करीब करीब स्थायी होता है।

दिल्हीमें जो झगड़ा होता है उसके लिये दा० अनसारी कुछ चेष्टा न करें? उनसे आप कुछ कहें।

आपका,
मोहनदास

मूलकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६२२) से।

३९. पत्र : पद्माको

२१ जून, १९३१

चि० पद्मा,

तूने जो पत्रके साथ कोरा कागज रखा था उसपर मैं यह पत्र लिख रहा हूँ लेकिन पूरे कागजका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तुझे अपने शरीरकी बहुत सँभाल रखनी चाहिए और अपनी खोई हुई सेहतको पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि तू सरोजिनी देवीके[1] पास जाना चाहे तो सीतलासहायकी[2] और नारणदासकी भी अनुमति लेकर जा सकती है। लेकिन अच्छा तो तुझे आश्रममें ही होना चाहिए। यदि तू नियमपूर्वक अपनी दवा लेती रहे तो अवश्य ठीक हो जायेगी।

१. पद्माकी माँ।
२. पद्माके पिता।

तेरी लिखावट बहुत सुधर गई है। तू जरा और मेहनत करेगी तो लिखावट और भी सुन्दर हो जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२२) से।

४०. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको

बोरसद
२१ जून, १९३१

भाई रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि उच्चाधिकारी तुम्हारी बात नहीं सुनता तो मैं तुम्हें इस समय चुप रहनेकी ही सलाह दे सकता हूँ। थोड़े दिनों बाद कदाचित कुछ विशेष कदम उठानेकी सलाह दे सकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८९९२) से।

४१. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
२१ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। मगनभाईके बारेमें भी पण्डितजीने ही मुझे बताया था। मैं तो पहले ही समझ गया था कि इसके समान अन्य चीजोंके बारेमें भी पण्डितजीको गलतफहमी हुई है। लेकिन पण्डितजी अपने मनमें जो-कुछ होता है, कह डालते हैं और बादमें सब-कुछ भूल जाते हैं, यह उनका बहुत बड़ा गुण है।

महादेवने मुझे बताया कि अब मंजुको कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है।

जान पड़ता है पंजाबी वैद्य महँगे पड़े। तथापि यदि उनकी दवा ठीक असर करती है तो जो भी कीमत हो, देकर दवा क्यों न ली जाये? अंग्रेजी डाक्टर क्या एक दिनके १,००० रुपया नहीं लेते? उनमें से कुछ एक हमारी मुफ्त सेवा करते हैं। इस वैद्यने सोचा होगा कि यदि अन्य लोगोंसे पैसे लिये जा सकते हैं तो हमसे तो अवश्य ही लिये जा सकते हैं। यदि वह ईमानदार है तो हमें उसका पैसा नहीं खटकना चाहिए। यदि वह मुलाकातका अलगसे नहीं लेता तो मुलाकात और दवाका एकसाथ लेता है। अंग्रेजी डाक्टर दोनोंके अलग-अलग पैसे लेते हैं।

शिवाभाई अपनी पत्नीके बारेमें बातचीत कर गये हैं। शिवाभाई न भी आयें फिर भी उनकी पत्नीको लेना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यदि वह बहुत ज्यादा परेशान करे तो शिवाभाईको बताना। गंगाबहन अथवा उन जैसी ही किसी महिलाके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४२. पत्र : लालजी परमारको

बोरसद
२२ जून, १९३१

चि० लालजी,

आखिरकार तुम्हारा पत्र आया तो सही। ऐसा आलस्य फिर न करना। तुम्हें अपने पिताजीको स्पष्ट रूपसे लिख देना चाहिए कि तुम्हें अभी सगाई भी नहीं करनी है। अपनी लिखावट सुधारना। मुझे नियमपूर्वक हर हफ्ते पत्र लिखना। अब तुम प्रतिदिन कितना बुन लेते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२९३) से।

४३. पत्र : प्रभावतीको

बोरसद
२२ जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम हर पत्रपर अपना पता देती हो, यह ठीक है। अवसरके अनुसार जो अपना कर्त्तव्य हो तुम्हें करना चाहिए और उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। यदि जल्दी आ सको तो मेरे साथ बहुत दिनोंतक रह सकती हो। मेरे विलायत जानेके सम्बन्धमें अभी तो कुछ भी तय नहीं है। यदि जाना भी हुआ तो तुम्हें साथ नहीं ले जाया जा सकता। मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन जिस कामके लिए जाना है उसमें ऐसे काम शरीक नहीं किये जा सकते। और फिर खर्च भी बहुत होगा सो अलग। गरीबीमें गुजारा करनेका प्रयत्न करनेवाले हम लोगोंको यह शोभा नहीं देता। लेकिन तुम वहाँसे मेरे पास आ जानेपर वापस क्यों जाओगी? मेरी अनुपस्थितिमें तुम आश्रममें ही रहोगी। वहाँ तुम्हारी तबीयत तो अवश्य अच्छी रहेगी। बस तुम जल्दी रवाना भर हो जाओ।

राजेन्द्रबाबू फिलहाल तो इस ओर ही कहीं रहेंगे। बादमें पटना आयेंगे। लेकिन उनके अभी वहाँ पहुँचनेमें देर है।

समितिकी बैठक ७ जुलाईको होगी।

मैं हूँ तो बोरसदमें लेकिन तुम पत्र बारडोलीके पतेपर ही लिखना।

बापूके [आशीर्वाद]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४१५) से।

४४. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

बोरसद
२२ जून, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। ब्योरा अच्छा दिया है। मुझसे मिल गई होती तो अच्छा होता। किसनका[1] पत्र समझमें आता है। अच्छा है, ऐसा उसे लिखना।

गंगाबहनका लड़कियोंको जी भरकर सिखानेका लोभ सच्चा और अच्छा है। उसका पोषण करनेमें जो मदद दी जा सके वह सब देनेकी मेरी इच्छा है। तू भी देना।

पंडितजीकी तेरे विरुद्ध कई शिकायतें हैं।[2] उनके पास जाकर सब शिकायतें सुनना और विनयपूर्वक उनका उत्तर देना। पंडितजी-जैसे सच्चे और शुद्ध आश्रमवासियोंका मिलना कठिन है। उन्हें तू जीत लेना। तेरे विरुद्ध शिकायत क्यों होनी चाहिए? तेरा स्वभाव तेज है, उद्धत है, मिलनसार नहीं है; यह ठीक है। इन दोषोंको मैं बड़ा नहीं मानता। लेकिन उनसे कठिनाइयाँ जरूर पैदा होती हैं। इसलिए ये दोष भी भीतरसे निकाल देना। पंडितजीके साथ तुरन्त सारी बातोंकी सफाई कर डालना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

२४ ता० तक डाक यहाँ भेजना। २५-२६ को बम्बई। २७ को बहुत सम्भव है, बारडोली। लेकिन निश्चित नहीं है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२५७)से। सी० डब्ल्यू० ६७०५ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१. प्रेमाबहनकी सहेली; इसने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनके दौरान बम्बईमें बहुत काम किया था।

२. प्रेमाबहन अपनी पुस्तक **बापुना पत्रो**में लिखती हैं कि आश्रममें रहनेवाले बड़े लोगोंके प्रति उनके अशिष्ट व्यवहार और अनुशासनके प्रति उनके असह्य आग्रहसे आश्रमवासियोंमें बहुत क्षोभ था।

४५. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
२२ जून, १९३१

चि० नारणदास,

महादेव मैलार और उसकी पत्नी सिद्धुदेवी यह पत्र लेकर आ रहे हैं। महादेव तो आश्रमका ही व्यक्ति है। उसकी शादी तो जल्दी ही हो गई थी। महादेव पूर्ण-रूपेण ब्रह्मचर्यका पालन करता है और उसका कहना है कि उसकी स्त्रीने भी इस बातको अच्छी तरह समझ लिया है। महादेव होसारी नामक एक गाँवमें आश्रममें काम करता है। अन्ततः वह और उसकी पत्नी उसी आश्रममें स्थायी रूपसे बस जायेंगे। अभी तो वे दोनों हिन्दी सीखना चाहते हैं। अन्य चीजें तो वे सीखेंगे ही। लेकिन उनके मनमें हिन्दी सीखनेका बहुत उत्साह है। जैसा बन पड़े बन्दोबस्त करना। मेरी दृष्टि तो सबसे पहले पगले परशुराम पर जाती है। वह पगला तो अवश्य है लेकिन हमारे साथ लगा है। उसे कानपुरसे हटानेकी मेरी इच्छा नहीं होती लेकिन जरूरत महसूस हो तो हटाओ। हमारे यहाँ हिन्दी सीखनेकी पूरी व्यवस्था हो, यह वांछनीय है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैंने महादेवसे कहा है कि यदि उसकी पत्नी आश्रमके लिए उपयोगी न होगी तो उसे वहाँसे चले जानेके लिए कहा जायेगा। उनका खर्च भी हम लोगोंको ही उठाना होगा। उनके खर्चका बोझ आश्रम पर न पड़े, इसके लिए तो वे काम करनेको तैयार ही हैं।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४६. पत्र : नारणदास गांधीको

[२२ जून, १९३१][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्रमें एक ही प्रश्न ऐसा है जिसका मुझे उत्तर देना बाकी रह जाता है। सोमणको मैंने किस प्रसंगमें यह कहा था कि यदि वह अलहदा भोजन करे तो कोई हर्ज नहीं? मुझे प्रसंग याद नहीं आता लेकिन यदि उसे याद हो तो मैं उसपर कायम रहूँगा। सामान्यतया तो तुम जो कहते हो वही नियम है। जानकीबाई पवित्रताकी मूर्ति हैं। उन्हें आश्रममें जबतक अनुकूलता लगे तबतक हमें रखना चाहिए। यदि तुम्हें मेरा यह पत्र भाई सोमणको पढ़वाना उचित जान पड़े तो दिखा देना। वह आजकल क्या करता है?

उम्मीद है, महावीरका बुखार उतर गया होगा।

मीराबहन और गौर गोपालदास वहाँ आ रहे हैं। मीराबहन अब यह समझ गई है और मानती है कि उसका स्थान आश्रममें अथवा जहाँ कहीं भी काम हो वहाँ है और वह इसपर अमल करनेके लिए ही आश्रममें आ रही है। इससे जो काम लेना हो सो लेना। मेरा विलायत जाना तय हो तो वह मेरे साथ चलेगी, इतना ध्यानमें रखकर उपयुक्त व्यवस्था करना। यदि विलायत जाना हुआ तो हम अगस्तके मध्यमें जायेंगे।

गौर गोपालको मैं जानबूझकर भेज रहा हूँ। वह बहुत सरल-हृदय युवक है। वह जमींदार परिवारका है, यह बात तो तुम जान ही गये होगे। उसे जितना कुछ दिया जा सकता हो उतना देना। जो काम लेना उचित जान पड़े सो लेना। इस बातका ध्यान रखना कि उसकी हिन्दी अच्छी हो जाये, उसे पींजना-कातना अच्छी तरहसे आ जाये। यदि वह बुनाईका सारा [पाठ्य] क्रम पूरा कर सके तो अच्छा होगा। उसके काम-काजकी कुछ इस तरहसे व्यवस्था करना कि उसे पढ़ाईका थोड़ा-बहुत समय मिले।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मीराबहन कल काठियावाड़ मेलसे रवाना होगी। गाड़ी वहाँ साढ़े सात-आठ बजे पहुँचती है। वह स्टेशनसे ताँगा लेकर आश्रम पहुँचेगी। रणछोड़भाई अथवा कोई अन्य व्यक्ति वहाँ आये और मोटर [स्टेशन] ले जाये तो समय बचेगा। मीराबहनका

१. पत्रके पाठसे मालूम होता है कि यह २३ जून, १९३१ को नारणदासको लिखे पत्रके एक दिन पहले लिखा गया था; देखिए पृ० ४७।

कमरा खाली करवा रखना। उसके साथ कदाचित बलवन्त और गौर गोपाल भी होंगे।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने। सी० डब्ल्यू० ८१७६ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी

४७. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

बोरसद
२२ जून, १९३१

चि० गंगाबहन,

इस समय मैं तुमसे बड़ी उम्मीद लगाये बैठा हूँ। यदि तुम सब बहनोंके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहती हो और यह चाहती हो कि लड़कियाँ अच्छी प्रगति करें तो तुम्हें बहुत सारे कार्योंको अपने जिम्मे न लेकर थोड़े कामोंसे सन्तोष मानना चाहिए और देखरेखमें ज्यादा समय देना चाहिए। छोटे-छोटे काम यदि तुम खुद करने बैठोगी तो देखरेख नहीं कर पाओगी। अस्थिर मनःस्थिति और लम्बे डग भरनेका विचार ही छोड़ देना चाहिए। अभी तो तुम्हारे पास बड़ी उम्रकी बहनें और लड़कियाँ हैं। यदि यह विभाग सम्पूर्ण हो जाये तो आश्रम बहनों और लड़कियोंसे भर उठेगा। यह समझ लो कि तुम्हारा कुटुम्ब अनन्त है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७७८ से भी; सौजन्य: गंगाबहन वैद्य

४८. सलाह : बोरसदके किसानोंको

बोरसद
२२ जून, १९३१

महात्मा गांधीने बहुतसे सवालोंका जवाब देते हुए कहा कि जो लोग देनेकी स्थितिमें हों उन्हें पिछले लगान और तकावीकी रकम सहित सारा लगान चुकता कर देना चाहिए। देनेकी स्थितिसे मेरा मतलब है बिना कर्ज लिये और अपनी चीजें बचे बगैर दे सकनेकी क्षमता। बोरसदमें कदम रखनेके समय ही मैंने अधिकारियोंको यह बात साफ कर दी थी और कलेक्टरसे निजी बातचीतमें भी बता दिया था कि मैं इसी आधारपर काम करना चाहता हूँ, और मदद करना चाहता हूँ और उसी आधारपर सूचियाँ तैयार की गई थीं और भुगतान किया गया था।

उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर खुशी है कि २-३ हजार रुपयेके अलावा बाकी सारी रकम अदा कर दी गई है और मुझे विश्वास दिलाया गया है कि यह रकम भी दो या तीन दिनमें चुकता कर दी जायेगी। अतः अब चालू वर्षमें उनके ऊपर और किसी देनदारीका सवाल नहीं पैदा होता। तथापि मैंने कलेक्टरको लिखा है कि वह उन लोगोंके नामोंकी सूची मुझे दे दें जिनके बारेमें उनको शक हो कि उन्होंने अपनी स्थिति मुझे नहीं बताई है। यदि किसी काश्तकारने मुझे गलत इत्तिला दी होगी तो मुझे बहुत निराशा होगी।

गांधीजीने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप लोगोंकी जानकारीमें ऐसे कुछ लोग हों तो आप उनके नाम मुझे बताइए और उन्हें लगान देनेको राजी कीजिए। जो ग्राम्य-अधिकारी अभी भी नौकरीपर बहालीकी प्रतीक्षा कर रहे थे उनके विषयमें उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियोंके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि उनके बारेमें सन्तोषजनक निर्णय हो जायेगा।

अन्तमें महात्मा गांधीने पाटीदारोंसे, जिन्होंने इस लड़ाईमें प्रमुख भाग लिया था, कहा कि वे अस्पृश्यताको दूर कर दें और अन्य पिछड़ी जातियों, जैसे धाराला तथा बारिया लोगोंको अपने ही समान मानें।

यह पूछे जानेपर कि हमारी जो जमीन जब्त करके दूसरे लोगोंके हाथ बेच दी गई है, उसके बारेमें हम क्या करें, महात्मा गांधीने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं ऐसी सारी जमीनें वापस दिला सकूँगा, लेकिन यदि तथाकथित खरीदार जमीनका कब्जा लेनेके लिए आयें तो उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि जमीन अभी भी आपके कब्जेमें है तो आप जमीन जोत सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपको अपनी मेहनत और बीजसे हाथ धोनेका खतरा होगा क्योंकि यदि आपसे जमीन छोड़नेको कहा गया तो वह आपको छोड़नी पड़ेगी। आपमें से किसीको खरीदारोंकी तरफसे ऐसी जमीनपर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग काम करना चाहें उनको किसी प्रकार सताया नहीं जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २४-६-१९३१

४९. पत्र : कुसुम देसाईको

सोमवार [२२ जून, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला। चूँकि तू दूर ही दूर बनी रही, मैं क्या करूँ? मेरा तो स्पष्ट मत यह है कि तुझे कांग्रेसमें आनेका विचार छोड़ देना चाहिए और अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। मैंने अनेक लोगोंको इसी तरह [कांग्रेसमें आनेसे] रोका है। तू यदि इतना संयम न रख सकेगी तो मुझे दु:ख और आश्चर्य होगा। तथापि करना वही जो तुझे ठीक लगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८२३) से।

५०. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

बोरसद
२३ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

हालाँकि सरदारसे मेरी एक मिनट तक बातचीत हुई लेकिन मैं सरदारसे तार देनेको कहना भूल गया। तुमने स्मरणपत्र भेज कर अच्छा किया। अब मैंने लिख दिया है। तुम कल या परसों तक बारडोलीसे तार पानेकी आशा कर सकते हो।

बापू

अध्यापक जे० सी० कुमारप्पा
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १००९७) से।

१. **बापुना पत्रो – ३ : कुसुम देसाईने**में यह पत्र १८ जून, १९३१को लिखे एक पत्रके बाद दिया गया है; २२ जूनको सोमवार था।

५१. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

२३ जून, १९३१

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम दोनोंका पत्र मिला। सुशीलाने केवल तीन पंक्तियाँ ही लिखी हैं। भ्रष्टाचार तो तुम्हें हर ओर दिखाई देगा। सुधारक और सेवक दोनोंको ही, जितना उनसे बन सके, भ्रष्टाचारको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं उस भ्रष्टाचारसे अछूते और शान्तचित्त रहें। तिसपर भी मैं यह जरूर मानता हूँ कि तुम जैसे लोग यहाँ ज्यादा अच्छी तरहसे रह सकते और काम कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि तुम वहाँ गये हो इसलिए वहाँ तुम्हें कुछ समय रहना चाहिए और यदि तुम वहाँका काम समेटना चाहो तो ढंगसे बन्द करके आना। 'इंडियन ओपिनियन' यदि चलता रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जिस-तिसके हाथमें जानेसे तो इसका समाप्त हो जाना ज्यादा बेहतर है। उसे किसी-न-किसी दिन तो समाप्त होना ही है। इसलिए भले ही तुम्हारे हाथों यह कार्य हो। कैलेनबैक और उमर सेठ आदिसे मिलकर जो उचित जान पड़े सो करना।

यहाँ आनेका विचार तो आन्दोलन शुरू होनेके समय करना। सम्भावना तो यह है कि अगले वर्षतक आन्दोलन अवश्य ही आरम्भ हो जायेगा। यों मैं ऐसे सारे प्रयत्न करूँगा जिससे आन्दोलन न हो। कोई भी काम उतावलीमें अथवा आवेशमें आकर न करना।

सोराबजी प्रीमियमके पैसे भी नहीं भरते हैं, यह दुखकी बात है। आश्रम ये पैसे नहीं दे सकता। यदि सारी रकम डूबती है तो डूबे। अभी तो जालभाई भी वहाँ हैं। दोनों भाइयोंको समझा-बुझाकर यदि प्रीमियमके पैसे भरनेके लिए राजी कर सको तो करना। क्या बीमेका कुछ पैसा मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिलेगा? सोराबजीकी आर्थिक स्थिति कैसी है?

मेरे विलायत जानेके बारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। रामदास और नीमु हवा परिवर्तनके लिए अलमोड़ा गये हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४७८५) से।

५२. पत्र : रमाबहन जोशीको

बोरसद
२३ जून, १९३१

चि० रमा,

तुम्हारा पत्र मिला।

सिसोदराका कार्यक्रम ठीक है। विमु अब तो आ गई होगी। वह कुछ बड़ी हुई है अथवा नहीं। उसने इतने महीनोंतक क्या किया? उससे पूछना और वह जो जवाब दे, मुझे लिखना।

आज मैं दो दिनोंके लिए बम्बई जा रहा हूँ। मीराबहनको आश्रम भेजा है। अब तो वह मेरे साथ काफी रह गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३३१) से।

५३. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको

२३ जून, १९३१

चि० रावजीभाई,

लीम्बासीमें[१] यदि कुछ प्रभावशाली कार्यकर्ता हों और यदि वे अन्त्यजोंको अनुमति दें तो जो थोड़ेसे लोग विरोध करते हैं वह खत्म हो जायेगा। वे सच्चे कार्यकर्ता होने चाहिए, नाममात्रके नहीं। तुम सारे गाँवके लोगोंको इकट्ठा कर उनसे आश्रम तोड़ देनेकी बात क्यों नहीं कहते? लोग यदि इनकार करें तो जल्दबाजी न करना, स्वीकार करें तो भी उतावली न करना। यदि वे 'हाँ' करते हैं तो अच्छा है। इससे हमारा तो प्रचार होगा।

मैंने जो यह वाक्य लिखा था कि कार्यके लिए अन्य स्थानकी खोज करना उसका अर्थ है परिग्रह, सो वह सबपर लागू होता है। सब आश्रमवासियोंने अपरिग्रहका व्रत लिया है न? मैंने तो केवल आदर्शकी बात लिखी है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश आश्रम नहीं लौटना चाहता और एक स्थानपर उसका काम खत्म हो जाये तो वह दूसरे स्थानकी तलाश कर सकता है।

मुखीके सम्बन्धमें महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र पढ़ा। उसमें क्या हो सकता है? यह बात साबित करनी चाहिए कि मुखीमें पैसा देनेकी सामर्थ्य नहीं है। यह

१. मातर तालुका, खेड़ामें एक गाँव।

बात यहाँसे बैठे-बैठे नहीं हो सकती। इसमें यहाँके पत्रका कोई असर नहीं होगा। वहाँसे उसकी आर्थिक स्थितिका हिसाब देते हुए यदि तुम मुझे पत्र लिखो अथवा इसी आशयका मुझे किसी औरसे पत्र मिले तो कदाचित कुछ हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८९९३) से।

५४. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
२३ जून, १९३१

चि० नारणदास,

आज महादेव मैलारके हाथ मैंने कुछ कागजात भेजे हैं। अब यह पत्र मीरा बहनके साथ आयेगा।

क्या काका मैथ्यूसे मिले? यदि मैथ्यू विद्यापीठको समय देता है तो उससे उसका मान बढ़ेगा। तथापि यदि यह उसे अच्छा न लगे तो भी कोई बात नहीं। बम्बईसे वापस आनेपर उसे बुला भेजूँगा और उसके मनकी बात जाननेका प्रयत्न करूँगा।

महावीरका बुखार भी खूब चला। यदि महादेवकी स्त्री तैयार हो सके तो लगता है दोनों काम करने योग्य हैं। हमारे पास सारे समयके लिए एक अच्छा हिन्दी शिक्षक होना चाहिए जो कि नहीं है। मैं फिरसे उसका बन्दोबस्त करनेवाला हूँ।

रतुभाईको लिखना कि छगनलाल और लीलावती डाक्टरको बहुत क्लेश देते हैं। इसमें यदि रतुभाईके बसकी कुछ बात हो तो वे प्रयत्न करें। मैंने छगनलाल और लीलावतीको एक कड़ा पत्र लिखा है। उसका जैसा कुछ असर हो जाये सो ठीक।

बलवन्तकी टोह रखना। उससे खूब काम लेना। कुछ पढ़ने-लिखनेकी सुविधा भी रखना। यह सब सुझाव देना आसान है, इसपर अमल करना मुश्किल है, यह मैं जानता हूँ। लेकिन जितना बन सके उतना करनेकी बात है। हमारे पास व्यक्ति कम हैं, यह बात मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बलवन्तका भोजन-खर्च आश्रमको उठाना होगा, यह तो मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ न? गौर गोपालदास कल सवेरे वहाँ पहुँचेगा। यहाँसे रातको मेरे साथ चलेगा। रातको आणंदमें रहकर सवेरे वहाँ आयेगा।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

५५: पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
२३ जून, १९३१

चि० जमनादास,

मैंने तो जो नया प्रस्तावित निर्माण कार्य है उसे मौकूफ रखनेकी बात कही है। मेरा सुझाव यह है कि यदि इस वर्षके अन्ततक इसे मुल्तवी रखा जा सके तो मुल्तवी रखना चाहिए।

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९३२६) से; सौजन्य: जमनादास गांधी

५६. पत्र : नारणदास गांधीको

बोरसद
२०/[२३] जून, १९३१

चि० नारणदास,

भाई नरहरिकी माँगके सम्बन्धमें मैंने महादेवके हाथ तुम्हें जो सन्देश भेजा था, वह मिल गया होगा। मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि हमें अभी किसीको धरना देनेके लिए भेजनेकी जरूरत नहीं है।

लगता है, मंजु बच गई है। हरियोमलको लिखा मेरा पत्र पढ़ना। उसे दूध लेनेके लिए राजी करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मैं २३ को नहीं, २४ को यहाँसे रवाना होनेवाला हूँ।

[पुनश्च:]

मंगलवार [२३ जून, १९३१]

चि० नारणदास,

शंकरभाई क्यों गये? शान्ता किसके साथ रहती है? कुसुम कैसी है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

५७. पत्र : मुख्य सचिव, मध्य प्रान्तको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय महोदय,

मैं यह पत्र श्रीयुत गोपाल अनन्त ओगलेके[1] मामलेके सिलसिलेमें लिख रहा हूँ जिन्हें २ अप्रैल, १९३१ को भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२४ के अन्तर्गत एक सालकी कड़ी कैदकी सजा दी गई है। मैंने वह लेख और उसका अनुवाद पढ़ा है जिसे मुकदमेमें साक्ष्यके रूपमें रखा गया था, और मैं यह निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि समझौतेकी धारा १३, उप-खण्ड १ के अनुसार श्रीयुत ओगले रिहाईके हकदार हैं क्योंकि उस लेखमें हिंसा भड़कानेवाली कोई चीज नहीं है। आप यह स्वीकार करेंगे कि जहाँतक समझौतेका सवाल है, यह बात अप्रासंगिक है कि उस लेखमें राजद्रोहकी बातें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि बचावके ख्यालसे सजाके खिलाफ अपील की गई है, लेकिन मेरा कहना है कि समझौतेकी जिस धाराका ऊपर उल्लेख किया गया है वह बिल्कुल स्पष्ट है। चूँकि हिंसा भड़काने वाली कोई चीज लेखमें नहीं है और चूँकि उन्हें सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वह रिहाईके हकदार हैं।[2] सच तो यह है कि समझौता प्रकाशित होनेके बाद समझौतेकी धारा १२, उप-खण्ड १ के अन्तर्गत मुकदमा फौरन उठा लिया जाना चाहिए था। चूँकि यह एक नागरिककी स्वतन्त्रताका मामला है अतः मेरी प्रार्थना है कि तुरन्त कार्रवाईकी जाये और मुझे शीघ्र उत्तर दिया जाये।

हृदयसे आपका,

मुख्य सचिव
मध्य प्रान्त सरकार
नागपुर (म० प्रा०)

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. नागपुरसे प्रकाशित होनेवाले **महाराष्ट्र** पत्रके सम्पादक।

२. इस पत्रके उत्तरमें कहा गया था: "सपरिषद गवर्नरको कोई सन्देह नहीं है कि प्रस्तुत मामला समझौतेके अन्तर्गत नहीं आता। . . . तथापि, आपका पत्र प्राप्त होनेसे पूर्व सपरिषद गवर्नरने कृपापूर्वक सरकारी वकीलको आदेश दे दिये थे . . . और श्री ओगलेको पिछली २९ तारीखको रिहा कर दिया गया।"

५८. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

कानपुरके बारेमें आपने जो शिकायतें[१] भेजी थीं और जिसके बारेमें मैंने स्वीकार किया था कि यदि वे विशिष्ट आरोप सत्य हैं तो यह समझौतेका स्पष्ट उल्लंघन है, उसकी आपको याद होगी। अतः मैंने मंत्रीको पत्र लिखा था। उत्तरमें उनका यह तार[२] आया है। उनका पत्र मिलने पर मैं वह भी आपके पास भेजूँगा।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३८७, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

५९. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

इसके साथ मैं मेरठके एक महत्त्वपूर्ण मामलेके सारांशकी प्रति भेज रहा हूँ। संक्षिप्त रिपोर्ट इतने अच्छे ढंगसे तैयार की गई है कि मजेमें पढ़ी जा सकती है। मैं अवश्य कहूँगा कि श्रीयुत शीतल प्रसाद तायल[३] जैसे एक सुसंस्कृत व्यक्तिका नौकरीपर बहाल न किया जाना एक बहुत खराब बात है। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप इस मामलेमें हस्तक्षेप करेंगे। आप देखेंगे कि पदपर कार्य कर रहे

१. देखिए पृष्ठ ८-९।

२. इसमें लिखा था: "आपका अठारहका पत्र मिला। आरोप सर्वथा निराधार। धरना बिलकुल शान्तिपूर्ण। पत्र भेज रहा हूँ।"

३. मेरठ छावनीके एक अध्यापक जिन्हें कांग्रेसके लाहौर अधिवेशनमें भाग लेने तथा खादीके लिए चन्दा जमा करनेके कारण बरखास्त कर दिया गया था। गांधीजीके इस पत्रके उत्तरमें श्री इमर्सनने अपने १० जुलाईके पत्रमें मामलेपर विचार करनेसे इन्कार कर दिया।

व्यक्तिने, जिसे स्थायी बताया जाता है, पद ग्रहण नहीं किया और जो व्यक्ति अस्थायी था उसे समझौतेके दो महीने बाद स्थायी बना दिया गया।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न : १

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३३/२१/१९३१; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

६०. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आग्नेयास्त्रोंके प्रश्नके संदर्भमें आपके इसी १९ तारीखके पत्रके[1] लिए आपको धन्यवाद। मैं फिलहाल कोई बहस नहीं करूँगा, हालाँकि आपने जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे मैं असहमत हूँ। मैं देखता रहूँगा कि स्थानीय सरकारोंको जो निर्देश दिये गये हैं उनपर किस प्रकार अमल होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रश्नपर स्थानीय सरकारोंके साथ अपने पत्रव्यवहारमें दिये गये ज्ञापनमें जो कुछ कहा गया मैं उसका उपयोग करनेको मुक्त हूँ। आपका उत्तर मिलनेसे पहले मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा।[2]

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१ से; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. इसमें कहा गया था : "...आपने ५ मार्चके समझौतेकी धारा १६ के मूल मसविदेमें किये गये सुधारकी चर्चा की है। मेरी यादके मुताबिक, जहाँतक शस्त्रोंका सम्बन्ध है, यह परिवर्तन उन शस्त्रास्त्रोंको शामिल करनेके ख्यालसे नहीं किया गया था जिनके लाइसेंस रद कर दिये गये थे, क्योंकि इन्हें रखना स्पष्ट रूपसे गैर-कानूनी था, बल्कि उन लाइसेंसदार शस्त्रास्त्रोंके विषयमें था जिन्हें तलाशियोंके दौरान जब्त किया गया था और जिनके विषयमें शस्त्रास्त्र अधिनियमके अन्तर्गत या अन्यथा कोई अपराध नहीं किया गया था। मुझे स्पष्ट याद है कि इस सिलसिलेमें मौजूदा सवाल नहीं उठाया गया था, क्योंकि मैंने बराबर यह माना है कि बुनियादी सवाल रद किये गये लाइसेंसोंको फिरसे प्रदान किये जानेका था। ..."

२. श्री इमर्सनने ४ जुलाई, १९३१ को उत्तर दिया : "आप निश्चय ही ज्ञापनका उपयोग करनेको स्वतंत्र हैं। ..."

६१. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

क्या मैं समझौतेसे सम्बन्धित उन अनेक पत्रोंके बारेमें आपको याद दिला सकता हूँ जिनके उत्तर अभीतक नहीं मिले हैं? उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं, और यदि आप उनका शीघ्र उत्तर दे सकें तो मैं आपका आभारी होऊँगा। इस बीच मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर खींचना चाहता हूँ कि जब्त वतनकी[1] वापसीके सिलसिलेमें पहले आश्वासनकी माँग की जाती है। एक ऐसे ही वतनसे सम्बन्धित एक प्रति मैं आपको भेज रहा हूँ। अन्य लोग हैं:

बिलगीके श्री हनमन्त रामचन्द्र देशपाण्डे,
गुलेडगुडके श्री जी० सी० जोशी,
अंडमुरनाल, तालुक बगलकोटके श्री हनुमन्तराव देसाई ।

ये आश्वासन माँगना मेरी रायमें समझौतेका उल्लंघन है और जिस प्रकार गुजरातमें मुखी[2] लोगोंके मामलेमें इसपर आग्रह नहीं किया गया था उसी प्रकार इनके मामलेमें भी आग्रह नहीं करना चाहिए।

यह पत्र बोलकर लिखवाते हुए मुझे वरसी शहरके श्री डी० वी० सुलाखेका एक पत्र मिला है। उनका मामला शुद्ध जब्तीका मामला है। उन्होंने गवर्नर महोदय-को एक प्रार्थनापत्र भेजा है, लेकिन उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। इस प्रार्थनापत्रपर, जिसकी मेरे पास एक प्रति है, १६ मार्च तारीख पड़ी है।

हृदयसे आपका,

संलग्न: १

श्री आर० एम० मैक्सवेल
बम्बईके गवर्नरके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. सेवाके बदलेमें प्रदान की गई भूमि या नकद अनुदान
२. गाँवके मुखिया।

६२. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

अपने पत्रमें आपने लिखा था कि रासके गैर-धाराला लोग सरकारसे संरक्षण पानेके पूरी तरह अधिकारी हैं और यह कि मैंने आपसे जो शिकायतें की हैं उनकी आप जाँच-पड़ताल कर रहे हैं। मेरी इस बातसे आप सहमत होंगे कि जिन लोगोंको वास्तवमें हानि पहुँच रही है उन्हें किसी कागजी आश्वासनसे राहत नहीं पहुँच सकती। राहत तो वे तभी मानेंगे जब उनको हानि पहुँचना बन्द हो जाये। बदकिस्मतीसे वह नुकसान जिसकी मैंने शिकायत की थी अभी जारी है। इस बार रास-निवासियोंकी शिकायतोंकी यथासम्भव पुष्टि करनेके खयालसे मैंने श्रीयुत महादेव देसाईको मौके की जाँचके लिए भेजा था। उनकी रिपोर्ट यहाँ संलग्न है। इससे आप देखेंगे कि बेचारे गरीब किसानोंके बाड़े अभी भी तोड़े-फोड़े जा रहे हैं। बबूलके मूल्यवान वृक्ष काटे जा रहे हैं तथा लकड़ियाँ उठवाई जा रही हैं। श्री पेरीसे मुझे मालूम हुआ है कि इस भयसे कि कहीं धाराला लोगोंको पाटीदार लोग मारें-पीटें नहीं, वहाँ अभी भी अतिरिक्त पुलिस तैनात रखी जा रही है। मैं नहीं जानता कि पुलिस पाटीदारों तथा दूसरोंको कोई संरक्षण देगी या नहीं। लेकिन इस अतिरिक्त पुलिसका कार्य चाहे रासके गैर-धाराला लोगोंको संरक्षण देनेका हो अथवा न हो, क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि सरकारका इरादा रासके पाटीदारोंको लगातार अत्याचारसे संरक्षण देनेका है अथवा उन्हें अपनी रक्षाका प्रबन्ध स्वयं करना होगा। दो दिन या शायद तीन दिनके लिए मैं बोरसदसे बाहर रहूँगा। क्या मैं शिकायतों पर अविलम्ब ध्यान देनेका अनुरोध कर सकता हूँ और क्या आप कृपया बतायेंगे कि मुखीके सम्बन्धमें लिखे अपने पत्रका उत्तर पानेकी आशा मैं कबतक करूँ?

हृदयसे आपका,

श्री के० बी० भद्रपुर
खेड़ा जिलेके कलेक्टर
खेड़ा

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

६३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

स्थायी पता : साबरमती
२४ जून, १९३१

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं श्रीमती पोलककी पुस्तककी[1] प्रतीक्षा करूँगा। मैं जानता हूँ कि वह पुरानी और सुखद स्मृतियोंको ताजा कर देगी और मुझे उन बातोंकी याद दिलायेगी जिन्हें मैं शायद बिलकुल भूल गया हूँ।

यह अच्छी बात है कि तुम्हारी दोनों पुस्तकें[2] सही लोगोंके पास पहुँच रही हैं।

जैसी कि तुम्हारी आदत है, तुम उन चीजोंको लेकर दुःखी हो जिन्हें तुम्हारी आँखें देखती हैं और कान सुनते हैं। इस बार जो चीज तुम्हारे सत्यको देखनेके मार्गमें बाधा बन रही है वह है लंकाशायरमें फैली भयंकर बेरोजगारी और जो-कुछ तुम देखते और सुनते हो। मैंने व्यापक अनुभवसे कानून-शास्त्रकी इस सूक्तिकी सत्यता देख ली है कि 'जो कानून कुछ लोगोंको उससे होनेवाले कष्टका खयाल करके बनाया जाता है वह सही कानून नहीं होता।' कानून शास्त्रकी बहुत-सी सूक्तियाँ नीतिशास्त्रकी दृष्टिसे भी बिलकुल ठीक हैं, जैसी कि उक्त सूक्ति है। हालाँकि मैं भारतकी उथल-पुथलमें आकंठ डूबा हुआ हूँ, तथापि मैं पूरी तटस्थतासे कह सकता हूँ कि जो रास्ता तुम सुझा रहे हो, लंकाशायरकी मदद करनेका वह रास्ता नहीं है। यदि लंकाशायरके लिए किसी भी समय भारतके ऊपर सही या गलत ढंगसे अपना कपड़ा थोपना एक गलत चीज थी, तो वह आज भी गलत ही है, बल्कि और ज्यादा गलत है क्योंकि भारत उस अन्यायके प्रति सचेत हो गया है। और यदि भारत अब उस गलत कार्यमें सहयोग करनेसे इन्कार करता है तो ऐसा करके वह अन्याय नहीं, बल्कि लंकाशायरने जो अन्याय किया है उसको सुधारनेमें मदद कर रहा है। यह दलील उचित नहीं है कि चूँकि लंकाशायरके श्रमिकोंको अन्यायका अहसास नहीं था इसलिए जिस पक्षके प्रति, वह भारत हो या अन्य कोई देश हो, अन्याय किया गया है वह उसे बरदाश्त करे। उचित तरीका यह है कि श्रमिकोंको बताया जाये कि वे किस प्रकार भारतके प्रति अन्याय करनेमें लंकाशायरकी मदद करते रहे हैं, और इसीलिए यह कितना जरूरी है कि इस रास्तेको छोड़ दिया जाये। यदि लंकाशायरका कपड़ा भारतसे बाहर नहीं बेचा जा सकता तो पहली चीज यह करनेकी है कि कोई दूसरा रोजगार ढूँढ़ा जाये। वह क्या हो, मेरे लिए कहना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि इंग्लैंडके लोग क्या कपड़ा पहनते हैं। इंग्लैंडमें जिस प्रकारके कपड़ेकी आवश्यकता होती हो उस किस्मके कपड़ेको तैयार करनेके लिए उन्हीं मशीनोंका इस्तेमाल

१. **मि० गांधी : द मैन** (१९३१); सी० एफ० एन्ड्रचूज द्वारा लिखित प्रस्तावना सहित।
२. **महात्मा गांधीज़ आइडियाज़** (१९२९) और **महात्मा गांधी : हिज़ ओन स्टोरी** (१९३०)।

क्यों नहीं किया जा सकता, या जो इससे भी अच्छा होगा वह यह कि मशीनोंको बिलकुल रद करके बेरोजगार कर्मचारी दस्तकारीको क्यों न अपना लें? मैं जानता हूँ कि ये विचार अस्पष्ट हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन मैंने यह दिखानेके लिए उन्हें यहाँ व्यक्त किया है कि मेरा दिमाग किस दिशामें काम कर रहा है।

मैं एक अन्य तथ्य तुम्हारे सामने रखता हूँ। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारने एक प्रकारका वातावरण पैदा कर दिया है। इसका प्रभाव लंकाशायरपर उतना गम्भीर नहीं है जितना वताया जाता है। पहली चीज तो यह कि क्या तुम्हें पता है कि बहिष्कारके पूरा ज़ोर पकड़नेके पहले लंकाशायरने अपने कुल वस्त्र-उत्पादनका केवल १२ प्रतिशत भारतको भेजा था? क्या तुमने 'यंग इंडिया' के एक हालके अंकमें प्रकाशित आँख खोल देनेवाले उन आँकड़ोंको[१] देखा है जिनमें यह दिखाया गया है कि लंकाशायरको भारतीय बहिष्कारसे उतना डर नहीं है जितना जापानकी दिनोंदिन बढ़ती प्रतियोगितासे है? बेरोजगारोंके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। तुम जिस नैतिक संघर्षमें पड़े हो, उसमें तुम्हारे साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन जो तरीका तुम सुझाते हो उस तरीकेसे मैं मदद नहीं कर सकता। यह मैं स्पष्ट रूपसे जानता हूँ। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस समस्याका कोई-न-कोई उपाय है अवश्य, और शायद यदि मैं लन्दन आया तो मौकेपर स्थितिका अध्ययन करनेके बाद मैं कोई व्यावहारिक हल सुझा सकूँगा। और यदि मैं आया ही, तो जैसा तुम चाहते हो मैं निश्चय ही वही करूँगा, अर्थात् सबसे पहले लंकाशायर जाऊँगा और बेरोजगार लोगोंको अपनी आँखोंसे देखूँगा।

लेकिन मुझे तनिक भी निश्चय नहीं है कि मैं जा सकूँगा। बेशक, अभीतक कोई निमन्त्रण नहीं मिला है। समझौतेको लेकर मैं काफी चिन्तित हूँ। स्थानीय सरकारें ईमानदारीसे समझौतेका पालन नहीं कर रही हैं। यदाकदा लाठी-चार्ज भी होते हैं। जवाहरलालने इलाहाबादसे मुझे बड़ी कटु शिकायतें भेजी हैं। लेकिन रवाना होनेका समय आनेपर मैं देखूँगा कि क्या कुछ सम्भव है। प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य न होनेपर जवाहरलाल मेरे साथ नहीं आ सकता। मैं नहीं समझता कि उसका आना उचित होगा, हालाँकि यदि वह लन्दनमें होता तो उसकी उपस्थितिसे मेरा दायित्व काफी कम हो जाता। मालवीयजी और अन्सारीका आना निश्चित है। उन्हें कार्य-समितिसे अलग पृथक रूपसे निमन्त्रित किये जानेकी सम्भावना है, और इसी प्रकार श्रीमती नायडूके भी। मैंने नोट किया कि तुम मुझे म्यूरियलके साथ ठहराओगे।

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९७०) से।

१. देखिए "जापानी या ब्रिटिश?", १८-६-१९३१।

६४. पत्र : मीराबहनको

२४ जून, १९३१

चि० मीरा,

तुम मेरे दिमागपर छाई हुई हो। मैं जब अपने चारों ओर देखता हूँ तो तुम्हारी कमी खटकने लगती है। चरखा चलाना प्रारम्भ करता हूँ और तुम याद आ जाती हो। इत्यादि, इत्यादि। लेकिन इससे क्या फायदा? तुमने उचित काम किया है।[1] तुमने अपना घर छोड़ दिया है, अपने प्रियजनोंको छोड़ दिया है, जो चीजें मनुष्यको सर्वाधिक प्रिय होती हैं तुमने वे सब छोड़ दी हैं; यह सब मेरी व्यक्तिगत सेवा करनेके लिए नहीं, बल्कि उस कामको करनेके लिए किया है जिसमें मैं लगा हूँ। जब भी तुमने मुझपर व्यक्तिगत रूपसे अपनी स्नेह-वर्षा की है तब-तब मुझे लगा है कि मैं उसके दुरुपयोगका अपराधी हूँ। मैं जरा-जरासी बातपर उबल पड़ता था। अब जब तुम मेरे पास नहीं हो, तो अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैं तुम्हें क्यों उस बुरी तरह फटकारा करता था। लेकिन तुम्हारी सेवाओंको स्वीकार करनेमें मुझे बहुत कष्ट होता था।[2] मेरे कार्यमें प्रसन्नता-पूर्वक लगकर तुम मेरी सच्ची सेवा करोगी। "खुश हो, बच्चो, खुश हो, व्यर्थ दुख करनेकी जरूरत नहीं है।"

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]
बापूज लेटर्स टु मीरा

१. आश्रम जाकर।

२. इसके बारेमें मीराबहनने लिखा है: "संघर्ष बहुत कठिन था। मैं स्वयं भी बहुत व्याकुल थी क्योंकि मुझे लगा कि बापू व्याकुल हैं। यह ऐसे अवसरोंमें से एक था जब मैं किसी प्रकार अपनेको उनसे दूर कर सकी थी।"

६५. पत्र : जी० फिंडले शिराजको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेकी वजहसे कुछ छात्रोंको दाखिला देनेसे आपके इन्कार करनेपर आपके विद्यालयके कुछ छात्र मेरे पास मेरी रायके लिए आये हैं। दिल्ली समझौतेपर बहस किये बिना क्या मैं आपको यह राय दूँ कि इस वक्त उन छात्रोंको जिन्होंने आन्दोलनमें भाग लिया है विद्यालयमें दाखिला न देना बिलकुल ठीक नहीं होगा? क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय जागरणने सम्पूर्ण छात्र-जगतकी आत्माको उद्वेलित किया था और चाहे उन्होंने आन्दोलनमें कोई सक्रिय हिस्सा लिया हो या न लिया हो, किन्तु यह बात असंदिग्ध है कि उनके अन्दर वही भावना थी जो वक्तकी माँग थी। अतः शान्ति कायम रखनेके खयालसे मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने आदेशको वापस ले लें और बिना किसी शर्त सभी छात्रोंको दाखिल कर लें। मैंने छात्रोंको अपनी राय दे दी है जिसे मैंने 'नवजीवन' में प्रकाशित[1] कर दिया है। वह राय यह है कि छात्रों द्वारा भविष्यमें किसी आन्दोलन-में भाग न लेनेका वचन देना या पिछले आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए खेद प्रकट करना आत्मसम्मानके बिलकुल खिलाफ है। मैं इससे भी आगे बढ़कर कहूँगा — यह बात मैंने अपनी उस रायमें नहीं कही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है — कि ऐसा करना छात्रोंके आन्तरिक विश्वासके प्रतिकूल भी होगा। मुझे आशा है कि आप मेरे इस पत्रको धृष्टता नहीं मानेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

प्रिंसिपल शिराज
गुजरात कालेज
अहमदाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८१७) से।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-६-१९३१ का उपशीर्षक "विद्यार्थी"।

६६. पत्र : एन० डी० कावलीको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[१] मिला। सताये गये लोग अदालत अवश्य जा सकते हैं। किसी भी हालतमें उन्हें किसी प्रकारके अत्याचारके आगे झुकना नहीं चाहिए और न जातिसे बाहर रहकर संतोष करना चाहिए। अन्ततः हम जातिकी झूठी और हानिकर दीवारों-को तोड़ना तो चाहते ही हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत एन० डी० कावलीको
दादर, बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२७३) से।

६७. पत्र : जे० जे० सिंहको

बोरसद
२४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके ५ जूनके सुबुद्ध ढंगसे लिखे हुए पत्रके[२] लिए धन्यवाद। जो-कुछ आपने कहा है मैं मोटे तौर पर उन सब बातोंसे सहमत हूँ। मेरे लन्दन जानेपर यूरोपीय वस्त्र पहननेकी अफवाह उतनी ही बेबुनियाद है जितनी कि मेरे अमेरिका जानेकी अफवाह। फिर भी मैं आपके पत्रमें निहित उद्देश्यकी सराहना करता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-४-१९६९

१. श्री कावलीने दो क्षत्रिय परिवारोंके जाति बहिष्कृत किये जानेके सम्बन्धमें गांधीजीको लिखा था।

२. देखिए "एक देशवासीकी सलाह", ९-७-१९३१।

६८. पत्र : फूलचन्द के० शाहको

बोरसद
२४ जून, १९३१

भाईश्री फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हो जाता। मेरा कहना तो यह है कि एक रियासतकी आलोचना दूसरी रियासतमें नहीं करनी चाहिए। इसमें हिंसा निहित है। मैंने जो कहा है उसपर तुम अहिंसाकी दृष्टिसे विचार कर जाना। और यदि तुम्हें अहिंसा ही एक भूल जान पड़ती हो तो मेरा कहना बिल्कुल बेकार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २८४५) से; सौजन्य : शारदाबहन शाह

६९. दास जातियाँ

हमारे यहाँ अस्पृश्य लोग हैं जो हिन्दू समाजके लिए लज्जा और कलंक स्वरूप हैं। लेकिन हमारे यहाँ अन्य जातियाँ भी हैं जिनके साथ हम तथाकथित उच्चतर वर्गोंके लोग लगभग गुलामोंकी तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें ऐसे घरोंमें रखते हैं जो हमारे ढोर-मवेशी रखनेके लिए बनाये गये हैं। ऐसी एक जातिके प्रतिनिधियोंने एक पत्र भेजा है जिसका सार संक्षेपमें नीचे दे रहा हूँ :[1]

> हम राजवार जातिके प्रतिनिधि हैं जो बिहार और उड़ीसा प्रान्तके गया, पटना, मुंगेर और पालामऊ जिलोंमें रहते हैं। . . .
>
> बेगार देनेसे इन्कार करनेपर जमींदार फौरन बकाया लगानकी वसूली-के लिए मुकदमा चला देता है, डिगरी करा देता है, जोतको नीलाम करवा देता है और किसानको उसकी जमीनसे बेदखल कर देता है।
>
> राजवार जातिका कोई लड़का ६ या ७ सालकी उम्र होते ही अपने माँ-बापके जमींदारकी लगभग सम्पत्ति बन जाता है; उसे जमींदारके मवेशियों-की देखभाल करनी पड़ती है और छोटे-मोटे सभी तरहके काम उससे लिये जाते हैं। . . . वस्तुतः वह एक गुलामका जीवन बिताता है, और जमींदार-की सम्पत्ति होता है।

१. यहाँ पत्रके कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

> ६ बजे सुबहसे ६ बजे शाम तक काम करनेके एवजमें राजवारोंको प्रति दिन ३ सेर बिना कुटा धान दिया जाता है और कोई नकद वेतन कभी नहीं दिया जाता। . . .
>
> राजवार बच्चोंको प्राइमरी स्कूलोंमें भेजनेकी इजाजत नहीं होती और जमींदार द्वारा शिक्षकोंको भी इन लड़कोंको पढ़ानेकी मनाही होती है।
>
> जिस इलाकेमें इस जातिके लोग रहते हैं वहाँ जब कभी कहीं कोई चोरी या डकैती होती है या कोई भी अपराध होता है, सबसे पहले इन्हींपर शक किया जाता है और इन्हें पुलिसकी तहकीकातका शिकार बनना पड़ता है, हालाँकि भले ही इसका जरा भी सबूत न हो। . . .
>
> हम अपने प्रार्थनापत्र गया और पटनाके जिलाधीशोंको और बिहार तथा उड़ीसा सरकारके मुख्य सचिवको पहले ही दे चुके हैं लेकिन हमें अभीतक पता नहीं कि इन अधिकारियोंने क्या कार्रवाई की है। हमें आशा है कि आप हमारी दशा सुधारनेके लिए कुछ करेंगे।

यह पत्र इन प्रतिनिधियोंकी तरफसे लिखा गया है और शायद इसके पीछे उनके बीच किसी अज्ञात सुधारककी प्रेरणा है। इसपर लगभग पच्चीस प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर हैं। लेकिन महत्व इसका नहीं है कि इसे किसने लिखा है बल्कि इसके अन्दर कही गई बातोंका है, बशर्ते कि वे सच हैं।

ये बातें सम्भवतः मोटे तौर पर सच ही हैं। कारण, इस प्रकारका व्यवहार केवल बिहारकी ही विशेषता नहीं है। लगभग सभी प्रान्तोंमें ये पिछड़ी हुई, दलित, गुलाम जातियाँ हैं। ये कोई अंग्रेजोंसे मिली हुई विरासत नहीं हैं। हमारे यहाँ ये युगोंसे मौजूद हैं, और यह हमारे लिए और भी लज्जाकी बात है।

पिछले जमानेमें उनके अस्तित्वको हम हजार तरीकेसे उचित बता सकते हैं। लेकिन आजके जागृति और स्वराज्यपर आग्रहके युगमें हमारे लिए इस अत्याचारको सहनेका कोई औचित्य नहीं है। जहाँ कहीं भी ये जातियाँ पाई जायें, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंको उनकी तरफसे लड़ना होगा। उन्हें चाहिए कि वे उन लोगोंकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करें जो इन स्त्रियों और पुरुषोंके 'स्वामी' हैं। स्वराज्य उन सभी कार्योंका कुल जमा है जिनसे एक स्वतन्त्र और शक्तिवान राष्ट्रका निर्माण होता है, एक ऐसे राष्ट्रका जिसे अपनी शक्तिका ज्ञान है—ऐसी शक्तिका जो सही कार्य करनेसे प्राप्त होती है। दास जातियोंका अस्तित्व एक भयंकर अन्याय है और इसलिए वह लक्ष्यकी ओर हमारे बढ़नेके मार्गमें एक बाधा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-६-१९३१

७०. मीठी चुटकी

शराबके सम्बन्धमें जो भी कुछ छपता है, श्री राजगोपालाचारीकी तीक्ष्ण दृष्टिसे बच नहीं सकता। कुछ दिन हुए मैंने मरोलीमें[1] बुनाईशालाका शिलान्यास करते हुए जो एक अत्यन्त निर्दोष भाषण किया था, उसकी रिपोर्ट उन्होंने कहीं पढ़ी। उसमें मैंने यह बतानेका प्रयत्न किया था कि कारखानोंके मजदूरों और शराबमें क्या सम्बन्ध है, और कहा था कि मीठूबहन पेटिटको शराबबन्दीका काम करते हुए पता चला कि जिन शराबकी दुकानोंपर वह धरना देती थीं वहाँ जानेवाले बहुत-से लोगोंने वहाँ जाना बन्द कर दिया था, और अगर इन लोगोंकी शराबकी लत सदाके लिए छुड़ानी हो, तो उनके जीवनको कोई ध्येय प्रदान करना चाहिए, फुरसतके वक्तके लिए कोई काम खोज कर उन्हें देना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मीठूबहनको हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके रूपमें यह काम मिल गया। आगे चल कर मैंने यह भी कहा कि लोगोंको बहुत सख्त मजदूरी करनी पड़े, तो वे कोई-न-कोई उत्तेजक पदार्थ अवश्य चाहेंगे। इस सम्बन्धमें मैंने अपने जीवनका ही एक अनुभव उन्हें बताया। बोअर युद्धमें मुझे उन स्ट्रेचर-वाहकोंके लिए फौजी स्टोरसे शराब मँगानी पड़ी थी जिन्होंने मुझसे शराबके लिए आग्रह किया था। उन लोगोंका कहना था कि शराब पीनेसे उनकी थकावट दूर हो जायेगी और दूसरे दिन कूच करनेकी ताकत उनमें आ जायेगी। इसमें शक नहीं कि यह उनका भ्रम था। परन्तु वहमकी जड़ बड़ी गहरी होती है।

राजगोपालाचारीको यह डर था कि उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी, उसे तोड़-मरोड़ कर शराब-बन्दीके विरोधियोंके अनुकूल उसके सब प्रकारके अर्थ किये जायेंगे। उनका यह डर सच ठहरा है। मेरे पास बधाई सन्देश आये हैं कि मुझे बुद्धि आई है। इसपर मुझे बहुत संकोच हुआ है। संकोच इसलिए कि जो परिवर्तन मुझमें हुआ बताया जाता है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। किसी मनुष्यकी मृत्युके झूठे समाचार प्रकाशित होनेके बाद जैसे वह अपनी मृत्युपर लिखी गई टिप्पणियाँ पढ़ता है, और जिन गुणोंका अनुभव उसने अपनेमें कभी नहीं किया, उन गुणोंका वर्णन पढ़कर शरमाता है, वैसी ही स्थिति मेरी भी है।

इसलिए और किसी कठिनाईमें पड़नेसे बचनेके लिए मैं आरम्भमें ही स्पष्ट शब्दोंमें फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण शराब-बन्दीका समर्थक हूँ। यदि एक घंटेके लिए भी मुझे सारे हिन्दुस्तानका निरंकुश शासक बना दिया जाये, तो सबसे पहला काम मैं यह करूँगा कि शराबकी एक-एक दूकानको बिना किसी तरहका हर्जाना दिये बन्द कर दूँगा। गुजरातमें जितने ताड़के पेड़ हैं, उन सबको कटवा दूँगा। कारखानेके मालिकोंको बाध्य करूँगा कि वे मजदूरोंको मनुष्योचित सुविधा दें और मजदूरोंके लिए ऐसे उपाहारगृह और क्रीड़ागृह खुलवाऊँगा, जहाँ उन्हें

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ३९०-१।

स्वास्थ्यकर पेय और स्वस्थ निर्दोष मनोरंजनके साधन मिलें। कारखानोंके मालिक अगर आर्थिक तंगीका बहाना बतायेंगे, तो मैं उनके कारखाने बन्द करा दूँगा। सम्पूर्णतया शराब-बन्दीके पक्षमें होते हुए भी, और सिर्फ एक घंटेकी निरंकुश सत्ता मिलनेपर भी मैं अपने होश-हवास दुरुस्त रखूँगा, यानी अपने यूरोपीय मित्रों और बीमार लोगोंकी, जिन्हें दवाईके तौर पर ब्राण्डी या ऐसी ही किसी चीजकी जरूरत हो, सरकारी खर्चसे होशियार डाक्टर द्वारा परीक्षा करवाऊँगा, और जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त दवाकी दुकानोंसे नियत मात्रामें ये उत्तेजक पेय प्राप्त करनेके अधिकारपत्र दिलवाऊँगा।

शराबसे होनेवाली आयकी क्षति पूरी करनेके लिए मैं तुरन्त ही फौजी खर्च घटाऊँगा और सेनाधिपतिसे आशा रखूँगा कि वह नई स्थितिमें किसी भी तरह अपना प्रबन्ध कर लें। यदि मुझे इस एक घंटेके बीच यह भरोसा नहीं दिया गया कि मजदूरोंको आवश्क सुविधा देकर भी सरकार इन कारखानोंको चलाकर मुनाफा कमा सकती है, और इसलिए मालिकों द्वारा ये सुविधाएँ न देनेपर ये कारखाने लेकर स्वयं चला सकती है, तो मैं कारखानोंके बन्द हो जानेसे, जिन मजदूरोंके पास काम न रह जायेगा, उनके लिए कारखानोंके नजदीक फौरन ही आदर्श कृषि-फार्म खोलूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-६-१९३१

७१. सच हो तो भयानक है

मैं धरनोंसे सम्बन्धित एक शिकायतसे नीचे लिखा उद्धरण देता हूँ:

> **गाँवोंमें ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि स्वयंसेवक शारीरिक हिंसाके सिवा और सब उपाय आजमाते हैं। दूकानपर आनेवाले ग्राहक रोके जाते हैं, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, वे साधारणतः सताये भी जाते हैं; ताड़ीकी दूकानके ठेकेदारोंका बहुत नुकसान हुआ है, और कुछ लोग तो इतने अधिक निराश हो गये हैं कि उन्होंने ताड़ी चुआना बन्द कर दिया है, तथा और अधिक अपमानित होनेकी अपेक्षा उन्होंने अपनी दूकानें बन्द करना पसन्द किया है। तेलीचेरीके कांग्रेस कार्यालयने खास-खास ठेकेदारोंके नाम अपने यहाँ हाजिर होनेका हुक्म जारी किया था, उसका अनादर करनेकी हिम्मत शायद ही कोई कर सका। जो हाजिर हुए उनसे एकदम दूकानें बन्द करनेको कहा गया, और जब उन्होंने मुआवजेकी बात कही, तो उनसे कहा गया कि कांग्रेस उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी।**

यदि ये शिकायतें सच हों, तो इस तरहका धरना फौरन ही बन्द कर देना चाहिए। इन शिकायतोंके मिलते ही, मैंने इन आरोपोंके सम्बन्धमें पूछताछ तो की ही है, परन्तु मैंने सोचा कि इस शिकायतको सब कार्यकर्त्ताओंके लिए छाप देना

बेहतर है। कुछ ऐसी ही शिकायतें कपड़ेके धरनेके सम्बन्धमें भी आई हैं। मैं तो इन पृष्ठोंमें दी गई अपनी चेतावनीको[1] ही फिरसे दोहरा सकता हूँ कि दिल्ली-वाली सुलहकी शर्तोंका थोड़ा भी भंग होनेसे बेहतर है कि हम धरना देना ही बिलकुल बन्द कर दें; कांग्रेसके लिए, और शराब, अफीम आदि नशीली चीजों और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके लिए यही श्रेयस्कर होगा। धरना यदि शान्त न रह सके, तो एकदम बन्द ही कर देना चाहिए।

अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि घर-घर जाकर शराबियों, अफीमचियों अथवा विदेशी वस्त्र पहननेवालोंसे मिलना और उन्हें इन तीनमें से एक भी चीजका उपयोग करनेसे होनेवाली हानि बताना ही ज्यादा पुरअसर तरीका है। गलियों और मुहल्लोंके नुक्कड़पर भाषण किये जायें, पत्रिकाएँ बाँटी जायें; प्रभातफेरियाँ भी स्वदेशी और शराब-अफीमके निषेध-सूचक गीतों द्वारा यह प्रचार कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा घर-घर खादीकी फेरी लगाकर, आर्डर नोट करके, और हाथ-कते सूतको बुनवानेका प्रबन्ध करके भी विदेशी वस्त्रके बहिष्कारमें मदद की जा सकती है। इस प्रकार यदि वातावरण सुधरता जाये, तो उसका असर अफीम और विदेशी वस्त्रका इस्तेमाल करनेवालों पर अवश्य ही पड़ेगा।

दूसरा पहलू

लेकिन ये आरोप अधिकांश या सम्पूर्ण रूपसे झूठे हों, तो? मैं जानता हूँ कि गुजरातमें शान्त धरनेदारोंको सतानेकी वृत्ति बढ़ती जा रही है, और इससे भी बुरा यह है कि कानूनकी आड़में समय-असमय और जहाँ-तहाँ बिना रोक-टोकके शराबकी बिक्री जारी है। श्री राजगोपालाचारीका, जो श्री एन्डरसनके स्थानपर आजकल मद्यनिषेध-संघके मन्त्री हैं, और समाज-सुधारक हैं, और इसीलिए राजनैतिक क्षेत्रमें पड़े हैं, विश्वास है कि दक्षिण भारतमें सम्पूर्ण तथा शान्तिमय धरनेके विरुद्ध जाली मुकदमेबाजी और बल-प्रयोग शुरू किया गया है। लुधियाना, अम्बाला, मथुरा और अन्य स्थानोंसे लाठीचार्ज आदिके विश्वस्त समाचार आ रहे हैं। विभिन्न संस्थाओंने मेरे पास विस्तारसे सारी बातें लिख भेजी हैं, फिर भी जानबूझकर मैंने अभी इन वक्तव्योंको प्रकाशित नहीं किया है। इसके सिवाय दूसरी बातोंके बारेमें शिकायतें बराबर प्राप्त हो रही हैं। मैं सर्वसाधारणको यही विश्वास दिला सकता हूँ कि इनमें से एक भी शिकायत मेरी नजरसे छूटी नहीं है। लेकिन मैं अभी केन्द्रीय सरकारके साथ इस नाजुक मामलेपर बातचीत और पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ और सभी मामलोंमें न सही तो भी अधिकांश मामलोंमें इस वार्ताके जरिये राहत पानेकी मैं उम्मीद रखता हूँ। इसलिए वार्त्ताके साथ-साथ सार्वजनिक प्रचार करना ठीक नहीं है।

इस बीच मैं सब कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंसे धैर्य रखनेको कहूँगा। कितना ही छेड़ा जाये, लेकिन उन्हें इतना क्रुद्ध नहीं होना चाहिए कि वे सविनय अवज्ञा करनेको

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ १९४, उपशीर्षक "धरने"।

मजबूर हों। सविनय अवज्ञा पहला नहीं, सदा अन्तिम कदम है। इस अन्तिम अमोघ उपायका सहारा लेनेसे पहले हम बीचके तमाम उपायोंको आजमा देखें। जबतक सन्धि है, हमारे लिए अदालतें भी खुली हैं। मैं जानता हूँ कि अदालतोंसे बहुत हुआ, तो नाममात्रकी ही राहत मिल सकती है। परन्तु जो भी राहत मिल सके, हम उसकी उपेक्षा न करें; इसी तरह राहत पानेके लिए सरकारके सम्बन्धित विभागोंकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। सौभाग्यसे आज तो सारे देशमें ऐसे वकील हैं जो कांग्रेसको अपनी सेवाएँ बिना किसी शुल्कके देते हैं। इसलिए जहाँ-जहाँ ये सुभीते हों, वहाँ-वहाँ कांग्रेस संगठनोंको इनसे लाभ उठाना चाहिए, और स्थानीय तौरपर जितनी राहत प्राप्त हो सके, उतनी प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। पहलेसे कार्यसमितिकी आज्ञा प्राप्त किये बिना वे कदापि सविनय-अवज्ञा शुरू न करें। कुछ ही दिनोंमें कार्यसमितिकी बैठक होनेवाली है,[१] उसके सामने ये तमाम शिकायतें पेश करने और उसके निर्देश प्राप्त करनेका मैं वचन देता हूँ। लेकिन आज तो हमारी सुरक्षा और सम्मानके लिए यह जरूरी है कि हम सब सन्धिकी शर्तोंका पूरा-पूरा पालन करें।

लेकिन साथ ही मैं प्रान्तीय सरकारों और सिविल सर्विसके सदस्योंसे विनती करता हूँ कि वे सहयोग करें। मेरे पास जो सबूत मौजूद हैं, उनसे शक होता है कि कई स्थानोंमें, वे यदि इरादतन सन्धिको भंग नहीं करते, तो उसके पालनमें रुकावटें पेश करते हैं। यह बात मुझे उनसे या जनतासे छिपानेकी जरूरत नहीं है। उनमें से कुछके बारेमें जो यह कहा जाता है कि वे सन्धिके टुकड़े-टुकड़े किया चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वह सच साबित न हों। उनके बारेमें यह न कहा जाये कि जिस इमारतको खड़ी करनेके लिए लॉर्ड इर्विनने रात और दिन चिन्तामें बिताये, उसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वे याद रखें कि यह सुलह दो व्यक्तियोंके बीच नहीं, बल्कि दो ऐसी संस्थाओंके बीच गम्भीरतापूर्वक किया गया इकरार है, जो अबतक लड़ती थीं, लेकिन अब सहयोग करना चाहती हैं। वे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंका अविश्वास न करें, न उनके साथ दुश्मनकी तरह पेश आयें। इसी तरह हरएक कांग्रेसजन समझ ले कि जबतक यह समझौता कायम है, उसे हरएक सरकारी कार्यका अविश्वास नहीं करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-६-१९३१

१. कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक बम्बईमें ७ से १२ जुलाईतक हुई थी।

७२. एक हुतात्मा

इस महीनेके आरम्भमें[1] बम्बईमें जिस समय कार्यसमितिकी बैठक हो रही थी उन्हीं दिनों डुंगरीमें एक सार्वजनिक सभामें हुल्लड़ मचा और एक नौजवानको छुरा भोंक कर मार डाला गया। उसकी मृत्युका समाचार कार्यसमितिको मिला। इस समाचारको सुनकर सब काँप उठे। परन्तु उस वक्त यह सोचा गया था कि कोई अज्ञात आदमी मर गया होगा। बोरसद आनेके साथ मुझे श्रीयुत किशोरलाल मशरूवालाका पत्र मिला। पत्रमें उन्होंने इस मृत्युके बारेमें दुःख प्रकट करते हुए मृत व्यक्तिके सम्बन्धमें विस्तारसे कुछ बातें लिखी थीं। मैंने उनसे कुछ और बातें विस्तारसे जानना चाहीं, और अब वे मुझे मिल गई हैं।

उस कालरात्रिमें उत्तेजित मुसलमानोंकी भीड़में से किसीने जब बहादुर और सज्जन पन्नालाल पर घातक वार किया था, तब उसकी उम्र सिर्फ २२ वर्षकी थी। पन्नालाल अपने पिता और छोटे भाईके साथ डुंगरीकी सभामें विशेष रूपसे खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँका भाषण सुनने गया था। विज्ञप्ति थी कि खान साहब सभामें भाषण करेंगे। खान साहबका भाषण सुन चुकनेपर पिताने एक विक्टोरिया गाड़ी मँगाई और तीनों उसपर सवार हुए। वे खादी पहने थे, इसलिए भीड़ने उन्हें राष्ट्रीय नेता समझ लिया। एक टोलीने शोर मचाते हुए उनकी गाड़ीको घेर लिया। उनपर पत्थर बरसाये गये। उनमें से हरएकको चोट लगी। पन्नालालकी बायीं भौंहसे खून बहने लगा। उसने इसकी जरा भी परवाह न की, और पिताके दुःखको कम करनेके लिए अपने घावको मामूली बताया। एकाएक उसकी बाँयीं पसलियोंमें एक छुरा आकर लगा और गहरा घुस गया। घावमें से लहूकी पिचकारी निकलने लगी। आँतें बाहर निकल आईं। पन्नालालने सब-कुछ बहादुरीके साथ सहन किया और अपनेको अस्पतालमें ले जानेको कहा। साथ ही विश्वास प्रकट किया कि वहाँ घावकी मरहम-पट्टी करनेसे सब ठीक हो जायेगा। लेकिन अफसोस है कि सब ठीक नहीं हुआ। पूरी चिकित्साके बावजूद दूसरे दिन उस बहादुर नौजवानने देह छोड़ दी।

वह धनिक पिताके घर पैदा हुआ था। उसके पिता मगनलाल झवेरी जवाहरातके बड़े व्यापारी हैं, और अपनी प्रामाणिकताके लिए लोगोंमें विश्वास तथा आदरके पात्र हैं। उसके चाचा जोधपुर हाईकोर्टके प्रधान न्यायाधीश हैं। वह अपने पीछे एक युवा विधवाको छोड़ गया है जिसके साथ डेढ़ साल पहले ही उसका ब्याह हुआ था। माता-पिता राष्ट्रीय आन्दोलनसे प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने कुटुम्बका रहन-सहन सादा कर डाला था और पन्नालालको राष्ट्रीय शालामें भरती कराया था। छठी कक्षातक पढ़कर व्यापारमें पिताकी मदद करनेके लिए उसने पढ़ाई बन्द की। परन्तु पन्नालालने राष्ट्रीय कार्य कभी न छोड़ा। वडालाके नमकके क्षेत्रोंपर धावा

१. ९ जून, १९३१ को।

बोलनेवालोंमें वह भी था, और उसने लाठियाँ खाईं थीं। उन दिनों जो खतरेसे भरे हुए जुलूस निकलते, उनमें वह हमेशा शामिल रहता था। पन्नालाल मर कर जिया है। ऐसे सुपुत्रके लिए मैं उसके माता-पिताका अभिनन्दन करता हूँ। मृत्युका और खास कर ऐसी मृत्युका पीछेसे बिलकुल शोक नहीं होना चाहिए। देह तो भस्म हो गई, किन्तु उस खाकमें से हममें सच्ची एकता पैदा होगी। इस मृत्युपर हम रोष न करें, और आवश्यकता पड़नेपर और भी ज्यादा जानोंकी कुर्बानी करनेको तैयार रहें, तो मुझे विश्वास है कि सच्ची एकताके आनेमें देर नहीं लगेगी।

दो शब्द उक्त विधवाके बारेमें कह दूँ। मैं आशा रखता हूँ कि माता-पिता अपने पुत्र-प्रेमसे प्रेरित होकर इस नवयुवती विधवाको उसकी इच्छानुसार अथवा जिसके वह योग्य हो, वैसी शिक्षा प्राप्त करावेंगे और जब वह बालिग हो जाये, तब उसे पुनर्विवाह करनेके लिए पूरा प्रोत्साहन देंगे। यदि उन्होंने वर्त्तमान युगधर्मको समझा हो, तो वे इस वहमको अपने दिलसे निकाल डालें कि विधवा अपने पतिके कुटुम्बकी सम्पत्ति है, और उसकी दासी रहनेको बँधी हुई है। विधवाको विधुरके समान ही हक होना चाहिए, और उसे यह माननेकी शिक्षा देनी चाहिए कि पुरुषोंके समान ही उसे भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी पसन्दके अनुसार काम करनेका हक है।

और ऐसी हत्याओंका समर्थन करनेवाले मुसलमानोंको क्या कहा जाये? इस खूनसे इस्लामकी या इस्लाम शब्दका अर्थ जो शान्ति है, उसकी जरा भी प्रगति नहीं हुई है। निरपराधके प्राण लेना कभी उचित हो ही नहीं सकता; पन्नालालने तो उत्तेजनाका कोई कारण ही नहीं दिया था। मैं चाहता हूँ कि पन्नालालकी हत्यासे उन लोगोंकी आँखें खुलें जो इस प्रकारकी हत्याओंका समर्थन करते हैं और उनको सम्भव बनाते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस जगह यह खून हुआ, उसी जगह दोनों कौमोंकी संयुक्त सभा हो, और उसमें यह ऐलान किया जाये कि राजनैतिक सवालके बारेमें हम सर्वसम्मतिसे कोई फैसला कर सकें या न कर सकें, तो भी ऐसे खून तो नामुमकिन ही बना देंगे। ऐसी सभा नामुमकिन नहीं, क्योंकि जहाँतक मैं जानता हूँ, पन्नालालके परिवारवालोंने इस अन्यायको माफ कर दिया है। और, लोगों-की भावनाको उत्तेजित न करनेके इरादेसे ही कांग्रेस कमेटीने सार्वजनिक रूपसे पन्ना-लालकी अन्त्येष्टि नहीं की। किसी भी जगह सभा करने और वहाँवालोंको अपने विचार पसन्द न हों तो भी निडर होकर उन विचारोंको प्रकट करनेकी शक्ति हममें होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २५-६-१९३१

७३. गम्भीर आरोप

सम्पादक,
'यंग इंडिया'

महोदय,

गाँव पिपरी, तहसील पुरवा, जिला उन्नावमें, कहा जाता है कि ३० मई सन् १९३१ को जमींदारोंने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट पण्डित चन्द्रमोहननाथ और हथियारबन्द सिपाहियोंके साथ काश्तकारोंके ऊपर हमला किया। . . .

तथापि किसानोंके पक्षमें कहा जा सकता है कि वे भले कितने ही अनपढ़ हों . . . वे पूरी तरह अहिंसक हैं और ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें काश्तकारोंने आत्मरक्षा तकके लिए कभी हिंसात्मक तरीका अपनाया हो।

विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
एम० ए०, एल० एल० बी०
अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी

उन्नाव

मैं इस अत्यन्त गम्भीर पत्रको[1] कुछ बहुत ही मामूली परिवर्तनोंके साथ छाप रहा हूँ। यदि ये आरोप सही नहीं हैं तो यह पत्र निस्सन्देह अपमानजनक है। जमींदार लोग या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट इस बारेमें कोई सफाई देना चाहें तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे छापूँगा। यदि ये आरोप मोटे तौरपर सही हों तो इस मामलेकी जाँच तुरन्त होनेकी जरूरत है। जमींदार एसोसिएशनको मामला हाथमें लेकर जमींदारोंके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आगे मैं यह भी कह दूँ कि पत्र-लेखकसे मैंने तार द्वारा पूछा था कि क्या वह अभियोगके सम्बन्धमें प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है; उसने तुरन्त तार द्वारा सकारात्मक उत्तर दिया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-६-१९३१

१. यहाँ उसके कुछ अंश ही दिये गये हैं।

७४. टिप्पणियाँ

आत्म-सम्मान सर्वोपरि

मुझे कई प्रान्तोंसे पत्र[१] मिले हैं जिनमें कहा गया है कि जिन छात्रोंने संघर्षके दौरान स्कूल या कालेज छोड़ दिये थे उनको वापस लेनेके लिए शिक्षा-अधिकारी शर्तें रख रहे हैं। एक पत्र-लेखकने एक परिपत्रकी प्रति भेजी है जिसमें लड़कोंके माता-पितासे यह गारंटी देनेको कहा गया है कि उनके बच्चे राजनीतिमें भाग नहीं लेंगे। ये पत्र-लेखक मुझसे पूछते हैं कि क्या ये शर्तें समझौतेको देखते हुए संगत हैं।

संगत हैं या नहीं, फिलहाल इस प्रश्नमें जाये बिना मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि छात्रों या माता-पिताओंमें यदि कुछ भी आत्म-सम्मान बचा हो तो उन्हें ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा और प्रमाणपत्र रूपी संदिग्ध लाभकी खातिर अपनी आत्मा बेचनी पड़े तो उससे छात्रोंको या माता-पिताओंको क्या फायदा होगा? छात्रोंके लिए राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ खुली हुई हैं। यदि उन्हें ये पसन्द नहीं हैं तो वे घरपर पढ़ सकते हैं। यह मानना एक घोर अन्धविश्वास है कि स्कूल या कालेजोंमें जानेसे ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब स्कूलों और कालेजोंका अस्तित्व भी नहीं था उस समय संसारने बहुत ही मेधावी विद्यार्थी पैदा किये थे। स्वाध्यायसे अधिक उत्थानकारी और स्थायी वस्तु कुछ नहीं है। स्कूल और कालेजोंमें हममें से अधिकांश लोगोंको मात्र अनावश्यक ज्ञान भरनेवाला पात्र बना दिया जाता है। गेहूँको तो छोड़ दिया जाता है और केवल भूसेको जमा कर लिया जाता है। मेरी इच्छा स्कूलों और कालेजोंकी निन्दा करनेकी नहीं है। उनका अपना-अपना उपयोग है। लेकिन कुल मिलाकर हम उन्हें बहुत महत्त्व दे रहे हैं। वे तो ज्ञान प्राप्त करनेके अनेक साधनोंमें से एक साधन-भर हैं।

ओह, ये मानपत्र!

सरदार वल्लभभाईकी पुत्री मणिबहन अपने पिताके मन्त्रीका, उनके कपड़ोंके रख-रखावका और उनकी सेवा-शुश्रूषाका काम करती हैं, और इसलिए यात्रामें हमेशा उनके साथ रहती हैं। वह दुःखी होकर पूछती हैं:

> **पिताजीको द्रव्यकी आवश्यकता है, तब लोग उन्हें इतने सारे मानपत्र किसलिए देते होंगे? आप मुझसे भी अधिक इस बातको जानते हैं कि उनका अपना कोई घरबार नहीं है। उन्हें जो इतने सारे मानपत्र मिलते हैं, उन्हें, रखनेके लिए उनके पास न स्थान है, न सन्दूक वगैरा हैं। कीमती मंजूषाएँ और भेंट-उपहार रखनेके लिए उनके पास तिजोरियाँ भी नहीं हैं। इन मानपत्रों और भेंटोंकी हिफाजत करना सचमुच ही मेरे लिए एक बोझ-सा हो गया**

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-६-१९३१ के अन्तर्गत "विद्यार्थी" उपशीर्षक।

है। मैं चाहती हूँ कि लोग किसी भी कांग्रेसजनको मानपत्र न दें। उन्हें अपनी सेवामें ही सेवाका बदला मिल जाता है। लेकिन और चाहे जो हो, क्या आप ऐसा फरमान जारी नहीं कर सकते, जिससे लोग पिताजीको इस झंझटसे बचायें? वे पिताजीको अनावश्यक मानपत्र न दें, लेकिन जो काम वे पिताजीसे कराना चाहते हैं, और जिसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, उस कामके ही लिए उन्हें आवश्यक द्रव्य दें।

इन भावोंका समर्थन करने और सरदारको अपने यहाँ निमन्त्रित करनेवालोंसे इनकी सिफारिश करनेके सिवा मुझे इस सम्बन्धमें और कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

नियम पालनके आग्रही क्या करें?

अकोलासे एक भाई लिखते हैं:[1]

कांग्रेस संगठनके चुने हुए पदाधिकारी भी यदि संविधानमें निर्धारित खादी सम्बन्धी नियमका पालन न करें, तो जो लोग इन नियमोंका कठोर पालन करनेवाले हैं, उनका क्या कर्त्तव्य है?

यह सवाल पूछनेमें आसान है, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं। इसके निर्णयका आधार आसपासकी अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए इस बारेमें एक सामान्य नियमका ही निर्देश किया जा सकता है, जिसमें नई और विविध परिस्थितिके पैदा होनेपर हेरफेर करनेकी आवश्यकता पड़ सकती है।

मान लीजिए की खादीमें कट्टर विश्वास रखनेवाले सदस्यको पता चले कि अधिकांश सदस्य नियमका पालन नहीं करते, उसने इस नियम-भंगकी तरफ उनका ध्यान भी आकर्षित किया हो, मुख्य अधिकारियोंका ध्यान भी इस ओर दिलाया हो, और फिर भी कुछ सन्तोष प्राप्त न हुआ हो, तो उसे अपना विरोध प्रकट करनेके लिए निर्वाचित समितिकी सदस्यतासे इस्तीफा दे देना चाहिए। वह चार आनेका सदस्य तो रहेगा, पर मत देनेके लिए अधिकारका उपयोग नहीं करेगा। लेकिन साथ ही जो लोग नियम-पालनमें शिथिल हैं, उनके साथ वह थोड़ी भी कटुता न रखेगा और स्वयं समितिके बाहर रहकर ही नियम-पालनका उपदेश करेगा। कांग्रेस-संगठनके मौजूदा पदाधिकारियोंको नाराज किये बिना, यदि सम्भव हो तो, वह अपनी रुचिके अनुसार कांग्रेसका काम भी करेगा। सदस्य न होते हुए भी कितना ही रचनात्मक काम किया जा सकता है।

वे कातते क्यों नहीं?

एक भाई कुछ तीखेपनसे लिखते हैं:

जब आप सभाओंमें भाषण करते हैं, तो लोगोंको अपने दरिद्रनारायणकी खातिर कातनेका उपदेश देते हैं। जब कोई आपके हस्ताक्षर लेने आता है,

१. देखिए "पत्र: नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाको", २०-६-१९३१।

तो बनियेकी तरह आप उससे यह वचन लेते हैं कि उस भाई या बहनको कातना चाहिए। तो आप इतनी सारी कांग्रेस समितियोंके सदस्योंको कातनेके लिए क्यों नहीं कहते? दूसरोंको प्रोत्साहन देनेकी दृष्टिसे वे सब कातते क्यों नहीं? या कताईका अधिकार खासकर गैर-कांग्रेसियोंके लिए और अधिक हुआ तो चवन्निया-सदस्योंके लिए है, समितियोंके सम्मानीय सदस्योंके लिए नहीं?

मैं इन लेखकसे क्षमा चाहता हूँ। वे सिर्फ इतनी बात याद रखें कि बड़े-बड़े श्रोतृ-समूहोंके सामने तो मैं सदा कताईका प्रयोग करके नहीं बता पाता, लेकिन समितियोंके सदस्योंके सामने तो मैं सचमुच यह प्रयोग करके बताता ही हूँ। क्या मन-भर उपदेशकी अपेक्षा रत्ती-भर आचरणका मूल्य अधिक नहीं है? लेकिन लेखक महोदयने जो कटाक्ष किया है, शायद वह सच है। कांग्रेस समितियाँ हजारों नहीं, तो सैकड़ों तो होंगी ही। उन सबके साथ मैं अपनी कताईकी भाषामें बातचीत नहीं करता। इन समितियोंके हजारों सदस्य अगर रोजाना कमसे-कम आधा घंटा कातें, तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, और अदृश्य रूपमें ही क्यों न हो, देशकी सम्पत्तिमें ठोस वृद्धि होगी। यदि कताईके आँकड़ोंको तालिकाबद्ध कर दिया जाये और हर सप्ताह प्रकाशित किया जाये, तो उद्योग, त्याग और दरिद्रनारायणके प्रतीकरूप खादीकी भावनासे वातावरण ओतप्रोत हो जाये, और खादी द्वारा विदेशी वस्त्रका बहिष्कार इतनी जल्दी सफल हो जाये कि हममें से बड़ेसे-बड़ा आशावादी भी जिसकी कल्पना करनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन क्या वे इतना करेंगे भी? "वे कातते नहीं, और न मेहनत ही करते हैं।"[१]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २५-६-१९३१

७५. पत्र: के० बी० भद्रपुरको

स्थायी पता: बोरसद
२५ जून, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

पिछली २३ तारीखका आपका चकित कर देनेवाला पत्र मिला। मैंने आपको लिख दिया था कि शिकायत करनेवालोंके पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिससे वे धारालाओंपर दोष मढ़ सकें। न ही मैंने कोई मुकदमा करनेको कहा था। मैंने तो निवारक कदम उठानेको कहा था, और अगर आप मुझसे यह कहें कि जिन मामलोंमें शिकायत करनेवाले लोग अपराधियोंका पता नहीं चला सकते वहाँ सरकार उन्हें उनके भाग्यपर छोड़ देगी, तो मैं यह जवाब स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं इस

१. **सेंट मैथ्यू,** अध्याय ६: २८।

निराधार वक्तव्यके लिए तैयार नहीं था कि ऐसा सम्भव है कि धारालाओंके ऊपर इलजाम धरनेकी गरजसे यह हानि शिकायत करनेवालोंने खुद ही कर ली हो। मैं यह कहनेकी इजाजत चाहूँगा कि इस प्रकारकी बातोंसे अपराधको बढ़ावा मिलता है। क्या यह बात आपको अकल्पनीय जैसी नहीं लगती कि धारालाओंको अपराधी ठहरानेके अविश्वसनीय उद्देश्यसे पाटीदार स्वयं अपने-आपको बरबाद कर लेंगे? न ही मैं यह देख पाता हूँ कि धारालाओंपर अपराध धरनेकी गरजसे अपने सारे बाड़े काट डालनेसे उनका क्या मंशा पूरा होगा? अगर आपके मनमें धाराला मुखीकी बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि यह शंका पाटीदारोंने नहीं प्रकट की थी कि इन बाड़ोंके कट जानेके लिए धाराला मुखीकी उपस्थिति ही सम्भवतः जिम्मेदार है। और फिर किसी भी हालतमें धाराला मुखीके खिलाफ चल रहा मामला एक स्वतन्त्र मामला है। और जैसा कि मैं मानता हूँ, यह समझौतेका ही एक अंग है, जबकि आप यह कहनेके लिए स्वतन्त्र हैं कि पाटीदारोंको संरक्षण देना समझौतेमें शामिल नहीं है। यदि आप यह स्थिति अपनायें तो उसे चुनौती नहीं दे सकूँगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

७६. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

बम्बई
२५ जून, १९३१

संघीय संरचना समितिमें भाग लेनेके बारेमें पूछे गये एक प्रश्नके उत्तरमें महात्माजीने कहा :

यदि मैं गोलमेज सम्मेलनमें शामिल हुआ तो शायद मैं संघीय संरचना समितिमें भी भाग लूँगा।

यह पूछे जानेपर कि क्या आपने अन्ततः लन्दन सम्मेलनमें जानेका निश्चय कर लिया है, और आप कबतक रवाना होंगे, गांधीजीने कहा कि इन सभी बातोंको मेरी खातिर कार्यसमिति तय करेगी। मेरे सिद्धान्त और विचारोंको अमान्य कर दिया गया है और कार्यसमिति मुझसे जो भी करनेको कहेगी उसे मैं खुशीसे करूँगा।

इस प्रश्नके उत्तरमें, कि क्या गुजरातमें स्थिति सन्तोषजनक है, गांधीजीने एक क्षण रुक कर कहा कि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन मैं भारत सरकारके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। प्रसंगवशात उन्होंने यह भी बताया कि मुझे सारे

भारत-भरसे श्री च० राजगोपालाचारी जैसे विश्वसनीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रेषित इस आशयकी रिपोर्टें मिल रही हैं कि जाली मुकदमों, दस्तंदाजियों और लाठीचार्जोंके रूपमें पूर्णतः शान्तिपूर्ण धरनोंको कुचलनेकी जानबूझकर अपनाई गई नीतिके कारण समझौतेके ठीकठाक चलनेमें अड़चन पड़ रही है। मैंने इनमें से किसी शिकायतको नजरअन्दाज नहीं किया है, लेकिन मैं उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केन्द्रीय सरकारके साथ नाजुक वार्त्तालाप चला रहा हूँ, जिसके जरिये मैं राहत पानेकी आशा रखता हूँ। मुझे आशा है कि स्थिति इतना गम्भीर रूप धारण नहीं करने पायेगी कि जिससे समझौतेको खतरा पैदा हो जाये। मुझे कांग्रेसजनोंसे एक शब्द कहना है। वह यह कि कांग्रेसकी सुरक्षा और सम्मानका तकाजा है कि कांग्रेस-जन युद्ध-विराम समझौतेकी सभी शर्तोंको सावधानीके साथ पूरा करें।

गांधीजीने कहा कि मैं ये सारी शिकायतें कार्य-समितिके सामने रखूँगा।

उन्होंने इस बातपर बहुत खेद प्रकट किया कि भोपालमें मुसलमानोंके दो फिरकोंके बीच समझौता करानेके प्रयत्न विफल हो गये हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्यकी बात है। कार्यसमिति अब विचार करेगी कि प्रयत्नोंकी विफलताको मद्देनजर रखते हुए अब आगे क्या किया जाना चाहिए।

गांधीजीने पूरा विश्वास प्रकट किया कि विदेशी कपड़ा निर्यात योजना सफल सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना समझौतेका उल्लंघन नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं।

प्रश्न : क्या एक नई राजनीतिक विचारधाराके लोगोंका यह दावा ठीक है कि कांग्रेसने युद्धविरामको स्वीकार करके पिछले गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिपादित संघके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है? यदि हाँ, तो कांग्रेसके लाहौर अधिवेशनमें स्वीकृत और कराची अधिवेशनमें दोहराये गये स्वतन्त्रता प्रस्तावका क्या होगा?

उत्तर : इस प्रश्नका उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-६-१९३१

७७. बातचीत : विदेशी कपड़के बहिष्कारपर[1]

बम्बई
२५ जून, १९३१

श्री गांधीने कहा कि इस स्थितिसे मैं अभिज्ञ हूँ लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय मिलों द्वारा तैयार होनेवाले किसी भी किस्मके कपड़ोंमें विदेशोंमें तैयार किसी चीजका प्रयुक्त किया जाना जनसाधारणके लिए अहितकर है। उन्होंने कुछ विस्तारसे अपने दृष्टिकोणको स्पष्ट किया और कहा कि मुझे खेद है कि इस सिद्धान्तसे मैं नहीं हट सकता, भले ही उद्योगको इससे कुछ हानि पहुँचे। मेरी समझसे इस प्रकार होनेवाली हानि अस्थायी ढंगकी होगी।

गांधीजीने कहा कि मैं जापानी प्रतियोगिताके खतरेको अच्छी तरह समझता हूँ और मैं इससे प्रभावशाली ढंगसे निपटनेके लिए किसी कोशिशसे बाज नहीं आऊँगा। कांग्रेस नीति केवल लंकाशायरके आयातको बन्द करनेके पक्षमें हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह सभी विदेशी कपड़ोंके आयातको बन्द करनेके पक्षमें है। मैं जापानकी ओरसे उत्तरोत्तर बढ़ रहे संकटकी ओर खास ध्यान दूँगा। अगर और जब कोई सन्तोषजनक समझौता हो जायेगा तब जापानी प्रतियोगिताको विशेष शुल्क लगाकर रोकनेका उपाय किया जायेगा। सारी स्थिति ऐसी है जिसपर निकट भविष्यमें गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी जरूरत है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २६-६-१९३१

१. यह बातचीत एच० पी० मोदी, अध्यक्ष मिल-मालिक संघ, एस० डी० सकलतवाला, लालजी नारणजी और गांधीजीके बीच हुई थी। बातचीत जापानी कपड़ोंके, खासकर नकली रेशमके कपड़ोंके बढ़ते हुए आयातपर होने लगी। उद्योगपतियोंने कहा कि यह बात बहुत अनुचित है कि जहाँ भारतीय कपड़ा उद्योगसे नकली रेशमके धागोंका उपयोग बन्द करनेको कहा जाता है वहीं इस श्रेणीके जापानी कपड़ोंका आयात चिन्ताजनक रफ्तारसे बढ़ रहा है। इससे न केवल नकली रेशमके मालका व्यापार बल्कि अन्य किस्मोंके कपड़ोंका व्यापार भी अस्त-व्यस्त होता जा रहा है।

७८. भाषण : महिलाओंकी सभा, बम्बईमें

२६ जून, १९३१

सबसे पहले महात्मा गांधीने भारतकी, और खासकर बम्बईकी महिलाओंको पिछली लड़ाईमें उन्होंने जो महान और वीरतापूर्ण योगदान दिया था उसके लिए बधाई दी। गांधीजीने कहा कि महिलाओंने बेजोड़ साहसका परिचय दिया था और देशके हेतु कष्ट सहन करने तथा देशके लिए बड़ीसे-बड़ी कुर्बानी करनेकी उनकी क्षमताकी पूरी कसौटी हो चुकी है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी दांडी यात्रापर रवाना होनेके समय[1] भारतकी महिलाओंको दो काम सौंपे थे। पहला काम यह था कि भारतकी महिलाएँ विदेशी वस्त्रका पूरा बहिष्कार करनेके काममें राष्ट्रकी मदद करें, और दूसरा यह कि वे पूर्ण मद्यनिषेध लागू करानेमें मदद करें। मैंने पूरे विश्वासके साथ महिलाओंको यह काम सौंपा था कि इसे पूरा कर दिया जायेगा। महिलाओंने अपने निःस्वार्थ कार्यसे बहुत कम समयमें जो सफलता प्राप्त कर दिखाई वह मेरी आशाओंसे परे थी।

गांधीजीने आगे कहा कि भारतकी महिलाओंने पूरे राष्ट्रकी इज्जतको बढ़ाया है। सभीकी निगाहें उनकी ओर लगी हुई हैं। उनकी देश-भक्तिको सम्पूर्ण विश्व सराहनाकी दृष्टिसे देख रहा है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओंपर प्रशंसा की जो वर्षा की गई है उससे उन्हें आगेके कार्योंको और अधिक विश्वास और उत्साहके साथ करनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए।

संघर्षके दौरान स्त्रियोंको जो काम सौंपा गया था उन्हें उसको और तेजीके साथ करना चाहिए। विदेशी कपड़ेके व्यापारियों और उपभोक्ताओंके पास जाकर उन्हें विदेशी वस्त्रोंके त्यागके लिए राजी करना चाहिए। जिन लोगोंको शराबकी लत है स्त्रियोंको उनके पास जाना चाहिए और इस बुराईको छोड़नेकी भीख माँगनी चाहिए, और शराबके विक्रेताओंको राजी करना चाहिए कि वे इस बुरे व्यापारको बन्द कर दें। पिछली लड़ाईके दिनोंमें पुरुषों और स्त्रियोंने इस कामके लिए स्वेच्छया अपनी सेवाएँ अर्पित की थीं लेकिन अब तो यह काम ज्यादा दूभर और कठिन हो गया है। काममें ढिलाई और कार्यकर्त्ताओंकी कमी, ये दोनों बातें अब यहाँ हैं।

सबसे बड़ी जरूरत कार्यकर्त्ताओंकी एक नियमित और अनुशासित सेनाकी है। अपने प्रयासका जो फल निकले उससे उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अगर उनके अन्दर अपने लक्ष्यमें पूरा विश्वास है और यदि उनका विश्वास है कि वे सफल होकर रहेंगी तो न केवल विदेशी वस्त्रको हिन्दुस्तानसे निकाल बाहर करना, बल्कि अल्प

१. १२ मार्च, १९३० को; देखिए खण्ड ४३।

समयमें ही शराब रूपी बुराईको भी जड़से उखाड़ फेंकना सम्भव हो जायेगा। लेकिन इस कामके लिए अनुशासन और संगठित प्रयासकी जरूरत है। मैं देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित कुछ महिलाएँ नारंगी रंगकी साड़ियाँ पहने हुए हैं लेकिन अधिकांश इस राष्ट्रीय चिह्नको धारण नहीं किये हुए हैं। यह रंग देश-कार्यकी खातिर अपनी सेवाएँ समर्पित करनेका प्रतीक है। इससे यह भी मालूम होता है कि जो महिलाएँ इस रंगकी साड़ी पहने हुए हैं वे उस स्थानीय महिला संघकी सदस्य हैं जो विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार तथा नशाबन्दीके काममें लगा हुआ है।

इसलिए आप महिलाओंसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप बाहर आयें और नारंगी रंगवाली साड़ीके चिह्नको धारण करें तथा निःस्वार्थ काम करनेवाली उन बहादुर महिलाओंके दलमें शामिल हो जायें जो देशकी सेवा करनेको कृतसंकल्प हैं।

इसके बाद गांधीजीने उन महिलाओंको चेतावनीके शब्द कहे, जो पिछली लड़ाईके दिनोंमें खद्दर पहनती थीं लेकिन अब बढ़िया किस्मके विदेशी वस्त्रोंकी ओर आकर्षित होने लगी हैं। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि कुछ खोजा[1] औरतें जिन्होंने आन्दोलनमें भाग लिया था और खद्दरके सन्देशको अपना लिया था वे अब फिरसे विदेशी वस्त्र खरीदनेमें रुचि लेने लगी हैं। यह बात अकेले खोजा महिलाओंके ही साथ नहीं है बल्कि हिन्दू महिलाएँ भी ऐसा कर रही हैं। अगर उनके दिलमें देशके उन लाखों लोगोंके लिए जो भुखमरी और उससे भी बुरी दशामें हैं, तनिक भी खयाल और दया है तो उन्हें विदेशी वस्त्र खरीदना बन्द कर देना चाहिए।

गांधीजीने कहा, स्त्रियोंको विदेशी वस्त्रोंका सर्वथा त्याग करके या तो खद्दरको अपनाना चाहिए अथवा भारतमें तैयार होनेवाले कपड़ेको। लेकिन मैं यह बात कहना चाहूँगा कि भारतमें तैयार मिलका कपड़ा उन्हीं लोगोंके लिए है जिनके पास भूखसे पीड़ित करोड़ों लोगोंका सन्देश नहीं पहुँचा है या जो कांग्रेसके अनुगामी नहीं हैं। लेकिन ऐसे हर कांग्रेसी पुरुष और स्त्रीको तथा हर ऐसे व्यक्तिको जिसे कांग्रेसके सिद्धान्तोंमें विश्वास है, खद्दर और केवल खद्दर ही पहनना चाहिए और मिलका बना कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए।

मिलके कपड़ेके इस्तेमालसे औद्योगिक नगरोंमें रहनेवाले कुछ लाख कर्मचारियोंको, कुछ हजार हिस्सेदारोंको तथा थोड़े एजेंटों और संचालकोंको निःसन्देह लाभ होगा। लेकिन यहाँ भारतमें सात लाख गाँव हैं जिनमें गरीबीके मारे हुए ३० करोड़ किसान रहते हैं। क्या हमें ३० करोड़ किसानोंके हितको पहले रखना चाहिए या कुछ लाख औद्योगिक कर्मचारियोंके हितको? हमारा कर्त्तव्य है कि हम खद्दर और केवल खद्दरको अपना कर ३० करोड़ किसानोंको गरीबीसे राहत दें।

महात्माजीने कहा कि मेरे विचारसे लड़कियों और महिलाओंके लिए विश्वविद्यालयकी वह शिक्षा सर्वोत्तम नहीं है जिसे वे स्कूलोंमें हासिल कर रही हैं, बल्कि कताई

१. मुसलमानोंकी एक जाति।

और धुनाईमें उन्हें पारंगत बना देना ही उनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा है। चरखेके सन्देशको देशके कोने-कोनेमें लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और इस प्रचार-कार्यको महिलाएँ सबसे अच्छी तरह कर सकती हैं। अगर प्रत्येक स्त्री कताई सीख ले और केवल अपने ही हाथका बना खद्दरका वस्त्र पहननेकी आदत डाल ले तो स्वतन्त्रता-प्राप्तिकी दिशामें हम काफी आगे बढ़ जायेंगे। [अन्तमें महात्माजीने कहा:]

केवल खद्दर ही आपकी मुक्तिका साधन है, और आपकी मुक्तिमें ही आपके देशकी मुक्ति निहित है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-६-१९३१

७९. भाषण: 'दलित' वर्गीय प्रतिनिधिमण्डलके समक्ष[1]

बम्बई
२६ जून, १९३१

[दलित वर्गों द्वारा दिये गये] अभिनन्दनपत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा:

मुझे महात्मा मत कहो, भंगी कहो।

उन्होंने कहा, मुझे एक यूरोपीय मित्रने 'भंगियोंके नेता' की उपाधि दी थी। इस उपाधिको मैं 'महात्मा' की उपाधिसे ज्यादा पसन्द करता हूँ। गांधीजीने प्रतिनिधि-मण्डलके लोगोंसे वादा किया कि गोलमेज सम्मेलनके सामने मैं जो बातें रखूँगा वे दलित जातियोंके, और आम तौरपर देशके हितमें होंगी। मैं यह वादा नहीं करता कि आपने जो सूत्र सुझाया है उसे सम्मेलनके सामने रखूँगा। अगर इससे बेहतर कोई सूत्र मुझे ठीक लगा तो मैं उसे दूँगा। जहाँतक दलितवर्गोंको शैक्षणिक सुविधाएँ देनेका सवाल है, आपने मुझे जो सुझाव दिये हैं, मैं उनसे कहीं ज्यादा करना चाहूँगा।

गांधीजीने कहा कि सरकारके साथ हुआ समझौता अस्थायी है या स्थायी इसके बारेमें मैं खुद निश्चित रूपसे कुछ नहीं जानता। अगर यह स्थायी हुआ और स्वराज्य मिल गया तो दलित वर्गोंसे सम्बन्धित बहुतसी समस्याएँ तुरन्त सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन इतनी बात मुझे बिल्कुल निश्चित रूपसे मालूम है कि जनतामें जो महान जागृति आई है, उसके परिणामस्वरूप अस्पृश्यताका कलंक शीघ्र ही देशसे बिल्कुल मिट जायेगा।

महात्माजीने कहा, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि कांग्रेसने दलित वर्गोंके उत्थान और आम प्रगतिके लिए क्या कुछ किया है। कांग्रेसने अस्पृश्यताका सवाल

१. इस प्रतिनिधिमण्डलमें ३० सदस्य थे और उन्होंने पी० बालूके नेतृत्वमें गांधीजीसे मणिभवन, बम्बईमें भेंट की थी। प्रतिनिधिमण्डलके नेताने स्थानोंके संरक्षणके साथ संयुक्त मतदानका पूरे दिलसे समर्थन किया और दलित जातियोंको 'महार', 'चमार' और अन्य, इस प्रकार तीन भागोंमें विभाजित करनेका सुझाव दिया।

हाथमें लेनेके बादसे अबतक २० लाखसे अधिक रुपये दलित वर्गों और अस्पृश्य कही जानेवाली जातियोंके लिए आश्रम और स्कूल खोलनेपर खर्च किये हैं जहाँ इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गुजरातमें ऐसे आश्रमोंका एक जाल बिछा हुआ है जिनमें दलित वर्गके लड़कोंको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-६-१९३१

८०. तार : देसाईको[1]

[२६ जून, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

देसाई
मारफत कांग्रेस
भिवानी

आप इस बातको स्पष्ट करनेके बाद कि गोलमेज सम्मेलनके बाद भी विदेशी वस्त्र किसी भी हालतमें बेचने नहीं दिया जायेगा, उनका वचन स्वीकार कर सकते हैं।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३२३) से।

८१. पत्र : नारणदास गांधीको

[२६ जून, १९३१ के पश्चात्][3]

चि० नारणदास,

बम्बईमें तो मैं तुम्हारे पत्रोंका उत्तर कैसे दे सकता हूँ?

सोमणके बारेमें अब तो तुम्हें जो उचित जान पड़े सो करना।

गंगाबहनको जितनी तुमसे बन सके उतनी सान्त्वना देना।

भगवानजीके सम्बन्धमें समझा। मेरा खयाल है कि उन्हें अन्ततः अपने कर्त्तव्यका बोध हो जायेगा।

१ और २. श्री देसाईके दो तार मिले थे, एक बम्बईमें और दूसरा बुल्सरमें। २६ जून, १९३१ का तार इस प्रकार था: "गोलमेज सम्मेलनका परिणाम निकलनेतक विदेशी वस्त्रोंकी बिक्री बन्द रखनेका वचन क्या हम स्वीकार कर सकते हैं?"

३. पुस्तकमें इस पत्रको १९३१ के पत्रोंके साथ रखा गया है। पत्रमें सोमणकी जो चर्चाकी गई है उससे पता चलता है कि यह पत्र २२ जून, १९३१ को नारणदास गांधीको लिखे पत्रके बाद लिखा गया था। गांधीजी २५-२६ जूनको बम्बईमें थे।

ऊमस तो सभी जगह है।

ज्यादा लिखनेका समय नहीं है। इस समय रातके सवा दस बजे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मैं और पत्र कल लिखनेकी आशा रखता हूँ। इस समय साढ़े दस बजे हैं।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ९: श्री नारणदास गांधीने। सी० डब्ल्यू० ८१८८ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी

८२. तार: देसाईको[1]

वापी

२७ जून, १९३१

सहमत हो सकते हो लेकिन स्पष्ट बतला दो कि सम्मेलनके बाद बहिष्कार समाप्त होनेकी सम्भावना नहीं है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० २७३, १९३१। सौजन्य; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

८३. भाषण: उदवाड़ामें[2]

[२७ जून, १९३१][3]

आप अपनी विशाल-हृदयता और उदारताके लिए विश्वमें विख्यात हैं, आप अपनी उद्यमशीलताके लिए प्रसिद्ध हैं। आपने देशको दादाभाई नौराजी, फिरोजशाह मेहता, दिनशा वाचा सदृश महान देशभक्त देकर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जब उसी सांसमें कोई यह कहता है कि आपने ताड़ी और शराबके व्यापारीके रूपमें ख्याति

१. श्री देसाईका तार इस प्रकार था: "गोलमेज सम्मेलनका परिणाम निकलने तक व्यापारी माल रोकनेको तैयार हैं और कांग्रेसकी आज्ञासे उसके बाद भी। क्या हम उनकी इस बातपर राजी हो सकते हैं? यह समाधान अगर स्वीकार कर लिया गया तो बहुत-सी अप्रिय समस्याएँ सुलझ जायेंगी। जवाब दें।"

२. पार्डी ताल्लुकामें पारसियोंका एक पवित्र स्थान।

३. बम्बईसे बोरसद आते हुए गांधीजी एक दिनके लिए पार्डी ताल्लुकेमें ठहरे थे।

प्राप्त की है, तो यह बात कितनी भद्दी प्रतीत होती है। यह मत कहिए कि दुकान छोड़ देनेसे दुकानदार बरबाद हो जायेंगे। आपके यहाँ शानदार न्यास और धर्मादा है, और गुजरातके इन मुट्ठीभर शराब-विक्रेताओंको आसानीसे दूसरे धन्धोंमें लगाया जा सकता है। लेकिन आपको साहससे काम लेना चाहिए और इस कलंकको मिटा देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-७-१९३१

८४. पत्र : एच० टी० सोर्लीको

बोरसद
२८ जून, १९३१

प्रिय महोदय,

आपके इसी २३ तारीखके विस्तृत पत्र संख्या ४३-१४/३० के लिए धन्यवाद।[1] मेरे लिए मचवाके[2] खरीदारको ढूँढ़कर उसे इस बातके लिए राजी करना असम्भव होगा कि जो चीज उसे सचमुच इतनी सस्ती मिल गई हो, उसे वह त्याग दे। समझौतेके बाद मचवाकी बिक्री स्पष्ट रूपसे समझौतेका उल्लंघन है और सूरतमें अधिकारीकी गलतीके कारण ऐसा हुआ। मेरी रायमें एकमात्र उचित तरीका यह है कि मालिकको मचवाका बाजार-भावके अनुसार मूल्य चुका दिया जाये, जो मैं समझता हूँ कि २०० रुपये है। लेकिन मालिकने जो बयान दिया है उसके सिवा मेरे पास अपने वक्तव्यके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं है। बाजारभावका पता चलानेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे बताये तरीकेको अविलम्ब अपनाया जायेगा। मचवा न होनेके कारण बेचारे मालिकको स्वभावतः नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री एच० टी० सोर्ली, एम० ए०, आई० सी० एस०
नमक राजस्वके कलेक्टर, बम्बई

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. इसमें श्री सोर्लीने लिखा था कि मेरा विभाग "इस बातपर विचार करेगा कि नीलामीमें वसूल की गई ५० रु० की रकम मचवाके वर्तमान मालिकको दे दी जाये, बशर्ते कि वह मचवाको उसके मूल मालिकको लौटानेके लिए राजी हो, और बशर्ते कि मेरे द्वारा सुझाये गये इस समझौतेसे केन्द्रीय राजस्व मण्डल सहमत हो जाये। . . ."

२. एक छोटी नाव।

८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद
२८ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र और पोस्टकार्ड मिले। मुझे खुशी है कि रायबरेलीमें धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया गया है। निस्सन्देह यह मुख्य सचिव-को लिखे गये तुम्हारे स्पष्ट पत्रके कारण हुआ। जिस समयतक तुम कार्यसमितिमें भाग लेनेके लिए बम्बई पहुँचोगे उस समयतक कार्यसमिति निश्चित मार्गदर्शन देनेके लिए तैयार होगी।

मेरा निश्चित विचार है कि हमारा मामला पूरा बनानेके लिए यह जरूरी है कि तुम गवर्नरसे कहो कि वह तुमसे भेंट करें। भेंटके लिए लिखते समय तुम उन्हें यह भी बता देना कि तुम इस बातको देखनेके लिए कोई कसर नहीं उठा रखना चाहते कि प्रान्तके सर्वोच्च अधिकारीके सामने स्पष्ट स्थिति रखी जाये। तुम्हें गवर्नरसे भले कुछ भी न मिले, लेकिन गवर्नरसे मिलनेकी और समझौतेको पूरा करानेकी तुमने अपने तईं कोशिश की, इस बातसे हमारी स्थिति और अधिक मजबूत हो जायेगी। उनसे मिलनेके तुम्हारे प्रस्तावसे, और अगर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो उनसे मिल लेनेसे हम कुछ खोयेंगे नहीं।

उन्नाव जिलेकी घटनाओंके बारेमें मैंने जो लिखा है वह तुमने 'यंग इंडिया' में देखा होगा।[1] तुमने और अन्य लोगोंने जो सामग्री भेजी है उसपर मैं फिर लिखने जा रहा हूँ।

यह दुर्भाग्यकी बात थी कि कार्यसमितिकी बैठक मुल्तवी करनी पड़ी। इलाहा-बादकी वर्त्तमान स्थितिमें वल्लभभाई वहाँ जानेके सख्त खिलाफ थे। मैं भी सोचता हूँ कि कानपुरमें तथा संयुक्त प्रान्तके अन्य स्थानोंमें जो उत्तेजना व्याप्त है उसे देखते फिलहाल इलाहाबाद न जाना ही ठीक था।

बापू

पंडित जवाहरलाल नेहरू
इलाहाबाद

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

१. देखिए "गम्भीर आरोप", २५-६-१९३१।

८६. पत्र : महावीर गिरिको

बोरसद
२८ जून, १९३१

चि० महावीर,

तू आश्रममें स्वस्थ नहीं रह पाता। इसका कारण तू स्वयं ही है। मेरी मान्यता तो यह है कि हम अपने शरीरको चाहे कैसी भी आबोहवा क्यों न हो, उसके अनुकूल बना सकते हैं। इसमें मुख्य चीज खुराक है। प्रयोगों द्वारा इस बातकी जाँच की जा सकती है कि अमुक व्यक्तिको कौन-सी खुराक किस आबोहवामें अनुकूल बैठती है। और फिर बहुत-कुछ तो मनपर निर्भर करता है। इसलिए यदि तेरा मन विद्यापीठमें ही रमता हो तो नारणदासभाई और छगनभाईकी अनुमति लेकर विद्यापीठ जाना। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहे वहीं रहना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२३०) से।

८७. पत्र : वसुमती पण्डितको

बोरसद
२९ जून, १९३१

चि० वसुमती,

मानना होगा कि इस बार तुम्हारा पत्र बहुत समयके बाद आया। वीसनगरमें तुमने क्या देखा, क्या पूछताछ की, इस बारेमें तुम कुछ जानकारी दोगी, ऐसी मुझे उम्मीद थी। अब भी लिखना। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहता है?

पद्माकी अपनी डायरीके बारेमें क्या शिकायत है? जान पड़ता है उसे बहुत बुरा लगा है। मुझे सारी हकीकत लिखना।

बा ने मुझे लिखा है कि डाहीबहन भड़ौच गई हैं और वहाँसे वे उदवाड़ा जायेंगी।

तुम जो निश्चय करोगी वह मुझे मंजूर है। मैं तो तुम्हें शान्त, स्थिर और तन्दुरुस्त देखना चाहता हूँ। तुम किसी-न-किसी दिन तो इस स्थितिको अवश्य प्राप्त होगी। तुम इस दिशामें प्रयत्न कर रही हो, मेरे लिए यही सन्तोषकी बात है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३२५) से। सी० डब्ल्यू० ५७२ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित

८८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

२९ जून, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारे दोनों पत्र मिले। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। यदि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक दिनके लिए मेरे पास आ जाओ।

'कभी हारना नहीं चाहिए'[1] इसका अर्थ यह है कि समाजमें हमें मीठे-कड़वे अनुभव होते ही रहते हैं। हाथमें जो काम हो यदि उसका तुरन्त ही कोई फल नहीं मिलता तो इससे निराश नहीं होना चाहिए अपितु आनन्दमें रहते हुए काम करते जाना चाहिए। इसीका नाम है कभी न हारना।

तुम कार्यकारी समितिकी सदस्या हो, इसका स्मरण करवा कर मैंने तुम्हें तुम्हारे उत्तरदायित्वका भान कराया है, उसी तरह तुम्हारे अधिकारकी भी याद दिलाई है। तुम्हें जो कहना हो सो तुम समितिमें कह सकती हो; वैसा करवा सकती हो।

तुमसे मैं जो आशा रखता हूँ वह यह है — सब लोग हार स्वीकार कर लें तो भी तुम न हारना। कड़वे घूंट पिया करो और आगे बढ़ती रहो तथा तुमसे जिस कामकी अपेक्षा की जाती है सो करती रहो। यह है मेरी तुमसे आशा। मुझे तुमसे जो आशाएँ हैं वे सब हृदयबलको लेकर हैं, बुद्धिबलको लेकर नहीं। बुद्धिकी कीमत कम है, हृदयकी बहुत ज्यादा है; और वह तो सबके पास होता ही है।

'लम्बे डग न भरने'[2] का अर्थ है कि कल्पनाके किले न बाँधकर जो काम हाथमें है उसमें ही सुधार करनेका प्रयत्न करना। 'यह करूँ — वह करूँ' ऐसेमें तो हाथमें लिया हुआ काम भी बिगड़ जाता है। मेरा मन तो वहीं बसा है। लेकिन कैसे आऊँ? हाथमें लिये कार्यको निबटाये बिना मुझे छुटकारा कहाँ?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७७९ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. देखिए "पत्र : गंगाबहन वैद्यको", १९-६-१९३१।

२. देखिए "पत्र : गंगाबहन वैद्यको", २२-६-१९३१।

८९. वक्तव्य : सचीन राज्य द्वारा लागू निषेधाज्ञापर[1]

बोरसद
२९ जून, १९३१

जनताको यह मालूम होना चाहिए कि [बैठकके] स्थानमें परिवर्तनका[2] निषेधाज्ञासे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस समय स्थान बदलनेका निश्चय किया गया था उस समय श्री वल्लभभाई पटेल या मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। बैठककी तारीख और स्थान डॉ० अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्री मुहम्मद आलमकी सुविधाके लिए और उनके अनुरोधपर बदले गये थे। तथापि, मुझे निषेधाज्ञाके लिए दु:ख है।

कुछ राज्य यह बात समझते प्रतीत नहीं होते कि इस समय सरकार और कांग्रेसके बीच युद्ध-विराम लागू है। अत: ऐसी निषेधाज्ञासे सरकारकी, जो इस राज्यके लिए सर्वोपरि सत्ता है, स्थिति आसानीसे अटपटी हो सकती है। वस्तुत: डुमासका विचार केवल इसलिए किया गया था कि वह एक समुद्रतटवर्ती स्वास्थ्यप्रद स्थल है। किसीने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि डुमासके निकट समुद्रकी ठंडी हवामें कार्य-समितिकी बैठकसे सचीनको हानि पहुँचेगी। मैं शुक्र मानता हूँ कि संयोगवशात् हुए स्थान-परिवर्तनके कारण एक अटपटी स्थिति पैदा होनेसे बच गई। फिर भी मुझे आशा है कि यह निषेधाज्ञा सचीनके जिलाधीशके अत्युत्साहका परिचायक है, इससे अधिक कुछ नहीं।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-६-१९३१

१. सचीन राज्यके जिलाधीशने कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकपर निषेध लगाते हुए जो आदेश दिया था, उसके बारेमें गांधीजीने यह वक्तव्य जारी किया था।

२. पहले बैठक सचीन राज्यमें डुमास नामक स्थानपर होनेवाली थी। बादमें बैठकका स्थान बदल कर बम्बई कर दिया गया।

९०. पत्र : मीराबहनको

बोरसद
२९ जून, १९३१

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। इस समय रातके १०-३० बजनेवाले हैं। लेकिन मुझे तुमको एक लाइन लिखनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम्हारा मन वहाँ रमने लगा है। तुम वहाँ बिलकुल समयसे ही पहुँची हो। गंगाबहनके और निकट आनेकी कोशिश करना। उसका मन अशान्त है। तुम फादर एल्विनकी भी मदद करना।

तुम्हें जानकर खुशी होगी कि सूरजबहनने आधी साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। पहले मैंने इस परिवर्त्तनपर ध्यान नहीं दिया था। उसे एक छोटी-सी चिट्ठी लिख देना।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९६६६) से। सी० डब्ल्यू० ५४३२ से भी; सौजन्य : मीराबहन

९१. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

बोरसद
रात १०.३० बजे, २९ जून, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

अब तुम आ जाओ और मेरे साथ कुछ दिन व्यतीत करो।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५४९) से।

९२. पत्र : गंगाबहन और नानीबहन झवेरीको

बोरसद
२९ जून, १९३१

चि० गंगाबहन और नानीबहन,

रातके साढ़े दस बजे हैं इसलिए ज्यादा नहीं लिखूंगा। नानीबहनने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। ऐसी स्थितिमें मौन रहना ही धर्म है। सबको [उपदेश] कह चुकनेके बाद क्या होता है इसकी जिम्मेदारी हमारे सिर नहीं है। 'गीता' का यही पाठ है कि परिणामको ईश्वरपर छोड़ दें। हम तो 'चिट्ठीके चाकर' उसके हुक्मके बन्दे हैं। अतः गाओ "मने चाकर राखोजी।"

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११६) से।

९३. पत्र : पद्माको

बोरसद
३० जून, १९३१

चि० पद्मा,

तेरा पत्र मिला। इस समय सवेरेके पाँच बजे हैं। तेरे खिलाफ शिकायत यह है कि तू आराम नहीं करती इसीसे तुझे बुखार आता है। तुझे हर हालतमें पूरा आराम करना चाहिए, हर समय बिस्तरपर पड़े रहना चाहिए। ऐसा करे तो तुरन्त अच्छी हो जाए। इतना मानती क्यों नहीं है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२३) से। सी० डब्ल्यू० ३४७५ से भी; सौजन्य: प्रभुदास गांधी

९४. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आपका इसी २३ तारीखका पत्र मिला जिसमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कार सम्बन्धी कार्यसमितिके हालके प्रस्तावके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंका उल्लेख किया गया है। मैंने इन आपत्तियोंके प्रकाशमें उक्त प्रस्तावको फिरसे पढ़ा है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि प्रस्तावको ठीकसे समझ न पानेके कारण और इस विषयमें कांग्रेसकी नीतिका पिछला इतिहास न जाननेके कारण ही ये आपत्तियाँ उठाई गई हैं। सविनय अवज्ञा आन्दोलनसे बहुत पहले, और बंगाल-विभाजनके दिनोंसे ही विदेशी कपड़ेका, विशेष रूपसे ब्रिटिश कपड़े और सामान्य ब्रिटिश मालका बहिष्कार कांग्रेसकी नीति बन गया था। १९२० में मेरे कहनेपर ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी नीतिको छोड़ दिया गया था और उसके स्थानपर मुख्यत: आर्थिक आधारपर विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी नीति अपनाई गई थी, और तबसे वही नीति बनी हुई है। जब १९२२-२४ के बीच मैं यरवडा जेलमें था उस बीच कांग्रेसके एक अधिवेशनमें ब्रिटिश मालके बहिष्कारका एक प्रस्ताव पास किया गया था, और तबसे विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी नीति और ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी नीति समानान्तर रूपसे चलती रही है। पिछले संघर्षके दौरान इन बहिष्कार नीतियोंने उग्र राजनीतिक स्वरूप अख्तियार कर लिया और लगभग एकमें मिल गईं। दिल्ली समझौतेके परिणामस्वरूप ब्रिटिश मालका बहिष्कार बन्द कर दिया गया, और बहिष्कार उठानेका इतना तात्कालिक प्रभाव हुआ कि समझौता होनेके एक सप्ताहके अन्दर ही ब्रिटिश मशीनों और अन्य सामानोंके लिए मुक्त रूपसे आर्डर भेज दिये गये। तथापि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार राजनीतिक अस्त्रके रूपमें नहीं बल्कि एक आर्थिक आवश्यकताके रूपमें जारी रहा। इस प्रकार एक आर्थिक आवश्यकताके रूपमें विदेशी कपड़ा बेचनेका निषेध १९२० से ही कांग्रेसकी निश्चित नीति रही है। इसके पीछे मूलत: जो ब्रिटिश-विरोधी भावना रही है उससे इसे अलग कर दिया गया है। इस नीतिके पालन मात्रको किसी भी अर्थमें व्यक्तिके कार्य करनेकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता; वह बात अलग होती कि इसे हिंसात्मक तरीकोंसे लागू किया जा रहा होता। लेकिन मेरी रायमें समझौतेके बादसे कांग्रेस द्वारा अपनाये गये तरीकोंका इतिहास इस बातका पर्याप्त सबूत है कि ज्यादातर मामलोंमें कांग्रेस संगठनोंने समझौतेके शब्दों और उसकी भावनाका पालन किया है, और जहाँ कहींसे भी शान्तिपूर्ण तरीकोंसे हटकर काम करनेकी शिकायतें मिली हैं, वहाँ तत्काल कार्रवाई की गई है।

उक्त प्रस्तावमें 'अनुमति' शब्दके प्रयोगपर आपत्ति की गई है। अवश्य इस शब्दका सम्बन्ध केवल उन्हीं लोगोंसे है जो कांग्रेसके अनुशासनको स्वीकार करते हैं, और जनतापर कांग्रेसका आज जो प्रभाव है, वह प्रभाव जबतक रहेगा तबतक, यदि कांग्रेसके प्रस्तावोंके रचयिताओंका मंशा इन प्रस्तावोंके जरिये प्रकट होना है तो 'अनुमति' शब्द न केवल वैध ही बल्कि आवश्यक भी है। जबतक कांग्रेसकी मौजूदा नीति कायम है तबतक कांग्रेस संगठन उन लोगोंको, जिनपर उसका प्रभाव है, विदेशी कपड़ेके आयातकी अनुमति नहीं दे सकते, भले ही व्यक्तिशः लोग वैसा करना चाहें।

जहाँतक अनुशासनात्मक कार्रवाईका सम्बन्ध है, प्रस्तावके शब्द बिलकुल स्पष्ट हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति या व्यक्ति, जो भी हो, उसके विरुद्ध की जायेगी और समिति या व्यक्तिका मतलब केवल कांग्रेस कमेटी या उसके सदस्योंसे है। कांग्रेस द्वारा आरोपित दायित्व शुद्ध रूपसे नैतिक है और हिंसासे पूर्णतः मुक्त है, यह बात इस तथ्यसे बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेसको दिये गये वचनोंके उल्लंघनकी रिपोर्टें बराबर मिलती रहती हैं और कांग्रेस लाचार है। लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यादातर मामलोंमें लोग कांग्रेसकी नैतिक सत्ताको महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं।

अन्तमें, मैं आपके इस कथनका पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि "इस मामलेमें कांग्रेसके रवैयेके बारेमें किसी प्रकारकी गलतफहमीकी वजहका होना अत्यन्त अवांछनीय है।" और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यसमितिके सदस्य किसी भी तरहकी गलतफहमीसे बहुत बचना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि और कुछ नहीं तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठाकी खातिर ही सही, दिल्ली समझौतेमें कांग्रेसकी तरफसे उन्होंने जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है उसे वे पूरी सावधानीके साथ निभायें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेन्ट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३३/६, १९३१; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

९५. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

मैं आपको इसी २४ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ जिसमें आपने लवण-श्रेणीके दो क्षेत्रों, नूरपुर गॉर्ज और कालाबाग, में नमक-सम्बन्धी रियायत वापस ले लिये जानेकी सूचना दी है।[1] मैं स्वीकार करता हूँ कि इस सूचनासे मैं स्तम्भित रह गया हूँ। मैं समझता हूँ कि स्थानीय अधिकारी लोगोंको पूर्व सूचना दे सकते थे और लोग इसके लिए तैयारी कर लें, तबतक रुक सकते थे। रियायत वापस लेनेका ढंग बहुत रूखा और हठधर्मितापूर्ण लगता है। तथापि मैं इस विषयमें स्वयं जाँच कर रहा हूँ और उसके परिणामसे आपको अवगत करूँगा। अवश्य मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ढुलाईके लिए आदमियोंके सिवा अन्य किसी साधनके प्रयोगको प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

९६. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

कानपुरमें धरनेसे सम्बन्धित मेरे इसी २४ तारीखवाले पत्रके[2] साथ जो संलग्न सामग्री थी इसके बारेमें वहाँके मंत्रीने अब यह सुधार लिख कर भेजा है कि वह फोटो मार्चके मध्यमें नहीं बल्कि मईकी ५ तारीखको ली गई थी।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३८७, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. श्री इमर्सनने लिखा था कि लोगोंने दी गई रियायतोंका दुरुपयोग किया है और ऊँटों और गधोंपर लाद-लाद कर बड़ी मात्रामें नमक ढो ले गये हैं।

२. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", १८-६-१९३१ भी।

९७. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

यह पत्र पंजाबीकी हैसियतमें आपसे एक अपील है। एक कैदी है, जिसका नाम पंडित जगतराम[1] है, जो १९ सालसे अधिक कैद भोग चुका है। मेरा सबसे छोटा लड़का, जिसे सविनय अवज्ञा सत्याग्रहीके रूपमें दिल्लीमें गिरफ्तार करके दो सालकी सजा दी गई थी, अन्य अनेक सत्याग्रहियोंके साथ गुजरात जेलमें था। वह मुझे बताता है कि पंडित जगतराम अत्यन्त निर्दोष व्यक्ति हैं जिनके अन्दर कोई अराजकतावादी प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। उनके पिताकी इसी २२ तारीखको मृत्यु हो गई है। उनकी माता और भाईकी मृत्यु उनके पितासे पहले हो चुकी थी। अब केवल [भाईकी] विधवा बची है। मैं सुनता हूँ कि पंजाब सरकारको कई प्रार्थनापत्र दिये जा चुके हैं। किसीको पता नहीं कि पंडित जगतरामको अभीतक क्यों नहीं छोड़ा गया है। इस मामलेका समझौतेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस मामलेको आपके ध्यानमें केवल आपकी मानवीयतासे अपील करनेकी खातिर और यह अनुरोध करनेकी खातिर ला रहा हूँ कि यदि आप समझें कि बिना किसी कठिनाईके आप पंजाब सरकारमें अपने मित्रोंसे इस मामलेमें कुछ कह सकते हैं तो अवश्य कहें। मैं आपको मामलेका ब्यौरा देकर परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि पंजाब सचिवालयको उनकी अच्छी तरह जानकारी है।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६७९) से। ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६–बी, १९३१ से भी; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. अमेरिकामें लाला हरदयालके प्रमुख सहयोगी; देखिए "एक पुराने राजनीतिक कैदी", ९-७-१९३१।

२. श्री इमर्सनने इसके उत्तरमें लिखा: "भारत सरकारकी रायमें यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें स्थानीय सरकारके निर्णयमें हस्तक्षेप करना उचित हो, विशेष रूपसे भारतमें आतंकवादी आन्दोलनकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए।"

९८. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

पूनाके श्री एस० बी० जोशीने मुझे उस प्रार्थनापत्रकी एक प्रति भेजी है जो उन्होंने पिछले माहकी २१ तारीखको गवर्नर महोदयको भेजा था। २३ अप्रैल, १९३० को सविनय अवज्ञा आन्दोलनके कारण उन्होंने रोहरी कनाल, नं० ४ डिवीजनमें अस्थायी सुपरवाइजरके पदसे इस्तीफा दे दिया था। परिणामस्वरूप उनका नाम एक सामान्य निषेधके तहत रख दिया गया जो, लगता है, ऐसे सभी व्यक्तियोंके विरुद्ध घोषित किया गया था। मैं यहाँ उस निषेधाज्ञाकी एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ। मेरी रायमें समझौतेकी शर्तोंके अनुसार इस निषेधाज्ञाको बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। क्या आप कृपा करके इस मामलेमें सरकारके इरादेकी सूचना देंगे?[१]

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल
बम्बईके गवर्नरके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ४, १९३१, भाग २; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. श्री मैक्सवेलने २१ जुलाईको उत्तरमें लिखा कि सरकार उस निषेधाज्ञाको रद कर रही है जिसके तहत एस० बी० जोशीपर सरकारी नौकरीमें शामिल होनेकी स्थायी रोक लगा दी गई थी।

९९. पत्र : जी० फिडले शिराजको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

मेरे पत्रके उत्तरमें आपके इसी २५ तारीखके पत्रके लिए आपका धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपने सातको छोड़कर बाकी सभी छात्रोंको दाखिल कर लिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ स्थानकी कमीका कोई सवाल नहीं है। जहाँतक आन्तरिक अनुशासनका सवाल है, मैं समझता हूँ कि जिसे आप अनुशासन-हीनता समझते हैं वह कमोबेश सभी छात्रोंमें मौजूद थी। लेकिन जो चीज शायद आपके मनमें है वह यह कि ये सात छात्र सबोंके सरगना थे। मैं कहूँगा कि यदि अन्य छात्रोंको लेना ठीक था, तो जो सरगना थे उन्हें बाहर रखना गलत होगा। दिल्ली समझौतेमें नेताओं और साधारण कार्यकर्त्ताओंके बीच ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप शेष छात्रोंको भी ले लें और सम्भावित संकटको बचायें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० फिंडले शिराज
प्रिंसिपल, गुजरात कालेज
अहमदाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८१९) से।

१००. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

स्थायी पता : साबरमती
३० जून, १९३१

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला।

अगर मैं वहाँ आया तो मैं उन तमाम मामलोंसे निपटूँगा जिनकी चर्चा तुमने बम्बईकी मिलोंकी तुलनामें लंकाशायरकी मिलोंका जिक्र करते हुए की है। मैं तुम्हारे पत्रके कुछ अंशोंका उत्तर 'यंग इंडिया' में भी शायद दूँ।

मेरे लन्दन जानेके बारेमें अभी भी कठिनाई बनी हुई है। सरकारसे अभी कुछ करवा सकना वैसा ही है जैसा जिन्दा दाँत उखाड़ना। लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके कठिनाइयाँ दूर की जा रही हैं। मेरा विश्वास है कि वाइसराय हृदयसे चाहते हैं कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह कुछ खास राहत दे सकते हैं।

हाँ, भोजनमें केवल पाँच वस्तुओंकी सीमा और सूर्यास्तसे पहले भोजनका नियम केवल भारतमें ही लागू होता है। अतः लन्दनमें यदि शरीरके लिए आवश्यक हुआ तो मैं ज्यादा विविध प्रकारका भोजन ले सकूँगा। लेकिन जहाँतक दूधका सम्बन्ध है, गायका दूध और भैंसका दूध वर्जित है, और स्वाभाविक ही है कि इनके दूधसे बनी चीजें भी।

सप्रेम,

मोहन

श्री सी० एफ० एन्ड्र्यूज
११२ गोवर स्ट्रीट
लन्दन डब्ल्यू० सी० १

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९७३) से।

१०१. पत्र : एस० सत्यमूर्तिको[1]

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय सत्यमूर्ति,

कार्य-समितिके प्रस्तावके विषयमें मैंने हालमें जो लेख[2] लिखा था उसके सम्बन्धमें आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि यह पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसका उत्तर 'यंग इंडिया' के जरिये सार्वजनिक रूपसे दिया जाना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर आपको 'यंग इंडिया' में मिलेगा।[3]

आपने अपने एक पिछले पत्रका उल्लेख किया है। वह अभी तक मेरे पास पहुँचा नहीं है। हो सकता है कि लगातार स्थान-परिवर्त्तन करते रहनेसे वह एक डाकखानेसे दूसरे डाकखाने तक मेरा पीछा करता रहा हो। यदि वह पत्र किसी महत्त्वका हो तो कृपया उसकी एक प्रति मुझे भेज दीजिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत एस० सत्यमूर्ति
२/१८, कार स्ट्रीट
ट्रिप्लिकेन, मद्रास

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७२१) से; सौजन्य : तमिलनाडु सरकार

१०२. पत्र : अब्दुल गफ्फार खाँको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय खान साहब,

मुझे भारत सरकारसे पता चला है कि नूरपुर गॉर्ज और कालाबागमें लोग इतने बड़े पैमानेपर नमक ढोकर ले जाते रहे हैं जो समझौतेके अनुसार उचित नहीं है, अर्थात् ऊँटों और गधोंपर ढोकर। ढोआईके ऐसे किसी साधनकी अनुमति

१. इस पत्रकी एक फोटो-नकल १९६९-७० में नई दिल्लीमें आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनीमें प्रदर्शित की गई थी।

२. देखिए "सार और छाया", १८-६-१९३१।

३. देखिए "सत्ता साध्य नहीं है", २-७-१९३१।

नहीं है। लोग अपनी जरूरतके लिए या अड़ोस-पड़ोसके इलाकोंमें गरीब लोगोंके बीच बेचनेके लिए अपनी पीठपर पैदल नमक ढो सकते हैं। बेचनेके लिए सवारीका इस्तेमाल करनेकी इजाजत नहीं है। इसके फलस्वरूप सरकारने मुझे सूचित किया है कि इन दो क्षेत्रोंसे रियायत वापस ले ली गई है। कृपया जाँच करें और मुझे फौरन सूचना दें, आवश्यक हो तो तारसे, कि वास्तवमें क्या हुआ है।

हृदयसे आपका,

खान अब्दुल गफ्फार खाँ साहब
उटमंजई, चारसद्दा (जिला पेशावर)

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६–बी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१०३. पत्र: कृष्ण गोपालको

बोरसद
३० जून, १९३१

प्रिय लाला कृष्ण गोपाल,

आपका तार मिला। मैंने इस मामलेमें कार्रवाई की है।[1] मेरे प्रयत्नोंको कितनी सफलता मिलेगी, मैं नहीं जानता। कृपया लोगोंमें इसकी कोई चर्चा न करें। मैं शायद अगले हफ्ते 'यंग इंडिया' में इस मामलेपर लिखूँगा[2], बशर्ते कि पंडित जगतरामको उससे पहले रिहा न कर दिया गया।

हृदयसे आपका,

लाला कृष्ण गोपाल
स्यालकोट (पंजाब)

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६–बी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए पृष्ठ ८९।
२. देखिए "एक पुराने राजनीतिक कैदी", ९-७-१९३१।

१०४. पत्र : प्रभावतीको

बोरसद
३० जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें कलकत्ता जानेके विचारका विरोध करना चाहिए। तुम उनसे साफ-साफ कह दो कि आश्रम पहुँचकर तुम ठीक हो जाओगी। इससे यह प्रकट होता है कि मानसिक वातावरणकी अनुकूलता ही तुम्हारी उपयुक्त दवा है। यह बात यदि तुम दृढ़तापूर्वक उन्हें बता सको तो तुम्हारी सारी समस्याएँ सुलझ जायें।

विद्यावती बीमार रहती है, यह बात समझमें नहीं आती।

मेरी तबीयत अच्छी रहती है। खुराक वही है। राजेन्द्रबाबू मेरे साथ हैं। वे अच्छे हो गये हैं। हम सब ७ तारीखको बम्बई जायेंगे, वहाँ तीन दिन लगेंगे। बम्बईका पता यह है: लेबरनम रोड, गामदेवी, बम्बई।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४१६) से।

१०५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

बोरसद
३० जून, १९३१

यदि मैं लन्दन पहुँचनेमें सफल हुआ, और यदि मुझे लंकाशायर आनेको निमन्त्रित किया गया तो मैं निश्चय ही सारे काम एक तरफ रख दूँगा और लंकाशायर जाऊँगा और वहाँके प्रमुख लोगोंके सामने कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट करूँगा। और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सिलसिलेमें कांग्रेसकी नीतिके प्रति जो भयंकर गलतफहमी पैदा हो गई है उसे दूर करूँगा। ऐसा मान लें कि कांग्रेसकी स्थितिको अन्यथा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं ऐसे प्रस्ताव रखनेके मामलेमें किसी कठिनाईकी कल्पना नहीं करता जो कार्यान्वित होनेपर इंग्लैंड और भारत, दोनों जगह लाभदायक सिद्ध होंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-७-१९३१

१०६. तार : एम० जी० दातारको[1]

[३० जून, १९३१ या उसके पश्चात्]

हेड मास्टर
टी० वी०[2] नागपुर

धर्माधिकारीका बचाव करना चाहिए। पूरा विवरण भेजिए।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३२९) से।

१०७. तार : चतुर्भुज मोतीरामको[3]

[३० जून, १९३१ या उसके पश्चात्]

परस्पर विरोधी तारोंसे मैं उलझनमें हूँ। मतभेद दूर कर लो या कांग्रेसकी सलाह लो।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३३०) से।

१. यह दातारके ३० जूनके तारके उत्तरमें दिया गया था जो इस प्रकार था: "हमारे विद्यालयके शिक्षक और मध्य प्रान्त मराठी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री धर्माधिकारी मध्य प्रान्त हिन्दीमें किसान सम्मेलनमें राजद्रोहात्मक भाषण देनेके आरोपमें गिरफ्तार। धर्माधिकारी कहते हैं उन्होंने भाषण द्वारा समझौतेकी शर्तोंका किसी प्रकार भंग नहीं किया। २५ जूनके **यंग इंडिया**में आपका लेख "सच हो तो भयानक है"। आपकी निश्चित राय चाहते हैं कि धर्माधिकारी अदालतमें अपना बचाव करें या नहीं। कृपया तुरन्त तार दें। . . ."

२. तिलक विद्यालय।

३. यह चतुर्भुज मोतीराम द्वारा ३० जूनको भिवानीसे भेजे गये तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "आपके आदेशानुसार शपथपर दस्तखत किये। कपड़ेको सीलबन्द कर दिया। नेकीराम हर दुकानके सामने चार स्वयंसेवक तैनात करके मिलका कपड़ा बेचनेसे रोक रहा है। नुकसान उठा रहा है। शान्ति भंगकी सम्भावना।"

१०८. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

बोरसद
१ जुलाई, १९३१

दुबारा नहीं पढ़ा

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। अहमदाबादसे चन्देकी कोई आशा न करें। मैं जो चाहूँगा वह यह है कि आप सारी चीजके बारेमें श्री बिड़लासे विचार-विमर्श करें। आपको खादीके कार्यमें और गरीब लोगोंकी दशा सुधारनेके काममें मध्यमवर्गीय बंगालियों और जमींदार-वर्गकी दिलचस्पी पैदा करनेके उपाय भी ढूँढ़ने चाहिए। खादीकार्य अथवा बाढ़-सहायतामें बंगाली दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते? काम करनेके ढंगमें यहाँ कुछ गड़बड़ी है। आपको यह कार्य 'राष्ट्रवाणी'[1] के जरिये करना चाहिए। आप अपने चारों ओर जो विषाक्त वातावरण देखते हैं, उसे हम अपने शुद्ध और सही आचरण द्वारा ही निष्प्रभावी बना सकते हैं। इसमें अपनी खुदीको बिल्कुल खत्म कर देनेकी जरूरत है। जब हम लोग मिले थे, उस समय मैं इन सब चीजोंके बारेमें बात करना चाहता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। मेरे लिए बम्बई इस लिहाजसे शायद सबसे ज्यादा खराब जगह है कि यहाँ मैं किसीके साथ इत्मीनानसे बातचीत कर सकनेकी आशा नहीं कर सकता। मिलनेवाले ऐसे मित्रोंका कभी न खत्म होनेवाला ताँता बँधा रहता है जिन्हें मैं रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आप खिन्नमन या हताश हो गये हों तो आप कोई समय-सीमा निश्चित किये बिना मेरे पास आ जाइए और तबतक ठहरिए जबतक कि हम लोग इत्मीनानसे ऐसी हर सम्भव समस्या पर पूरी तरह विचार न कर डालें जो उपस्थित हो सकती है।

'आत्मकथा'[2] की माँग है, यह तो अच्छी बात है। क्या आप इतनी अच्छी गुजराती जानते हैं कि सीधे उसीसे अनुवाद कर सकें? यदि और कोई 'आत्मकथा' का अनुवाद करनेकी अनुमति माँगेगा तो मुझे उसे आपके पास भेजनेकी जरूरत नहीं है। मैं अनुमति देनेसे साफ इनकार कर दूँगा। मुझे बहुत धुँधली-सी याद है कि शान्तिनिकेतनके अनिल बाबूने वर्षों पहले मुझसे अनुमति प्राप्त की थी।

मुझे खुशी है कि आपका वजन और ताकत बढ़ रही है। 'गीता' के दूसरे अध्यायके श्लोकोंमें उपवासके बारेमें जो श्लोक[3] है, और जिसे हम लोग हर शाम गाते हैं, उसे याद रखिए। एक हदतक तो उपवास ठीक है। लेकिन यदि सत्य और अहिंसाकी

१. बंगला साप्ताहिक, जिसके सम्पादक सतीश बाबू थे।

२. **आत्मकथा**; देखिए खण्ड ३९।

३. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ —२/५९

अपनी समझके बारेमें हमारे मनमें शंका है तो जिस क्षण हम अपनी वास्तविक क्षुधा शान्त करना आरम्भ करते हैं, उसी क्षण हम खतरेके बिन्दुपर पहुँच जाते हैं, और हमारा ऐसा मानना कि उपवास या अर्ध-उपवासके कारण हमें सत्य और अहिंसाका ज्यादा सही ज्ञान हुआ है, शुद्ध मतिविभ्रम हो सकता है। कठिन श्रमकी कठिन तथा सुस्पष्ट चिंतनके साथ संगति होनी चाहिए। इसके विपरीत, शारीरिक रूपसे पूरी तरह टूट चुके किसी व्यक्तिके लिए कठिन और सुस्पष्ट रूपसे चिंतन कर सकना मैं असम्भव मानता हूँ। स्वस्थ शरीरमें स्वस्थ मन एक सही सिद्धान्त है।

सप्रेम,

बापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
१५ कालेज स्क्वायर
कलकत्ता

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८९१)से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद
१ जुलाई, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

बारडोलीके पतेपर भेजा गया तुम्हारा २७ जूनका पत्र मुझे मिल गया है। शायद तुम्हें पता नहीं था कि बम्बईसे मैं वापस बोरसद लौट आया था, क्योंकि यह जरूरी हो गया है कि वल्लभभाई और मैं अपने-अपने कामका बँटवारा कर लें। लगातार मौजूदगी और सतर्कताके जरिये खतरेको टाला जा रहा है। लेकिन किसी भी दिन बोरसदमें विस्फोट हो सकता है। दक्षिण आफ्रिकामें मुझे समझौतोंपर अमल करानेका कठिन अनुभव हुआ था। वहाँ हमारे पक्षसे उसका पूर्णतया पालन करानेकी कोशिशमें मैंने बेचारी अपनी खोपड़ी भी तुड़वाई थी[1], और फिर सरकारकी ओरसे उसका किसी हदतक सन्तोषजनक पालन करवानेकी कोशिशमें मुझे अपनेको गिरफ्तार करवाना पड़ा था। लेकिन मेरा खयाल था कि मैं समझौतोंपर अमल करानेकी कला भूल चुका हूँ। तथापि अब मैं पुरानी स्मृतियाँ फिरसे जगा रहा हूँ और मेरे तबके अनेक अनुभवोंकी पुनरावृत्ति हो रही है। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस

१. १० फरवरी, १९०८ को मीर आलम और उसके साथियोंने गांधीजीपर हमला करके उनको घायल कर दिया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ७४।

बातसे मिलता है कि युद्ध हो या समझौता, यदि हम ईमानदारीसे फर्ज पूरा करेंगे तो राष्ट्रका आगे बढ़ना निश्चित है।

मुख्य सचिवको लिखे तुम्हारे सभी पत्र मुझे पसन्द आये। मैं आशा करता हूँ कि गवर्नर तुमसे भेंट करनेको राजी हो जायेंगे।

और यह रही तुम्हारे विरुद्ध एक शिकायत। तुम टाइप की हुई प्रति अपने पास रखो और यदि इसके बारेमें लिखो तो साथ ही उसे मुझे भेज देना या अपने साथ ही उसे लेते आना, और जब हमारी भेंट होगी तब उसके बारेमें मुझे बताना।

बापू

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

११०. एक पत्र

बोरसद
१ जुलाई, १९३१

भाई . . .[1]

. . .[2] के विपरीत आचरणकी बात तुम्हें नारणदासने बताई होगी। यह जानकर तुम्हें दुःख तो अवश्य होगा। मुझे तो . . .[3] से बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं लेकिन मेरे मनकी तो मनमें ही रह गई। उसको मैं पहचान ही न पाया। अब मेरी सलाह है कि उसे तुरन्त बुला लो और जिससे वह विवाह करना चाहे उससे उसका विवाह कर दो। मेरे पास तो तीन-चार अच्छे लड़के थे। अब उनमें से एकको भी उसका हाथ नहीं दिया जा सकता। उस लड़कीके हृदयमें असत्यने प्रवेश कर लिया है इसलिए अब वह किसे सुखी कर पायेगी, सो नहीं कहा जा सकता। उसपर क्रोध न करना। प्रेमसे काम लेना। अन्तमें तो वही होगा जो उसके और हमारे नसीबमें लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२४२) से।

१, २ और ३. नाम नहीं दिये गये हैं।

१११. पत्र : गंगाबहन वैद्यको[1]

१ जुलाई, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुमने पत्र लिखा सो ठीक किया। . . .[1] और . . .[2] ने जो किया और भी ऐसा ही करेंगे। घबराना नहीं। यह समय ही ऐसा है और हमारा प्रयोग खतरोंसे भरा हुआ है। तथापि बड़े कार्य जोखिम उठाये बिना नहीं होते। हमें न तो अपने प्रयोगकी निन्दा करनी चाहिए और न अन्त्यजोंकी। हमें तो यही मानना चाहिए कि हमारी तपश्चर्यामें खामी है, हमारी पवित्रतामें कमी है। हम और भी अधिक पवित्र बननेकी कोशिश करेंगे। हम अच्छे सेवक और सेविका बनेंगे तथा जीवनमें आगे बढ़ेंगे।

हाँ . . . का हाथ . . . के हाथमें देनेका विचार लगभग पक्का हो गया था। लेकिन अच्छा हुआ जो पोल खुल गई . . . और . . . दोनों चले जायें, मैंने यही सलाह दी थी।

ऐसे कामोंमें धीरज रखना। दवा देनेके बाद जिस तरह वैद्य रोगी और दवाको भूल अन्य लोगोंकी सेवामें लग जाता है, हमें उसी तरह करना होगा; करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८० से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

११२. पत्र : युद्धवीर सिंहको

बोरसद

१ जुलाई, १९३१

भाई युद्धवीरजी,

आपने यं० इं०, न० जी० के उर्दू अनुवाद प्रगट करनेका इरादा किया है मुझे पसंद है। और मैं समझा हुं कि अखबारमें कोइ विज्ञापन नहि लिये जायगे न और कोई लेख लिये जायगे। सिर्फ उपरोक्त पत्रके लेखोंका अनुवाद हि आवेगा। यह पत्र से ऐसा न समझा जाय कि मैं आपके अखबारके लिए किसी प्रकारकी जिमेवारी उठाता हुं या तो अनुवादकी शुद्धताके लिये जिमेवार हुं।[3]

१ और २. पत्रमें आये नाम साधन-सूत्रमें नहीं हैं।

३. इस पत्रकी प्रतिकृति **उर्दू नवजीवन**के प्रथम अंक (२५-७-१९३१) में प्रकाशित हुई थी; देखिए "उर्दू नवजीवन", ११-९-१९३१ से पूर्व भी।

आपके साहसमें सफलता चाहता हुं।
पत्र भेजनेमें देर हुइ इसके लिये माफ कीजीयेगा।

आपका,
मोहनदास गांधी

सी० डब्ल्यू० ९३१० से; सौजन्य: डा० युद्धवीर सिंह

११३. अन्धविश्वास मुश्किलसे मरता है

श्री हेनरी ईटन कैलिफोर्नियासे लिखते हैं:[१]

इस पत्रसे दो अन्धविश्वास प्रकट होते हैं। उनमें से एक तो यह है कि भारत अपना शासन स्वयं करनेके योग्य नहीं है क्योंकि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता और वहाँ आपसी फूट फैली हुई है। लेखक महोदय अकारण ही यह मान कर चलते हैं कि यदि ब्रिटेन भारतसे हटा तो रूस उसके ऊपर झपटनेको तैयार बैठा है। यह रूसके लिए अपमानकी बात है। क्या रूसका एक यही काम है कि जिन देशोंपर ब्रिटेन शासन नहीं करता उन देशोंपर खुद शासन करे? और यदि रूसका भारतकी तरफ ऐसा ही दुष्टतापूर्ण इरादा है, तो क्या लेखक महोदय यह नहीं देखते कि जो शक्ति ब्रिटेनको सत्ताच्युत करेगी वही शक्ति अन्य किसीके प्रभुत्वका भी प्रतिरोध करेगी? यदि किसी आपसी समझौतेके जरिये भारतके प्रतिनिधियोंको सत्ता सौंपी जायेगी तो उसमें ऐसी कोई शर्त जरूर होगी जिसके अनुसार ब्रिटेनने जाने या अनजाने भारतको अपनी आत्मरक्षाके योग्य बनानेके मामलेमें जो उपेक्षा इतने सालोंमें बरती है उसके प्रायश्चित्त स्वरूप वह विदेशी आक्रमणसे भारतकी सुरक्षाकी गारंटी देगा।

ऐसे समझौतेके बावजूद भी, मैं व्यक्तिगत रूपसे अपने देश द्वारा किसी आक्रमणकारीका मुकाबला सविनय प्रतिरोधसे कर सकनेकी उसकी क्षमतापर अधिक भरोसा करूँगा, जैसा कि पिछले वर्ष उसने ब्रिटिश अधिपतियोंके विरुद्ध आंशिक सफलताके साथ किया भी था। जब देश मन, वचन और कर्मसे अहिंसाको पूरी तरह आत्मसात कर लेगा तो पूरी सफलता भी मिल जायेगी। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रहकी सफलताका प्रत्यक्ष प्रदर्शन इस बातकी पूर्वपीठिका होगा कि उसे विश्वव्यापी स्तरपर स्वीकार कर लिया जाये, और इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि शस्त्रीकरणकी निरर्थकता स्वीकार कर ली जायेगी। शस्त्रीकरण हिंसाका प्रत्यक्ष प्रतीक है और इसका एकमात्र प्रतिकारक सत्याग्रह है जो अहिंसाका प्रत्यक्ष प्रतीक है। लेकिन पत्र-लेखक महोदय हमारी आन्तरिक फूटसे भी संत्रस्त हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारी फूटकी बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पश्चिमको पहुँचती है। दूसरी बात यह है कि यह फूट विदेशी नियन्त्रणके दौरान गहरी होती है। साम्राज्यवादी शासनके

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

मतलब हैं लड़ाओ और शासन करो। भावनाशून्य विदेशी शासन हटने और ऊष्मा पहुँचानेवाली वास्तविक स्वतन्त्रताकी धूप फैलनेके साथ ही यह फूटका वातावरण पिघल जायेगा।

दूसरा अन्धविश्वास और अधिक गहरा है। मेरा मतलब है चरखेके बारेमें। यह अन्धविश्वास भारतमें भी कुछ लोगोंमें है। लेखक महोदयका यह कहना कि यंत्रोंका तरीका हाथकी मेहनतकी अपेक्षा ज्यादा ज्ञानसम्पन्न तरीका है, विवाद-विषयको पहले ही सत्य मान कर चलना है। यह बात तो अभी सिद्ध होनी है कि मेहनतकी जगह मशीनका उपयोग हर मामलेमें लाभदायक है। न ही यह बात सही है कि जो चीज आसान है वह कठिन चीजकी अपेक्षा बेहतर ही होती है। और यह बात तो और भी असिद्ध है कि हर परिवर्तन लाभजनक है या हर पुरानी चीज त्याग देनेके ही काबिल है।

मैं मानता हूँ कि यंत्रोंका तरीका उस हालतमें हानिकर है जब वही चीज लाखों बेरोजगार लोग आसानीसे कर सकते हैं। भारतके उन्नीस सौ मील लम्बे और पन्द्रह सौ मील चौड़े भू-क्षेत्रमें बिखरे सात लाख गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगोंके लिए यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुरक्षित है कि वे जिस प्रकार अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसी प्रकार अपना कपड़ा भी स्वयं तैयार करें। इन गाँवोंका यदि अपनी बुनियादी आवश्यकताकी वस्तुओंके उत्पादनपर नियन्त्रण नहीं होगा तो जो आजादी उन्हें अति प्राचीन कालसे प्राप्त रही है उसे वे कायम नहीं रख सकते। पश्चिमी पर्यवेक्षक पश्चिमकी दशाओंके आधारपर जल्दबाजीमें यह तर्क पेश करते हैं कि जो चीज उनके यहाँ सही है वही चीज भारतके मामलेमें भी, जहाँ परिस्थितियाँ अनेक महत्त्वपूर्ण दृष्टियोंसे पश्चिमसे भिन्न हैं, सही है। अर्थशास्त्रके नियम दशाओंकी भिन्नताके अनुसार भिन्न ढंगसे लागू किये जाने चाहिए।

यंत्रोंका तरीका निःसन्देह आसान तरीका है। लेकिन इसी कारण वह आवश्यक रूपसे लाभप्रद भी हो, ऐसा नहीं है। ऊपरसे किसी नीची जगहपर उतरना आसान किन्तु खतरनाक है। हाथका तरीका, किसी भी हालतमें वर्तमान मामलेमें, लाभप्रद है क्योंकि वह कठिन है। यदि मशीनीकरणकी धुन जारी रही, तो बहुत सम्भव है कि एक समय ऐसा आयेगा जब हम इतने पंगु और कमजोर हो चुकेंगे कि ईश्वर-प्रदत्त जीवित मशीनोंका उपयोग भूल जानेके लिए हम अपने-आपको कोसेंगे। करोड़ों लोग खेलकूद और व्यायामके जरिये अपनेको शारीरिक दृष्टिसे स्वस्थ नहीं रख सकते। और बेकार, अनुत्पादक और खर्चीले खेलों और व्यायामोंके लिए वे उपयोगी, उत्पादक और कड़े श्रमकी माँग करनेवाले धन्धोंको क्यों छोड़ें? परिवर्तन और मनोरंजनके खयालसे आज ये ठीक हैं। लेकिन जिस भोजनके उत्पादनमें हमारा कोई योग या हाथ नहीं है, उस भोजनको खाने-पचानेके लिए जब नियमित खेलकूद और व्यायाम करना आवश्यक बन जायेगा तब वे ही हमें खटकने लगेंगे।

और अन्तिम बात यह है कि मैं इस मान्यताको स्वीकार नहीं करता कि हर पुरानी चीज बुरी है। सत्य पुराना और दुरूह है। असत्यमें कई आकर्षण हैं। लेकिन

मैं खुशीसे सतयुगके अति प्राचीन स्वर्णिम कालमें वापस जानेको तैयार हूँ। बढ़िया भूरी चपाती उस सफेद रोटीसे कहीं अच्छी है जो परिष्करणकी विभिन्न प्रक्रियाओंसे गुजरनेके बाद अपनी अधिकांश पौष्टिकता खो देती है। पुरानी और फिर भी अच्छी वस्तुओंकी सूची बनाई जाये तो वह कभी खत्म न हो। चरखा ऐसी ही एक चीज है, किसी भी हालतमें भारतके लिए तो है ही।

जब भारत स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर हो जायेगा और प्रलोभनों तथा शोषणसे मुक्त हो जायेगा तब पश्चिम अथवा पूर्वके किसी देशकी लोलुप दृष्टिके लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जायेगा और तब वह व्ययसाध्य शस्त्रीकरणका भार उठाये बिना भी सुरक्षित अनुभव करेगा। भारतकी आन्तरिक अर्थव्यवस्था ही किसी बाहरी आक्रमणके विरुद्ध उसकी सबसे मजबूत दीवार होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-७-१९३१

११४. सत्ता साध्य नहीं है

श्रीयुत सत्यमूर्ति लिखते हैं:[१]

१८ जूनके 'यंग इंडिया' में "सार और छाया" शीर्षक आपके लेखके बारेमें मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे आपके इस वाक्यसे कुछ शंका और चिन्ता होती है: "अतः कार्यसमितिके सामने मैंने यह मत व्यक्त किया था कि कोई सर्वसम्मत समझौता न हो सके तो कांग्रेसको मौजूदा गोलमेज सम्मेलनके जरिये स्वराज्य संविधान प्राप्त करनेकी आशा छोड़ देनी चाहिए और जबतक सभी जातियाँ एक विशुद्ध राष्ट्रीय उपायके ऊपर सहमत नहीं हो जातीं तब तक उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए।" क्या इस बातका अर्थ उग्र साम्प्रदायिकता-वादियोंको बराबर रुकावट डालते जानेकी छूट देना नहीं है?

लेकिन जिस वाक्यसे मैं गहरी चिन्तामें पड़ा हूँ, वह वाक्य तो यह है: "हम अपने उद्देश्यको बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किये हुए, और जो शक्तियाँ हैं, सीधे उन्हींके आधार पर काम करके प्राप्त कर सकते हैं।" मैं अपनी शंकाएँ आपके सामने स्पष्ट करनेके लिए आपके लेखसे निम्नलिखित वाक्य भी उद्धृत करता हूँ। "सीधी कार्रवाईका एक रूप है वयस्क मतदान। दूसरा तथा अधिक शक्तिशाली रूप है सत्याग्रह। यह चीज आसानीसे दिखाई जा सकती है कि जो चीज जरूरी है और राजनीतिक सत्ताके जरिये प्राप्त की जा सकती है वही चीज सत्याग्रहके जरिये ज्यादा जल्दी और ज्यादा निश्चयपूर्वक प्राप्त की

१. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये हैं। देखिए "पत्र: एस० सत्यमूर्तिको", ३०-७-१९३१ भी।

जा सकती है।" मैं आपके विचारसे असहमति व्यक्त करनेका साहस करता हूँ। मैं मानता था और अभी भी मानता हूँ कि कांग्रेस हर चीजसे ज्यादा राजनीतिक सत्ता चाहती है। और ठोस तौर पर कहा जाये तो शराबबन्दीको शान्तिपूर्ण धरनोंकी अपेक्षा सरकारी कार्रवाईके जरिये ज्यादा आसानीसे लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार विदेशी कपड़ेकी दूकान पर धरने बिठाकर खादी और स्वदेशीका प्रचार करानेकी अपेक्षा सरकारी कानून बनानेसे यह काम अधिक अच्छी तरह और अधिक जल्दी हो सकता है, तथा कराची कांग्रेसके मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्तावमें सन्निहित आवश्यक सुधार भी केवल स्वराज्य-सरकार ही लागू कर सकती है।

किसी भी सूरतमें मैं यह नहीं देख पाता कि राष्ट्रको राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेके लिए अपनी सारी शक्ति क्यों नहीं लगा देनी चाहिए।

मेरी दृष्टिमें राजनीतिक सत्ता ही सार तत्त्व है, तथा अन्य सभी सुधारोंकी हम प्रतीक्षा कर सकते हैं और करनी चाहिए। . . .

मैं इस पत्रके लिए आभारी हूँ। इसके बहाने मैं अपनी बात अधिक स्पष्ट रीतिसे कह सकूँगा।

अहिंसामें मेरी अविचल श्रद्धाका अर्थ यह है कि अल्पसंख्यक कौमें यदि सचमुच कमजोर हों, तो उनकी बात मान ली जाये। फिरकापरस्तोंको दुर्बल करनेका उत्तम तरीका यही है कि उनकी बात मानी जाये। उनका विरोध करनेसे वे अधिक शंकाशील बनेंगे, और उनका विरोध तीव्रतर हो जायेगा। जब विरोधकी तहमें लाठीकी धमकी हो, तब सत्याग्रही उसका प्रतिरोध करता है। मैं तो इसीको अधिकसे-अधिक व्यावहारिक और बुद्धिमानीपूर्ण मार्ग समझता हूँ, हालाँकि मैं जानता हूँ कि सामान्य कांग्रेसजनको मैं आज इस बातका इत्मीनान नहीं करा सकता। लेकिन अगर हमें अहिंसाके तरीकेसे स्वराज्य हासिल करना हो, तो मैं जानता हूँ कि इस दृष्टिकोणको मंजूर करना ही होगा।

अब श्रीयुत सत्यमूर्तिकी दूसरी शंकाको लीजिए। मेरे लिए राजनीतिक सत्ता साध्य नहीं है बल्कि हर प्रकारसे जनताकी स्थितिको सुधारनेके अनेक साधनोंमें से एक साधन है। राज्यसत्ताका मतलब है, देशके प्रतिनिधियों द्वारा लोक-जीवनका नियमन करनेकी सत्ता प्राप्त करना। अगर लोक-जीवन इतना अच्छा हो जाये कि अपने-आप ही उसका नियमन होने लगे, तो प्रतिनिधियोंको सत्ता प्राप्त करनेकी आवश्यकता ही न रहे। उस समय एक प्रकारकी प्रबुद्ध अराजकता होगी। उस अराजकतामें हरएक व्यक्ति अपना शासक होगा। वह इस प्रकार अपनेको अंकुशमें रखेगा, जिससे उसके पड़ोसीको किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचेगी। अतः आदर्श राज्य तो वह है जिसमें राजनीतिक सत्ता होगी ही नहीं क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होगा। परन्तु आदर्श कभी पूर्णतया मूर्त नहीं होता। इसीलिए थोरोने कहा था कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कमसे-कम शासन करे।

इसलिए यदि मैं हुकूमत चाहता हूँ, तो वह उन सुधारोंकी खातिर चाहता हूँ, जो कांग्रेस करना चाहती है। यदि सत्ता प्राप्त करनेके लिए देशको मुसलमानों या सिखोंसे संघर्ष करना पड़े, और इस संघर्षमें वह शक्ति खर्च होनेका खतरा हो जिसकी आवश्यकता सुधारोंके लिए पड़ेगी, तो वैसी स्थितिमें मैं निश्चय ही देशको सलाह दूंगा कि वह मुसलमानों और सिखोंको सारी सत्ता ले लेने दे, और स्वयं मैं उन सुधारोंको कार्यान्वित करनेमें ही अपनी शक्ति लगाऊँगा।

यदि हम कांग्रेसके पिछले बारह वर्षोंके कार्योंका सिंहावलोकन करें, तो हमें मालूम होगा कि जिस हदतक कांग्रेसने रचनात्मक कार्यमें सफलता प्राप्त की है, उसी हदतक उसने राज्यसत्ता प्राप्त करनेकी ताकत हासिल की है। मेरी दृष्टिमें राज-नीतिक सत्ताका यही सार-तत्व है। राज्यकी बागडोर पाना तो छायामात्र है, प्रतीक भर है। और यदि यह सत्ता हमें भेंटमें दी जाये और हम बिना किसी योग्यताके उसे ले लें, तो वह हमारे लिए भारस्वरूप ही होगी।

इसलिए मेरे इस वक्तव्यकी सचाईको अब सहज ही समझा जा सकेगा कि "जो चीज जरूरी है और राजनीतिक सत्ताके जरिये प्राप्त की जा सकती है वही चीज सत्याग्रहके जरिये ज्यादा जल्दी और ज्यादा निश्चयपूर्वक प्राप्त की जा सकती है।" लोकमतके अनुकूल बननेसे पहले जो कानून बनते हैं, वे अकसर फिजूल साबित हुए हैं। जहाँ अधिकांश लोग चोर हों, वहाँ चोरीके खिलाफ कानून बनाना व्यर्थ होगा। अतएव धरने आदि कार्यों द्वारा लोकशक्तिका सुसंगठित होना ही सच्चा काम है। यदि राजसत्ता इन सुधारोंसे भिन्न कोई चीज होती तो हमें सुधार कार्य छोड़ कर राजसत्तापर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता। परन्तु हमने इससे उलटा मार्ग ही पकड़ा है। हम तो बराबर इस बातपर जोर देते आये हैं कि स्वराज्य प्राप्त करनेके साधनके रूपमें रचनात्मक काम करते रहना जरूरी है। मेरा पक्का विश्वास है कि मद्यनिषेध या विदेशी वस्त्र-बहिष्कारका कानून तभी बनेगा, जब लोकमत उसकी माँग करेगा। इसके जवाबमें कोई कहेगा कि लोकमत तो आज भी इन दोनों चीजोंको चाहता है, लेकिन चूंकि सरकार विदेशी है, इसलिए वह कानून नहीं बनाती। यह बात आंशिक रूपसे ही सत्य है। इस देशमें लोकमत अभी हाल ही से एक जीवन्त वस्तु बनना शुरू हुआ है और उसके पीछे सत्याग्रहकी सच्ची शक्ति विकसित हो रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-७-१९३१

११५. संयुक्त प्रान्तमें किसानोंपर संकट

उन्नाव जिलेके एक गाँवके जमींदारके खिलाफ पिछले सप्ताह जो शिकायतें छापी गई थीं,[१] उनका पाठकोंको स्मरण होगा। इस दफा मेरे पास और भी गम्भीर समाचार आये हैं, जिनसे पता चलता है कि जमींदारों और ताल्लुकेदारोंको उकसानेमें सरकारी अधिकारियोंका हाथ है। नीचे रायबरेलीके डिप्टी कमिश्नरके हस्ताक्षरोंसे जमींदारोंके नाम जारी किये गये दो गुप्त परिपत्रोंकी[२] सच्ची नकल देता हूँ।

गुप्त
डी० ओ० १२/६

डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस
रायबरेली
१९ जून, १९३१

प्रिय . . .[३]

तजवीज यह है कि . . .[४] पुलिस हल्केके कुछ आन्दोलकों पर केस चलाया जाये। मैं एहसान मानूँगा, अगर आप मेहरबानी करके . . .[५] पुलिस-को हर तरहकी मदद करेंगे।

क्या आप इसके मुताबिक अपने एजेंटों, यानी मैनेजरों और जिलेदारों वगैराके नाम फरमान जारी कीजियेगा?

जमींदारों या सरकारके खिलाफ कांग्रेस, किसान-सभा या पंचायतोंकी किसी भी काबिले एतराज कार्रवाईकी इत्तला . . .[६] थानेमें की जानी चाहिए।

आपको चाहिए कि आप इस मामलेमें अपने मातहतोंको फुर्तीके साथ, उत्साहपूर्वक और निडर होकर काम करनेकी सलाह दें।

आपका सच्चा

डी० ओ० नं० ११

डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस
रायबरेली
१९ जून, १९३१

प्रिय, . . .[७]

मैं देखता हूँ आपके नाम खरीफके बाकी और रबीके मुतालबेके हिसाब-में, सरकार द्वारा मंजूर की गई माफीके अलावा . . .[८] रुपये निकलते हैं। यह रकम बहुत बड़ी है। इस सालकी खास कठिनाइयोंको मद्दे-नजर रखते

१. देखिए "गम्भीर आरोप", २५-६-१९३१।
२. केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये गये हैं।
३ से ८. साधन-सूत्रमें ये स्थान रिक्त हैं।

हुए मैं आपको पहले ही काफी वक्त दे चुका हूँ। मैं एहसान मानूँगा, अगर आप इस बकाया रकमका कमसे-कम आधा इस महीनेके अन्ततक अदा कर देंगे, और बाकी उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। . . .

इन परिपत्रोंसे कांग्रेस और किसान-सभाओंके प्रति द्वेषका भाव स्पष्ट प्रकट होता है। परिपत्रोंमें ताल्लुकेदारोंसे किसानोंके साथ सख्ती करनेको कहा गया है, और उनके काममें सहायता पहुँचानेका वचन दिया गया है। इन परिपत्रोंके क्या अर्थ हैं, हम सब जानते हैं। इनका अर्थ शाब्दिक अर्थसे कहीं अधिक है। इनसे ताल्लुकेदारों और जमींदारोंको मनमानी करनेका परवाना मिल जाता है।

ये परिपत्र गुप्त क्यों हैं? क्या कोई वजह है, जिससे संयुक्त प्रान्तकी सरकारको अथवा डिप्टी कमिश्नरको शरम आती है? या चूँकि ये परिपत्र पर्देकी ओटसे हिंसाके लिए उकसानेवाले हैं इसलिए गुप्त हैं? मेरी रायमें इन परिपत्रोंसे समझौतेका स्पष्ट ही भंग होता है। इन परिपत्रोंसे पता चलता है कि किसलिए उक्त जिलेमें कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके नाम नीचे लिखा असाधारण नोटिस[1] जारी किया गया था।

यह लिखते समय मुझे खबर मिली है कि इस नोटिसको वापस ले लिया गया है। इस नोटिसके यह अर्थ थे कि कांग्रेस अपने तमाम कार्य कतई बन्द कर दे, मानो कांग्रेसके साथ सरकारकी लड़ाई चल रही हो। समझौतेको तोड़नेका यह बिल्कुल स्पष्ट और निहायत खराब ढंग था। भलेके लिए या बुरेके लिए, फिलहाल सरकार और कांग्रेसके दरम्यान सुलह है। और प्रान्तीय सरकारों और जिला हाकिमोंका यह फर्ज है कि वे सुलहका आदर करें। अगर उन्हें समझौता पसन्द नहीं है, या वे समझते हैं कि कांग्रेस समझौतेका पालन नहीं कर रही है, तो उन्हें केन्द्रीय सरकारसे कहना चाहिए कि वह समझौतेसे इनकार कर दे। मैं पाठकोंसे कहना चाहता हूँ कि इस हुक्मके बारेमें भी, जो स्पष्ट ही समझौतेके बिलकुल खिलाफ है, मैंने यह सलाह दी थी कि जबतक मैं केन्द्रीय सरकारसे बात न कर लूँ, और कार्यसमिति कोई निर्णय न कर ले, कोई इस हुक्मका अनादर न करे। इसलिए मुझे खुशी है कि संयुक्त प्रान्तकी सरकारने यह हुक्म वापस ले लिया है। पण्डित जवाहरलाल नेहरूने जोरदार शब्दोंमें संयुक्त प्रान्तकी सरकारका ध्यान इस हुक्मकी ओर दिलाया था।

इस वापसीके साथ ही गुप्त परिपत्र और उनमें प्रतिपादित नीति भी लौटा ली जानी चाहिए। जब मैं नैनीतालमें था, मुझे विश्वस्त रूपसे भी पता चला था कि संयुक्त प्रान्तकी सरकारकी नीति किसीका पक्ष लेनेकी नहीं है। उसने जिला हाकिमोंको हिदायत दी थी कि वे जमींदारों और किसानोंके दरम्यान पूरी-पूरी निष्पक्षताका पालन करें। लेकिन, जैसा कि नीचे लिखी रिपोर्टके संक्षेपसे[2] पता चलता है, उक्त नीतिमें स्पष्ट ही परिवर्तन किया गया है।

१. यह यहाँ नहीं दिया गया है। रायबरेलीके जिला मजिस्ट्रेटने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंको जिलेकी कृषि सम्बन्धी या राजनीतिक स्थितिके बारेमें कुछ बोलने या लिखनेको मना किया था।

२. इसे यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार समझौतेका उल्लंघन किया जा रहा था और रायबरेली जिलेमें किसानोंको सताया और आतंकित किया जा रहा था।

भग्न संधिकी इस दुःखमय कथाकी कुछ दुःखपूर्ण बातें मैंने इस विवरणमें से छोड़ दी हैं।

इस चित्रको पूरा करनेके लिए मैं यह भी कह दूँ कि मैंने, शायद हजारोंकी संख्यामें, किसानोंके नाम जारी किये गये नोटिसोंकी प्रतियाँ देखी हैं जिनमें उन्हें इस बातके लिए आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने अमुक कांग्रेसजनोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखा, तो उनपर मामला चलाया जा सकता है।

और ये सब कार्रवाइयाँ डिप्टी कमिश्नरके नैनीतालसे वापस लौटनेके बाद हुई हैं जहाँ उन्हें गवर्नरसे मिलनेके लिए तलब किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका इस नैनीताल यात्राका जानबूझ कर किये जा रहे उस दमन-चक्रके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जो उक्त रिपोर्टोंसे सिद्ध होता है। जो भी हो, कांग्रेसजनोंकी ओरसे जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए; और जबतक कार्यसमिति परिस्थितिपर विचार न कर ले, तबतक सरकारी हुक्मोंको भंग न किया जाये। कार्यसमितिकी आगामी बैठक इसी ७ तारीखको होनेवाली है, जिसमें वह उस असाधारण स्थितिपर विचार करेगी, जो इधर कई प्रान्तोंमें पैदा हो रही है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-७-१९३१

११६. यूरोपीय युवक

अभी उस दिन बम्बईमें यूरोपीय युवकोंसे जो भेंट हुई उससे मुझे, और मैं जानता हूँ कि सरदार वल्लभभाईको भी खुशी हुई। कई यूरोपीय युवकोंने भारतीय स्थितिका अध्ययन करने, उसपरसे अपने निष्कर्ष निकालने और लोकमतको ढालनेमें अपना योग देनेके विचारसे अपना एक संगठन बनाया है। जैसा कि सच्चे विद्यार्थियोंके लिए उचित ही है, इन सज्जनोंने अपने कार्योंका कोई प्रचार नहीं किया है। वे अपने सामाजिक भोजोंमें सभी दलोंके प्रतिनिधियोंको निमन्त्रित करते हैं और उनके विचारोंको सुनते हैं तथा जहाँ और स्पष्टीकरणकी आवश्यकता होती है वहाँ वे प्रश्न पूछते हैं। वे कोई प्रस्ताव पास नहीं करते, न उन्होंने कोई नीति गढ़ी है। वे हर समस्यापर खुले दिमागसे विचार करते हैं। अपने इस प्रशंसनीय प्रयासके लिए ये मित्र बधाई और प्रोत्साहनके पात्र हैं। मैं उन्हें यह सुझाव देनेका साहस करता हूँ कि यदि वे शीघ्र ही किसी निर्णयपर पहुँचना चाहते हों, यदि उनका इरादा वर्तमान राजनीतिक स्थितिको प्रभावित करनेका है, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अध्ययनके लिए विषयोंका वर्गीकरण कर लें और अपने बीचमें से अमुक सदस्योंको नियुक्त करें जो उन विशिष्ट प्रश्नोंका विशेष रूपसे अध्ययन करें और इस सम्बन्धमें इन विषयोंपर अपना प्रभाव डालनेवाली विभिन्न पार्टियोंके प्रतिनिधियोंसे भेंट करें।

निःसन्देह इस सबका मतलब है कठिन परिश्रम। किन्तु यदि इस अध्ययनका निकट भविष्यमें कोई फल निकलना है तो यह आवश्यक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-७-१९३१

११७. तार : रोहित मेहताको

बोरसद
२ जुलाई, १९३१

रोहित मेहता
वल्लभभाई रोड
अहमदाबाद

प्रिंसिपलके अभी-अभी मिले पत्रका[1] उत्तर देनेके लिए कल यहाँ आपकी उपस्थिति आवश्यक।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६–बी, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

११८. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

बोरसद
२ जुलाई, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

यह रहा रासमें और सम्पत्ति नष्ट किये जानेके बारेमें एक वक्तव्य। आपके बारम्बार दिये गये आश्वासनोंके बावजूद दुष्टता करनेवालोंपर, वे कोई भी हों, कोई प्रभाव पड़ा नहीं दिखता। यदि पुलिस अपना कर्त्तव्य कर रही है तो फिर रास जैसी छोटीसे-छोटी जगहमें शरारत करनेवाले क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। कांग्रेस अधिकारियोंने पाटीदारों पर जो नियन्त्रण लगा

१. प्रिंसिपल शिराजने लिखा था कि उन पाँच छात्रोंकी उपस्थिति जो "कालेजके कार्यमें गड़बड़ी पहुँचानेवाली थी, भविष्यमें भी वैसी ही गड़बड़ी उत्पन्न करेगी।. . . इनमें से दोके हस्ताक्षरोंसे जो नोटिस कालेजमें बँटे हैं और देशी भाषाओंके समाचारपत्रोंमें भी छपे वैसे ही नोटिसोंसे मेरी यह धारणा पुष्ट होती है।. . ." गांधीजी द्वारा इस पत्रके उत्तरके लिए देखिए "पत्र : जी० फिंडले शिराजको", ३-७-१९३१।

दिया है उसके कारण वे विवशता अनुभव करते हैं। यदि उन्हें अपनी मर्जीपर छोड़ दिया जाये तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वे अपनी और अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, लेकिन इसके अर्थ हैं आन्तरिक झगड़े, जिसे यदि तनिक भी सम्भव हो तो मैं बचाना चाहता हूँ। मैं आपके आश्वासनोंको ज्योंका-त्यों स्वीकार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे और शरारत नहीं होगी। किन्तु बार-बार निराशा मिलनेसे इन आश्वासनों परसे भरोसा बिलकुल उठ जायेगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

११९. पत्र: नारणदास गांधीको

बोरसद
२ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र दहला देनेवाला है। लेकिन जिसकी चमड़ी सख्त हो गई हो उसपर क्या चीज असर कर सकती है? . . .को[1] . . .को[2] ले जाना चाहिए। हमसे उसकी देखभाल नहीं की जा सकती; मुझे ऐसा भी लगता है कि . . .को[3] आश्रम छोड़ देना चाहिए।

तुम्हें यदि कुछ और सूझ पड़े तो मुझे लिखना। दोनोंने जो काम किया है वह असह्य है। . . .का[4] विशेष दोष है। दोनों यदि विवाह करना चाहें तो भले करें। यह विवाह आश्रममें तो कदापि नहीं हो सकता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१, २, ३ और ४. नाम नहीं दिये गये हैं।

१२०. तार : कांग्रेस कार्यालय, वेल्लूरको[1]

[२ जुलाई, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

आपका तार मिला। राजगोपालाचारीसे मिलो।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३३५) से।

१२१. तार : स्वदेशी सभा, अहमदाबादको[3]

[२ जुलाई, १९३१ या उसके पश्चात्][4]

नौ तारीख ठीक रहेगी लेकिन समय बम्बई पहुँचनेपर ही निश्चित किया जा सकता है।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३३६) से।

१२२. तार : रामजसमल जौहरमल तथा अन्य लोगोंको[5]

[२ जुलाई, १९३१ या उसके पश्चात्][6]

तारसे[7] पूरा ब्योरा कल पण्डित नेकीरामको भेज दिया।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७३३८) से।

१ और २. यह २ जून, १९३१ को कांग्रेस कार्यालयसे प्राप्त उस तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें कहा गया था: "शराबकी दुकानोंपर धरना दिया जा रहा है। दुकानोंमें दस प्रवेश-द्वार हैं लेकिन सरकार प्रति दुकान पाँचसे अधिक स्वयंसेवकोंपर आपत्ति करती है। निर्देश दें।"

३ और ४. यह तार सभा द्वारा भेजे गये २ जुलाईके तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "खेद है कि अहमदाबादसे कस्तूरभाईकी अप्रत्याशित अनुपस्थितिके कारण कलकी सभा स्थगित करनी पड़ रही है। कृपया तार दें कि बम्बईमें सभाके लिए बृहस्पतिवार ९ तारीख आपको ठीक रहेगी या नहीं।"

५ और ६. २ जुलाई, १९३१ को प्राप्त इस तारके उत्तरमें: "आपके स्पष्ट तारके बावजूद पण्डित नेकीरामने धरना नहीं उठाया है। कोई बिक्री नहीं होने दी जाती। भारी नुकसान उठा रहे हैं। आपके आदेशानुसार सबने प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दिये हैं। माल सीलबन्द कर दिया है।"

७. यह उपलब्ध नहीं है।

१२३. पत्र : सर अर्नेस्ट हॉटसनको[1]

बोरसद
३ जुलाई, १९३१

आपके पिछले माहकी ३० तारीखके पत्रके[2] लिए धन्यवाद। वह मुझे बोरसदमें पुनर्प्रेषित होकर मिला। यदि मेरे लिए समय रहते इंग्लैंड रवाना होनेका रास्ता खुला रहा तो मैं गोलमेज सम्मेलनकी संघीय संरचना समितिमें खुशीसे भाग लूँगा। क्या आप कृपया वाइसराय महोदयको यह सूचित कर देंगे कि दिल्ली समझौतेपर अमल करानेकी समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी चिन्ता बनी हुई है और मेरा लगभग सारा समय इसमें लग रहा है जिसके कारण मैं अनेक ऐसी महत्त्वपूर्ण चीजोंकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जिन्हें समय होनेपर मैं खुशीसे करना चाहूँगा? मेरे पास साथी कार्यकर्त्ताओंकी शिकायतोंका ढेर लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि स्थानीय अधिकारी समझौतेको सन्तोषजनक ढंगसे लागू नहीं कर रहे हैं। मैं इस पत्र-व्यवहारको गोपनीय मानूँगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१२४. पत्र : जी० फिडले शिराजको

बोरसद
३ जुलाई, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

गत ३० तारीखके मेरे पत्रका तुरन्त उत्तर देनेके लिए और साथ ही छात्रोंके ना-दाखिलेके सिलसिलेमें भूल-सुधारके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैंने उनमें से दो छात्रोंसे बात की है, और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें इस बातकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कालेजके काममें कोई गड़बड़ी फैलाई हो, बशर्ते कि गड़बड़ीसे आपका मतलब उस हड़तालसे[3] नहीं है जो कालेजमें हुई थी और जिसमें लगभग सारा कालेज शामिल था। वे मुझे बताते हैं कि यदि वे किसी ऐसे आचरणके दोषी हैं जो लज्जाजनक समझा जायेगा या जिसे अविनयपूर्ण समझा जा सके तो वे समुचित दोष-सुधार करनेको तैयार हैं। वे मुझे विश्वास दिलाते हैं कि

१. बम्बईके कार्यवाहक गवर्नर।
२. देखिए परिशिष्ट २।
३. जो ३ जनवरी, १९२९ को प्रारम्भ हुई थी; देखिए खण्ड ३८।

उन्होंने न तो कालेजमें अनुशासनहीनताको कभी बढ़ावा दिया है और न वैसी इच्छा ही की है। निस्सन्देह वे कट्टर राष्ट्रवादी विचार रखते रहे हैं, जो कि वे अब भी रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया है। वे जो मुझे बताते हैं वह यह है कि जहाँतक कालेजमें उनके आचरणका सवाल है, वह सर्वथा निर्दोष है। मैं यह भी समझता हूँ कि उनके निजी चरित्रके विरुद्ध भी कुछ कहनेको नहीं है। एक ऐसे व्यक्तिके नाते जिसे अपने सार्वजनिक जीवनके पिछले लगभग ४० वर्षोंके दौरान छात्रोंसे बहुत साबका पड़ा है, मैं व्यक्तिगत रूपसे निजी चरित्रको सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ। वे मुझे यह भी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया है जिसे आपत्तिजनक माना जा सके। इसलिए आपके मनमें जो निश्चित आरोप हैं और जिनके कारण आपने उन्हें प्रवेश देनेसे इनकार किया है, यदि आप कृपापूर्वक उन्हें मुझे बतायेंगे तो मैं आभारी होऊँगा। जिन नोटिसोंको आप आपत्तिजनक मानते हैं, उनकी प्रतियाँ आप मुझे भेज सकें तो उसके लिए भी मैं आभार मानूंगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२१) से।

१२५. पत्र : पद्माको

बोरसद
मौन दिवस [३ जुलाई, १९३१][1]

चि० पद्मा,

तेरे दो पत्र मिले। एकमें तूने रंगीन कागजकी माँग की है और दूसरेमें तेरे पत्रमें से एक छोटा टुकड़ा। तू क्यों इस तरह बीमार पड़ती रहती है? क्या तू इसका कारण नहीं मालूम कर सकती?

क्या खाने-पीनेमें कोई फेरफार होता है? संयुक्तप्रान्तसे जवाब मिलनेपर मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२६) से।

१. गांधीजी २८ जून से ५ जुलाई, १९३१ तक बोरसदमें थे। मौनवार ३ जुलाईको पड़ा था।

१२६. पत्र : जी० फिडले शिराजको

बोरसद
४ जुलाई, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

मैं आपके इसी ३ तारीखको भेजे गये एक और पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ। श्रीयुत सी० एच० देसाईको आपने लेकर बहुत अच्छा किया, और मैं चाहूँगा कि आप अन्य छात्रोंके प्रति भी ऐसा ही उदारतापूर्ण व्यवहार करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२४) से।

१२७. पत्र : क० मा० मुन्शीको

बोरसद
४ जुलाई, १९३१

भाईश्री मुन्शी,

आपने पत्र लिखा सो ठीक किया। मैं सर कावसजीको पत्र लिख रहा हूँ।

जो "पाईका भी हिसाब रखते हैं उनका रुपया सलामत रहता है", इस कहावतमें मैं विश्वास रखता हूँ। बाकी तो मुझे अपनी तैयारी क्या करनी है? मुझे तो एक सेवकके रूपमें स्वामीका सन्देश पहुँचाना है। यदि सुननेवाले इस सन्देशपर कान धरेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे तब तो सब-कुछ ठीक ही होगा। लेकिन ऐसे दिन कहाँसे? बिना बादल-बिजलीके बारिश कैसी? अभी तो न बिजली चमक रही है और न आँधी-तूफान ही है और न बादलके आसार ही हैं। लेकिन आप कहिए मुझे किसका अभ्यास करना चाहिए? अभी तो मेरा ध्यान संविधानके प्रश्नकी ओर जाता ही नहीं है। लीलावतीसे कहना कि मेरा मन तो मदुराकी साड़ीकी लेसपर अटका है। राजगोपालाचारी अब लीलावतीके वकील बन गये हैं। लेसके बारेमें उन्हें एक बड़ा निबन्ध लिखनेके बाद अब मैं यह आपको लिख रहा हूँ। यह लेस जब मैं वहाँ आऊँ तब लीलावती मुझे दिखाये। राजाजीने इसको लेकर सूक्ष्म प्रश्न उठाया है और इस बारेमें मेरी राय पूछी है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७५१६) से; सौजन्य: क० मा० मुन्शी

१२८. पत्र : म्यूरियल लेस्टरको

[५ जुलाई, १९३१ से पूर्व][1]

मैं अन्य किसी जगहकी अपेक्षा आपकी बस्तीमें[2] ठहरना पसन्द करूँगा क्योंकि वहाँ मैं उसी प्रकारके लोगोंके बीच रह रहा होऊँगा जिनके लिए मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-७-१९३१

१२९. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्

इस परिषद्ने भावनगरमें अपने ऊपर एक प्रतिबन्ध लगाया था और वह यह कि एक राज्यके विरुद्ध दूसरे राज्यमें कोई टीका नहीं की जानी चाहिए।[3] उस समय यह बात कुछ लोगोंको बुरी लगी थी लेकिन चाहे-अनचाहे सबने इसे स्वीकार कर लिया था। और अब यह अफवाहें सुननेमें आ रही हैं कि इस प्रतिबन्धको दूर करनेके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस प्रतिबन्धको दूर करनेके पक्षमें जो दलील दी गई है वह यह है: प्रारम्भमें यह प्रतिबन्ध जनताकी कमजोरीको देखते हुए लगाया गया था, लेकिन अब जमाना बदल गया है इसलिए उसे हटा दिया जाना चाहिए।

यदि काठियावाड़ राजनीतिक परिषद् इस प्रतिबन्धको हटाना चाहती है तो ऐसा करनेका उसे पूर्ण अधिकार है। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिषद्की बैठक बुलाई जानी चाहिए अथवा कार्यकारी समितिको नियमकी परवाह न कर परिषद्ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे रद करनेका जोखिम उठाना चाहिए। कार्यकारी समितिके सदस्योंको जब साफ तौरपर यह दिखाई देने लगे कि लोकमत ऐसा कदम उठाये जानेके पक्षमें है और वे यह भी महसूस करें कि ऐसे कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए तब कार्यकारी समितिका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसा करे।

यहाँपर तो मैं ऐसा प्रतिबन्ध लगाये जानेके औचित्य-अनौचित्यपर ही विचार करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उस समय जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह दुर्बलताका प्रतीक नहीं था अपितु वह विनयशीलताका प्रतीक था और आज भी है। इस प्रतिबन्धसे राजाओंकी परिस्थितिका ठीक आभास मिलता है। राजाओंकी

१. रायटरने इस पत्रको लन्दनसे ५ जुलाईको प्रसारित किया था।

२. किंग्सले हॉल जो ईस्ट एण्ड, लन्दनमें समाजकल्याण कार्यकर्त्ताओंकी एक बस्ती थी।

३. देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ ५०२।

परिस्थितियोंसे अवगत होना वैसे परिषद्का धर्म भी है, और ऐसा करना उसकी कार्य-दक्षताका परिचायक है। अतः इस प्रतिबन्धके होनेसे परिषद्को कतई कोई नुकसान नहीं है बल्कि इससे तो अनेक लाभ हैं।

अहिंसा और सत्यके मार्गपर चलनेवाला सहज ही इस मर्यादाका पालन करता है और मैं तो यहाँतक कहूँगा कि सत्याग्रही इस मर्यादाका पालन केवल इसलिए नहीं करे कि यह काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्का प्रस्ताव है बल्कि इसलिए करे कि व्यक्तिगत रूपसे भी ऐसा करना आवश्यक है।

अ राज्यकी बुराइयोंकी चर्चा ब राज्यमें करना उसकी निन्दा करना है। यह तो कायरता है। अ राज्यकी बुराइयोंका राज्यमें ही पर्दाफाश करनेमें वीरता है। और अ तथा ब राज्योंमें परस्पर मैत्री होनेके कारण यदि ब की सीमामें अ राज्यकी निन्दा होती है तो उससे दोनोंकी स्थिति विषम बन जाती है। सत्याग्रही अकारण ही किसीको ऐसी विषम स्थितिमें नहीं डालेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि स्थिति ऐसी हो कि यदि अ राज्यमें जाकर उसकी निन्दा नहीं की जा सकती तो उसके लिए कहीं तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जाकर आलोचना की जा सके। पर उसका उत्तर तो स्पष्ट है। समस्त देशी रियासतें ब्रिटिश राज्यके अन्तर्गत आती हैं, इसलिए ब्रिटिश राज्यकी सीमामें रहकर इन देशी रियासतोंकी जी-भर कर आलोचना की जा सकती है और यह अबतक होती रही है।

अतएव, इतने वर्षोंके अपने अनुभवके बाद भी मेरी यही राय है कि भावनगरमें लगाया गया वह प्रतिबन्ध उस समय जितना आवश्यक था उतना ही आज भी है। सत्याग्रहीके लिए तो वह परिषद्के भीतर अथवा बाहर बन्धनकारी ही है। यदि समय सचमुच ही बदल गया है तो हममें उन राज्योंमें जानेकी और जाकर सुधार करवानेकी शक्ति होनी चाहिए। किसी राज्यकी बुराइयोंकी आलोचना उसकी सीमासे बाहर जाकर करनेमें क्या बहादुरी है?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-७-१९३१

१३०. देशी राज्य और सत्याग्रह

मेरे पास दो पत्र पड़े हुए हैं। एक पत्र मेरे नामसे है और दूसरा पत्र भाई किशोरलालके नाम आया है जो उन्होंने मुझे उत्तर देनेके लिए भेजा है।

मुझे जो पत्र मिला है उसका सार यह है:

> अ में चलनेवाले सत्याग्रहको आप रोकते हैं और ब में सत्याग्रह करनेवालोंको आप फटकारते हैं, क में चल रहे सत्याग्रहकी गति आपने धीमी कर दी है और ग में आपने एक अनाड़ीको सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करनेकी अनुमति प्रदान की है। आप अपने-आपको ऐसी विषम परिस्थितिमें डालनेके बजाय फिलहाल सत्याग्रह बन्द करवा कर सब लोगोंको खादीका काम करनेके लिए प्रेरित क्यों नहीं करते और इस तरह सत्याग्रहकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए क्यों नहीं कहते?

भाई किशोरलालको लिखा पत्र लम्बा है और आवेशसे भरा हुआ है:

> कांग्रेसको देशी राज्योंमें काम करनेवाले हम लोग भी खूब मिले हैं। सत्याग्रहके समय मार खानेके लिए हम, जेल जानेके लिए हम; और अब जबकि समझौता हो गया तब हम कूड़ा-करकट बन गये। हमारे पत्रोंको मन्त्री महोदय कूड़ेकी टोकरीमें डाल देते हैं और यदि हम वीरता प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इससे कांग्रेस और सरकारके समझौतेको नुकसान पहुँचता है, भले ही देशी राज्य हमें रौंद डालें। फूलचन्दभाई जैसे महावीर जब अपनी वीरता दिखायें तब ऐसे आदेश जारी हों जिससे उनकी आत्माका हनन होता हो, यह कहाँका न्याय है? यह कैसा समझौता है? क्या इस तरह स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा?

इस लम्बे पत्रका सार मैंने अपनी स्मरणशक्तिके आधारपर दिया है। क्रोध क्षम्य है, क्योंकि पत्रलेखकने दुःखका सामना किया है और क्रोधके आवेशमें उसने वस्तुस्थितिको समझनेका प्रयत्न नहीं किया है।

अब मैं सबसे पहले प्रथम पत्रपर आता हूँ। यह सच है कि चार विभिन्न परिस्थितियोंमें मैंने जुदा-जुदा राय दी हैं जो परस्पर विरोधी दीख पड़ती है। लेकिन असलमें इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। जीवनके प्रयोग भी रसायनके प्रयोगों जैसे होते हैं। रासायनिक प्रयोगोंमें एक ही द्रव्यके प्रमाणमें कमीबेशी होनेसे अलग-अलग वस्तुएँ बनती हैं, उसमें रंच मात्र भी नया द्रव्य मिला देनेसे फिर दुबारा नई वस्तुएँ तैयार हो जाती हैं। उसी तरह जीवनमें भी मनुष्यके भेदको लेकर, देशकालके भेदको लेकर, स्थिति बदलती रहती है और इसीलिए भिन्न-भिन्न मन्तव्य दिये जाते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीवन ही समाप्त हो जाये अथवा जड़वत् बन जाये।

इन सबमें देखनेकी बात यही होती है कि वे समस्त विचार एक ही सिद्धान्तके अनुगामी हैं अथवा नहीं।

जहाँ-जहाँ सत्याग्रह करनेवाले मेरे नियन्त्रणमें थे, जहाँ-जहाँ मेरे नामका उपयोग होता था वहाँ-वहाँ मुझे परिस्थिति-विशेषको देखते हुए भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त करने पड़ते थे और वे सब ठीक थे। चौथे मामलेमें उक्त भाईने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ले ली थी और वह किसी संघमें शामिल न थे। वे तो अपनी ही शक्तिका प्रयोग करना चाहते थे। दोष केवल यही था कि प्रतिज्ञा जल्दबाजीमें ली गई थी। और स्थिति यह थी कि जल्दबाजीसे यदि किसीको नुकसान होता भी तो उन्हींको होता। ऐसी स्थितिमें मुझसे राय पूछी गई थी, भला मैं उनकी प्रतिज्ञाको तुड़वानेका पाप अपने सर क्यों लेता? उन्हें हतोत्साहित कैसे करता? उनकी प्रतिज्ञाकी जाँच करके वह नीति विरुद्ध है अथवा नहीं, इतना ही कहनेका मुझे अधिकार था। इसीसे मैंने अपनी यह राय दी कि मूलतः प्रतिज्ञामें कोई दोष नहीं है और अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना उनका धर्म है।

नियम यह है: जो सत्याग्रह करनेकी प्रतिज्ञा अहिंसाकी विरोधी नहीं है, जिसका नुकसानदेह परिणाम केवल स्वयंको ही भुगतना पड़ सकता है उस प्रतिज्ञाका पालन करना आवश्यक है, फिर भले ही प्रतिज्ञा लेनेवालेने आगा-पीछा न सोचा हो, किसीके साथ सलाह-मशविरा न किया हो और स्वयं अकेला ही जूझनेवाला हो। ऐसे अनामके सत्याग्रही वीर तो जगतमें अनेक हो गये हैं। उनके लिए कोई कीर्तिस्तम्भ नहीं खड़ा करता। उनका नाम इतिहासके पृष्ठोंमें अंकित नहीं होता, उनका नाम अखबारोंमें भी प्रकाशित नहीं होता। उनका नाम तो ईश्वरकी पुस्तकमें दर्ज किया जाता है और उनके बलपर ही यह जगत टिका हुआ है, इतना हमें निश्चित समझना चाहिए। ऐसे लोगोंके काममें हस्तक्षेप करनेवाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, वह अन्धकूपमें पड़ा हुआ है और जरूरतसे ज्यादा समझदार बनकर वह पुरुषार्थमें बाधक होता है।

नियमका इस तरह निरूपण करनेसे वह सुन्दर दीख पड़ता है। लेकिन उसे व्यावहारिक रूप देनेमें, अपने साथियोंका दिशा-निर्देश करनेमें मुझे हर पल धर्मसंकटका सामना करना पड़ता है। "जहाँ कोई वृक्ष न हो वहाँ अरण्ड प्रधान होता है", इस न्यायके अनुसार ज्यादा समझदार नेताके अभावमें मैं अपने साथियोंके प्रति काजी जैसा व्यवहार करता हूँ और उन्हें फतवे देता रहता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मेरे इन विचारोंसे अभीतक न तो साथियोंको ही कोई नुकसान पहुँचा है और न जनताको ही पहुँचा है अपितु दोनों इससे लाभान्वित ही हुए हैं, दोनों आगे बढ़े हैं। मेरे विचारोंका अनुकरण करनेसे मेरे साथियोंको अनेक बार दुःख उठाना पड़ा है लेकिन उनमें से अधिकांश लोगोंका यह अनुभव रहा है कि वह दुःख अन्ततोगत्वा सुखके लिए ही था।

सरकार और कांग्रेसके बीच हुए समझौतेका देशी राज्योंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। देशी राज्योंमें कोई आन्दोलन ही नहीं हुआ; इसलिए समझौतेकी एक भी शर्त देशी राज्योंपर लागू नहीं होती। यदि सरकार ऐसा करना चाहती भी तो उसे राज्योंको बाँधनेका अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए तात्विक दृष्टिसे देशी राज्य

अथवा उनकी रैयत किसी भी प्रकारसे समझौतेसे बँधे हुए नहीं हैं। फलतः जिस तरह देशी राज्योंपर समझौतेका कोई अंकुश नहीं है उसी तरह रैयतपर भी नहीं है। रैयत सत्याग्रह कर सकती है, सविनय अवज्ञा कर सकती है।

लेकिन ऐसे अधिकारका होना एक चीज है और उसपर अमल करना दूसरी चीज है। सत्याग्रह करना उचित है अथवा नहीं, सत्याग्रह करनेवालेमें योग्यता है या नहीं, इसका निर्णय तो जिस विषयको लेकर सत्याग्रह करना है उसको देखनेके बाद ही किया जा सकता है। और जब साथी लोग मुझसे सलाह माँगते हैं तब मुझे उनका मार्गदर्शन करना ही पड़ता है और अनेक बार तो यह कहकर भी कि उन्हें सत्याग्रह करनेका अधिकार है, यह भी कहना पड़ता है कि सत्याग्रह करनेका न तो अभी कोई समय है और न कोई प्रसंग ही।

मैंने पहले जो विचार प्रकट किये हैं सामान्यतया आज भी मेरे विचार वही हैं। देशी राज्योंकी रैयत यदि विनयपूर्वक इस समय जितने सुधार करवाये जा सकते हों उन्हें करवा कर सन्तुष्ट रहे, रचनात्मक कार्योंमें लगी रहे तो उन्हें इच्छित स्थान जल्दी मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्यके अधीनस्थ हिन्दुस्तान जब स्वराज्य प्राप्त कर लेगा तब देशी राज्योंके अनेक प्रश्न उसीके साथ सुलझ जायेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

देशी राज्योंमें रचनात्मक कार्य करनेवाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, यह शोचनीय है। जिसने रचनात्मक कार्य करना नहीं जाना हो उसने सत्याग्रहका पहला पाठ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं होता। मेरे लिए रचनात्मक कार्यका अर्थ है चरखा और खादी, रचनात्मक कार्य अर्थात् अस्पृश्यता निवारण, रचनात्मक कार्य अर्थात् मद्यपान निषेध, रचनात्मक कार्य अर्थात् हिन्दू-मुसलमानोंमें परस्पर मैत्री। जो सेवाभावमें, प्रेममें पगा हुआ नहीं है वह सत्याग्रह क्या करेगा? ऐसे स्वयंसेवकोंकी संख्या ब्रिटिश भारतमें भी कम ही है और देशी रियासतोंमें तो और भी कम है। इसलिए वहाँ सत्याग्रह करनेकी सलाह देते हुए मुझे संकोच होना स्वाभाविक ही है।

लेकिन जो लोग मेरी सलाह माँगने अथवा उसका पालन करनेके लिए बँधे हुए नहीं हैं उनपर यह लेख लागू ही नहीं होता। जिसके स्वभावमें ही अहिंसा है, जो सहज ही सत्याग्रही है, जिसके रोम-रोममें सत्य व्याप्त है, जो सेवाकी मूर्ति है वह समस्त संसारके लिए वन्दनीय है। उसे मेरी सलाहकी जरूरत नहीं है और यह कहनेकी भी कोई जरूरत नहीं है कि उसे अपनी इच्छानुसार सत्याग्रह करनेका अधिकार है।

लेकिन जो क्रोधसे, मदसे भरे हुए हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रामें अहंभाव है और आवेशमें आकर जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उन्हें मैं अवश्य कहूँगा कि 'धीरज रखो'। अनजाने भी यदि तुम सोचे-समझे बिना कोई कदम उठाओगे तो उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। इतना ही नहीं, अभी जो थोड़े बहुत संयमसे काम लिया जाता है, वह भी टूट जायेगा और उस समय आनेवाली पीढ़ियाँ, जो तथाकथित सत्याग्रहसे पीड़ित होंगी, हमें शाप देंगी और सत्याग्रहको कोसेंगी। इसलिए प्रत्येक विचारवान व्यक्तिको चाहिए कि वह सत्याग्रहकी मर्यादा को जान ले। अथवा आप सत्याग्रहका नाम छोड़

दें और स्वेच्छापूर्वक आचरण करें। जगत आपको जान जायेगा। लेकिन सत्याग्रहके नामपर और जो उसे शोभा न देते हों ऐसे कामोंसे तो संसार भी सन्तप्त होगा, परेशान होगा और उसे अपनी दिशाका भान भी न रहेगा।

अब रहा दूसरा पत्र। उसका अधिकांश उत्तर तो ऊपर दिया जा चुका है। कांग्रेसने तो देशी राज्योंमें कोई दखल दिया ही नहीं। कांग्रेसने देशी राज्योंमें किसीको सत्याग्रह करनेसे रोका भी नहीं। यदि किसीने रोका भी हो तो मैंने ही रोका है और जहाँ ऐसा किया गया है उसके पीछे कोई-न-कोई कारण रहा है।

जिन लोगोंने गत आन्दोलनमें भाग लिया उन्होंने कांग्रेसपर अथवा किसी अन्य व्यक्तिपर उपकार नहीं किया है। यदि उपकार किया ही कहा जाये तो उन्होंने अपना ही किया है। इस आन्दोलनमें भाग लेना हर भारतीयका फर्ज था। शासनने हिन्दुस्तानके चार भाग किये हैं। अंग्रेजी, देशी, पुर्तगीज और फ्रांसीसी। पर प्रकृतिने हिन्दुस्तानको एक ही बनाया है। शासन भले ही 'यह तेरा और यह मेरा' की नीतिको मानता रहे लेकिन हम तो एक ही हैं। हमारा यदि मुख्य अंग स्वतन्त्र हो जाता है, स्वराज्य हासिल कर लेता है तो अन्य अंग स्वयमेव पुष्ट हो उठें। इसलिए देशी राज्योंमें और देशी राज्योंसे बाहर रहनेवाले हम सब लोग ब्रिटिश खण्डमें अपनी समग्र शक्तिका प्रयोग करें और स्वराज्य प्राप्त करें तो देशी राज्योंमें अनेक सुधार खुद-ब-खुद हो जायेंगे। इसके विपरीत यदि हम देशी राज्योंमें अनुचित सत्याग्रह करते हैं और प्रजा-शक्तिका अपव्यय करते हैं तो स्वराज्य हमसे दूर हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-७-१९३१

१३१. दिगम्बर साधु

नग्नावस्थाके बारेमें मैंने जो लेख लिखा है उसके सम्बन्धमें मुझे अनेक पत्र मिले हैं जिसमें उसकी आलोचना की गई है। किसी-किसी पत्र-लेखकने तो क्रोध भी व्यक्त किया है और किसी-किसी व्यक्तिने मुझे यह भी सुझाव दिया है चूँकि मेरे इन विचारोंसे दिगम्बर जैन भाइयोंकी भावनाओंको ठेस पहुँची है इसलिए मुझे अपना लेख वापस ले लेना चाहिए।

मैंने तो केवल धार्मिक भावनासे प्रेरित होकर वह लेख[1] लिखा था। ऐसे लेखोंको मित्रोंके दुःखका शमन करनेके लिए भी वापस नहीं लिया जा सकता। और यदि ऐसा होने लगे तो धर्मकी मधुर चर्चा हो ही नहीं सकती। मेरा कहना यह है कि सरदारके वचन कानून नहीं हैं। स्वराज्य मिलनेपर लोकमत जैसा होगा उसीके अनुसार [कार्य] होगा। ऐसे किसी भी कानूनकी मनाही होगी जिससे धार्मिक भावनाको ठेस पहुँचती हो और इस बातपर भी विचार करना आवश्यक होगा कि

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ २७४-५।

धार्मिक भावना किसे कहा जाये। इसका विचार भी अदालतें ही किया करेंगी। मेरे जैसे लोग तो चर्चा करके लोकमत ही तैयार कर सकते हैं। अतएव दिगम्बर जैन भाइयोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे तटस्थ भावसे इस विषयपर चर्चा करें तथा अन्य लोगोंको भी करने दें।

जैन-धर्मके प्रति मेरा दृष्टिकोण इतना पक्षपातपूर्ण है कि अनेक लोगोंने मुझे जैन ही माना है। किसी अपरिचित जैन सभामें मुझे मान प्रदान किया जा रहा था जिसका कि मैं योग्य-पात्र नहीं था, उस मानको स्वीकार न करनेके उद्देश्यसे जब मुझे उनसे यह कहना पड़ा कि 'मैं जैन नहीं हूँ' तब मेरे आसपास बैठे जैन लोगोंको आश्चर्य हुआ था और आघात भी पहुँचा था। दिगम्बर मतके प्रति मेरे मनमें आदरभाव है। मैंने दिगम्बर ग्रन्थोंका थोड़ा-बहुत अध्ययन भी किया है। एक आदर्शके रूपमें नग्नावस्था मुझे प्रिय है। मैंने अपने बच्चोंको इरादतन नंगा रखा है। इसलिए सबको यह मान लेना चाहिए कि मैंने इस विषयपर जो भी अभिप्राय व्यक्त किया है वह मित्र-भावसे और केवल धर्म-रक्षाके हेतुसे ही किया है। मेरी यह राय गलत हो सकती है। अतः जिन्हें मेरे विचार पसन्द न हों वे अवश्य उनका त्याग कर सकते हैं लेकिन उन्हें मुझपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध धर्म-सम्बन्धी अथवा अन्य विचारोंको समझनेमें बाधा उपस्थित करता है और इसलिए त्याज्य है।

अब मैं मूल विषयपर आता हूँ। आषाढ वद ४ के 'जैन मित्र' की टीका सरल भावसे लिखी गई है।[1] अन्य लोगोंने जो-कुछ कहा है उसका भाव इसमें आ जाता है इसलिए मैं उसका जवाब देकर सन्तोष मानूँगा। जिन्होंने यह लेख नहीं पढ़ा है उन्हें कदाचित इसका उत्तर समझनेमें दिक्कत होगी, इसलिए मैं पाठकोंको सलाह दूँगा कि वे वह लेख लेकर पढ़ डालें।

दिगम्बर साधु निर्विकार हों यह सम्भव है, लेकिन वे सबके-सब निर्विकार होते ही हैं इस कथनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी तो यह मान्यता है कि साधुता होनेका दावा ही नहीं किया जा सकता। साधुता तो स्वयंसिद्ध होती है और जो साधुता प्रमाण माँगती है या दावा करती है वह तो साधुता ही नहीं है। सच्चे साधुको तो इन सबकी गरज न पड़े। दिगम्बर साधुओंमें तो इस साधु भावकी पराकाष्ठा होनी चाहिए। उसे किसी सहारेकी क्यों जरूरत हो? ऐसी दिगम्बरताको कानून और अदालतोंकी रक्षाकी गरज नहीं होती। जो सहज ही निर्विकार हैं वे किसीका ध्यान आकर्षित करें यह बात ही अपने-आपमें एक आश्चर्य है। मान लिया जाये कि इस युगमें ऐसे लोगोंकी ओर ध्यान जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है तब यदि ऐसे व्यक्तिको कचहरीमें अथवा जेलमें जाना ही पड़ता है तो इसे तो उसे अपनी दिगम्बरताकी उत्कृष्टता सिद्ध करनेका सहज-प्राप्त अवसर समझना चाहिए।

साधु असली भी होते हैं और नकली भी। नकली साधुओंका तो कोई अन्त ही नहीं है। पर दोनोंमें भेद कौन करेगा? कोई भी नंगा फिरता हो, क्या

१. यह परमेष्ठी दासने लिखी थी; देखिए "टिप्पणिया" २१-६-१९३१ का उपशीर्षक "नग्नावस्था और समाज"।

हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? ऐसा न करनेसे क्या अनर्थ न होगा? विकारी मनुष्य नग्न रह ही नहीं सकता, यह कथन ठीक नहीं कहा जा सकता। मर्यादाको छोड़ देनेके बाद विकारी मनुष्य लज्जाको भी क्यों नहीं छोड़ देगा। विकारी स्थितिमें भी नग्न रहनेमें वह क्यों हिचकिचायेगा? सामान्यतया नग्नावस्थाके समर्थक तो ऐसा मानते हैं कि विकारी स्थितिमें भी स्त्री-पुरुषोंके नंगे रहनेमें कोई हानि नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि विकार ही मनुष्यकी सामान्य स्थिति है इसलिए नग्नावस्थासे जो विकारमें वृद्धि होती है उसमें लांछन माननेका कोई कारण नहीं है। जबकि विकार सामान्य वस्तु है तो उसकी तृप्ति भी सामान्य बात ही होगी। अतएव नग्नावस्थामें तनिक भी दोष नहीं है ऐसा यह भोगप्रिय — भोगको धर्म माननेवाला — सम्प्रदाय मानता है। क्या मर्यादाशील, संयमी दिगम्बर जैन इस भोगप्रधान धर्मका समर्थन करनेके लिए तैयार हैं? क्या वे समाजको विषयोंमें लीन देखना चाहते हैं? क्या ऐसी स्थितिके लिए वे उत्तरदायी होंगे? मुझे विश्वास है कि इसको पढ़ते हुए भी उन्हें कँपकँपी छूटेगी। इसलिए यदि वह गहरेमें उतरेंगे तो देखेंगे कि इस युगमें गुह्येन्द्रिय ढँकनेकी जो प्रथा है उसकी रक्षा करना धर्म है; इसलिए अच्छा होगा कि लौकिक मर्यादाकी खातिर दिगम्बर साधु थोड़े समयके लिए लंगोटी धारण करें अथवा नग्न विचरण करते हुए जो कष्ट उठाना पड़े सो उठायें लेकिन इस बातकी ऊहापोह न करें। यदि हम सामाजिक मर्यादाका पालन करनेमें विश्वास करते हैं तो जैन हों अथवा जैनेतर, हम नग्नावस्थाको व्यवहारमें नहीं उतार सकते और यदि हम इसमें अपवाद करते हैं तो भी संकट मोल लेते हैं। इसलिए हम अपवाद नहीं रखें।

"बच्चे नंगे रहते हैं सो क्यों? उन्हें कौन रोकता है?" यह तुलना दोषपूर्ण है। बच्चे स्वभावसे ही निर्विकार होते हैं। करोड़ों साधुओंमें से कोई एक बहुत अभ्यासके बाद इस निर्विकार भावको प्राप्त हो पाता है। समग्र संसारमें ही बालक तो नग्न रहते हैं। साधुओंमें भी नग्नावस्था अपवाद रूप है। बच्चोंमें विकारका होना असम्भव है, जबकि साधु मात्रमें विकारका होना असम्भव नहीं है। बच्चोंको अन्धा व्यक्ति भी पहचान सकता है। साधुको तो आँखवाला भी कदाचित् ही कोई पहचान पाता है। अतः बच्चोंकी नग्नावस्थाका यह उदाहरण निर्णय करनेमें हमें मदद नहीं करता। इसके विपरीत वह यह बताता है कि जो नग्नावस्था बाल्यावस्थामें शोभा देती है वही शैशव बीत जानेपर शोभा देना तो दूर, मनुष्यकी लज्जाका कारण बनती है।

अतः एक शुद्ध साधुकी नग्नताकी पूजा करते हुए भी मैं इतना अवश्य मानता हूँ कि दिगम्बर समाजके आचार्य जरा गहरा विचार करें और जो साधु समाजमें विचरण करते हैं उनके लिए गुह्येन्द्रिय ढँकनेका कोई मार्ग खोज निकालें तो इसमें धर्मकी रक्षा होगी और साधुओंकी शोभा। पर यदि ऐसा नहीं किया जा सकेगा तो भी उसकी सार्वजनिक चर्चा करना तो हानिकर ही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-७-१९३१

१३२. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बोरसद

५ जुलाई, १९३१

आपको 'यंग इंडिया' मिल रहा है ऐसा मानकर उसकी उन प्रतियोंको नहीं भेज रहा हूँ जिनमें प्रान्तीय सरकारों द्वारा समझौता भंग किये जानेकी घटनाओंका विशेष उल्लेख किया गया है। आजके समाचार-पत्रमें यह पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि रायबरेलीके डिप्टी कमिश्नर द्वारा तालुकेदारोंके नाम भेजे गये दो गोपनीय पत्रोंको[1] वापस ले लिया गया है। यह बात अच्छी तो है। लेकिन इतना निस्सन्देह ही काफी नहीं है। सभी कांग्रेसियोंपर बोलनेका प्रतिबन्ध लगा देना, उनकी गिरफ्तारियाँ, किसानोंके नाम सैकड़ों नोटिसोंका जारी किया जाना अशुभ लक्षण हैं, और इससे जो स्थिति पैदा हुई है मुझे उससे अत्यन्त घबराहट हो रही है। प्रान्तोंसे जो खराब खबरें मिली हैं उनसे इन अशुभ लक्षणोंकी पुष्टि होती है। इनमें से कुछ मामलोंको मैंने आपकी जानकारीमें ला दिया है। यहाँकी स्थितिसे भी मैं चिन्तित हूँ, हालाँकि मैं जबर्दस्त धीरजसे काम लेकर और लगातार यहाँके अधिकारियोंसे मिलते रहकर अपनी व्यथाको दूर करनेकी कोशिश करता रहा हूँ। पता नहीं कि स्थितिको सुधारनेमें आप सहायता दे सकते हैं या नहीं। मैंने जिस पंचायत मण्डलका सुझाव दिया उसकी नियुक्ति ही मुझे इसका एकमात्र उपाय प्रतीत होता है। बहुतसे मामले तय करनेको पड़े हुए हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१३३. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

स्थायी पता : साबरमती

५ जुलाई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

रासके पुराने मुखीकी पुनर्नियुक्तिसे सम्बन्धित मेरे प्रार्थना-पत्रके सन्दर्भमें खेड़ाके कलेक्टर श्री भद्रपुरने मुझे लिखा है कि मतादारोंकी[2] पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी। इसका मतलब मैं यह समझता हूँ कि न केवल पुराने मुखीकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी बल्कि पुराने मतादारोंमें से भी किसीको मुखी नियुक्त नहीं किया जायेगा। श्री भद्रपुरके सामने यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकारी आदेशोंका अर्थ यह भी है कि

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तमें किसानोंपर संकट", २-७-१९३१।

२. गाँवका एक छोटा अधिकारी।

वर्तमान कार्यवाहक मुखीको बरखास्त नहीं किया जायेगा। समझौतेको जैसा मैं समझा हूँ उसके अनुसार यदि मौजूदा कार्यवाहक मुखी वांछनीय व्यक्ति नहीं है अथवा उसकी नियुक्ति स्थायी नहीं है तो उसके स्थानपर पुराने मुखीको पुनर्नियुक्त किया जाना चाहिए बशर्ते कि उसने अपना इस्तीफा सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेके खयालसे दिया हो। कलेक्टर श्री पेरीने तो पुराने मुखीको पुनर्नियुक्त करनेका भी प्रस्ताव किया, बशर्ते कि मैं वर्तमान कार्यवाहक धाराला मुखीको सहायक मुखीके रूपमें कार्य करते रहने देनेके लिए राजी हो जाऊँ। मैं ऐसी किसी बातपर सहमत नहीं हो सकता था क्योंकि इसके मतलब होंगे पाटीदारों और धारालाओंके बीच फूटके बीज बोना। अगर इन आदेशोंको बदला नहीं गया तो समझौतेकी भावनाके सर्वथा प्रतिकूल एक असम्भव स्थिति पैदा हो जायेगी और पाटीदारोंने सविनय अवज्ञा करनेका जो साहस किया उसका उन्हें दण्ड भोगना होगा। जो भी हो, मैं आशा करता हूँ कि पाटीदारोंको दण्ड देनेकी सरकारकी कोई इच्छा नहीं है। अतः समझौतेके अधीन मेरा आग्रह है कि आदेशोंपर पुनर्विचार किया जाये तथा कार्यवाहक मुखीको हटाया जाये और पुराने मुखीको फिरसे नियुक्त किया जाये। इस कार्यवाहक मुखीके बारेमें मैं कलेक्टरको पहले ही दिखा चुका हूँ कि वह अवांछनीय व्यक्ति है और समझौतेकी रूसे स्थायी रूपसे नियुक्त नहीं किया गया है।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल
बम्बईके गवर्नरके निजी सचिव
गणेशखिंद, पूना

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१३४. पत्र : मीराबहनको

दुबारा नहीं पढ़ा

बोरसद
६ जुलाई, १९३१

चि० मीरा,

तुम्हारे सब पत्र मिल गये। माताजी धीरे-धीरे जा रही हैं। अन्त जल्दी ही हो जाये तो अच्छा है। जिस शरीरकी उपयोगिता न रह जाये उसे छोड़ देना बेहतर है। अपने प्रियजनोंको अधिकसे-अधिक समयतक भौतिक शरीरमें देखनेकी इच्छा स्वार्थपूर्ण इच्छा है और वह मनकी कमजोरीसे अथवा शरीरके नष्ट हो जानेके बाद भी आत्माके अस्तित्वपर श्रद्धा न होनेसे पैदा होती है। रूप सदा बदलता रहता है, सदा नष्ट होता रहता है; उसके भीतर रहनेवाली आत्मा न कभी बदलती है,

न नष्ट होती है। सच्चा प्रेम वह है जो शरीरके बजाय उसके भीतर रहनेवाली आत्माके प्रति रखा जाये और जो यह जरूरी तौरपर अनुभव करे कि असंख्य शरीरोंमें रहनेवाली जीवात्माएँ एक ही हैं। अब तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हें इस वक्त लन्दन जानेका प्रलोभन क्यों नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें उधर जानेको मजबूर करता हो तो तुम जानती हो कि ऐसा करनेकी तुम्हें स्वतन्त्रता है। अगर तुम्हें वहाँ जानेकी प्रबल इच्छा हो जाये, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

मैं फादर एल्विनको आज लिख रहा हूँ कि वह जो चाहते हैं, उसे तुम्हें बताने-में संकोच न करें। तुम वहाँ हो, इसलिए मेरा मन निश्चिन्त है। इससे नारणदासका भार भी कम होता है।

हाँ, गंगाबहनपर उदासीका दौरा है। तुम उन्हें किसी उपयोगी काममें लगाकर उनका ध्यान अपने आपकी ओरसे हटानेका प्रयत्न करो।

मैं शंकरलालके प्रस्तावके बारेमें बिल्कुल भूला जा रहा था। मैं तुम्हें फिलहाल इस समय हटाना नहीं चाहता। और फिर, आश्रमको तुम्हारी उतनी ही आवश्यकता है जितनी तुम्हें आश्रमकी है। बादमें तुम निश्चय ही खादी-प्रचारके लिए दौरे करनेके प्रस्तावोंपर विचार कर सकती हो। मैं शंकरलालसे इसके बारेमें बात करूँगा।

केशूके क्या हाल हैं? क्या तुमने चरखेके बारेमें उससे बात की?

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

बम्बई : ७-१०[१]

हम सम्भवत: ११ तारीखको बोरसद लौटेंगे।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३३) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० ९६६७ से भी।

१३५. पत्र : प्रभावतीको

बोरसद
६ जुलाई, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला। जयप्रकाश जब यहाँ आयेंगे तब मैं बात करूँगा और जो उचित होगा करूँगा। तुम जल्दी आ सको तो अच्छा है। तुम्हारी तबीयत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, यह बात मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती।

१. गांधीजीका बम्बईके दौरेका मूल कार्यक्रम ७ से १० जुलाई तकका था। किन्तु वास्तवमें वे १३ जुलाईको बम्बईसे शिमलाके लिए रवाना हुए।

राजेन्द्रबाबू आज अहमदाबादमें हैं। आज बम्बई जानेवाली गाड़ीमें वे मुझे आनन्द स्टेशनपर मिलेंगे। बम्बईमें चार एक दिन रहकर वे उधर जायेंगे। तुम विचार करना छोड़ दो। चिन्ता करनेके लिए प्रभु बैठे हैं तो हम किसलिए करें? चिन्ता करके होगा भी क्या? हम पल-पल अपने जीवनमें यह देखते हैं कि उसकी अनुमतिके बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। फिर घमण्ड किस बातका? चिन्ता कैसी?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४१७) से।

१३६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

बोरसद
६ जुलाई, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरे दो पत्र मिले। कड़वे घूँट मैं न पिलाऊँ तो और कौन पिलायेगा? इन्हें पीनेमें ही स्वास्थ्यकी रक्षा है। शरीरके स्वास्थ्यकी अपेक्षा मनका स्वास्थ्य अधिक जरूरी है। स्त्रियोंके बारेमें नारणदासने जिस नियमकी सूचना दी है वह बहुत पुराना है। उसका पालन आजतक नहीं हुआ, उसका कारण हमारी या कहो कि मेरी शिथिलता है। आज भी वह नियम समझनेके बाद पूरी तरह उसका पालन हो सकेगा या नहीं, इस बारेमें मुझे सन्देह है। इस बारेमें ज्यादा लिखनेका मेरा विचार है। आज फुरसत मिलेगी तो आज, या जब मिलेगी तब लिखूंगा।

किसनको पत्र तो जल्दी ही लिखना चाहिए था, लेकिन आज ही लिख सका। उसे जल्दी मिल गया तो शायद बम्बईमें मुझसे मिलने आयेगी।

मेहमानोंके बारेमें तूने जो लिखा वह मुझे अच्छा लगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२५८) से। सी० डब्ल्यू० ६७०६ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१३७. पत्र : नारणदास गांधीको

६ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला।

स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें तुमने जिस नियमका उल्लेख किया है, आरम्भसे ही मेरी वैसी ही कल्पना थी। इस बारेमें यदि मुझसे विस्तारसे लिखा जा सका तो लिखूँगा। सुरेन्द्रकी माँग यह होगी कि कमसे-कम तीन बहनें साथ होनी चाहिए। मुझे यह अनावश्यक लगता है।

. . .की[1] बातका 'आश्रम समाचार' में उल्लेख किये जानेकी मैं कोई जरूरत नहीं समझता।

श्रीमती एडिथ हेने नामक एक महिला है। उसका पता यह है:

३५३ लिलोएट स्ट्रीट वेस्ट मूज — जॉ — ससकाचेवान, कैनेडा।

इस महिलाने लिखा है कि उसने १५ डालर भेजे हैं। यदि वह तुम्हें मिल गये हों अथवा मिलनेवाले हों तो यह रकम इसके नाम जमा करना। इसका पता सँभाल कर रखना, हिसाबकी किताबमें ही लिख लेना। उसकी शर्त यह है कि इस रकमका उपयोग बच्चोंको ईसाई बनाने और उनके ईसाई नाम रखनेमें किया जाना चाहिए। मैंने उस महिलाको लिख भेजा है कि यह काम हमसे कभी नहीं हो सकता। यदि उसकी हुंडी आती है तब तो उसे वापस भेज देना ज्यादा अच्छा होगा। इसपर सोच-विचार कर लेना। मैंने तो उसे लिखा है कि उसकी भेजी रकम हम उसके नामपर जमा कर लेंगे और यदि वह अपनी शर्त वापस नहीं ले लेती तो हम उपर्युक्त रकम उसे लौटा देंगे। यह लिखते हुए मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि पैसा चाहे किसी भी रूपमें आये हमें इस रकमको वापस लौटा ही देना चाहिए। इसलिए उसे तुम लौटा ही देना। मैं उसे लिखे दे रहा हूँ कि हम रकम लौटा रहे हैं।

बेकार ही अधूरे विचारोंसे पत्र भर गया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरा खयाल है ७ और १० के बीच हम बम्बईमें होंगे।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१. नाम नहीं दिया गया है।

१३८. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

बम्बई
७ जुलाई, १९३१

सर सैमुअल होरने हालमें अपने भाषणमें कहा था कि अनुदार दल अगले गोलमेज सम्मेलनमें इसी शर्तपर शामिल होगा कि सम्मेलनमें पूर्वोपायकी बात स्वीकार की जाये तथा स्वतन्त्रताका प्रश्न उसमें न उठाया जाये; इसकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा :

मुझे इसके बारेमें कुछ भी पता नहीं है। समझौतेने कांग्रेसको इस बातके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया है कि वह जो दावा चाहे उसे पेश करे। कांग्रेसने मुझे जो आदेश दिया है वह स्पष्ट है। पूर्वोपायोंका सिद्धान्त असंदिग्ध रूपसे स्वीकार किया गया है। तफसीलकी बातें विचार-विमर्श द्वारा तय की जा सकती हैं, और यहाँ भी समझौता काफी स्पष्ट है। पूर्वोपाय ऐसे होने चाहिए जो स्पष्ट रूपसे भारतके हितमें हों।

यह पूछे जानेपर कि जैसी अफवाह है, क्या आप सरकारसे युद्ध-विराम सम्बन्धी सभी विवादोंको पंचायतको सौंपनेपर सहमत होनेके लिए कहेंगे, गांधीजीने कहा :

मैं इस समय इस मामलेपर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता।[1]

इसके बाद बातचीतका सिलसिला कपड़ोंकी पुनर्निर्यात योजना की ओर मुड़ गया। गांधीजीने कहा कि मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह योजना सफल होगी। यदि व्यापारी लोगोंका रवैया अनुकूल हो तो इस समस्याको तुरन्त हल किया जा सकता है। यह कहना गलत है कि अहमदाबादके मिल-मालिक अपने हिस्सेका चन्दा नहीं दे रहे हैं। इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अहमदाबादके मिल-मालिक अपने हिस्सेका चन्दा देंगे। यह सारी योजना सद्भावसे प्रेरित है और इसका उद्देश्य उन व्यापारियोंको यथासम्भव ज्यादासे-ज्यादा सहायता देना है जो विदेशी कपड़ेका व्यापार छोड़कर स्वदेशी अपनानेको तैयार हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ७-७-१९३१

१. यहाँपर ८ जुलाईके **बॉम्बे क्रॉनिकल**में इतना और कहा गया था: "कार्य-समितिको ही इस मसलेसे निपटनेका अधिकार है।"

१३९. पत्र : कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीगको

[८ जुलाई, १९३१ से पूर्व][1]

श्री गांधीने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीगको सूचित किया है कि सितम्बरमें लीग लन्दन और मैंचेस्टरमें जो सम्मेलन आयोजित कर रही है उसमें भाषण देनेका उसका निमन्त्रण उन्हें स्वीकार है, "बशर्ते कि मैं लन्दन पहुँचा, लेकिन समझौतेके बारेमें यहाँ कठिनाइयोंके कारण मेरा प्रस्थान असम्भव हो सकता है।"

[अंग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, ९-७-१९३१

१४०. क्या समझौता ढह रहा है?

कई स्थानोंसे लगातार शिकायतें आ रही हैं कि स्थानीय अधिकारी दिल्लीवाले समझौतेको चूर-चूर कर रहे हैं, और लगभग ऐसा मालूम होता है, मानो सरकार कांग्रेसके साथ लड़ाई ठाने हुए है, और इसलिए हरएक कांग्रेसजनको शंकाकी दृष्टिसे देखा जाता है। नीचे जिन घटनाओंका मैं उल्लेख करूँगा, उनकी तारीखोंसे पाठकोंको पता चलेगा कि बहुत समयतक मैंने उन्हें इस आशासे प्रकाशित नहीं किया कि जो बातें मेरे सामने रखी गई हैं, शायद वे छुट-पुट घटनाएँ हैं, और अपनी-अपनी प्रान्तीय सरकारोंसे अर्ज करनेपर शिकायत करनेवालोंको राहत दी जायेगी। तथापि मुझे निराश होना पड़ा है।

सुल्तानपुर (यू० पी०) में

स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री लिखते हैं:[2]

मथुरा (यू० पी०) में

स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री लिखते हैं:[3]

इन आरोपोंको देखते हुए और अखबारोंसे प्राप्त लखनऊके इस संवादको मद्देनजर रखते हुए कि करीब ७०० मुकदमे उधर पेश हैं, इस समाचारसे कि जिन गुप्त

१. यह समाचार प्रेषणतिथि "लन्दन, ८ जुलाई" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि लगान वसूलने और कांग्रेसके कार्योंका दमन करनेके लिए सरकारी अधिकारियोंने क्या-क्या दमनात्मक कदम उठाये हैं।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार पुलिसने बलपूर्वक एक सभाको भंग करके उसपर लाठी चार्ज किया था।

परिपत्रोंका जिक्र पिछले सप्ताह इन स्तम्भोंमें किया था,[1] वे वापस ले लिये गये हैं, मनको इत्मीनान नहीं होता। अगर इस वापसीके बाद सब जगहकी स्थितिमें हर तरह सुधार न हुआ और मुकदमे बन्द न हुए तो इस वापसीका कोई अर्थ नहीं, बल्कि इसे तो एक पकड़ी गई भूलको नाममात्रके लिए सुधारना ही कहा जायेगा। संयुक्त प्रान्तमें पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्तकी मारफत कांग्रेस और सरकारके बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो गया था। सरकार इस बातकी शिकायत नहीं कर सकती कि पन्तजी मदद करनेको राजी न थे, या कांग्रेसका प्रभुत्व उसके कार्यकर्ताओं परसे उठ गया था। सन्धिके इन दिनोंमें सभाका जबर्दस्ती तितर-बितर किया जाना कभी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। गत २४ मईको जब मैं मथुरासे होकर गुजर रहा था, वहाँके लोगोंने मुझे मथुरासे कुछ मील दूर स्थित बिजरी गाँवमें पुलिसके धावेका किस्सा सुनाया था। मैंने लोगोंको सलाह दी थी कि वे उच्च अधिकारियोंसे इस बातकी शिकायत करें। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मैंने जानबूझकर यह समाचार रोक रखा, हालाँकि इस सम्बन्धमें तफसीलवार लेखा मेरे पास मौजूद था।

पंजाबमें

अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीके २४ जूनवाले पत्रसे मैं नीचे लिखा हिस्सा लेता हूँ:[2]

अम्बालावाले लाला दुनीचन्दके २३ जूनके पत्रसे मैं नीचे लिखे अनुच्छेद देता हूँ:[3]

उक्त उद्धरणमें जिस लुधियाना काण्डका जिक्र है, वह गत १६ मईको हुआ बताया जाता है। शिमलामें मुझे तारसे इसकी खबर मिली थी; बादमें लुधियाना कांग्रेसके मन्त्री स्वयं आकर मुझसे मिले और तारकी खबरका समर्थन किया। इस पर मैंने लाला दुनीचन्दसे इन आरोपोंकी जाँच करनेको कहा।[4] वह कृपा करके जल्दी ही लुधियाना गये और जाँच करके रिपोर्ट भेजी। इसके बाद लुधियानाके बार एसोसिएशनने और अधिक विस्तारके साथ मामलेकी जाँच की। एसोसिएशनके मन्त्रीने भी कृपा करके अपनी रिपोर्टकी एक प्रति मेरे पास भेजी है। ये दोनों रिपोर्टें मैंने 'यंग इंडिया'के पाठकोंसे छिपा रखीं; क्यों, सो मैं ऊपर बता चुका हूँ। दोनों रिपोर्टोंमें एक मतसे यह बात लिखी गई है कि अत्यन्त निर्दोष हेतुसे की गई एक शान्त सभा स्वयं सिटी मजिस्ट्रेटकी आँखोंके सामने तितर-बितर की गई थी। लाला दुनीचन्दने पंजाब सरकारके नाम अपने पत्रमें जो-कुछ लिखा है, और जिसे मैंने पढ़ा है, यदि

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तमें किसानोंपर संकट", २-७-१९३१।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार स्थानीय अधिकारी जुलूसोंपर हमले करते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार किया जाता है।

३. यहाँ नहीं दिये गये हैं। इनमें कहा गया था कि पंजाबमें राजनीतिक सभाएँ नहीं होने दी जातीं और कांग्रेस आन्दोलनको कुचला जा रहा है।

४. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ३५४।

वह सच है तो नौशहरा पनुआन दण्डात्मक पुलिसकी नियुक्तिसे समझौतेका स्पष्ट ही भंग हो रहा है। लोगोंसे पुलिसका खर्च किसी भी हालतमें वसूल नहीं किया जा सकता, जबतक कि यह साफ ही साबित न कर दिया जाये कि जिन कारणोंसे उक्त पुलिस रखी गई है, उसका सविनय भंगसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है।

रोहतकसे यह शिकायत आई है कि वहाँ शान्त कांग्रेसवादी बिना किसी कारणके गिरफ्तार किये जा रहे हैं, जिसकी कोई वजह कांग्रेस अधिकारी नहीं समझ पाते। अधिकारी लोग रोहतकके लाला श्यामलालको व्यक्तिगत रूपसे जानते हैं। वह वहाँके सुप्रसिद्ध एडवोकेट और स्थानीय कांग्रेस कमेटीके सभापति हैं। अधिकारियोंने इतना कष्ट उठानेकी भी चिन्ता नहीं की कि वे कांग्रेसजनोंके आपत्तिजनक भाषणोंकी तरफ उनका ध्यान दिलाते।

बंगालमें

गत २० जूनके लगभग कोण्टाई कांग्रेस कमेटीकी ओरसे नीचे लिखा तार मिला था:

> **कोण्टाईके अधिकारी सन्धिकी शर्तें तोड़ रहे हैं; शान्तिमय रचनात्मक काममें लगे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेसकी पंचायतोंकी सफलतासे स्थानीय सरकार डर गई है। इन गिरफ्तारियों द्वारा वह उन्हें नष्ट करनेकी कोशिश कर रही है। वाइसरायको तार भेजा है। आपका हस्तक्षेप प्रार्थनीय है। चिट्ठी पीछे आती है।**

ऊपर जिस चिट्ठीका जिक्र है, उसमें से मैं नीचे लिखा दिलचस्प हिस्सा यहाँ देता हूँ:[१]

मैं अभी गुजरातके बारेमें कुछ नहीं लिखना चाहता। मैं घटनास्थलसे इतना करीब हूँ कि तत्काल ही कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन सरदारका बारडोलीमें और मेरा बोरसदमें अटका रहना मतलब रखता है। परन्तु बम्बई प्रान्तके कुछ हिस्सोंमें शराबके बारेमें जो-कुछ हो रहा है, उसे सर्वसाधारणके सामने मुझे अवश्य रखना चाहिए।

रत्नगिरि जिलेके वेंगुरला स्थानसे आये हुए पत्रका नीचे लिखा भाग अपनी कहानी आप ही कहता है:[२]

लगभग यही अहमदाबादमें भी हो रहा है, जहाँ अत्यन्त शान्तिमय तरीकेसे धरना देनेका रास्ता कभी छोड़ा ही नहीं गया। मेरा दिल मुझसे कहता है कि इस प्रकार शराबकी बिक्री गैरकानूनी है, यह सरकार द्वारा रोकी जानी चाहिए, क्योंकि

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार शराबकी दुकानोंवाले समय-असमय और दुकानसे अलग ठिकानोंपर शराब बेचकर धरना देनेके आन्दोलनको विफल करनेकी कोशिश कर रहे थे।

इससे समझौतेकी शर्तका भंग होता है। यदि इस प्रकारकी बिक्री कानूनी करार दी जाती है, तो यह और भी बुरा है, और समझौतेका दोहरा भंग है।

इस सप्ताहके लिए इतना ही काफी है। मेरे पास देशके दूसरे भागों और प्रान्तोंकी शिकायतें पड़ी हुई हैं। मैं किसी अगले अंकमें उनपर विचार करूँगा।

अधीर कांग्रेसजन, जो शिकायतोंके इस सूचीपत्रको पढ़ेंगे, पूछ सकते हैं: "तो हम और कबतक राह देखें, कबतक यह सब सहते रहें?" मेरा जवाब वही है, जो पिछले सप्ताह था। "जबतक कार्यसमिति ठहरना आवश्यक समझती है, तबतक आपको राह देखनी ही चाहिए।"[1] गलतीपर गलती करनेसे वह सही नहीं हो जाती। अगर कुछ स्थानीय सरकारें, जैसा कि दिखाई पड़ता है, गलती कर रही हैं, तो कोई वजह नहीं है कि कांग्रेस भी वैसा ही करे। हमें समझौतेका अपना हिस्सा पूरा करते रहना चाहिए। यदि समझौता टूटे ही, तो उसे न तोड़नेके कांग्रेसके पूरे-पूरे प्रयत्नके बाद ही वह टूटने दिया जाये। जितना अधिक हम सब्र करेंगे — दूसरे शब्दोंमें, कष्ट सहेंगे — उतनी ही अधिक हमारी ताकत बढ़ेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-७-१९३१

१४१. एक देशवासीकी सलाह

संवाददाताओंने मेरे लिए अमेरिका जानेकी जो योजना बनाई थी उसके विषयमें बहुतसे अमेरिकी मित्र मुझे पत्र लिखते हैं। जिन अमेरिकियोंके साथ मेरे घनिष्ठ सम्पर्क हैं उन्होंने मुझे पूरी ईमानदारीसे इस यात्राके विरुद्ध सलाह दी है। अन्य अमेरिकियोंने, जिनका रवैया भी मैत्रीपूर्ण है, उतने ही आग्रहपूर्वक मुझे जानेकी सलाह दी है। अब मुझे अमेरिकामें रहनेवाले अपने एक देशवासीका बहुत ही युक्ति-युक्त सुन्दर पत्र मिला है।[2] इस पत्रमें तीन महत्त्वपूर्ण चीजोंकी चर्चा की गई है। उनके पत्रका सम्बन्धित अंश मैं नीचे देता हूँ:[3]

> **मैं एक विनम्र सुझाव देनेकी धृष्टता कर रहा हूँ, और वह यह है कि मेरा अनुरोध है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिकाकी यात्राका विचार छोड़ दें। . . .**
>
> **. . . जहाँतक हमारे राष्ट्रीय मामलोंका सवाल है, आपकी अमेरिका यात्रा लाभप्रद नहीं होगी, ऐसी मेरी मान्यता है और इसके समर्थनमें मैं दो-एक कारण देनेका साहस करता हूँ।**

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तमें किसानोंपर संकट", २-७-१९३१।
२. देखिए "पत्र: जे० जे० सिंहको", २४-६-१९३१।
३. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

यह देश अनेक दृष्टियोंसे एक विचित्र देश है और अमेरिकाके लोग इतने अधिक भौतिकतावादी हैं कि वे डालर और सेंटके अलावा और कोई भाषा नहीं समझते। इस तथ्यको कमोबेश सभी लोग स्वीकार करते हैं।

अवश्य ही यह एक सामान्य वक्तव्य है, और मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि इस बातके इक्के-दुक्के अपवाद भी हैं। . . .

मेरी रायमें इस देशकी आपकी यात्राको बिल्कुल गलत दृष्टिसे देखा जायेगा, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आज कुछ कल्पनाशील अमेरिकियोंपर आपका जो आश्चर्यजनक प्रभाव है वह एक तरहसे खत्म हो जायेगा। इसके अलावा मेरी यह भी राय है कि आपकी अमेरिका-यात्रासे हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यके लिए यहाँ और सहानुभूति पैदा होनेके बजाय शायद उलटा ही असर होगा।

यहाँ इस देशमें किसी व्यक्तिके लिए बिना किसी 'बिजनेस मैनेजर' की मददके इधर-उधर जा सकना और यहाँ-वहाँ भाषण दे सकना सम्भव नहीं है। इससे आपकी यात्रा व्यावसायिक स्वरूप ग्रहण कर लेगी, और तब बीसियों दल और अखबार ऐसे होंगे जो आपकी यात्राकी आलोचना करेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ पैसा बनाने आये थे।

शायद आप इस तथ्यसे अवगत हैं कि [रवीन्द्रनाथ] ठाकुर जैसे उदात्त-चरित्र व्यक्ति और सच्चे दार्शनिककी अमेरिकी अखबारोंमें खुले-आम आलोचना की गई है और इस प्रकारके आरोप लगाये गये हैं कि वह अमेरिकावासियोंसे पैसा खींचनेके लिए अमेरिकाकी यात्राएँ करते हैं और फिर भी इस देशकी तथाकथित सभ्यता या सभ्यताके अभावकी आलोचना करनेका दुस्साहस करते हैं।

दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो यह है कि आप जो-कुछ कहेंगे या करेंगे उसके कारण नहीं, बल्कि औसत अमेरिकीकी जो मनोवृत्ति है उसके कारण यह निश्चित है कि इस देशमें आपको गलत समझा जायेगा और आपकी यात्रा सफल होनेके बजाय विफल होगी। . . .

इसलिए मेरे निष्कर्ष उस सूचनापर आधारित हैं, जो मैंने समय-समय पर औसतन अच्छे खाते-पीते अमेरिकी परिवारोंसे प्राप्त की है जिनकी भारतमें चलताऊ किस्मकी दिलचस्पी है, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस प्रकारके अमेरिकियोंकी संख्या उन अमेरिकियोंकी अपेक्षा कहीं ज्यादा है जिन्हें भारत-विरोधी या भारत-समर्थक कहा जा सकता है।

आपकी लन्दन-यात्रा एक सर्वथा भिन्न चीज है। मेरी नम्र रायमें उससे एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि संसारमें यदि कोई देश ऐसा है जिसमें खिलाड़ियोंकी भावना है, और जो शैतानकी अच्छाइयोंको भी स्वीकार कर सकता है तो वह देश अंग्रेजोंका देश है। . . .

इंग्लैंड या अमेरिकाकी यात्राके समय आपकी वेश-भूषा क्या होगी, यह भी एक बहुचर्चित विषय है और इसके बारेमें भी मुझे एक शब्द कहना है। . . .

यह एक विडम्बना ही होगी कि आप कोई ऐसी भारतीय वेश-भूषा न ढूँढ़ सकें, जो बिल्कुल उपयुक्त और वांछनीय हो। . . .

इन तीनोंमें से एक भी बातकी मुझे चिन्ता नहीं। अमेरिका जानेका प्रस्ताव मेरे सामने पाँच वर्षोंसे या उससे अधिक समयसे है। लेकिन मुझे अन्तरसे ही वहाँ जानेकी प्रेरणा या साहस नहीं होता। कुछ पत्रलेखकोंने मेरे सामने जो प्रलोभन रखे हैं उनसे मेरा वहाँ न जानेका निश्चय, जो पहले केवल सहजबुद्धिपर ही आधारित था, और अधिक पुष्ट हुआ है। विलायत जानेके मामलेमें भी लगभग वही हाल है। वहाँ भी जब रास्ता साफ दिखाई देगा, तभी मैं जाऊँगा। फिलहाल तो दिल्ली समझौतेके खिलाफ अधिकारियोंके इस गुप्त और बढ़ते हुए विरोधको देखते हुए मुझे और किसी बातपर सोचनेकी फुर्सत ही नहीं है। भारतकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें मेरा योगदान इस समय इसीमें है कि इस सन्धिको टूटनेसे बचानेके लिए मनुष्यसे जितना प्रयत्न हो सकता है, उतना करूँ।

रही पोशाककी बात, तो इसके बारेमें मुझे बहुतेरे सलाह देनेवाले मिले हैं, लेकिन यहाँ भी मेरी स्थिति साफ है। यदि मैं इंग्लैंड गया तो एक प्रतिनिधिके रूपमें जाऊँगा, न कम, न ज्यादा। इसलिए मैं वैसी पोशाक पहनूँगा जो एक प्रतिनिधिको पहननी चाहिए; अंग्रेजोंकी मर्जीकी पोशाक नहीं। मैं कांग्रेसका प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि कांग्रेस दरिद्रनारायणकी प्रतिनिधि है, और जिस हदतक वह ऐसी प्रतिनिधि है, उसी हदतक मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। इसके अलावा, यदि मैं जमींदारों या धनवानों अथवा सुशिक्षित भारतीयोंका प्रतिनिधि होऊँ तो जिस हदतक वे दरिद्रनारायणके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले और उसका हित चाहनेवाले हैं, उसी हदतक मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। इसलिए किसी भी दशामें मैं अंग्रेजी पोशाकमें या संस्कारी नेहरूओंकी पोशाकमें नहीं जा सकता। नेहरूओंके साथ मेरा निकटसे-निकट सम्बन्ध होते हुए भी मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार लंगोटी पहननेसे पण्डित मोतीलालजी हँसीके पात्र ठहरते, उसी प्रकार पण्डितजीकी पोशाक यदि मैं पहनूँ, तो हँसीका पात्र होऊँगा। मेरी लंगोटी पहननेके लिए नहीं पहनी गई है; बल्कि मेरे जीवनमें जो परिवर्तन होते गये हैं, उनके साथ पोशाकमें होनेवाले परिवर्तनका वह परिणाम है। उसमें किसी प्रकारका प्रयत्न न था, कोई पूर्व-विचार न था, वह सहज ही ग्रहण करनेमें आई है। इसलिए यदि मैं लन्दन जाऊँ, तो मेरा यह धर्म हो जाता है कि लंगोटीके अलावा उतना ही वस्त्र और पहनूँ जो वहाँके मौसमको देखते हुए जरूरी हो। मैं जैसा हूँ वैसा ही न दिख कर, वैसा दिखूँ जैसा कि मुझे लगे या मेरे मित्रोंको लगे कि मुझे दिखना चाहिए, तो यह धोखा होगा और अंग्रेजोंके प्रति अशिष्टता होगी। यदि मैं शुरूमें ही छलका सहारा लूँ तो मैं अपने उद्देश्यमें विफल हो जाऊँगा। थोड़ी देरके लिए शायद किसीको वह पसन्द पड़े, परन्तु आखिर तो उससे नफरत ही पैदा होगी। यदि मुझे अंग्रेजोंका हृदय जीतना है, जैसा कि मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे सवा सोलह आने सच्चा होना

चाहिए। सत्य सूर्यके समान है। सत्यके सामने संशय और अविश्वासके पहाड़ भी पिघल जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-७-१९३१

१४२. एक पुराने राजनीतिक कैदी[1]

एक पत्र-लेखकने लिखा है:[2]

मैं इस मामलेके बारेमें काफी लम्बे अरसेसे जानता हूँ। यह सचमुच अत्यन्त दुखद मामला है और सहानुभूतिकी अपेक्षा करता है। सामान्यत: आजीवन कारावासका मतलब चौदह वर्षकी सजा होती है। जनताको यह जाननेका हक है कि इस मामलेमें यह अवधि पर्याप्त क्यों नहीं मानी गई है। जैसा कि पत्र-लेखकने लिखा है, यदि यह बात सही है कि पंडित जगतराम अत्यन्त उच्च चरित्रके व्यक्ति हैं और बीमार हैं, तो निश्चय ही यह एक और कारण है कि उन्हें रिहा कर दिया जाये। मानवीयताकी दृष्टिसे देखें तो हालमें हुई उनके पिताकी मृत्युसे उनको रिहा करनेके सब कारण मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि या तो पंजाब सरकार उन्हें तत्काल रिहा कर देगी, या जनताको बतायेगी कि उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-७-१९३१

१४३. आत्म-नियुक्त

नानकिंगसे एक पत्र-लेखकने लिखा है:[3]

मैं स्पष्ट रूपसे कह सकता हूँ कि मैंने कोई प्रतिनिधि चीन नहीं भेजा है और न मेरी जानकारीमें कांग्रेसने ही भेजा है। अहिंसा मेरे लिए एक चिरस्थायी सिद्धान्त है; और अहिंसाका बारह वर्षतक उत्तरोत्तर सुन्दर अनुभव होनेके बाद कांग्रेस भी आसानीसे अहिंसाको त्यागनेवाली नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-७-१९३१

१. देखिए पृष्ठ ८९ भी।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने पंडित जगतरामके बारेमें लिखा था, जो पंजाबके एक राजनीतिक बन्दी थे और जिनके आदर्श व्यवहार और गिरते हुए स्वास्थ्यके बावजूद उनकी उम्र-कैदकी अवधि बार-बार बढ़ाई जा रही थी।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि चीन जानेवाला एक व्यक्ति गांधीजी और कांग्रेसका प्रतिनिधि होनेका दावा करता है और यह कहता फिर रहा है कि भारतने इंग्लैंडके प्रति अपनी नीति बदल दी है और हिंसात्मक साधन अपना लिये हैं।

१४४. तार : वाइसरायको

बम्बई
९ जुलाई, १९३१

बम्बईके महामहिम गवर्नर द्वारा आपको दिये गये मेरे संदेशमें[1] आपको बता दिया गया है कि अनेक प्रान्तीय अधिकारियों द्वारा समझौतेका लगातार भंग किये जानेके कारण संघीय संरचना समितिमें भाग लेना मेरे लिए कठिन है। कार्य-समिति इस आशयका एक प्रस्ताव पास करनेका विचार कर रही है कि अगर राहत न मिल सकी तो गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेकी आशा कांग्रेसको छोड़ देनी चाहिए। मैं जब आपसे मिला था तब आपने कृपापूर्वक यह कहा था कि दिक्कत पड़नेपर मुझे मददके लिए आपसे कहना चाहिए। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१४५. तार : 'न्यूज क्रॉनिकल' को

[१० जुलाई, १९३१ या उससे पूर्व][2]

समझौतेके लगातार उल्लंघनके कारण मेरा प्रस्थान अनिश्चित हो गया है। खुले संघर्षसे बचनेकी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यदि मैं संतोष प्राप्त करनेमें विफल हुआ तो मेरे लिए सिवा इसके कि मैं अपना आनेका कार्यक्रम रद्द कर दूँ, दूसरा और कोई विकल्प नहीं होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-७-१९३१

१. देखिए "पत्र: सर अर्नेस्ट हॉटसनको", ३-७-१९३१।
२. इस तारीखको लन्दनमें प्रकाशित।

१४६. तार : वाइसरायको

बम्बई
१० जुलाई, १९३१

इसी ६ तारीखका आपका पत्र[1] आज सुबह मुझे मिला, धन्यवाद। आपने जो सहायता देनेको कहा है उससे मुझे आशा और प्रोत्साहन मिला है। इतनी जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आपको कल रातके तारसे पता चला होगा, मुझे यह मालूम नहीं था। क्या मैं कल शनिवारको उत्तरकी अपेक्षा करूँ?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१४७. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बम्बई
१० जुलाई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपको चिरनेर केसके बारेमें याद होगा। सेशन जजके फैसलेमें २० अभियुक्तोंके बारेमें कहा गया है कि वे किसी प्रकारकी हिंसाके दोषी नहीं हैं। फैसलेका सम्बन्धित अंश मैं साथमें भेज रहा हूँ। इन अभियुक्तोंपर जो जुर्माना किया गया है वह उनके नामके आगे सूचित है और जुर्माना अदा न करनेपर कैदकी अवधि भी सूचित है। जैसा कि नामोंकी सूचीमें दी गई पाद-टिप्पणीसे आपको मालूम हो जायेगा, जजने यथोचित जमानत देनेपर जुर्माना अदा करनेके लिए ३० दिनकी मोहलत दी है। इन व्यक्तियोंने जमानत दे दी है। जैसा कि आप देखेंगे, फैसला इसी २ तारीखको दिया गया था। चूँकि ये मामले स्पष्ट रूपसे समझौतेके अन्तर्गत आते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि इनके जुर्माने माफ कर दिये जायें। मुझे आशा है कि जल्दी ही इसपर ध्यान दिया जायेगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. पत्रमें लिखा था: "... मैं आपकी कठिनाइयोंको बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जरूर दूर हो जायेंगी, क्योंकि जैसा मैंने अक्सर आपसे कहा है, मेरी समझसे यह वास्तवमें जरूरी है कि आप जायें। मैं किसी भी तरह अगर आपकी मदद कर सकूँ तो कृपया सूचित करें।"

१४८. पत्र : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईके प्रबन्धकको

लेबर्नम रोड
बम्बई
१० जुलाई, १९३१

प्रिय महोदय,

आपके इसी ८ तारीखके पत्रके सन्दर्भमें मैं जो चीज जानना चाहूँगा वह यह कि बिना रॉयल्टी आप क्या मूल्य रखेंगे, रॉयल्टी सहित आप क्या मूल्य रखेंगे, और लागतके मुकाबले मुनाफेका क्या अनुपात होगा। निश्चय ही मैं उत्सुक हूँ कि पुस्तिका[1] सस्तेसे-सस्ते मल्यपर उपलब्ध हो। पत्रकी शेष बातोंका उत्तर श्रीयुत महादेव देसाई देंगे। भविष्यमें आप इन्हें ही लिखें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६८७) से।

१४९. भाषण : बम्बईमें[2]

१० जुलाई, १९३१

मुझे बताया गया है कि ये सब सदस्य दादरसे यहाँतक पैदल चल कर आये हैं। मुझे खेद है कि मैं दादर जाकर आपके सामने बोलनेका समय नहीं निकाल सका। मैं इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि लाचारी है। जब कोई आदमी शय्या-ग्रस्त होता है तब लोग उससे यह अपेक्षा नहीं करते कि वह उनसे जाकर मिले, बल्कि वे खुद उसकी शय्याके पास जमा हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी है।

मैं इस मण्डलको अपने आशीर्वाद देता हूँ। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि मण्डलने खद्दरका काम तथा रचनात्मक कार्यक्रमके अन्य मुद्दोंको हाथमें उठाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप ईमानदारीके साथ इसमें आगे बढ़ेंगे।

एक शब्द चेतावनीका भी। आपने एक स्वतन्त्र संगठन आरम्भ किया है। यह आपका काम है कि पहले कांग्रेसकी अनुमति लिये बिना आप कांग्रेसके नामपर कोई कार्य शुरू न करें। इसी प्रकार इस बातकी खास सावधानी बरतनी होगी कि आप

१. गांधीजीके भाषणों और लेखोंका संग्रह।

२. गांधी सेवा मण्डलका उद्घाटन करते हुए गांधीजीने हिन्दीमें भाषण दिया था।

जो काम करें वे परस्पर विरोधी न हों और एक-दूसरेमें दखलन्दाजी न करें। खद्दरका काम मुझे प्रिय है, और इसी कारण मण्डलको, जिसने अपनेको इस काममें लगाया है, अपना आशीर्वाद देते हुए मैंने यह चेतावनी देना आवश्यक समझा है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-७-१९३१

१५०. पत्र : जी० फिडले शिराजको

लेबर्नम रोड
बम्बई
११ जुलाई, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

आपके पत्रका[1] इससे पहले उत्तर न दे सकनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं यहाँ काममें इतना अधिक व्यस्त रहा कि पत्र-व्यवहारमें पिछड़ गया।

मुझे कोई आभास नहीं था कि मेरा पिछला पत्र बिना लिफाफा बन्द किये ही आपको भेज दिया गया था। मैं आपके इस तर्कका बल स्वीकार करता हूँ कि मेरा यह पत्र उन्हीं छात्रोंके हाथों नहीं भेजा जाना चाहिए था जिनके मामले विचाराधीन हैं।

मैं आपके सविस्तार उत्तरके लिए आभारी हूँ। आपने जो तफसीलसे सूचना दी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उन छात्रोंको, जिन्हें दाखिला नहीं दिया गया है, यह सलाह दी है कि वे प्रवेश पानेके लिए आन्दोलन करना बन्द कर दें और मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी सलाह मान लेंगे।

आपने जो कागजात कृपापूर्वक भेजे थे, उन्हें मैं वापस कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न : कागजात (५)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२५) से।

१. ४ जुलाई, १९३१ का पत्र जिसमें प्रिंसिपल शिराजने "कालेजके हितमें" छात्रोंको फिरसे दाखिल करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

१५१. किसानोंकी हिसाबकी किताब

किसानोंकी लापरवाही कहिए अथवा अज्ञान — उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उनके इस अज्ञानके कारण उन्हें नुकसान होता है, यह बात तो है ही, लेकिन चूँकि हिन्दुस्तानकी आबादीमें किसानोंकी संख्या ८० प्रतिशतसे भी अधिक है इसलिए उनके इस अज्ञानसे देशको अरबोंका नुकसान होता है। इस लापरवाहीमें भी सबसे ज्यादा लापरवाही कदाचित हिसाब-किताब रखनेका आलस्य है। व्यापारी बहीखाता न रखे तो उसका दिवाला निकल जाये, गृहस्थ हिसाबके बिना खर्च करे तो कंगाल हो जाये। हिसाबके बिना तो भरे हुए कुबेरके भण्डार भी पल-भरमें खाली हो जा सकते हैं, तो फिर किसान कैसे बच सकता है?

तथापि यह सर्वप्रसिद्ध बात है कि हिन्दुस्तानके किसानोंका हिसाब उनके दिमागमें रहता है, बहीमें लिखा ही नहीं जाता। परिणाम यह है कि वह हमेशा कर्जदार बना रहता है, और यद्यपि आजतक कोई पूरे आँकड़े नहीं निकाल सका है, तो भी अनुमानतः उसपर करोड़ोंका — अपितु अरबोंका कर्ज है। इसका अर्थ हुआ कि किसान नुकसानमें खेती करता है।

इस दोषको दूर करनेके लिए विद्यापीठकी ओरसे एक पुस्तक तैयार की गई है। महादेव और नरहरिको बारडोलीके संघर्षके दौरान जो अनुभव हुए उसके परिणामस्वरूप यह पुस्तक तैयार की गई है। उस समय हिसाब लिखते हुए उन्हें जिन आँकड़ोंकी जरूरत पड़ी थी वे आँकड़े जब चाहिए तब मिल सकते हैं और यह पुस्तक कुछ इस ढंगसे तैयार की गई है कि किसान लोग भी रोज अपनी स्थिति जान सकते हैं।

यह किताब मुफ्त नहीं दी जानेवाली है। जो किसान हिसाब रखनेके लिए तैयार हैं वे ही इस किताबको खरीदें। इसकी कीमत लागत खर्चपर ही रखी गई है। यह पुस्तक कैसे रखी जानी चाहिए, जिसे यह समझ न आये उसे इसके अनुभवी स्वयंसेवक अच्छी तरहसे बता देंगे। जिन किसानोंको लिखना-पढ़ना नहीं आता उनके लिए जहाँ सम्भव हो सकेगा, स्वयंसेवक लोग हिसाब लिख देंगे। मेरा सुझाव यह है कि हर किसानको हिसाब रखने लायक गुजराती भाषाका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वयंसेवक इसमें भी उनकी मदद करेंगे। आज तो इस कार्यका मूल्यांकन किसान नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्षके अन्तमें किसानोंको मालूम होगा कि थोड़ा-सा परिश्रम और दो आना खर्च करके उन्होंने कितने पैसे बचा लिये हैं।[1]

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-७-१९३१

१. साधन-सूत्रमें यह पाद-टिप्पणी दी गई है: "यह पुस्तक बृहस्पतिवार, १६ जुलाई, १९३१ के बाद नवजीवन कार्यालय या गुजरात विद्यापीठसे मिल सकेगी।"

१५२. तार : वाइसरायको

बम्बई
१२ जुलाई, १९३१

तार[1] कल रात मिला। अत्यन्त आभारी हूँ। विपरीत सूचना न मिलने पर मेरा विचार फ्रंटियर मेलसे सोमवारको शिमला रवाना होनेका है। सोमवारको सुबह सूरत पहुँचूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१५३. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

१२ जुलाई, १९३१

प्रश्न : क्या आप वाइसरायसे मिलने जा रहे हैं, और यदि हाँ, तो कब?

उत्तर : मैं आशा करता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता कि कब।

प्रश्न : वाइसरायके साथ विचारार्थ महत्त्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं?

उत्तर : मुझे कोई अनुमान नहीं है।

प्रश्न : दिल्ली समझौतेके भंगकी घटनाओंके सिलसिलेमें आप क्या कदम उठानेका विचार करते हैं?

उत्तर : अनुनय।

प्रश्न : क्या आपकी लन्दन यात्रा अभी भी सुलहकी शर्तोंके भंगकी घटनाओंके सन्तोषजनक हलपर निर्भर करती है?

उत्तर : मेरी लन्दन यात्रा बहुत-सी चीजोंपर निर्भर करती है।

१. बम्बई सरकारकी मारफत भेजे गये ११ जुलाई, १९३१ के इस तारमें कहा गया था : "आपके ९ तारीखके तारके लिए बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे कि सरकार द्वारा समझौतेका तथाकथित उल्लंघन किये जानेके बारेमें विशिष्ट सूचनाके अभावमें मेरे लिए विशेष उपाय सुझाना असम्भव है। मेरा सुझाव है कि कठिनाइयाँ उपस्थित होनेके अवसरपर पहलेकी तरह ही सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि पारस्परिक शिकायतोंपर आमने-सामने चर्चा कर ली जाये। अगर आप शिमला आ सकें तो आपसे मिलने में, और आपके तथा इमर्सनके बीच तफसीलसे विचार-विमर्शका प्रबन्ध करनेमें, मुझे बहुत खुशी होगी। इस बीच, आप मुझसे सहमत होंगे कि दोनों पक्षोंकी ओरसे कोई ऐसी चीज प्रकाशित करना अवांछनीय है जो मौजूदा कठिनाइयोंको हल करनेमें और दिक्कत पैदा करे।"

यह पूछे जानेपर कि क्या साम्प्रदायिक प्रश्नके[1] निपटारेके लिए कार्यसमिति द्वारा सुझाया गया तरीका मौलाना शौकत अलीकी पार्टीको अस्वीकार्य है, और सभी पार्टियोंको स्वीकार्य कोई वैकल्पिक उपाय सामने न आनेपर क्या कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनमें अपने उपायको स्वीकार करानेके लिए जोर डालेगी या पंच-फैसलेके लिए राजी हो जायेगी, श्री गांधीने कहा :

मैं इस समय इस बातका जवाब नहीं दे सकता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १३-७-१९३१

१५४. तार : रोहित मेहताको

स्वराज्य आश्रम
सूरत
१३ जुलाई, १९३१

रोहित मेहता
मारफत कांग्रेस अहमदाबाद

खेद है। आज रात शिमला जा रहा हूँ। लौटनेपर खुशीसे तुमसे भेंट करूँगा। इस बीच शिमला लिखना।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "साम्प्रदायिकताके प्रश्नका हल" १६-७-१९३१।

१५५. तार : अब्दुल गफ्फार खाँको

स्वराज्य आश्रम
सूरत
१३ जुलाई, १९३१

अब्दुल गफ्फार खाँ
उटमंजई

आपका तार मिला। खुरशेदबहन बीस तारीखको मेरठ पहुँच रही हैं।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१५६. पत्र : मीराबहनको

[१३ जुलाई, १९३१][१]

चि० मीरा,

जैसा कि हमेशा होता है, बम्बईमें मुझे पत्र-व्यवहारके लिए समय नहीं मिला। इस बार भी साढ़े चार बजे सुबहसे काम शुरू हुआ और रातके ११ बजेतक चलता रहा। उस वक्तसे पहले मैं कभी नहीं सोया, फिर भी तन्दुरुस्ती बिल्कुल अच्छी रही।

आज हम तड़के ही सूरत पहुँच गये थे। मैं घंटे-भरसे ऊपर सो लिया और उससे ताजगी आ गई है। मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। मौसम ठंडा है। आकाश-में बादल छाये हुए हैं। ठंडी हवा बराबर चल रही है। अवश्य ही बम्बईमें भी यही हाल था। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है और फादर एल्विन आश्रमके जीवन और जलवायुको कहाँतक सहन कर पा रहे हैं।

हम आज रातको शिमला जा रहे हैं। बा मेरे साथ होंगी। मैं नहीं समझता कि शिमलेमें मुझे तीन दिनसे ज्यादा देने पड़ेंगे। वहाँ मुझे निश्चित मालूम हो जायेगा कि हमें लन्दन जाना है या नहीं।

१. गांधीजी १३ जुलाईको सूरत पहुँचे थे।

लो, यह महादेव तुम सबके समाचार लेकर आ गया है और यह पत्र यहीं रुक गया है।

तो माताजी चल बसीं। तुम्हारे पत्रकी हर पंक्तिमें छिपे हुए शोकको मैंने पहचान लिया। आखिर तो हम इन्सान ही हैं। शोकको छिपानेका सामर्थ्य उसे मिटानेकी पहली सीढ़ी है। भगवान तुम्हें शक्ति दे। जहाँतक खुद माताजीका सम्बन्ध है, जैसा कि तुमने लिखा, यह अच्छी खबर है। जिनसे तुम्हें इतना प्रेम था उनकी मृत्युसे भविष्यके प्रति और सब प्राणियोंकी एकताके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। अगर यह एकता सत्य न होती, तो हमें अपने प्रियजनोंकी मौतको भूल जानेकी ताकत न मिली होती। इस मृत्युसे तुम्हें सेवाके लिए आत्मसमर्पण करनेकी अधिक प्रेरणा भी मिलनी चाहिए।

पता नहीं तुम्हें जो खजूर चाहिए थे वे मिले या नहीं। मगर तुम उनके वशीभूत न होना। मेरा अनुभव है कि उनके बदलेमें द्राक्ष लेना बुरा नहीं है।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३४) से; सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९६६८ से भी।

१५७. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

१३ जुलाई, १९३१

चि० माधवजी,

तुम्हारे लिखे पोस्टकार्ड मिलते रहते हैं। आजकल मुझे पत्र लिखनेका समय ही नहीं मिलता। तुम तो लिखते ही रहना। दरबारी वहाँ आ गये, यह अच्छा हुआ। अब उनसे कहना कि वे वहीं रह जायें।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

आज मैं सूरतमें हूँ और रातको शिमलाकी गाड़ी पकड़नेवाला हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८१७) से।

१५८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

सूरत
१३ जुलाई, १९३१

चि० गंगाबहन,

मैं तुम्हें पत्र तो नहीं लिख सका लेकिन रोज तुम्हारे बारेमें सोचता तो रहता हूँ। काका के साथ भी मैंने तुम्हारे बारेमें बातचीत की है। तुमसे मिलनेके लिए भी मैं बहुत उत्सुक हूँ। जिसके हृदयमें हरिका नाम अंकित है उसे चिन्ता कैसी? महिलाओंकी प्रार्थनामें मैंने जिन तीन श्लोकोंका नित्य पाठ करना सिखाया है वह क्या सिखाता है? "जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसके हितकी चिन्ताका भार मैं उठा लेता हूँ।"[१] तो फिर हमें कैसी चिन्ता?

हमारी 'भजनावलि' में जो भजन दिये गये हैं वे आत्माको शान्ति प्रदान करनेवाले हैं। उनका मनन करनेवाला व्यक्ति कभी नहीं हिचकिचाता। तुम चिन्तामात्र छोड़ देना। मुझे लिखती रहना। जब तुम्हारा पत्र नहीं आता तब मुझे और भी चिन्ता होती है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८१ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥
भगवद्गीता, ९, २२

१५९. पत्र : नारणदास गांधीको

सूरत
१३ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

बम्बईसे तो कैसे पत्र लिखा जा सकता है?

महावीरको अभी आराम नहीं आया है, ऐसा महादेव कहता है। उसे यदि बीजापुर भेजें तो कैसा रहेगा? अथवा बम्बईमें किसी अस्पतालमें रखें। अब तो बीमारी बहुत लम्बी हो गई है। दवा किसकी चल रही है?

मैं शिमला बुधवारको पहुँचूंगा। मेरा खयाल है वहाँ तीन दिन तो जरूर लग जायेंगे।

बा मेरे साथ आ रही है। मेरी तीव्र इच्छा तो यह है कि मैं शिमलासे सीधे अहमदाबाद आऊँ। लेकिन यह तो शिमलामें ही मालूम होगा कि मुझे क्या करना होगा। शिमलाका पता है: फरग्रोव, शिमला।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१६०. तार : मोहनलालको

[१४ जुलाई, १९३१ या उससे पूर्व][1]

हम आठ लोग हैं। बुधवारकी सुबह शिमला पहुँच रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १५-७-१९३१

१. यह तार मोहनलालको १४ जुलाईको प्राप्त हुआ था।

१६१. पत्र : रमाबहन जोशीको

१४ जुलाई, १९३१

चि० रमा,

मैं भागती हुई ट्रेनमें यह पत्र लिख रहा हूँ। स्याहीसे तो यह लिखा ही नहीं जा सकता। तुम्हारा पत्र मुझे मिला था।

यह मोह कैसे? धीरूको मार पड़नेसे तुम्हें चिन्ता होती है जबकि अन्य बच्चोंको मार पड़नेपर नहीं? धीरूके लिए तुम्हारे मनमें जो भाव हैं वह धर्मकुमारके लिए क्यों नहीं? लेकिन तुमने मुझे लिखा सो ठीक किया। निश्चय ही हम दोनोंको तो इसकी चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए न? तुमने डाक द्वारा अपनी चिन्ता मुझे भेज दी है फिर वह बची कहाँ? मेरे पास अथवा तुम्हारे पास? मैंने उसे अपने पास रख लिया है, उसे वापस नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन जिस तरह सबको एक समान माननेके अपने आदर्शका पालन हम नहीं कर पाते उसी तरह प्रेमा भी न मारनेके आदर्शका पालन नहीं कर सकती। और जिस तरह हम सब बच्चोंको अपने ही बच्चे समझनेका प्रयत्न करते हैं उसी तरह प्रेमा भी न मारनेकी दिशामें प्रयत्न करती है। धीरूको उसने जिस तरह उड़ाया सो मुझे याद है। लेकिन सब बच्चोंका मुझे पत्र था कि उन्हें प्रेमाबहन बहुत अच्छी लगती है। फिर भी मैंने डाँट-फटकार की है। इसके जैसी सेविका हमें तुरन्त नहीं मिल सकती। मैं अब और भी ज्यादा ध्यान रखूँगा। अब तो सन्तुष्ट हो न?

विमु क्या आश्रममें रह सकती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३३२) से।

१६२. पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको

१४ जुलाई, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा पत्र मिला। कोई हर्ज नहीं यदि लम्बा है। चलती गाड़ीमें स्याहीसे नहीं लिखा जा सकता। तुम पढ़ सको इतना ही पर्याप्त है। मैंने तो यह कहा है कि जिनके पास बाहर रहकर सेवा करनेके लिए कोई कार्य नहीं है वे आश्रममें जायें। आश्रमसे बाहर रहकर सेवा करनेकी प्रतिज्ञाका उद्देश्य है अधिक तपश्चर्या और अधिक सेवा करना। यदि आश्रमके बाहर रहनेसे आलस्य बढ़ता है, मनोवृत्ति भोगविलासकी ओर अधिक उन्मुख होती है तो आश्रममें जानेमें ही प्रतिज्ञाका पालन

है। अपने निजी स्वार्थके लिए तो आश्रममें नहीं जाया जा सकता। तात्पर्य यह कि तुम चन्द्रकी खातिर आश्रममें नहीं जा सकतीं; ठीक उसी तरह जैसे रमा विमुके लिए नहीं जा सकती। यदि चन्द्र अभी अकेला ही आश्रममें रहता है तो मुझे अच्छा लगेगा। अथवा यदि तुम चाहो तो तुम उसे वहाँ अपने सामने भी रख सकती हो। और यदि ऐसा करनेसे तुम्हारे काममें बाधा उपस्थित होती है तो उसे तुम्हारे पास नहीं रखा जा सकता। अब समझ गई न? यदि न समझ पाई हो तो मुझे फिर लिखना। तुम जो भी कदम उठाओ वह विवेकपूर्ण होना चाहिए।

शिमलामें मुझे तीन-चार दिन लगेंगे। २१ तारीखको बोरसद अथवा बारडोली पहुँचनेकी उम्मीद है। उपवासका क्या असर हुआ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८१८) से।

१६३. पत्र : लीलावतीको

रेलगाड़ीमें
१४ जुलाई, १९३१

चि० लीलावती,

तुम्हारे पत्र मिल गये।

तुम्हें क्या लिखूँ? किस तरहसे आश्वासन दूँ? नारणदासभाई जो कहते हैं वह तुम्हारे प्रति अविश्वासके कारण नहीं अपितु मर्यादाका पालन करनेके विचारसे कहते हैं। मुझसे भी किसीको एकान्तमें लेकर नहीं बैठा जा सकता। अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें स्वतन्त्र रूपसे करनेमें यद्यपि मैं कोई दोष नहीं मानता तथापि मर्यादा-पालनके विचारसे मैं करता हूँ। सारा संसार ऐसे ही करता है। तुम यदि अपने कार्यों पर विचार करोगी तो देखोगी कि अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम मर्यादाकी खातिर ही करती हो। बम्बई जानेके तो विचारमात्रको ही छोड़ देना। मनमें उठने-वाले विचारोंको कार्यरूप न देकर हमें बुरे विचारोंको दबाना चाहिए। मैं शिमला जा रहा हूँ। बादमें अहमदाबाद जानेका इरादा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३२०) से।

१६४. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

[१५ जुलाई, १९३१ से पूर्व][1]

मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ या नहीं। शिमलामें मुझे पता चल जायेगा।

महात्माजीने कहा कि मैंने लन्दनके लिए अभीतक जहाजपर अपनी जगह बुक नहीं कराई है। यह सही है कि किसी औरने मेरे लिए बुक करा दिया था, लेकिन मैंने पी० ऐण्ड ओ० कम्पनीको पत्र भेजकर उसे रद करा दिया था। कम्पनीने मुझे सूचित किया था कि बुकिंगमें विलम्ब होनेपर 'एस० एस० मुल्तान' जहाजमें बहुत भीड़ हो जायेगी। लेकिन मैंने लिखा है कि मैं उस सम्भावनाके लिए तैयार हूँ।

संवाददाताने इसके बाद गांधीजीको 'स्टेट्समैन' की एक प्रति दिखलाई जिसमें उस पत्रके विशेष-प्रतिनिधिने यह विचार व्यक्त किया था कि महात्मा गांधीने सरकारसे गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या बढ़ानेके लिए कहा है और राष्ट्रवादी मुसलमानोंके दलके कुछ सदस्योंको उस प्रतिनिधि मंडलमें शामिल करनेका आग्रह कर रहे हैं।

महात्मा गांधीने कहा कि यह रिपोर्ट सफेद झूठ है। उन्होंने कहा :

इससे मेरी प्रतिष्ठाको ठेस नहीं लगती, लेकिन मेरे दिलको यह देखकर चोट पहुँची है कि जिम्मेदार पत्रकार इस प्रकारकी झूठी बातें कहते हैं।

गांधीजीने आगे कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो युद्ध-विरामको भंग करनेपर तुले हुए हैं और इस आशयका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका बुरा नहीं मानता क्योंकि इससे मुझे चोट नहीं पहुँचती। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा :

सच तो यह है कि इस प्रकारके प्रचारसे मैं और पनपता हूँ। यह समाचार मूर्खतापूर्ण है और मैं जानता हूँ कि किस प्रकार इन झूठी बातोंको गढ़ा जाता है। लेकिन पत्रकारिताकी जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह इन बातोंसे घटती है। यदि मेरा इरादा वाइसरायसे कुछ और व्यक्तियोंको नामजद करानेके लिए कहना होता तो मैं यह बात डंकेकी चोट घोषित करता।

उन्होंने कहा, मुझे दुःख है कि अंग्रेजीके पत्रकार ईमानदारीके साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं और दुष्टतापूर्ण प्रचार करनेमें लगे हुए हैं।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप अपने साथ कुछ सलाहकार ले जायेंगे, महात्माजीने कहा :

मेरा सलाहकार ईश्वर है। मैं कोई सलाहकार नहीं ले जा रहा हूँ। यदि मेरा इरादा सलाहकारोंको ले जानेका होता तो मैं उन्हें प्रतिनिधियोंके रूपमें ले जाता।

१. प्रथम अनुच्छेदमें शिमलाके उल्लेखसे, जहाँ गांधीजी १५ जुलाईको पहुँचे थे।

महात्माजीने कहा कि गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधित्वकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी कराचीमें थी, और मेरी रायमें यह सर्वथा उचित निर्णय है। अन्तमें उन्होंने कहा :

मैं अपने साथ अपने बेटे देवदास गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल और मिस स्लेडके अलावा अन्य किसीको नहीं ले जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २०-७-१९३१

१६५. भेंट : 'अमृतबाजार पत्रिका' के प्रतिनिधिसे

शिमला
१५ जुलाई, १९३१

गांधीजी श्री इमर्सनके घरपर तीन घंटेकी बातचीतके बाद आज तीसरे पहर जब लौटे तब मैंने उनका अभिवादन किया। गांधीजीने कहा :[1]

मेरा ख्याल है मैं शुक्रवारको वाइसरायसे भेंट करूँगा।

उन्होंने आगे कहा :

मुझे भय है कि यहाँ शायद मुझे रविवारतक रहना होगा।

उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि पंडित जवाहरलाल और श्री पटेल शिमला आयेंगे या नहीं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि इंग्लैंडके लिए रवाना होनेसे पहले कोई साम्प्रदायिक समझौता हो जायेगा या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा :

हम कोशिश कर रहे हैं।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप अपने साथ कोई सलाहकार लन्दन ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा :

मेरा महा-परामर्शदाता ईश्वर है।

श्री इमर्सनके साथ आज तीसरे पहर उनकी बातचीत विभिन्न प्रान्तोंमें, विशेष रूपसे गुजरात, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और केरलमें अधिकारियों द्वारा दिल्ली समझौतेके कथित उल्लंघनोंके ही सिलसिलेमें हुई।

गांधीजीने कुछ अखबारोंमें प्रकाशित इस समाचारका भी जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया कि वाइसरायसे वह जिन विषयोंपर चर्चा करेंगे उनमें से एक सवाल गोलमेज सम्मेलनमें और अधिक प्रतिनिधित्वका भी होगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १६-७-१९३१

१. देखिए परिशिष्ट ३।

१६६. टिप्पणियाँ

शराबके व्यापारी चेतें

शराबके ठेकोंका नीलाम इस वक्त जगह-जगह हो रहा है। जो हकीकत मैं प्रकाशित कर चुका हूँ, उसे देखते हुए यह आशा करना बहुत अधिक होगा कि स्थानीय अधिकारी ठेकोंका नीलाम बन्द करेंगे या उनपर अंकुश रखेंगे। लेकिन क्या शराबके व्यापारियोंसे भी यह आशा करना अधिक होगा कि वे भविष्यका खयाल करें? उन्हें जानना चाहिए कि मद्यनिषेध और विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार राष्ट्रकी स्थायी नीति है। एक नैतिक आवश्यकता है, दूसरी आर्थिक। दोनोंके राजनैतिक परिणाम होते हैं। लेकिन वे गौण हैं। इसमें शक नहीं कि जबतक राज्य मद्यनिषेधकी नीतिको कबूल नहीं करता, अत्यन्त शान्त प्रकारका धरना-आन्दोलन बिना शिथिलताके जारी रहेगा। लोकशिक्षाका यह एक प्रभावशाली ढंग है।

नमककी रियायत

मुझे पता चला है कि मीरपुर और कालाबागके नमक क्षेत्रोंमें लोगोंने दिल्ली-वाले समझौतेके अनुसार नमककी रियायतसे बेजा फायदा उठाया, जिसकी वजहसे वहाँ सरकारने वह रियायत वापस ले ली है। कहा जाता है कि लोग मनों नमक ऊँटों पर लाद कर ले गये हैं। अगर यह सच है, तो स्पष्ट ही यह समझौतेका भंग था। इसके विरोधमें सरकारने जो कार्रवाई की है वह जरूरतसे ज्यादा सख्त है या नहीं, इसका निर्णय करना तबतक सम्भव नहीं, जबतक वस्तुस्थितिका पूरा पता न चले। मद्राससे खबर आई है कि वहाँके एक नमक क्षेत्रसे लोग बैलगाड़ियोंमें नमक ले जाते हुए पाये गये थे। उनपर मुकदमा चलाया गया था। गाड़ियोंमें नमक ले जाना बिलाशक गलत था। इस मामलेमें भी जबतक पूरी हकीकत न पता चले तबतक यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि एक बार चेतावनी देना काफी होता या नहीं। जिम्मेदार कांग्रेसजन सही हकीकत भेजकर इस मामलेमें मेरी मदद कर सकते हैं। मैं फिरसे कहता हूँ कि वह रियायत केवल उन गाँववालोंके लिए है, जो घरेलू खर्चेके लिए नमक बनाते और आपसमें बेचते हैं — और इसकी हद वहीं तक है, जहाँतक आदमी पैदल जा सकता है। इसलिए स्वभावतः इस रियायतमें मनुष्यको छोड़कर सामान ढोनेके और किसी साधनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठेलागाड़ी तकका इस्तेमाल करना अनुचित होगा। नमकका बोझा सिर या पीठपर ही ढोकर ले जाना चाहिए। उधर सरकारसे यह आशा रखनी चाहिए कि मामला चलानेसे पहले वह समझौता-भंगकी उचित चेतावनी लोगोंको कर दे। जहाँ करोड़ों गरीब अज्ञान देहातियोंका सवाल है, उनसे यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वे उन तमाम कायदोंको भली-भाँति समझ सकेंगे, जो मौके-बेमौके जारी किये जायेंगे। मुझे यह

जानकर आश्चर्य हुआ है कि गाँववालोंने, उत्तर भारतमें या दक्षिण भारतमें, जानबूझ कर समझौतेकी शर्तोंका भंग किया है। कुछ भी क्यों न हो, कांग्रेसजनोंको सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपने-अपने हल्कोंमें गाँववालोंको सही-सही सूचनाएँ दे देनी चाहिए।

अनुचित उपयोग

एक पत्रलेखक लिखते हैं कि दक्षिण भारतमें स्थानीय अधिकारियोंने कुछ सप्ताह पहलेके मेरे सुझावका[1] अनुचित उपयोग किया है कि एक स्थानमें पाँचसे अधिक धरना देनेवाले न तैनात किये जायें। इसपर से दक्षिण भारतके कुछ स्थानोंमें अधिकारियोंने फौरन ही यह हुक्म जारी कर दिया है कि किसी भी हालतमें पाँचसे अधिक धरना देनेवाले कहीं तैनात न किये जायें। इस प्रकार कई स्थानोंमें जहाँ आजकल शराबकी दुकानोंमें आनेजानेके अनेक रास्ते हैं, पाँचसे ज्यादा धरना देनेवाले खड़े नहीं रहने दिये जाते। मेरे सूत्रके अनुसार तो हरएक दरवाजेपर पाँचसे अधिक धरनेदार नहीं होने चाहिए। एक दरवाजेके लिए भी मैं ऐसी आवश्यकताकी कल्पना कर सकता हूँ, जब पाँचसे अधिक धरनेदारोंकी जरूरत पड़े। धरनेदारोंकी संख्या दुकानकी स्थितिपर निर्भर करेगी।

कांग्रेस-स्वयंसेवक

समझौतेकी बातचीतके दरम्यान दिल्लीमें जो बैठक हुई थी उसे छोड़कर कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक इतने लम्बे समयतक पहले कभी नहीं हुई थी जितनी पिछले हफ्ते[2] हुई। बैठकमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उन्हें एक बार देख जानेसे पता चलेगा कि इतना समय व्यर्थ ही बरबाद नहीं किया गया था। इसीके साथ समझौते-सम्बन्धी शिकायतोंपर विचार करनेके लिए घंटों जो अत्यन्त आवश्यक और फलदायी बातचीत हुई, उसको भी जोड़ लीजिए।

महत्त्वकी दृष्टिसे साम्प्रदायिकता सम्बन्धी प्रस्तावके बाद दूसरे नम्बर पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह स्वयंसेवकोंके सम्बन्धमें था। अबसे हिन्दुस्तानी सेवादल कांग्रेसकी एक संस्था बन जाता है। उसके कार्यकी व्याख्या की जा चुकी है। अब स्वयंसेवक-संस्थाएँ जैसे-तैसे नहीं पैदा होंगी। अगर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगी तो अनुशासनहीनताको सहा नहीं जायेगा। भविष्यमें कार्यसमिति एक अनजान संस्थाको सालाना वित्तीय मदद देकर ही सन्तोष नहीं करेगी। अपने गत वर्षके सभापतिकी सहायतासे समिति सेवादल संस्थाको नये सिरेसे संगठित करेगी और उसकी मार्फत प्रान्तीय संस्थाओंको प्रशिक्षित अधिकारी और प्रशिक्षक पहुँचाती रहेगी। ये प्रान्तीय संस्थाएँ और मामलोंमें बिल्कुल स्वतन्त्र और नियन्त्रण-मुक्त होंगी। लेकिन जहाँ इच्छाका अभाव होगा, वहाँ कैसा भी संविधान क्यों न हो अनुशासन और कार्यक्षमता नहीं उत्पन्न होगी। कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार है:

१. देखिए खण्ड ४६, "टिप्पणियाँ", पृष्ठ १९४, उपशीर्षक "ध

२. ७ जुलाईसे १३ जुलाई तक।

हिन्दुस्तानी सेवादल और कांग्रेसके आपसी सम्बन्धके बारेमें जो गलत-फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए और यह देखते हुए कि देशके कई हिस्सोंमें अनधिकारी स्वयंसेवक संस्थाएँ कांग्रेसके नामपर काम कर रही हैं, कार्यसमिति निश्चय करती है कि

१. इस प्रस्ताव द्वारा हिन्दुस्तानी सेवादलको कांग्रेसकी प्रधान स्वयंसेवक संस्था करार दिया जाता है। यह दल सीधे कार्य-समितिकी देखरेखमें या उन व्यक्तियोंके अधीन रहकर काम करेगा जिन्हें समिति अपनी ओरसे नियुक्त करेगी। यह संस्था नीचे लिखे कार्य करेगी:

(क) अधिकारियों और शिक्षकोंके प्रशिक्षणके लिए यह संस्था विधिवत् स्वीकृत संस्थाकी तरह काम करेगी।

(ख) यह संस्था कर्नाटकमें या दूसरी जगहमें, जिसे कार्यसमिति समय-समयपर तय करेगी, नये रँगरूटोंको भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षित करेगी और अधिकारियोंके प्रशिक्षणके लिए उनका एक स्थायी केन्द्रीय दल बनेगा, और जहाँ-कहीं आवश्यकता होगी, वहाँ उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। अन्य उपयुक्त स्थानोंमें भी यह संस्था अपने प्रशिक्षण केन्द्र और अधिकारियों तथा प्रशिक्षकोंके शिविर कायम कर सकेगी।

(ग) प्रान्तोंको, उनके खर्चपर, यह संस्था अधिकारियों और प्रशिक्षकोंकी सेवा भी देगी।

(घ) जहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ चाहेंगी, वहाँ इस संस्थाको अधिकार होगा कि यह प्रान्तोंमें स्वयंसेवक-दल कायम करे।

२. इस प्रस्ताव द्वारा तमाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको यह अधिकार दिया जाता है और आशा की जाती है कि वे विधिवत् मान्यताप्राप्त स्वयं-सेवक-दलोंकी स्थापना करेंगी।

३. किसी भी ऐसे दलको तबतक मान्यता नहीं दी जायेगी, जबतक उसके सब सदस्य कांग्रेसके सदस्य न होंगे, और कांग्रेसके ध्येयको न मानते होंगे; साथ ही यह आवश्यक होगा कि उसके अधिकारियोंके पास हिन्दुस्तानी सेवादलके प्रमाणपत्र हों।

४. कोई भी स्वयंसेवक मंडल या दल तबतक किसी भी कांग्रेस प्रान्तमें कांग्रेसके नामपर या उसके एवजमें काम न कर सकेगा, जबतक वह पहले ही कार्यसमिति द्वारा मान्य न हो चुका हो।

५. कार्यसमितिकी तरफसे जवाहरलाल नेहरूको कांग्रेसकी उक्त प्रधान स्वयंसेवक संस्थाका कारोबार सौंपा जाता है, और एन० एस० हार्डीकर उसके प्रबन्ध मन्त्री बनाये जाते हैं। इनके कार्यकालकी अवधि जबतक कार्यसमिति चाहेगी, रहेगी। कार्यसमिति द्वारा नियुक्त सदस्य उक्त संस्थाके नियम इस

प्रकार बनायेगा कि वे समितिके इस प्रस्तावके अनुकूल हों, और अधिकारियों और स्वयंसेवक दलके सदस्योंके कर्तव्यों और योग्यताकी भी वह व्याख्या करेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि इन नियमोंका अमल तभी हो सकेगा, जब पहले उनके लिए कार्यसमितिकी मंजूरी मिल जायेगी और अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी सेवादलका बोर्ड उन्हें स्वीकृत कर लेगा।

तमिलनाडु चरखा संघ और अब्राह्मण

मेरे पास इस आशयकी शिकायतें आई हैं कि तमिलनाडु चरखा संघपर ब्राह्मण कर्मचारियोंका एकाधिकार स्थापित हो गया है। ऐसे संशयवादी लोग, जिनके मन किसी पूर्वग्रहसे ग्रस्त नहीं हैं, यह समझ लें कि कार्यकर्ताओंकी भर्ती जाति आदिके आधारपर कभी नहीं की जाती। उन्हें भर्ती करते समय सिर्फ उनकी योग्यताका ही खयाल रखा जाता है। हकीकत इस प्रकार है। तमिलनाडुमें कुल मिलाकर ५३ उत्पादन और बिक्री केन्द्र हैं। इनमें से २८ केन्द्रोंके व्यवस्थापक अब्राह्मण और २५ के ब्राह्मण हैं। १५ रु० मासिकसे कम वेतन पानेवाले नौकरोंको छोड़कर, जो प्रायः सबके सब अब्राह्मण हैं, तमिलनाडु चरखा संघ नौकरोंको जो वेतन देता है, वह इस प्रकार है:

५० रुपये और अधिक	:	१० ब्राह्मण;	५ अब्राह्मण
५० रुपयेसे कम	:	५३ ब्राह्मण;	१२१ अब्राह्मण
कुल	:	६३ ब्राह्मण;	१२६ अब्राह्मण

प्रतिमास ब्राह्मणोंको कुल २,५७६ रुपये वेतन दिया जाता है, और अब्राह्मणोंको ३,१०२ रुपये। १५ रुपयेसे कम वेतन पानेवाले कार्यकर्ताओंमें ब्राह्मणोंको कुल ३१ रुपये और अब्राह्मणोंको ७२५ रुपये मिलते हैं। ५० से ज्यादा वेतन पानेवाले १० ब्राह्मण कार्यकर्ताओंमें से दो सात सालसे भी अधिक समयसे काम कर रहे हैं और छःकी सेवा पाँच सालसे भी अधिककी है। शेष दो तीन वर्षोंसे काम कर रहे हैं। ५० रुपयेसे ज्यादा वेतन पानेवाले पाँच अब्राह्मणोंमें से तीन पाँच वर्षोंसे सेवा कर रहे हैं, और दो तीन वर्षोंसे नौकर हैं।

यदि दक्षिण भारतमें ब्राह्मण-अब्राह्मण सवालका झगड़ा न होता, तो मैं इन आँकड़ोंको प्रकाशित करनेसे इनकार कर देता — मुझे इनकार कर देना चाहिए था। दक्षिण भारतके पाठक यह याद रखें — यदि इसका कोई महत्त्व हो — कि संघमें खास कर अब्राह्मण सेवक ही ज्यादा हैं। मुख्य कार्यकर्त्ता तो उसमें कामके प्रति प्रेमवश यह कार्य करते हैं, पैसेके लिए नहीं। विशेषता यह है कि संघकी हस्ती ही करोड़ों मूक और भूखों मरनेवाले लोगोंकी सेवा करनेके लिए है। ऐसे लोगोंमें अब्राह्मण ही ज्यादा हैं, और उनमें ईसाई और मुसलमान भी शामिल हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१६७. मलाबारमें धरना

श्रीयुत के० केलप्पन, अध्यक्ष, केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने लिखा है:[1]

जब मैं कांग्रेसजनोंके विरुद्ध आरोपोंको प्रकाशित करता हूँ, तो कांग्रेसजनोंको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि ये आरोप सही सिद्ध हों या यदि मैं कांग्रेसजनोंको इन आरोपोंका खण्डन करनेका अवसर दिये बिना आरोपोंका समर्थन करूँ तब तो कोई बात भी होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१६८. जापानी खतरा

एक पत्र-लेखकने लिखा है:[2]

हमारे गर्वको इस बातसे कितना ही आघात क्यों न पहुँचे, लेकिन पत्र-लेखकने जो उद्धरण दिया है उसमें हमारे लिए दोहरा सबक है। ब्रिटिश कपड़ेको हमारे बहिष्कारने उतना बेदखल नहीं किया है जितना जापानकी कुशलताने किया है, और यदि हमारी मिलें समयकी गतिके साथ नहीं चलेंगी तो कांग्रेस द्वारा लोगोंमें स्वदेशी-की भावना पैदा करनेकी तमाम कोशिशोंके बावजूद जापान दौड़में जीत जायेगा। अकार्यकुशलताका संरक्षण करनेके लिए निषेधात्मक शुल्क लगानेकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मैं जानता हूँ कि जापानमें जनता और राज्य एक हैं। लेकिन हम उस स्थितिमें पहुँच भी जायें तो भी कार्य-कुशलता तो जरूरी होगी ही, बल्कि शायद अबकी अपेक्षा ज्यादा जरूरी होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। गांधीजी द्वारा २५-६-१९३१को लिखे "सच हो तो भयानक है", शीर्षक लेखका उल्लेख करते हुए श्री केलप्पनने इस आरोपका खण्डन किया था कि केरलमें धरना आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहीं है।

२. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें सुदूरपूर्वमें नियुक्त ब्रिटिश कपास मिशनकी रिपोर्टमें से आँकड़े उद्धृत किये गये थे और बताया गया था कि किस प्रकार जापानकी व्यापार कुशलताने चीन और भारतके बाजारोंसे ब्रिटिश मालको बेदखल कर दिया है। पत्रलेखकके विचारसे इस बातसे यह सिद्ध किया जा सकता था कि लंकाशायरमें जो मन्दी आई थी उसका मुख्य कारण भारतीय बहिष्कार आन्दोलन नहीं था।

१६९. साम्प्रदायिकताके प्रश्नका हल

कार्यसमितिने जो योजना तैयार की है, और जिसे स्वीकार कर लेनेकी सलाह सारे देशको दी है, वह योजना पहले तो डाक्टर अन्सारीके सतत परिश्रमका फल है और फिर उस उपसमितिके परिश्रमका, जिसके सदस्य पण्डित मालवीयजी, डाक्टर अन्सारी और सरदार शार्दूलसिंह हैं। मैंने डाक्टर अन्सारीको इससे पहले कभी किसी काममें इतना एकरूप और तल्लीन नहीं देखा, जितना वह साम्प्रदायिकताके सवालके बारेमें इधर रहे हैं। उन्हें अपने पेशेसे प्रेम है और उसके लिए जीनेमें वह सन्तुष्ट हैं। राजनैतिक क्षेत्रमें या कांग्रेसके सभापतिके रूपमें वह लोगोंके सामने इसलिए आये हैं कि दोस्त उन्हें उस जगह घसीट लाये हैं। वह इतने उदारचित्त और देशभक्त हैं कि मित्रोंके आग्रहको टाल नहीं सकते। लेकिन आज तो साम्प्रदायिकताके सवालके निपटारेको उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु बना लिया है। उनके ये प्रयत्न सफल हों! उत्तमसे उत्तम गुणको भी जबतक मनुष्यरूपी साधन नहीं मिले तबतक उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता।

अगर साम्प्रदायिक प्रश्नके निपटारेकी जरूरत कबूल की जाये, तो मूलभूत रूपसे मुझे यह योजना ठीक लगती है। अगर हम विशुद्ध राष्ट्रवादी हैं, तो किसी योजनाकी आवश्यकता नहीं रहती। धर्मकी दृष्टिसे हम भले भिन्न-भिन्न हों, राष्ट्रके रूपमें हमें एक और अविभाज्य होना चाहिए। हम व्यवस्थापकोंका चुनाव और नौकरोंकी नियुक्ति उनकी योग्यताके आधारपर करेंगे, कौम या मजहबके खयालसे नहीं। इस आदर्शकी कसौटीपर हमारी यह योजना पूरी नहीं उतरती — यह हमारे पतनकी सूचक है। लेकिन पतित हम हैं ही। हम एक दूसरेका अविश्वास करते हैं, एक दूसरेसे डरते हैं, और फिर भी स्वराज्य चाहते हैं, क्योंकि वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी विचारसे कांग्रेसने समझौतेकी एक शक्ल निकाली है। कार्यसमितिकी बैठकमें मौलाना शौकतअली-ने गुस्सा होकर कहा था — "आप बारबार मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ, आपको बता चुका हूँ। आप मुझे वह क्यों नहीं बताते कि आप क्या देंगे?" बात चुभ गई। विशुद्ध राष्ट्रीयतावाला कांग्रेसका सूत्र निरर्थक था। मौलानाका यह दावा कि वह सारी मुस्लिम कौमके नुमाइंदा हैं, मंजूर नहीं किया गया, इसलिए वह यह जाननेके हकदार थे कि कांग्रेस क्या दे सकती है। कांग्रेस ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती थी, जिसे देनेके लिए राष्ट्रवादी सिख, मुसलमान या हिन्दू तैयार और सम्मत न हों। इसीलिए उपसमिति नियुक्त की गई और फिर कार्यसमितिने ठोकपीट कर यह योजना प्रस्तुत की।

कार्यसमितिकी यह इच्छा नहीं हो सकती कि वह जबर्दस्ती कोई बात किसीके गले उतारे। लेकिन उक्त तीन कौमोंके राष्ट्रवादियोंके सामने अब एक चीज है जिसके अनुसार, और जिसके ऊपर वे सोच-विचार और अमल कर सकते हैं। वे अपनी-अपनी कौममें शान्तिपूर्वक लोकमत तैयार करें।

मैं हिन्दुओंसे आरम्भ करता हूँ। हम अतिशय बहु-संख्यक जाति हैं। अगर हम शारीरिक दृष्टिसे अपनेको बौना और मुसलमानों तथा सिखोंको राक्षस समझते हैं, तो धारासभाओंकी मददसे हम कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे। भयका त्याग करके हम बड़े बन सकेंगे, अपने अवयवोंको खींचतान कर नहीं। शारीरिक शक्तिका हिम्मतके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि हिम्मत तो हृदयकी वस्तु है। बड़ेसे-बड़ा पहलवान भी एक काल्पनिक डरके सामने काँपता हुआ पाया गया है। वह हृदयकी ही ताकत है जिसे देखकर शरीरकी ताकत थर्रा उठती है। आइए, हम हिम्मत करें, और मुसलमानों तथा सिखोंकी माँगोंपर अपनी सही कर दें। अहिंसा या प्रेमके तराजूका तो यही इन्साफ है। भले ही अराष्ट्रीय मुसलमान और सिख इसे ठुकरा भी दें तो भी अगर इस योजनासे हम हिन्दुओंकी आँखें खुल जायें, तो शुभ ही होगा।

यदि हम इस योजनाको बिला ननुनचके मंजूर करते हैं, तो हमें किसी भी दूसरी योजनाको, जो तमाम सिखों और तमाम मुसलमानोंको मंजूर हो, मंजूर करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि पहले ही से किसी दूसरी योजनाको स्वीकार करनेकी बातसे हम इस योजनासे भी डर जायें। व्यक्तिगत रूपसे मैं इस मामलेमें अपनी राय निश्चित कर चुका हूँ, और कई बार उसे व्यक्त भी कर चुका हूँ। परन्तु मैं हिन्दुओंसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि वे इस योजनाको स्वीकार कर लें, क्योंकि इसे कार्यसमितिके दूसरे हिन्दू सदस्योंके अलावा पण्डित मदनमोहन मालवीयजी और श्रीयुत माधवराव अणेके आशीर्वाद प्राप्त हैं।

कांग्रेस योजना

कांग्रेसने अपने आरम्भसे ही शुद्ध राष्ट्रीयताको अपना आदर्श निश्चित किया है, भले ही वह उसे प्राप्त करनेमें कितनी ही हदतक विफल क्यों न हुई हो। उसने साम्प्रदायिकताकी दीवारोंको तोड़नेकी कोशिश की है। लाहौर कांग्रेसमें पास किया गया निम्न प्रस्ताव[1] राष्ट्रवादकी दिशामें चरम-बिन्दु था।

इसलिए कांग्रेस साम्प्रदायिकताके सवालका कोई साम्प्रदायिक हल नहीं प्रस्तुत कर सकती। लेकिन राष्ट्रके इतिहासके इस नाजुक मोड़पर ऐसा महसूस किया जाता है कि कार्यसमिति देशके सामने स्वीकृतिके लिए एक ऐसा हल प्रस्तुत करे जो देखनेमें हालाँकि साम्प्रदायिक हो लेकिन जो राष्ट्रीयताके जितना सम्भव हो उतना निकट हो और सम्बन्धित पक्षोंको सामान्य रूपसे स्वीकार्य हो। अतः कार्यसमितिने पूरी तरह खुलकर विचार-विमर्श करनेके बाद निम्नलिखित योजनाको एकमतसे पास किया है:

१. (क) संविधानमें मूलभूत अधिकारोंसे सम्बन्धित धारामें सम्बन्धित जातियोंको उनकी संस्कृतियों, भाषाओं, लिपियों, शिक्षा, धन्धों और धर्म-पालनकी स्वतन्त्रता तथा धार्मिक निधियोंकी सुरक्षाकी गारंटी भी शामिल होगी।

१. यहाँ नहीं दिया गया है। देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३७०।

(ख) स्वधर्म शास्त्रोंको संविधानमें विशिष्ट व्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

(ग) विभिन्न प्रान्तोंकी अल्पसंख्यक जातियोंके राजनीतिक तथा अन्य अधिकारोंकी सुरक्षाका दायित्व संघ सरकारका होगा और ये अधिकार उसके क्षेत्राधिकारमें होंगे।

२. सभी वयस्क पुरुषों और स्त्रियोंको मताधिकार प्रदान किया जायेगा।

(टिप्पणी : कार्यसमिति कराची-कांग्रेसके[1] प्रस्तावके द्वारा वयस्क मताधिकार लागू करनेके लिए वचनबद्ध है और वह मताधिकारका अन्य कोई सिद्धान्त नहीं मान सकती। तथापि कुछ क्षेत्रोंमें फैली गलतफहमीको देखते हुए कार्यसमिति यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी भी हालतमें मताधिकार एकरूप होगा और इतना व्यापक होगा कि प्रत्येक जातिका आबादीमें जो अनुपात है वही अनुपात मतदाता सूचीमें प्रगट होगा)।

३. (क) भारतके भावी संविधानमें प्रतिनिधित्वका आधार संयुक्त निर्वाचक-गण होंगे।

(ख) सिन्धमें हिन्दुओंके लिए, असममें मुसलमानोंके लिए और पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें सिखोंके लिए तथा किसी भी प्रान्तमें जहाँ हिन्दुओं या मुसलमानोंकी संख्या कुल आबादीके २५ प्रतिशत से कम होगी, वहाँ उनके लिए संघीय तथा प्रान्तीय विधानमण्डलोंमें जनसंख्याके आधारपर सीटें सुरक्षित रखी जायेंगी, साथ ही उन्हें अतिरिक्त सीटोंके लिए चुनाव लड़नेका अधिकार होगा।

४. सारी नियुक्तियाँ निष्पक्ष लोक सेवा आयोगों द्वारा की जायेंगी। ये आयोग न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित करेंगे और लोकसेवाकी कार्यक्षमताका ध्यान रखनेके साथ-साथ सभी जातियोंको देशकी लोक-सेवाओंमें उचित हिस्सा देनेके लिए समान अवसर प्रदान करनेके सिद्धान्तका पालन करेंगे।

५. संघीय और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोंका निर्माण करते समय अल्पसंख्यक जातियोंके हितोंका ध्यान रखनेकी परिपाटीका पालन किया जाना चाहिए।

६. उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त और बलूचिस्तानमें सरकार और प्रशासनका वही स्वरूप होगा जैसा कि अन्य प्रान्तोंमें।

७. सिन्धको एक पृथक प्रान्त बना दिया जायेगा बशर्ते कि सिन्धके लोग पृथक किये गये प्रान्तके वित्तीय भारको उठानेको तैयार हों।

८. देशका भावी संविधान संघीय होगा। जबतक और परीक्षणके बाद अवशिष्ट अधिकारोंका संघमें शामिल प्रान्तोंमें निहित होना भारतके हितोंके विरुद्ध न पाया जाये तबतक ये अधिकार प्रान्तोंमें निहित होंगे।

१. मार्च १९३१ में आयोजित; देखिए खण्ड ४५।

कार्यसमितिने शुद्ध साम्प्रदायिकतापर आधारित और शुद्ध राष्ट्रीयतापर आधारित प्रस्तावोंके बीच समझौतेके रूपमें उक्त योजनाको स्वीकार किया है। कार्यसमिति विश्वास करती है कि सारा राष्ट्र इस योजनाका समर्थन करेगा, और साथ ही अतिवादी विचारधारावाले लोगोंको, जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति चूँकि लाहौरवाले प्रस्तावसे बँधी हुई है, इसलिए वह खुशीसे किसी ऐसे प्रस्तावको बिना किसी संकोचके स्वीकार कर लेगी जो सब सम्बन्धित पक्षोंको स्वीकार्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१७०. विदेशी-वस्त्र-सम्बन्धी प्रतिज्ञा

कांग्रेस कार्यसमितिने विदेशी वस्त्र विक्रेताओं तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके मार्ग-निर्देशनके लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा-पत्र स्वीकार किया है:

निश्चय किया जाता है कि विदेशी वस्त्र तथा सूतके बहिष्कारसे सम्बन्धित कोई भी प्रतिज्ञा जो निम्नलिखित प्रतिज्ञासे असंगत होगी, अवैध मानी जायेगी:

हम संकल्प करते हैं कि जबतक कांग्रेस कार्यसमिति अपने प्रस्ताव द्वारा इसके विपरीत कुछ करनेकी अनुमति नहीं देगी तबतक हम निम्नलिखित शर्तोंका पालन करेंगे:

१. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि रुई, ऊन या रेशमका विदेशमें बना सूत या ऐसे सूतसे बना कोई कपड़ा हम न बेचेंगे और न खरीदेंगे।

२. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जिन मिलोंने कांग्रेसकी शर्तोंको स्वीकार नहीं किया है उन मिलोंका बना कोई सूत या कपड़ा हम न बेचेंगे और न खरीदेंगे।

३. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस देशमें कोई विदेशी सूत या रेशम या ऊन या ऐसे सूत, या रेशम या ऊनसे बना कोई कपड़ा, जो हमारे पास पहलेसे पड़ा हो, नहीं बेचेंगे।

सभी सम्बन्धित व्यक्ति इस बातको ध्यानमें रख लें कि यह प्रतिज्ञा उन सभी प्रतिज्ञाओंको रद कर देती है जिन्हें कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं या संगठनोंने यों ही स्वीकार कर लिया हो। व्यापारियोंको अपने मनमें यह निश्चय जान लेना चाहिए कि विदेशी वस्त्रोंका यह बहिष्कार कोई अस्थायी चीज नहीं है। उन्हें या तो स्वदेशी कपड़ेका, या जो इससे भी उत्तम होगा वह यह कि खादीका, व्यापार शुरू कर देना चाहिए और या फिर अन्य ऐसा कोई धन्धा ढूँढ़ लेना चाहिए जो राष्ट्रीय हितके अनुकूल हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१७१. कुछ विचारणीय प्रश्न

खद्दर-प्रेमियोंके लिए कुछ विचारणीय प्रश्न ये हैं:

> **क्या आप मुझे कृपा करके समझायेंगे कि कराची कांग्रेसमें खादी-प्रचारके सम्बन्धमें स्वीकृत प्रस्तावसे उस उद्देश्यकी पूर्तिमें कैसे सहायता मिलेगी? देशी मिल-मालिकोंसे अपील की गई है कि वे स्वयं हाथकता सूत इस्तेमाल करके हाथ-कताईके सहायक ग्राम-उद्योगको अपना नैतिक समर्थन प्रदान करें। यदि मिल-मालिकोंको अपनी-अपनी मौजूदा मिलोंका विकास करनेके लिए उन्हें चलाते रहनेका अबाध विशेषाधिकार प्राप्त है, तो क्या हाथ-कते सूतके उपयोगमात्रसे यह समझ लिया जायेगा कि खद्दरके लिए उनका नैतिक समर्थन है? मेरी नम्र रायमें खादीके लिए मिल-मालिकोंका नैतिक समर्थन तबतक नहीं माना जा सकता, जबतक कि वे मिलों और चरखेके बीचके विरोधको समझकर अपनी प्रवृत्तिको धीरे-धीरे सीमित करनेका प्रामाणिक प्रयत्न नहीं करते। फिर यह समझमें नहीं आता कि अगर मिलें खद्दरकी जगह उपयोगके लिए ज्यादा बारीक और सस्ता माल पैदा करती रहेंगी तो खद्दर उसके सामने कैसे टिका रह सकेगा। और फिर मिल-मालिकोंको कपड़ेकी कीमतें नीची रखनेको कहना तो खद्दरको मारनेका निश्चित उपाय होगा।**

ये सब अच्छे प्रश्न हैं। इसमें शक नहीं कि अगर खद्दरका मिल-मालिकों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग उनके आन्तरिक विश्वासका चिह्न नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं है और वह दम्भका चिह्न भी हो सकता है। अगर उनमें आन्तरिक विश्वास है तो जैसे एक माली अपने मजबूत पौधोंकी इस तरह व्यवस्था करता है कि कमजोर पौधोंको हानि न पहुँचे, ठीक वैसे ही मिल-मालिक अपनी मिलें ऐसे ढंगसे चलायेंगे जिससे खद्दरको कभी नुकसान न पहुँचे। कांग्रेस मिलोंको सहन करती है तो इस विश्वासके आधारपर करती है कि संक्रमणकालमें मिलें उपयोगी काम कर सकती हैं। अगर देशी मिलें आन्दोलनके साथ सहानुभूति रखकर काम करें तो उनकी सहायतासे विलायती कपड़ेका तात्कालिक बहिष्कार आसान हो जाता है। अकेली देशी मिलोंसे निबटना और स्पर्धा करना खादीके लिए ज्यादा आसान है, लेकिन उनके साथ-साथ अंग्रेजी, जापानी, इटालियन और दूसरी मिलोंके साथ इकट्ठा निबटना उतना आसान नहीं है। खद्दरवालोंको देशी मिलोंकी संख्या बढ़नेसे डर नहीं जाना चाहिए। यह वृद्धि निःसन्देह इस बातका प्रमाण है कि खादीका आर्थिक प्रभाव अभी तक पूरी तरह महसूस नहीं हुआ है। जब खद्दर सार्वत्रिक हो जायेगा, तब सम्भव है बहुत-सी मिलोंका काम ही न रह जाये। यह अन्दाज लगाना गैरजरूरी है कि खद्दरका लोगोंपर ऐसा प्रभाव होगा या नहीं। यह कार्यकर्ताओंकी वफादारीपर निर्भर करेगा। खद्दरके पक्षमें जो दलीलें दी जाती हैं उनमें कोई दोष नहीं है। जरूरत है

तो केवल लाखों ग्रामीणोंको सच्ची शिक्षा देनेकी, राष्ट्रीय रुचि बदलनेकी और देशसे दारिद्रचको भगानेकी जबरदस्त ताकतको महसूस कर लेनेकी। एक ऐसा मार्ग दिखा सकना कोई छोटी बात नहीं जिसे अपनानेसे भुखमरी और उसके साथ लगे हुए परिणामोंसे रक्षा हो जाये।

अब दूसरा प्रश्न लें। इसमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं कि बारीक कपड़ा तैयार करनेवाली मिलोंकी जरूरत है। खादीके युगमें लोगोंको बारीक खादी मिलती थी। वह आज भी तैयार की जाती है। मगर वह इतनी ज्यादा और सस्ती नहीं होती कि जो चाहें उन सबको मिल सके। इसलिए संक्रमणकालमें मिलोंको महीन कपड़ा तैयार करनेका प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और यह समझ सकना आसान है कि मिलोंके उत्पादनको बारीक मालतक सीमित रखना खादीके लिए पूरी तरह लाभदायक है। दुःखकी बात इतनी ही है कि मिलोंकी तरफसे राष्ट्रीय माँगका काफी अच्छा उत्तर नहीं मिलता।

आखिरी सवाल कीमतोंके बारेमें है। अवश्य ही लेखकका यह मंशा नहीं हो सकता कि खद्दरको जिन्दा रखनेके लिए मिलोंको ऊँचे दाम लगाने चाहिए। खादीके पुनरुद्धार आन्दोलनका प्रवर्तक होनेके नाते मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे दिमागमें यह बात कभी नहीं आई कि मैं खादीकी रक्षाके लिए मिलोंके मालके ऊँचे भावोंकी इच्छा करूँ। हमारा भयंकर स्पर्धासे बचाव चाहना एक बात है और जो चीजें थोड़ेसे लोग बहुतोंके लिए पैदा करते हैं उनके दाम किसी मिलते-जुलते उद्योगकी रक्षाके लिए ऊँचे रखवानेकी इच्छा करना दूसरी बात है। खद्दरका अर्थशास्त्र साधारण अर्थशास्त्रसे बिलकुल भिन्न है। साधारण अर्थशास्त्र मानव-तत्वका कोई विचार नहीं करता। खद्दरका अर्थशास्त्र केवल मानवको ही ध्यानमें रखकर चलता है। साधारण अर्थशास्त्र स्पष्ट रूपसे स्वार्थपरक है। खद्दरका अर्थशास्त्र अनिवार्य रूपसे निःस्वार्थ है। खद्दरकी कल्पनामें होड़का कोई स्थान नहीं है और इसीलिए मूल्यका कोई महत्त्व नहीं है। होटलों और घरेलू रसोईघरोंके बीच कोई होड़ नहीं है। गृहस्वामिनीके मनमें अपनी मेहनतका मूल्य, और रसोईघरकी लम्बाई-चौड़ाईका लेखाजोखा आदि करनेका विचार भी नहीं आता। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि रसोई चलाना भी उसका उसी प्रकार कर्तव्य है जिस प्रकार बच्चोंका पालन-पोषण करना। अगर वह खर्चका तखमीना लगाने लगे तो तथ्योंका तर्क उसे अपनी रसोई और अपने बच्चोंका सत्यानाश करनेको विवश कर देगा। कुछ गृहणियोंने ये दोनों चीजें की हैं। लेकिन ईश्वरका धन्यवाद है कि इस प्रकारकी स्त्रियोंकी संख्यामें विशेष वृद्धिकी कोई सम्भावना नहीं है। यह हमारी सहज काहिलीकी आदत है जिसके कारण हम यह नहीं देख पाते कि हमने घरेलू चरखेका नाश करके भारतकी मानवताके विरुद्ध अपराध किया है। अब हमें अपने पापपर पछताना चाहिए और शान्ति प्रदान करनेवाले चरखेको फिरसे अपनाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१७२. काला पक्ष

कुमारी ब्लेंशे वाटसन लिखती हैं :[1]

आपका पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद। मेरी दृष्टिमें . . . कुमारी मेयो साहित्यके क्षेत्रमें हमारा राष्ट्रीय कलंक-स्वरूप हैं। लेकिन बहुतसे अमेरिकी उनका समर्थन करते हैं; बहुतसे उनको उद्धृत करते हैं; . . . इससे आपको हमारे किस्मकी 'शैतानी' सभ्यताका थोड़ा परिचय मिल जायेगा जो कि कैथेरीन मेयोकी दृष्टिमें सभी सभ्यताओंसे श्रेष्ठ है।

और यह रहा एक और नमूना . . . और उदाहरण। मैं चलचित्रमें आपको देखने और सुननेके लिए न्यूज-रील थियेटर गई। . . .

इसके तत्काल बाद पिछले सप्ताह हुई हवाई-परेडका समाचार-चित्र दिखाया गया — संसारके सामने व्यक्त किया गया वह भयानक संकेत जो कहता है कि हम आप सबसे अधिक सम्मत और सिद्ध तरीकेसे लड़नेको तैयार (और असंदिग्ध रूपसे इच्छुक) हैं। . . .

हमारे वेस्ट प्वाइंटके कैडेटों — जो हमारे युद्धक्षेत्रके भावी हत्यारोंके नेता हैं — के युद्धाभ्यासके चित्र और किसी यूरोपीय देशकी घुड़सवार सेनाके युद्धाभ्यासके चित्र दिखाये गये। और अन्तमें, लेकिन किसी दृष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं, एक जंघा-प्रदर्शनके चित्र दिखाये गये जिसमें कुछ सुन्दर (?) लड़कियोंने भाग लिया था। . . . — यह पहलू भी इसी कार्यक्रममें दिखाया गया था जिसका कि आरम्भ सुदूर स्थित साबरमतीमें आपकी बातचीतके साथ हुआ था। जब आप दुबारा पश्चिमी 'सभ्यता'का शैतानी कहकर उल्लेख करें तो कृपया उसमें घिनावनी, सनसनीखेज, कामुकतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण शब्द और जोड़ दें; इसके बाद आपको उसमें केवल खराब चीजें ही नहीं मिलेंगी। ईश्वरका धन्यवाद है कि इस सभ्यताका एक बेहतर और ज्यादा अच्छा पहलू भी है। इसमें आदर्शवाद और मानवीयता है तथा शान्ति और सद्भावनाके लिए प्यार है। लेकिन हमारे देशका यह एक बहुत ही लघु पहलू है। . . .

. . . प्रमुख रूपसे हमारी सभ्यता जैसी भी है वह पूँजीवादी प्रणालीके कारण है, चन्द भाग्यशाली लोगोंके लाभके लिए मानवताके शोषणकी ऐसी प्रणालीके कारण है जिसमें उन लोगोंको सब कुछ प्राप्त है जो कोई मेहनत

१. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये हैं।

नहीं करते, और जिसमें लगातार मेहनत करनेवालोंको कुछ भी प्राप्त नहीं है। . . .

. . . हमें जो करना चाहिए था उसे न करके, और जो नहीं करना चाहिए था उसे करके हमने जो गलतियाँ की हैं, मैं आशा करती हूँ कि उनसे भारत लाभ उठायेगा, और मैं सोचती हूँ कि वह अवश्य उठायेगा।

इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुमारी वाटसनने जो चित्र खींचा है वह मुख्यतया सही है। लेकिन जैसा कि वह स्वीकार करती हैं, इसका एक उजला पक्ष भी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-७-१९३१

१७३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

शिमला
१६ जुलाई, १९३१

प्रिय चार्ली,

पिछले हफ्ते मैंने प्यारेलालसे तुम्हें चन्द लाइनें लिख देनेको कहा था। आज मैं शिमलामें हूँ जहाँ मैं समझौतेके बारेमें उठ खड़ी होनेवाली कुछ कठिनाइयोंको दूर करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लन्दन आना अब इस बातपर निर्भर करता है कि यहाँ क्या किया जाता है। अगर मामलेको सन्तोषजनक ढंगसे तय नहीं किया जा सका तो स्वभावतः मेरे जानेका प्रश्न नहीं उठता। तुमने 'यंग इंडिया' में देखा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर यह कोई छोटी-मोटी बात होती तो मैं चिन्ता न करता।

तथापि यह पत्र मैं लन्दनमें अपने ठहरनेके बारेमें लिख रहा हूँ, बशर्ते कि मैं वहाँतक पहुँचा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कांग्रेसी भारतीय जनोंने मुझे लम्बे-लम्बे तार भेज कर अपने साथ ठहरनेका आग्रह किया है। कांग्रेसी सदस्योंने आर्य भवनका सुझाव दिया है। मैंने इंडियन चैम्बरको तार दिया है कि निर्णय स्वागत-समितिको करना चाहिए, और उनसे कहा है कि वे तुमसे मिल लें। अब तुम जो जरूरी समझो, करना। मेरा निजी ख्याल है कि म्यूरियल लेस्टरके साथ ठहरना मेरे लिए बेहतर होगा। वहाँ मैं ईस्ट एण्डके गरीब लोगोंके सम्पर्कमें आऊँगा, ईस्ट एण्डके जीवनके बारेमें कुछ जानूँगा और उस माहौलमें रहकर उनके हितमें ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकूँगा। लेकिन मुझे स्पष्ट समझमें नहीं आता कि सबसे अच्छा क्या होगा। यह पत्र बोलकर लिखाते समय मुझे तुम्हारा तार मिला है। ८ अगस्तको रवाना हो सकना सम्भव होगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता। मैं मालवीयजीके साथ सलाह करूँगा। लन्दनमें मेरे ठहरनेके सिलसिलेमें तुम कृपया

भारतीय मित्रोंसे बात कर लेना। तुम्हें पता होगा कि मीराकी माँका गत सप्ताह स्वर्गवास हो गया।

सप्रेम,

मोहन

श्री सी० एफ० एन्ड्र्यूज
११२ गोवर स्ट्रीट
लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९७२) से।

१७४. पत्र : जी० फिडले शिराजको

शिमला
१७ जुलाई, १९३१

प्रिय प्रिंसिपल शिराज,

शिमलामें प्राप्त हुए आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आप मेरे इसी ११ तारीखके पत्रका जैसा उपयोग करना चाहें, कर सकते हैं।

रेवरेंड जोजेफ डोकके बारेमें आपकी प्रेक्षाके सन्दर्भमें मुझे आपको सूचित करते खेद होता है कि रेवरेंड महोदयकी कई वर्ष पहले मृत्यु हो गई। मेरा खयाल है १९०९में।[1] उन्होंने अपने अनुष्ठानके लिए शहादत की मौत पाई।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२७) से।

१. वस्तुतः उनकी मृत्यु अगस्त, १९१३ में हुई थी; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ १६४।

१७५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

शिमला
१७ जुलाई, १९३१

एसोसिएटेड प्रेसके विशेष प्रतिनिधिसे भेंटमें गांधीजीने कहा :

सर जेम्स क्रेररके[1] साथ मेरी बातचीत पूर्णतः सद्भावपूर्ण थी। यह बातचीत गृह-सचिव श्री इमर्सनके साथ मेरी बातचीतके प्रसंगमें थी। दोनों ही बातचीतोंमें दिल्ली समझौतेकी ही चर्चा हुई। शिमलामें मेरी वार्ताके तीसरे और अन्तिम दौरमें कल वाइसरायके साथ बातचीत होगी जिसके बाद मैं शायद आपको कुछ बता सकनेकी स्थितिमें होऊँगा।

श्री इमर्सनके घरपर हुई बातचीत की तुलनामें आवा लॉजमें[2] हुई बातचीतके माहौलके बारेमें पूछे जानेपर महात्मा गांधीने जवाब दिया :

मौसमके परिवर्तनके साथ-साथ उसमें भी थोड़े परिवर्तन हुए।

क्या आपके लन्दन जानेकी स्थितिमें समझौतेके कार्यान्वयनकी देखरेख रखनेके लिए कोई समिति नियुक्त करनेका प्रस्ताव है?

उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेसकी दृष्टिसे कार्यसमिति तो है ही। वस्तुतः इस समझौतेके बारेमें मैंने कार्यसमितिसे हमेशा सलाह ली है।

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने गांधीजीको इलाहाबादसे प्राप्त इस आशयका एक सन्देश दिखलाया जिसमें कहा गया था कि पंडित मदनमोहन मालवीय गांधीजीके साथ 'एस० एस० मुल्तान' नामक जहाजसे इंग्लैंड जायेंगे जो कि बम्बईसे १५ अगस्तको रवाना होगा, और पूछा कि अभीतक श्री इमर्सन और श्री क्रेररके साथ हुई बातचीतके आधारपर क्या आप यह कह सकते हैं कि यह समाचार सत्य साबित होगा। महात्मा गांधीने उत्तर दिया :

यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेनाकी भाषामें इसे कहूँ तो शायद यों कहूँगा : स्थिति 'यथावत' है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १९-७-१९३१

१. वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्में गृह-सदस्य; गांधीजीके साथ वार्ताकी उनकी रिपोर्टके लिए देखिए परिशिष्ट ४।

२. शिमलामें जेम्स क्रेररका घर।

१७६. तार : राजेन्द्रप्रसादको

[शिमला
१७ जुलाई, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

इतवार तक यहाँ हूँ। उसके बाद बोरसद।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७३७१) से।

१७७. पत्र : एन० डी० कावलीको

शिमला
१८ जुलाई, १९३१

प्रिय मित्र,

एक समय मेरा ख्याल था कि मैं आपका पत्र[2] 'यंग इंडिया' में प्रकाशित करूँगा और उसपर चर्चा करूँगा। लेकिन आपका पत्र दुबारा पढ़नेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि आपने जिस प्रकारके मामलोंका उल्लेख किया है चूँकि वे सामान्य ढंगके नहीं हैं, इसलिए मुझे आपको खानगी तौर पर ही जवाब देना चाहिए।

जिन दो परिवारोंका जाति-बहिष्कार किया गया है उन्हें इस बहिष्कारका साहसके साथ सामना करना चाहिए और जो नतीजा हो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। सुधारकोंके रूपमें वे नये सम्बन्ध बना लेंगे, और चूँकि वे जात-पाँतके दायरे तोड़ चुके होंगे इसलिए उन्हें अपने सदृश सुधारकों द्वारा शादी-ब्याह और गमीके मौकेपर जो मदद मिलेगी उससे उनकी काफी क्षतिपूर्ति हो जायेगी। और यदि इस उदासीनताके साथ-साथ वे अपने सतानेवालोंके प्रति शिष्ट आचरण रखेंगे तो वे देखेंगे कि सतानेवालोंका व्यवहार भी उतना कठोर नहीं रह जायेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२७४) से।

१. यह तार १७ जुलाई, १९३१ को प्राप्त राजेन्द्रप्रसादके तारके उत्तरमें भेजा गया था।
२. देखिए "पत्र : एन० डी० कावलीको", २४-६-१९३१।

१७८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

शिमला
१८ जुलाई, १९३१

मेरा ध्यान इसी १५ तारीखके 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक सम्पादकीय टिप्पणीकी ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार 'द डेली टेलिग्राफ' (लन्दन) में श्री एस० डब्ल्यू० पावेलने यह लिखा है कि "गांधी आज जैसे तपस्वी हैं, वैसे वह पहले खुद नहीं थे, क्योंकि जब मैं इस जोड़ेसे (गांधी और उनके हिन्दू साथीसे) बादमें डर्बनमें मिला तो हमने एक निकटतम शराबखानेमें जाकर कमसे-कम दो-दो पेग व्हिस्की पी थी।" मुझे दुःख है कि मेरे बारेमें प्रचलित अनेक भ्रान्तियोंको देखते हुए 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इस उक्तिके बारेमें मुझसे पूछताछ किये बिना इतना बड़ा सफेद झूठ छाप दिया। यूरोपीय एम्बुलेंस कोरके सदस्यके नाते श्री पावेलकी मुझको याद है और मुझे उनके वक्तव्यके बारेमें यह कहते दुख होता है कि उसमें दोहरा झूठ बोला गया है। मेरा साथी हिन्दू नहीं बल्कि मुसलमान था, मैंने दक्षिण आफ्रिकामें कभी किसी शराबखानेमें कदम नहीं रखा, और मैं अपने जीवनमें अभी तक कभी किसी शराबखानेके अन्दर नहीं गया हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि नेटालमें भारतीयोंको यूरोपीय शराबखानोंमें प्रवेश करनेकी इजाजत नहीं है और किसी यूरोपीयको शराबकी कितनी भी तलब क्यों न लगी हो, लेकिन वह किसी भारतीय शराबखानेमें घुसना अपनी शानके खिलाफ समझेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-७-१९३१

१७९. भेंट : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिसे

शिमला
१८ जुलाई, १९३१

वाइसरायसे ३ घंटेकी मुलाकातके उपरान्त वाइसरीगल लॉजके बाहर निकलते हुए द्वारपर महात्मा गांधीने कहा :

तापमान जबतक नीचे नहीं आता या ऊपर नहीं जाता तबतक वह ज्योंका-त्यों रहता है। मैं क्या कह सकता हूँ? स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी।

आगे उन्होंने कहा कि अभी हमारी बातचीत समाप्त नहीं हुई है, इसलिए शायद मैं वाइसरायसे फिर मिलूँगा। फलस्वरूप शायद बुधवारतक मैं यहाँ रुकूँगा। सम्भव है और आगे विचार-विमर्शके लिए सरदार पटेलको शिमला बुलाया जाये।

यह पूछे जानेपर कि वाइसरायसे उनकी किस विषयपर बातचीत हुई, गांधीजीने कहा :

स्वाभाविक है कि समझौतेपर।

अगली मुलाकातके बारेमें पूछे जानेपर महात्माजीने कहा कि मंगलवारके पहले मुलाकात नहीं हो सकेगी, क्योंकि वाइसराय बाहर रहेंगे और सोमवारको मेरा मौन दिवस होगा।

महात्माजीसे पूछा गया कि तापमानकी बात करते समय जिसका विचार उनके मनमें था वह रोगी कौन है? उन्होंने कहा :

वह रोगी मैं हूँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-७-१९३१

१८०. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

शिमला
१८ जुलाई, १९३१

वाइसरायके निवास स्थानसे लौटनेपर एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने गांधीजीसे पूछा कि आज दोपहरतक उनकी जो बातचीत शिमलामें हुई उसको देखते हुए स्थिति अब कैसी है? महात्मा गांधीने उत्तर दिया :

१५ तारीखको शिमला पहुँचनेपर जो स्थिति थी वही स्थिति अब भी है।

प्र० : वाइसरायके निवासपर हुई बातचीतमें जिस भावनाको आपने देखा और क्रमशः श्री इमर्सन और सर जेम्स क्रेररके निवासस्थानोंपर हुई बातचीतमें जो भावना आपने देखी, उनकी तुलना आप किन शब्दोंमें करेंगे?

उ० : किसी प्रकारकी तुलना करना उचित नहीं होगा। मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे हर जगह अधिकसे-अधिक सौहार्द प्राप्त हुआ। लॉर्ड विलिंग्डनने सदाकी भाँति बड़ी मिलनसारी और उदारता दिखाई।

प्र० : आज दिल्ली समझौतेपर ही बात हुई या और भी किसी विषयपर?

उ० : आज सारी बातें समझौतेपर ही हुईं।

प्र० : क्या लॉर्ड विलिंग्डनसे दुबारा मुलाकातके अवसरपर गोलमेज सम्मेलनसे सम्बन्धित प्रश्न उठाये जानेवाले हैं? कुछ हिचकिचाहटके साथ महात्मा गांधीने जवाब दिया :

मैं समझता हूँ कि उठाये जायेंगे।

प्र० : क्या सरदार वल्लभभाई पटेलके शिमला आनेकी कोई सम्भावना है।

उ० : मैं आशा नहीं करता।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २१-७-१९३१

१८१. चींटीपर चतुरंगिणी

बम्बईसे निम्नलिखित शिकायत आई है जो विचारणीय है:[१]

मेरी सलाहपर अमल किये जानेकी पत्रलेखकको जितनी उम्मीद है उतनी मुझे नहीं है। यदि मेरी सलाह सर्वमान्य हो तो आज सब छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर कातने लगें और खादी पहननेवाले हों; ऊँच-नीचका कोई भेद न रहे, कोई अस्पृश्य न हो; हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि सगे भाइयोंके समान रहने लगें, मालिक और मजदूर पिता-पुत्रकी तरह अथवा बड़े और छोटे भाईके समान रहते हों। संक्षेपमें आज वे सम्पूर्ण स्वराज्यका उपभोग करनेवाले हो जायें। लेकिन मेरी आवाज अथवा मेरी कलम बहुत दूरतक नहीं जा सकती, इसका मुझे भान है। इसके बावजूद चूँकि मैं निरन्तर 'गीता' का अनुकरण करनेका प्रयत्न करता हूँ इसलिए निर्लेप रहनेकी कोशिश करता हूँ तथा जब लिखनेका प्रसंग उपस्थित होता है उस समय लिखता-बोलता हूँ। आज भी उपर्युक्त शिकायतको लेकर कुछ ऐसा ही प्रसंग आ पड़ा है।

पत्र-लेखकको जो अनुभव हुआ है वह कोई असाधारण बात नहीं है। ऐसा अनुभव बड़े शहरोंमें किसे नहीं होता? हम नामर्द हैं इसलिए जेबकतरे पर चींटी पर चतुरंगिणी लेकर चढ़ाई करने जैसा व्यवहार करते हैं। अहिंसाका तो यहाँ प्रश्न भी नहीं उठता। एक बहादुर व्यक्ति हिंसक होते हुए भी इस तरह किसीपर कदापि प्रहार नहीं करेगा। पकड़े गये चोर अथवा खूनीको भी दण्ड देनेका जनताको कोई अधिकार नहीं है, पुलिसको भी नहीं है। यह अधिकार केवल न्यायाधीशको है। जनता ऐसे व्यक्तिको पकड़ सकती है और यदि वह पकड़ लेती है तो उसे पुलिसको सौंप दे। उसे इस तरह मारना तो अपराध है और उपर्युक्त जेबकतरा यदि शिकायत करता है तो मारनेवालेको पकड़ना पुलिसका धर्म है और अपराध सिद्ध हो जानेपर न्यायाधीशका उसे सजा देना भी धर्म है। और फिर जिस तरहसे वर्णन किया गया है यदि जेबकतरेको वैसी मार पड़ी है तो यह एक बहुत खेदजनक अपराध है। इसलिए मारनेवालेको जेल भी हो सकती है। लेकिन चोरको मारनेवाला हर व्यक्ति अपने-आपको सुरक्षित समझता है क्योंकि चोरको मारनेका रिवाज ही बन गया है। भला बेचारे चोरकी बात कौन सुनेगा?

यह सच है कि चोरको मारनेवाले बहुतेरे स्वयं सफेद चोर हैं। इसीसे प्राचीन कालमें जब लोगोंने एक वेश्याको पत्थर मारनेका निर्णय किया तब ईसाने मृदु शब्दोंमें कहा, "आपमें से जो निर्दोष हो वह सबसे पहला पत्थर मारे।" कथाकारका कहना है कि इसपर किसीकी भी पत्थर फेंकनेकी हिम्मत न हुई। छाज तो बोले छलनी क्या बोले? उपर्युक्त जेबकतरेको कदाचित् रोटियोंके लाले पड़े हुए हों जब कि ठग अपना मौज-शौक तुष्ट करनेके लिए चोरी करता हो। अपराधीको दूसरेके अपराधपर

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

फतवा देनेका कोई अधिकार नहीं है, इसी विचारकी व्यापकतासे सम्भवतः अहिंसाका जन्म हुआ है। लेकिन हम भले ही अहिंसाके सरोवरतक न पहुँच पायें, पर यदि हम सामान्य न्यायके किनारे तक ही पहुँच सकें तो काफी है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-७-१९३१

१८२. मोरवी और सत्याग्रही

मोरवीका सत्याग्रह पूरा हो गया है और सारे सत्याग्रही वापस आ गये हैं, यह सबके लिए खुशीकी बात है तथा राज्य और सत्याग्रही दोनों ही बधाईके पात्र हैं। राज्यने बिना किसी शर्तके सत्याग्रहियोंको छोड़ दिया और सत्याग्रही भी हठ किये बिना राज्यकी सीमाको छोड़ चले गये, इस तरह दोनोंने ही अदबसे काम लिया है। जहाँ ऐसा शुभ-परिणाम निकला है वहाँ इसके गुणदोषोंमें उतरना अथवा पीछेकी घटनाओंका वर्णन करना अविवेकपूर्ण होगा।

इतना कह दूं: सत्याग्रह शुरू करनेमें जल्दबाजीसे काम लिया गया और उसे आरम्भ करनेके बाद मोरवी राज्यकी जो अनुचित निन्दा की गई उससे हमारा मान कम हुआ है और सत्याग्रहके नामको बट्टा लगा है। सत्याग्रहकी ओट और उसके समर्थनमें यह निन्दा की गई और अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गईं उससे सत्याग्रहियों-को नीचा देखना पड़ा। दूसरे लोग यदि निन्दा करते हैं तो इसमें सत्याग्रहियोंका क्या दोष, ऐसा कहकर सत्याग्रही नहीं बच सकते। इस तरह जब असत्याग्रही लोग सत्याग्रहियोंकी मदद करने निकल पड़ते हैं तब अनेक बार सत्याग्रह बन्द करना पड़ता है। सत्याग्रहियोंके दलमें अगर असत्याग्रहियोंकी संख्या अधिक हो जाये तो सत्याग्रहीको उसे छोड़ देना चाहिए।

यहाँ भी ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हो सकता है। ऐसा अवसर कब उपस्थित हुआ माना जाये? यह तो हर प्रसंगकी जाँच करनेके बाद ही कहा जा सकता है। और इस बार यह प्रसंग आ गया था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। सौभाग्यसे जब तक ऐसा निर्णय करनेकी जरूरत खड़ी हो उससे पहले ही सत्याग्रहकी समाप्ति हो गई। अब सत्याग्रहियोंको मेरी यह सलाह है कि उनसे जो दोष बन पड़े हों उन्हें सार्वजनिक रूपसे स्वीकार कर उनका प्रायश्चित्त करें। दोषको स्वीकार करना शुद्ध प्रायश्चित्त है। ऐसा करनेसे सत्याग्रहीका बल बढ़ता है। सत्याग्रह अर्थात् शुद्धता। जैसे-जैसे शुद्धताकी मात्रा बढ़ती है वैसे-वैसे सत्याग्रहीका बल बढ़ता है।

महाराजा साहबको मैंने इसलिए बधाई दी क्योंकि तनिक भी आनाकानी किये बिना उन्होंने सत्याग्रहियोंको छोड़ दिया। लेकिन मुझे यह तो कहना ही पड़ता है कि अधिकारियोंने कहीं भी भूल न की हो सो बात नहीं। सिपाही वर्गने मर्यादाका पालन नहीं किया। मारपीट और बलात्कारके वर्णनमें भले ही अतिशयोक्तिसे काम लिया गया हो लेकिन उसमें सत्यकी मात्रा भी थी। यह सब नितान्त अनिवार्य नहीं

था। मैं जानता हूँ कि पुलिस कहीं भी शुद्ध नहीं होती। वह तो बलप्रयोगको धर्म मानती है। उसकी तो मान्यता ही यह है कि डण्डेके बिना लुच्चे-लफंगे कोई बात नहीं समझते। वह यह भी मानती है कि उसके हाथमें जो आते हैं वे सबके-सब लुच्चे-लफंगे ही होते हैं। यह बात उसकी समझमें ही नहीं आती कि आजके युगमें असंख्य लोग जानबूझकर उसके कब्जेमें आते हैं। इसलिए उनके लिहाजसे तो सब कोई डण्डे और गाली आदिके ही पात्र होते हैं। इन परिस्थितियोंमें जिनके पास सत्ता है और जो न्याय करना चाहते हैं उन्हें अपनी पुलिसको सावधान कर देना चाहिए। लेकिन मुझे अब इतनेसे ही समाप्त करना चाहिए। तुलसीदासके अमर वचन हैं:

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार॥

हमें राज्यके और सत्याग्रहियोंके गुणोंका चिन्तन करते हुए उनमें परस्पर मेल स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

सौराष्ट्रके सत्याग्रहियोंको मैं अपनी ओरसे दो शब्द कहना चाहूँगा। आप मुट्ठीभर हैं। आपने मुझे बड़ी आशा बँधाई है। आपका रज-सा दोष मुझे गज-सा लगना चाहिए तभी हमारा मेल बैठेगा।

जबतक आपमें रागद्वेष, हिंसा, असत्यकी तनिक भी मात्रा है तबतक आपको सत्याग्रहका विचारमात्र भी नहीं करना चाहिए। आपका प्रथम कर्त्तव्य तो योग्यता प्राप्त करना है। काठियावाड़में जहाँ-जहाँ अनीति और अन्याय दिखाई दे वहाँ-वहाँ धावा बोलनेके लिए तुम बँधे हुए हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपितु मौन भावसे रचनात्मक-कार्य करनेकी योग्यता प्राप्त करना चाहिए। चढ़ाई करनेके लिए न निकल पड़ो। हाँ, जब चढ़ाई करना अनिवार्य हो जाये तब हँसकर उसका आह्वान करो।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १९-७-१९३१

१८३. सत्याग्रहीका सन्ताप

वणोदसे भाई वीरचन्द लिखते हैं:[१]

इस पत्रको प्रकाशित कर मैं अपने लिए एक और झंझट मोल ले रहा हूँ, लेकिन इसे लिए बिना छुटकारा भी नहीं है। यह पत्र यद्यपि एक व्यक्ति-विशेषके सम्बन्धमें है तथापि इसमें जो समस्या उठाई गई है वह सार्वजनिक है और इसीलिए पत्र-लेखकने इसके बारेमें मेरी राय माँगी है, जिसे देना मेरा धर्म है। यदि सत्याग्रही धीरज रखे तो एक भी ऐसा अन्याय नहीं है जिसका उसके पास कोई इलाज न हो। इतना याद रखना जरूरी है कि सत्याग्रहमें जिसपर अन्याय होता है उसमें यदि

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि पत्र-लेखक और उनके सम्बन्धियोंपर राष्ट्रीय कार्यवाहियोंमें भाग लेनेके लिए वणोदके दरबारने किस प्रकार जुल्म किये।

तनिक भी शक्ति नहीं है तो उसके अभावमें अन्यायका सामना करनेके लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। यह सत्याग्रहकी मर्यादा है। सत्याग्रहका काम पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करते हुए दुखी व्यक्तिको दुःखसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए तैयार करना है और जबतक वह तैयार नहीं हो जाता तबतक सत्याग्रहीको धीरज रखना पड़ता है। इसमें यदि सत्याग्रहकी मर्यादा है तो उसकी खूबी भी निहित है। अर्थात् सत्याग्रही किसीका बुजुर्ग अथवा वाली नहीं बनता। वह तो दुखीके साथ दुख भोगते हुए उसका साथी बनता है, उसका भागीदार बनता है।

अब जो मुद्दे उठाये गये हैं हम उनपर आते हैं:

१. देशी राज्योंकी जनता यदि अपने राज्यमें कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको निष्पन्न करनेमें सहयोग नहीं देती तो इस समय बाहरसे कोई व्यक्ति वहाँ जाकर सफलतापूर्वक वह काम कदापि नहीं कर सकता। तब तो देशी राज्यकी जनता किसी भी दिन जागृत नहीं होगी, यदि कोई व्यक्ति यह दलील पेश करता है तो वह ठीक नहीं है। संसारका ऐसा नियम है कि एक वातावरणमें किसी स्थानपर यदि कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो आसपासके स्थानोंको उसकी छूत लगे बिना नहीं रहती। ऐसा अनुभव होनेके बाद ज्ञानियोंने 'यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का सूत्र जगतको दिया। जहाँकी जनता दबी हुई है वहाँ प्रवेश कर उसके जगानेका प्रयत्न करनेमें उसके और भी अधिक मूर्च्छाग्रस्त होनेका खतरा है। और फिर इतना याद रखना चाहिए कि हरेक देशी राज्यकी जनता तटस्थ प्रदेशमें अर्थात् हिन्दके ब्रिटिश हिस्सेमें आती रहती है और अपनी शक्तिके अनुसार नवीन विचारोंको ग्रहण करती है।

२. देशी राज्यसे ब्रिटिश सीमामें आकर जो स्वराज्य यज्ञमें शामिल हो जाते हैं वे लोग अपने राज्यसे देशनिकालेका जोखिम सिरपर लेते हैं और इसलिए माता-पिताके वियोगको सहन करनेका भी खतरा मोल लेते हैं। और फिर जो माता-पिता अपने बच्चेके कार्यके प्रति सहानुभूति रखते हैं उन्हें भी राज्यकी सीमा छोड़ने अथवा सम्पत्ति आदिसे हाथ धो देनेके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम-मार्ग तो अग्निकी ज्वाला है। उसमें जल मरनेके लिए जो तैयार न हो उसे उससे दूर ही रहना चाहिए। जो माता-पिता अपना देश और माल-मिल्कियतको छोड़नेके लिए तैयार न हों उन्हें अपने सत्याग्रही पुत्रका त्याग करनेके लिए तत्पर रहना चाहिए। सब लोगोंको इतना विश्वास रखना चाहिए कि स्वराज्य प्राप्तिके बाद जो माल-मिल्कियत बच रहेगी तो मूल स्वामी अथवा उसके वारिस उसका उपयोग करेंगे ही। दरबार गोपालदास जानते हैं कि स्वराज्य मिलनेपर ढसा उनके हाथ आ जायेगा। इस बीच वे मुट्ठीभर लोगोंके दरबार न रहकर लाखों लोगोंके सेवक अर्थात् सच्चे दरबार बन गये हैं। शुद्ध सत्याग्रही थोड़ेका त्याग कर विपुलकी प्राप्ति करता है।

३. लेकिन देशी राज्यमें जब हमें युद्धके लिए ललकारा जाये तब हम क्या करें? उपर्युक्त खण्ड [२] में दी गई मर्यादाका यदि ठीक-ठीक पालन किया जाये तो ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। लेकिन कदाचित् ऐसा अवसर आ जाये तो उसे अनिवार्य समझ उसका सामना करना चाहिए।

४. देशी राज्योंके अत्याचारोंमें ब्रिटिश एजेन्सी हस्तक्षेप कर सकती है अथवा नहीं? जरूर कर सकती है। मेरे विचारसे तो उसे ऐसा करना चाहिए। तात्पर्य यह कि यदि एजेन्सी सच्ची हो तो वह बहुत-कुछ कर सकती है। एजेन्सीके आगे अपनी शिकायतें पेश करनेका देशी राज्यकी रैयतको पूरा अधिकार है और वह ऐसा करे यही इष्ट भी है। और इससे यह भी पता चल जायेगा कि एजेन्सी कितने पानीमें है।

५. ब्रिटिश सीमामें कांग्रेस एक पहरेदारकी भी रक्षा करती है जबकि देशी राज्यमें भले ही कुछ भी क्यों न होता रहे, कांग्रेस कुछ भी नहीं करती? इसमें थोड़ा सत्य जरूर है। सबको पहले अपनी शक्तिको आँकना चाहिए। शक्तिके बिना जो बोलता है वह बकता है। कांग्रेसकी इच्छा तो बहुत-कुछ करनेकी होती है। लेकिन जहाँ उसमें शक्ति नहीं होती वहाँ वह शान्त रहती है। और इस तरह शान्त रहनेसे उसने कभी-कभी अधिक शक्ति प्राप्त की है। प्रान्तीय समिति उत्तर न दे ऐसा नहीं हो सकता। और यदि उसने जान-बूझकर उत्तर नहीं दिया है तो यह अविनय है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ।

अब खास तौरसे वणोदके बारेमें: भाई वीरचन्दने जो-जो आरोप लगाये हैं उनकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं है। उसके बारेमें वणोदके दरबारका क्या कहना है, सो भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन यदि ये आरोप सही हों तो दुखकी बात है। वणोदके दरबारकी ओरसे इसके बारेमें जो भी उत्तर मिलेगा मैं उसे प्रकाशित करूँगा। यदि उत्तर सन्तोषजनक हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी। यदि वणोदके दरबारसे अथवा उनके नौकरोंसे कोई भूल हुई हो तो उसे स्वीकार करना दरबारके लिए शोभनीय होगा। मनुष्यमात्रसे भूल होती है और इससे राजा लोग भी मुक्त नहीं होते। सारी शिकायत यदि सच हो तो भाई वीरचन्दको और उनके माता-पिताको और जनताको क्या करना चाहिए, इसके विषयमें मैं अपनी राय दे चुका हूँ। प्रजा रूठ कर हिजरत करे तो राजा निरुपाय हो जाता है तथा प्रजाके साथ समझौता किये बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। हिजरत करनेका अधिकार जैसे एक मनुष्यको प्राप्त है वैसे ही अनेकको अर्थात् जनताको भी है। और धैर्य, विचार और दृढ़तापूर्वक की गई हिजरत आजतक निष्फल नहीं गई है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-७-१९३१

१८४. पत्र : मीराबहनको

शिमला
१९ जुलाई, १९३१

चि० मीरा,

हमेशाकी तरह ही गुजरातसे बाहर मुझे चिट्ठियाँ लिखनेका समय नहीं मिलता। और शिमलेमें बम्बईसे जरा ही अच्छा हाल है। यद्यपि यहाँ मिलनेवालोंकी उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी इमर्सनके पास हर वक्त हाजिर रहने और गृह सदस्य तथा वाइसरायसे अलग-अलग और बेहद लम्बी मुलाकातोंके बाद मुझे और किसी कामके लिए वक्त ही नहीं मिलता। दो बार तो मुझे शामका भोजन भी जल्दी-जल्दीमें खतम करना पड़ा।

मैंने तुम्हारी सलाहके अनुसार भूमिकाको[1] 'पुस्तकालय' में[2] पढ़ा। मूल बहुत अच्छा होना चाहिए। रोमाँ रोलाँ जो-कुछ लिखते हैं उस सब पर जितना अधिक परिश्रम करते हैं, उसे देखकर आश्चर्य होता है। यह भूमिका उस रेखा-चित्रकी तरह ही है, जो उन्होंने पहले लिखा था। इसमें उनकी अब तककी राय आ गई। तुम्हारा अनुवाद बिल्कुल सुपाठ्य है। उसे कई जगह थोड़ा ठीक करनेकी जरूरत अवश्य है, परन्तु मुझे उससे यह समझनेमें कठिनाई नहीं होती कि मूल कैसा होगा। तुम्हारे अनुवादकी तारीफ यह है कि वह मूलके अनुसार है।

तुमने जो कारण बताये हैं उनके अनुसार तुम्हारा निश्चित रूपसे यह जाननेके लिए उत्सुक होना स्वाभाविक है कि हम लन्दन जा रहे हैं या नहीं। लेकिन मुझे डर है कि शिमला-यात्रा खतम होनेपर भी शायद मैं किसी फैसलेपर न पहुँच सकूँ। बहुत-सी कठिनाइयाँ और बाधाएँ हैं। मेरे खयालसे मैंने अधिकारियोंको स्पष्ट कर दिया है कि अगर वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति बनी रही तो मैं नहीं जा सकता। परन्तु अधिकारियोंको शायद इस मामलेमें मुझे सन्तुष्ट करनेमें कठिनाई हो सकती है या वे अनिच्छुक भी हो सकते हैं। मैंने आशा की थी कि आज रवाना हो सकूँगा। लेकिन मंगलवार या बुधवारसे पहले शायद ऐसा न हो सके। इस प्रकारके विलम्बकी मुझे चिन्ता नहीं है, क्योंकि यह मेरे भाग्यमें ही लिखा है। जो अपने जीवनको 'गीता' की शिक्षा पर चलाना चाहे, उसे अक्षरशः इस सिद्धान्तपर चलना पड़ेगा कि "कलका विचार ही न करो।" इसलिए तुम रोमाँ रोलाँ और अपनी बहन, दोनोंको बता देना कि इधर सब-कुछ अनिश्चित है और लन्दनके लिए रवाना होनेके बारेमें बहुत पहलेसे कोई निश्चित खबर देना बड़ा कठिन है। उचित यही है

१. **आत्मकथा** के संक्षिप्त फ्रान्सीसी संस्करणकी रोमाँ रोलाँ द्वारा लिखित भूमिका।
२. गांधीजीका अभिप्राय शौचालयसे है।

कि जबतक हम सचमुच जहाजमें बैठ न जायें, तबतक हमारी प्रतीक्षा ही न की जाये।

आशा है अब तुम्हारा मन बिलकुल शान्त होगा और तुमने समझ लिया होगा कि शरीरके नष्ट होनेपर प्रियजन अधिक सच्चे रूपमें जीवित रहते हैं और हमारे प्रेमको भी ज्यादा सच्चा बना देते हैं, क्योंकि तब वह निःस्वार्थ होता है और सारे प्राणियोंमें बँट जाता है। प्रत्येक मित्र या रिश्तेदारकी मृत्युके साथ हमारा विश्व-प्रेम बढ़ना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३५) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० ९६६९ से भी।

१८५. पत्र : कमलनयन बजाजको

शिमला
१९ जुलाई, १९३१

चि० कमलनयन,

तेरे बारेमें काकासाहबसे बातें की थीं। तू बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है। प्राइवेट शिक्षक रखनेकी बात तो हममें से किसीके गले नहीं उतरती। अगर विद्यापीठमें शिक्षणका वातावरण न मालूम दे, तो पूनामें एक स्कूल है जहाँ तुझे भेजा जा सकता है। तेरा विचार हो तो तजवीज करूँ। काकासाहबसे चर्चा करना। मेरा अपना अनुभव यह है कि जिसे सचमुच पढ़नेका शौक होता है, वह चाहे जहाँ अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। यह होते हुए भी तुझे रोकनेका विचार बिल्कुल नहीं है। हम तो जहाँतक हो सके, तेरी सहायता करना और तुझे सन्तुष्ट करना चाहते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०४७) से।

१८६. पत्र : गोरडीयाको

शिमला
१९ जुलाई, १९३१[1]

भाईश्री गोरडीया,

मैं आपको पत्र लिखनेका विचार कर रहा था और अवसरकी तलाशमें था। इतनेमें ही आपका पत्र मिला। मैंने जो किया सो धर्म जानकर किया। उसमें प्रशंसाको अवकाश नहीं है। अब हमारा क्या कर्तव्य है, इसपर विचार करें।

महादेवने जो देखा और जाँचा, सो लिख डालनेके लिए मैंने उससे कहा था। इसके साथ उसकी टिप्पणी है। इसे अच्छी तरह पढ़ जाना। महाराजा साहबको पढ़वाना उचित जान पड़े तो पढ़वाना। अब तो सब कुछ शान्त हो गया, यह ठीक ही हुआ। लेकिन मोरवीकी जनता इतनी डरपोक क्यों है? अत्यन्त उत्साहमें आकर मर्यादा भंग करनेवाले सत्याग्रहियोंके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जैसा हत्यारोंके साथ भी नहीं किया जाता, इसे कैसे बरदाश्त किया जा सकता है? इसका उपाय ढूँढ़ निकालना और उसपर अमल करना। सभाबन्दी आदिका आदेश अब रद किया जाना चाहिए। लक्ष्मीप्रसादको वापस बुलाना चाहिए। वे चाहे कैसे भी क्यों न हों, फिर भी बहुत पुराने और वफादार सेवक हैं।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २८४८) से; सौजन्य : फूलचन्द के० शाह

१८७. तार : लॉर्ड इर्विनको

[२० जुलाई, १९३१ या उससे पूर्व][2]

गोपनीय तथा व्यक्तिगत

अधिकृत रूपसे मालूम हुआ कि गोलमेज सम्मेलनके लिए डा० अन्सारीके चुनावके बारेमें हमारी बातचीतका आपको स्मरण नहीं है। मुझे पक्की याद है कि मालवीयजी और श्रीमती नायडूके साथ एक प्रमुख मुसलमानके रूपमें डा० अन्सारीके नामकी चर्चा हुई थी जो कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलसे अलग निमन्त्रित किये जाने योग्य थे। जैसा कि उस समय

१. साधन-सूत्रमें यहाँ "२९ जुलाई" है, जो कि अशुद्ध है।

२. इस तारकी एक प्रति भारत मन्त्रीने २० जुलाई, १९३१ को तार द्वारा वाइसराय लॉर्ड विलिंगडनको भेजी थी।

सामान्यतः होता था, मैं वार्तालापका सार-संक्षेप कार्य-समितिके सदस्योंको दिया करता था। वे मेरी याददाश्तकी पुष्टि करते हैं। मैं यह तार आपको याद दिलानेके लिए भेज रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि डा० अन्सारीको कांग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलसे अलग निमन्त्रित किया जाना चाहिए।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३७६) से; सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

१८८. पत्र : मीराबहनको

[२० जुलाई, १९३१][1]

चि० मीरा,

मेरा कल [का] टाइप किया हुआ पत्र तुम्हें अवश्य मिल गया होगा। थोड़ा सन्देह मुझे इसलिए है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मौकेपर वह भेजा गया था। तुम्हारे पत्रकी आज मुझे आशा थी। फादर एल्विनकी अस्वस्थतासे मैं चिन्तित हूँ। मुझे विश्वास है कि अब वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें बहुत ज्यादा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जुलाईमें अहमदाबादमें ऊमसदार मौसमका होना तो असामान्य बात है। मुझे आशा है कि अबतक वहाँ वर्षा हो गई होगी। बुधवारको चल सका तो चल सका, लेकिन उससे पहले यहाँसे चलनेकी कोई सम्भावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३६) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९६७०-से भी।

१८९. पत्र : अम्तुस्सलामको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

प्रिय अमतुल,

आशा है तुम ठीक चल रही हो। क्या अभीतक तुम अमीनाको पढ़ा रही हो? तुम्हें मुझको नियमित रूपसे पत्र लिखते रहना चाहिए।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२) से।

१. इस पत्रके प्रथम वाक्यमें "कलका टाइप किया हुआ" के बजाय भूलसे "कल टाइप किया हुआ" लिखा गया जान पड़ता है; देखिए "पत्र: मीराबहनको", १९-७-१९३१।

१९०. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

मुझे मियाँ अहमद शाहका एक पत्र मिला है जिसके साथ पेशावरके डिप्टी कमिश्नरको लिखे गये उनके पत्रकी और उस पत्रके साथ संलग्न कागजातोंकी प्रतियाँ नत्थी हैं। इन कागजातोंकी नकल मैं साथ भेज रहा हूँ। और अभी-अभी प्राप्त खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँके पत्रका एक अंश नीचे दे रहा हूँ।

> **सरकार दमन करनेपर तुली मालूम होती है। दो खुदाई खिदमतगारोंकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और यह आम विश्वास है कि इसमें सरकारी अधिकारियोंका हाथ था। हमने जाँच-पड़ताल की और पता चलाया कि इन खुदाई खिदमतगारोंकी किसीसे शत्रुता नहीं थी, और न इनका किसीसे कोई झगड़ा हुआ था। एक नौजवानने मुझे सूचित किया था कि एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टरने उससे कहा कि अपने चाचासे वह जैसा भी चाहे बदला ले ले, अगर वह चाहे तो उसे जानसे भी मार सकता है। सब-इन्स्पेक्टरने उसे आश्वासन दिया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। नौजवान, जिसने मुझे सूचना दी थी, और उसके चाचाके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे और उसके चाचा स्थानीय जिरगेके अध्यक्ष हैं। सरकार एफ० आर० ऐक्ट धारा ४० के अन्तर्गत लोगोंको गिरफ्तार कर रही है और सजा दे रही है और बिना किसी कारण उसने बहुत जगहोंपर धारा १४४ लागू कर दी है। खुदाई खिदमतगारोंको पुलिस आमतौरसे धमकी देती रहती है तथा मारती-पीटती रहती है। जनताकी यह आम धारणा है कि सरकार जानबूझकर लोगोंको उपद्रव करनेके लिए उत्तेजित कर रही है।**
>
> **पुलिस छोटे-छोटे लड़कोंको 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा लगानेपर बुरी तरह मारती-पीटती है। १३ जूनको तहसील मरदानमें सुद्रम नामक स्थान पर कुछ यूरोपीय कार पर जा रहे थे, तभी एक छोटे लड़केने 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाया। ये यूरोपीय कार रोक कर नीचे उतर पड़े और लड़केको पकड़कर बीचवाली नहरमें फेंक दिया। फिर, १३ जुलाईको नेवाकली, तहसील सवाबी,में कुछ यूरोपीयोंने एक लड़केको यही नारा लगानेके कारण बुरी तरह पीटा।**

लगान वसूल करनेके लिए ये लोग जनताको हर तरह तकलीफ देते हैं। उन्हें पूरे-पूरे दिन तेज धूपमें बैठनेको मजबूर किया जाता है और इसके बाद उन्हें छोटी-छोटी कोठरियोंमें बन्द कर दिया जाता है जिनमें हवाके लिए खिड़की नहीं होती।

मुझे आशा है कि आप इन तथ्योंपर ध्यान देनेकी कृपा करेंगे। जब हमारी लड़ाई जारी थी उस समय भी इतना दमन नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। जनताको शान्त रखनेके लिए मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया है, और एक बार तो एक सरकारी अधिकारीने मुझे इसके लिए बधाई भी दी। पर उन्हें शान्त रखना मेरे लिए कबतक सम्भव होगा? कोहाटमें हमारी लड़ाईके पहले ग्रामवासियोंको नमक मुफ्त ले जानेकी इजाजत थी, लेकिन अब समझौतेके बाद इसे बन्द कर दिया गया है और अब उन्हें बिना कीमत चुकाये नमक ले जानेकी इजाजत नहीं है।

इन वक्तव्योंसे मन बहुत चक्करमें पड़ गया है। एक तरफ तो आप सूचित करते हैं कि खुदाई खिदमतगार, जिन्हें 'लाल कुर्तीवाले' कहा जाता है, बराबर मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, और दूसरी ओर उनकी ओरसे ये शिकायतें मिलती हैं कि उनकी स्वतंत्रतामें अनुचित रूपसे खलल डाला जाता है। वास्तविक सत्यकी जानकारीके लिए कोई रास्ता होना ही चाहिए।

क्या आप कृपापूर्वक बतायेंगे कि यह मालखंड एजेन्सी क्या है? समझौतेके अन्तर्गत यह आता है अथवा नहीं?

हृदयसे आपका,

संलग्न

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-बी, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१९१. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

शिमला

२० जुलाई, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

तुम कैसे चल रहे हो? तुम मेरे साथ दो दिन रहे, इससे कुछ लाभ हुआ? विद्यापीठमें तुम क्या कर रहे हो?

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५४०) से।

१९२. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

शिमला

२० जुलाई, १९३१

चि० प्रेमा,

किसनसे मिला था, यह तो उसने लिखा ही होगा। मुझे ऐसा लगा कि उसे ज्यादा सेवा करनी चाहिए।

तेरा पत्र मिला था।

तू अब भी बच्चोंको मारती है? रमाबहनकी शिकायत थी। पंडितजीको सन्तोष दिया? गंगाबहनके साथ तू घुलमिल गई है? वे दुखी मालूम होती हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२५९) से। सी० डब्ल्यू० ६७०७ से भी; सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक .

१९३. पत्र : वसुमती पण्डितको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा कोई पत्र ही नहीं आया? क्या तुमने मुझपर दयाके वश होकर कोई पत्र नहीं लिखा? मुझे ऐसी दया नहीं चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३२७) से। सी० डब्ल्यू० ५७३ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित

१९४. पत्र : नारणदास गांधीको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्र मुझे नियमित रूपसे मिलते रहे हैं। कदाचित् यहाँ दो दिन और रुकना पड़ेगा। गंगाबहन शान्त हो गई हैं, ऐसा नहीं जान पड़ता। पण्डितजीको तसल्ली हुई अथवा नहीं? लक्ष्मी कैसी चल रही है? फादर एल्विन अब ठीक हो गये होंगे। लीलावती शान्त हुई क्या? जमनाका क्या हाल है? तकलीकी गति अब आश्रममें कैसी है? उद्योग मन्दिरकी स्थापना होनेके समय जो प्रस्ताव पास किये थे वे तुम मुझे भेजनवाले थे, सो अभी नहीं मिले हैं। यदि वे मिल जायें तो फुर्सतसे अंग्रेजीमें लिखी नियमावलीको पढ़ जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इस पत्रके साथ लालजी द्वारा दूधाभाईको लिखा पत्र भेज रहा हूँ। इसे पढ़कर तुम उन्हें दे देना। लालजीने मुझे जो पत्र लिखा है वह भी भेज रहा हूँ। वह तुम्हारे पढ़नेके लिए है। बादमें सँभाल कर रख देना। इसे पढ़नेके बाद यदि तुम लालजीके सम्बन्धमें कुछ लिखना चाहो, तो लिखना।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१९५. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुममें सूक्ष्म अभिमानकी भावना निहित है, और वह तुम्हें दुःख दे रही है। हम रोज सवेरे पृथ्वी माताको नमन करते हैं और उसपर जो पग रखते हैं उसके लिए उससे क्षमा माँगते हैं। इस श्लोकके महत्त्वको मैंने अच्छी तरह समझाया है। पृथ्वी हमारा भार वहन करनेके बावजूद हमें दुःख नहीं देती। वह तो मूक भावसे इसको वहन कर रही है। विज्ञानकी आधुनिक खोजोंके अनुसार पृथ्वी वातावरणमें अधरमें लटक रही है। यदि वह हमारे प्रति रोषमें आकर तनिक भी अपने मार्गसे विचलित हो जाये, तो हमारा तो उसी क्षण नाश हो जाये। लेकिन करोड़ों वर्षोंसे पृथ्वी अपनी कक्षामें चल रही है और हमें भी निभा रही है। यह है नम्रताकी परिसीमा। उस मिट्टीसे हम जन्म लेते हैं, उसीमें हमें मिल जाना है। इतना जाननेके बाद अभिमान कैसा? हम तो रजकण हैं और हमें रजकण ही बने रहना चाहिए।

जिसे लात मारनी हो वह लात मारे, अपमान करना हो तो भले ही करे। ऐसी नम्रता अहिंसामें समाहित है। इसका विकास करो तभी तुम प्रसन्नतासे नाच सकोगी। इसका विकास आश्रममें ही किया जा सकता है, क्योंकि चाहे-अनचाहे आश्रमके हर व्यक्तिको हमें परिवारका सदस्य मानना पड़ता है। उनके साथ जीवन बिताना है। वहाँ कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। उन्हें पियो और सिंहनीके समान गर्जन भी करो। "कदी नहीं हारना भावे साडी जान जावे"[1] यह भजन हम पहले गाया करते थे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८२ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. पंजाबके नेता रामभजदत्त चौधरी (सरलादेवी चौधरानीके पति) द्वारा रचित देशभक्तिपूर्ण पंजाबी गीत।

१९६. पत्र : महावीर गिरिको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

चि० महावीर,

मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। मैंने तुम्हें कितना तन्दुरुस्त देखा था, और अब तुम कंकाल-मात्र रह गये हो। अब तो तुरन्त ठीक हो जाओ। बोरीवलीमें कैसे रहते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२१५) से।

१९७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

शिमला
२० जुलाई, १९३१

भाई घनश्यामदास,

तुमहारे बहौत खत आये परंतु मुझे उत्तर लिखनेका समय हि नहिं मिला। महादेव और देवदासको कुछ न कुछ लिखनेका कह दिया था।

यहांके हाल कुछ नहि। कुछ समझौता हुआ [तो] भी मुझे संतोष नहिं होगा। महासभावालों पर विश्वास नहिं रहा है। हर जगह पर महासभावालों पर मुकदमे चल रहे हैं। यहां मुझको कहां तक आश्वासन दे सकते हैं? विलायत जाना भी चाहियें और जानेका दिल नहिं होता। अच्छा है इन सब बातोंकि मैं चिन्ता नहिं करता हुं। प्रतिक्षण सहजप्राप्त धर्म आता है उसका पालन करनेके प्रयत्नमें हि जीवन साफल्य मानता हुं।

यहांके वायुमंडल देखता हुआ यदि तुमको निमंत्रण न मिले तो मुझे आश्चर्य नहिं होगा। न मीला तो भी १५ अगस्टको अमेरीका जानेके लिये नीकलना है?

वालचंदके तारके बारेमें मैंने उत्तर लिखनेका महादेवसे कहा था वह मिला होगा।

अब स्वास्थ्य कैसे रहता है [?] करसिके बारेमें जो निबंध भेजा है अब तक पढ़ नहीं सका हुं।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७८९२ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१९८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

शिमला
२० जुलाई, १९३१

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा जब महात्मा गांधीका ध्यान इस वाक्यकी ओर खींचा गया कि "प्रधान मन्त्रीने संघ संरचना उप-समितिमें भाग लेनेके लिए सदस्योंको मनोनीत किया है" और पूछा गया कि क्या इस नामजदगीमें उनकी सहमति निहित है, तो महात्मा गांधीने कहा :

संघ संरचना उप-समितिमें जाकर भाग लेनेके लिए मैंने अपनी सहमति अवश्य दी है, बशर्ते कि [राजनीतिक] मौसमकी स्थिति अनुकूल हो। आप विश्वास रखें कि मौसम जैसे ही कुछ अनुकूल हुआ, मैं सीधा लन्दनके लिए रवाना हो जाऊँगा।

प्र० : अभी आपको मौसम कैसा लगता है?

उ० : मौसमका मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। इसलिए इसके लिए आप किसी मौसमके दफ्तरसे पूछताछ करें।

प्र० : अगर आप लन्दन जा रहे हैं तो क्या कुछ संकेत दे सकते हैं कि आप कब रवाना हो रहे हैं?

उ० : १५ अगस्तको। इससे जल्दी भी हो सकता है।

प्र० : लोगोंमें यह धारणा बन गई है कि गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए आपने जो शर्तें रखी थीं आप उन्हें बदलते रहे हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि एक समय आपने कहा था कि जबतक हिन्दू-मुस्लिम सवाल हल नहीं हो जाता, आप सम्मेलनमें भाग नहीं लेंगे। अब आप कहते हैं कि आप लन्दन तभी जायेंगे जब मौसमके हालात अनुकूल हों। क्या आप अपनी स्थितिका खुलासा कर सकते हैं?

उ० : मैंने अपनी स्थिति बदली नहीं है। मेरी स्थिति बराबर एक जैसी रही है और एक सरसरी निगाह डालनेवाला आदमी भी यह बात देख सकता है। कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावमें यह बात बिल्कुल साफ है।[1] समितिने हिन्दू-मुस्लिम सवाल हल न हो सकनेपर भी मुझे लन्दन भेजनेका फैसला किया है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब अन्य अनुकूल हालात मौजूद हों; और मैं महज उन अनुकूल हालातोंके उत्पन्न होनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

प्र० : क्या ये हालात केवल समझौतेसे ही सम्बन्धित हैं?

उ० : हाँ, केवल समझौतेसे।

१. यह प्रस्ताव १० जून, १९३१ को बम्बईमें पास किया गया था; देखिए "सार और छाया", १८-६-१९३१ भी।

प्र० : हालात उत्पन्न होनेकी उम्मीद कबतक है?

उ० : अब और ज्यादा परीक्षण करनेसे रोगी चिढ़ जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २२-७-१९३१

१९९. तार : जमनालाल बजाजको

[शिमला
२० जुलाई, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

सेठ जमनालालजी
उदयपुर

बुधवारको सम्भवतः यहाँसे बारडोली के लिए रवाना होऊँगा।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७३७२) से।

२००. तार : के० केलप्पनको

[२१ जुलाई, १९३१ या उससे पूर्व][2]

यह मेरा दृढ़ विचार है कि नीलामी बिक्री पर धरना[3] दिया जा सकता है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-७-१९३१

१. २० जुलाईको प्राप्त जमनालाल बजाजके तारमें कहा गया था : "आज रात उदयपुर पहुँच रहा हूँ . . . अपना कार्यक्रम बतायें।"

२. इसी तारीखको इस तारकी रिपोर्ट मिली थी।

३. शराबकी दुकानोंकी।

२०१. एक ज्ञापन[1]

२१ जुलाई, १९३१

युद्ध-विरामके उल्लंघनके दृष्टान्त

१. शराबकी दुकानोंपर धरना देनेसे सम्बन्धित धारा ७

मद्रास — (क) १३ जुलाईको प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित की गई और अधिकारियोंको परिपत्र भेजे गये जिसमें स्पष्ट कहा गया कि शराबकी दुकानोंके धरनोंमें आबकारी बिक्री[2] के खिलाफ धरना देना शामिल नहीं है।

(ख) शराबकी दुकानोंकी बिक्रीके विरुद्ध धरना देनेवाले तंजावुर वकील संघके सदस्योंके खिलाफ धारा १४४ लागू की गई।

(ग) तिरुकट्टुपल्लीमें ताड़ीकी दुकानोंसे ६५ गजकी दूरीपर खड़े होकर स्वयंसेवक लोग पिछले ५० दिनोंसे शान्तिपूर्ण धरना दे रहे थे। पुलिसने इसका निषेध कर दिया है और आग्रह किया है कि स्वयंसेवक लोग दूकानोंसे १०० गजकी दूरी पर खड़े हों। धरना इस प्रकार व्यर्थ कर दिया गया है, क्योंकि इतनी दूरसे दुकानें दिखाई ही नहीं पड़तीं।

(घ) शान्तिपूर्ण धरना देनेवालों पर झूठे आरोपों पर मुकदमा चलाया गया है और धरनेमें बलपूर्वक हस्तक्षेप किया गया है।

(ङ) कोइलपट्टीमें स्वयंसेवकोंपर हमला किया गया और उनकी चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई; धरना देनेवालोंको आदेश दिया गया कि वे छाता या झंडे हाथमें न रखें और जनताको चेतावनी दी गई है कि वह स्वयंसेवकोंको पानी न दे।

(च) धरनेदारोंकी संख्यापर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

बिहार — शराबकी दुकानोंपर शान्तिपूर्ण धरना देनेवालोंको सताया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

बम्बई (अहाता)[3] — गैर लाइसेंसशुदा स्थानोंपर और निर्धारित समयकी सीमाके बाहर शराबकी बिक्रीकी अनुमति देकर शान्तिपूर्ण धरनेका उद्देश्य विफल बनाया जा रहा है। अहमदाबाद और अंकलेश्वर (भड़ौंच) तथा रत्नगिरिमें इसके बहुतसे दृष्टान्त हैं। बम्बई सरकारने एक पत्रमें इन कार्योंका बचाव किया है जो जलेपर नमकके समान है। धरनेदारोंपर शराब-विक्रेताओं द्वारा हमला करानेकी साजिश की जाती है।

१. इसे 'अभियोग पत्र' भी कहते हैं। यह ज्ञापन गांधीजीने २१ जुलाईको एच० डब्ल्यू० इमर्सनको दिया था। सरकारका जवाब और कांग्रेस द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर **यंग इंडिया** के २४-९-१९३१, १-१०-१९३१ और ८-१०-१९३१ के अंकोंमें प्रकाशित हुआ था।

२. शराबकी दुकानोंकी नीलामी।

३. देखिए "पत्र: के० एफ० नरीमनको", २१-८-१९३१।

बंगाल-कलकत्ताके निकट पागलारहाटमें शान्तिपूर्ण धरनेदारोंको बुरी तरह मारा-पीटा गया।

२. विचाराधीन मुकदमोंसे सम्बन्धित धारा १२(१)

सूरत जिलेमें कई मुकदमे चल रहे हैं। जहाँ लोगोंने स्वेच्छासे शिकायतें वापस ले ली हैं, वहाँ पुलिस सुपरिंटेंडेंटने उन्हें अपनी शिकायतोंको कायम रखनेके लिए भड़काया है।

धारा(३) – हालाँकि इस धाराका सम्बन्ध विशेष रूपसे ऐसे मामलोंसे है जिनमें स्थानीय सरकारने हाईकोर्टमें मामला उठाया हो, लेकिन बिहार हाईकोर्ट द्वारा अपनी ही तरफसे वकालत करनेवालोंसे वचन लेना भी उसके अन्तर्गत आते लगते हैं।

३. जो रिहा नहीं किये गये हैं, ऐसे बन्दियोंसे सम्बन्धित धारा १३(१)

विभिन्न प्रान्तोंके नेताओंसे कहा गया है कि जिन कैदियोंको अभीतक रिहा नहीं किया गया है, उनके सवालको वे स्थानीय सरकारके सामने उठायें। लेकिन एच० डी० राजा और रतनजी दयाराम, इन दो व्यक्तियोंके मामले विशेष रूपसे बम्बई सरकारके ध्यानमें लाये गये थे। उत्तरमें बम्बई सरकारने राजा द्वारा दिये गये भाषणोंकी प्रतियाँ भेजीं। इन भाषणोंके बारेमें किसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि वे हिंसा भड़कानेवाले थे। रतनजी दयाराम द्वारा अपनी साझेदारीवाली फसलको आग लगानेकी बातको हिंसा बताया गया है।

४. युद्ध-विरामसे पूर्व जो जुर्माने वसूल नहीं हुए थे, उनसे सम्बन्धित धारा १४

सूरत जिलेके बुलसर नामक स्थानमें पाँच मामलोंमें लोगोंसे कहा जा रहा है कि वे भूमिका खेतीसे भिन्न दूसरे कामोंमें उपयोग करनेके लिए (अर्थात् संघर्षके दौरान स्वयंसेवक-शिविर लगानेके लिए — वे शिविर जिन्हें सरकारने नष्ट कर दिया था) जुर्माना अदा करें। उनसे कहा गया है कि जबतक जुर्माना नहीं अदा किया जायेगा तबतक उन्हें जमीनपर कब्जा नहीं दिया जायेगा। वे लोग जमीनका पूरा लगान देनेको तैयार हैं।

५. अतिरिक्त पुलिससे सम्बन्धित धारा १५

चौतला (जिला हिसार)में नियुक्त दण्डात्मक पुलिस अभीतक नहीं हटाई गई। ८००० रु० बतौर दण्ड लगाया गया है।

६. धारा १६(क)

(१) युद्ध-विराम लागू होनेके काफी समय बाद खेड़ामें नमक अधिकारियों द्वारा जब्त की गई एक नाव, जिसे नमक कलेक्टरकी गलतीसे बेच दिया गया था, अभीतक वापस नहीं की गई है और न नावके मालिकको हरजाना ही दिया गया है। हाँ, मालिकसे कहा जा रहा है कि नाव बेचनेसे जो मामूली रकम मिली है वह ले ले और खरीदारसे बात करे।

(२) 'नवजीवन प्रेस' अभीतक लौटाया नहीं गया?[1]

१. देखिए खण्ड ४६ "पत्र: आर० एम० मैक्सवेलको", पृष्ठ ११६-८ तथा "पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", पृष्ठ २९२ भी।

(३) सविनय अवज्ञामें भाग लेनेके कारण जिन लोगोंकी बन्दूकें और बन्दूकोंके लाइसेन्स जब्त किये गये थे, उनमें से कइयोंको वे वापस नहीं दिये गये हैं।

७. अचल सम्पत्तिकी वापसीसे सम्बन्धित धारा १७(क)

अध्यादेश ९ के अन्तर्गत बिहारमें एक आश्रम जब्त किया गया था; वह अभी वापस नहीं किया गया। कर्नाटकमें जो वतन और इनाम जमीनें जब्त की गई थीं उन्हें इसी शर्तपर वापस किया जा रहा है कि भविष्यमें लोग किसी आन्दोलनमें भाग नहीं लेंगे।[1]

१७ (ख) बेच दी गई जमीनोंसे सम्बन्धित

सूरत जिलेमें जिन लोगोंने जमीन खरीद ली थी, उनमें से अमुक लोग जमीनोंको उनके मूल स्वामियोंको वापस देना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी उन्हें ऐसा करनेसे मना कर रहे हैं।

८. रिक्त हुए पदोंसे सम्बन्धित धारा १९

बम्बई अहाता – (१) पाँच वर्षके लिए या "अगला आदेश होनेतक" के लिए नियुक्त किये गये पटेलों और मुखी लोगोंको स्थायी रूपसे नियुक्त माना जा रहा है।

(२) इनमें से कई लोग अवांछनीय सिद्ध किये जा चुके हैं; दो उल्लेखनीय लोग हैं: रासका मुखी और वरदका पटेल जहांगीर। रासके मुखीको चुराई हुई सम्पत्ति अपने पास रखनेके आरोपमें सजा भी मिल चुकी है। उसकी पदावधिमें युद्ध-विराम लागू होनेके बादसे गैर-धाराला लोगोंके बाड़े और पेड़ नष्ट किये जाते रहे हैं और उनकी झोंपड़ियाँ जलाई जाती रही हैं। जहाँगीर पटेलके विरुद्ध घूसखोरी, खयानत, जोर-जबर्दस्तीसे धनकी वसूली करने और गुण्डागर्दीके कई आरोप लगाये गये हैं। कहा जाता है कि बारडोलीमें सरदार गरदा द्वारा खरीदी गई जमीनोंमें उसका हिस्सा है और उसने अपने गाँवके पाटीदारोंके नौकरोंको फुसला दिया जिसके कारण वे पाटीदारोंकी नौकरी छोड़कर गरदाकी जमीनपर काम करनेके लिए चले गये हैं। उसने हाल ही में वरदके लोगोंसे बकाया लगानकी वसूलीके लिये किये गये पुलिसके छापेमें भी भाग लिया था।

(३) जलालपुर और खेड़ामें कई तलाटी नौकरीपर बहाल नहीं किये गये हैं, जबकि बारडोलीमें एकको छोड़ सभी बहाल कर दिये गये हैं। इस एकको सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण बहाल नहीं किया गया है।

(४) दो डिप्टी कलेक्टरोंके मामलेमें लॉर्ड इर्विन और श्री गांधीके बीच यह समझौता था कि उनकी बहालीके लिए नहीं कहा जायेगा, लेकिन वे पेंशनके लिए अर्जी दें और उसपर उन्हें पेंशन दी जायेगी। उन्होंने अर्जी दी, लेकिन व्यर्थ।[2]

(५) अधीनस्थ चिकित्सा विभागमें दो व्यक्तियोंने बहालीके लिए अर्जी दी। सर्जन-जनरलने बिना कोई कारण बताये उनकी अर्जी रद कर दी है। (डा० सिन्हासे, जिन्होंने जेलमें कैदियोंके बारेमें एक पत्र प्रकाशित किया था, क्षमा माँगनेको कहा

१. देखिए "पत्र: आर० एम० मैक्सवेलको", २४-६-१९३१ भी।

२. देखिए पृष्ठ १३।

गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माँगी और इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। डा० चन्दूलालने आन्दोलनके सिलसिलेमें अपने पदसे इस्तीफा दे दिया था।)

(६) ढोलका (जिला अहमदाबाद) के ७० वर्षीय स्कूल मास्टरकी पेंशन बन्द कर दी गई। (नाम — मोहनलाल मूलशंकर भट्ट)

(७) एस० बी० जोशी (पी० डब्ल्यू० डी०)ने, जो रोहरी नहरके अस्थायी सुपरवाइजर थे, अप्रैल, १९३० में इस्तीफा दे दिया। उन्हें सरकारी नौकरीके अयोग्य करार दे दिया गया है।

मद्रास — (१) डा० चलपति राव, एम० बी० बी० एस०, अवैतनिक ऑपथ-ल्मिक सर्जन (गुन्टूर), ने मई १९३० में अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया था। सर्जन जनरलके निजी सहायकने उनसे मई १९३१ में फिरसे पद सँभालनेको कहा था। लेकिन १० जूनको अस्पतालके सुपरिंटेंडेंटने उनसे १९३० के दौरान सरकार विरोधी प्रचारके लिए खेद प्रकट करनेको कहा। उन्होंने लिखित आदेशकी माँग की, जिसपर मामलेको खत्म कर दिया गया। जूनके अन्तमें उन्हें बताया गया कि सरकार उन्हें बहाल नहीं करेगी।

पंजाब — (१) गूजरवाल (जिला लुधियाना)के अवकाश-प्राप्त मिलिटरी सिपाही नं० ६३९ भाई पकाहरसिहने गांधी दिवसको एक हड़तालमें हिस्सा लिया था। उनकी पेंशन बन्द कर दी गई है।

संयुक्त प्रान्त — श्रीयुत शीतलप्रसाद तयाल (एम० ए०, बी० एस० सी०) टीचर, कैंटूनमेंट ए० वी० स्कूल, मेरठको राजनीतिक प्रचारके आरोपमें सेवासे मुअत्तिल कर दिया गया था। उन्होंने बहालीके लिए अर्जी दी लेकिन विफल रहे, क्योंकि एक स्थायी नियुक्ति हो चुकी थी। लेकिन स्थायी पदपर नियुक्त व्यक्तिने ७ अप्रैल, १९३१ को पदभार ग्रहण करनेसे इनकार कर दिया और एक नये अस्थायी व्यक्तिको २० मई, १९३१ को स्थायी कर दिया गया। स्थायी व्यक्तिके मना करनेके बाद ही श्री तयालको नियुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

श्रीयुत काशीप्रसाद दीक्षित (क्लर्क, गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद) ने बहालीके लिए अर्जी दी लेकिन विफल रहे और उनकी अर्जी रद करनेका कोई कारण नहीं बताया गया।

छात्रोंसे प्रतिज्ञा कराना

हालाँकि युद्ध-विरामकी शर्तोंमें स्पष्ट रूपसे कहा नहीं गया है, लेकिन यह बात उसके तहत अपने-आप आ जाती है कि जिन छात्र और छात्राओंने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लिया था उन्हें बिना शर्त भर्ती कर लिया जायेगा, लेकिन देशके विभिन्न भागोंमें तरह-तरहके आश्वासन माँगे जा रहे हैं।[1]

असम — कॉटन कालेज (गौहाटी) के छात्र, जिन्होंने बिना किसी प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर किये प्राइवेट उम्मीदवारोंकी हैसियतसे मैट्रिक पास कर लिया था, उनसे

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-६-१९३१, उपशीर्षक "विद्यार्थी"।

कहा जा रहा है कि उनमें से जिन लोगोंको राजनीतिक अपराधोंके लिए दण्ड दिया जा चुका है वे ५० रु० बतौर जमानत दें, और शेष छात्रोंसे प्रतिज्ञाएँ ली जा रही हैं।

अहमदाबाद — अहमदाबादकी आठ लड़कियाँ और ग्यारह लड़के सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण सरकारी स्कूलों और अनुदान प्राप्त स्कूलोंसे हमेशाके लिए निकाल दिये गये।

अंकोला (कारवार जिला) – निकाले गये चार छात्र अभी भी भर्ती नहीं किये जा रहे हैं। एक छात्रकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई।

अजमेर-मेरवाड़ा — डी० ए० वी० स्कूल, अजमेरके एक शिक्षक श्रीयुत चन्द्रगुप्त, गवर्नमेन्ट स्कूल, अजमेरके शिक्षक छतनलाल, अजमेरके गवर्नमेन्ट कालेजके एक भूतपूर्व छात्र दामोदरदास, और नजीराबादके कमर्शियल स्कूलके हेडमास्टर बनवारीलाल, एम० ए०को किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूलकी सेवासे सदाके लिए निषिद्ध कर दिया गया है। ऐसा उनके सरकार-विरोधी कार्योंमें भाग लेनेके कारण किया गया है।

संयुक्त प्रान्त और दिल्ली — प्रवेश चाहनेवाले छात्रोंसे प्रतिज्ञा करनेको कहा जा रहा है कि वे किसी भी भावी आन्दोलनमें भाग नहीं लेंगे।

सामान्य

बम्बई

बारडोलीमें चालू लगानकी बकाया २२ लाखकी रकममें से २१ लाख रुपये चुकाये जा चुके हैं।[१] ऐसा दावा किया जाता है कि इस लगान की अदायगीके लिए कांग्रेसके कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। यह सभी जानते हैं कि जब उन्होंने उगाहीका काम शुरू किया था तब उन्होंने किसानोंसे कह दिया था कि वे बकाया लगान और चालू लगान दोनोंकी जितनी रकम अदा कर सकें, कर दें। किसानोंमें से अधिकांशने कहा कि वे चालू लगान भी मुश्किलसे अदा करनेकी स्थितिमें हैं। अधिकारियोंने कुछ हिचकनेके बाद और कुछ मामलोंमें कुछ समय तक साफ मना करनेके बाद भुगतान स्वीकार कर लिया और चालू लगानके नामे रसीदें दे दीं। अब, जो लोग देनेमें असमर्थता बताते हैं उनसे बकाया लगान या चालू लगानकी माँग करना कार्यकर्ताओं और जनताके साथ वादा-खिलाफी करना है। जहाँ तक बकाया लगानका सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि यदि कीमतोंमें गिरावटके कारण अधिकृत बकायाकी वसूली स्थगित कर दी जाये, जैसा कि कर दिया गया है, तो अनधिकृत बकाया लगानकी वसूलीको स्थगित कर देनेके पक्षमें तो और भी सशक्त कारण हैं, क्योंकि लोगोंको कीमतोंमें गिरावटसे जो नुकसान हुआ सो तो हुआ ही है, उसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञाकारी होनेके नाते उन्हें दरबदर होनेके कारण जबर्दस्त नुकसान उठाना पड़ा है।

१. २०-८-१९३१ के **यंग इंडिया** में लिखा है: "सूरतमें चालू लगानकी २०,०००,०० रु० की रकममें से १९,०००,०० का भुगतान किया जा चुका है।"

उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान अधिकारियोंको दे दिया गया है। तथापि जिन मामलोंमें अधिकारियोंको शंका है उनकी फिरसे जाँच करनेका आश्वासन कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंने दिया है। उन्हें जिस चीज पर आपत्ति होती है वह है जोर-जबर्दस्तीकी कार्रवाइयाँ, जुर्माने और पुलिसकी उपस्थिति, जो लोगोंके घरोंको घेर कर खड़ी होती है।

बोरसद और आनन्दमें भी बकायाका सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ है, हालाँकि यदि कलेक्टर और श्री गांधीके बीच हुए समझौतेका पालन किया जाये तो उसमें कोई कठिनाई शायद नहीं होगी।

सिरसी और सिद्धपुर (कर्नाटक)में किसानोंने संकटके कारण राहतकी माँग की थी। वहाँ कोई कर-बन्दी आन्दोलन नहीं हुआ। लोगोंने व्यवस्थापिका परिषदके एक सदस्य श्री चिकोड़ीकी मारफत अधिकारियोंसे अपील की। राहत देनेका वादा किया गया। कुछ राहत दी भी गई। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी सेवाओंका उपयोग करके संतुष्ट रहनेके बजाय जोरदबावकी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। रोजमर्राके उपयोगकी चीजें, जिसमें खाना बनानेके बर्तन भी शामिल हैं, जब्त कर ली गई हैं।

संयुक्त प्रान्त

कांग्रेसके कार्योंमें जगह-जगह दखल दिया जा रहा है, शांतिपूर्ण सभाएँ भंग की जा रही हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं तथा लोगोंको सामान्य तौर पर आतंकित किया जा रहा है।

दृष्टान्त — बिझारी (मथुरा) – २० मई, १९३१ को तीन लारियोंमें भरे हुए पुलिसवालोंने लगभग सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओंके घरों पर छापा मारा, स्त्रियोंको अपमानित किया और राष्ट्रीय झंडे छीन कर उन्हें फाड़ा और जलाया, बच्चोंको प्रभात फेरियोंमें भाग लेनेकी मनाही कर दी गई। गाँवके १८ व्यक्तियोंका धारा १०७ के अन्तर्गत चालान किया गया, इनमें से चारके ऊपर डकैतीका अभियोग लगाया गया। शिनाख्ती परेडके बिना जमानत पर रिहा करनेसे इनकार कर दिया गया। उनके विरुद्ध बिल्कुल झूठी गवाही तैयार की जा रही है।

(२) नौझील (मथुरा) – २६ जून, १९३१ को एक शान्तिपूर्ण सभा बलपूर्वक भंग कर दी गई। जो लोग हटनेको तैयार नहीं हुए उन्हें घसीट कर हटा दिया गया। लाठीकी मारसे श्रीयुत घूरेलाल बेहोश हो गये। कई अन्य कार्यकर्त्ताओंको मारा-पीटा गया।

(३) रायामें रहीमतुल्ला नामक कांग्रेस स्वयंसेवकको १० जुलाई, १९३१ को स्थानीय पुलिसने जूतोंसे पीटा और उसे तरह-तरहकी धमकी देकर गाँव छोड़नेको कहा गया।

जिला [कमेटी][1] मथुराके लगभग सभी पदाधिकारियों सहित लगभग ५३ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर सुरक्षा धाराके तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

१. **यंग इंडिया** से।

(४) सुल्तानपुर जिला कमेटीके सभी प्रमुख कार्यकर्त्ताओंके विरुद्ध धारा १४४ के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

(५) झूठ बताये जानेवाले बहानोंपर करनाल जिलेमें कई गिरफ्तारियाँ की गई हैं।

(६) बाराबंकीमें धारा १४४ के अन्तर्गत एक आम आदेश सारे इलाकेमें लागू कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिला मजिस्ट्रेटके दस्तखतसे धारा १४४ के अन्तर्गत सादे आदेश-पत्र पुलिस इंस्पेक्टरोंको दिये गये हैं। धारा १०७ के तहत ३०० मामले अदालतोंमें पेश हैं और रायबरेलीमें ऐसे ही १३५ मामले चलनेकी खबर है। इस धाराका उपयोग विशेषत: पंचों, सरपंचों और गाँवके कांग्रेस कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार करनेके लिए किया जाता है। सम्मनमें यह स्पष्ट रूपसे उल्लिखित होता है कि मुकदमा विभिन्न प्रकारके कांग्रेस-कार्य करनेके आरोपमें चलाया जा रहा है, और यदि अभियुक्त पूरा लगान देनेका वचन दे, जमींदारोंसे माफी माँगे, और अपने घर या गाँवमें से राष्ट्रीय झंडा हटा दे तथा कांग्रेसके स्वयंसेवकोंकी भर्ती करना बन्द कर दे तो मुकदमा उठा लिया जायेगा।

(७) बाराबंकीमें डिप्टी कमिश्नर ७ जून, १९३१ को दादरा गये, वहाँ लोगोंसे कांग्रेस छोड़नेको कहा, गांधी टोपियाँ उतरवा दीं, किसानोंको खद्दरकी गांधी टोपी न पहननेकी चेतावनी दी, और लोगोंसे इस आशयके घोषणापत्रपर हस्ताक्षर कराये कि उनका कांग्रेससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(८) भदरीमें २२ जून, १९३१ को रामनगर थानेके सब-इंस्पेक्टरने राष्ट्रीय झंडोंको उतार फेंका, कांग्रेसके कागजात जब्त कर लिये, गाँवके तीन आदमियोंको हिरासतमें ले लिया और अन्य लोगोंको कांग्रेस न छोड़ने पर गिरफ्तारीकी धमकी दी।

(९) बस्ती जिलेमें मजिस्ट्रेट लोगोंसे गांधी टोपी न पहननेको खुले आम कहता है। इस आदेश पर आपत्ति करने पर एक कार्यकर्ताको पीटा गया।

(१०) गोंडा जिलेमें जब कुँवर राघवेन्द्र प्रताप सिंहने डिप्टी कमिश्नरसे भेंट की तब डिप्टी कमिश्नरने कुँवर साहबको धमकाया कि कांग्रेसका काम न छोड़नेपर उन्हें सताया जायेगा। इस जिलेमें प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके विरुद्ध धारा १४४ के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

(११) बहराइच जिलेमें चौकीदारों, जमींदारों और उनके गुर्गोंकी खानगी शिकायतोंके आधारपर कांग्रेस कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार किया जाता है और सजा दी जाती है।

अभी तक हमने स्वयं अधिकारियोंकी कारगुजारियोंकी चर्चा की है। लेकिन प्रकट रूपसे जो कारनामे जमींदारों या ताल्लुकेदारोंके प्रतीत होते हैं वे भी सरकारी अधिकारियोंके इशारे पर न भी सही, तो भी उनकी मददसे किये जाते हैं। अधिकारी लोग उनकी ज्यादतियोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। रायबरेलीके परिपत्र तो सर्व-विदित हैं।[1]

१. देखिए "ईमानदारीके साथ", २३-७-१९३१ भी।

सरकारी सहायता पानेका आश्वासन पाकर ताल्लुकेदारोंने लगान वसूली करनेका अपना पुराना बर्बर तरीका फिरसे शुरू कर दिया है। हाल ही के एक उदाहरणके तौर पर, एक किसानको रायबरेलीके सिविल अस्पतालमें भर्ती किया गया है। ताल्लुकेदारके दलने संगठित रूपसे उसपर हमला किया था जिसके फलस्वरूप उसकी आँख चली गई है और नाककी हड्डी टूट गई है। एक गर्भिणी स्त्रीको तबतक पीटा गया जबतक कि वह बेहोश नहीं हो गई।

बहराइच जिला — बहराइच जिलेमें नानपारामें कई अवसरोंपर पुलिस और जमींदारोंने मिलकर कांग्रेस स्वयंसेवकों तथा किसानोंको मारा-पीटा है और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कई स्वयंसेवकोंके घरोंको पुलिसने आग लगा कर फूँक दिया है। बाराबंकीकी एक रिपोर्टमें कहा गया है कि "नये डिप्टी कमिश्नरके आनेके बादसे पुलिसवाले गाँवके लोगोंको आतंकित कर रहे हैं और राजस्व तथा पुलिस विभागके अधिकारी किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओंका दमन करनेमें जमींदारोंकी मदद कर रहे हैं।" हमें रायबरेली और अन्य जिलोंसे भी ऐसी ही रिपोर्टें मिली हैं। अवधमें सरकारकी यही सामान्य नीति है।

गोंडा जिला — बलरामपुर (गोंडा), जो एक ताल्लुकेदारी है, लेकिन कोर्ट ऑफ वार्ड्सके अधीन है, की दो घटनाएँ।

बराईपुर गाँव :

"ठेकादारानकी शिकायतपर मईके पहले सप्ताहमें पुलिस और रियासतके कर्मचारियोंने गाँवको घेर लिया। उन्होंने लोगोंसे बकाया लगान तुरन्त अदा करनेको कहा, लेकिन लोगोंने दो दिनकी मोहलत माँगी। उन्हें पीटा गया और २३ लोगोंको बादमें धारा ३२३, ३२५ और १४७ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तीसरे दिन रियासतके अधिकारियोंने २५० आदमियोंको लेकर गाँवको फिरसे घेर लिया। स्त्रियोंके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें नंगा किया गया और उनको बेइज्जत किया गया।

"वे अनाज उठा ले गये और औने-पौने दामपर नीलामकर दिया। मामला अभी भी चल रहा है।" रियासतके जिलादार और उसके आदमियों द्वारा मार-पीटके फलस्वरूप एक आदमीकी मौत हो गई। जिलादारको गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिमरिया गाँव :

"ठेकेदारने इस गाँवकी औरतोंके साथ बुरा सुलूक किया। तीन दिनतक किसीको कुओंसे पानी तबतक नहीं भरने दिया गया जबतक कि आंशिक लगान नहीं चुका दिया गया। ठेकेदारके आदमियोंके विरुद्ध बल-प्रयोग करनेके अपराधमें १९ व्यक्तियोंपर मुकदमा चलाया गया। यहाँ भी औरतोंको नंगा किया गया और उनके गुप्तांगोंमें लकड़ी घुसेड़ी गई।"

इलाहाबाद जिला — रिपोर्टोंसे पता चलता है कि कई जमींदारोंने बलपूर्वक पूरा लगान वसूल कर लिया है और किसानोंको छूट या माफी नहीं दी है। इस जिलेमें

लगभग सभी तहसीलोंमें जमींदारों द्वारा किसानोंको मारना-पीटना, बेंतों और जूतोंसे मारना, उनके बल्लम आदि शस्त्रोंका प्रयोग करना और हर सम्भव तरीकेसे उन्हें सताना और अपमानित करना एक मामूली बात है।

गोरखपुरसे हमें रिपोर्ट मिली है कि सरकार जमींदारोंको ज्यादतियाँ करनेमें मदद दे रही है और जमींदारोंके मनमें जो आता है वही कर रहे हैं। कई उदाहरणोंमें से एक यह है: "सिसवा बाजारके जमींदार परमहंस सिंह और नवल किशोर सिंहने ३१ अप्रैलको १५० बदमाशोंके साथ खेसरादी, गिडवापाल मनसाछपरा, अहरौली गाँवोंपर धावा किया और राजबली, नब्बू लुनिया, भीमल और चौकरकी सम्पतियों-को लूटा।" सरकारने इस घटनापर कोई ध्यान नहीं दिया। राजवाड़ा गाँवमें रामनारायण जमींदारने पुलिसकी मददसे किसानोंपर गोली चलाई। इसके फलस्वरूप एक आदमी मर गया। सरकार सारे कांडपर चुप है।

किसानोंको मुर्गा बना कर धूपमें खड़ा कर देनेका रिवाज आम है। इसी तरह जूतोंसे पीटनेका भी। सम्पत्ति (मवेशी आदि)को बिना किसी अदालती हुक्मके जब्त कर लेना भी मामूली बात है।

रायबरेली — रायबरेली जिलेमें सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिनमें अमीनने पुलिसकी मददसे किसानोंको आतंकित किया है।

किसानोंको नोटिसें जारी की गई हैं कि यदि वे कुछ विशिष्ट कांग्रेसजनोंके साथ सम्पर्क रखेंगे तो उनपर मुकदमा चलाया जायेगा।

उन्नाव जिला – पिपरी (उन्नाव जिला)की घटनाओंकी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटने जो जाँच की थी उसमें किसानों द्वारा लगाये गये आरोपोंको श्रीयुत विश्वम्भर दयाल त्रिपाठीने प्रकाशित किया है। ये यदि सच नहीं हैं तो मानहानिकारक हैं।[1] इन आरोपोंमें कहा गया है कि सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटके संरक्षणमें गाँवके जमींदारोंने किसानोंको लाठी-डंडोंसे मारा, घरोंके दरवाजे और ताले तोड़े, स्त्रियोंका अपमान किया, एक स्त्रीके साथ बलात्कार किया गया, और जेवरातकी लूट-पाट की गई।

आगरामें केवल उन्हीं किसानोंको लगानमें छूट या माफी दी जाती है जो अपनेको कांग्रेसके खिलाफ घोषित करते हैं। इसलिए सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जिन्हें सरकारसे माफी नहीं मिली है। सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूपसे कहते हैं कि जो किसान कांग्रेसके साथ हैं उन्हें माफी नहीं दी जायेगी।

इसी प्रकारकी रिपोर्टें हमें फैजाबाद, खीरी, फतेहपुर, बदायूँ आदि जिलोंसे प्राप्त हुई हैं। ये सब ऐसी ही दर्दनाक कहानी कहती हैं।

बंगालमें — कोंटाईमें शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार किया गया है।

पंजाबमें — तरनतारनमें शान्तिपूर्ण जुलूसोंपर लाठीचार्ज किये गये हैं। सरहाली पुलिस थाना (अमृतसर जिला)के सामने पुलिस इंस्पेक्टरने कांग्रेस नेताओंको गाली दी और एक कांग्रेसी डाक्टरको बुरी तरह मारा। तरनतारनमें कई कार्यकर्ताओंको

१. देखिए "गम्भीर आरोप", २५-६-१९३१।

धारा १०८ के अधीन गिरफ्तार किया गया। अम्बालाके डिप्टी कमिश्नरने लाला दुनीचन्दसे कहा कि अम्बाला छावनी या किसी भी छावनीमें कोई राजनीतिक सभा नहीं की जा सकती। १६ मईको लुधियानामें एक खानगी ढंगके मुशायरा-समारोहको सिटी मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें निर्दयतापूर्वक भंग कर दिया गया।[1] लोग जब तितर-बितर होने लगे उस समय फैज नामक एक व्यक्तिने मंचपर एक लोहेकी कुर्सी फेंकी। जब डा० किशोरलालने पुलिस इंस्पेक्टर तथा मजिस्ट्रेटको यह तथ्य बताया तो उक्त फैजने हंटर मारा जिससे उनका शरीर दो जगहसे कट गया। उसने उनके सरपर लाठी भी मारी। मजिस्ट्रेटने फैजको रोकनेके बजाय किशोरलालको बुरी-बुरी गालियाँ दीं। डाक्टर किशोरलालके विरोध करनेपर तितर-बितर होते लोगोंपर लाठीचार्ज किया गया। पचास आदमी बुरी तरह घायल हुए। इस हमलेका कारण लोगोंको आतंकित करना था, ताकि वे कटरा नवरियानमें स्वदेशी बाजारके उद्घाटनका विरोध करें।

असममें — जोरहाटमें पुलिस सुपरिंटेंडेंट बार्टलेके आदेशसे १९ जूनको प्रभातफेरी निकालनेवाले लड़कोंको मारा-पीटा गया। डा० एच० के० दाससे कहा गया कि कराचीमें उन्होंने एक कांग्रेस प्रस्तावका जो समर्थन किया था, उसके फलस्वरूप उनकी पेंशन क्यों न बन्द कर दी जाये, इसकी सफाई दें।

उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त

खुदाई खिदमतगारोंके विरुद्ध दमनात्मक कार्य

१. मालखण्ड एजेन्सी[2] — मालखण्ड एजेन्सीकी हवालातमें कैद कुछ लोगोंसे मालखण्ड एजेन्सीके तहसीलदारोंने कहा कि यदि वे खुदाई खिदमतगारोंको गोलीसे मार डालनेको राजी हो जायें, तो उन्हें रिहा कर दिया जायेगा। उनसे यह भी कहा गया कि वे जितने खुदाई खिदमतगारोंको पकड़ सकते हों पकड़ें और प्रत्येकसे २०० रुपये वसूलनेके बाद उन्हें छोड़ दें। ऐसा करनेका वादा करनेपर उन्हें छोड़ दिया जायेगा। सदरुममें एक खुदाई खिदमतगारको छुरा भोंक दिया गया और एक अन्यको ४ जुलाई, १९३१ की रातको रोस्तम नामक स्थानपर संदिग्ध परिस्थितियोंमें मार डाला गया।

२. दौलतपुरा, तहसील चारसद्दा — बटग्रामके जेलदार अब्दुल्लाजानने फ्रंटियर कांस्टेबुलरीकी मददसे ऐसे सभी स्वयंसेवकोंको इकट्ठा किया जिन्होंने बकाया लगान नहीं दिया था और इनमें से छः को ऐसे कमरेमें बन्द कर दिया जिसमें भिड़ें थीं। इसके बाद कमरेमें धुआँ करके भिड़ोंको उत्तेजित कर दिया गया। भिड़ोंके काटनेसे उनके मुँह सूज गये। जब उन्हें कमरेसे निकाला गया तब अब्दुल्लाजानके लड़केने उनसे कहा कि वे अपनी बीबियोंको बेच कर लगान अदा करें।

३. घोड़मलीक — २७ जून, १९३१ को अब्दुल्लाजान और उसके साथियोंने उन खुदाई खिदमतगारोंको पकड़ लिया जो लगान नहीं दे पाये थे और उन सबके हाथ

१. देखिए खण्ड ४६, "पत्र: दुनीचन्दको", पृष्ठ ३५४।
२. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", २०-७-१९३१ भी।

पीठके पीछे बाँधकर तेज धूपमें बिठाये रखा। मुँहसे एक शब्द भी निकालनेवालेको बन्दूकके कुन्दोंसे पीटा जाता था, जिसके फलस्वरूप एक बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। यही चीज जमटो और बकायानामें भी की गई।

४. शबकादर — शबकादरमें आलमीर और हमीदखाँने, जिन्हें सरकारकी ओरसे जागीर प्राप्त है, दो खुदाई खिदमतगारोंको पकड़ लिया, पोलिटिकल अफसरके पास ले गये और उनसे कांग्रेसका काम छोड़ देनेको कहा। उनके इनकार करनेपर उन्हें नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। इनमें से एकको तेज धूपमें जमीनपर लेटनेको मजबूर किया गया। जमीनपर लिटाकर उसे मजबूत रस्सियोंसे कसकर बाँध दिया गया और उसकी गुदामें लकड़ीके टुकड़े और उँगली घुसेड़ी गई; पठानोंमें इस प्रकारके अपमानको मौतसे भी बुरा मानते हैं।

५. सरबन्द — २१ जून, १९३१ को पुलिसका एक बड़ा दस्ता मकर्रबखाँको पकड़नेके लिए सरबन्द गया। उसके विरुद्ध हरीसिंह नामक व्यक्तिने यह झूठी शिकायत की थी कि मकर्रबखाँने उसे जबर्दस्ती पकड़ कर बन्द कर रखा था और रुपये वसूले थे। किसी लम्बरदार[1] के मौजूद न रहनपर भी पुलिसने उसके घरमें जबर्दस्ती प्रवेश किया, उसे लूटा-पाटा और वहाँसे २०० रुपये उठा ले गये। एक अन्य खुदाई खिदमतगार, फजलुर्रहमानको उसी शाम गिरफ्तार करके सराय ले जाया गया। सरायके निकट एक शान्तिपूर्ण भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने नारा-ए-तकबीर[2] लगाया। इस पर पुलिस उनके ऊपर टूट पड़ी और लोगोंको बन्दूकके कुन्दों और संगीनोंसे मारा। २२ जूनको मकर्रबखाँने स्वेच्छासे पुलिसके सामने आत्म-समर्पण कर दिया। उसी दिन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और पुलिस इंस्पेक्टरकी उपस्थितिमें सैयद अशफाकखाँ और अरब अब्दुल गफूरखाँने गुलसरनका बयान दर्ज किया जिसमें उसने मकर्रबखाँके ऊपर पुलिस द्वारा लगाये गये आरोपोंसे उसे निर्दोष करार दिया। २४ जूनको सैयद अशफाकखाँ और अरब अब्दुल गफूरखाँको गिरफ्तार कर लिया गया।[3] उन्हें धारा १४३/२२५ भारतीय दंड संहिताके अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने अपराध करनेवाले व्यक्तिकी कानून सम्मत गिरफ्तारीका जानबूझकर प्रतिरोध किया; और यह अभियोग इस तथ्यके बावजूद लगाया गया कि मकर्रबखाँकी गिरफ्तारीमें प्रतिरोध जैसी कोई चीज की ही नहीं गई थी।

६. कोहाट — कोहाट कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष अपने स्वयंसेवकोंके साथ जिस समय हंगूकी तरफ दौरा कर रहे थे तब शिनवारीके निकट उन्हें पुलिसने रोका और उन पर गोली चलाई। गोली चूक गई। वापस लौटते समय उनके दलको चिढ़ाया गया, उनपर पत्थर फेंके गये और अन्तमें उनपर लाठीचार्ज किया गया।

१. गाँवोंके बड़े किसान, जो सरकारको लगानकी वसूलीमें मदद करते थे।

२. इस्लामका एक नारा, जिसके जवाबमें "अल्ला हो अकबर" का नारा लगाया जाता है।

३. इसके बादका हिस्सा **यंग इंडिया** से लिया गया है।

डाक अधिकारियों द्वारा पत्रिका रोकी गई

खान अब्दुल गफ्फारखाँकी पश्तो भाषी पत्रिका 'पख्तून', जो शुद्ध रूपसे सामाजिक सुधारकी पत्रिका है, का मई अंक डाक अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया और खान साहबको इसका कोई कारण नहीं बताया गया है।

धारा १४४ — खलील और मोहमंद इलाकोंमें और पेशावर तहसीलमें सभाओं और जुलूसोंपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३७३) से; सौजन्य : इंडिया आफिस लाइब्रेरी। **यंग इंडिया**, २०-८-१९३१ से भी।

२०२. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

शिमला
२१ जुलाई, १९३१

वाइसरायके निवाससे बाहर निकलते ही एसोसिएटेड प्रेसके विशेष प्रतिनिधि द्वारा प्रश्न किये जानेपर महात्मा गांधीने कहा कि बातचीत अनिर्णीत ही है।

लेकिन मैं और किसी भेंटके लिए रुकूँगा नहीं। मैं कल बारडोलीके लिए रवाना हो जाऊँगा; वहाँसे बोरसद जाऊँगा।

जोर देकर यह पूछनेपर कि क्या कोई बातचीत और होगी, महात्मा गांधीने कहा कि बातचीत सम्भवतः पत्र-व्यवहारके द्वारा हो सकती है जिससे शायद बादमें कोई प्रकाश दिखाई पड़े। फिलहाल गांधीजीके घिसेपिटे शब्दोंमें स्थिति यह है :

जैसी पहले थी। मरीजका तापमान पहले जैसा ही है।

इंग्लैंड जानेके बारेमें पूछनेपर महात्मा गांधीने कहा कि अभी इस बारेमें सन्देह है और जबतक मैं स्टीमरपर सवार न हो जाऊँ, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २२-७-१९३१

२०३. पत्र : वाइसरायको

शिमला
२१ जुलाई, १९३१

आपका इसी २० तारीखका कृपापत्र मिला जिसमें आपने प्रधान मन्त्रीकी ओर से मुझे संघ संरचना समितिका सदस्य और साथ ही पूर्ण सम्मेलनका सदस्य बननेके लिए निमंत्रित किया है। इस निमंत्रणकी मैं कद्र करता हूँ और जैसाकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसे स्वीकार करना चाहूँगा, लेकिन मेरे लन्दन जानेके मार्गमें बहुत-सी गम्भीर कठिनाइयाँ हैं। शिमला मैं यह उम्मीद लेकर आया था कि यहाँ ये कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी। लेकिन हमारी लम्बी बातचीतसे स्थितिमें कुछ ऐसा सुधार नहीं हुआ है जिससे कि मैं किसी अनुकूल नतीजेपर पहुँच सकूँ। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि भारतमें इस वक्त जो-कुछ हालात चल रहे हैं, जबतक उनमें कोई सुधार नहीं होता तबतक मेरा भारत छोड़ना असम्भव है। कोने-कोनेसे मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको बिना किसी न्यायोचित कारणके सताया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो उनका कहना है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान उन्हें जितना तंग किया गया था उससे कहीं ज्यादा अब तंग किया जा रहा है। मैं आपकी दिक्कतको समझता हूँ, खासकर उस समय जबकि ये काम कानूनकी आड़में किये जा रहे हैं। मैंने कई उपाय सुझाये हैं, पर मुझे दुख है कि वे आपको पसन्द नहीं आये। इन हालातमें मैं ज्यादासे-ज्यादा यही कह सकता हूँ कि मैं स्थितिका अध्ययन करता रहूँगा, और अगर मुझे ऐसा लगा कि स्थितिमें कोई सुधार नहीं आया है, तो बड़ी अनिच्छापूर्वक मुझे यह निर्णय करना होगा कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यह कहनेकी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं देशके सामान्य अथवा विशिष्ट कानूनोंको स्पष्टतः भंग करनेवाले किसी भी कांग्रेसी-को अदालती कार्रवाईसे बचानेकी इच्छा नहीं करता। मेरी शिकायत तो उन कार्योंके बारेमें है जो स्पष्टतः कानूनकी हदसे बाहर हैं और ऐसे मुकदमों पर है जो स्पष्ट रूपसे उत्पीड़नके विचारसे चलाये जा रहे हैं। इससे अच्छा पत्र लिखनेकी स्थितिमें मैं नहीं हूँ, इस बातका मुझे खेद है। लेकिन मैं लाचार हूँ।

काफी सोच-विचारके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि अपने बेटे देवदास गांधीको मुझे सीमाप्रान्तमें भेजना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल किसीको नहीं भेज सका, खासकर उस सूचनाके बाद जो मुझे श्री इमर्सनने दी है, तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। जसाकि हमारी बातचीतके दौरान मैंने आपसे कहा था, उससे कह दिया जायेगा कि वह कोई भाषण न दे और न कोई अभिनन्दन-पत्र स्वीकार करे। उसे भेजनेका मेरा एकमात्र ध्येय है वहाँ शान्तिकी स्थापनामें मदद करना और यदि तनिक भी

सम्भव हो तो अनर्थको रोकना। उसकी वहाँ उपस्थितिसे खान अब्दुल गफ्फार खाँ द्वारा कमिश्नरके निमंत्रणको स्वीकार करना भी निश्चित हो जायेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

२०४. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

शिमला

२१ जुलाई, १९३१

वाइसरायके आवासपर आज शाम मैंने जो वादा किया था उसके अनुसार अब मैं लिखित रूपमें यह अनुरोध कर रहा हूँ कि एक ऐसे निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्ति की जाये जो सरकार और कांग्रेसके बीच हुए समझौतेकी व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नोंपर, जोकि समय-समयपर सरकार अथवा कांग्रेसकी ओरसे उसके सामने रखे जायेंगे, अपना निर्णय देगा। व्याख्याके प्रश्नपर जबतक सरकार और कांग्रेसमें कोई समझौता नहीं हो जाता तबतक निम्नलिखित प्रश्न ऐसे हैं जिनपर तुरन्त निर्णय दिया जाना चाहिए :

१. धरना देनेमें क्या शराबकी दुकानोंकी नीलामी-बिक्रीपर धरना देनेकी बात भी शामिल है?

२. प्रान्तीय सरकारोंको क्या यह अधिकार प्राप्त है कि वे धरना कितनी दूरसे दिया जाना चाहिए, यह निर्धारित करें और इस तरह धरना दिये जानेवाली दुकानके निकट धरना देनेवालोंका रहना असम्भव बना दें?

३. क्या सरकारको यह अधिकार है कि वह धरना देनेवालोंकी संख्या निश्चित कर दे जिससे कि दुकान-विशेषके सारे प्रवेश-मार्गोंपर धरना देना असम्भव हो जाये?

४. क्या सरकारके लिए यह उचित है कि वह जिसकी दुकान पर धरना दिया जा रहा हो उसे अन्य गैर-लाइसेंसशुदा जगहोंपर समयासमय शराब बेचनेकी अनुमति दे दे और इस तरह शान्तिपूर्ण धरनेको विफल कर दे?

५. कुछ मामले ऐसे हैं जिनके विषयमें प्रान्तीय सरकारोंका कहना है कि वे समझौतेकी धारा संख्या ३१ और १४के अन्तर्गत नहीं आते, जबकि कांग्रेस कहती है कि आते हैं। इन धाराओंकी व्याख्या की जाये।

१. जवाबमें वाइसरायने कहा : "२१ जुलाईके पत्रके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। निमंत्रण-पत्रोंपर अपनी स्वीकृति देनेमें अपनी मौजूदा असमर्थताके लिए जो कारण आपने दिये हैं, मैं उन्हें उचित नहीं मान सकता तथापि मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आशंकाएँ अभी आप महसूस कर रहे हैं वे हमारी बातचीतके उपरान्त दूर हो जायेंगी, और आप संघ संरचना समितिके तथा पूर्ण सम्मेलनके सदस्यकी हैसियतसे इंग्लैंड जा सकेंगे।"

६. धारा १६(अ) के 'वापस' शब्दकी व्याख्या की जाये।

७. सविनय अवज्ञामें भाग लेनेके कारण लाइसेंस रद कर दिये जानेके बाद छीनी गई बन्दूकोंकी वापसीका सवाल इस समझौतेके अन्तर्गत आता है या नहीं।

८. अध्यादेश ९ के अन्तर्गत जब्त की गई सम्पत्ति और कर्नाटकमें जब्त की गई वतन जमीनोंको वापस करनेकी बात समझौतेमें शामिल है या नहीं, और अगर वह शामिल है तो क्या सरकारको यह अधिकार है कि वह इस वापसी पर कोई शर्त लगाये?

९. धारा १९ के 'स्थायी' शब्दकी व्याख्याकी जाये।

१०. शिक्षा विभागको क्या यह अधिकार है कि जिन विद्यार्थियोंने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लिया था उनके स्कूलों और कालेजोंमें पुनः प्रवेशपर शर्तें लगाये अथवा सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जिन्हें सदाके लिए शिक्षण संस्थाओंसे निष्कासित कर दिया गया था उन्हें उस प्रतिबन्धके अधीन शिक्षण संस्थाओंमें दाखिला न दे?

११. क्या सरकारको किसी व्यक्ति अथवा संस्थाको, उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लिये जानेके कारण सजा देनेका अर्थात् पेंशन रोकने अथवा नगर-पालिकाओंको अनुदान अथवा इसी तरहकी अन्य सुविधाओंको रद करनेका अधिकार प्राप्त है?

यह न समझा जाये कि केवल इन्हीं मामलोंको न्यायाधिकरणके सिपुर्द किया जायेगा। यह सम्भव है कि भविष्यमें अनपेक्षित रूपसे ऐसे मामले उठ खड़े हों जिनके समझौतेके अन्तर्गत होनेका दावा किया जा सकता है। इस सम्बन्धमें जो तरीका अपनाया जायेगा वह यह होगा कि सरकार और कांग्रेस दोनोंकी ओरसे ही लिखित बयान पेश किये जायेंगे तथा सरकार तथा कांग्रेस दोनों ही की ओरके वकील न्यायाधिकरणके साथ मुख्य प्रश्नोंपर चर्चा करेंगे। न्यायाधिकरणका निर्णय दोनों पक्षोंको मान्य होगा।

जैसाकि आपसे हुई अपनी बातचीतके दौरान मैंने आपसे कहा था, यद्यपि मैं इस समय कांग्रेस और सरकारके बीच मतभेद होनेकी स्थितिमें तथ्य-सम्बन्धी प्रश्नोंकी जाँचके लिए एक न्यायाधिकरणकी नियुक्तिकी माँग नहीं करता तथापि मुझे उससे इनकार नहीं है। ऐसे अवसर आ सकते हैं जब दोनोंके बीच मतभेद इतने गहरे हो उठें कि दोनोंमें से किसी-न-किसी पक्षको बाध्य होकर ऐसे मामलोंकी जाँचके लिए भी न्यायाधिकरणकी माँग करनी पड़े, तथापि मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि हम विवादग्रस्त विषयोंको किसी न्यायाधिकरणको सौंपे बिना सुलझा सकेंगे।[1]

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ३३/१७/३१-पोल/१९३१; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. इमर्सनके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ५।

२०५. भेंट : 'पायनियर' के प्रतिनिधिसे

शिमला
२१ जुलाई, १९३१

मैं लन्दन जाना चाहता हूँ। मैं लन्दन जानेकी आशा करता हूँ। कुछ क्षेत्रोंमें जिला-अधिकारी मेरी अनुपस्थितिमें जो-कुछ करेंगे यदि उसके बारेमें मेरे मनमें शंका न होती तो मैं लॉर्ड विलिंग्डनके पास अभी जाता और कहता कि मैं निमन्त्रण स्वीकार करता हूँ।

आज रात एक घंटेकी बातचीतके अन्तमें गांधीजीने इन शब्दोंमें अपनी वर्तमान स्थितिका सार प्रस्तुत किया। . . .

श्री गांधी शिमलामें वाइसरायसे फिर भेंट नहीं करेंगे, और उन्होंने मुझे बताया कि पहले कुछ पत्र-व्यवहार होगा, और उसके बाद ही वह इस स्थितिमें होंगे कि 'हाँ' या 'ना' कह सकें। वह जानेको उत्सुक हैं, इस बारेमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता, और जब मैंने उनसे कहा कि सामान्य राय यह है कि अगर वह लन्दन नहीं जाते तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, तब गांधीजीने कहा कि इस रायसे असहमत होनेका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, तथापि मुझे भारतकी जनताका भी विचार रखना है।

"लेकिन क्या बड़ी समस्याओंपर ध्यान केन्द्रित करनेके बजाय आप छोटी-छोटी तफसीलोंपर बहुत ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं?" मैंने कहा। इसपर श्री गांधीने दक्षिण आफ्रिकाकी, विशेष रूपसे स्पिओन कॉपमें अपने अनुभवोंकी बात[1] छेड़ दी जहाँ उनके तीन अफसर घायल और पंगु हो गये थे। गांधीजीने बताया कि उन्हें बीस मीलसे भी अधिक लम्बे क्षेत्रमें फैले हुए ६० स्ट्रेचर-वाहकोंकी जिम्मेदारी सँभालनी पड़ी थी, और कार्य-कुशलता तथा सफल परिणाम प्राप्त करनेके लिए उन्होंने जिन तमाम छोटी-छोटी चीजोंकी व्यक्तिगत रूपसे देखभाल की थी उनकी संख्या देखकर उन्हें भी आश्चर्य होता है।

क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आज आपकी जो नीति है वह वैसी है जैसीकि उस समय थी?

श्री गांधीने स्वीकार किया कि वह यही कहना चाहते हैं, और कहा कि तफसीलोंकी उपेक्षा करनेका परिणाम केवल अनर्थ ही होगा। उन्होंने यह छिपानेकी कोशिश भी नहीं की कि संयुक्त प्रान्तकी स्थितिपर उन्हें बहुत ज्यादा चिन्ता है।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि सर मैलकम हेली द्वारा भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बनानेका वादा भविष्यको मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस

१. देखिए खण्ड ३।

बातपर जोर दिया कि जिस चीजकी आवश्यकता है वह है तत्काल राहत देनेकी, और हालाँकि सर मैलकम हेलीका भाषण समझौताकारी है, लेकिन उसमें तत्काल राहतके बारेमें कुछ नहीं कहा गया है। गांधीजीने गुजरातका दृष्टान्त दिया जहाँ उन्होंने लगानके बीस लाख बकायेमें से खुद उन्नीस लाख रुपये इकट्ठा किये थे, और कहा कि हालाँकि संयुक्त प्रान्तमें स्थिति कुछ भिन्न है तथापि उन्होंने हालकी समझौता-वार्तामें वहाँ भी जाने और बकाया लगान वसूल कर देनेका प्रस्ताव किया था।

यह दिलचस्प बात है कि कल तीसरे पहर पण्डित जवाहरलाल नेहरूसे मेरी जो थोड़ीसी बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि वह सर मैलकम हेलीके इस कथनसे सहमत हैं कि संयुक्त प्रान्तमें भूमि-व्यवस्था टूट चुकी है और स्थिति बहुत खराब है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए मैंने श्री गांधीसे पूछा, क्या वह इस बातसे सहमत हैं कि इस बातका खतरा है कि यदि भारतभरमें कृषिकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई तो ऐसी भयंकर अव्यवस्था फैल जायेगी जिसका सफलतापूर्वक सामना न तो श्री गांधी कर सकेंगे, और न भारत सरकार? गांधीजीने इस बातसे जोरदार शब्दोंमें अपनी सहमति प्रकट की, लेकिन यह भी कहा कि स्थिति इतनी खराब हो जाये, इसका कोई कारण नहीं है।

मैं भारत सरकारको नीचा नहीं दिखाना चाहता और न मैं किसी समानान्तर सरकारकी स्थापना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जिलोंके अधिकारी जिम्मेवार कांग्रेसजनोंको किसानोंकी लगान दे सकनेकी क्षमताका अनुमान लगानेमें मदद करने दें।

ऐसा लगता है कि वर्तमान झगड़ेका रहस्य इसी एक बातमें है, श्री गांधी और लन्दनके बीच यही एक बाधा है, क्योंकि श्री गांधी ऐसा अनुभव करते हैं कि किसानोंको सरकारसे, और विशेष रूपसे जमींदारोंसे, न्यायोचित व्यवहार नहीं प्राप्त होगा।

यदि मैंने लन्दन जानेका निश्चय किया तो मैं प्रतिनिधि मण्डलके शेष सदस्योंसे एक हफ्ते पहले रवाना होनेकी कोशिश करूँगा। मुझे लंकाशायर आनेके आग्रहपूर्ण निमंत्रण प्राप्त होते रहे हैं और मैं सीधे वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लंकाशायर-में, और वहीं क्या, कहीं भी किसीको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।

धरना आन्दोलन अब केवल एक आर्थिक उपाय है, हालाँकि सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें अवश्य इसका उपयोग एक राजनीतिक अस्त्रके रूपमें किया गया था। लेकिन अब यदि मौखिक रूपसे समझाने-बुझानेके अलावा कुछ और किये जानेकी कोई शिकायत मुझे मिलती है तो ऐसे मामलोंमें मैं तुरन्त कार्रवाई करता हूँ।

श्री गांधीने यह बात मेरे द्वारा पूछे गये आर्थिक और वित्तीय समस्याओंसे सम्बन्धित प्रश्नोंके, विशेष रूपसे भारतके राष्ट्रीय ऋणसे सम्बन्धित कांग्रेसकी इस समय प्रकाशित की गई रिपोर्ट[1] सम्बन्धी प्रश्नोंके उत्तरमें कही। उन्होंने यह स्वीकार

१. देखिए "बहादुरजी समितिकी रिपोर्ट", २३-७-१९३१।

किया कि इस समय शायद इस रिपोर्टका प्रकाशन बहुत समयानुकूल नहीं है, लेकिन कहा कि वह तैयार थी और उसे समाचारपत्रोंसे छिपानेका कोई वास्तविक कारण नहीं था।

उन्होंने इस बातसे इनकार किया कि यह रिपोर्ट ऋणोंको नकारनेके समान है और कहा कि स्थितिका लेखा-जोखा किया ही जाना चाहिए। इस बारेमें कांग्रेसकी रिपोर्ट कोई अन्तिम चीज नहीं है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि राष्ट्रीय ऋणके मामलेमें भारत सरकार भारतके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि आइरिश फ्री स्टेटके साथ किया गया था। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं समझता कि कांग्रेस रिपोर्ट और इस तथ्यके बीच कोई सम्बन्ध है कि सर विक्टर सैसूनने अपेक्षित समयसे एक पखवाड़ा पहले ही अपना वक्तव्य[1] दे दिया था। मेरी रायमें सर विक्टर सैसून उन लोगोंमें से हैं जो यही मान कर चलना पसन्द करते हैं कि अब आगे झगड़ा-झंझट ही पैदा होंगे। यह बात विशेष-रूपसे यूरोपीयोंपर लागू होती है, जिन्हें इस तथ्यसे नाराजी होती है कि जो सुविधाएँ पहले प्राप्त थीं अब वे आगे शायद प्राप्त नहीं होंगी।

. . . श्री गांधीने कहा कि सभी अंग्रेजोंके लिए भारतमें आगे अवसर बने रहेंगे, बशर्ते कि वे स्वार्थभावसे या विशिष्ट सुविधाओंके साथ नहीं, बल्कि भारतके हितमें काम करनेको तैयार हों। . . . श्री गांधीने वस्तुतः स्वीकार किया कि उन्हें एक प्रतिष्ठित अंग्रेज बैंकरका एक पत्र मिला है जिसमें सुझाव दिया गया है कि श्री गांधीको इस विषयमें सुविचारित घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस सुझावपर विचार कर रहा हूँ।

उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यापारिक हितोंको छीननेका मेरा कदापि कोई विचार नहीं है क्योंकि सभीके लिए गुंजाइश है, लेकिन औद्योगिक विकासके बारेमें मैं विशेष-रूपसे चिन्तित हूँ जिसने प्राचीन ग्रामीण उद्योगोंको नष्ट करके किसानोंको गरीब बना दिया है। गाँवोंके उत्थानकी बातका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ, लेकिन मैंने गुड़गाँवमें श्री एफ० एल० ब्रेनके प्रयोगोंकी पूरी तरह जाँच कराई है और मैं इन प्रयोगोंको पूरी तरह विफल मानता हूँ।[2]

गुड़गाँवका उत्थान एक प्रबल और शक्तिशाली व्यक्तित्व—श्री ब्रेन—तथा उनकी पत्नीके प्रयासोंका परिणाम था। मैं भावनाकी कद्र करता हूँ, लेकिन उनके तरीकोंकी कद्र नहीं करता जिन्होंने जिलेको दिवालिया कर दिया ह। मैं गुजरातमें इससे कहीं अच्छे परिणाम दिखा रहा हूँ, और उस पर खर्चा लगभग कुछ नहीं है।

श्री गांधीने जोरदार शब्दोंमें इस सुझावका खण्डन किया कि वह भारतको तीन सौ या चार सौ साल पीछे ढकेल देना चाहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा

१. विक्टर सैसूनने अपना यह इरादा जाहिर किया था कि भारतकी राजनीतिक स्थितिके कारण वह अक्टूबरमें भारत छोड़ देंगे और स्थायी रूपसे चीनमें बस जायेंगे।

२. देखिए खण्ड ४२।

कि जनसाधारणकी भयंकर दरिद्रताको दूर करनेके लिए कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकारके सारे करोंकी अदायगी कर दी जाये तो भी इससे समस्या हल नहीं होगी।

श्री गांधीसे विदा लेते हुए मैंने कहा: "मैं सोचता हूँ कि मैं लिखूं कि आप अन्ततः लन्दन जानेका निश्चय करेंगे।" इसपर उन्होंने कहा:

मैं आशा करता हूँ कि आप सही हैं।

[अंग्रेजीसे]

पायनियर, २३-७-१९३१ और २४-७-१९३१

२०६. भेंट: 'ट्रिब्यून'के प्रतिनिधिसे

शिमला
२१ जुलाई, १९३१

यह पूछनेपर कि क्या आप निराश वापस जा रहे हैं . . . गांधीजीने छूटते ही उत्तर दिया:

न मैं निराश होकर लौट रहा हूँ और न आशान्वित होकर। अभी सब कुछ अनिर्णीत ही है।

प्रश्न: गोलमेज सम्मेलनके बारेमें क्या कोई बात हुई थी?

उत्तर: कोई सीधी बाताचीत नहीं हुई; जो-कुछ हुई वह सामान्य थी।

प्रश्न: ऐसी कौन-सी बात थी जिसकी वजहसे समझौतेमें अड़चन आई?

उत्तर: वही सभी समझौता-विषयक पुरानी अड़चनें थीं जिनकी वजहसे वह उतनी अच्छी तरह कामयाब नहीं हो रहा है जितनी अच्छी तरहसे होना चाहिए।

पंच बोर्डकी नियुक्ति और संयुक्त प्रान्तमें आर्थिक जाँचके लिए कांग्रेसकी माँगको सरकार द्वारा मान लेनेकी सम्भावनाके बारेमें पूछे जानेपर गांधीजीने धीरे-धीरे उत्तर दिया, लेकिन उनकी बातोंसे ऐसा लगा कि इस मामलेपर आगे और बातचीत होनेकी जरूरत है, इसलिए कुछ समय बाद ही वे कोई निश्चित वक्तव्य दे सकेंगे।

प्रश्न: तो आप ऐसा नहीं मानते कि वार्तालाप विफल हो गया?

उत्तर: बिल्कुल नहीं।

प्रश्न: भू-राजस्वकी स्थितिके बारेमें संयुक्त प्रान्तकी परिषद्के सामने सर मैलकम हेली द्वारा दिया गया भाषण क्या आर्थिक जाँचकी आवश्यकताके सिलसिलेमें चल रही बातचीतमें सहायक था?

उत्तर: लॉर्ड विलिंग्डनसे इस विषयपर आज मैंने कोई बातचीत नहीं की।

प्रश्न: शिमलामें आपकी जो बातचीत हुई है उसके परिणामस्वरूप आपका लन्दन जाना क्या और ज्यादा निश्चित हो गया है?

उत्तर: जबतक मैं स्टीमरपर न बैठ जाऊँ, कुछ निश्चित मत मानिए।

प्रश्न : स्टीमरपर सवार होनेका फैसला करनेमें आपके विचारसे आप और कितना समय लेंगे ?

उत्तर : थोड़े दिन और, सम्भवत: बम्बईमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके शीघ्र बाद ही।

प्रश्न : तो आप निकट भविष्यमें सविनय अवज्ञा अथवा कर-बन्दी आन्दोलन पुनः आरम्भ होनेकी सम्भावना नहीं मान रहे हैं ?

उत्तर : पत्रकारको जैसा होना चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप बहुत आगेकी बातें देखते प्रतीत होते हैं। पत्रकारोंके सम्बन्धमें लॉर्ड कर्जनकी यह व्याख्या आपपर ठीक बैठती है कि वे घटनाओंका पूर्वाभास कर लेते हैं और इसलिए उनकी जानकारी सरकारसे भी अधिक होती है। लेकिन मेरे इर्दगिर्द जो चीजें हैं मैं उन्हींको देख रहा हूँ और तात्कालिक समस्याओंको सुलझा रहा हूँ।

प्रश्न : लन्दनमें आप कहाँ ठहरेंगे ?

उत्तर : कुमारी म्यूरियल लेस्टरके अतिथिके रूपमें मैं किंग्स्ले हॉलमें ठहरूँगा।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, २४-७-१९३१

२०७. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

शिमला
२२ जुलाई, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

अपने वादेके अनुसार मैं एच० डी० राजाके उन भाषणोंको यहाँ संलग्न कर रहा हूँ जिनके लिए उन्हें सजा दी गई थी। इन्हें उन्मादपूर्ण तो कहा जा सकता है, लेकिन इन भाषणोंमें मैं हिंसा अथवा उकसाने जैसी कोई चीज नहीं देख सकता। प्रतियाँ प्रामाणिक हैं, क्योंकि ये बम्बई सरकार द्वारा मुझे प्राप्त हुई हैं। क्या आप इन्हें मुझे वापस लौटानेकी कृपा करेंगे क्योंकि मेरे पास इनकी नकल नहीं है ?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, १९३१

२०८. पत्र : पन्नालालको

२२ जुलाई, १९३१

चि० पन्नालाल,

मेरे बारेमें तुम्हें आश्रमसे अब समाचार मिल सकते हैं। खुराक-सम्बन्धी प्रयोग मेरी सत्यकी खोजके भाग ही तो हैं न? और वह भी मैं अपने शरीरका ध्यान रखते हुए करता हूँ। मेरी इच्छा तो यह प्रयोग कर देखने की थी कि ज्वार-बाजराकी भाखरी यदि खायी जा सके तो खाऊँ, लेकिन इसके साथ खजूर और मुनक्का भी न छोड़ूँ, अलबत्ता दूध छोड़ना पड़े तो छोड़ दूँ। अवसर मिलते ही मैंने यह प्रयोग किया, लेकिन बादमें छोड़ना पड़ा। तथापि अभी भी मैं सप्ताह-भरमें पूरा सेर भर भी दूध नहीं लेता। खानेमें मुख्य रूपसे गेहूँकी रोटी, हरी सब्जियाँ, पीसे हुए बादाम और सुबह एक बार खजूर, ऐसा पिछले तीन दिनोंसे चल रहा है। उसके पहले केवल दूध और बादाम लेता था। नीबू तो लेता ही हूँ। शरीर अच्छा रहता है। शक्ति बराबर बनी हुई है, इसलिए कोई चिन्ता न करना। वजन अब फिर ९८ पौंड हो गया है, पहले साढ़े ९५ पौंड हो गया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११७) से।

२०९. 'ईमानदारीके साथ'

मैंने अपने बारेमें एक चर्चा सुनी है कि २ जुलाईके 'यंग इंडिया' में रायबरेलीके जिन गुप्त परिपत्रोंको प्रकाशित किया गया था उनमें से "और साथ ही ईमानदारीके साथ" इन शब्दोंको मैंने छोड़ दिया था। एक अखबारमें मैंने एक अनुच्छेद देखा जिसमें इस आशयका एक प्रच्छन्न लांछन लगाया गया था और यदि मुझे इस बारेमें पहले-से ही जानकारी न होती तो मैं उसे समझ भी नहीं सकता था। 'यंग इंडिया' में इस परिपत्रको जिस रूपमें छापा गया है वह यों है।[1]

जब मैंने पहले-पहल इस चूकके बारेमें सुना तब मुझे बहुत क्षोभ हुआ। अपनी फाइलकी जाँच करनेपर मैंने देखा कि पण्डित जवाहरलालकी ओरसे मिली प्रतियोंमें "और साथ ही ईमानदारीके साथ" वाक्य अवश्य मौजूद था। ये प्रतियाँ परिपत्रोंके प्रकाशित होनेके बाद मुझे मिली थीं। तो फिर 'यंग इंडिया' में यह चूक कैसे हुई?

१. यहाँ नहीं दिया गया है। गुप्त परिपत्र (डी० ओ० १२/६)के लिए देखिए "संयुक्त प्रान्तमें किसानोंपर संकट", २-७-१९३१।

मैंने महादेव देसाईसे कहा कि वह मैनेजरको लिखे कि वह मुझे हस्तलिखित प्रति (जोकि हमेशा कुछ दिनोंके लिए सुरक्षित रखी जाती है) भेजे अथवा यदि सम्भव हो, तो जिस स्थितिमें हस्तलिखित प्रति प्रेसको प्राप्त हुई थी उसकी सूचना तारसे दे। यह रहा तार जिसके कारण यह सब लिखना सम्भव हो सका:

आपका पत्र मिला। विवादास्पद शब्द टाइपशुदा मूल प्रतिमें हाशिये पर स्याहीसे लिखे गये हैं, लेकिन आपने उन्हें स्याहीसे काट दिया है।

अब मुझे पूरी घटना याद आती है। मूल प्रति प्रेसको भेज दी गई थी। मुझे याद पड़ता है कि मुझे क्रियाविशेषण मूलसे अलग जान पड़ा था और ऐसा कोई संकेत भी नहीं था कि वह मूल पाठका अंग है। क्रियाविशेषणको काट देनेकी मुझे कोई याद नहीं है। मैनेजरने कैसे जाना कि मैंने उसे काट दिया है, सो मैं नहीं जानता। मेरा कर्तव्य है कि जो-कुछ हुआ है उसके बारेमें पाठकोंसे साफ-साफ कह दूँ।

(लो महादेव देसाई यहाँ खुद ही आ गये हैं और उन्हें मैंने वह तार दिखाया है। उन्हें अच्छी तरहसे याद है कि क्या हुआ था। इस कथाको अब अपनी यादके अनुसार उन्हें ही खत्म करना चाहिए।)[1]

किसीने जान-बूझकर इस वाक्यको छोड़ा है, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं इस मामलेकी और भी तहकीकात करूँगा और पता लगाऊँगा कि जिन पत्रों (या टिप्पणियों)में यह परिपत्र शामिल किया गया है उन पत्रोंको भेजनेवालेका क्या कहना है और अगर उन्हें ऐसा कुछ कहना हुआ जो प्रासंगिक हो, तो मैं पाठकोंको सब कुछ बता दूंगा।

मेरे विचारसे 'ईमानदारीके साथ' शब्द अप्रासंगिक है और इससे परिपत्रको पढ़नेमें कोई सहायता नहीं मिलती अपितु इससे परिपत्र पढ़नेमें और भी बुरा लगता है। इससे तो वह प्रसिद्ध सूक्ति याद हो आती है "यदि हो सके तो ईमानदारीके साथ करो लेकिन करो अवश्य।"

लेकिन इन अतिरिक्त शब्दोंसे परिपत्रमें कुछ सुधार हुआ हो अथवा उसमें और भी विकृति आ गई हो, फिर भी मैं पत्रलेखकसे तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियोंसे, इस भूलके लिए जो परिपत्रमें सचमुच मिलती है, क्षमा याचना करता हूँ। मैं स्वीकार

१. महादेव देसाईने लिखा था: आम तौरपर गांधीजी **यंग इंडिया** के लिए भेजी जानेवाली 'प्रति' को डाकमें डालनेसे कुछ समय पहले मुझे दे देते हैं। और अब तारको पढ़नेपर मुझे स्पष्ट याद आता है कि "और साथ ही ईमानदारीके साथ" शब्द हाशियेपर अवश्य मौजूद थे, लेकिन सम्भवत: उनपर प्रश्न-चिह्न् लगा हुआ था और इस बातका कोई संकेत नहीं दिया गया था कि ये शब्द मूल पाठका एक हिस्सा हैं। हाँ, उनसे यह आभास अवश्य होता था कि जिस मित्रने परिपत्रकी वह प्रति भेजी है उसने विशेष निर्देशोंके सम्बन्धमें, परिपत्रमें हाशियेपर व्यंग्यसे उपर्युक्त वाक्य लिखा है, इसलिए मैंने उसे काट दिया। मुझे यह भी याद आता है कि एक दो स्थानोंपर मुझे ऐसे व्यंग्य वाक्य लिखे दिखाई पड़े थे और जिनको मैंने गांधीजीसे पूछे बिना अपनी जिम्मेदारीपर काट दिया था। सम्भवत: गांधीजीसे पूछनेके लिए समय भी नहीं था। लेकिन भूल तो हो ही गई। यह उस भूलका एक साफ और सीधा-सादा विवरण है जिसके लिए हमें सचमुच बहुत खेद है।

करता हूँ कि इन शब्दोंको देखनेके बाद महादेव देसाईको उन्हें काटना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने मुझसे इसका जिक्र किया होता तो सम्भवतः मैं इन शब्दोंको वैसे ही रहने देता अथवा परिपत्रको जनताके सामने पेश करनेसे पहले उसके बारेमें परिपत्र भेजनेवालेसे पूछताछ कर लेता। लेकिन एक उत्तरदायी सम्पादकके रूपमें नैतिक दृष्टिसे मेरा यह कर्त्तव्य है कि इस दोषकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँ और वैधानिक रूपसे भी, यदि इसमें कोई वैधानिक दोष ठहरता हो तो, इस भूलके लिए अपनेको दोषी मानूँ। मैंने इससे यह पाठ ग्रहण किया है कि "शीघ्रता करनेमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।" जो पूर्णतया सत्यका पालन करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छे उद्देश्यके लिए भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२१०. बहादुरजी समितिकी रिपोर्ट

ब्रिटेन और भारतकी पारस्परिक देनदारीके सम्बन्धमें जाँच करनेके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने जो समिति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट विशेष कर वर्तमान अवसरपर एक अत्यन्त महत्त्वका लेख है। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताको उसकी एक प्रति रखनी चाहिए। सर्वश्री बहादुरजी, भूलाभाई जे० देसाई, के० टी० शाह और जे० सी० कुमारप्पा अपने इस निःस्वार्थ परिश्रमके लिए राष्ट्रकी हार्दिक बाधाईके अधिकारी हैं। 'यंग इंडिया' के विदेशी पाठकोंको जानना चाहिए कि श्री डी० एन० बहादुरजी और उसी तरह श्री भूलाभाई जे० देसाई, दोनों ही एडवोकेट जनरलके पदपर रह चुके हैं। एडवोकेट जनरलके पदपर रह चुकनेके अलावा, ये दोनों सज्जन विख्यात वकील हैं और इनकी वकालत बहुत चलती है। एडवोकेट जनरलके पदने इनकी प्रतिष्ठामें कुछ वृद्धि की है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो वकालतके व्यवसायमें उनकी प्रतिष्ठाकी और उनका जो पद है, उसकी स्वीकृति मात्र है। प्रो० के० टी० शाह भारतके प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, कितनी ही बहुमूल्य पुस्तकोंके लेखक हैं, और बहुत वर्षतक — अभी कलतक — बम्बई विश्वविद्यालयमें अर्थशास्त्रके अध्यापक थे। ये तीनों सज्जन हमेशा अत्यन्त कार्यव्यस्त रहते हैं, इसलिए कांग्रेसके सौंपे हुए इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यके लिए समय देना उनके लिए कोई मामूली त्याग नहीं था। समितिके संयोजक श्री कुमारप्पा गुजरात विद्यापीठके अध्यापक हैं, इसलिए उनके लिए इसमें कुछ विशेष त्याग नहीं है। वे तो राष्ट्र-सेवककी तरह नामांकित हैं ही, इसलिए उनका समय और श्रम तो पहले ही कांग्रेसके अर्पण था। वे इस विशिष्ट कार्यके लिए पसन्द किये गये, इसका कारण है उनका अर्थशास्त्रका सजग ज्ञान और शोध-कार्यके प्रति उनकी लगन। इन चारों सज्जनोंको, इनके निमन्त्रणपर श्री जी० एन० जोशीने भी, जिनका अर्थशास्त्रका अनुभव भी बहुत काफी है, बहुत मदद दी थी। रिपोर्टके लेखकोंका यह परिचय मैंने इसलिए दिया है कि विदेशी पाठक

जान सकें कि यह रिपोर्ट उथले राजनीतिज्ञोंका लिखा हुआ लेख नहीं, वरन् उन लोगोंकी कृति है जो प्रचुर प्रतिष्ठावाले हैं, और जो धांधलीबाज उपदेशक नहीं, वरन् स्वयं जिस विषयके ज्ञाता हैं, उसीपर लिखनेवाले और अपने शब्दोंको तोल-तोलकर व्यवहारमें लानेवाले लोग हैं।

यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतमें किये गये वित्तीय लेन-देनकी सूक्ष्म जाँच है। इसके पहले भागके पाँच खण्ड किये गये हैं, और अन्तमें वार्षिक फौजी खर्च तथा लेनपर प्रो० कुमारप्पाका ब्याज-सम्बन्धी नोट है। दूसरे भागमें, जो-कुछ ही दिनोंमें प्रकाशित होगा, प्रो० के० टी० शाहके तैयार किये हुए वे लम्बे नोट हैं, जिनका रिपोर्टमें समावेश हो सकना सम्भव न था। इन दोनों भागोंमें भारतीय राष्ट्रीय ऋणके बारेमें वह सब सूचना मिल जायेगी जिसकी इस विषयके विद्यार्थीको आवश्यकता हो सकती है।

पहले भागके प्रथम खण्डमें अनुबन्धोंके इनकार बनाम स्वीकार और उनकी पवित्रताके विषयमें कुछ संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक अनुच्छेद दिये गये हैं। कांग्रेसपर 'राष्ट्रीय ऋण' से इनकार करनेकी इच्छा रखनेका आरोप लगाया गया है। रिपोर्टके लेखकोंने दिखाया है कि इनकारका तो प्रश्न बिल्कुल उठता ही नहीं है, और न अनुबन्धकी पवित्रताका ही कोई सवाल उठता है, क्योंकि कोई अनुबन्ध है ही नहीं। लेखक कहते हैं: "कांग्रेसपर सार्वजनिक ऋणसे इनकार करनेका आरोप अक्सर लगाया गया है। वस्तुतः उसकी माँग इस कर्जसे इनकार करनेकी तो है ही नहीं, वरन् जो कर्ज देशके हितके लिए लिया गया हो, उसे स्वीकार करनेकी है। वर्तमान सार्वजनिक ऋणको राष्ट्रीय ऋण कहना उचित नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वह ग्रेट ब्रिटेनने लिया है और उसे भारतके सिरपर लाद दिया है।" वे आगे कहते हैं: "कुछ क्षेत्रोंमें यह कहा गया है कि इस तमाम देनदारीमें कुछ-न-कुछ पवित्रता है, इसलिए इसके बारेमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। किन्तु हमें इसमें पवित्रताका कहीं नामनिशान भी दिखाई नहीं देता। यह बोझ भारतकी आयपर अनिच्छापूर्वक लादा गया है, और जब यह सिद्ध ही नहीं किया जा सकता कि वह भारतके हितमें किया गया था, तब उसके लिए 'पवित्रता' शब्दका उपयोग किस तरह किया जाये, यह समझना मुश्किल है।" वस्तुतः इनकार करनेके इस आरोपको समझना मुश्किल है। जब भी भारत वर्तमान शासकोंसे सत्ता अपने हाथमें लेगा तो वह वैसा ही साधारण हस्तांतरण होगा जैसा किसी बेचनेवालेसे खरीदारके, न्यासीसे मालिकके अथवा पीड़कसे पीड़ितके हाथों हस्तांतरण होता है। हस्तांतरणके उपरोक्त प्रत्येक मामलेमें मालका विधिपूर्वक मिलान, और तुलनपत्र तथा हिसाबकी जाँच होकर भूलचूक लेनी-देनीकी शर्त होती है।

पराजितके सिवाय, जिसको कि पसन्दगीका कोई हक नहीं होता, किसी भी कब्जा पानेवाले पर कोई बोझा जबर्दस्ती नहीं लादा जा सकता है। भारतके विषयमें जिस स्थितिकी कल्पना की जाती है, वह तो है दासतासे मुक्तिकी, फिर चाहे वह मुक्ति पूर्ण हो अथवा अपूर्ण। कर्जके जिस अंशको भारत स्वीकार करे अथवा जो

न्यायपूर्वक उसके नाम लिखा जाये उसकी स्वीकृतिका यह अर्थ नहीं कि शेषसे इनकार कर दिया जायेगा, वरन् यह है कि उसकी अदायगीकी जिम्मेवारी ब्रिटेनके सिर होगी। इसलिए जिन लोगोंके पास सरकारी बॉण्ड, प्रामिसरी नोट अथवा ऐसी ही और कुछ चीजें हैं, उनमें से यदि किसीको कुछ हानि उठानी पड़े तो वह हानि भारतके इनकार करनेके कारण नहीं होगी, वरन् वह होगी ब्रिटेनके इनकार करनेके कारण।

लेकिन कोई इससे यह न समझ ले कि यह रिपोर्ट कांग्रेसकी आखिरी माँग है। यह तो कांग्रेसके लिए, और जो लोग भारतमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये वित्तीय लेन-देनका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मूल्यवान संदर्शिकाके समान है। कांग्रेसको यह खुला अधिकार है कि वह चाहे तो रिपोर्ट-लेखकों द्वारा निर्धारित माँगकी कोई रकम रद कर दे अथवा आवश्यक हो तो उसमें और वृद्धि करे। फिर साथ ही कांग्रेसने यह हठ तो कभी किया ही नहीं कि वह जो-कुछ भी माँग करे वह स्वीकृत होनी ही चाहिए। उसकी स्थिति तो बराबर यह रही है, और आज भी यही है, कि यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसका दावा स्वीकार न करे तो विवादग्रस्त रकमका मामला किसी निष्पक्ष न्याय-मण्डलके सामने पेश किया जाना चाहिए। निश्चय ही, इससे ज्यादा उचित बातकी अपेक्षा कांग्रेससे नहीं की जा सकती। कांग्रेस द्वारा इससे किसी भी कम बातपर रजामंद होना विश्वासघात होगा। यह माँग कोई असाधारण माँग भी नहीं है। रिपोर्टके विद्वान लेखकोंने आयरलैंडका उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि 'आयरिश फ्री स्टेट' की रचनाके समय स्वभावतः ही राष्ट्रीय कर्जकी हिस्सेदारीका, जो उस समय ७ अरब ७२ करोड़ १० लाख पौंड था, प्रश्न उठा। आयरलैंड (समझौतेकी पुष्टि) अधिनियमकी धारा ५ के अनुसार उसकी नीचे लिखी व्यवस्था की गई:

> **आयरलैंडके अपनी लेनदारी आदिके उचित और न्याय्य दावोंका यथोचित ध्यान रखते हुए, आजकी तारीख तकके यूनाइटेड किंगडमके सार्वजनिक ऋण और युद्धकालकी पेंशनोंका जितना अंश उचित और व्यवहार्य हो, उसकी अदायगीकी जिम्मेवारी आयरिश फ्री स्टेटको अपने सिर लेनी चाहिए और जहाँ इन रकमोंके सम्बन्धमें एकमत न हो, वहाँ ब्रिटिश साम्राज्यके एक अथवा अधिक निष्पक्ष नागरिकोंकी पंचायत द्वारा उसका निपटारा किया जायेगा।**

इतना तो हुआ इस सम्बन्धमें कांग्रेसकी नीतिके सम्बन्धमें। अब समितिने संक्षेपमें जो लेनदारी निर्धारित की है, वह इस प्रकार है:

वर्ष	विषय जिसका लेना है	करोड़	रकम
१८५७ से पूर्व	कम्पनीके बाहरके युद्ध	३५.०००	
	कम्पनीकी पूंजी पर दिया गया ब्याज १८३३–५७	१५.१२०	५०.१२०
१८५७	'गदर' का खर्च		४०.०००

१८७४	कम्पनीकी पूंजीपर दिया गया ब्याज १८५७-७४	१०.०८०	
	कम्पनीकी पूंजीकी खरीद	१२.०००	२२.०८०
१८५७-१९००	बाहरके युद्ध	३७.५००	
१९१४-२०	यूरोपीय युद्ध भेंट	१८९.०००	
	खर्च	१७०.७००	३९७.२००
१८५७-१९३१	बर्माके सम्बन्धमें	२०.०००	
	फुटकर खर्च	८२.०००	१०२.०००
१९१६-१९२१	रिवर्स कौंसिलकी हानि		३५.०००
	सरकारने रेलवे कम्पनियों पर कब्जा करते समय उन्हें जो अतिरिक्त रकम दी		५०.०००
	फौजी रेलवेका खर्च		३३.०००
	कुल लेना (करोड़) रु०		७२९.०००

लेखकोंने भारतके उत्पादक कहे जानेवाले कर्जकी भी ध्यानपूर्वक जाँच की है और इसलिए तत्सम्बन्धी उनकी मीमांसाका निम्नलिखित सार बोधप्रद और साथ ही मनोरंजक भी होगा :

(क) उत्पादक कही जानेवाली पाँच-छः वस्तुओंमें से वस्तुतः सच्चे अर्थोंमें केवल रेलवे और सिंचाई-कार्य, ये दो चीजें ही इस श्रेणीमें रखी जा सकती हैं;

(ख) रेलोंकी उत्पादकता और भारतके आर्थिक विकासमें उनका योग-दान सिंचाई-कार्योंकी अपेक्षा सर्वथा भिन्न तरहका है;

(ग) पूर्व इसके कि रेलवे सम्बन्धी कर्जकी जिम्मेवारी भारतीय जनता अपने सिरपर ले, रेलवेके कारण रुकी हुई कुल पूंजीपर कमसे-कम ऊपर बताये अनुसार ८३ करोड़की अपनी उलटी लेनी रकम तो स्वीकृत होनी ही चाहिए; ठेठ व्यापारिक हिसाब और कठोर न्यायकी दृष्टिसे तो उलटा लेनेकी रकम कमसे-कम दुगुनी होनी चाहिए;

(घ) सिंचाई कार्यों और अन्य व्यापारिक विभागोंका कर्ज स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि नवीन सरकारको कमाईके पर्याप्त साधनोंपर अपने-आप कब्जा मिल जानेसे यह खर्चा निकाला जा सकता है;

(ङ) प्रान्तिक सरकारों, स्थानिक-स्वराज्य संस्थाओं अथवा देशी राज्योंसे वसूल होनेवाली रकमोंको 'उत्पादक' कहा जा सकता है या नहीं, यह एक सन्दिग्ध विषय है; क्योंकि इस बोझको कायम रखनेके पक्षमें, इनकी अपनी सीमामें रहनेवाली जनताकी कर देनेकी शक्ति ही एकमात्र दलील है।

(च) यदि इन सबके विषयमें देनेकी जिम्मेवारी अपने पर ली भी जाये, तो भी बम्बई विकास ऋण की रकम (पन्द्रह करोड़)को तो अपवाद मानना ही चाहिए, क्योंकि यह काम सम्बन्धित जनताके प्रबल विरोधकी उपेक्षा करके किया गया था और इसके बदलेमें उत्पादक अथवा आमदनी देनेवाला कोई साधन मिल नहीं सकेगा।

अनुत्पादक देन-सम्बन्धी उनकी जाँचमें बाहरी युद्ध, जैसे अबीसीनियाका विग्रह, पेराककी चढ़ाई, युद्धकी 'भेंट' आदि, का समावेश होता है। [साम्राज्यके] उपनिवेशोंने इन बातोंमें जितना योगदान किया उसकी तुलना भारतके योगदानसे करते हुए लेखक कहते हैं :

ब्रिटेनके दूसरे उपनिवेशोंकी अपेक्षा भारतने जितना जन-धन दिया और युद्धके परिणाममें उसे बदलेमें जो-कुछ मिला इसका मुकाबला करनेपर बड़ा भारी अन्तर दिखाई देगा। युद्ध आरम्भ होनेपर दूसरे उपनिवेशोंने केवल अपनी सीमाके ही संरक्षण अथवा अपने-अपने क्षेत्रके समुद्री व्यवसायकी रक्षाका ही उत्तरदायित्व लिया था; इसके विपरीत अकेले भारतने ही अपने देशकी रक्षाके सिवाय, यूरोपीय युद्धमें लड़नेवाली साम्राज्यकी सेनामें बड़ा जबर्दस्त योग दिया था। स्थानिक-सीमा या सरहदके रक्षणके सम्बन्धमें भी अकेले दक्षिण आफ्रिकाके सिरपर ही वास्तविक बोझ था, क्योंकि वहाँ जर्मनीके ऐसे स्वार्थ थे, जिनसे यह देश खतरेमें पड़ सकता था। किन्तु आस्ट्रेलियाने गैलीपोलीमें और समुद्र पर पहरा देकर जो योग दिया वह भारतके मुकाबलेमें जरा भी टिक नहीं सकता। इस महायुद्धकी विजयके परिणाममें भारतको कोई खास लाभ नहीं मिला। जर्मनीसे हरजानेकी जो रकम वसूल हुई, उसमें ब्रिटेनके साथ ही उपनिवेशोंने भी हिस्सा बाँटा है; किन्तु भारतने जितना जन-धन दिया और कष्ट सहा उसके मुकाबलेमें इस हिस्सेसे भी उसे कुछ लाभ नहीं मिला। इस हरजानेकी अदायगीमें होनेवाले परिवर्तनोंमें भारतकी लगभग कोई आवाज नहीं है।

प्रथम खण्डके दूसरे भागका शीर्षक है "ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनान्तर्गत भारत"। किन्तु इस खण्डमें से उद्धरण देनेके लोभका मुझे संवरण करना चाहिए। मुझे आशा है कि पाठकोंकी भूख जागृत करनेके लिए मैंने काफी सामग्री दे दी है। रिपोर्टपर हुई कितनी ही विरोधी टीकाएँ मैंने देखी हैं। अज्ञानयुक्त टीकाएँ कितनी ही विरोधी क्यों न हों, पर जिस लेखके एक-एक कथनकी तथ्यों और आँकड़ोंसे पुष्टि की गई है, उसका मूल्य ऐसी टीकाओंसे कम नहीं हो सकता। यदि ये टीका करनेवाले केवल वितण्डा न कर वास्तवमें कुछ तत्त्वकी बात करना चाहते हों, तो उन्हें चाहिए कि वे रचनात्मक टीका करें और तथ्यों और आँकड़ोंसे उन्हें प्रमाणित करें। इस प्रकारकी आलोचना सहायक सिद्ध हुए बिना न रहेगी। मुझे विश्वास है कि रिपोर्टके लेखक अपने निर्णयोंमें कोई भूल न होनेका दावा नहीं करते। इसलिए यदि कुछ भूल रह

गई हो तो बताये जानेपर वे सबसे पहले अपनी भूल स्वीकार करेंगे, और कांग्रेस-कार्य समितिके सदस्य तथा जनतामें से जो लोग इस प्रमाणभूत रिपोर्टका अध्ययन करना चाहते होंगे वे विवेकके साथ की गई ऐसी टीकाओंको रिपोर्टके साथ-साथ जोड़कर अपना मत निर्धारित करेंगे।

अन्तमें मुझे यही कहना है कि जिस समय कांग्रेसने गया[1] और उसके बाद लाहौरमें वित्तीय देनदारीके विषयमें प्रस्ताव पास किया था[2], वह वस्तुतः कार्यरूपमें परिणत करनेके गम्भीर निश्चयसे ही किया गया था। उक्त समितिकी नियुक्ति और उसकी यह रिपोर्ट इस निश्चयका स्वाभाविक परिणाम हैं। कांग्रेस इस विषयमें अन्ततक संलग्न रहेगी। यदि कांग्रेसके किये सम्भव हुआ तो भारत अन्धकारके गर्तमें न कूदेगा। जो-कुछ भी देनेकी जिम्मेवारी सिरपर आयेगी, उसका अधिकसे-अधिक भाग करोड़ों मूक प्राणियोंको अदा करना पड़ेगा। इन करोड़ों लोगोंकी कीमतपर उदार बनना कांग्रेसके लिए सम्भव नहीं हो सकता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२११. मिल-मालिक क्या कर सकते हैं?

जापानी उद्यमशीलताके बारेमें जिन महोदयका पत्र मैंने पिछले हफ्ते[3] छापा था उन्होंने ही निम्नलिखित पत्र[4] भी भेजा है:

> **सुदूर-पूर्वमें जाँच करनेवाले ब्रिटिश कॉटन कमीशनकी रिपोर्टसे जो बात सबसे ज्यादा साफ तौर पर मालूम पड़ती है वह यह कि जापानने न केवल अपने देशमें लगभग सभी विदेशी कपड़ेका आयात समाप्त करनेमें जबर्दस्त उद्यमशीलताका परिचय दिया है, बल्कि अपने देशवासियों द्वारा निर्मित वस्तुओंके लिए विदेशोंमें कई बाजारोंपर कब्जा कर लिया है। . . . जापान मानता है कि उसका भाग्य एक निरन्तर विकासशील निर्यात-व्यापार खड़ा करनेकी आवश्यकताके साथ जुड़ा हुआ है। . . .**
>
> **जब ऐसी भावना व्याप्त हो तब इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि वहाँकी सरकार और उद्योगपति अपने देशकी वस्तुओंके लिए नये-नये बाजार ढूँढ़नेमें हर तरहका नुकसान उठानेको तैयार हैं। पिछले साल सरकारने जो कानून बनाये उनमें एक अत्यन्त असाधारण कानून वह था जिसके अन्तर्गत**

१. १९२२ में।
२. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३६९ तथा ३८९-९०।
३. देखिए "जापानी खतरा", १६-७-१९३१।
४. इसके केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

यह व्यवस्था है कि अमुक निश्चित और अविकसित देशोंको भेजे गये मालपर जापानी निर्यातकर्ताओंको जो हानि होगी उस हानिका ७० प्रतिशत भाग सरकार अपने उत्तरदायी मन्त्रीकी सलाहपर स्वयं भरेगी। सरकार तो सक्रिय प्रोत्साहन और समर्थन दे ही रही है, जापानके उद्योगपति भी जोखिम उठानेको उतने ही तत्पर हैं। . . .

. . . यहाँ भारतमें हम नये-नये बाजारोंपर कब्जा नहीं करना चाहते; हम तो केवल देशके बाजारको अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। नये बाजारोंकी खोज करनेमें यदि जापानके उद्योगपति खुशी-खुशी बड़ी-बड़ी रकमोंकी जोखिम उठानेको तैयार हैं तो क्या भारतके पूँजीपतियोंको इस बातके लिए राजी नहीं किया जा सकता कि वे भारतके सीमित और इसीलिए अधिक प्रशंसनीय प्रयत्नोंके हितमें कमसे-कम कुछ समयतक मुनाफाखोरी न करें?. . .

जैसाकि पत्र-लेखक का कहना है, यह बात सच है कि हम नये बाजारोंपर कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन हमें अपने देशमें विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेकी हिम्मत तो दिखानी ही चाहिए। क्या मिल-मालिक ऐसा करेंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२१२. निरंकुश स्वेच्छाचार

त्रिचनापल्लीसे एक भाई लिखते हैं:[1]

मुझे यह कहते दुःख होता है कि पत्र-लेखक महोदयने जो विवरण लिखा है, वह आजकी एक आम बात हो गई है। समझौतेकी रूसे जो-कुछ करना सम्भव है, मैं वह करनेकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि मेरी नजरमें जो चीज समझौतेका स्पष्ट उल्लंघन है वह रुक जायेगी। क्योंकि मैंने ऐसा कहते सुना है कि जहाँतक कानूनका सवाल है, यह बिक्री कानून-सम्मत है। अतः यह निरंकुश स्वेच्छाचारका मामला है। इस बीच मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि धरने जारी रखे जायें और मुलायमियतसे समझाने-बुझानेका सहारा लिया जाये और यह आशा की जाये कि इसका प्रभाव उन लोगोंपर पड़ेगा जो अज्ञानजनित स्वार्थवश सरल-सीधे देहातियों, यहाँतक कि बच्चोंके आचार-विचारको दूषित कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-७-१९३१

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि शराबकी दुकानोंके मालिक दुकानोंके बाहर और सार्वजनिक स्थलोंपर भी ताड़ी बेचते हैं।

२१३. अस्पृश्योंका दुःख

प्रिय महात्माजी,

मैं कुछ ऐसे सिद्धान्तोंको आपके ध्यानमें लानेका साहस कर रहा हूँ जिन्हें, मेरी समझसे, अस्पृश्य हिन्दुओंकी ओरसे आन्दोलन छेड़ते समय अवश्य ध्यानमें रखा जाना चाहिए।

अस्पृश्य लोग जिन बहुत सारी निर्योग्यताओंके शिकार हैं उनमें से जो निर्योग्यताएँ प्रत्यक्षतः नागरिक ढंगकी हैं उनमें तथा जो प्रत्यक्षतः गैर-नागरिक या धार्मिक अथवा जातीय ढंगकी हैं उनमें स्पष्ट भेद अवश्य किया जाना चाहिए। . . .

पिछले साल मन्दिर प्रवेश सत्याग्रहके नेताओंको आपने जो यह राय दी थी, कि ऐसा सत्याग्रह केवल सवर्ण हिन्दुओं द्वारा ही किया जाये, वह तबतक निरर्थक होगी जबतक ऐसे सत्याग्रहसे आपका मतलब यह न रहा हो कि अस्पृश्योंके साथ सहानुभूति रखनेवाले सवर्ण हिन्दुओंको उन मन्दिरोंमें, जिनमें अस्पृश्योंको प्रवेशकी अनुमति नहीं है, पूजा करनेवालोंका तबतक बहिष्कार करना चाहिए जबतक कि उन मन्दिरोंके प्रबन्धक सुधारको स्वीकार न कर लें। . . .

आज जब अल्पसंख्यकोंके संरक्षणकी इतनी बातेंकी जाती हैं, तब इस बातसे कौन इन्कार कर सकता है कि यदि भारतमें कोई ऐसी अल्पसंख्यक जाति है जिसे संविधानमें विशेष संरक्षण देनेकी जरूरत है तो वह अस्पृश्य जातियोंके लोग हैं।

वे [अस्पृश्य] अपने अधिकारोंके प्रति चुप रहते हैं, अपने प्रति किये गये अन्यायोंके प्रति उदासीन हैं, अपनी स्थितिसे उनको "दयनीय जैसा सन्तोष," है — वास्तवमें इस राक्षसी प्रथाकी बेड़ियोंसे उनकी मुक्तिकी राहमें ये ही चीजें सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। . . .[1]

हृदयसे आपका,
एस० डी० नाडकर्णी

कारवार, १७-६-१९३१

श्रीयुत नाडकर्णी द्वारा नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताओंके बीच किया गया भेद अनावश्यक है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। ये सभी धार्मिक हैं, क्योंकि धर्मके नामपर ही सहधर्मियों द्वारा ये थोपी गई हैं। जिन निर्योग्यताओंको दूर करनेके लिए कानून बनानेकी जरूरत है उनके तथा जिनके लिए कानूनकी जरूरत

१. इस पत्रके कुछ अंश ही दिये गये हैं।

नहीं है उनके बीच भेद करना लाभप्रद होगा। मेरे विचारमें वाइकोममें सत्याग्रह[1]को केवल हिन्दुओं तक सीमित रखना बिल्कुल ठीक तथा कतई जरूरी था। पत्र-लेखक सत्याग्रहको, जोकि एक विशेष उपाय है, शायद एक सामान्य आन्दोलनके साथ मिलानेकी गलती कर रहे हैं। आम आन्दोलनमें जहाँ सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ सत्याग्रहके उपायको महज वे ही अपना सकते हैं जो किसी अन्यायके वास्तविक शिकार हैं। प्रायश्चित्त तो हिन्दुओंको करना है। अहिन्दुओंके प्रायश्चित्त करनेसे हिन्दू धर्म पवित्र कैसे हो सकता है? हिन्दुओंके आपसी झगड़ेमें, खासकर उस वक्त जब यह लड़ाई धर्म-सम्बन्धी हो, अगर मुसलमान सत्याग्रह करने लगें तो इसका परिणाम सहज ही गम्भीर हो सकता है। मैं अपने इस विचारको बदलनेकी जरूरत नहीं समझता कि सवर्ण हिन्दुओंका यह कर्त्तव्य है कि अस्पृश्योंके साथ-साथ वे आन्दोलनका नेतृत्व करें, और कुछ नहीं तो इसी कारण कि अस्पृश्य लोग आज बहुत अशक्त और अपने दुःखोंके प्रति उदासीन हैं। अस्पृश्यों द्वारा मन्दिरोंमें प्रवेश कर सकनेकी असमर्थताका उतना महत्त्व नहीं है जितना महत्त्व निर्योग्यताएँ थोपनेवाले सवर्णोंकी पापपूर्ण धृष्टताका है। अस्पृश्य लोग धावा करके किसी मन्दिरपर कब्जा कर लें तो हिन्दू-धर्म शुद्ध नहीं हो जायेगा। शुद्ध तो यह तभी होगा जब न्यासी और पुजारी लोग प्रवेश-निषेध रूपी पापको स्वीकार करें और अस्पृश्योंके लिए दरवाजे खोल दें। यह हिन्दू सुधारकोंपर निर्भर है कि उनकी संख्यामें वृद्धि हो और वे अन्धी कट्टरताके विरुद्ध सत्याग्रह करें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२१४. गणेशशंकर स्मारक

गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक-कोषकी यह अपील जनताके सामने बहुत अर्सेसे पेश है। इस अपीलपर पण्डित जवाहरलाल नेहरूने और दूसरोंने, जो स्वर्गीय विद्यार्थीजीके व्यक्तिगत मित्र और साथी थे, दस्तखत किये हैं।

श्रीयुत श्रीप्रकाश (सेवाश्रम, बनारस छावनी) मंत्री और कोषाध्यक्ष हैं। चन्देकी तमाम रकम उन्हींको भेजनी चाहिए।

इस स्मारकके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

१. हिन्दुओं तथा मुसलमानोंकी रक्षा करते हुए, गणेशशंकरने जिस जगह देह छोड़ी, वहाँ फव्वारा या स्तम्भ या ऐसा ही कोई स्मारकचिह्न बनाना।

२. 'प्रताप ट्रस्ट'की सहायता करना। गणेशशंकरने यह ट्रस्ट बनाकर अपने प्रसिद्ध पत्र 'प्रताप'की व्यवस्था इसके सिपुर्द कर दी थी। उनके जीवनकालकी मुख्य सेवा इस पत्र द्वारा हुई है। 'प्रताप'की नींवको मजबूत बनानेके लिए उसके ट्रस्टकी सहायता करनी है।

१. देखिए खण्ड २६।

३. उनके द्वारा कानपुर जिलेके नरवल गाँवमें स्थापित आश्रमकी मदद करना। इस आश्रमके द्वारा करीब २०० गाँवोंका संगठन हुआ है। कताई और खादी-प्रचार इस आश्रमके कार्यके मुख्य अंग हैं।

४. शेष रकम संयुक्त प्रान्तीय समितिको इस शर्तपर दी जाये कि वह उस द्रव्य द्वारा गणेशशंकर राष्ट्रीय सेवासंघकी संस्थापना करे। यह संघ संयुक्त प्रान्तीय राष्ट्रीय सेवासंघके ढंगपर ही, यानी प्रान्तके पूरे समयके सेवकोंकी मदद करनेके लिए ही कायम किया जाये।

स्मारक-समितिने सिर्फ एक लाख रुपयेके लिए अपील की है। मेरी रायमें स्मारक के उद्देश्यके लिए और स्वर्गीय विद्यार्थीजीके स्मारकके लिए यह रकम बहुत ही कम है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि जल्दी ही इसका जवाब मिलेगा, जिससे समिति धन-संग्रहका काम बन्द करके स्मारकका काम शुरू कर सके।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२१५. जमानतका सवाल

कांग्रेसवालोंके विरुद्ध स्थानीय अधिकारियों द्वारा नये सिरेसे शुरू की गई कार्यवाइयोंके कारण मुझसे इधर अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेसवालोंको बचाव करने और जमानत देनेके बारेमें क्या रुख अख्तियार करना चाहिए। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आम तौर पर कांग्रेसवाले बचाव करने और जमानत देकर छूटनेको राजी नहीं होते। बहुत अर्सेसे वे जमानत न देने और बचाव न करनेके सूत्रके आदी हो गये हैं। समझौतेको ध्यानमें रखते हुए, कांग्रेसवालोंके लिए जमानत देकर छूटने और अपना बचाव करनेका रास्ता खुला है। लेकिन ये दोनों किसीके लिए अनिवार्य नहीं हैं। किन्तु मैं ऐसी परिस्थितिकी कल्पना कर सकता हूँ, जब समझौतेकी जीवनावधिमें जमानतपर छूटना और बचाव करना धर्म हो जायेगा।

लेकिन यह पता चला है कि जमानतपर छूटनेवालोंसे अक्सर यह शर्त करा ली जाती है कि वे भाषण वगैरा न करेंगे। सामान्यतया मैं इस सम्बन्धमें यह सलाह दूँगा कि ऐसी शर्तवाली जमानतपर कोई न छूटे। दफा १०८ के मुताबिक माँगी जानेवाली जमानतके बारेमें भी मेरी यही सलाह अधिक जोरके साथ लागू होती है। लेकिन ऐसी असाधारण परिस्थिति आ सकती है, जब राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे जमानत पर छूटना उचित समझा जाये। ऐसे मामलोंमें सीधा तरीका तो यह है कि अपने उच्च अधिकारीका मत प्राप्त कर लिया जाये।

लेकिन मैं कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको यह सलाह दूँगा कि वे उस सुवर्ण नियमका अनुसरण करें, जो सरदार वल्लभभाई पटेलने गुजरातमें जारी किया है। उन्होंने आमतौरपर कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको भाषण करनेसे मना कर दिया है, भाषणका काम सिर्फ मेरे और उनके तक सीमित है। हकीकत तो यह है कि सरदार भी सिर्फ तभी

भाषण करते हैं, जब वह बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। मैं नहीं समझता कि इस मौन-कानूनके कारण गुजरातकी कोई हानि हुई है। युद्धकालमें हो या सन्धिकालमें, आवश्यकता चुपचाप काम करनेकी है। और जहाँ काम होता है, वहाँ भाषण करनेकी गुंजाइश नहीं रहती। राजनैतिक शिक्षणमें भाषणोंका स्थान बहुत नीचा है। गत पन्द्रह वर्षोंसे अल्प भाषणका अभ्यास हो जानेके कारण, हम यह अनुभव नहीं करते कि आज वक्ताओंका प्रायः अभाव हो गया है। वक्तृत्वकलाका अपना उपयोग था, परन्तु कर्मका युग आरम्भ होनेपर वक्तृत्वका स्थान स्वभावतः पीछे हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनेको ऐसे आत्मत्याग पूर्ण नियमसे बाँध लें, तो हम अधिक कार्यक्षम बनेंगे, और राष्ट्रका सहयोग अधिक व्यापक और ठोस बनेगा। आवश्यकता इस बातकी है कि कार्यकर्ताओं और गाँववालोंमें निकटका व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित हो। गाँववालोंको अपने सेवकोंका परिचय होना चाहिए, और उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि सेवक, जो गाँववालोंके प्रतिनिधि बननेका प्रयत्न करते हैं, गाँवमें अपना मतलब गाँठनेके लिए नहीं, बल्कि गाँववालोंके हितकी रक्षा करनेके लिए हैं।

यद्यपि मैं यह सलाह प्रसंगवश यहाँ दे रहा हूँ, तथापि पाठक यह जान लें कि मौन-कार्यके सम्बन्धमें मेरे अपने विचार निश्चित हैं, और गुजरातमें भाषणबन्दीका किसी कानूनी कार्रवाईके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ भाषणबन्दी इसी विश्वासके कारण की गई थी कि साधारणतया वह सदा ही हितकारी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-७-१९३१

२१६. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

सूरत
२४ जुलाई, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

तुम्हारा पत्र मिला। ठीक वक्त आनेपर तुम जितने दिन मेरे साथ रहना चाहोगे रहना। इससे पहले प्रयत्न करना व्यर्थ है। मेरे आदेशोंपर चलना ही सही अर्थोंमें मेरे साथ ठहरना है। शारीरिक सम्पर्कसे आसानीसे झूठा संतोष प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओंको छोड़ दो। इसका उद्देश्य विलगताकी स्थितिमें तुम्हें धीरज देना है। विद्यापीठमें तुम क्या पढ़ा रहे हो, और किन्हें पढ़ा रहे हो? क्या इससे तुम्हें कुछ संतोष मिलता है?

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५४७) से।

२१७. पत्र : कुसुम देसाईको

सूरत
२४ जुलाई, १९३१

चि० कुसुम,

तेरे सव पत्र मिले। प्रत्येकमें यह बात थी कि तू जल्दीसे-जल्दी मिलनेवाली है, इसलिए मैंने पहुँच भी नहीं लिखी। यह आखिरी पत्र तेरी स्थितिकी अनिश्चितता बताता है, इसलिए लिख रहा हूँ। एक-दो दिनमें बोरसद जाऊँगा। वहाँसे अहमदाबाद जानेका इरादा है। फिर तो जो हो जाये सो सही।

विलायत जाना बिल्कुल अनिश्चित है। जब मिल सके तव मिलना। डाहीबहनसे पत्र लिखनेको कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८२४) से।

२१८. पत्र : टी० टी० कोठावालाको

सर्वथा गोपनीय

वारडोली
२४ जुलाई, १९३१

प्रिय श्री कोठावाला,

पिछली १३ ता० को सूरतमें हुई हमारी बातचीतके बाद यद्यपि मैंने कुछ कार्रवाईकी आशा रखी थी, पर पिछले १० दिनोंमें जो भयानक घटनाएँ घटीं उनके लिए मैं तैयार नहीं था। आपने अथवा आपके अधीन काम करनेवालोंने केवल बलका ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि गरीब ग्रामीणोंके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई भी की और उनसे लगभग जबर्दस्ती वसूली की। मेरी रायमें यह कार्रवाई समझौतेका न भी हो तो विश्वासका भंग अवश्य है। सरकार यह जानती थी कि कांग्रेसके लोग जनतासे बकाया लगान हो या चालू लगान, उसे सामर्थ्य-भर अदा करनेके लिए कह रहे हैं। हमने यह देखा भी कि लोग बिना कर्ज लिये चालू लगान चुकानेके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी हमने जाँच की। जनताका जो नुकसान हुआ है उसे मैंने लिखकर आपके पास भेज दिया था।

हमारे कार्यकर्तागण अदायगीके काममें दिलसे जुट गये थे। जैसाकि आप जानते हैं, मैं खुद कुछ समयतक इस कामको करनेके लिए बारडोलीमें रहा था।

बादमें सरदार वल्लभभाईने यहाँका पूरा कार्य-भार सँभाल लिया और मैं बोरसद चला गया। आपके अधीनस्थ कर्मचारी जानते थे कि हम लोग जनतासे क्या कह रहे थे। कुछ समयतक सियादलासे प्राप्त लगानको स्वीकार नहीं किया गया और कहा गया कि सारा बकाया लगान चुकानेपर ही उसे स्वीकार किया जायेगा। बकाया हम इकट्ठा नहीं कर सके, और अन्ततः चालू लगानकी अदायगी बिना शर्त स्वीकार कर ली गई।

इस पूरे समयमें ऐसा माना गया था कि अवपीड़क तरीकोंका प्रयोग नहीं किया जायेगा और गरीब लोगोंको धमकानेके लिए शक्तिका प्रदर्शन अथवा पुलिसके धावे नहीं होंगे। इन स्थितियोंमें की गई वसूलीको मैं बल-प्रयोग द्वारा और बाध्य करके की गई वसूली मानता हूँ, जो इस अन्तर्निहित समझौतेके विरुद्ध है कि अदालती कार्रवाई केवल ऐसे ही लोगोंपर की जायेगी जिनपर कांग्रेस कार्यकर्ताओंका कोई प्रभाव नहीं हो अथवा जहाँ लोगोंने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग न लिया हो। कमिश्नरसे और आपसे मेरी जो बातचीत हुई थी और मेरे दिमागपर उसकी जो छाप पड़ी थी मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि यह बात आपकी जानकारीमें थी कि हम जनतासे यह कह रहे थे कि यदि वे कमसे-कम चालू लगान अदा कर देंगे अथवा जबतक वे निर्णयात्मक रूपसे यह सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि वे चालू लगान भी अदा करनेमें असमर्थ हैं, तबतक उनके विरुद्ध अवपीड़क तरीकोंका प्रयोग नहीं किया जायेगा।

लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओंको तत्सम्बन्धी गाँववालोंके मामलोंकी पुनः जाँच-पड़ताल करनेका मौका दिये बिना संकटकी स्थिति उत्पन्न करना और पिछले १० दिनोंमें असाधारण तारीकोंका इस्तेमाल करना स्पष्ट ही विश्वासभंग है।

इन हालातमें मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह एकत्र रुपयोंको आप वापस कर दें और इससे सम्बन्धित सारे नोटिसोंको वापस ले लें तथा बलप्रयोग और दमन कार्यको रोक दें।

वरदके वर्तमान पटेलके मामलेकी भी मैं यहाँ चर्चा करना जरूरी समझता हूँ, जिसको हटानेकी माँग बहुत दिनोंसे की जा रही है और जिसके मामलेमें अभीतक कोई खुली जाँच नहीं की गई है।

फिर, बुलसर तालुकाके पाँच गाँवोंकी जो जमीनें जब्त कर ली गई हैं उनका मामला भी है। इनके बारेमें कहा गया है कि चूँकि इन जमीनोंका इस्तेमाल खेतीके लिए न करके दूसरे कामोंके लिए किया गया, इसलिए दण्डस्वरूप जुर्माना अदा करनेपर ही इन्हें वापस किया जायेगा। यह तो समझौतेको भंग करनेकी बात हुई। और भी बहुत-सी बातें हैं जिनका उल्लेख मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ। यहाँ उल्लिखित बातोंके सम्बन्धमें जबतक सन्तोष प्रदान नहीं किया जाता अथवा जबतक इस पत्रमें उल्लिखित शिकायतोंकी जाँच-पड़तालके लिए सरकारकी ओरसे कोई निष्पक्ष खुली जाँच-समिति नहीं नियुक्त की जाती और इस बीच सभी अदालती कार्रवाइयाँ रोक नहीं ली जातीं, तो अवश्य ही मैं ऐसा मानूँगा कि सरकारने

समझौतेका और उसमें निहित विश्वासका भंग किया है, और कांग्रेस जिस जनताका प्रतिनिधित्व करती है उस जनताके हितोंकी रक्षाके लिए जो कार्रवाई जरूरी होगी, वह कार्रवाई करनेके लिए मैं अपनेको स्वतन्त्र मानूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया अगले रविवारको दोपहर तक उत्तर दे दें।

इस पत्रकी प्रतियाँ श्री गैरेटको और बम्बई सरकारको भेजी जा रही हैं तथा इसका सार-संक्षेप तार द्वारा वाइसराय महोदयको भेज दिया गया है।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री टी० टी० कोठावाला
कलेक्टर, सूरत जिला
सूरत

[अंग्रेजीसे]

गांधी-सप्रू करेसपांडेन्स; सौजन्य : राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता। **यंग इंडिया,** २०-८-१९३१ से भी।

२१९. तार : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

बारडोली
२४ जुलाई, १९३१

यहाँ जाँचसे जो स्थिति प्रकट हुई है वह मेरे लिए असह्य है। यह मेरे निजी सम्मानका मामला है। सार्वजनिक सभामें मैंने जनतासे स्पष्ट रूपसे कहा था[2] कि अगर वे अपनी सामर्थ्य भर अदायगी कर देंगी तो उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जायेगा। पिछले दस दिनोंसे गरीब आतंकित ग्रामीणोंसे जबर्दस्ती रुपये वसूल किये जा रहे हैं। इसलिए वसूलीकी रकम वापस कर देने तथा दमन-कार्य रोकने अथवा सरकार द्वारा मेरी शिकायतोंकी खुली जाँचके लिए निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्तिके लिए मैंने अभी-अभी कलेक्टरको पत्र[3] लिखा है। उनसे रविवार दोपहरके पहले उत्तर देनेको कहा है। यह भी कह दिया है कि अगर राहत न मिली तो मैं समझौते और विश्वासको भंग हुआ मानूंगा और लोगोंकी सुरक्षाके लिए जो भी जरूरी होगा

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए "सलाह : बोरसदके किसानोंको", २२-६-१९३१।
३. देखिए पिछला शीर्षक।

वह करनेके लिए अपनेको स्वतन्त्र मानूँगा। लगातार चार महीनेसे सरकारकी ओरसे जो अनवरत कोशिश की जा रही है उसे व्यर्थ जाते देखकर हार्दिक दुःख होता है। क्या वाइसराय स्थितिको सँभाल सकेंगे। जैसे भी हो, अगर व्यक्तिगत रूपसे की गई प्रार्थनाका कुछ असर नहीं हुआ तो मैं मानूँगा कि मैं सारे पत्र-व्यवहारको प्रकाशित कर सकता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

२२०. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बारडोली
२४ जुलाई, १९३१

अभी-अभी सूरतके कलेक्टरको मैंने हरकारेके हाथ जो पत्र भेजा है उसकी प्रति आपको भेजते हुए मुझे बहुत दुःख होता है। बारडोलीकी दुःखद घटनाओंकी सूचना सरदार वल्लभभाई मुझे तार द्वारा देते रहते थे। पिछली १३ तारीखको जब सूरतमें मैं कलेक्टरसे मिला तो मुझे कोई आभास नहीं था कि जिन कार्रवाइयोंका मैंने संलग्न प्रतिमें संक्षेपमें वर्णन किया है उन्हें करनेका विचार किया जा रहा है। श्री गैरेटको भी मैंने एक प्रति भेजी है। पुनरावृत्तिसे बचनेके लिए श्री गैरेटको भेजे अपने पत्रकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं समझ सकता कि क्लेकटरने अपनी जिम्मेदारीपर काम किया है। लेकिन उन्होंने चाहे अपनी जिम्मेदारीपर यह काम किया हो, चाहे अपने वरिष्ठ अधिकारियोंके आदेश पर, यदि वाइसराय महोदय मेरी भावनाओंको समझ सकें तो मैं चाहूँगा कि वे इस मामलेमें हस्तक्षेप करें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-८-१९३१

२२१. पत्र : मीराबहनको

सूरत
२४ जुलाई, १९३१

चि० मीरा,

हम सूरतमें हैं। इस समय सुबहके लगभग ५।। बजे हैं। प्रार्थनाके बाद मैंने नींद लेनेकी कोशिश की, मगर मच्छरोंके मारे नींद नहीं आई। हर दस-पाँच मिनटके बाद हल्की-हल्की झड़ियाँ लगी रहती हैं। हम सुबह आठ बजेके करीब बारडोलीके लिए गाड़ी पकड़ेंगे। शायद दो रोज मुझे वहाँ ठहरना पड़े। बादमें बोरसद जायेंगे। शिमलामें सब-कुछ अनिश्चित था। लन्दन जानेकी सम्भावना मुझे पहलेसे भी कम मालूम होती है। मैं सरकारसे सच्चा सन्तोष प्राप्त नहीं कर सका। बातचीत आसानीसे तोड़ी जा सकती थी, लेकिन किसी भी तरह सम्भव हो तो मैं तोड़ना नहीं चाहता। अगले चन्द दिनोंमें फैसला हो जायेगा। बारडोलीका बहुत बुरा हाल है।

कल दिल्लीमें मेरा वजन लिया गया था। वहाँ मैं कुछ घंटे ठहरा था और इस दरमियान डा० अन्सारीके यहाँ गया था। सुबह खाली पेट मेरा वजन ९५।। पौंड निकला। हो सके तो मुझे दूधकी मात्रा बढ़ानेकी कोशिश करनी चाहिए। और सब लिहाजसे स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।

वियोगके कारण तुम्हें झुँझलाना नहीं चाहिए। आशा है फादर एल्विन ठीक-ठाक होंगे।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

बारडोली पहुँचनेपर तुम्हारा पत्र मिला। माताजीका तुम्हारा वर्णन हूबहू और मर्मस्पर्शी है। मुझे भय है कि लन्दन जानेकी शायद ही कोई सम्भावना हो। आज मैंने सरकारको अन्तिम पत्र भेज दिया है।[1] ये सब बातें खानगी हैं।

[अंग्रेजीसे]
बापूज लेटर्स टु मीरा

१. देखिए "तार : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", २४-७-१९३१।

२२२. पत्र : नारणदास गांधीको

सूरत
२४ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

मीराबहनको लिखा मेरा पत्र पढ़ जाना। उससे मेरी प्रवृत्तियोंके बारेमें तुमको मालूम होगा। यह समाचार जमनालालजीको भी देना।

बलवन्त कैसा रहता है? महावीरको क्या डाक्टरने देखा है? उसे बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। वह क्या खाता है? मैं देखता हूँ कि पद्मा संयुक्त प्रान्त पहुँच गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती की माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

२२३. तार : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

२५ जुलाई, १९३१

अभी-अभी आपका तार[१] मिला, धन्यवाद। २३ तारीखका पत्र अभी नहीं प्राप्त हुआ। कृपया वाइसरायको विश्वास दिलायें कि उतावलीमें कोई कार्य नहीं किया जायेगा और पहले बिना उन्हें सूचित किये कुछ नहीं होगा। कलेक्टरके नाम कलका पत्र[२] तब लिखा गया था जब मुझे असहनीय स्थितिसे कोई छुटकारा नजर नहीं आया।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-८-१९३१

१. तार इस तरह था: "... महामहिमकी इच्छा है कि मैं आपसे कहूँ कि वे सच्चे मनसे आशा करते हैं कि उतावलीमें कोई कार्य नहीं किया जायेगा।"

२. देखिए "पत्र : टी० टी० कोठावालाको", २४-७-१९३१

२२४. पत्र : शामलालको

बारडोली
२५ जुलाई, १९३१

प्रिय लाला शामलाल,

आपने लम्बरदारोंके बारेमें मुझे लिखा है, इससे मुझे खुशी हुई। किसी भी हालतमें मैं इस मामलेमें कार्रवाई करूँगा। लेकिन क्या एक लम्बरदार सरकारी कर्मचारी नहीं है, और अगर है तो क्या आपका यह कहना है कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेसमें शामिल हो सकता है?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला शामलाल
एडवोकेट
लाहौर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२८१)से।

२२५. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

सर्वथा गोपनीय

बारडोली
२५ जुलाई, १९३१

प्रिय सर तेजबहादुर,

समझौतेके बारेमें जिन खत्म न होनेवाली दिक्कतोंका अनुभव हुआ है उनके बारेमें अभीतक मैंने आपको परेशान नहीं किया है। लेकिन अब, जब इसके बिल्कुल खत्म होनेकी स्थिति आ गई है, मेरे लिए जो-कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आपको न देना कृतघ्नता होगी। इसलिए सूरतके कलेक्टरको भेजे गये पत्रकी एक प्रति मैं यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। मैं यह भी बता दूँ कि समझौता-भंगके बहुतसे मामले और हैं जिनकी ओर मैं भारत सरकारका ध्यान पहले ही आकर्षित कर चुका हूँ। आप सारी बातोंको शुरूसे जाननेकी इच्छा करेंगे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं इनकी सूची भेजकर आपको परेशान नहीं करूँगा। पत्रकी प्रतियाँ मैंने गुजरातके कमिश्नरको और गवर्नरको भी भेज दी हैं और भारत-सरकारको तार द्वारा उसका सार सूचित कर दिया है। भारत-सरकारने मेरे तारकी प्राप्ति-स्वीकृति भेज दी है

और मुझसे जल्दबाजीमें कोई कदम न उठानेका आग्रह किया है। मैंने जो जवाब तारसे शिमला भेजा है वह यों है:[1]

इसे भेजनेका मेरा यह तात्पर्य नहीं कि आपको कोई कार्रवाई करनी ही चाहिए। आप जो ठीक समझें करें। इस वक्त जो मैंने आपको कागजात भेजे हैं वह इसीलिए कि आप इस संकटपूर्ण स्थितिसे अवगत हो जायें। श्री जयकरको भी मैं एक प्रति भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न: १

[अंग्रेजीसे]

गांधी-सप्रू कारेसपान्डेन्स; सौजन्य: राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

२२६. पत्र: मीराबहनको

२५ जुलाई, १९३१

चि० मीरा,

समयाभावके कारण मैं तुम्हें कल बहुत नहीं लिख सका। अभी मेरे पास कुछ मिनटोंका अवकाश है, इसलिए मुझे बाकीका हिस्सा लिखा देना चाहिए। अगर तुम्हें रंज हो तो मुझसे छिपानेका कोई कारण नहीं है। बौद्धिक विश्वास होते ही ये चीजें तुरन्त नहीं मिट जातीं। हृदयपर बौद्धिक विश्वासका असर बहुत धीरे-धीरे होता है। इसलिए 'गीता'के बारहवें अध्यायमें और जीवनके अन्य रहस्योंका उद्घाटन करनेवाली उस पुस्तकके अन्य श्लोकोंमें बताये गये अभ्यासकी जरूरत है। यही काफी है कि तुम शोकाकुल न हो जाओ और फिरसे अस्थिर न हो उठो। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब कभी दुःख असह्य लगे, तब मेरे पास दौड़कर चले आनेकी तुम्हें छूट है। मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। उससे मुझे आघात नहीं पहुँचेगा और न मैं तुमपर वचनभंगका दोष ही लगाऊँगा। इसलिए तुम शान्तचित्त होकर अपना अभ्यास करती रहो और उसे अपने मनपर भार मत बनने दो। यही काफी है कि तुम कमजोरी पर विजय प्राप्त करनेका भरसक प्रयत्न कर रही हो और दिन-दिन यह अनुभव करती जाती हो कि यह एक कमजोरी है, तुम्हारे विकासके मार्गमें किसी अभावका द्योतक नहीं है।

१. यहाँ नहीं दिया गया है; तारके पाठके लिए देखिए "तार: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", २५-७-१९३१।

मैंने एक अत्यावश्यक पत्र कलेक्टरको बारडोलीमें होनेवाली असह्य घटनाओंके बारेमें भेजा है।[1] अगर सन्तोषजनक उत्तर मिला, तो लन्दन जानेकी कुछ सम्भावना हो सकती है। अगर उत्तर असन्तोषजनक आया, जैसाकि बहुत सम्भव है, तो लन्दन जानेकी बात अपने दिमागसे बिलकुल निकाल देना। अगर अन्तिम क्षणमें जाना ही पड़ा तो भी क्या हुआ? काफी खादी ली जा सकती है और तुम्हारे लिए जो-कुछ तैयारी करनी हो प्यारेलाल और मैं दोनों मिलकर कर सकते हैं। हम आसानीसे एक सिंगर मशीन उधार ले सकते हैं। चन्द घंटोंकी मेहनतसे तुम्हारे लिए जरूरी कपड़े तैयार हो सकते हैं। और अगर हमारे पास काफी कपड़ा हो तो बाकीका काम लन्दनमें किया जा सकता है। जरूरत तो अहिंसक चमड़ेकी[2] ऐसी सैंडिलोंकी है, जो मोजेके साथ पहनी जा सकती हों, और स्लीपर या जूतोंकी भी जरूरत हो सकती है। हमारे यहाँ आश्रममें कहीं उन सैंडिलोंका नमूना है, जो मैं दक्षिण आफ्रिकामें पहना करता था। वे आसानीसे बन जाती हैं और उनके साथ बिना किसी कठिनाईके मोजे पहने जा सकते हैं। उन्हें अभी बना लिया जाये और अगर जरूरत न रहे तो वे वेची जा सकती हैं। नाप तो मौजूद ही है।

चूँकि मैंने कलेक्टरको जवाबके लिए कल दोपहर तकका समय दिया है, इसलिए सोमवारतक कोई निश्चित बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए। सम्भव हुआ तो बोरसद-का काम पूरा करनेके लिए मैं मंगलवारको वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। इसलिए फिलहाल तुम यह मानकर चल सकती हो कि मैं मंगलवारको सुबह बोरसदमें होऊँगा।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३७) से; सौजन्य: मीराबहन

२२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बारडोली
२५ जुलाई, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

मैं कवियूरके सी० एम० एस० पुरोहिताश्रमका एक पत्र[3] संलग्न कर रहा हूँ। क्या तुम खटौलीके कांग्रेसजनोंसे इस मामलेके बारेमें तथ्योंका पता कर लोगे?

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

१. देखिए "पत्र: टी० टी० कोठावालाको", २४-७-१९३१।

२. स्वाभाविक मौतसे मरनेवाले जानवरोंकी खालसे तैयार किया हुआ चमड़ा।

३. इस पत्रमें रेवरेंड के० एम० मायनने शिकायत की थी कि जो लोग धर्म बदल कर ईसाई हो गये थे, उनको कांग्रेसजन सता रहे थे।

संलग्न : २

[पुनश्च :]

मुझे शिमलासे तार मिला है जिसमें कहा गया है कि वे बम्बई सरकारसे लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और मुझे जल्दबाजीमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन, इलाहाबाद

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२२८. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

बारडोली
२५ जुलाई, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। आपने जो लिखा है वह लिखनेका आपको अधिकार है, और आपने जो भी लिखा है उसमें अधिकांश सच है। मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं करूँगा। आपका पत्र इतना अच्छा लिखा हुआ है कि पहले पत्रोंकी तरह इसे भी मैं भाई फूलचन्दको भेज रहा हूँ। इनमें अभी तो बड़ा रोष भरा मालूम होता है तथापि ये मनके अच्छे हैं, ऐसा मेरा खयाल है।

जामनगरका मामला पूरी तरहसे मेरे गले नहीं उतरा है। कदाचित इस मामलेके पूरे तथ्योंसे में अवगत नहीं हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[पुनश्च :]

मंगलवारको मैं बोरसदमें होऊँगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९१८) से। सी० डब्ल्यू० ३२३३ से भी; सौजन्य : महेश पट्टणी

२२९. पत्र : छगनलाल जोशीको

बारडोली
२५ जुलाई, १९३१

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे पत्रके थोड़े-बहुत प्रश्नोंके उत्तर मैंने काकाके हाथ भेज दिये हैं।

मीठूबहन यदि त्यागपत्र दे देती हैं, तो भी जहाँ स्त्रियाँ रहेंगी वहाँ काम तो चलता ही रहेगा। इसलिए सिसोदरासे रमा और महालक्ष्मीको हटनेकी कोई जरूरत नहीं। वे दोनों काम तो अच्छा ही कर रही हैं। रात्रि-पाठशाला बन्द न हो तो अच्छा होगा।

मेरे जानेके बारेमें काकाने तुम्हें खबर दी होगी। अभी तो ९९ प्रतिशत 'ना' और एक प्रतिशत 'हाँ' है।

बोरसद हम मंगलवारको पहुँचेंगे। तब आ जाना।

प्रेमाबहनके बारेमें तुम जिस निष्कर्षपर पहुँचे हो वह मुझे ठीक नहीं लगता। उसके जैसी निर्मल, परिश्रमी और निर्विकार स्त्रियाँ हमारे पास कितनी हैं? उसे बच्चोंसे असीम प्रेम है। उसमें दोष तो अवश्य हैं, लेकिन हममें से दोषरहित कौन है?

ईसामसीहका एक महावाक्य है: "तुममें जो व्यक्ति निर्दोष है वह इस महिलाको सबसे पहले पत्थर मारे।" इसपर सबकी दृष्टि नत हो गई और किसीकी भी पत्थर मारनेकी हिम्मत न हुई। प्राचीन कालमें जो स्त्री व्यभिचार करती थी उसे पत्थर मारनेका चलन था। ऐसी एक स्त्रीके पकड़े जानेपर कट्टर लोग पत्थर मारनेको तत्पर हो गये। इसपर ईसामसीहने उपर्युक्त वाक्य कहा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

प्रेमाबहनको हमने उसके गुणोंके लिए अपने पास रखा है। मुझे तो उसमें दोष नगण्य और गुण अधिक दिखाई देते हैं। उसकी बच्चोंको मारनेकी आदतके बारेमें मैं तबसे जानता हूँ जब मैं जेलमें था। उसे अपनी इस आदतका पता है और मैं यह भी जानता हूँ कि वह उसे सुधारना चाहती है। यदि लोगोंको उसमें दोष दिखाई दे और वे मुझे बतायें, तो मैं उसे लिखूँगा।

आश्रमकी व्यवस्थाके बारेमें जब मैं वहाँ आऊँगा तब बात करना चाहूँगा। लेकिन इस समय तो मैं बीचमें नहीं पड़ना चाहता। मैं आश्रममें नहीं रहता, न तनसे और न मनसे। इसीसे उसके बारेमें विचार भी बहुत कम करता हूँ। यदि विचार आ भी जाता है तो वह दोषरूप जान पड़ता है। तुम सबकी भी ऐसी ही मनःस्थिति होनी चाहिए।

यात्रियोंमें से जो वहाँ रहनेके उद्देश्यसे जायें उन्हें तो आश्रममें केवल सेवा करनेके लिए ही रहना चाहिए और उनको सौंपे हुए कामको निष्पन्न करके उन्हें

सन्तोषपूर्वक रहना चाहिए। इससे दो काज सिद्ध होते हैं: वे अपने संयमकी साधना करें और जब रणभेरी बज उठे तब वे उसी क्षण आश्रमको अस्त-व्यस्त किये बिना वहाँसे निकल पड़ें।

तुम लिखते हो कि प्रेमाबहन 'बहुत जहरीली हैं'। उसके विषपूर्ण आचरणके दृष्टान्त तुम्हें याद हैं?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५०४) से।

२३०. पागलपन

बम्बईके कार्यकारी गवर्नरपर हमला[1] करके फर्ग्यूसन कालेजके विद्यार्थीने अपना क्या हेतु साधना चाहा होगा? अखबारोंमें समाचार है कि उसके इस कार्यके पीछे शोलापुरमें सैनिक कानून लागू किये जानेके लिए अथवा किसी अन्य कार्यके लिए बदला लेनेकी भावना निहित थी। मान लो कि उससे गवर्नरकी मृत्यु हो जाती, तो भी जो कुछ हो गया था उसे मिटाया तो जा ही नहीं सकता था। बदला लेनेका यह प्रयत्न करके विद्यार्थीने वैरभावको और भी बढ़ाया है। विद्याभ्यासका ऐसा दुरुपयोग करके उसने विद्याको लजाया है।

और जिन परिस्थितियोंमें यह हमला किया गया उनपर विचार किया जाये, तो इस आक्रमणमें विश्वासघात भी शामिल है। फर्ग्यूसन कालेजका उक्त विद्यार्थी गवर्नरके प्रति अपने धर्मसे चूक गया। गवर्नर महोदय फर्ग्यूसन कालेजके अतिथि थे। अतिथिको हमेशा अभयदान दिया होता है। कहा जाता है कि अरब लोग शत्रुको भी, जब वह अतिथि होता है तब नहीं मारते। चूँकि यह विद्यार्थी फर्ग्यूसन कालेजका था, इसलिए गवर्नरको आमन्त्रित करनेवाले लोगोंमें वह भी शामिल था और आमन्त्रित करनेवाला व्यक्ति अपने अतिथिको मारे, इससे अधिक भयंकर विश्वासघात और क्या होगा? क्या आतंकवादी किसी प्रकारकी मर्यादाका पालन नहीं करते? और जो व्यक्ति किसी प्रकारकी मर्यादाका भी पालन नहीं करता उसे शोलापुरमें सैनिक कानून लागू किये जाने अथवा अन्य अन्यायोंकी शिकायत करनेका क्या अधिकार है?

यदि कोई हमारे साथ इस तरहका विश्वासघात करता है, तो हमें दुख होता है। हम अपने प्रति जिस व्यवहारकी अपेक्षा नहीं करते, दूसरोंके प्रति हम वैसा ही व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मेरा यह दृढ़ विचार है कि ऐसे कार्योंसे हिन्दुस्तानको यश नहीं, अपयश मिलता है। ऐसे कार्योंसे स्वराज्य प्राप्त करनेकी योग्यता बढ़ती नहीं, कम होती है और स्वराज्य दूर हो जाता है। ऐसे महान और प्राचीन देशको कृतघ्नतापूर्ण हत्याओंसे स्वराज्य नहीं मिलनेवाला है। हमें इतना याद रखना चाहिए

१. सर अर्नेस्ट हॉटसनपर यह हमला २२ जुलाई, १९३१ को हुआ था; देखिए "विश्वासघात", ३०-७-१९३१ भी।

कि केवल अंग्रेजोंका हिन्दुस्तानसे चला जाना ही स्वराज्य नहीं माना जायेगा। स्वराज्यका अर्थ है जनताके द्वारा और जनताके लिए हिन्दुस्तानका कारोबार चलानेकी शक्तिका होना। और यह शक्ति मात्र अंग्रेजोंके भारतसे चले जाने अथवा उनका नाश होनेसे नहीं आनेवाली है। यह शक्ति करोड़ों मूक किसानोंके दुखोंको समझनेसे, उनकी सेवा करनेसे, उनकी प्रीति सम्पादन करनेसे आयेगी। मान लिया जाये कि एक दो हजार अथवा उससे भी अधिक हत्यारे अंग्रेजोंकी हत्या करनेमें समर्थ हो जाते हैं, तो क्या वे हिन्दुस्तानका शासन चला पायेंगे? वे तो हत्याके उन्मादमें मत्त होकर उनका खून करते फिरेंगे जो उन्हें नहीं भायेंगे। इससे किसानोंको क्या हासिल होगा? इन तरीकोंसे तो हिन्दुस्तानमें जो अनेक कुप्रथाएँ हैं और जिनको लेकर हिन्दुस्तान आज पराधीन है, वे नष्ट होनेवाली नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-७-१९३१

२३१. तीन प्रश्न

एक विद्यार्थी लिखता है:[1]

१. शुद्ध खादी सम्बन्धी शिकायत बहुत पुरानी है। मोटी खादीको लेकर जो असुविधा होती है, वह स्वराज्यकी खातिर, अथवा कहें कि भूखों मरते भाई-बहनोंकी खातिर, सहन की जानी चाहिए। मोटी खादीका घुटने तकका जांघिया या एड़ी तक पाजामा पहना जाये तो कपड़ेकी भी बचत हो और धोनेमें भी आसानी हो। धोती मद्रासी ढंगसे अर्थात् काछड़ी बिना पहननेसे आधा कपड़ा बच जाता है। किसी गुजरातीको अपने मनमें ऐसा भ्रम अथवा द्वेष अथवा अभिमान नहीं करना चाहिए कि वह मद्रासी ढंगसे धोती नहीं पहन सकता। और फिर यदि विद्यार्थी यह महसूस करता है कि उसे मजबूरन मोटी खादी (का जांघिया) पहनना पड़ता है तो इसमें उसीका दोष है। क्या वह अपने लिए महीन सूत नहीं कात सकता। यदि वह ऐसा करे तो रुई और बुनाईकी मजदूरीकी एवजमें उसे महीन धोती मिले और खुद मेहनत करनेसे जो आत्मसन्तोष होता है सो अलग हो? इसके अतिरिक्त विद्यार्थी यह न कहे कि उसे पठन-पाठनसे कातनेका समय ही नहीं मिल पाता। अनुभवसे वह देखेगा कि उसका ज्यादा समय आलस्यमें अथवा व्यर्थके काममें चला जाता है। उसमें से वह थोड़ा समय निकाल ले और काते, इतना ही काफी है। एक अंग्रेजी कहावत है जिसका मतलब है जहाँ चाह, वहाँ राह। और हमारे यहाँ कहावत है कि "नाचना न चाहे तो आँगन टेढ़ा।" शुद्ध खादीका प्रयोग न करनेके लिए सैकड़ों बहाने मिल जायेंगे। जिन्हें खादीके प्रति श्रद्धा है उनके आगे एक भी मुश्किल नहीं आती।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने खादीकी धोती पहननेमें आनेवाली दिक्कतोंका वर्णन किया था, स्वदेशी चीजोंकी एक सूची माँगी थी तथा शिक्षाके सम्बन्धमें गांधीजीसे सुझाव माँगे थे।

२. बम्बई प्रान्तीय समिति स्वदेशी वस्तुओंके बारेमें टिप्पणी प्रकाशित कर सकती है, लेकिन वह अनावश्यक है। बम्बईमें स्वदेशी सभा है, उसने ऐसी एक सूची प्रकाशित की है तथा वह ऐसे और भी उपक्रम कर सकती है।

३. मनुष्य विद्याभ्यास रोटी कमानेके लिए नहीं करता अपितु बुद्धिका विकास करने और आत्मविकासके लिए करता है। रोटी कमानेके लिए तो इस समय खादी आदि अनेक राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ हैं। ऐसे उद्योग भी बहुत हैं जो राष्ट्रको समृद्ध करनेमें सहायक हैं, और थोड़े समयमें उन्हें सीखकर मनुष्य अपना पोषण कर सकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-७-१९३१

२३२. टिप्पणियाँ

अस्पृश्यता-निवारण-समिति

जब आन्दोलन चल रहा था तब अन्य अनेक समितियोंके समान अस्पृश्यता निवारण-समितिका कार्य भी इस आन्दोलनमें आकर मिल गया था। अनेक स्थानों पर लोग अस्पृश्यताको भूल-सा गये थे, पर अब चूँकि थोड़ी शान्ति है इसलिए यह फिरसे सजीव होती दिखाई देने लगी है। इसका मुकाबला करनेके लिए ही कांग्रेस कार्य-समितिने फिरसे अस्पृश्यता-निवारण-समितिको सचेत कर दिया है। श्री जमनालालजी इस समितिके पहलेसे ही अध्यक्ष हैं। और हम यह भी जानते हैं कि उनके और स्वामी आनन्दके प्रयत्नोंके फलस्वरूप अनेक मन्दिरोंके द्वार तथा-कथित अस्पृश्य भाई-बहनोंके लिए खुल गये थे। इस दिशामें अभी और भी बहुत प्रयत्न किये जा सकते हैं और किये जाने चाहिए। अनेक वर्षोंसे जिस वस्तुने जड़ पकड़ ली है उसे एकाएक उखाड़ कर फेंका नहीं जा सकता। मनुष्य जब अधर्मको धर्म मान बैठता है, तब उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। अस्पृश्यताके सम्बन्धमें भी हमें ऐसी ही दिक्कत महसूस होती है। तिसपर भी इस दिशामें जो प्रगति हुई है, हिन्दुओंमें जो जागृति आई है, वह आशाजनक है। अस्पृश्यताने हिन्दू समाजमें इतना घर कर लिया है कि वह निकल ही नहीं सकती —— ऐसे विचारका समर्थन करनेवाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन इतनी प्रगतिसे हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण-समिति हमें सोने नहीं देगी।

स्वराज्यमें वेतन

एक नवयुवक लिखते हैं :[1]

पत्र-लेखकने यह मान लिया है कि अगर स्वराज्यमें बड़े-बड़े वेतनोंमें कटौती होगी, तो छोटे वेतनोंमें भी कमी हो जायेगी। आज वस्तुस्थिति यह है कि एक

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कराची-कांग्रेसमें वेतन-सीमा-सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास किया गया था, उससे होनेवाले परिणामोंके प्रति आशंका व्यक्त की गई थी।

ओर जहाँ बड़े वेतन सीमासे कहीं अधिक हैं, वहाँ छोटे वेतन इतने कम हैं कि आजीविका भी ठीक तरहसे नहीं चल पाती। स्वराज्यमें छोटे वेतनोंमें कमी होनेके बजाय वृद्धि होनेकी सम्भावना है। एक प्रकारसे तो बढ़ोतरी होगी ही। वेतन कम होनेसे रहन-सहन सादा हो जायेगा। इसका प्रभाव सर्वव्यापी होगा और इससे कम वेतन पानेवाले लोगोंमें सन्तोष पैदा होगा। जापान आदि देशोंके वेतनमानको जानने वाले व्यक्तिको पत्र-लेखककी भाँति रिश्वत आदिका भय नहीं होगा। रिश्वतका वेतनके साथ बहुत कम सम्बन्ध है। जब मनुष्यके मनमें धर्मकी भावनाका प्रसार होता है, उसमें सेवाभाव उत्पन्न होता है, तब मनुष्य रिश्वत नहीं लेता। रिश्वतके भयसे अधिक वेतन देना तो चमड़ेकी बद्धीके लिए भैंस मारना है। अर्थात् मनुष्यको कभी-कभी रिश्वत लेनेसे रोकनेके लिए वेतनके रूपमें नित्य मोटी रिश्वत देना।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २६-७-१९३१

२३३. पत्र : भूलाभाई देसाईको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

भाईश्री भूलाभाई,

मेरे मनमें यह कशमकश चल रही थी कि हिन्दुस्तान और इंग्लैंडके बीच लेन-देन सम्बन्धी कमेटीकी रिपोर्ट[1] पर आपने जो मेहनत की है उसके लिए मेरा आपको धन्यवादका पत्र लिखना उचित होगा अथवा नहीं। और अन्तमें मैं इस निश्चयपर पहुँचा कि आपको पत्र लिखा जाये। भाई बहादुरजीको लिखनेका साहस तो मैंने कर ही डाला। आप यह कहेंगे कि 'इसमें उन्होंने विशेष क्या किया। लेकिन जहाँ इस तरह काम करनेवाले लोग अधिक नहीं होते, वहाँ जो लोग मेहनत करते हैं उनका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। कुमारप्पा कहते थे कि आप सबने बहुत मेहनत की है। अभी तो हम आपसे और अधिक मेहनत करवायेंगे। ऐसा समय जरूर आयेगा और मुझे उम्मीद है कि उस समय मैं आपसे काम करवा सकूँगा, इसीलिए मैं आज आपका अभिनन्दन कर रहा हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजरातीसे : भूलाभाई देसाई पेपर्स (फाइल नं० जी०-१); सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "बहादुरजी समितिकी रिपोर्ट", २३-७-१९३१।

२३४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

भाई घनश्यामदासजी,[1]

मालवीयजी और मेरे रोमके सम्भावित दौरेके सिलसिलेमें इटलीके वाणिज्य-दूतने जो प्रस्ताव किया है कृपया उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद दे दें। मेरे लन्दनके दौरेके बारेमें कुछ भी निश्चित नहीं है और अगर मैं वहाँ जानेमें सफल भी हुआ तो वापसीमें इटली जा सकूँगा, यह मैं नहीं जानता। लन्दन जानेपर मेरे रोम जानेकी कोई सम्भावना नहीं है। मेरा विश्वास है कि यही बात मालवीयजीपर भी लागू होती है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत घनश्यामदास बिड़ला
८, रॉयल एक्सचेंज प्लेस
कलकत्ता

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८९४) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

२३५. पत्र : आदि द्रविड़ोंको[2]

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

प्रिय मित्रो,

आप लोगोंका पत्र मिला। आप लोग इस बातपर भरोसा रखें कि कांग्रेस हिन्दू धर्मके ऊपर लगे अस्पृश्यताके कलंकको दूर करनेके लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-८-१९३१

१. यह देवनागरी लिपिमें हैं।
२. मद्रासके।

२३६. पत्र : वि० ल० फड़केको

२६ जुलाई, १९३१

भाई मामा,

आपने लालजीके बारेमें जो कहा, सो मैं समझा हूँ। मैं इतना तो अवश्य मानता हूँ कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अन्त्यज है और इसीलिए हमें उसे आजीविका कमाने लायक बना देना चाहिए। हाथीको चाहिए कि वह चींटीका माप अपने गजसे न करे।

आपको चरखे कितने चाहिए? बारडोलीमें एक नये प्रकारका गांडीव चरखा चलता है। यह पूरा काम देता है। क्या यह चरखा ठीक रहेगा? यह बहुत सस्ता पड़ता है और काम भी पहले चरखे जैसा ही देता है। जो कोई इस चरखेको चलायेगा वह अन्य किसी भी चरखेको चला सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मुझे बोरसदके पतेपर लिखना। आज तो मैं बारडोलीमें हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८२५) से।

२३७. पत्र : रमणीकलाल मोदीको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० रमणीकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। जवाब तो मैंने तुम्हें कल ही किशोरलालके हाथ भेज दिया। बुलसरमें तुम्हारे विरुद्ध जो शिकायत की गई थी उसका मुझपर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना है। फिर भी गोडसे से मैंने जो-कुछ पूछना था, सो पूछ-समझ लिया।

तुम्हारी नई प्रवृत्तिके बारेमें भी मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ ईमानदारी और सावधानीके साथ काम करोगे, सो मैं जानता हूँ। और फिर वहाँ तो अनुकूल साथी और संयोग दोनों ही हैं। इसलिए तुम्हारी ओरसे ठीक काम होता रहेगा, इस बातका मुझे सन्तोष है।

बाकी सब तो तुम्हें किशोरलालसे मालूम हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१७२) से। सी० डब्ल्यू० १६७१ से भी; सौजन्य : रमणीकलाल मोदी

२३८. पत्र : ताराबहन मोदीको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० तारा,

तुम्हारा पत्र मिला। वहाँ अवसर मिलने पर सेवा करने और साथ-ही-साथ अपने स्वास्थ्यमें जितना सुधार हो सके उतना सुधार करनेका तुम्हारा विचार मुझे पसन्द आया। चाहे कैसी भी स्त्री क्यों न हो, लेकिन उसके साथ रहनेकी कला तुम जैसे-तैसे करके सीख लेना। यह याद रखना कि सेवा करनेवालेको हमेशा अपना मनपसन्द क्षेत्र अथवा कार्य नहीं मिलता। हमारा धर्म तो यही है कि हमें जैसी और जहाँ भी सेवा करनेका सहज अवसर मिले, उसे हमें उल्लासपूर्वक करना चाहिए। इसमें तुम्हारी आलोचना नहीं है अपितु भविष्यकी आशा निहित है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१७३) से। सी० डब्ल्यू० १६७२ से भी; सौजन्य : रमणीकलाल मोदी

२३९. पत्र : इन्दु पारेखको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० इन्दु,

तेरा छोटा-सा पत्र मिला। तू यदि बदनको खूब अच्छी तरहसे रगड़-रगड़ कर नहाए और बादमें सूखे तौलियेसे कसकर बदन साफ कर ले, तो तुझे फोड़े नहीं निकलेंगे। पानी खराब हो तो उसे गर्म करके नहाए। तेरे पठन-पाठनकी क्या स्थिति है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२५३) से।

२४०. पत्र : फूलचन्द के० शाहको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

भाई फूलचन्द,

साथके पत्रको[1] पढ़ना और उसपर विचार करना। तुम्हारी अपीलमें जो यह वाक्य है कि "भावनगर राज्यके गाँवों और भावनगरमें भी अत्याचार किये जाते हैं", वह अन्य वाक्योंसे मेल नहीं खाता। कैसे अत्याचार होते हैं? इनका रचनात्मक कार्यके साथ क्या सम्बन्ध है? मुझे पट्टणी साहबकी शिकायतमें बहुत सार दिखाई देता है। सत्याग्रही तथा उनके समर्थक अतिशयोक्तिसे काम ले रहे हैं।

तुम इसकी लपेटमें न आना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मंगलवारको मैं बोरसदमें होऊँगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१९५) से। सी० डब्ल्यू० २८४६ से भी; सौजन्य : शारदाबहन शाह

२४१. पत्र : लीलावतीको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० लीलावती,

तू कितनी लापरवाह लड़की है! अपना पता तक नहीं लिखती! तू बम्बई गई सो ठीक किया। किसीको आश्रममें बाँधा तो नहीं रखा जा सकता। अपने-आप जो इससे बँधे रहते हैं वही इसमें अन्ततक बने रहते हैं। सूर्यकी गर्मी होनेपर भी यदि कोई व्यक्ति सर्दीके मारे काँप रहा हो, तो उसे कम्बल ओढ़ाना ही चाहिए। तू निश्चिन्त होकर अपने भाईकी मदद कर। लेकिन इतना याद रखना कि मदद अच्छे कामके लिए की जाती है। और मददके लिए तुझे जितने पैसोंकी जरूरत महसूस हो उतने पैसे हिम्मतपूर्वक पिताजीसे माँगना। भाई जो जेवर दे उन्हें लेनेमें संकोच न करना। उससे चीजोंके बारेमें लिखा भी लेना। यदि वह ब्याज नहीं देता

१. प्रभाशंकर पट्टणीका गांधीजीके नाम पत्र; गांधीजीके उत्तरके लिए देखिए "पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको", २५-७-१९३१।

तो कोई हर्ज नहीं। और यदि वह दे सकनेकी स्थितिमें हो तो भी ६ प्रतिशतसे अधिक न लेना। अपनी सेहतका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मंगलवारको मैं बोरसदमें होऊँगा।[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३२१) से।

२४२. पत्र : शान्ता एस० पटेलको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० शान्ता,

बहुत दिनोंके बाद मुझे तेरी गर्जना सुनाई दी। इतने दिनों तक तो तुझे पत्र लिखनेकी फुर्सत तक न मिली। खैर, चाहे कैसा ही क्यों न हो, तूने पत्र लिखा तो सही। इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ।

तूने जो शिकायत की है, उसकी तहकीकात करूँगा। मैंने नारणदासको भी लिखा है। प्रेमाबहनको भी लिखूँगा। प्रेमाबहनकी बात सुने बिना पूरी बात कैसे जानी जाये? तूने जो लिखा है उसमें अधिकांश तो मेरे लिए नया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती की फोटो-नकल (एस० एन० ४०६१) से।

२४३. पत्र : वसुमती पण्डितको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० वसुमती,

कृष्णादेवी नामकी एक महिला आश्रममें रहा करती थी, तुम उसे जानती हो न? वह सोलनमें रहती है। सोलन शिमलाके रास्तेमें आता है। तुम्हें मैं या तो वहाँ भेजूँगा अथवा पद्मा जहाँ जायेगी, उसके साथ भेजूँगा। पद्मा अलमोड़ाके समीप किसी स्थानपर जायेगी, ऐसा मेरा खयाल है। तुम वहाँ जाओगी न? पद्माके साथ

१. इस पत्रके शीर्ष भागपर गांधीजीने लिखा था "यह पत्र लीलावतीको भेज देना, मुझे उसका पता मालूम नहीं है।"

सरोजिनी देवी भी होंगी ही, इसलिए तुम्हें दोनों ही स्थानोंपर प्रौढ़ महिलाकी सोहबत मिलेगी।

मैं मंगलवारको बोरसद पहुँचूंगा। वहाँ आना चाहो तो आ जाना और जब तक मैं वहाँ रहूँ तबतक वहाँ रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३२३) से। सी० डब्ल्यू० ५७४ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित

२४४. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। तेरी कौनसी वर्षगाँठ है, यह तूने नहीं लिखा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे यह जानना चाहिए। लेकिन ऐसी बातोंमें मैं मूर्ख हूँ। तू दीर्घायु हो ऐसा कहनेके बदले मैं यह कहूँगा : जल्दी निर्विकार, निर्दोष होकर आदर्श सेविका बन जा। तेरा जो प्रयत्न चल रहा है वह सफल हो।

अपने पत्रमें तूने दोनों रंग भरे हैं। उसमें खरापन है। वह मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उसमें रोष है और अभिमान भी है। लेकिन मैं इसकी छानबीन नहीं करता। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि अगर तू अपनी डायरी न लिखती हो तो अबसे लिखना—रोज किस पर गुस्सा किया, फिर वह छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, किसे मारा, किसे गाली दी? इतना मेरे लिए लिखे तो भी काफी है। बाकीकी तू जाने और नारणदास जाने। मैं तेरे काममें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यह मेरे क्षेत्रसे बाहर है। मुझे सब बातोंका पता भी नहीं चल सकता। मुझसे इन्साफ नहीं हो सकता। मेरे पास वैसा करनेका साधन भी नहीं है। मैं तो माता-पिता बन गया हूँ, इसलिए एकपक्षी बात ही कह सकता हूँ। इसके सिवा, सत्याग्रही न्याय नहीं माँगेगा। न्यायका अर्थ है जैसेको तैसा। सत्याग्रहका अर्थ है 'शठं प्रत्यपि सत्यं,' हिंसाके सामने अहिंसा, क्रोधके सामने अक्रोध, अप्रेमके सामने प्रेम। इसमें न्याय तोलनेका स्थान ही कहाँ है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बोरसद मंगलवारको पहुँच रहा हूँ।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो—५ : कु० प्रेमाबहेन कंटकने। सी० डब्ल्यू० ६७०८ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

२४५. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। काकाकी मार्फत मैंने तुम्हें कुछ सन्देश तो भेजा है। मैं तुमसे मंगलवारको बोरसदमें मिलनेकी उम्मीद रखता हूँ। इसलिए पत्रमें ज्यादा कुछ नहीं लिखूँगा। तुमने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन सत्याग्रहीके कोशमें 'हार' जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो भी तुम्हें मधुर गान गाते रहना चाहिए।

प्रेमाबहन पराई नहीं अपितु तुम्हारी अपनी लड़की है, यदि तुम यह समझ लो तो पलभरमें सब कुछ ठीक हो जाये। लड़की होनेपर फिर भले ही वह सरदार बनी रहे।

प्रभुदास तुम्हारे लड़केके समान है, लेकिन वह तुमको सिखा सकता है, ऐसा है कि नहीं?

सुरेन्द्रकी उम्र कितनी है? वह भी लड़केके समान है। फिर भी वह तुम्हें सलाह देता है ना? लेकिन ज्यादा बातें तो जब हम मिलेंगे तब होंगी।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८३ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

२४६. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

इसके साथ शान्ताका पत्र है। इसे पढ़कर देखना कि इसमें क्या है?

महावीरके बारेमें मैंने काकाके हाथ सन्देश भेजा था। कल तुम्हें मथुरादासका तार मिलना चाहिए। जबतक वे नहीं आ जाते तबतक महावीरको रवाना नहीं होना चाहिए। बम्बईमें उसके साथ किसीके रहनेकी मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन महावीरको लिखे मेरे पत्रसे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जायेगा। आप्टे आकर मुझसे मिल गये हैं। ठक्कर बापाको पैसा चुका देना। . . .[1] को वहाँ रहने देनेकी मेरी

१. नाम नहीं दिया गया है।

हिम्मत नहीं होती। . . .[1] अवश्य अस्वस्थ होगी। . . .[2] पर कड़ी दृष्टि रखना। उसे नौकरी चाहिए और यदि तुम उसे कोई नौकरी दे सको तो देना।

उसे यदि बुनाईका काम आ गया हो तो जो उसे अपने पास रखेगा उसे उससे अधिककी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस बातसे मैं भी सहमत हूँ कि उसे तम्बूरा नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी यदि कोई तनख्वाह रह गई हो तो वह उसे दे दी जानी चाहिए।

गंगाबहन और प्रेमावहनकी समस्या दिन-ब-दिन उलझती जा रही है। तुम्हें जो ठीक लगे सो करना। मैंने सोमवारको गंगाबहनको बोरसद तो बुलाया ही है।[3]

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

बोरसदका काम यदि मैं तीन-चार दिनमें पूरा कर सकूँ और बारडोली जानेकी जरूरत न रहे, तो तीन दिनके लिए वहाँ आनेका मेरा मन अवश्य है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

२४७. पत्र: नारायण मोरेश्वर खरेको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

चि० पण्डितजी,

आपने मुझे ठीक अभयदान दिया है। जिसने शून्यवत होना सीख लिया है, उसे असन्तोष हो ही नहीं सकता। रामभाऊ कुछ नियमोंका पालन करता है या नहीं? इन्दु कुछ सीख रही है? मथुरीका वजन यदि बढ़ता नहीं तो उसपर कोई जिम्मेदारी न डाली जाये। उसे जो ठीक लगे सो वह सीखे, जो ठीक लगे सो करे। यदि वह खूब खेले तो उसका वजन बढ़े बिना न रहेगा। कितना दूध पीती है? गजाननकी समस्या तो सुलझ गई जान पड़ती है।

लक्ष्मीबहन[4] बुनाईका काम सीख रही है, यह बात मुझे तो सचमुच बहुत पसन्द आई है। उसमें दक्ष हो जाये तो अच्छा होगा।

देखता हूँ कि 'आश्रम भजनावलि' छप गई है। मुझे उसकी एक प्रति भेजना। मैं उस ओर जल्दी आनेकी चेष्टा तो कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २१८) से; सौजन्य: लक्ष्मीबहन खरे

१ और २. नाम नहीं दिये गये हैं।
३. देखिए पिछला शीर्षक।
४. ना० मो० खरेकी पत्नी।

२४८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बारडोली
२६ जुलाई, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपका पत्र मिला है। मैं जानता हुँ कि विलायत जा सकुं तो अच्छा है। लेकिन उसके लिये यहां भी वायु मंडल अनुकुल होना चाहिये। इस वखत तो बहौत हि प्रतिकुल हैं। मैंने एक खत[1] अलटीमेटमसा सरकारको लिखा है। उसके उत्तरकी इंतजारीमें हुं। समयाभावके कारण ज्यादा नहि लिख सकता। लेकिन मुंबई शीघ्र आ सकें तो आ जाना। मैं वहां चार अगस्तको पहोंचुंगा। यदि मेरा जाना हुआ तो तुमारे विलायतमें रहना या नहि पीछेसे सोच लेंगे।

बापु

[पुनश्च :] मंगलको बोरसद हुंगा।

सी० डब्ल्यू० ७८९३ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

२४९. पत्र : मीराबहनको

रेलगाड़ीमें
२७ जुलाई, १९३१

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। चूँकि बोरसद बहुतसे लोग आ रहे होंगे, इसलिए यह पत्र मैं तुम्हारे अपने पतेपर भेज रहा हूँ। सूखेसे जो व्यक्तिगत असुविधा होती है वह तो है ही, लेकिन सूखेका इस तरह जारी रहना भी गम्भीर बात है। मुझे आशा है कि जो बादल तुम्हें रोज दिखाई देते हैं, वे एक-न-एक दिन अवश्य बरसेंगे। मेरा मतलब खुली सैंडिलों और चौड़े पंजेवाले जूते, दोनोंसे था। वे हम दोनोंके लिए चाहिए। मुझे स्लीपर और जूते, दोनों नहीं चाहिए।

मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पक्षी मित्रोंकी संख्या बढ़ रही है। शायद ये सबसे अच्छे साथी हैं। वे तुम्हारे मूक सन्देशको और किसी साधनकी अपेक्षा ज्यादा जल्दी और निष्ठाके साथ फैला सकते हैं। कार्य-समितिकी बैठकके लिए बम्बई जानेसे भी पहले मैं अहमदाबाद आनेकी आशा रखता हूँ। लेकिन यह बारडोलीवाला मामला

१. देखिए "पत्र : टी० टी० कोठावालाको", २४-७-१९३१।

बड़ा टेढ़ा है। अभीतक मुझे अन्धकारसे निकलनेके लिए कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३८) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९६७२ से भी।

२५०. पत्र: किसनसिंह चावड़ाको

रेलगाड़ीमें
२७ जुलाई, १९३१

भाई किसनसिंह,

तुम्हारा पत्र मिला। बोरसद बुधवारको आना। अनायास ही यदि मुझे कहीं जाना पड़े तो मेरा इन्तजार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३२८) से; सौजन्य: किसनसिंह चावड़ा

२५१. तार: आर० एम० मैक्सवेलको

बोरसद
२८ जुलाई, १९३१

गवर्नरके निजी सचिव
गणेशखिण्ड (पूना)

चिरनेर कांडके कैदियोंको जुर्माना अदा करनेके लिए जो समय दिया गया था वह ३० तारीखको खत्म हो रहा है। कैदियोंने सूचना भेजी है कि वे जुर्माना देनेकी जगह जेल जाना पसन्द करेंगे। कृपया बोरसदके पते पर तारसे बतायें कि समझौतेकी शर्तोंके अनुसार दिये गये समयकी समाप्तिसे पूर्व क्या सरकारका जुर्माने माफ करनेका विचार है?

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० १६-सी, १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२५२. पत्र : अब्बास तैयबजीको

बोरसद
२८ जुलाई, १९३१

प्रिय भर्र्र्,

आपके पत्रसे बहुत खुशी हुई। मैं आपकी पेंशन रोक लिये जानेके बारेमें परेशान था, यद्यपि मैं जानता था कि अन्तमें इसकी अदायगी अनिवार्य है। किसी चिट्ठीकी अपेक्षा पेंशनका मिल जाना ज्यादा महत्त्व रखता है। क्या आपको उस कैदीकी कहानी याद नहीं जिसका जुर्माना अदा कर दिये जानेपर जब उसको रिहा कर दिया गया तब उसने भुगतानकी रसीद माँगी थी? न्यायाधीशने उसको उत्तर दिया था, "तुम्हारी रिहाई ही तुम्हारी रसीद है।"

शिमलाके बारेमें हम कह सकते हैं कि पहाड़ तो खोदा पर निकली मामूली-सी चुहिया भी नहीं। इस बार समाचारपत्रमें आपने जो-कुछ पढ़ा है वह बहुत हदतक सही है और इस समय बारडोली और बोरसद ही मेरे लिए मक्का और मदीना हैं न कि सेंट जेम्स तथा किंग्स्ले हॉल। कलेक्टरके नाम मेरे पत्रपर अभी भी विचार हो रहा है। मेरे लन्दन जानेसे क्या फायदा, जब समझौतेसे उत्पन्न शिकायतों-को ही दूर नहीं किया जाता? एक कर्जदार जो सूद नहीं दे सकता वह मूल कभी देनेवाला नहीं है। क्या इस बातसे आप सहमत नहीं हैं?

यह जानकर खुशी हुई कि हमीदा पढ़ाईमें मन लगाने लगी है। लेकिन आप ऐसा न समझें कि उसपर अपना अधिकार और उससे अपनी अपेक्षाओंको मैंने छोड़ दिया है। मैं शायद ३ या ४ दिन बोरसदमें रहूँगा। सरदार मेरे साथ हैं। सम्भवतः आज रात वे बारडोली जा रहे हैं।

सभीको प्रेम सहित,

आपका,
भर्र्र्

श्रीयुत अब्बास तैयबजी
स्लेटर रोड, ग्रान्ट रोड
बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५७६)से।

२५३. तार: कर्नाड सदाशिव रावको[1]

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

मेरा मत है कि नीलामी-बिक्रीके विरोधमें धरना दिया जा सकता है लेकिन निषेधादेशोंको भंग नहीं किया जा सकता।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३०-७-१९३१

२५४. पत्र: वाइसरायको

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

आज बोरसदमें मिले इसी १३ तारीखके आपके पत्रके[2] लिए धन्यवाद।

वातावरण स्वच्छ होते ही चल देनेके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। दिन ज्यों-ज्यों गुजरते जा रहे हैं, मुझे अपने कर्तव्य-क्षेत्रको अनिश्चयकी अवस्थामें छोड़नेमें भय लगने लगा है। बारडोलीमें जो-कुछ हुआ मुझे उससे गहरा धक्का लगा है। इसके सिवा भी गुजरातमें स्थितिका अभी कोई ठीक समाधान नहीं हुआ है। मेरे रास्तेमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका न्यायोचित समाधान करानेके लिए, मैं जो-कुछ प्रयत्न कर सकता हूँ कर रहा हूँ। समझौतेकी व्याख्याके लिए कानूनी मुद्दोंके बारेमें आपके कहनेपर मैंने जो विवरण श्री इमर्सनको भेजा है उसके उत्तरकी मैं रोज आशा कर रहा हूँ और पण्डित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेशमें वातावरणको सुधारनेके लिए अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। सीमा प्रान्तमें मेरा लड़का मौजूद है ही। मुझे विश्वास है कि जिस क्षण मुझे लगेगा कि बादल छँट गये हैं, मैं भविष्यके सम्बन्धमें दिये गये आपके आश्वासनके बलपर [इंग्लैंड] जा सकूँगा।

१. कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष, जिन्होंने आबकारी बिक्रीपर धरना देनेके सवालपर गांधीजीकी सलाह माँगी थी।

२. जिसमें उन्होंने लिखा था: "मैं पूरी आशा करता हूँ कि हमारी बातचीतके बाद आपको जो आशंकाएँ इस समय हैं वे दूर हो जायेंगी और संघ संरचना समिति और पूर्ण सम्मेलनके सदस्यके रूपमें आप इंग्लैंड जा सकेंगे।"

मैं यह कहनेकी जरूरत नहीं समझता कि बम्बईके कार्यवाहक गवर्नरकी हत्याके प्रयास तथा बंगालमें हुई हत्यासे[१] मुझे कितना गहरा सदमा पहुँचा है। मैं पूरे विनयभावसे इस शरारतपर काबू पानेके लिए जो-कुछ सम्भव है वह कर रहा हूँ।[२]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

२५५. पत्र : अम्तुस्सलामको

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

प्रिय अमतुल,

तुम्हारा खत मिला।

तुम बहुत बेसब्र हो। खुदाकी मर्जी होगी तो मैं अगले महीनेकी पहली तारीखको अहमदाबादमें होनेकी उम्मीद रखता हूँ।

सब तरहसे एहतियात बरतनेके बाद तुम्हें अपनी बीमारीकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगी तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जायेगी। खुदा तुम्हें जो थोड़ा कुछ भी करनेकी ताकत देता है, उससे तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए। अगर हम सब अपने हिस्सेमें जो भी काम आये उसे करनेके लिए मनसे तैयार रहें, तो बहुत है।

बापू

अमतुलबहन
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४३) से।

१. २७ जुलाईको कलकत्ताके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्री गारलिककी हत्या की गई थी।
२. वाइसराय द्वारा भेजे गये इस पत्रके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ६।

२५६. पत्र : मीठूबहन पेटिटको[1]

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

कोई भी व्यक्ति हिसाब रख सकता है। अब आगेके काममें ज्यादा हिसाब नहीं रखना होगा और पक्का काम तो जहाँ रहते हो वहीं कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति कर सकता है।

तार, डाक आदिपर २५ रुपयेके खर्चको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। भजनीकका[2] खर्च इस कार्यपर नहीं पड़ना चाहिए। श्री सरकारसे मुझे पता चला है कि वे तो जिला कार्यके लिए थे। मेरा खयाल है कि उन्हें अभी भी जिला कार्यमें ही रहना चाहिए। तुम्हें जब-जब उनकी जरूरत महसूस हो तब-तब उनसे मदद ली जाये। मेरे विचारानुसार अब भविष्यमें हमारा काम जरा अलग तरीकेसे होना चाहिए। जो खर्च हुआ है उसके आँकड़े तुम मुझे भेज देना। अभी भी यदि कोई बात समझाने लायक रह गई हो तो मुझे लिखना। बहनों द्वारा ली जानेवाली प्रतिज्ञा की मेरे पास कोई नकल नहीं है; मुझे भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६९३) से।

२५७. पत्र : प्रभावतीको

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

चि० प्रभावती,

मैं तो चिन्तामें पड़ा हुआ था, इतनेमें आज तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तो सोमवारको जयप्रकाशको तार भी किया था। उसका जवाब नहीं आया। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा-से इलाहाबाद नहीं भेजा; बल्कि जयप्रकाशने इसकी माँग की थी कि तुम्हें और उसे कहाँ जाना चाहिए। तुम वहाँसे आ सको तो मैं चाहूँगा कि मैं जबतक यहाँ हूँ तब-तक मेरे साथ रहो और बादमें चार-छः महीने आश्रममें रहो। यदि मैं गया तो मैं १५ तारीखको रवाना होऊँगा। पर अभी निश्चित नहीं है। इस बीच तुम्हें छुट्टी

१. इस पत्रका पहला अंश उपलब्ध नहीं है।

२. भजन गायक।

मिले तो आ जाओ। मैं ४ तारीखको बम्बई पहुँचूँगा। मेरा पता यह है: लेबरनम रोड, गामदेवी, बम्बई।

कदाचित पहली तारीखको मैं अहमदाबाद जाऊँगा। निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बोरसद अथवा साबरमती पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४१८) से।

२५८. पत्र: अमृतलाल सेठको

बोरसद
२९ जुलाई, १९३१

भाईश्री अमृतलाल,

मैंने भाई बलवन्तरायसे कहा था कि मैं कल उत्तर भेजूंगा, लेकिन प्यारेलालने मुझे याद ही नहीं दिलाया और खुद मुझे रातके नौ बजे याद आया। सारा दिन काममें व्यस्त रहनेके कारण याद ही नहीं रही।

मेरे जानेकी बात तो अभी बिल्कुल अनिश्चित है। आपके और बलवन्तरायके कहनेसे मान लेता हूँ कि सब देशी राज्योंकी हकीकतके बारेमें जितनी जानकारी आपको है उतनी अन्य किसीको नहीं, और भाई अभ्यंकरको तो नहीं ही है। इससे मुझे लगता है कि तुम दोनों ही तैयार हो जाओ। तुम दोनोंको स्वतन्त्र रूपसे जाना होगा, मेरी माँगपर नहीं; मेरे कहनेसे भी नहीं। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। मेरी स्थिति यह है। कोई न हो तो भी अपना काम तो मैं सम्पन्न कर सकूँगा। मुझे कानून-शास्त्री अथवा तथ्योंके जानकारकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरी माँग बिल्कुल सीधी-सादी है। लेकिन यदि तुम्हारे जैसे लोग अनायास ही अथवा इच्छापूर्वक विलायतमें होंगे तो कदाचित मैं मदद लूँगा। तुम यदि आनेका निर्णय करते हो तो मैं समझता हूँ कि तुम वहाँ भाषणादि नहीं दोगे, बल्कि मैं जो चाहूँगा सो काम ही करोगे। मेरे जानेकी सम्भावनाका प्रमाण ९९ प्रतिशत नहीं और १ प्रतिशत हाँ है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४००) से।

२५९. बुराइयोंकी जड़

फतहपुर, पूर्व खानदेशसे भाई ऋषभदास लिखते हैं:[1]

इस लेखमें बताई गई बुराइयोंका वर्णन यथार्थ है। इसे देखकर भयभीत या निराश होनेका कोई कारण नहीं है। हम न तो सर्वज्ञ हैं, न सर्वशक्तिमान्। हम अपने हिस्सेका फर्ज अदा करें, इतना ही ईश्वरने हमारे हाथों रखा है। ऐसा करनेसे हम अपने कार्यमें ज्यादा सफल होंगे और हममें आत्मसंतोष पैदा होगा। दूसरे कार्य-कर्ताओंके न आनेसे भी हमें दुःख नहीं होना चाहिए। किसीके न आनेपर भी यदि हम अपने कर्तव्यमें परायण रहें, तो सम्भव है कि दूसरे आ जायें।

हिन्दी नवजीवन, ३०-७-१९३१

२६०. मृतक-भोज

भाई वसन्तलाल मुरारका लिखते हैं:[2]

इन समाज-सुधारकोंको धन्यवाद।

शान्ति और विनयका असर होता ही है। मृतक भोजमें न धर्म है, न कोई अन्य उचित कारण है। केवल मोह और धनसे उत्पन्न होनेवाला अभिमान ही ऐसे भोजनका कारण हो सकता है। धनिक लोग मृत्युके बाद किसी लोकोपयोगी कार्यके लिए दान क्यों न दें? ऐसा करनेसे उन्हें यशप्राप्ति होगी, और मृतककी आत्माको अवश्य ही शान्ति मिलेगी। ऐसा दान एक प्रकारका श्राद्ध है, स्मारक है।

हिन्दी नवजीवन, ३०-७-१९३१

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत्र-लेखकने देहातोंमें आलस्यकी सर्वव्यापी आदतके कुप्रभावोंका वर्णन किया था।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत्र-लेखकने यह बताया था कि मारवाड़ी समाजके नवयुवकोंको इस खर्चीले धार्मिक कृत्यको बन्द करनेमें किस प्रकार सफलता मिल रही है।

२६१. पाँच सौ रुपयेकी सीमा

राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कराचीमें पास हुए मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव[1] के जिस मुद्देमें सरकारी नौकरोंके वेतनकी सीमा ५०० रुपये मासिक अथवा ६००० रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है, उसपर लोगोंका जितना ध्यान आकर्षित हुआ है, उतना अन्य किसी मुद्देपर नहीं। यदि इस विदेशी सरकारने सार्वजनिक विभागोंमें नौकरी करनेवालोंको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देनेकी आदत हमें न डाली होती, तो ५०० रुपयेकी इस सीमासे लोगोंको किसी तरहका आघात नहीं पहुँचता। अधिकारियोंके अन्धाधुन्ध वेतनोंमें कमी हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई धर्माज्ञा नहीं है। कांग्रेसके ४६ अध्यक्षों और ४६ कांग्रेस अधिवेशनोंने इस निरन्तर बढ़ते जानेवाले सैनिक और असैनिक, दोनों खर्चोंपर शोक प्रकट किया है। अनेक अध्यक्षोंने बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर खास तौर पर जोर दिया है। कराची कांग्रेसने आधी सदी पुरानी इस शिकायतको सजीव रूप दे दिया है। कांग्रेसके निर्णयके औचित्यकी परीक्षाका तरीका तो यह है कि इन तनख्वाहों और करोड़ों भारतीयोंकी औसत आमदनी दोनोंका अनुपात निकाला जाये और फिर इन दोनोंकी अन्य देशोंके अधिकारियोंके वेतन और जनताकी औसत आमदनीके साथ तुलना की जाये। मैं संसारके मुख्य-मुख्य देशोंके आँकड़े प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 'यंग इंडिया' के पाठकोंको खास-खास देशोंकी औसत आयके अंक तो मिल चुके हैं, किन्तु वेतनोंके अंक अभी नहीं मिल सके हैं। अभी मेरे पास जापानके उच्च तथा निम्न कर्मचारियोंके वेतन-अंक पड़े हुए हैं। तदनुसार जापानके गवर्नर-जनरलको १,००० रुपये मासिकसे कम अर्थात् वार्षिक १०,००० रुपये अथवा १०,७०० रुपयेके बीच मिलता है; गवर्नरको मासिक ६०० रुपये या ८०० रुपये; सचिवालयके कर्मचारियोंको मासिक १५० और ५०० रुपयेके बीच; उच्चतम न्याया-लयके अध्यक्षको १,००० रुपये मासिकसे कम; दूसरे न्यायाधीशोंको मासिक १५० रुपयेसे ७०० रुपयेके बीच; पुलिसके प्रधान अधिकारीको ७०० रुपये मासिकसे कुछ अधिक; निम्न अधिकारियोंको २५० रुपयेसे ३०० रुपये मासिकसे कुछ अधिक; पुलिसके सिपाहीको ६० रुपयेसे ८० रुपये मासिक और पुलिस सार्जेंटको ७० रुपयेसे ८० रुपये मासिक तक मिलते हैं। जापानियोंकी औसत आय प्रति व्यक्ति लगभग चार आने प्रतिदिन है। इसलिए जापानके आँकड़ोंसे तुलना करनेपर कांग्रेसकी निर्धारित ५०० रुपयेकी सीमा कहीं अधिक उदार है।

किन्तु हमसे कहा जाता है कि जापानकी पुलिस न तो भारतकी पुलिसकी तरह ईमानदार है, और न उतनी कार्यक्षम। अभी उस दिन जापानी मिलोंकी कार्य-पद्धतिके सम्बन्धमें श्री अर्नो पिअर्सका एक भाषण मेरी नजरमें पड़ा। ये मिलें विराट सार्वजनिक कारखाने हैं, इसलिए जो बातें इनके सम्बन्धमें सच हैं, वे जापानके

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३९२-३।

दूसरे विभागोंके सम्बन्धमें भी सच हो सकती हैं। जापानकी व्यावसायिक नीतिके सम्बन्धमें श्री पिअर्सका कहना है:

> **इस पुरानी कहावतका विश्वास न कीजिए कि किसी चीनी व्यक्तिका शब्द ही उसका वचन-प्रतिज्ञा है, किन्तु एक जापानीके मामलेमें ऐसा नहीं है। आजका जापानी सौदा करेगा तो वह आजके चीनीकी अपेक्षा उसपर अधिक दृढ़ रहेगा।**

जापानकी संगठनशक्तिकी श्रेष्ठता, आविष्कारक बुद्धि, यान्त्रिक कौशल और परिश्रमशीलताका श्री अर्नो पिअर्स अत्यन्त उत्साहके साथ वर्णन करते हैं और वे जो कुछ कहते हैं, वह व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कहनेका दावा करते हैं। इसलिए यह कहना निरा भ्रम है कि कार्य-कुशलता अथवा नीतिमत्ताका बड़े-बड़े वेतनोंके साथ कोई अनिवार्य सम्बन्ध है। सच बात तो यह है कि यदि कर्मचारियोंको इतना कम वेतन दिया जाये, जो जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए अपर्याप्त हो, तो नीतिमत्ता और कार्य-कौशल, कुछ भी नहीं टिक सकता। और निःसन्देह जीवन-निर्वाह योग्य वेतन-क्रममें व्यक्ति जिस वर्गसे सम्बन्ध रखता है उस वर्गके लोगोंके रहन-सहनके अनुसार किसी अंशमें भिन्नता होगी। किन्तु रहन-सहन कोई भाववाचक शब्द नहीं है। वह तो सापेक्ष वस्तु है, और जिसने अपने चारों ओर कृत्रिम आवश्यकताएँ पैदा कर ली हों, और उसके देशवासी जिस स्वाभाविक वातावरणमें रहते हैं, उससे प्रतिकूल स्थिति बना ली हो, तो वह व्यक्ति अपने कृत्रिम रहन-सहनके कारण असाधारण अधिकारका दावा नहीं कर सकता। दुर्भाग्यसे ऐसे लोग हम लोगोंके बीच मौजूद हैं। संक्रान्ति कालमें उनके हृदयमें स्वभावतः ही यह शूल चुभेगा, किन्तु वे इस नवीन और स्वाभाविक परिस्थितिके शीघ्र ही अभ्यस्त हो जायेंगे, और फिर प्रतिमास अधिकसे अधिक ५०० रुपयेका वेतन वैसा हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा, जैसाकि आज होता है। विदेशी शासन द्वारा इस देशके प्रति किये गये अनेक अपकारोंमें विदेशियोंने इस देशमें सर्वथा कृत्रिम रहन-सहनका ढंग लाकर और कमोबेश अपने आसपासके वातावरण पर उसे जबर्दस्ती लादकर जो भारी अपकार किया है वह भी गिना जायेगा। इस रहन-सहनके लाने और लादे जानेके कारण इस सम्पन्न प्रशासनका काम भी अत्यन्त कठिन हो गया है, और आज दुनियामें जो आर्थिक मन्दी आ गई है, अपने आपको उससे उत्पन्न परिस्थितियोंके अनुकूल ढालना हमारे लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। यदि हमारे यहाँ ऐसा अस्थिर प्रशासन न होता, तो अपनी भौगोलिक स्थितिके कारण हमारे देशपर संसारकी मन्दीका बहुत कम प्रभाव पड़ता, जबकि आज तो हम इससे बहुत ज्यादा त्रस्त हो रहे हैं।

और अपने लिए पैदा की गई इस कृत्रिम स्थितिकी गम्भीरताका अनुभव मुझे नैनीतालमें हुआ, इसलिए मैंने व्यापारियों और व्यवसायियोंसे प्रार्थना की[1] कि उन्हें भविष्यके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए और अपने जीवनका नवीन रूपसे निर्माण

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ २१६।

करना चाहिए, ताकि जब जनता शासन-भार अपने सिरपर ले, तो उस समय यह नया रहन-सहन स्वीकार करना सबके लिए आसान हो जाये। जबकि सरकारी नौकरोंको देशकी स्वाभाविक स्थितिके अनुसार वेतन दिया जायेगा, उस समय व्यवसायी और व्यापारी वर्ग आसपासके वातावरणके सर्वथा विपरीत रहन-सहन जारी रख सकेंगे, यह विचार रखना भ्रमात्मक है। उन्हें स्वेच्छासे आगे बढ़ना चाहिए और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६२. टिप्पणियाँ

छुट-पुट कम्पनियाँ

स्वदेशीकी लहरके साथ-साथ बोगस या छुटपुट कम्पनियों और सोसाइटियोंकी स्थापना लाजिमी थी। उनमें से कुछेक तो जाली थीं। उन सोसाइटियोंमें कुछ मैनेजर तथा एजेंट तो ऐसे थे जिनकी कानून-भंगके मामलेमें पुलिसको 'तलाश' थी। सरदार वल्लभभाईने इन सोसाइटियों और उनकी गतिविधियोंको पकड़ लिया था। उन्होंने यह भी देखा कि ये बेईमान एजेंट भोली-भाली जनताको उल्लू बना रहे हैं। यह बीमारी गुजरातमें फैल रही थी। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि कांग्रेस कमेटियाँ इन छुट-पुट संस्थाओंकी जाँच-पड़ताल करें और जनताको उनके प्रति आगाह करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि जरूरत पड़नेपर वे पुलिसकी मदद लेनेमें हिचकिचाएँ नहीं। अन्ततः सरदारके प्रयत्नोंके फलस्वरूप एक निगरानी समितिकी स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष श्रीयुत ठाकोरलाल पी० ठाकोर तथा सचिव श्रीयुत नन्दलाल शाह थे और मुख्य कार्यालय धना सुतारकी पोल, अहमदाबाद था। इस कमेटीने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि उचित समयपर इन संस्थाओंकी कार्रवाइयोंका भण्डा फोड़नेके लिए साहसिक कदम नहीं उठाये गये तो उसके परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना है। श्रीयुत जमशेद मेहताकी राय यह है कि यदि इनकी कार्रवाइयोंको समय रहते नहीं रोका गया, तो बहुत सम्भव है कि गरीब लोगोंको लगभग एक करोड़ रुपयेसे हाथ धोने पड़ें। कमेटीने यह भी बताया है कि विशिष्ट कांग्रेसियोंने बिना सोचे-समझे अपने नाम इन कम्पनियोंके डायरेक्टर-पदके लिए दे दिये हैं, इसलिए जनता कांग्रेसियोंको डायरेक्टर देखकर इन कम्पनियोंमें विश्वास कर लेती है और उनके चंगुलमें फँस जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि सभी कम्पनियाँ धोखेबाज ही हैं, बल्कि कमेटीका ऐसा विचार है कि इनमें से अधिकांश गलत ढंगसे व्यापार चला रही थीं। यह दिखलानेके लिए कि इन कम्पनियों और सोसाइटियोंने जो वादे किये हैं वे किसी भी हदतक पूरे नहीं किये जा सकते, उन्होंने अपने निर्णयकी पुष्टिमें प्रसिद्ध अधिकारियोंका दृष्टांत दिया था।

२५ वर्ष पहले यह आर्थिक महामारी — यह महामारीसे कम नहीं थीं — फैली थी। यह खत्म तो हो गई, लेकिन अपने पीछे बहुतसे उजड़े हुए घर छोड़ गई। लोगोंको इसकी याद अभी ताजा है। केवल एक ही पीढ़ी बीती है, और यह बीमारी अपने जहरीले रूपमें फिर फैल गई है। भारतमें ऐसी लगभग १०० सोसाइटियाँ हैं जिनमें से लगभग ४० गुजरातमें हैं। इन सोसाइटियोंसे अपने कारोबारको बन्द कर देनेकी आशा रखना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम-से-कम इतनी आशा तो की जा सकती है कि असंख्य कांग्रेस कमेटियाँ वर्तमान स्थितिको समझ लेंगी और तदनुसार जनताको निर्देश देंगी। पूछताछ करनेवालोंको कमेटी सहर्ष जानकारी देगी। यह इसका खास काम है।

पंजाबमें नमककी रियायत

पंजाबमें नमककी रियायतकी वापसीके सिलसिलेमें मियाँवालीसे एक सज्जन लिखते हैं :[1]

> **मियाँवाली जिलेकी कालाबाग खानोंके पाससे नमक इकट्ठा करनेके सम्बन्धमें आपकी टिप्पणी[2] पढ़कर मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि जिस सूचनाके आधारपर टिप्पणी लिखी गई है, वह सम्पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि वहाँकी वस्तुस्थितिका अतिशयोक्तिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। हकीकत इस प्रकार है :**
>
> **दिल्लीके समझौतेके अनुसार लोगोंको नमक इकट्ठा करनेकी इजाजत कालाबागके आसपास रहनेवाली जनतासे काफी लम्बे अर्सेतक गुप्त रखी गई, और लोगोंके असन्तोष प्रकट करनेपर ही उन्हें वह हुक्म बताया गया और उन्हें नमक इकट्ठा करनेकी इजाजत दी गई। इस इजाजतका अमल सिर्फ पाँच या छः दिन तक ही हुआ। इस अर्सेमें आसपासके लोगोंने कुछ नमक बटोरा। यहाँ मैं स्पष्ट ही कबूल करूँगा कि मात्र अज्ञानके कारण कुछ लोगोंने अपनी आवश्यकतासे, और समझौतेकी शर्तके अनुसार उन्हें जितना बटोरना चाहिए था उससे, अधिक नमक बटोर लिया; लेकिन ऐसे उदाहरणोंकी संख्या बहुत ही कम थी, और लोगोंको सीधे-सादे शब्दोंमें यह चेतावनी दे देने या ढिंढोरा पीट कर ऐलान कर देनेसे इसका इलाज हो सकता था, कि समझौतेके अनुसार जितना नमक वे बटोर सकते हैं उससे अधिक बटोरनेका उन्हें अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे आपको यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि सरकारी अधिकारियोंने इस मामलेमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि फौरन ही ढिंढोरा पिटवा कर ऐलान करवा दिया कि नमक बटोरनेवालोंपर मुकदमा चलाया जायेगा। नतीजा यह हुआ कि लोगोंने उसी दम नमक बटोरना बन्द कर दिया। . . .**

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", १६-७-१९३१ का उपशीर्षक "नमककी रियायत"।

ऐसी परिस्थितिमें इलाकेवालोंकी तरफसे मैं आपसे यह अर्ज करूँगा कि आप उनकी मदद कीजिए।

अगर पत्र-लेखकका उक्त बयान हकीकतन सही है, तो स्पष्ट ही इस मामलेमें इन्साफ होना चाहिए। मैं भारत सरकारके सामने इस मामलेको सहर्ष उपस्थित करूँगा।

सच्चा संरक्षण

४ जुलाईके 'स्पेक्टेटर' में "भारत और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल" शीर्षकसे एक युक्तियुक्त सम्पादकीय लेख छपा है। लेखका उपशीर्षक "सच्चा संरक्षण" है। उसका अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार है:

जिस भावसे प्रेरित होकर हमने ये पंक्तियाँ शुरू कीं, उसीसे हम इन्हें समाप्त करेंगे। भारतवर्षके लोगोंका सद्भाव और उनकी मित्रता प्राप्त कीजिए, और केवल इसीका विचार कीजिए कि हमारी रायमें भारत जिस उज्ज्वल भविष्यका अधिकारी है, उसको साकार करनेमें, हम उसकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? इस प्रकार हम अपने लिए एक ऐसा संरक्षण पैदा कर लेंगे, जिसे नष्ट करनेमें तमाम फूट पैदा करनेवाले असमर्थ रहेंगे। यह बड़े साहसकी नीति है, और इसके लिए ऐसे दूरन्देश आदमियोंकी जरूरत है, जो इसे अन्ततक निबाह ले जायें। क्या ग्रेट ब्रिटेनमें आज ऐसे लोग काफी हैं?

मैं इस प्रश्नको बदल कर यह पूछूँगा: "क्या आज भारतवर्षमें ऐसे सरकारी अधिकारी काफी तादादमें हैं, जिनमें भारतवासियोंकी मित्रता और उनका सद्भाव प्राप्त करनेकी काफी दूरन्देशी हो?" मैं जानता हूँ कि सम्पादकजीने 'पीपुल्स' (लोगों) शब्दका प्रयोग किया है। लेकिन हालाँकि हम आपसमें लड़ते और एक दूसरेका गला काटते हैं, हमारी अनेक भाषाएँ और उनसे भी ज्यादा असंख्य बोलियाँ हैं, तो भी भौगोलिक दृष्टिसे भारतवर्ष एक है और हमारी कौमियत भी एक है, एक चली आई है। एक ही भाषा-भाषी लोग अबसे पहले भी भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयतावाले रहे हैं, और जो आपसमें कुत्तोंकी तरह लड़े हैं, वे भी एक ही राष्ट्रके रहनेवाले थे। हकीकत यह है कि भाषाकी एकता और गृहकलहका अभाव राष्ट्रीयताकी अनिवार्य कसौटी नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६३. विश्वासघात[1]

बम्बई प्रदेशके स्थानापन्न गवर्नर सर हॉटसनकी हत्याका जो प्रयत्न किया गया, उसका सबसे बुरा पहलू यह था कि वह कृत्य उस कालेजके छात्रने किया जिसने गवर्नर महोदयको निमन्त्रित किया था और वह भी ऐसे समय जबकि सम्माननीय अतिथिको कालेज-भवन दिखाया जा रहा था। यह तो ऐसी ही बात हुई मानों एक मेजबान अपने मेहमान पर अपने ही मकानमें वार कर रहा हो। जगतका प्रामाणिक सिद्धान्त तो यह है कि घोरसे घोर शत्रुको भी, जब वह किसीके घर पर अतिथि हो, हक है कि उसे हर प्रकारकी हानिसे बचाया जाये। इसलिए इस विद्यार्थीका कृत्य दरअसल विश्वासघात था और उसके पक्षमें एक भी बात नहीं थी।

स्थानापन्न गवर्नरको तो भगवानने ही बचाया और यह भारतके लिए और खास तौर पर विद्यार्थी-जगतके लिए सौभाग्यकी बात थी। मैं सर अर्नेस्ट हॉटसन और राष्ट्र दोनोंको बधाई देता हूँ।

अच्छा हो कि हिंसामें विश्वास करनेवाले इस सुखान्त दुर्घटनासे सबक लें— सुखान्त इसलिए कि हत्यारेके सिवा और किसीको नुकसान नहीं पहुँचा है।

क्या उसे दुःख हुआ है, या हो रहा है? या वह इस भ्रममें है कि वह एक राष्ट्रीय वीर है? यह घटना विद्यार्थियोंके लिए चेतावनी होनी चाहिए। आखिर तो स्कूल या कालेज ऐसा पवित्र स्थान होता है, जहाँ कोई निंद्य या अपवित्र बात नहीं होनी चाहिए। स्कूल-कालेज चरित्र-निर्माणकी जगहें हैं। माता-पिता अपने लड़के-लड़कियोंको वहाँ इसलिए भेजते हैं कि वे अच्छे स्त्री-पुरुष बन जायें। देशके लिए वह बुरा दिन होगा जब हर विद्यार्थीपर यह शक किया जायेगा कि वह किसी भी प्रकारका विश्वासघात कर सकनेवाला भावी हत्यारा है।

भगतसिंहकी पूजासे देशकी अपार हानि हुई है और हो रही है। मैंने भगतसिंह-के चरित्रके बारेमें विश्वस्त सूत्रोंसे इतनी अधिक बातें सुनी थीं और मृत्युदण्डको कम करानेके जो प्रयत्न किये जा रहे थे उनके साथ मेरा इतना गहरा सम्बन्ध था कि मैं उनके असरमें बह गया; और कराचीमें जो सावधानीपूर्ण और सन्तुलित प्रस्ताव पास किया गया[2] उससे मैं पूरी तरह सहमत रहा। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि उस सावधानीकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। उस कृत्यकी इस तरह पूजा की जा रही है मानो वह अनुकरणीय हो। नतीजा यह हो रहा है कि जहाँ कहीं यह अन्ध पूजा की जा रही है, वहाँ गुंडागर्दी और पतन फैल रहा है।

देशमें कांग्रेस एक ताकत है। परन्तु मैं कांग्रेसियोंको चेतावनी देता हूँ कि यदि वे देशके विश्वासके साथ घात करेंगे और मन, वचन, या कर्मसे किसी भी तरह भगतसिंह जैसी आतंकवादी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देंगे, तो कांग्रेसका सारा जादू शीघ्र

१. देखिए "पागलपन", २६-७-१९३१ भी।

२. देखिए खण्ड ४५, "प्रस्ताव : भगतसिंह और उनके साथियोंके सम्बन्धमें", पृष्ठ ३८५।

ही नष्ट हो जायेगा। यदि बहुमतका कांग्रेसकी अहिंसा और सत्यकी नीतिमें विश्वास नहीं है, तो वे इस प्रथम नियमको बदलवा लें। हमें नीति और धर्मका भेद समझ लेना चाहिए। नीति बदली जा सकती है, धर्म नहीं बदला जा सकता। परन्तु जबतक दोनोंमें से कोई भी माना जाये तबतक दोनों ही समान हैं। इसलिए जो अहिंसाको केवल नीति मानते हैं, वे यदि कांग्रेसकी सदस्यताको हिंसाके लिए आड़ ही समझेंगे, तो उनपर बेईमानीका इलजाम लगाया जा सकेगा। मेरा यह विश्वास मिट नहीं सकता कि स्वराज्यकी दिशामें प्रगति करनेमें सबसे बड़ी बाधा अपनी नीतिमें हमारी श्रद्धाकी कमी है। हत्याके प्रयत्नकी इस सौभाग्यपूर्ण निष्फलतासे हमारी आँखें खुलनी चाहिए।

परन्तु कुछ जल्दबाज नौजवान या प्रौढ़ लोग भी यह दलील देंगे कि "गवर्नरके काले कारनामे तो देखिए। क्या हत्यारा स्वयं नहीं कहता कि मैंने गोली इसलिए चलाई कि शोलापुरकी करतूतें ऐसी ही थीं और वह एक भारतीयको धकेलकर स्थानापन्न गवर्नर बन गया था?" मेरा जवाब यह है कि जब हमने १९२० में कांग्रेसकी नीति अहिंसा और सत्यकी तय की, तब हमें ये सब बातें मालूम थीं। उस समय उन करतूतोंसे भी, जिनका सर अर्नेस्ट हॉटसनसे तो ताल्लुक बताया जाता है, ज्यादा काली करतूतें हमारी जानकारीमें थीं। १९२० में कांग्रेस जान-बूझकर और पूरी बहसके बाद इस परिणामपर पहुँची थी कि सरकारके बुरे और हिंसापूर्ण कृत्योंका उत्तर यह नहीं है कि हम उससे ज्यादा हिंसा करें, प्रत्युत यह अधिक लाभदायक है कि हम हिंसाका जवाब अहिंसासे और दुष्टताका जवाब सचाईसे दें। कांग्रेसने यह भी देख लिया कि बुरे-से-बुरे शासक भी स्वभावतः बुरे नहीं होते, मगर वे उस प्रणालीके परिणाम हैं जिसके वे इच्छासे या अनिच्छासे शिकार होते हैं। हमने यह भी देखा कि प्रणाली हममें से अच्छे-से-अच्छोंको भी बिगाड़ देती है। और इसलिए हमने अहिंसक कार्रवाईकी एक ऐसी नीतिका विकास किया जिससे वह प्रणाली नष्ट हो जाये। दस वर्षके अनुभवने दिखा दिया है कि अहिंसा और सत्यकी नीति आधे मनसे चलनेपर भी चमत्कारी ढंगसे उपयोगी सिद्ध हुई है और हमारी नाव किनारेके बहुत निकट आ पहुँची है। सर अर्नेस्ट हॉटसनकी कारगुजारी कितनी ही खराब हो, तो भी वह सर्वथा अप्रासंगिक है और उससे हत्याके प्रयत्न और विश्वासघातके दोहरे जुर्ममें कोई कमी नहीं आती, उसे दरगुजर करना तो दूर की बात है। कुछ विद्यार्थियों द्वारा विरोधी प्रदर्शन किये जानेके समाचारोंसे तो एक भद्दी घटना और भी भद्दी हो गई है। मुझे आशा है कि भारत-भरके विद्यार्थी और शिक्षक जल्दी ही गम्भीरतापूर्वक चेतेंगे और शिक्षा-संस्थाओंका वातावरण ठीक कर लेंगे। और मेरी रायमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके आगामी अधिवेशनका अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इस विश्वासघात-पूर्ण दुष्कृत्यकी निन्दा और अपनी नीतिकी पुनर्घोषणा असंदिग्ध शब्दोंमें करे।

एक शब्द सरकार और प्रशासकोंसे भी कहूँगा। बदलेकी कार्रवाई और दमनसे काम नहीं चलेगा। ये छिटपुट हिंसात्मक विस्फोट लक्षण मात्र हैं। जो लोग अपराधके सीधे दोषी हैं उन्हें तो वे सजा दें। लेकिन इस रोगका निवारण रोगका कारण दूर

करनेसे ही हो सकता है। यदि उनके अन्दर इस कारणको दूर करनेकी इच्छा या साहस नहीं है, तो उन्हें इसे राष्ट्रके हाथोंमें छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र बदले और दमनके तरीकोंको अस्वीकार करके आगे बढ़ चुका है। वह अपने कार्यकर्त्ताओंमें हिंसाकी प्रवृत्तिसे स्वयं अपने तरीकेसे निपट लेगा। सामान्य कानूनकी दृष्टिसे जितना आवश्यक है, सरकार यदि उससे ज्यादा सख्त कार्रवाइयाँ करेगी तो उससे यह पागलपनकी बीमारी और तीव्र ही होगी, और अहिंसामें विश्वास करनेवालोंका काम आजकी अपेक्षा और ज्यादा कठिन हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६४. कपड़ेके व्यापारी और खादी

जबकि मिल-मालिकोंने एक हदतक खादीके साथ अनुचित स्पर्धा करनी बन्द कर दी है, कपड़ेके व्यापारी कांग्रेसकी इस अपीलपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वे नकली खादीको शुद्ध खादीके नामसे बेचकर असली खादीको नुकसान न पहुँचाएँ। सूरतकी एक आढ़तने तो अभी उस दिन बम्बईके एक खादी भण्डारको नकली खादीके नमूने भेजने तककी धृष्टता की है। उसका एक नमूना मेरे सामने पड़ा है। स्पष्ट ही वह मिलकी खादी है, परन्तु लोगोंके हाथ शुद्ध खादीके रूपमें बेची जाती है। ऐसा अप्रामाणिक और देशघाती व्यवसाय करनेवाली इस आढ़तका नाम भी मुझे पता चला है। परन्तु अभी मैं सर्वसाधारणके सामने उसका नाम प्रकट करना नहीं चाहता। इसका उपाय खादी खरीदनेवालोंके हाथोंमें ही मौजूद है — और वह यह कि वे ऐसी खादी न खरीदें जिसपर अखिल भारतीय चरखा संघकी मुहर न हो, और दूसरा यह कि केवल उसी दुकानसे, जहाँ ऐसी दुकान हो, खादी खरीदें, जो चरखा संघ द्वारा प्रमाणित हो। होशियार खरीदारोंको नकली और असली खादीके पह-चाननेमें वस्तुतः कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६५. लंकाशायर बनाम जापान

श्रीयुत एच० पी० मोदी लिखते हैं:[१]

गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए जब आप इंग्लैंड जायेंगे तो लंकाशायर भी जायेंगे, इस अफवाहके सम्बन्धमें आपने जो छोटी-सी घोषणा की है मैंने उसे बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ा है।[२] आशा है आप ऐसा करेंगे और ब्रिटिश निर्माताओंको अपनी और कांग्रेसकी स्थितिको समझनेका अवसर देंगे। इस बारेमें मेरा विचार तो यह है कि जहाँ यह बात राष्ट्रीय महत्त्वकी है कि भारतकी जनताकी आवश्यकताओंको देशमें तैयार कपड़ोंसे पूरा किया जाये, वहीं विदेशी वस्त्रोंको उस समयतक बन्द नहीं किया जा सकता जबतक भारतकी उत्पादन क्षमतामें काफी वृद्धि न हो जाये। . . . तब समस्या देशी उद्योगके विस्तारके उपाय और साधन ढूँढ़नेकी बचती है। इस विस्तारके मार्गमें एक सबसे बड़ी बाधा है जापानकी सुसंगठित प्रतियोगिता जिसका सामना देशी उद्योग कर रहा है। . . . ऐसा हो सकता है कि . . . भारतकी होड़ लेनेकी क्षमता बढ़कर इतनी अधिक हो जाये कि उसकी सुरक्षाके लिए विशेष उपायोंकी आवश्यकता न रह जाये। लेकिन जबतक वह स्थिति नहीं आ जाती तबतक भारतको कठोर सीमा-शुल्क लगानेकी नीति बरतनी चाहिए। . . .

. . . और अगर मैं आपकी हालकी घोषणाका ठीक अर्थ समझता हूँ तो आपका दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है कि अगर आपका वश चले तो लंकाशायरका बना अथवा और किसी भी अन्य देशका बना एक गज कपड़ा तक आप इस देशमें नहीं आने देंगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियोंमें जापानी प्रतियोगिताका मुकाबला करनेके लिए यदि कुछ विशेष कदम उठाने जरूरी हुए, जिनके फलस्वरूप लंकाशायरको जापानके मुकाबले ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाये, तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। क्या आप कृपा कर यह बतायेंगे कि मैं आपकी बातको ठीक-ठीक समझ पाया हूँ अथवा नहीं?

मेरी स्थिति तो स्पष्ट है।

१. अगर मेरा वश चले तो अन्य सभी प्रकारके कपड़ोंका, यहाँतक कि देशी मिलोंमें तैयार कपड़ोंका भी, इस्तेमाल नहीं होगा और भारतमें लोग केवल खादीकी पोशाक ही पहनेंगे।

१. कुछ अंश ही दिये गये हैं।

२. देखिए "भेंट: **पायनियर** के प्रतिनिधिसे", २१-७-१९३१।

२. जबतक भारत अपनी जरूरत-भरकी खादी तैयार करनेको अनिच्छुक है (असमर्थताका तो सवाल ही नहीं उठता) तबतक मैं देशी मिलोंमें तैयार कपड़ोंसे बाकीकी आवश्यकताको पूरा करनेकी इजाजत दे दूँगा।

३. विदेशी कपड़ोंपर इसलिए धरना दिया जा रहा है, क्योंकि विदेशी वस्त्र खादी और देशी मिलोंमें तैयार कपड़े, दोनोंसे होड़ लेते हैं। अमुक देशोंमें तैयार कपड़ा ईमानदारीके साथ तैयार किया गया है और ईमानदारीके साथ यहाँ लाया गया है अथवा नहीं, इस दृष्टिसे प्रतियोगिता शुद्ध है अथवा नहीं, यह सवाल अप्रासंगिक है।

४. अगर कोई प्रतियोगिता नहीं हुई और अगर यह बात जाहिर हुई कि कुछ विदेशी कपड़ोंको मँगाना ही होगा, और यदि भारतकी स्वतन्त्रताके बाद इंग्लैंडसे उसकी साझेदारी रही, तो मैं अन्य सभी देशोंके मुकाबलेमें इंग्लैंडको प्राथमिकता दूँगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब भारत स्वतन्त्र होगा तब थोड़े ही समयमें वह अपनी जरूरत-भरकी काफी खादी तैयार कर लेगा, और संक्रमणकालमें कपड़ेकी कमीकी पूर्ति स्वदेशी मिलके कपड़ेसे की जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६६. हम आज क्या कर सकते हैं

कराची कांग्रेसके मौलिक अधिकार-सम्बन्धी जिस प्रस्तावकी इतनी आलोचना हुई है, उसमें बीस मुद्दे हैं। पहले मुद्देकी नौ उप-धाराएँ हैं। इस सीधे-सादे प्रस्तावपर मैंने अभी एक नजर डाली और उसके सम्बन्धमें मुझे जो एक आश्चर्यजनक बात मालूम हुई, उसे मैं पाठकोंके सामने रख देनेके लिए आतुर हूँ। मैं देखता हूँ कि इन बीसमें से पन्द्रह मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें हम कम या ज्यादा आज ही पूरी तरह अमलमें ला सकते हैं और पहले मुद्देकी पाँच उप-धाराएँ भी इसी तरहकी समझी जा सकती हैं। पाठकोंकी सुविधाके लिए वे नीचे दी जाती हैं:[1]

जिन अधिकारोंको[2] यहाँ छोड़ दिया गया है उनका सम्बन्ध ऐसी वस्तुओंसे है, जिन्हें सिर्फ विधानसभा ही कर सकती है। वे इस प्रकार हैं:

सभा और संगठनकी स्वतन्त्रता;

भाषण और प्रेसकी स्वतन्त्रता;

शस्त्र धारण करनेका अधिकार;

व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और सम्पत्तिके स्वामित्वका अधिकार, जिसमें शासनका कोई हस्तक्षेप न हो;

१. प्रस्ताव यहाँ नहीं दिया गया है। धाराएँ १ (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), ३ से १२, १४ से १६ तथा २०; देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३९२–३ भी।

२. धारा १ की उप-धाराएँ (क), (ख), (ज) और (झ) तथा धाराएँ २, १३, १७, १८।

सरकारकी धर्म-निरपेक्षता;
नमक-कर रद करना;
जनताके हितके लिए मुद्रा-नियन्त्रण;
मुख्य उद्योगों आदिपर अधिकार।

पाठक देखेंगे कि जो मुद्दे हम आज सरकारकी मददके बिना अमलमें ला सकते हैं, उनकी अपेक्षा ये अन्तिम मुद्दे वस्तुतः कम महत्त्वके हैं। आगे यह भी मालूम होगा कि यदि हम पहली सूचीमें कही हुई बातें पूरी करनेमें सफल हो जायें, तो दूसरी सूचीमें कही गई बातें अपने-आप ही होने लगेंगी। दूसरे शब्दोंमें, शासनपर राष्ट्रका अधिकार ज्यादातर हमींपर निर्भर है। इसके विपरीत यदि हम जो काम हमें आज करने चाहिए, वे न करें तो जब सत्ता हमारे हाथमें आयेगी, तब हम उन कामोंके लिए तैयार दिखाई न देंगे। इस प्रकार यदि हम एक दूसरेके धर्मोंका आदर न करें, स्त्रियोंके साथ पूर्ण सामनताका बरताव न करें, अस्पृश्यता-निवारण न करें, गाँवोंमें जगह-जगह निःशुल्क प्राथमिक शालाएँ न खोलें, कांग्रेस मताधिकारका, जो कि व्यवहारतः वयस्क मताधिकार है, ईमानदारीके साथ पालन न करायें, मजदूरोंके साथ समुचित व्यवहार न करें, बच्चोंको कारखानोंमें मजदूरी करनेसे न बचायें, मजदूर संघोंको प्रोत्साहन न दें, लगान कम न करें, अपनी आयका एक निश्चित अंश राष्ट्रीय कार्योंके लिए न दें, स्वेच्छापूर्वक अपना वेतन कम न करें, या अपनी कमसे-कम आवश्यकता पूरी करनेके बाद बची हुई रकम राष्ट्रीय कार्यके लिए अलग न रख दें, विदेशी वस्त्र और शराबका त्याग न करें, और ब्याजकी भारी दरें, जो प्रतिष्ठित लोग भी वसूल करते हैं, कम न करें, तो मेरी भविष्यवाणी है कि सरकार अनिच्छुक जनतापर ये सुधार थोपनेमें समर्थ नहीं होगी। एक लोकप्रिय सरकार लोकमतकी अवहेलना करके कोई काम नहीं कर सकती। यदि वह उसके विरुद्ध जायेगी, तो उसका विनाश हो जायेगा। अनुशासित और विवेकयुक्त प्रजातन्त्र संसारकी सुन्दरतम वस्तुओंमें से एक है। दूषित भावना, अज्ञान और अन्धविश्वाससे युक्त प्रजातन्त्र स्वयं अशान्ति और अव्यवस्थामें परिणत हो जायेगा। मौलिक अधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव असामयिक नहीं है। यदि राष्ट्र सुव्यवस्थित स्वराज्यके लिए तैयार है, जैसाकि मैं मानता हूँ कि वह तैयार है, तो यह प्रस्ताव उतना भयानक नहीं है, जितना कि दिखाई देता है। इसलिए प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री-पुरुषको चाहिए कि वह अपने लिए पहली सूचीमें बताये गये मुद्दोंके अनुकूल कोई कार्यक्रम निश्चित कर ले। उक्त सूचीको देखकर हमें घबरा जानेकी जरूरत नहीं है। हरएक स्त्री-पुरुष अपने लिए कोई भी एक मुद्दा और कार्य-क्षेत्र, जिसके लिए वह सर्वथा उपयुक्त हो, चुन ले। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि इन मुद्दोंके पूरे अमलके लिए पूँजीपतियों, जमींदारों और ऐसे ही दूसरे लोगोंके सहयोगकी आवश्यकता है। यदि शुरुआत अच्छी हुई तो ये सब अपने-आप कन्धे-से-कन्धा मिलानेको तैयार हो जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-७-१९३१

२६७. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

बोरसद
३० जुलाई, १९३१

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

आठको नहीं जा रहा हूँ। अगर गया ही तो 'मुल्तान'[1] से जा रहा हूँ।

गांधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३२३४) से; सौजन्य : महेश पट्टणी। जी० एन० ५९१९ से भी।

२६८. पत्र : कुसुम देसाईको

बोरसद
३० जुलाई, १९३१

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला। मैं कैसा बावला बन गया था। तेरे पिछले पत्रके जवाबमें ही वह कार्ड था, परन्तु तूने जो माँगा था वह स्पष्टीकरण मैं न दे सका। उन भाईके साथ क्या बात हुई थी यह तो याद नहीं, परन्तु मेरे पत्र उनके हाथमें आये हों और कुछ प्रकाशित करने योग्य हों तो भले ही करें, ऐसा मैंने कहा होगा। तेरी इच्छा उन्हें कुछ देनेकी हो और तू उन्हें जानती हो तो देना। मैं कल सबेरे अहमदाबाद पहुँचूँगा। ३ तारीखको वहाँसे बम्बईके लिए रवाना होऊँगा। तुझे आना हो तो आ जाना। मैं स्वयं तो विद्यापीठमें रहूँगा। बम्बई आना हो तो बम्बई आ जाना। डाहीबहनसे कहना कि उसका पत्र मिल गया। दाँतोंके साफ होनेपर उसे अपने दिये हुए वचनका पालन करना चाहिए। विलायतका कुछ भी तय नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८२५) से।

१. एस० एस० "मुल्तान" नामक जहाज।

२६९. पत्र : नारणदास गांधीको

३१ जुलाई, १९३१

चि० नारणदास,

मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं वहाँ आऊँगा और आकर अमतुलको ले जाऊँगा। महावीरको देखनेके लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। लेकिन मुझे अब 'नवजीवन' के लेखोंको पूरा कर ही देना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

२७०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

३१ जुलाई, १९३१

बोरसद और बारडोलीकी स्थितिके बारेमें पूछे जानेपर श्री गांधीने कहा :

बोरसदका जहाँतक सम्बन्ध है, मेरी और कलेक्टरकी लम्बी बातचीतके बाद हम लोगोंने आपसमें पत्र-व्यवहार किया है, लेकिन इसको प्रकाशित करनेमें मैं असमर्थ हूँ। तथापि मैं आशा करता हूँ कि अगर सभी नहीं तो ज्यादातर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उचित और संतोषजनक ढंगसे हल हो जायेंगे। जहाँतक बारडोलीका सवाल है, कलेक्टरसे पत्र-व्यवहार अभी चल रहा है, लेकिन अन्तिम परिणामके बारेमें मैं नाउम्मीद नहीं हूँ।

यह पूछे जानेपर कि समाचारपत्रोंमें छपी यह रिपोर्ट क्या सच है कि संयुक्त प्रान्तकी स्थितिके कारण गोलमेज सम्मेलनमें गांधीजीके भाग लेनेमें कोई बाधा पड़नेकी सम्भावना नहीं है, श्री गांधीने कहा :

मैं आशा करता हूँ कि संयुक्तप्रान्तकी स्थितिके बारेमें समाचारपत्रोंकी रिपोर्ट ठीक होगी। पण्डित जवाहरलाल नेहरूसे सीधे अभीतक मैंने कुछ नहीं सुना है।

यह पूछे जानेपर कि क्या आपका गोलमेज सम्मेलनमें जाना अब किसी कदर निश्चित हो गया है, श्री गांधीने कहा :

यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी भरसक कोशिश कर रहा हूँ।

'मैनचेस्टर गार्जियन' में छपे एक लेख, जिसका सारांश समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ था, के बारेमें उनके विचार पूछनेपर श्री गांधीने कहा :

'मैनचेस्टर गार्जियन' में छपे लेखका समाचार-पत्रमें छपा सारांश मैंने देखा है। उसमें जो कहा गया है उसकी बहुत-सी बातोंका मैं उत्तर दे सकता हूँ। तथापि पिछला अनुभव यह कहता है कि सार-संक्षेपको पूरे विवरण जैसा नहीं मानना चाहिए। इतनी सावधानी बरतनेके बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लन्दन गया ही तो 'मैनचेस्टर गार्जियन' की आशाके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। मेरा अपना जहाँतक सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि क्षतिपूर्तिके रूपमें विदेशी कपड़ेके आयातपर प्रतिबन्ध नहीं है और न हो सकता है। ब्रिटिश कपड़ेपर बारम्बार जोर दिया जाना मैं नापसन्द करता हूँ। ब्रिटिश कपड़ेपर आपत्ति इसलिए नहीं है कि वह ब्रिटिश है। हमारे आक्रमणका लक्ष्य तो विदेशी कपड़ा है, और यदि यह आक्रमण और अधिक सफल हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान जापानको पहुँचेगा, लंकाशायरको नहीं।

यह पूछे जानेपर कि उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें उन्होंने स्वयं न जाकर अपने लड़के देवदास गांधीको क्यों भेजा, जबकि लोग उन्हें बुलाना चाहते थे, गांधीजीने कहा :

उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्तमें मैं खुद इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं सरकारको हर सम्भव परेशानीसे बचाना चाहता हूँ।

यह पूछे जानेपर कि कलकत्तामें जिला और सेशन जज श्री गारलिककी हालमें हुई हत्याके सम्बन्धमें क्या वे कोई वक्तव्य देना चाहते हैं, श्री गांधीने कहा :

बम्बईमें कार्यवाहक गवर्नरकी हत्याके प्रयासके तुरन्त बाद ही होनेवाली इस हत्यासे लोगोंमें जो खलबली और रोष पैदा हुआ है वह स्वाभाविक ही है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें स्थितिपर विचार किया जायेगा। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि ऐसी हर हत्या देशकी स्वतन्त्रताके प्रयासके लिए बेहद घातक है। मेरी कामना है कि हिंसाके पागलपन भरे तरीकोंको अपनानेवाले नवयुवक अपने पागलपनके कृत्योंके गम्भीर और शरारत भरे परिणामोंको समझेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३१-७-१९३१

२७१. पत्र : रमाबहन जोशीको

[जुलाई][१] १९३१

चि० रमा,

तुम्हारा पत्र मिला। कोई व्यक्ति किसीसे यह नहीं कह सकता कि 'पालनपुर जा अथवा पोरबन्दर चला जा', लेकिन यदि प्रेमाबहनने ऐसा कहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका तो क्रोधी स्वभाव है। उसमें वह जो बोलती है उसे गम्भीरतासे नहीं लिया जाना चाहिए। आश्रममें हम सब एक समान हैं। कोई व्यक्ति किसीको इस तरह निकाल नहीं सकता। बालकोंसे ऐसा कहना उनके आगे बुरा उदाहरण पेश करना है। लेकिन ऐसी बातोंका बुरा नहीं मानना चाहिए, अपितु प्रेमके द्वारा उन्हें हल करनेकी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें प्रेमाके साथ बात करनी चाहिए। मैं तो साप्ताहिक पत्रमें इसे बादमें लिखूँगा ही। यह तो मैंने तुम्हारे दुःखको हलका करनेके लिए लिखा है। जोशीकी खबर देना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३२९) से; **बापुना पत्रो – ७ : श्री छगनलाल जोशीने** से भी।

२७२. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

अहमदाबाद
१ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

पठान अब्दुल गफ्फार खाँ और उसके लड़केके मामलोंके बारेमें मुझे आपका पिछली २८ तारीखका पत्र मिला, धन्यवाद। आपने जो सूचना मुझे दी है वह हालाँकि बहुत शिक्षाप्रद है तथापि सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें जब उन्होंने सक्रिय रूपसे भाग लिया, उसके बाद ही उनके काले कारनामोंका पता चला, इस बातसे मनमें थोड़ी शंका पैदा होती है। उन्होंने जो भाग अदा किया उसके लिए उन्हें पैसा मिला या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपको यह जानकारी भी दिलचस्प लगेगी कि जिन लोगोंका इतिहास इनसे भी ज्यादा काला है, वे भी इस समय

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

सरकारी नौकरीमें हैं, और जिला अधिकारियोंने मुझे काफी स्पष्ट रूपसे बताया है कि हालाँकि वे जानते हैं कि इन लोगोंका ऐसा इतिहास है, फिर भी उन्होंने नाजुक वक्तमें अधिकारियोंकी जो मदद की है, उसे सरकार नजरअन्दाज नहीं कर सकती। इस फैसलेके पीछे जो तर्क है वह भी मैं नहीं समझ पाता। यदि ये व्यक्ति इतने खतरनाक हैं तो क्या बम्बईसे बाहर वे खतरनाक नहीं रह जायेंगे? आखिरकार वे ब्रिटिश-शासित क्षेत्रमें हैं। उन्हें ब्रिटिश सीमासे बाहर नहीं किया गया है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४१६) से।

२७३. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

अहमदाबाद
१ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

इसके साथ मैं श्रीयुत महादेव देसाई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भेज रहा हूँ जो रासके खातेदारोंकी स्थितिके सम्बन्धमें आपके लिए तैयार की गई इकतर्फा रिपोर्टके बारेमें है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित तरीकेसे तैयार की गई है। मैंने खातेदारोंसे मिलनेके लिए श्रीयुत रविशंकरके साथ श्रीयुत छगनलाल जोशीको रास भेजा था। ये लोग लगभग सारा दिन वहाँ रहे। अपनी बातचीतका परिणाम उन्होंने श्रीयुत महादेव देसाईको बताया जिन्होंने रासके मामलेकी पहले सुविस्तृत जाँच की थी और विवरण तैयार किया था जिसका सार श्री पेरीको दिया गया था। श्री पेरीसे बातचीतके बाद दूसरी सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इस बीच समझौता हो जानेके कारण उन्हें यह रिपोर्ट देनेकी जरूरत नहीं रह गई थी। उस रिपोर्टमें, जिसे वर्तमान रिपोर्टके साथ संलग्न किया जा रहा है, खातेदारोंकी फसलोंके सम्बन्धमें विचार किया गया था। अब जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वह उक्त रिपोर्टोंको ध्यानमें रख कर ही तैयार हुई है।

आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्टकी अनुसूची 'च' सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें १२६ खातेदारोंकी स्थिति जाँची गई है। जो रिपोर्ट मैं भेज रहा हूँ उसका संलग्नक अनुसूची 'च'का सही-सही उत्तर है। अन्य अनुसूचियोंमें केवल ६६ खातेदारोंका विवरण है। संलग्न रिपोर्ट इसी सम्बन्धमें है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी प्रश्नोंका निर्णयात्मक उत्तर दिया गया है। इन परिस्थितियोंमें, खातेदारोंको और अधिक देनेके लिए कहनेको मेरा मन नहीं करता। जैसाकि मैंने आपसे कहा था, ५०० रुपये निकालनेमें भी मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ा था। कारण यह है कि सभी लोग मानते हैं कि रासके खातेदारोंने सर्वाधिक नुकसान उठाया है। परन्तु जैसाकि मैंने आपसे पहले कहा था, इसका यह मतलब नहीं कि खातेदारोंकी

साख ही नहीं रही; बल्कि इसके विपरीत उनकी साख तो पहलेके मुकाबलेमें ज्यादा अच्छी है। लेकिन यह तो सरकार और कांग्रेस दोनों ही मानते हैं कि इन सविनय प्रतिरोधियोंसे लगानकी मौजूदा अथवा पिछली बकाया चुकानेके लिए कर्ज लेनेकी आशा नहीं रखनी चाहिए।

मैं इसके साथ वे अनुसूचियाँ भी संलग्न कर रहा हूँ जिन्हें आपने कृपापूर्वक मुझे सौंपा था।

हृदयसे आपका,

श्री के० बी० भद्रपुर

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४२०) से।

२७४. पत्र : एच० पी० मोदीको

अहमदाबाद
१ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री मोदी,

मेरे पिछली २८ तारीखके पत्रका अविलम्ब उत्तर[1] देनेके लिए आपको धन्यवाद। मुझे यदि और अधिक सूचनाकी आवश्यकता हुई तो आपकी मदद लूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० पी० मोदी
मिल ओनर्स एसोसिएशन
बम्बई

अंग्रेजी की फोटो-नकल (एस० एन० १७४१७) से।

१. इसमें एच० पी० मोदीने इस आरोपका खण्डन किया था कि मिल-मालिक लोग "मजदूरोंका शोषण कर रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं"।

२७५. पत्र : गिरिराज किशोरको

अहमदाबाद
१ अगस्त, १९३१

प्रिय गिरिराज,

मुझे तुम्हारा पहला पत्र मिला अवश्य था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ होगे, इसलिए तुम जो-कुछ कर रहे हो, उसे ध्यानमें धर लिया था। तुम बच्चोंसे मिल सके और वे अच्छे हैं, इसकी मुझे खुशी है। अपनी प्रगतिकी सूचना मुझको देते रहना।

मेरे लन्दन जानेके बारेमें कुछ निश्चित नहीं है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत गिरिराज
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४१८) से।

२७६. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

अहमदाबाद
१ अगस्त, १९३१

तुम्हारा रंगूनसे भेजा तार मिला।

तुम निष्ठुर हो। तुम अपनी लड़कीको रंगूनमें छोड़ रहे हो, या साथ ले जा रहे हो, उसका क्या हुआ, इस बारेमें तुमने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन तुम हो ही ऐसे, और मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए।

मेरे जानेके बारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन ऐन मौकेपर भी मुझे जानेका निश्चय करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके बाद भी मैं जहाँ कहीं भी होऊँ तुम आकर मुझसे मिल लो। मैं चाहे रुकूँ या जाऊँ, १५ तारीखके बाद तुम मुझे छोड़ सकते हो। यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो तुम्हारे सुझावको स्वीकार करनेसे पहले मैं उसके बारेमें तुमसे विचार-विमर्श करूँगा। मेरा मंशा उस सुझावसे है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकारको यह सूचित करना है कि जहाँ कहीं धरनोंमें अनुचित

दस्तंदाजी की जाती है वहाँ हमें इस दस्तंदाजीके खिलाफ सविनय अवज्ञा करनी पड़ सकती है।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
गांधी आश्रम
तिरुच्चेनगोडु (दक्षिण भारत)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४१९) से।

२७७. टिप्पणियाँ

बंगालमें हत्या[1]

बम्बईके गवर्नरपर हमला किये जानेके तुरन्त बाद न्यायाधीश गारलिककी हत्यासे बहुत खलबली मच गई है जो स्वाभाविक है। ऐसी हत्याओंसे हमें नीचा देखना पड़ता है। इससे स्वराज्य निकट नहीं आता, न्यायके परिमाणमें वृद्धि नहीं होती, वैर-विरोध घटता नहीं, अंग्रेज लोग डरकर भाग नहीं जायेंगे, हमारी रचनात्मक शक्तिका विकास नहीं होगा और लोगोंमें निर्भयताकी वृद्धि नहीं होगी। और इस समय हत्याका परिणाम विपरीत ही आया है यह तो हम देख ही रहे हैं। न्यायाधीश गारलिकका क्या दोष हो सकता है? उसने चाहे कितने ही लोगोंको फाँसी क्यों न दी हो, लेकिन उसमें उसका हेतु बुरा नहीं था। उसने तो जो-कुछ किया वह अपना कर्तव्य समझ-कर ही किया। इसमें उसको दण्ड किस लिए? हत्यारा तो चला ही गया लेकिन अपने पीछे विरासतमें लोगोंके लिए दुख छोड़ गया। यहाँ अन्य देशोंमें होनेवाली हत्याओंका उदाहरण देनेसे कुछ लाभ नहीं होनेवाला है। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और ये प्रमाण हमारी हिंसक वृत्तिका शमन करनेके लिए पर्याप्त होने चाहिए। हिंसक वृत्तिमें ही विनाश निहित है। हिन्दुस्तानमें हम करोड़ों व्यक्तियोंकी जागृतिकी कामना करते हैं। उसके लिए हजारों व्यक्तियोंके अथक प्रयत्नोंकी आवश्यकता है, उसके लिए रचनात्मक कार्य होने चाहिए। उसमें इस प्रकारकी हत्याएँ क्या योगदान दे सकती हैं? कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि इन हत्याओंसे ऐसे कार्योंमें रुकावट पैदा होती है, यह देखकर भी क्या आतंकवादी रुक नहीं सकते?

सत्याग्रह और मोरवी

मोरवीके सम्बन्धमें मैंने जो लेख लिखा है[2] उसको लेकर काठियावाड़ी भाई मेरी अन्धाधुन्ध आलोचना कर रहे हैं। लिखनेवालोंमें कुछएक सच्चे सेवक हैं। उनमें सच्चा उत्साह है, लेकिन मुझे वह अज्ञान भरा दिखाई देता है। मोरवीको मैंने कोई

१. देखिए "गारलिककी हत्या", ६-८-१९३१ भी।
२. देखिए "मोरवी और सत्याग्रही", १९-७-१९३१।

प्रमाणपत्र नहीं दिया है। प्रमाणपत्र देनेवाला मैं कौन हूँ? लेकिन जहाँ मैंने उसका कार्य विवेकपूर्ण पाया है वहाँ मैंने उसकी प्रशंसा अवश्य की है। लेकिन इससे उसके जिन दोषोंसे मैं परिचित हूँ और जो मेरी जानकारीमें नहीं हैं, वे धुल नहीं जाते। लेकिन उस लेखमें दोष-दर्शन गौण वस्तु थी। 'सत्याग्रही' पर अत्याचार किये गये अथवा नहीं और यदि किये गये तो वे कितने घातक थे, उस लेखमें इन बातोंका विवेचन नहीं किया गया था। मेरा अभी भी यह मत है कि मोरवीपर कूच करके सत्याग्रहियोंने यदि और कुछ नहीं तो उतावली अवश्य दिखाई थी। और मैंने अपनी यह राय एकपक्षीय प्रमाणोंके आधारपर नहीं स्थिर की थी। और यदि वह एकपक्षीय प्रमाणोंके आधारपर स्थिर की भी गई थी तो सत्याग्रहियोंके कथनपर की गई थी। यदि आरम्भ दोषपूर्ण था तो इतना कहनेमें संकोच नहीं होना चाहिए वरन् उसे स्वीकार करना अपना धर्म समझा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सत्याग्रहीका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने राई-जैसे दोषको पहाड़ जैसा समझे और दूसरोंके पर्वत तुल्य दोषोंको राईके समान लेखे। और यह प्रक्रिया कृत्रिम नहीं हुआ करती, बल्कि उसके स्वभावका एक अंग होती है।

हरिजन

मैंने 'नवजीवन' के गम्भीर पाठकोंसे 'अन्त्यज' शब्दके बदले एक नये शब्दकी माँग की है।[1] दो-चार सुझाव मेरे पास आये हैं। उनमें से एक सुझाव मुझे पसन्द आया है। राजकोटसे भाई जगन्नाथ देसाई लिखते हैं:[2]

इस प्रकार यह शब्द नया नहीं है वरन् गुजरातके आदि कवि द्वारा प्रयुक्त सुन्दर शब्द है। और फिर हरिजन शब्दकी यह व्याख्या की जा सकती है कि जिन लोगोंको समाजने त्याग दिया है वे लोग हरिजन हैं। और इस शब्दमें तीसरा लाभ यह है कि अन्त्यज भाई इस नामको हृदयसे ग्रहण करेंगे और उसके अनुरूप गुणोंका विकास करेंगे, ऐसी सम्भावना भी इसमें है। कालीपरज शब्द मिटकर जैसे रानीपरज हो गया उसी तरह अन्त्यज भी नाम और गुणसे हरिजन बनें।

विदेशी खिलौने और पटाखे

सूरत बाल संघके सेनापति लिखते हैं:[3]

मुझे तो ये दोनों बहिष्कार प्रिय हैं। और यदि बच्चे सचमुच शान्तिपूर्ण धरना दें और इसमें उनके माता-पिता अपनी सहमति प्रकट करें तो उसमें उनकी शिक्षा भी निहित है।

१. देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ ३६४-५।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि अन्त्यजोंके लिए बहुतसे गाँवोंमें 'हरिजन' शब्द प्रचलित है और नरसिंह मेहताने भी अन्त्यज भक्तोंके लिए इसी शब्दका प्रयोग किया है।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

धीरज और शुद्ध आचरण

एक भाई लिखते हैं:[१]

प्रकृतिने हमें समस्त कठिनाइयोंका तात्कालिक इलाज नहीं बताया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई इलाज है ही नहीं। सच्चा इलाज तो धीरज और व्यक्तिका अपना आचरण है। बहन-बहनोई हो अथवा मित्र या अन्य कोई हो उसे अन्ततः हमारे विश्वासके आगे सिर झुकाना ही पड़ता है।

एक मौन-सेवक

आजीविकाके हेतु अनेक भारतीय बर्मा जाकर बसे हैं। उनमें से कुछेकने धन्धे-के साथ-साथ सेवाकार्यको भी अपनाया है। उनमें एक ब्रजलाल मेहता थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले देहान्त हो गया। वे कांग्रेसका कार्य किया करते थे, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। उनके पास थोड़ा-बहुत पैसा था। वे प्रत्येक कोषमें दान दिया करते थे और अन्य लोगोंसे भी दिलवाते थे। लेकिन इसके लिए वे मानकी अपेक्षा नहीं रखते थे। वे दरिद्रनारायणके भक्त थे। उनमें खादीके प्रति पूर्ण श्रद्धा थी और वे चरखा संघके प्रतिनिधि थे। जिन्हें मान नहीं चाहिए, इनाम नहीं चाहिए, जो सेवाके अर्थ ही सेवा करते हैं, वे लोग वन्दनीय हैं। भाई ब्रजलाल मेहता इन्ही लोगोंमें से थे। वे और उनका कुटुम्ब धन्य है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २-८-१९३१

२७८. भाषण : अहमदाबादमें[२]

२ अगस्त, १९३१

मेरा कहना है कि अस्पृश्य कहे जानेवाले भाइयोंकी सेवा मेरे लिए अन्य किसी राजनीतिक कार्यसे किसी भी तरह कम नहीं है।[३] अभी एक क्षण पूर्व मैं दो पादरी मित्रोंसे मिला था, उन्होंने भी मुझे यही भेद बतलाया था, और इसके फलस्वरूप उन्होंने मुझसे हल्की झिड़की खाई थी। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा समाज-सुधारका कार्य राजनीतिक कार्यसे किसी भी प्रकार कम या उससे हेय नहीं है। सच तो यह है कि जब मैंने यह देखा कि एक सीमातक बिना राजनीतिक कार्यके सामाजिक

१. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत्र-लेखकने लिखा था कि वे अपने सगे सम्बन्धियोंको स्वदेशी पहननेको राजी करनेमें असमर्थ रहे हैं।

२. सर चीनूभाईके पारिवारिक मन्दिरका द्वार अस्पृश्योंके लिए खोलते समय। यह रिपोर्ट महादेव देसाई द्वारा 'मैं पहले सुधारक हूँ' शीर्षकके अन्तर्गत किया गया सार है।

३. श्री चीनूभाईने यह कहा था कि "जबकि गांधीजी महान राजनीतिक महत्त्व रखनेवाले कामोंमें व्यस्त हैं तब उनसे इस अपेक्षाकृत छोटे कामके लिए समय निकालनेको नहीं कहना चाहिए।"

सेवा नहीं हो सकती, तो मैंने राजनीतिक कार्यको अपना लिया, लेकिन उसी सीमा तक, जहाँतक कि वह मेरे समाज-सेवाके कार्यमें सहायक हो सकता है। इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे समाज-सुधार अथवा इस तरहका आत्मशुद्धिका कार्य शुद्ध राजनीतिक कहलानेवाले कार्यसे सौ गुना अधिक प्रिय है।

अस्पृश्योंकी सेवा अथवा उनके साथ न्याय करनेका क्या अर्थ है? इसका केवल यही अर्थ है कि सदियोंसे चढ़े ऋणसे मुक्त हो जाना, तथा युगोंसे हम जिस पापके भागी बन रहे हैं, उसका कुछ प्रायश्चित्त करना। अर्थात् अपने ही भाई-बहनोंका दलन तथा उनका अपमान करनेके पापका प्रायश्चित्त करना। एक नरपिशाच अपने अन्य भाइयोंके साथ जैसा व्यवहार करता है हमने अपने इन अभागे बन्धुओंके प्रति कोई उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और हमने अस्पृश्यता-निवारणका जो कार्यक्रम अपने सामने रखा है, वह हमारे पैशाचिक अन्यायका कुछ अंशोंमें प्रायश्चित्त-मात्र है। चूंकि यह कार्य मूलतः प्रायश्चित्त अथवा आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे किया जा रहा है, अतएव इसमें किसी प्रकारके भय अथवा पक्षपातकी सम्भावना नहीं हो सकती। यदि हम इस भयवश यह कार्य करते हैं कि अस्पृश्य दूसरे धर्मको ग्रहण कर लेंगे, या वे हमसे प्रतिशोध लेंगे या फिर हम एक राजनीतिक चालके रूपमें यह कार्य प्रारम्भ करते हैं, तो हम हिन्दू-धर्मके प्रति अपना अज्ञान प्रकट करते हैं और युगोंसे हमारी सेवा करनेवालोंका अपमान करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने ही इस प्रश्नको कांग्रेस-कार्यक्रममें इतना प्रमुख स्थान दिलाया, तथा मुझपर आक्षेप करनेवाला कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने चालाकीवश ऐसा करके अस्पृश्योंको प्रलोभन दिया है। इसका मैं तुरन्त यह उत्तर देता हूँ कि यह आक्षेप निराधार है। अपने जीवनके बहुत प्रारम्भिक कालमें ही मैं यह महसूस कर चुका था कि जिन्हें अपने हिन्दू होनेका विश्वास है, यदि वे हिन्दू-धर्मपर गर्व करते हैं, तो उनको इस कुप्रथाको मिटाकर प्रायश्चित्त करना चाहिए। और, चूंकि कांग्रेसमें हिन्दुओंका बहुमत था, और उस समय राष्ट्रके सामने जो कार्यक्रम रखा गया था वह आत्मशुद्धिका नहीं था, अतएव मैंने इस प्रश्नको कांग्रेस-कार्यक्रममें इस विचारसे प्रधानता दी कि जबतक हिन्दू इस कलंकको मिटानेके लिए तैयार नहीं हो जाते तबतक वे अपनेको स्वराज्यके योग्य नहीं समझ सकते। इस विश्वासकी सार्थकता मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। यदि अस्पृश्यताका दाग छूटे बिना ही हमें राजसत्ता प्राप्त हो गई, तो मेरा विश्वास है कि उस स्वराज्यमें अस्पृश्योंकी दशा जैसी आज है उससे भी बदतर होगी, क्योंकि इसका सीधा कारण यह होगा कि अधिकारके मदमें हमारी-आपकी बुराइयाँ और कमजोरियाँ और भी अधिक बढ़ जायेंगी। संक्षेपमें मेरी यही स्थिति है, और मेरा सदैव यह मत रहा है कि 'आत्मशुद्धि' स्वराज्यकी अनिवार्य शर्त है। इसीलिए मैं ईश्वरको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज इस समारोहमें उपस्थित होने योग्य बनाया। इस प्रकारका कार्य करनेके लिए मुझे जो भी अवसर मिले हैं उन्हें मैंने सदैव मूल्यवान समझा है, और इसीलिए मैंने इस प्रकारका कार्य करनेके हेतु अक्सर 'राजनीतिक' कहे जानेवाले कार्योंको ताकपर रख दिया

है। मैं जानता हूँ कि जिन लोगोंको 'राजनीतिक' कही जानेवाली उत्तेजक वस्तु ही आकर्षित करती है, वे इस प्रकारकी बातपर हँसेंगे। पर यह कार्य मेरे हृदयके सबसे निकट तथा सबसे प्रिय है।

और लेडी चीनूभाई, आपने अपने कर्तव्यका पालन तथा आत्मशुद्धिका जो यह कार्य किया है, उसके लिए मुझे आपको बधाई देनेकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु मेरे लिए, जहाँतक मैं सोच सकता हूँ, बधाई देनेका अवसर शीघ्र ही आ सकता है। इस मन्दिरके ब्राह्मण पुजारियोंने परिस्थितिको स्वीकार कर लिया है। पर यह सम्भव है कि एक दिन वे आपके विरुद्ध हो जायें, और कहें कि आपके मन्दिरके पूजा-पाठसे उनका कोई सरोकार नहीं है। यह भी सम्भव है कि समूचा ब्राह्मण-समुदाय, समग्र सनातनी नागर-समुदाय आपके विरुद्ध षड़यन्त्र रचे। फिर भी मैं आशा करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने निश्चयपर दृढ़ रहेंगी, और यह सोचकर प्रसन्न होंगी कि उसी दिन मन्दिरमें स्थित पत्थरकी शिव-मूर्तिमें वास्तविक जीवनका, ईश्वरकी जीवन-सत्ताका संचार हो गया है। आपके प्रायश्चित्तकी यह चरम सीमा होगी। और जिस दिन आपका समाज इस आवश्यक आत्मशुद्धिका कार्य करनेके लिए आपका जातिसे बहिष्कार करेगा, उस दिन मैं आपको हृदयसे बधाई दूँगा।

आज जो लोग यहाँपर उपस्थित हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सिरपर पापका जो बोझ लदा है, उसीके कारण हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि सभी 'स्पृश्य' कहलाये जानेवाले हिन्दू अपने 'अस्पृश्य' कहे जानेवाले भाइयोंके प्रति अन्यायका वास्तविक प्रायश्चित्त करें, तो स्वराज्य हमें स्वतः हासिल हो जायेगा। और कृपाकर यह भी समझ लें कि केवल शारीरिक अस्पृश्यता दूर करनेसे ही प्रायश्चित्त नहीं होनेका। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ है जन्मसे ही किसीको बड़ा-छोटा माननेके विचारका अन्त होना। वर्णाश्रम-धर्म बड़ा सुन्दर धर्म है, पर यदि इसका उपयोग एक समुदायको समाजमें दूसरे समुदायसे श्रेष्ठ दिखानेके हेतु होता है तो यह बड़ी भयंकर बात होगी। अस्पृश्यताका निवारण केवल इस जीवन्त विश्वासके आधारपर होना चाहिए कि ईश्वरकी दृष्टिमें सब लोग एक हैं, तथा स्वर्गमें बैठा परमपिता हम सबके साथ समान रूपसे न्याय करेगा।

यह तो एक निजी मन्दिर है। लेकिन यदि इस निजी मन्दिरके द्वार अस्पृश्योंके लिए खोल दिये जायें, तब फिर यहाँ सार्वजनिक मन्दिरोंके द्वार कितने समय तक बन्द रहेंगे? आजके इस समारोहसे अहमदाबादके सारे हिन्दुओंकी आँखें खुल जानी चाहिए। इसे उस क्रियाका शुभारम्भ मानिए जिसकी परिणति अहमदाबादके सारे हिन्दू-मन्दिरोंके द्वार अस्पृश्योंके लिए खोल दिये जानेपर होगी। किन्तु अन्य बातोंके समान ही इस मामलेमें भी मैं आपसे जोर-जबर्दस्तीसे बचनेका अनुरोध करूँगा। अस्पृश्यता ज्यादा समयतक चल नहीं सकती। कुछ वर्ष पूर्व हम बहुत हठपूर्वक इस प्रथासे चिपटे हुए थे, किन्तु आज हम इसके प्रति उदासीन हैं। अस्पृश्यता तभी समाप्त होगी जब हमारी इस उदासीनताकी जगह हमारे अन्दर आत्मशुद्धिके अपने कर्तव्यका बोध करानेवाली सच्ची जागृति आ जायेगी। पन्द्रह वर्ष पूर्व अस्पृश्यताके

प्रति इस प्रकारकी उदासीनता या ऐसी मौन अनुमति असम्भव थी। हमें यह आशा करनी चाहिए, तथा इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अब हमारा दूसरा कदम स्वेच्छा-पूर्वक आत्मशुद्धिका यह कार्य करना होगा।

अभी कल ही मेरे एक मित्रने मुझे सलाह दी थी कि अस्पृश्योंके लिए जो 'अन्त्यज' शब्द प्रयुक्त होता है उसके स्थान पर 'हरिजन' शब्दका प्रयोग करना चाहिए। इस शब्दका प्रयोग महान सन्त नरसिंह मेहताने किया था जो नागर ब्राह्मण थे और जिन्होंने सारे समाजकी अवज्ञा करके 'अस्पृश्यों' को अपनाया था। इतने महान सन्तके प्रयोगसे पवित्र हुए शब्दको अपनानेमें मुझे बड़ा हर्ष होता है, पर मेरे लिए इसका अर्थ आपकी कल्पनासे कहीं अधिक गूढ़ है। मेरी दृष्टिमें हमारी तुलनामें 'अन्त्यज' वास्तवमें 'हरिजन' है — ईश्वरका भक्त है, और हम दुर्जन हैं; क्योंकि हमें आराम तथा सफाईके साथ रखनेके लिए वह परिश्रम करता है और अपने हाथ गन्दे करता है। हमें तो उसे दबानेमें ही आनन्द आता है। इन अस्पृश्योंके सिर जिस दुर्बलता तथा दोषोंका आरोप हम मढ़ते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें अब भी हरिजन बननेकी छूट है पर इसके लिए हमें पहले उनके प्रति अपने अन्यायके लिए हार्दिक पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ६-८-१९३१

२७९. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

४ अगस्त, १९३१

भेंटके[1] बाद एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा यह पूछनेपर कि क्या अब गोलमेज सम्मेलनके लिए लन्दन जायेंगे, श्री गांधीने कहा कि मैंने अभीतक निश्चय नहीं किया है। यह पूछनेपर कि क्या स्थिति आशाजनक है, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि मैं कह नहीं सकता।

एक भेंटमें [बम्बईमें] श्री गांधीने बम्बईके गवर्नरके साथ पूनामें हुई अपनी बातचीतपर कोई प्रकाश नहीं डाला। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि इस विषयमें सरकार जो उचित और सुविधाजनक समझे वह कहना उसका काम है। उन्होंने कहा कि जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, इस बातचीतके बाद न मैं सन्तुष्ट महसूस करता हूँ और न असन्तुष्ट।

[अंग्रेजीसे]
टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-८-१९३१

१. बारडोलीकी स्थितिके बारेमें बम्बईके गवर्नरके साथ पूनामें हुई भेंट; इस भेंटमें गांधीजी द्वारा उठाये गये मुद्दोंपर गवर्नरके जवाबके लिए देखिए परिशिष्ट ७।

२८०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

४ अगस्त, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

अभी-अभी पूनासे वापस आनेपर आपके आदमीने मुझे आपका पत्र दिया। मैं अधिक विचार तो नहीं कर सका। मेरे पास कुछ लोग बैठे हैं, इसलिए संक्षेपमें लिखूँगा।

मेरा जाना अभी निश्चित नहीं माना जा सकता। मैं चाहूँगा कि यदि आप आ सकें तो अवश्य आयें, लेकिन यदि वहाँ काम हो तो आपके लन्दन आनेके बनिस्बत मैं इस कामको ज्यादा महत्त्व देता हूँ। आप बादमें आयें तो भी ठीक है। मुझे आपका साथ रहना सहज ही ज्यादा अच्छा लगेगा।

भावनगरमें जो आन्दोलन चल रहा है उसके अन्तर्गत सुरक्षाकी दृष्टिसे जो कदम आपको उचित लगें उन्हें उठानेमें मैं आड़े क्यों आऊँगा? यदि आप कोई कदम उठाना ही चाहते हैं तो आपको अधिकारीकी हैसियतसे उठाना चाहिए, यही उचित भी होगा। आप जो भी करेंगे उसमें विवेकसे तो काम लेंगे ही, ऐसा मैं मानता हूँ। 'सौराष्ट्र'ने क्या लिखा है, इसकी तो मुझे खबर भी नहीं है। कुछ विशेष पूछना हो तो पूछिएगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९२१)से। सी० डब्ल्यू० ३२३६ से भी; सौजन्य : महेश पट्टणी

२८१. तार : सर मैलकम हेलीको

बम्बई
५ अगस्त, १९३१

आशा है, आप पूरी तरह नीरोग हो गये हैं। मुख्य सचिवके साथ हुई अपनी बातचीतका पण्डित मालवीयजी और पण्डित जवाहरलालने जो विवरण दिया है उससे किसानोंके बारेमें सरकारकी नीति अनिश्चित प्रतीत होती है। जोर-जबर्दस्तीके तरीकोंके जारी रहने और बेदखल हुए किसानोंकी दारुण स्थितिसे मैं बहुत चिंतित हूँ। इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर क्या आप कृपया मुझे सरकारी नीतिका स्पष्ट संकेत दे सकते हैं।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. इसके उत्तरमें गवर्नर द्वारा दिये गये जवाबके लिए देखिए परिशिष्ट ८।

२८२. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

मणि भवन
बम्बई
५ अगस्त, १९३१

घनश्यामदास बिड़ला
कलकत्ता

बाढ़की स्थितिकी जाँचके लिए क्या आप किसीको असम भेज सकते हैं?

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४२८) से।

२८३. पुनर्स्पष्टीकरण

'यंग इंडिया' में मेरा उत्तर[1] पढ़नेके बाद श्री सत्यमूर्ति पुनः इस प्रकार आरोप लगाते हैं:

> **राजनैतिक सत्ता ही स्वयं सब-कुछ नहीं है, इस वक्तव्यपर आपका आग्रह मुझे अत्यन्त विचलित कर देता है। यदि कल ही हमें, हम जो सुधार चाहते हैं, वे सब मिल जायें, तो भी मैं इस देशमें अंग्रेजी शासनका विरोध करूँगा। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि जबतक हमें राजनैतिक सत्ता नहीं मिल जाती, हमारे चाहे हुए सुधारोंमें से बहुत कम सुधार पूरी तौर पर या प्रभावकारी रूपमें प्राप्त किये जा सकते हैं।**
>
> **आप यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक अराजकताका आदर्श, जिससे कि मैं सर्वथा सहमत हूँ, वर्तमान जगतमें व्यावहारिक राजनीति नहीं है। इसलिए यदि मुसलमान और सिख समस्त शक्ति प्राप्त कर लें, तो देशके बहुसंख्यक समुदायको सतत सविनय प्रतिरोधी बने रहना पड़ेगा, जिसका परिणाम होगा गृह-युद्ध।**

१. देखिए "सत्ता साध्य नहीं है", २-७-१९३१।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि राजनैतिक सत्ता सहज ही एक बोझ बन सकती है, यदि वह भेंटके रूपमें, और जनता द्वारा उसकी प्राप्तिका यथोचित प्रयत्न किये बिना ही मिल जाये। किन्तु मेरा यह दावा है कि राष्ट्र यह पहले ही सिद्ध कर चुका है और अगले कुछ वर्षोंमें उत्तरोत्तर सिद्ध करता जायेगा कि वह राजनैतिक सत्ताके सर्वथा योग्य है।

मैं यह मानता हूँ कि जनताको कानूनका समर्थन करना चाहिए। बिना लोकमत तैयार किये जो कानून बनाया जाता है वह अक्सर निरर्थक होता है। किन्तु कानूनी मान्यताके बिना जनमत अक्सर बहुत हदतक निरर्थक होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि राजनैतिक सत्ता ही असली चीज है, और ये सुधार उसके साथ ही होंगे। कुछ भी हो, एक राष्ट्रकी स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, ये बहुमूल्य राजनैतिक अधिकार हैं, और प्रत्येक राष्ट्रको अपने लिए अच्छा क्या है यह निर्णय करनेको स्वतन्त्र होना चाहिए। इसलिए एक बार जब हम राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लें, तब हम यह निश्चय कर सकते हैं और तभी करना भी चाहिए कि हमारे लिए लाभप्रद क्या है। और यदि मैं अपने देशवासियोंको सही तौर पर समझता हूँ तो देशकी अधिकांश जनता आज राजनैतिक सत्ता लेनेके पक्षमें है।

यदि आप यह समझते हैं, कि यह पत्र आपके प्रत्युत्तरका अधिकारी है, तो मैं वह पाकर प्रसन्न होऊँगा। किन्तु क्या मैं पुनः यह आशा प्रकट करूँ कि मैंने ऊपर जो-कुछ कहा है, उसपर ध्यान देकर आप अपनी स्थितिपर पुर्नाविचार करेंगे?

अपने पहले पत्रके सम्बन्धमें मुझे खेद है कि वह आपको नहीं मिला। मेरे पास उसकी दूसरी प्रति नहीं है। मैंने उसमें आपसे यह जानना चाहा था कि कांग्रेस कार्यसमितिके उस प्रस्तावमें[1] जिसमें आपको गोलमेज सम्मेलनमें जानेके लिए नियुक्त किया गया था, 'कांग्रेसकी माँग पेश करनेके लिए' इस वाक्यका क्या अर्थ है? मैं समझता हूँ कि इसका यह अर्थ नहीं है कि आप वहाँ 'मंजूर करो या नामंजूर' इस भावसे केवल कांग्रेसकी स्थितिका वर्णन कर देंगे, प्रत्युत मेरा ख्याल है कि आप वहाँ

(१) कांग्रेसकी माँग पेश करेंगे और तर्कों द्वारा उसकी पुष्टि करेंगे;

(२) विपरीत तर्कों और प्रश्नोंका उत्तर देंगे और दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों और शंकाओंका निवारण करेंगे और

(३) गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसी प्रतिनिधिको कराची कांग्रेसने ऐसे समझौतोंको, जो स्पष्टतः भारतके हितके लिए आवश्यक हों, स्वीकार कर लेनेकी जो स्वतन्त्रता दी है, उसका उपयोग करेंगे।

१. ९ जूनका; देखिए पृष्ठ १ की पाद-टिप्पणी १।

इसमें मुझे श्री सत्यमूर्ति और अपने बीच आग्रहका प्रश्न दिखाई देता है। उनका आग्रह स्वयं राजनैतिक सत्तापर है, जबकि मेरा आग्रह राजनैनिक सत्ताको साधनके रूपमें माननेका है जिसके द्वारा सुधारक जल्दसे-जल्द सुधार कर सके। इसलिए मेरा सब कुछ उस साधनपर निर्भर है जिसके द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जायेगी। यदि वह सब जातियोंके सम्मिलित प्रयत्नके बिना प्राप्त न हो सकती होगी, तो मैं उसके लिए प्रतीक्षा करूँगा। कुछ भी हो, अनवरत प्रयत्न स्वयंमें एक उपलब्धि है। इस अर्थमें तो राजनैतिक सत्ता देशमें प्रतिदिन आ रही है। संविधान तो उसकी पूर्ण प्राप्तिका एक चिह्न मात्र होगा। किन्तु यदि वह राष्ट्रके परिश्रमका वांछित प्रतिफल न हुआ तो वह मृगजल भी सिद्ध हो सकता है। उदाहरणके लिए मान लीजिए कि किसी दुर्घटनावश इंग्लैंडका अकस्मात विनाश हो जाये और इसलिए भारत यह मान ले कि उसे जो-कुछ चाहिए था वह मिल गया, तो उसकी यह सर्वथा भूल होगी। इसलिए नीतिमत्ता तो इसीमें है कि हम राजनैतिक सत्ता अपने बलके परिणामस्वरूप प्राप्त करें, विदेशी शासककी कमजोरीके बूतेपर नहीं। किन्तु इस विषयपर मुझे अधिक जोर नहीं देना चाहिए। यही काफी है कि इस समय यद्यपि दूसरोंसे मेरा दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, लेकिन हम सब उस चीजके लिए उसी ढंगसे कोशिश कर रहे हैं।

मुझे इस बातका डर नहीं है कि यदि मुसलमान और सिख सारी शक्ति पा जायेंगे, तो 'बहुसंख्यक समुदाय' अर्थात् हिन्दुओंको 'सतत सविनय प्रतिरोधी' बने रहना पड़ेगा। पहले तो इस कल्पनामें यह बात भुला दी गई है कि हिन्दुओंने स्वेच्छासे सत्ताके अपने अधिकारका समर्पण कर दिया है और दूसरे उसमें सविनय प्रतिरोधका यह नियम भुला दिया गया है कि किसी एक विशिष्ट ध्येयके प्रति इसके सतत उपयोगकी कभी आवश्यकता नहीं होती। इसकी विशेष उपयोगिता इस बातमें है कि फल निकलनेमें कितना समय लगेगा, इसका पहले ही से कोई निश्चय न होनेपर भी यह एक निश्चित समयके अन्दर न्याय प्राप्त करा देता है।

मैं, श्री सत्यमूर्तिको कांग्रेसकी माँग 'पेश' किये जानेके अर्थसे सम्बन्धित उनकी शंकाका इससे अधिक सान्त्वना प्रदायक उत्तर दे सकता हूँ। अवश्य ही यदि अनुमति दे दी गई — और मेरे विचारमें दिल्ली-समझौतेमें यह सन्निहित है — तो मैं कांग्रेसकी माँगको पेश करने और तर्कों द्वारा उसे पुष्ट करने, विपरीत तर्कों और प्रश्नोंका उत्तर देने और दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सन्देहोंका निवारण करने, तथा गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेस प्रतिनिधिको कराची कांग्रेसने ऐसे समझौतोंको, जो स्पष्टत: भारतके हितके लिए आवश्यक हों, स्वीकार करनेकी जो स्वतन्त्रता दी है उसका उपयोग करनेके लिए वहाँ जाऊँगा। यदि मैं लन्दन पहुँचा, तो मैं सब सम्बन्धित वर्गोंसे यह वादा करता हूँ कि मैं राष्ट्रहितको बेचनेके पापका अपराधी नहीं बनूँगा, लेकिन साथ ही अत्यन्त प्रतिक्रियावादी अंग्रेजोंको मेरी प्रख्यात हठवादिता या उससे भी बदतर अंग्रेज-विरोधी भावोंसे भयभीत होनेकी भी कोई बात नहीं है। अपने हठी होनेका मुझे भान नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरी प्रचुर समझौता-

वादी मनोवृत्तिके लिए मेरी प्रशंसा की है, यद्यपि सिद्धान्तकी बातोंपर वे मुझे कभी झुका नहीं सके। और न मुझे अपनेमें ब्रिटिश-विरोधी भावनाके होनेका ही ज्ञान है। इसके विपरीत मैं विश्वासके साथ इस बातपर जोर दे सकता हूँ कि मेरे हृदयमें अंग्रेजोंके लिए शुभ-कामनाओंके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए यदि मैं सम्मेलनमें गया, तो मैं उसकी कार्यवाहीको सफल बनानेके लिए कोई कसर नहीं रखूँगा। इससे अधिक वादा मैं नहीं कर सकता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-८-१९३१

२८४. कांग्रेसियोंकी असावधानी

अबिराममसे एक सम्वाददाता लिखते हैं:

मुदुकुलत्तुर मद्रास प्रेसीडेंसीमें जिला रामनदका एक खासा बड़ा गाँव है। छोटे रास्तेसे गाँवसे आठ मीलकी दूरीपर नीला समुद्र है। दिल्ली समझौतेके बादसे गाँववालोंने समुद्रकी तलहटी परसे नमक लाना शुरू किया। आरम्भमें कोई सवारी काममें नहीं लाई गई। प्रत्येक व्यक्ति आसानीसे जितना ले जा सकता था, उतना नमक ले जाता था। नमक-अफसरोंने लोगोंको तंग नहीं किया। नमक अफसरोंकी इस प्रत्यक्ष उपेक्षासे प्रोत्साहित होकर नमक लानेके उद्देश्यसे जानेवालोंने चार-चार, पाँच-पाँचकी संख्यामें इकट्ठे होकर जाना शुरू कर दिया। पिछले महीनेके आरम्भसे देशी बैलगाड़ियाँ मँगाई गईं और नमक ले जानेके काममें लाई जाने लागी और इन लानेवालोंने यह नमक, जोकि प्रत्येक कुटुम्बके अपने उपयोगके लिए लाया गया था, आपसमें बराबर-बराबर बाँट लिया।

केवल उनकी इस हरकतके समय नमक विभागके कर्मचारियोंने इसमें हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य समझा। जो लोग गाड़ियोंमें नमक ले गये उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाये, इसपर पूरा विचार-विमर्श कर लेनेके बाद यह उचित समझा गया कि कुछ लोगोंको नमक कानून तोड़नेके अपराधमें गिरफ्तार करके उनपर जुर्माना किया जाये। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अधिकारियोंने आरम्भमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं किया। वे उनको काफी देर बाद रोकना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किसी प्रकारका नोटिस या सामयिक चेतावनी दिये बिना किया। इस प्रकार गिरफ्तार किये गये लोगोंकी संख्या २१ है। उनको दी गई सजा भिन्न-भिन्न है। जिन लोगोंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उन्हें मामूली जुर्माना करके छोड़ दिया गया; किन्तु जिन्होंने अपराध स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया, उनपर दूसरोंकी अपेक्षा भारी जुर्माने किये गये। जुर्मानेकी कुल रकम २९५ रु० हुई जोकि अदा कर दी गई।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि स्थानीय कांग्रेस अधिकारियोंने कुछ प्रचार कार्य किया होता और गाँवके लोगोंको नमक-सम्बन्वी रियायतकी सीमा समझा दी होती, तो इन गिरफ्तारियों और जुर्मानोंको रोका जा सकता था। क्या आप उन्हें उनकी तन्द्रासे न जगा सकेंगे? मैं आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि ग्रामीण लोगोंको यदि समझाया जाये तो वे सदैव उसका पालन करेंगे।

मैंने मूल पत्रको संक्षिप्त कर दिया है। मैं नहीं जानता कि स्थानीय कांग्रेस कमेटियोंके विरुद्ध की गई शिकायत कहाँतक उचित है। किन्तु कोई भी व्यक्ति लेखककी इस बातसे सहमत हो सकता है कि वहाँ कुछ-न-कुछ असावधानी हुई है। नमक-सम्बन्धी रियायत दिल्ली-समझौतेकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धारा है। मैं जानता हूँ कि गरीबोंकी ओरसे की गई अपीलने लॉर्ड इर्विनको प्रभावित कर दिया था। मैं यह कह कर कुछ विश्वासघात नहीं करता कि उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि कमसे-कम बेचारे गरीब गाँववालोंके लिए तो हवा और पानीकी तरह नमक मुफ्त ही होना चाहिए। इस दलीलका उनपर भारी असर हुआ था कि जनताको नमकपर कर लगाये जानेकी बातसे उतना दुख नहीं हुआ है जितना नमक बनानेके अधिकारसे वंचित किये जानेसे हुआ है। यदि कांग्रेसियोंपर भी इसका ऐसा ही असर हो, तो वे नमक-सम्बन्धी रियायतका सही रूप गाँववालोंको समझानेमें जरा भी विलम्ब न करेंगे। इसमें कोई उलझन नहीं है।

जिन स्थानोंमें नमक होता है, चाहे वह स्थान समुद्र-तटपर हो या देशके भीतरी भागोंमें स्थित हो, उन स्थानोंके निकट रहनेवाले गाँववासी अपने घरेलू इस्तेमालके लिए नमक बना और बेच सकते हैं।

घरेलू इस्तेमालमें खादके लिए, मवेशियोंके या मछली सुखा कर सुरक्षित रखनेके ग्रामीण धंधेके लिए नमकका उपयोग शामिल है। इसलिए नमक अपनी सरहदसे बाहरके गाँव या बाजारमें नहीं ले जाया जा सकता। वह किसी भी तरह गाड़ियों या ऊँटोंपर नहीं ले जाया जा सकता। केवल आदमियोंको ही उसे खुद ढोकर ले जानेकी इजाजत है, हाथ-गाड़ियोंका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बन्धन कस्बोंमें रहनेवालोंको कठिन प्रतीत हो सकते हैं। किन्तु ईमानदारीके साथ रियायतसे लाभ उठानेवाले गाँववालोंके लिए इनमें कुछ कठिनाई नहीं है। इन बन्धनोंका उद्देश्य मालदार लोगोंके बीच व्यवसायको रोकना है और जिन क्षेत्रोंमें लोग एकाधिकृत नमकको उसपर लगे करका प्रभाव महसूस किये बिना इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एकाधिकृत नमकके साथ प्रतियोगिता करनेसे रोकना है। एकाधिकृत नमककी मौजूदगीमें ये बन्धन सर्वथा समझमें आनेवाले और उचित हैं।

हमें यह अनुभव करना चाहिए कि उन लाखों लोगोंके लिए नमक मुफ्त है जो कि नमक-क्षेत्रके पास — इतने पास कि पैदल पहुँच जायें — रहते हैं। इस रियायतको अमलमें लाये जानेके जो-कुछ तरीके मैंने देखे हैं उनसे मैं समझता हूँ कि प्रान्तीय सरकारें गाँववालोंको इस रियायतका पूरा लाभ उठाने देना चाहती हैं। यह स्वीकार करनेके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो जुर्माने किये गये, वे बहुत ज्यादा

थे। चेतावनीके तौरपर प्रत्येकपर कुछ पैसोंका जुर्माना निश्चय ही काफी होता। और न ही मैं यह माने बिना रह सकता हूँ कि अपराध स्वीकार करने और न करनेवालोंके बीच जो अन्तर किया गया है वह सर्वथा अनावश्यक था।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-८-१९३१

२८५. स्वतन्त्रता क्या है?

वरनॉन, टेक्सासके एक काउंटी क्लर्क हमारे आन्दोलनके अहिंसात्मक चरित्रकी प्रशंसा करते हुए अपने पत्रमें लिखते हैं:

> **आम तौरपर मनुष्य स्वतन्त्रताका अर्थ अंकुशका अभाव मानते हैं। वह स्वतन्त्रता हो सकती है, किन्तु साधारणतः वह उच्छृंखलता है। व्यक्तिगत लालसाओंको पूरा करनेपर नियन्त्रणका अभाव कभी भी स्वतन्त्रता नहीं है। स्वतन्त्रता वह है, जो मनुष्यको जबर्दस्त बाधाओंके सामने स्वतन्त्र बनाती है। यह जीवनके सद्गुणोंमें से एक है जो सबसे कम समझा जाता है, और अक्सर बहुत कम व्यवहारमें लाया जाता है। स्वतन्त्रता परिवर्तनीय गुण नहीं है, वरन् जीवनका एक स्थायी सिद्धान्त है।**
>
> **सच्ची स्वतन्त्रतासे कभी-कभी आश्चर्यजनक बातें हो जाती हैं। वास्तवमें उनके करनेवाले अक्सर मूर्ख कहे जाते हैं। किसी भी तरह हो, वे अपने स्वार्थके लिए काम करते दिखाई नहीं देते, लेकिन जब स्वतन्त्रताको सही तौर पर समझ लिया जाये तो वह यदि बलिदान नहीं तो सेवाके प्रदर्शनके रूपमें दिखाई देगी। सज्ञान स्वतन्त्रता मनुष्यको ओछे और स्वार्थी दृष्टिकोणसे ऊँचे उठा कर सार्वजनिक हितकी ओर ले जाती है। यह अधिक व्यापक लाभोंपर जोर देती है और अपने उपासकको मनुष्य जातिकी उन्नतिके लिए काम करनेवाले महान् सिद्धान्तका अपने-आपको एक अंग समझनेकी शिक्षा देती है। उसका पारितोषिक आर्थिक लाभमें नहीं, प्रत्युत एक महान्, सच्ची और स्वयं अनुभूत शान्तिमें निहित है।**

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-८-१९३१

२८६. गारलिककी हत्या

अपनी समझके अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करनेवाले बंगालके एक न्यायाधीश-की यह हत्या, इसके करनेवालोंके लिए एक कलंक है। कलकत्ता और दूसरे स्थानोंके अंग्रेजोंमें इससे जो खलबली मची है, उससे हमें कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति नापसंद हो उसकी हत्या करके, भले ही हत्या कितनी ही देशभक्तिकी भावनासे की गई हो, जो नवयुवक प्रसन्न होते हैं वे उस उद्देश्यका कुछ भला नहीं करते जिस उद्देश्यका समर्थन करनेका वे दावा करते हैं। और गुप्त संस्थाओं द्वारा नियोजित हत्याएँ अपने बिल्कुल ही समीपवर्ती प्रत्येक व्यक्तिको एक सन्दिग्ध व्यक्ति बना देती हैं। निःसन्देह एक भी अंग्रेज अफसरकी हत्याका असर सम्पूर्ण भारतके वातावरणपर होता है।

जो लोग इस प्रकारकी हत्याओंको सच्चे दिलसे नापसन्द करते हैं, उनका यह कर्त्तव्य है कि ऐसे कृत्योंके प्रति अपना तीव्र विरोध प्रकट करें, और जहाँ कहीं भी वे हत्याकी नीतिमें विश्वास करनेवाले व्यक्ति पायें, उनसे बहस करें और यदि वे न सुनें तो उनसे असहयोग करें। सत्याग्रह व्यक्तियोंका लिहाज नहीं करता। उपयुक्त वातावरण होनेपर सत्याग्रहका उपयोग अपने निजी मित्रोंके साथ कहीं अधिक सफलताके साथ किया जा सकता है, बनिस्वत उनके जोकि हमें अपना शत्रु समझते हैं। जितना ही निकटतर सम्बन्ध होगा, सत्याग्रह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि इन कृत्योंके प्रति बरती गई जरा-सी भी सहिष्णुता और उपेक्षा न केवल स्वराज्यको ही रोक देगी, बल्कि स्वराज्य शासनको असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य बना देगी। क्योंकि प्रचुर शस्त्रास्त्रयुक्त विदेशी सरकारके लिए तो हत्याकारी गुप्त संस्थाओंकी गतिविधियोंकी मौजूदगीमें भी शासन-कार्य चलाना सम्भव हो सकता है, किन्तु सर्वथा जनताकी इच्छापर अवलम्बित शासन ऐसे हत्याकारी वातावरणमें सुव्यवस्थित रूपमे नहीं चल सकता। यह सोचनेका कोई आधार नहीं है कि यदि यह विचार कि अपनी नापसन्दके अधिकारियों अथवा व्यक्तियोंकी हत्या करना उचित है, लोकप्रिय हो गया तो स्वराज्य मिलनेके साथ ही वह विचार विलीन हो जायेगा। इसलिए अत्यन्त स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोणसे भी वास्तविक स्वतन्त्रताके प्रेमियोंके लिए यह आवश्यक है कि पेश्तर इसके कि बात अपने काबूके बाहर हो, ऐसे कृत्योंको रोकनेके लिए अपनी सारी शक्ति लगा दें।

मेरे कानोंमें यह भनक पड़ी है कि अहिंसाके साथ-साथ चलनेवाली हिंसा अहिंसाको अवश्य सहायता पहुँचायेगी। अहिंसा-कार्यक्रमके जनक और इस विषयके विशेषज्ञकी हैसियतसे मैं अपने पूरे विश्वासके साथ यह घोषित कर देना चाहता हूँ कि यह खयाल करना कि हिंसा अहिंसाको सहायता पहुँचा सकती है, भारी भ्रम है। इस सम्बन्धमें प्रचुर अनुभवपर आधारित मेरी गवाही ही निर्णयात्मक समझी जानी चाहिए।

मैं यह बात जोरके साथ कह सकता हूँ कि राजनैतिक हत्याका प्रत्येक कार्य अहिंसात्मक आन्दोलनको हानि पहुँचाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस प्रकार यह मुझे विचलित कर देता है। जिसे लोग बारडोलीकी महान भूल कहते हैं, किन्तु जिसे मैं प्रथम श्रेणीकी बुद्धिमत्ताका काम मानता हूँ, वह कांग्रेसी कहे जानेवाले व्यक्तियों द्वारा चौरीचौरामें किये जानेवाले घृणित कार्यके[1] कारण ही हुई थी। यदि मैंने उस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित न कर दिया होता, तो देश इतनी आश्चर्यजनक प्रगति न कर पाता। प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्तिको यह समझ लेना चाहिए कि मेरे चाहे या किये बिना ही यदि हत्याकी यह छूत फैलती गई, तो इससे सक्रिय अहिंसात्मक आन्दोलनमें स्वभावतः बाधा उत्पन्न हो जायेगी। प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तुकी तरह इसके संचालनके भी अपने विशेष नियम हैं।

यहाँपर, बम्बईके स्थानापन्न गवर्नरकी हत्याके लिए किये गये प्रयत्न सम्बन्धी मेरे लेखसे[2] अंग्रेज समुदायमें जो असन्तोष पैदा हुआ है, उसपर एक नजर डालना अप्रासंगिक न होगा। असन्तोषका कारण यह था कि मैंने एक मेजबान द्वारा अपने मेहमानकी हत्या और साधारण हत्याके बीच अन्तर बताया था। मेरा खयाल था कि मैंने अपना अर्थ सर्वथा स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि सर अर्नेस्ट हॉटसन कालेजके मेहमान थे, इस अतिरिक्त कारणसे मैंने अपराधकी गुरुताको बढ़ा दिया था। अवश्य ही प्रत्येक हत्या पापमय होती है और इसलिए निन्दाकी पात्र होती है। किन्तु निश्चय ही ऐसे कृत्योंके सम्बन्धमें भी अपराधकी मात्रा कम या ज्यादा तो होती ही है। और इससे पहले भी अक्सर ऐसा हुआ है कि ऐसे कृत्योंके कुछ विशेष भद्देपनसे सम्बन्धित व्यक्तियोंकी अन्तरात्मा डोल उठी और रोगकी वृद्धि रुक गई। यही उद्देश्य था जिसे ध्यानमें रख कर मैंने लेखमें उक्त भेद बताया था और हत्याके कृत्यकी गम्भीरता बताई थी। और सच तो यह है कि मैं जानता हूँ कि जिन लोगोंको प्रभावित करनेके लिए यह लेख लिखा गया था, उनमें से कुछपर इसका असर हुआ है। मैं अपने अंग्रेज आलोचकोंसे अपने प्रति धैर्य बरतनेके लिए कहता हूँ। मैं उनकी उत्तेजनाको समझता हूँ। किन्तु अपना सन्तुलन खोकर और जहाँ सन्देहकी गुंजाइश नहीं है, वहाँ भी सन्देह करके वे स्थितिमें सुधार नहीं कर सकेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-८-१९३१

१. फरवरी, १९२२ में; देखिए खण्ड २२।

२. देखिए "विश्वासघात", ३०-७-१९३१।

२८७. तार : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

मणिभवन, गामदेवी
बम्बई
६ अगस्त, १९३१

सतीशबाबू
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर

आपका पत्र मिला। आकर मेरे साथ कुछ दिन ठहरिए। जाना अभी भी अनिश्चित।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४३१) से।

२८८. तार : एम० पी० गांधीको

मणिभवन, गाम देवी
बम्बई
६ अगस्त, १९३१

गांधी
इंडचैम्ब
कलकता

आपका तार मिला। आप लेखोंको पुनर्मुद्रित कर सकते हैं।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४३२) से।

२८९. पत्र : एक युवतीको[1]

६ अगस्त, १९३१

प्रिय . . .

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे विस्तारसे नहीं लिखना चाहिए। तुम . . . के नाम मेरा पत्र देखोगी और शायद . . .को भेजा गया मेरा पत्र भी। इस घटनाके ऊपर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर माँके स्नेह और उसकी चिन्ताको समझ सको तो तुम या . . . उद्विग्नता नहीं अनुभव करोगी। मैं . . . [तुम्हारे] परिवारको एक आदर्श परिवार मानता हूँ जिसमें माता-पिताके स्नेहकी जो . . . माँग होती है उसके सिवा बच्चोंको पूरी आजादी प्राप्त है। यह भी इसी प्रकारकी एक घटना है। लेकिन तुम मुझे विस्तारके साथ स्पष्ट लिखना कि तुम दोनोंको कैसा लगा है।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

कमसे-कम ८ तारीखतक लेवर्नम रोड, बम्बईमें हूँ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६३२) से।

२९०. पत्र : एक माताको[2]

६ अगस्त, १९३१

गोपनीय

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। मैं . . .को पत्र लिख कर कह रहा हूँ कि मेरी रायमें उसके पत्र-व्यवहारकी जाँच आपको करनी चाहिए। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि जो बच्चे बड़े हो गये हों उनके ऊपर माँ-बापका कोई आवश्यक अधिकार होता है। हम माँ-बाप लोगों द्वारा उनके ऊपर अधिकार रखनेका दावा करनेसे सम्भव है कि उनके ऊपर हमारा प्रभाव खत्म हो जाये। मैं केवल आपकी मानसिक शान्तिके लिए विचार प्रकट कर रहा हूँ। मुझे इस बातका डर नहीं है कि . . . गलत कदम उठायेगी। . . . मैं आपको यह सब इसलिए बता

१. इस पत्रमें नाम नहीं दिये गये हैं।

२. इस पत्रमें नाम और कुछ पंक्तियाँ नहीं दी गई हैं।

रहा हूँ क्योंकि . . .का जो लम्बा पत्र मुझे मिला है उससे मैं देखता हूँ कि लड़कियोंको कुछ-कुछ त्रासका अनुभव हो रहा है। मुझे इस बातकी चिन्ता है कि मात्र इस एक झटकेके कारण आपके आदर्श घरकी सुख-शान्ति भंग न होने पाये।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६८९) से।

२९१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

६ अगस्त, १९३१

चि० प्रेमा,

तू मुझे लिखेगी ही नहीं, यह कैसे चलेगा?[1] तुझसे मैंने लम्बे पत्रकी आशा रखी थी। अब जरूर लिखना। धुरन्धर और किसनके साथ आज लगभग एक घंटे तक तेरी ही बात करनी पड़ी। यह कितनी शरमकी बात है?

मैत्रीसे तू गले मिली, यह बात पढ़कर मैं खुश[2] हुआ। लेकिन पूरे वर्णनके बिना मुझे सन्तोष नहीं होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६०)से। सी० डब्ल्यू० ६७०९ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

२९२. भाषण : अ० भा० कां० क० की बैठक, बम्बईमें

६ अगस्त, १९३१

महात्मा गांधीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बईके कार्यकारी गवर्नरकी हत्याके प्रयत्नकी तथा बंगालके न्यायाधीश गारलिककी हत्याकी निन्दा करती है। हालाँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सब राजनीतिक हत्याओंकी[3] भर्त्सना करती है फिर भी बम्बईके कार्य-

१. आश्रमकी प्रार्थनाके बाद गांधीजीने प्रेमाबहनके सम्बन्धमें उठी कुछ अफवाहोंकी चर्चा की थी जो प्रेमाबहनको बुरी लगीं।

२. प्रेमाबहनने मैत्रीको धमकी दी थी कि यदि वह अपनेसे छोटी लड़कियोंको चिढ़ायेगी तो वह उसे चप्पलसे पीटेगी।

३. माईसाहब कोतवालने मुँह जबानी "और हत्याके प्रयत्न" इन शब्दोंको जोड़नेका सुझाव दिया था जो बादमें स्वीकार कर लिया गया था।

कारी गवर्नरकी हत्याके प्रयत्नको वह और भी निन्दनीय मानती है, क्योंकि हत्याका यह प्रयत्न एक ऐसे कालेजके विद्यार्थी द्वारा किया गया था जिसके कि वे सम्मानित अतिथि थे। अ० भा० कां० क० उन लोगोंको, जो गुप्त रूपसे अथवा खुले तौर पर ऐसी हत्याओंका अनुमोदन करते हैं या उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, यह चेतावनी देती है कि ऐसा करके वे देशकी प्रगतिमें बाधा डाल रहे हैं। अ० भा० कां० क० कांग्रेसकी समस्त संस्थाओंका आह्वान करती है कि वे सार्वजनिक हिंसाके समस्त कार्योंके विरुद्ध, यहाँतक कि जहाँ ऐसे कार्योंके लिए उत्तेजन दिया जाता हो उसके विरुद्ध भी, विशेष प्रचार करे। इसके अतिरिक्त अ० भा० कां० क० राष्ट्रीय अखबारोंसे अपील करती है कि वे इस दिशामें अपने प्रभावका पूरा प्रयोग करें।

प्रस्तावपर बोलते हुए गांधीजीने कहा :

मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्रस्तावका मतलब समझ गये होंगे, इसलिए मैं इसका हिन्दुस्तानी अनुवाद करके आप लोगोंपर बोझ नहीं डालना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे यहाँ जो-कुछ कहा है उससे कहीं ज्यादा बातें मेरे मनमें भरी हुई हैं। मैं यह सब आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रस्तावको मैंने स्वयं तैयार किया है और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कहाँतक अपनेसे सहमत कर सकता हूँ। मैं आपको यह भी सूचित कर दूँ कि इस प्रस्तावको लेकर कार्य-समितिके सदस्योंमें कोई मतभेद नहीं था और मैं आशा करता हूँ कि इस बैठकमें भी इस विषयपर कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन, फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसे बिना किसी तर्क अथवा वाद-विवादके स्वीकार कर लें। मेरी इच्छा है कि आप लोग इसपर अपने विचार व्यक्त करें और यदि आप इससे सहमत न हों तो इसे नामंजूर कर दें।

यह प्रस्ताव अपने-आपको अथवा अंग्रेजोंको या सारी दुनियाको धोखा देनेकी दृष्टिसे पेश नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव तो कांग्रेसके सिद्धान्तको बतानेके लिए रखा गया है। कांग्रेसका सिद्धान्त है अहिंसक और शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा 'पूर्ण स्वराज्य'की प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना। हमने शान्ति, सत्य और नेकीके मार्गपर चलनेका निश्चय किया है। और यदि हमारा इसमें विश्वास है तथा यदि हम चाहते हैं कि संसार भी यह विश्वास करे कि हमारा मार्ग यही है, तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम निष्ठाके साथ मनसा, वाचा, कर्मणा इस मार्गका अनुसरण करें। हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि जो लोग इससे विपरीत मार्गपर जाना चाहते हों उन्हें जानेसे रोकें। हमें उनको राजी करनेकी कोशिश करनी चाहिए। १९२० में जब कांग्रेसने पहले-पहल अहिंसाको अपने सिद्धान्तके रूपमें अपनाया था तब यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि कांग्रेस उन लोगोंके कार्योंकी ओर क्यों ध्यान दे जो कांग्रेसमें शामिल नहीं हैं। उस समय यह कहा गया था कि कांग्रेस अपने मार्गका अनुसरण करे तथा अन्य लोगोंको जैसा वे चाहते हों वैसा करने दे। यह कहा गया था कि यदि कांग्रेस चाहे तो वह अपने अहिंसाके सिद्धान्तका पालन दृढ़तापूर्वक करती रह सकती है और विरोधियों द्वारा अपने विरुद्ध की गई हिंसक

कार्रवाईको भी धीरजके साथ सह सकती है, लेकिन उसे अन्य लोगोंको सलाह देने अथवा उनकी राहमें बाधा उपस्थित करनेकी कोई जरूरत नहीं है।

जबसे यह विवाद शुरू हुआ है तबसे मेरा उत्तर यह रहा है कि कांग्रेस समस्त भारतकी ओरसे बोलने तथा उसका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है। और यह जो आन्दोलन चला रही है वह प्रत्येक भारतीयकी भलाईके लिए चला रही है, चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो अथवा पारसी। हमारा दावा है कि हमारा उनके ऊपर प्रभाव है और हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी ओरसे बोलते हैं। हमारी लड़ाई केवल कांग्रेसजनोंके लिए ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारा कार्य अत्यन्त सहल होता। पिछले साल हमने सरकारके विरुद्ध स्वाधीनता आन्दोलन छेड़ा था तब सारा राष्ट्र हमारे साथ था। जिन लोगोंने आन्दोलनमें भाग लिया था वे सबके सब कांग्रेसी नहीं थे। लेकिन उनके लिए कार्य करते हुए और उनकी सहायता लेते हुए हमारी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। सरकार कांग्रेसका लोहा मानती है सो इसलिए नहीं कि कांग्रेसमें कई हजार सदस्य हैं या उसमें कुछेक वकील, डाक्टर अथवा अन्य विद्वान लोग शामिल हैं जो अच्छी तरहसे तर्क-वितर्क कर सकते हैं और विचार-विनिमय कर सकते हैं, बल्कि सरकार कांग्रेसको इसलिए शक्तिशाली मानती है क्योंकि वह महसूस करती है कि कांग्रेसकी आवाज गाँवोंमें पहुँच गई है। क्या आप यह समझते हैं कि यदि आप आज यह घोषणा कर दें कि हमें जनतासे कुछ लेना-देना नहीं है और हमारा संघर्ष केवल कांग्रेसके सदस्यों तक ही सीमित है तो आपकी बातोंको आज जो महत्त्व दिया जाता है आगे भी वैसे ही दिया जाता रहेगा?

अब हमारी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि देशके कोने-कोनेमें, जहाँ हमारी आवाज अभीतक नहीं पहुँच पाई है, जहाँ लोगोंने कांग्रेसके झण्डेके दर्शन भी नहीं किये हैं, वहाँ भी हमारे प्रभावको महसूस किया जाने लगा है। यह सच है कि भारतके सभी सात लाख गाँवोंमें कांग्रेसके संगठन नहीं हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि यदि हम वहाँ जायें तो लोग हमारी बातको सुनेंगे और हमारी सलाह मानेंगे।

जो लोग हत्या करते हैं वे भी हमारे बन्धु ही हैं। हमें उनपर दबाव डालना चाहिए। जब हम उनका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते हैं तब वे जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए। १९२१ में हमने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम गैर-कांग्रेसी लोगोंके कार्योंके लिए भी उत्तरदायी होंगे। आप जानते ही हैं कि मैंने पहले एक दो बार अपना आन्दोलन इसी कारण स्थगित किया था। मैं यहाँ केवल रौलट अधिनियमका[1] उदाहरण दूँगा। मैं यह कहनेके लिए तैयार हूँ कि हमने पिछले अवसरोंपर जो अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया था उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि उससे हमें स्पष्ट रूपसे लाभ ही पहुँचा है।

१. रौलट अधिनियमसे सम्बन्धित सत्याग्रह १९१९ में हिंसा भड़क उठनेके कारण स्थगित कर दिया गया था; देखिए खण्ड १५, पृष्ठ ४८३-८६।

आज भी ऐसे बहुतसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि १९२२ में बारडोलीमें आन्दोलन स्थगित करके मैंने एक गम्भीर भूल की थी।[1] उनका कहना है कि यदि हम उस समय अपना आन्दोलन जारी रखते तो इस समयतक हम स्वाधीन हो गये होते। मैं समझता हूँ कि ऐसा समझना एक भूल है। मेरा अब भी यह दृढ़ विश्वास है कि १९२२ में बारडोलीमें मैंने जो किया वह ठीक था और उससे भारतको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। आज देशमें जो जागृति दिखाई देती है वह उसीके फल-स्वरूप है। यदि आप मेरी इस बातमें विश्वास नहीं करते, यदि आपकी राय मझसे भिन्न है तो आप बताइए। आपमें ऐसा कहनेका साहस होना चाहिए। लेकिन यदि आपका यह विश्वास है कि १९२२ से लेकर आजतक हम जो करते आये हैं वह सही है तब आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप इस प्रस्तावको पास करें और इसके लिए कार्य करें।

पिछले अवसरोंपर हमने जब-जब ऐसे कार्योंकी निन्दा की है तब-तब हमने नौजवानोंके बीच मौजूद बलिदानकी भावनाकी सराहना भी की है। लेकिन हमने इसकी इतनी ज्यादा सराहना कि मैं समझता हूँ कि कराचीमें जब हमने भगतसिंह और उनके साथियोंके बारेमें प्रस्ताव पास किया था तब हम सीमाको लाँघ गये थे। उस समय मैंने सोचा था कि एक ऐसे व्यक्तिको, जिसका त्याग इतना महान था और जिसका चरित्र मुझे निर्मल दिखाई देता था, फाँसीके तख्तेपर जानेसे बचानेके लिए हम जो-कुछ कर सकते हैं सो हमें करना चाहिए। और यदि हम अपने इस प्रयत्नमें सफल नहीं होते तो हमें वह प्रस्ताव अवश्य पास करना चाहिए जो कि हमने उस समय किया। मैंने यह कार्य इस विश्वासके साथ किया था कि इसका नौजवानों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं अपने प्रयत्नमें असफल रहा। नौजवानों-की बढ़ती हुई शक्तिसे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उस प्रयत्नमें मुझे तनिक भी सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत उससे अनुचित रूपसे लाभ उठाया गया और इसका मुझे दुःख है।

ऐसे भी कई लोग हैं जो कराचीमें पेश किये उस प्रस्तावको चालबाजीके साथ स्वीकार करनेके लिए मुझे दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि मैं दिल्लीमें हुए सम-झौतेकी परिपुष्टि और गोलमेज-सम्मेलनमें भाग लेनेके हेतु कांग्रेसकी सहमति प्राप्त करनेके लिए नौजवानोंको सन्तुष्ट करना चाहता था। इन आलोचकोंको मेरा यह उत्तर है कि मेरे मनमें क्या है उसे जाननेका आप लोग दावा नहीं कर सकते। यह तो केवल ईश्वर ही जानता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भविष्यमें मैं ऐसी भारी भूल कभी नहीं करूँगा। यदि मैं करता हूँ तो मैं कांग्रेसके प्रति सच्चा नहीं ठहरूँगा। अन्य लोगोंके लिए यह केवल नीतिका प्रश्न हो सकता है लेकिन मेरे लिए यह मेरा धर्म है। इतनी छोटी-सी बातके लिए इतनी बड़ी भूल करना मेरे लिए कैसे सम्भव है? मैंने अपने जीवनमें कभी ऐसा नहीं किया है। मैं गोलमेज

१. देखिए खण्ड २२।

सम्मेलनको इतना ज्यादा महत्त्व नहीं देता कि उसके लिए मैं अपने जीवनके महान सिद्धान्तका त्याग कर दूँ।

हाँ, मैं दिल्ली समझौतेको निःसन्देह ज्यादा महत्त्व देता हूँ। हमें उससे लाभ हुआ है और मैं अभी भी यह महसूस नहीं करता कि उसे स्वीकार करके हमने कोई भूल की। उस समय मैंने सोचा था कि दिल्ली समझौतेको स्वीकार करके हमें फायदा होगा और मैं देखता हूँ, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है तथा भविष्यमें और भी होगा। आप सोच सकते हैं कि यह समझौता रद्दीकी टोकरीमें फेंकनेके लायक है। लेकिन कोई भी चीज मुझे इसका यकीन नहीं दिला सकती कि यह एक भूल थी।

मैं लोगोंकी इस आपत्तिसे भली-भाँति परिचित हूँ कि हमारे नौजवानोंके अपराधोंको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है जबकि सरकारकी, जिसकी गलतियोंके कारण नवयुवक ये सब कार्य करनेपर मजबूर होते हैं, कोई आलोचना नहीं की जाती। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेसको वह कार्य करनेकी कोई जरूरत है। जो लोग यह चाहते हैं कि कांग्रेस सरकारकी निन्दा करे, वे कांग्रेसको नहीं जानते। कांग्रेसकी तो स्थापना ही वर्तमान शासन-प्रणालीको नष्ट करनेके लिए की गई है। इस देशमें अनेक वर्षोंसे जो-कुछ होता आ रहा है, कांग्रेस उसे खत्म कर देना चाहती है। कांग्रेसने यह निश्चय उस समय किया जब उसने पहली वार असहयोग आन्दोलन चलाया। तबसे इस सरकारके पाप कम नहीं हुए हैं, बल्कि उनमें वृद्धि ही हुई है। जो नौजवान हत्या आदिके कार्य करते हैं सो निराश हो जानेपर ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा करके वे भूल करते हैं।[1]

राजनीतिक हत्याओंकी निन्दा करते समय सरकारकी गलतियोंको दोहराना विषयको उलझाना है तथा उत्तेजनशील नौजवानोंको गुमराह करना है। हमें उन्हें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें बता देना चाहिए कि चाहे कितना भी उत्तेजन मिले फिर भी उन्हें किसी भी हालतमें हत्या नहीं करनी चाहिए।

लेकिन लोग सवाल करते हैं कि आप वर्तमान शासन प्रणालीको अहिंसा द्वारा कैसे समाप्त कर सकते हैं? १९२० से देशमें जो तरक्की हुई है वह निःसन्देह हमारी सफलताका पर्याप्त ठोस प्रमाण है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हम इस प्रयत्नमें सफल होंगे अथवा नहीं। सवाल तो कांग्रेसके सिद्धान्तका है और हमें निष्ठापूर्वक इसका पालन करना है। इसलिए हम अपने चारों ओर जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ देखते हैं उनसे हमें अपने-आपको हर हालतमें अलग रखना चाहिए। जो लोग कांग्रेसके इस सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते यदि वे इस सिद्धान्तको रद करानेके लिए कोई आन्दोलन करते हैं, तो उनका ऐसा करना बिल्कुल उचित होगा और फिर आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया है ऐसे प्रस्तावोंको पेश करनेकी जरूरत भी नहीं रह जायेगी। हमें अपने-आपको अथवा संसारको धोखा नहीं देना चाहिए।

१. इसके बादका अंश **यंग इंडिया** में प्रकाशित महादेव देसाईकी रिपोर्टसे लिया गया है।

अब, राष्ट्रवादी समाचारपत्रोंको एक शब्द। वे चाहें तो भली-भाँति सहायता कर सकते हैं। प्रायः उनमें राजनीतिक हत्याके समर्थनके सूचक शीर्षक पाये जाते हैं। उनको यह सावधानी बरतनी होगी कि हिंसाको जिनसे रंचमात्र भी प्रोत्साहन मिले, ऐसी चीजें न छापें।

मुझसे नौजवानोंने यह कहा है कि अगर मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, तो मुझे शान्तिके साथ बैठ जाना चाहिए और उनके काममें बाधा नहीं डालनी चाहिए। उनको मेरा उत्तर है: यदि आपके लिए अंग्रेज अधिकारियोंको मारना बहुत जरूरी है तो आप उनके स्थानपर मेरी ही हत्या क्यों नहीं करते? मैं आपके मार्गमें अपने ढंगसे रुकावट डालनेके अपने अपराधको स्वीकार करता हूँ। यह मेरा सिद्धान्त है। मेरे ऊपर कोई दया न दिखायें और मुझे सीधा मार डालें। लेकिन जबतक मुझमें साँस है तबतक मैं अपने तरीकेसे प्रतिरोध करूँगा। और यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो आप सरकारी अधिकारियोंपर भी, चाहे वे बड़े हों अथवा छोटे, हाथ न उठायें।[1]

अन्तमें महात्मा गांधीने कुछ राष्ट्रवादी अखबारोंकी प्रवृत्तियोंका उल्लेख किया जो उन्हें अहिंसाके सिद्धान्तके बिल्कुल अनुरूप दिखाई नहीं दीं। उन्होंने उन अखबारोंको इस विषयमें सावधानी बरतनेको कहा। उन्होंने इस बातकी आवश्यकता महसूस की कि उन्हें ईमानदारीके साथ अपनी भूलको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगेसे अपनी प्रवृत्तियोंको सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ एक ओर मैं उनकी सफलताओंकी प्रशंसा कर सकता हूँ वहाँ दूसरी ओर मैं एक आलोचककी दृष्टिसे उनकी आलोचना भी कर सकता हूँ और यदि गुणोंकी तुलना हिमालयके साथ की जा सकती है तो उनके दोषोंको विन्ध्य पर्वतके समान बड़ा भी माना जायेगा। उन्होंने अ० भा० कां० क० के सदस्योंके सम्मुख अपनी इस अपीलको फिर दोहराया कि वे प्रस्तावको स्वीकार कर लें अथवा ठुकरा दें।[2]

बहसका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि जब श्रीयुत अभ्यंकरने मुझपर प्रस्तावोंमें किये जानेवाले संशोधनों तथा भाषणोंपर ध्यान न देनेका आरोप लगाया तो मैंने उस आरोपको सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप सब लोग जानते हैं कि मुझमें कुछ अच्छी या बुरी आदतें हैं और मैं उन आदतोंपर डटा रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं अध्यक्षकी अनुमतिसे सभासे जाना चाहता हूँ। चूँकि मैंने उन लोगोंके भाषणोंको, जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं, नहीं सुना है, इसलिए, वस्तुतः देखा जाये तो मुझे उत्तर देनेका कोई अधिकार नहीं है लेकिन यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बोलूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझपर बहुत कृपालु हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ इसलिए आप लोगोंको मुझसे उसी शक्तिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिस शक्तिके साथ मैं पहले काम

१. इसके बादका अंश **बॉम्बे क्रॉनिकल** से लिया गया है।

२. इसके बाद प्रस्तावपर बहस हुई।

करता रहा हूँ। मैं अपनी शक्तिको सुरक्षित रखनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस शक्तिका उपयोग राष्ट्रीय सेवाके लिए किया जायेगा।[1]

कुछ वक्ताओंने मुझसे अपील की है कि मैं इसमें सरकारसे सम्बन्ध रखनेवाले शब्द और जोड़ दूँ। श्रीयुत अभ्यंकरने मेरी इस बातके लिए सराहना की है कि मुझमें हिमालयसदृश भूलोंको स्वीकार करनेका साहस है और मैं बहुत संतुलित व्यक्ति हूँ। अच्छा, तो फिर उनको यह बता दूँ कि अपनी इसी विवेकबुद्धिके कारण ही मैं सुझावोंको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे जो-कुछ चाहते हैं सो 'जहाँ उत्तेजना दी जाती हो, वहाँ भी,' इस वाक्यमें मौजूद है। यदि आप सरकार द्वारा की जानेवाली हिंसाका ही राग अलापते रहेंगे और हमारे नौजवानोंके साहस और बलिदानकी प्रशंसा करते रहेंगे, तब मेरा आपसे कहना है कि ऐसा करके आप सिर्फ उनमें से बहुतसे लोगोंको फाँसीके तख्ते तक पहुँचानेमें मदद देंगे। सरकार उन्हें फाँसी देगी, इस बातकी मुझे इतनी चिन्ता नहीं है जितनी इस बातकी है कि आप उन्हें फाँसीके तख्ते पर चढ़ानेके लिए प्रोत्साहित कर रहे होंगे। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि एक ओर हिंसाकी[2] भर्त्सना करके तथा दूसरी ओर उसके पीछे निहित साहसकी प्रशंसा करके आप सचमुच कर भी यही रहे हैं।

श्रीयुत अभ्यंकरने मुझे चेतावनी दी है कि हमारे निन्दाप्रस्तावोंका नौजवानों पर कोई असर नहीं होता। वे भूल करते हैं। यहाँ जो-कुछ हम कहते हैं उसका प्रत्येक शब्द उनके कानों तक पहुँच जाता है। इससे कभी-कभी वे क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन अक्सर वे सोचनेको विवश हो जाते हैं और मेरा यह नम्र निवेदन है कि स्वयं हममें जितना उत्साह है उसी हदतक हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इस-लिए हमें स्पष्ट और साफ-साफ शब्दोंमें उनसे कह देना चाहिए कि उनके कार्यसे हमें कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि रुकावट ही पहुँचती है। नरीमन समितिके[3] नियुक्त किये जानेका सुझाव मैंने दिया था। इसे अभी मेरे लिए कुछ तथ्य और इकट्ठे करने हैं। लेकिन अभी तक जो तथ्य इकट्ठे किये गये हैं उनके आधार पर भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इन युवकोंके कार्यसे मुझे असुविधा होती है। जो लोग इन्हें थोड़ा-सा भी प्रोत्साहन देते हैं वे उन लोगोंकी रिहाईको और भी मुश्किल बना देते हैं जो पहलेसे ही कैद भुगत रहे हैं। मैं समझौतेके अन्तर्गत उन राजनीतिक बन्दियोंको रिहा नहीं करवा सका हूँ, हालाँकि मुझे उम्मीद थी कि मैं अनुनय-विनय द्वारा ऐसा कर लूँगा। यदि आपने पूर्ण विश्वासके साथ मुझे चुना है तो आपको मेरे तरीकोंमें भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करते

१. इसके बादका अंश **यंग इंडिया** से लिया गया है।

२. साधन-सूत्रमें 'अहिंसा' शब्द है।

३. कांग्रेसके प्रस्ताव नं० ३ के अन्तर्गत जो राजनीतिक बन्दी और अन्य लोग रिहा किये जानेवाले थे उनके सम्बन्धमें सब प्रान्तोंसे तथ्य इकट्ठे करनेके लिए इस समितिकी नियुक्ति की गई थी।

हैं तो सच्चा रास्ता यही है कि आप मेरा परित्याग करें और कांग्रेसके सिद्धान्तको बदल डालें।[1]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-८-१९३१, और **यंग इंडिया**, १३-८-१९३१

२९३. पत्र : नारणदास गांधीको

[६ अगस्त, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

चि० नारणदास,

सभाका काम चल रहा है और मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। तुम अब तो स्वस्थ हो गये होगे। तुम [मानसिक रूपसे] कभी अस्वस्थ भी हो सकते हो, इसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम यदि अपनी इस अस्वस्थतापर गौर करोगे तो देखोगे कि इसका कोई कारण भी नहीं है। हमको लेकर यदि कोई झूठा वहम करने लगे तो उससे क्या हुआ? लेकिन तुम्हारे साथ दलील क्या करनी? तुम न समझते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब यह बात तुम्हारे हृदयमें चुभ गई है और यह चुभन तो रामनामसे और समयके साथ ही कम होगी।

महावीरकी बहुत सार-सँभाल की जाती है। वह अब काफी ठीक हो गया है। डाक्टरका कहना है कि थोड़े दिन और उसकी देखभाल करनी होगी। उसका शरीर विषैले कीटाणुओंसे भरा हुआ है। बा रोज उसे देखने जाती है। उसकी सेवा-सुश्रूषा बहुत अच्छी तरहसे की जाती है। कृष्णमैया देवीको यह बता देना।

मेरी वहाँ आनेकी इच्छा तो अवश्य है। कदाचित् ९ तारीखतक यहाँ रहना पड़ेगा। विलायत जानेके बारेमें अभी पक्का नहीं हुआ है। प्रभावती यहाँ आ गई है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने

१. गांधीजीका प्रस्ताव लगभग सर्व-सम्मतिसे पास हो गया; केवल चार या पाँच हाथ ही इसके विरुद्ध उठे थे।

२. प्रथम वाक्यसे और अंतिम अनुच्छेदमें गांधीजीकी ब्रिटेन यात्राकी अनिश्चितताके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह पत्र बम्बईमें ६ अगस्त, १९३१ से आरम्भ होनेवाली अ० भा० कां० क० की बैठकके दौरान लिखा गया था।

२९४. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

बम्बई
७ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

खेड़ाके अमुक गाँवोंमें पंच-जुर्मानोंके सन्दर्भमें मैं आपको मूल कागजात भेज रहा हूँ जिनपर उन लोगोंके हस्ताक्षर हैं जिन्होंने जुर्माना अदा किया था। यह बात आप खुद ही सबसे अच्छे ढंगसे तय कर सकते हैं कि इन कागजातोंपर उन लोगोंके हस्ताक्षर हैं या नहीं जिन्होंने शिकायत की थी, और आपको ये कागजात संतोषजनक लगते हैं या नहीं। मेरा यह भी सुझाव है कि जिन लोगोंके बारेमें आपको शक हो कि वे अनुचित प्रभावमें थे, उन लोगोंसे व्यक्तिगत तौरपर आप मिल लें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४३६) से।

२९५. पत्र : बोल्टनको

बम्बई
७ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री बोल्टन,

मैं ऐसी स्थिति लानेके लिए भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ जिससे मुझे निर्णय करनेमें सहूलियत हो। मेरी कठिनाई यह है: मैं ऐसा नहीं मानता कि इंग्लैंडमें जो लोकमत है वह यहाँके अंग्रेज अफसर तबकेकी रायसे बहुत ज्यादा भिन्न है। बारडोली या संयुक्तप्रान्तकी बातें स्वयं में शायद बहुत महत्त्वपूर्ण न हों, तथापि वे लक्षण तो हैं ही और इस नाते उनका अपना महत्त्व है। मैं गणेशखिण्डसे[1] कोई संकेत मिलनेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

मेहमान और मेजबानकी मैंने जो चर्चा की[2] उसको लेकर हुई गलतफहमीसे मुझे गहरा दुख हुआ है। शरारतका मुकाबला करनेके लिए एक प्रबल तर्कके रूपमें

१. पूनाके निकट गवर्नरका ग्रीष्म-निवास।
२. देखिए "विश्वासघात", ३०-७-१९३१।

यह बात कही गई थी, लेकिन उसके अर्थ यह लगाये गये हैं कि जैसे इसका उद्देश्य शरारतको शह देना था।

यदि मैं लन्दन गया तो वहाँ मैं क्या करनेकी आशा रखता हूँ इसके बारेमें 'यंग इंडिया'में मेरा लेख आपने शायद देखा होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४४२) से।

२९६. भाषण: पारसियोंकी सभा, बम्बईमें

७ अगस्त, १९३१

महात्मा गांधी . . .ने कहा कि मेरे पास भाषण देनेके लिए एक मिनटकी भी फुसर्त नहीं है, क्योंकि भाषण देनेका समय पहले ही बीत चुका है। कुछ समय पहले जब मैं जेलसे बाहर आया था[1] तब श्री भरूचाने मुझसे यह वचन लिया था कि मैं कमसे-कम एक बार पारसी समाजके समक्ष भाषण देनेके लिए समय निकालूँगा। उसके बाद मैं कई बार बम्बई आया, लेकिन फिर भी श्री भरूचाने वचन पूरा करनेके लिए मुझसे आग्रह नहीं किया। अब सम्भवतः श्री भरूचाने सोचा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने आज मुझसे अपने वचनका पालन करनेका आग्रह किया। इसके बाद महात्मा गांधीने कहा कि मुझे साढ़े सात बजे प्रार्थनाके लिए जाना है तथा प्रार्थनाके बाद मैं रातके ११ बजे तक व्यस्त रहूँगा, इसलिए मैं अपना भाषण बहुत संक्षेपमें दूँगा।

अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पारसी समाजने देशके लिए बहुत-कुछ किया, लेकिन मेरे विचारसे उतना नहीं किया जितना कि मुझे उनसे उम्मीद थी। भारतमें सात[2] लाख गाँव हैं और यदि पारसी समाज भूखसे पीड़ित इन लाखों गरीबोंको दान देना चाहता है तो उसको इन गरीब गाँववासियों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारसियोंको स्वयं भी चरखा कातनेकी कोशिश करनी चाहिए। भारतमें एक समय ऐसा था जब घर-घरमें चरखा हुआ करता था, लेकिन भारतीय लोग उसमें कुछ सुधार नहीं कर सके जबकि लंकाशायर प्रगतिके साथ कदम मिलाकर चलता रहा और अपनी कताईकी मशीनमें बहुत सारे सुधार कर लिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोग जो हाथ-कता कपड़ा पहना करते थे उन्होंने वह कपड़ा

१. २६ जनवरीको।
२. साधन-सूत्रमें 'साठ' है।

पहनना छोड़ दिया और वे लंकाशायरका महीन कपड़ा पहनने लग गये। पारसी लोगोंको यह याद रखना चाहिए कि यदि वे लोग खादी पहनने लगेंगे तो ऐसा करके वे लाखों गरीबोंकी सहायता करेंगे। पारसी लोग तो अपनी दानशीलताके लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन महात्माजीने पूछा कि कौन-सा दान ज्यादा अच्छा है — सेवा द्वारा दिया गया दान अथवा पैसों द्वारा किया गया दान? यदि पारसी लोग खादी पहनते हैं तो वे दुनियाके सामने दो बातें रखेंगे। पहली तो यह कि वे गरीबोंके लिए कष्ट उठा रहे हैं और दूसरी यह कि वे गरीबोंकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि कष्ट उठाना और सेवा करना किसी अन्य प्रकारके दानकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा दान है।

एक बात और जो मैं पारसियोंसे कहना चाहता हूँ वह शराबके व्यापारके सम्बन्धमें है। अनेक पारसियोंने शराबकी दुकानें खोल रखी हैं जोकि गरीबोंके कष्टोंका कारण हैं। मैं नहीं समझता कि पारसी लोगोंके लिए शराबका व्यापार छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात होगी। पारसी फारससे आये हैं और उन्होंने अपने-आपको कुछ इस रूपमें ढाल लिया है कि वे बड़ी आसानीसे शराबकी दुकानोंको छोड़कर किसी भी दूसरे व्यापारमें सफलतापूर्वक फल-फूल सकते हैं। शराबका व्यापार छोड़कर पारसी समाज देशको जो दान देगा वह बहुत बड़ा दान होगा और जब इस देशका इतिहास लिखा जायेगा तब पारसियोंके बारेमें यह लिखा जायेगा कि पारसियोंने देशके लिए महान् त्याग किये। इस सम्बन्धमें मीठूबहनने गुजरातकी जो सेवा की है उसके लिए पारसियोंको गर्वका अनुभव करना चाहिए। मीठूबहनने गुजरातके लिए जो किया वह हर पारसीको अपने देशके लिए करना चाहिए। यह सब पारसी समाजके लिए है कि वह एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे शराबका यह घातक व्यवसाय खत्म हो जाये। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि तब फिर शराबके पारसी विक्रेताओंको कौन-सा व्यापार करना चाहिए? महात्मा गांधीने कहा कि पारसी लोग इतने उद्यमशील हैं कि शराबका व्यापार बन्द करनेपर किसी भी व्यवसायमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजीका ही उदाहरण लें। पहले रुस्तमजी शराबका ही व्यापार करते थे, जिसे उन्होंने छोड़ दिया और नया धन्धा शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने बहुत धन कमाया और लाखों रुपये दानमें दिये। इसलिए मुझे आशा है कि पारसी लोग इस विषयपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

तीसरी बात सादा जीवनके सम्बन्धमें है। मैं इंग्लैंड जाऊँगा अथवा नहीं, सो मैं नहीं जानता। लोगोंका कहना है कि मैं १५ तारीखको इंग्लैंड जा रहा हूँ, लेकिन इसके बारेमें मैं खुद ही निश्चित नहीं हूँ। मैं इंग्लैंड जाऊँ अथवा नहीं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों और सुविधाओंके सम्बन्धमें निश्चिन्त रहें। सारे भारतमें पारसी जाति सबसे छोटी जाति है और इसकी जन-संख्या मुश्किलसे एक लाख है। भविष्यके लिए चिन्ता करनेकी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने स्वावलम्बन और अपनी शक्तिपर भरोसा है। पारसी समाजने भारतके

किसी भी समाजके लोगोंका कोई अहित नहीं किया है और आपको इस बातके लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि कोई समाज उनका अहित नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा कि आप अपने जीवनमें सादगी लायें। पारसी लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवनके अभ्यस्त हैं। उदाहरणके तौरपर, उन्हें कीमती फर्नीचर और दूसरे साज-समान चाहिए जो कि दूसरे लोगोंके पास नहीं होते। भविष्यमें आपको जीवनमें सादगी और आत्म-संयम बरतनेका प्रयत्न करना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेसकी जब यह माँग है कि स्वतन्त्र भारतमें सबसे बड़े अधिकारीको केवल ५०० रुपये वेतन मिलना चाहिए तो मुझे पूरा यकीन है कि उस समय तक भारतकी आर्थिक स्थिति इतनी बदल जायेगी कि हर चीज सस्ती मिलने लगेगी। उदाहरणके तौर पर डाक्टर लोग बतौर सलाहकी फीस एक गिन्नी लेते हैं और वकील लोग हजारों रुपये। इसे भी कमसे-कम करना होगा और ऐसा होगा भी, क्योंकि तब हर किसीका जीवन सादा होगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-८-१९३१

२९७. भाषण: स्वदेशी बाजार, बम्बईमें

७ अगस्त, १९३१

गांधीजी . . . ने मंचपर अपने चारों ओर बैठे लोगोंको मुखातिब करते हुए चन्द बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मेरा खयाल ऐसा था कि यहाँ स्वदेशीके काममें दिलचस्पी रखनेवाले चन्द चुनिन्दा लोग होंगे जिन्हें संयोजकोंने सम्मेलनमें बुलाया है। लेकिन उसकी जगह मैं लोगोंका काफी बड़ा मजमा यहाँ देखता हूँ। मैं जहाँ आया हूँ, ऐसी जगह मुझे निमन्त्रित किया जाये तो मैं जानता हूँ कि ऐसी भीड़से बचना मुश्किल है। मुझे खेद है कि मैं विषयके बारेमें आपसे जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह नहीं कह सकता। मेरा सुझाव है कि जो लोग काम करना चाहते हैं वे संयोजकोंको अपने नाम और पते दे दें और स्वदेशीके स्वैच्छिक कार्यकर्ता बन जायें। स्वदेशीका काम करनेवाले कार्यकर्ताओंके साथ सम्पर्क स्थापित करनेका जो ध्येय संयोजकोंके मनमें है यदि वह बम्बईमें सफल होता है तो अन्य स्थानों पर भी उसकी नकल की जा सकती है। गांधीजीने कहा कि आपका उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस विषयपर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता।

उपस्थित लोगोंमें से कुछ लोगोंने गांधीजीसे कुछ प्रश्न किये जिनका उन्होंने उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने 'गांधीजीकी जय' और 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारोंके बीच प्रस्थान किया।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-८-१९३१

२९८. तार : आर० एम० मैक्सवेलको

गामदेवी
बम्बई
८ अगस्त, १९३१

निजी सचिव बम्बई
गणेशखिण्ड

चूंकि लन्दन जानेका मेरा निर्णय गवर्नरके पत्र पर निर्भर करता है इसलिए यदि तारसे सूचित करें कि कबतक उसकी उम्मीद करूँ तो अनुग्रहीत होऊँगा।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४४६) से।

२९९. पत्र : लीलावती आसरको

८ अगस्त, १९३१

चि० लीलावती,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने भले लिखा, लेकिन लिखनेकी जरूरत न थी। नारणदासके लिए अथवा प्रेमावहनके लिए मुझे तुम्हारे प्रमाणपत्रकी जरूरत नहीं है। तथापि इन दोनोंके प्रति तुम्हारे हृदयमें आदर-भाव है, यह बात मुझे पसन्द है। यदि तुम नारणदासकी आज्ञा मानोगी और प्रेमाबहनका सत्संग करोगी तो तुम्हें लाभ ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (जी० एन० ९५६९)से।

३००. पत्र : प्रभावतीको

८ अगस्त, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला। गत सप्ताह मुझे एक मिनटके लिए भी पत्र लिखनेका समय नहीं मिला। मेरी तनिक भी चिन्ता न करना। मेरे दाहिने हाथमें वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है पर लिखनेमें कष्ट होता है, इसलिए बायें हाथसे ही लिखता हूँ। अतः चिन्ता करनेका कतई कोई कारण नहीं। अभी तो लगता है कि यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। अधिक समाचार अखबारोंमें देखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४१९) से।

३०१. पत्र : पद्माको

८ अगस्त, १९३१

चि० पद्मा,

तेरा पत्र आया। तुझे वहीं रहकर तबीयत सुधारनी चाहिए। वालजीभाई आदि जब उस तरफ आयेंगे तब देखा जायगा। तुझे तो जहाँ तू है वहीं खुश रहना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५१२४) से; सी० डब्ल्यू० ३४७६ से भी। सौजन्य : प्रभुदास गांधी

३०२. भाषण: आँखके अस्पताल, बम्बईमें[1]

८ अगस्त, १९३१

उत्तरमें गांधीजीने एक छोटा-सा भाषण दिया। आँखके अस्पतालको उदारता-पूर्वक सहायता देनेके लिए उन्होंने पारसी दानदाताको धन्यवाद दिया और इस बात-पर खुशी जाहिर की कि श्री मेरवानजीके पुत्र श्री रतनशा तथा परिवारके अन्य सदस्य भी इस अस्पतालके प्रति वैसा ही सद्भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल हर प्रकारकी सहायता पानेका अधिकारी है और श्री मेरवानजीके परिवारके सदस्यों और जनताकी तरफसे इसे मददकी कमी नहीं रहेगी। पारसी समाज अपनी सर्वव्यापक उदारताके लिए प्रसिद्ध है। उसकी दानशीलताका यह एक और उदाहरण देखकर मुझे खुशी हुई है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-८-१९३१

३०३. भाषण: अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक, बम्बईमें

८ अगस्त, १९३१

मैं आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि मनुष्यके लिए जितना कुछ सम्भव है, लन्दन जानेके लिए मैं वह सब कर रहा हूँ। दिल्ली-समझौता कांग्रेसको गोलमेज सम्मेलनमें जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखनेके लिए बाध्य करता है। किन्तु आवश्यक वातावरणके बिना मेरा वहाँ जाना बेकार होगा। इसीलिए मैंने यह घोषित कर दिया था कि जबतक हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्या हल नहीं हो जाती, मैं नहीं जाऊँगा। कार्य-समितिने मेरी घोषणापर विचार-विमर्श किया, मेरे तर्कोंका उसपर असर नहीं हुआ, और मुझे उसके इस निर्णयके सामने सिर झुकाना पड़ा कि मेरे जानेके पहले उक्त समस्या चाहे हल न भी हो, मुझे लन्दन जाना ही चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं वहाँ केवल एक हिन्दूकी ही हैसियतसे जाऊँ। मैं यदि वहाँ केवल एक हिन्दूकी ही तरह गया, तो फिर मैं कांग्रेसका प्रतिनिधि नहीं रहूँगा। कांग्रेस सभी जातियोंकी है, और कार्यसमितिने निश्चय किया कि मेरे लिए गोलमेज सम्मेलनसे गैरहाजिर रहनेकी कोई वजह नहीं है, भले ही मुझे वहाँ कम शक्ति और कम आत्मविश्वासके साथ ही क्यों न जाना पड़े। इसका अर्थ था लन्दनकी ओर एक कदम और बढ़ना।

१. गांधीजीने यह भाषण "ऐमेल मेरवानजी चमारबागवाला फ्री ऑफ्थैलमिक हॉस्पिटल" के नये भवनका शिलान्यास करनेसे पहले दिया था।

किन्तु उसमें दूसरी कठिनाइयाँ थीं, जिनमें से एक थी सरकार द्वारा समझौतेका कार्यान्वयन। इस सम्बन्धमें मैंने अपने मनमें यह निश्चय कर लिया था कि मैं समझौतेकी शर्तोंकी छोटी-मोटी अवज्ञाको बहुत महत्त्व न दूँगा। उदाहरणके लिए अब भी बहुतसे ऐसे कैदी जेलमें पड़े हुए हैं, जिन्हें समझौतेके अनुसार छोड़ दिया जाना चाहिए था, अब भी मुकदमे चल रहे हैं और गिरफ्तारियाँ अभीतक की जा रही हैं। लेकिन चूँकि हम कार्यकर्ताओंने स्वेच्छासे कष्ट-सहनके मार्गको स्वीकार किया है, इसलिए कुछ महीनेकी जेल तो छोटी-मोटी बात है। किन्तु जहाँ किसानोंका सम्बन्ध आता है, वहाँ वह एक सर्वथा भिन्न बात है। मैं उनसे और अधिक कष्ट-सहनके लिए किस तरह कह सकता हूँ? कांग्रेस अनिवार्य रूपसे और प्रधानतया एक किसान संस्था है। यह जमींदारों और पूँजीपतियोंका भी प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न करती है, किन्तु उसी हदतक, जहाँतक कि ऐसा करना किसानोंके हितोंमें बाधक न हो। कांग्रेस यदि किसानोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती तो फिर वह कुछ भी नहीं है। मुझे संयुक्त प्रान्त और गुजरातमें किसान-समस्याका सामना करना पड़ा है। गृह-सचिव, श्री इमर्सनने, जहाँतक उनसे हो सकता था, वहाँतक मेरी सहायता की। वाइसरायने भी मुझे विश्वास दिलाया था कि मुझे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं है, और वे सब आवश्यक बातें पूरी कर लेंगे। क्योंकि यह वादा जबानी था, इसलिए मैं यह देखना चाहता था कि उसे पूरा करनेके कुछ आसार हैं या नहीं। मेरी बातचीत अभी जारी है, और आप इत्मीनान रखिए कि मैं उन लोगोंपर, जिनसे कि मैं वचन चाहता हूँ, बहुत ज्यादा भार नहीं डालूँगा। मैं इतना घमण्डी नहीं हूँ कि मैं यह समझने लगूँ कि मेरी गैरहाजिरीमें यहाँ सब मामला गड़बड़ हो जायेगा। किन्तु चूँकि लॉर्ड इर्विनके साथ समझौता करनेमें मैं कांग्रेसका एकमात्र प्रतिनिधि था और चूँकि किसानोंके साथ मेरा इतना निकटका सम्बन्ध है, इसलिए यदि मौजूदा कठिनाइयोंसे भी राहत नहीं मिलती अथवा राहतकी आशा दिखाई नहीं देती तो मैं लन्दन जानेका विचार नहीं कर सकता। यही वजह है कि बम्बईके गवर्नरका बुलावा आते ही मैं दौड़ा हुआ पूना गया[1] और अब उनके उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ। मैंने आज प्रातः ही उन्हें तार[2] दिया और मैं हर समय उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं एक इशारेकी प्रतीक्षामें हूँ, और ज्यों ही वह मुझे मिला, मैं निश्चय कर लूँगा।

किन्तु जबतक मैं वास्तवमें जहाजपर सवार न हो जाऊँ तबतक विश्वास मत कीजिए कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कौन जाने आज और १५ तारीखके बीच क्या हो जाये? हमारा देश एक विशाल देश है, चारों तरफ सब तरहकी अफवाहें उड़ रही हैं, और कोई भी बात आग भड़का सकती है। जिन्ना मेमोरियल हॉलमें जो-कुछ हुआ[3], वह आप जानते हैं। ये वे बातें हैं, जो मुझे भयभीत कर देती हैं और मेरे

१. ४ अगस्तको।

२. देखिए "तार: आर० एम० मैक्सवेल्को", ८-८-१९३१।

३. ३ अगस्त, १९३१ को कुछ मुस्लिम उपद्रवियोंने प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं और कांग्रेसियों पर वार किया था। १५ व्यक्तियोंको चोटें पहुँची थीं।

छक्के भी छुड़ा देती हैं। क्या आप ऐसे हतोत्साहित व्यक्तिको सम्मेलनमें भेजेंगे? मेरे न जानेके निर्णयसे लॉर्ड इर्विनको धक्का पहुँचेगा, और उन्हें यह सन्देह हो सकता है कि मैं अपने आपेमें हूँ भी या नहीं, किन्तु उनके दुःखित होनेका भय होते हुए भी, यदि आज और १५ तारीखके बीच मेरे अन्तर्मनको हिला देनेवाली कोई घटना हो जाये, तो मैं यहाँ रहना ही पसन्द करूँगा। मुझे मुसलमानसे वैसा ही प्रेम है, जैसा हिन्दूसे। मेरा हृदय मुसलमानोंके लिए भी उतना ही दुःखी होता है, जितना कि हिन्दुओंके लिए। यदि मैं अपना हृदय चीर कर दिखा सकता तो आप देखते कि उसमें कोई खाने नहीं बने हुए हैं जिनमें से एक हिन्दूके लिए, दूसरा मुसलमानके लिए और इसी तरह दूसरोंके लिए सुरक्षित हो। इसीलिए जब मैं मुसलमानको हिन्दूका और हिन्दूको मुसलमानका गला काटते देखता हूँ तो उसके लिए मैं अपने-आपको ही जिम्मेदार मानता हूँ। मैं इन बातोंको अबतक सहता रहा हूँ, किन्तु मनुष्यकी सहनशक्तिकी भी एक सीमा होती है। सत्यके लिए प्रतिज्ञाबद्ध व्यक्तिकी तरह मैं अपना हृदय आपके सामने खोलकर रख रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि मनुष्य जो-कुछ अनुभव करता है, वह सबका-सब प्रकट कर सकता है, किन्तु मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। मैं तूफानका शोर सुन रहा हूँ और चाहता हूँ कि यदि आप मुझे उसके सामने काँपता देखें तो आप आश्चर्य न करें। उस क्षण मेरी शक्ति सर्वथा मेरा साथ छोड़ सकती है और मुझे बिल्कुल निष्क्रिय बना दे सकती है। मुझे अपना एकमात्र प्रतिनिधि चुन लेनेपर मैं चाहता हूँ कि मुझमें जो सब मर्यादाएँ और कमजोरियाँ हों आप उन्हें भी स्वीकार करें। मैंने अपने-आपको अपनी सब कमजोरियों और निष्क्रियताके साथ आपके सामने असली रूपमें प्रकट कर दिया है। हो सकता है कि मैं अपनी कमजोरियोंको दूर कर लूँ, यह भी सम्भव है कि अकेला एक मुसलमान मेरे भय और मेरी निष्क्रियताको दूर करनेमें सफल हो जाये।

यहाँपर गांधीजी इतने भाव-विह्वल हो उठे कि वे एक या दो मिनटके लिए आगे न बोल सके। किन्तु उन्होंने तुरन्त ही अपने-आपको सँभाल लिया[1] और जो-कुछ उन्होंने हिन्दीमें कहा था, अंग्रेजीमें उसका सार सुनाने लगे।

१. महादेव देसाईने इस भाषणकी रिपोर्टकी अपनी भूमिकामें यह सूचना दी थी: जिस समय सरदार वल्लभभाई पटेल और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ८ तारीखकी दोपहरको गांधीजीसे मिले और उनसे पूछा कि क्या वे आज शामकी बैठकमें शामिल हो सकेंगे, क्योंकि उनसे अपने लन्दन जानेके सम्बन्धमें वक्तव्य देनेकी आशा की जाती थी, उस समय गांधीजी बम्बईकी कुछ उत्पाती संस्थाओंकी ओरसे प्रकाशित एक उत्तेजनात्मक पुस्तिका पढ़ रहे थे। इसमें सर्वथा झूठी बातें भरी हुई थीं और लोगोंको जानबूझकर हिंसाके लिए इतना भड़काया गया था कि इससे गांधीजीका भी खून खौल उठा। बड़े दुःखके साथ उन्होंने कहा: 'मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ। चाहता तो यह था कि अपनेको यहीं बन्द करके मैं रो लेता। यहाँके वातावरणमें इतनी हिंसा, इतना झूठ भरा हुआ है कि मैं अक्सर यह सोचने लगता हूँ कि यदि दूसरी परिस्थितियोंने मेरा वहाँ जाना सम्भव बना भी दिया तो भी मेरा वहाँ जाना क्या सार्थक होगा।' . . . मैं यह सब विवरण यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि उस महत्त्वपूर्ण संध्याको जो अचानक घबराहट दिखाई दी थी उसका सही चित्र प्रस्तुत हो जाये।"

वास्तवमें मैं यहाँ आपके सामने अपने भावोंको उँड़ेलने नहीं आया था; किन्तु बोलते हुए मेरे लिए अपने भावोद्वेगोंको रोकना असम्भव था। मैंने अपने हृदयको इतना साध लिया है, कि छातीमें तूफान उठते रहनेपर भी, ऊपरसे हँसता रह सकता हूँ। किन्तु वह तूफान अब चरम सीमापर पहुँच गया है और मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ। और लगता है मेरी सारी शक्ति खो गई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यद्यपि जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, स्थिति ठीक हो सकती है, किन्तु फिर भी सम्भव है कि मैं न जा सकूँ, क्योंकि मेरे हृदयमें यह आशंका हो रही है कि जानेका अवसर आनेपर शायदा मैं अपने-आपको तैयार न पाऊँ। उस दिन जिन्ना मेमोरियल हॉलके शर्मनाक दृश्योंका जरा खयाल कीजिए। जिन लोगोंने किसीका कुछ बिगाड़ा नहीं था, उनपर बिना किसी कारण हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। मैंने एक ऐसे आदमीको जो कि यदि अपनी शक्तिका उपयोग करना चाहता तो अकेला दस आदमियोंका मुकाबला कर सकता था, उस शामके पाशविक प्रहारोंके फलस्वरूप खूनसे लथपथ देखा। मेरे लिए यह एक दर्दनाक दृश्य था। उसके बाद मुझे उक्त घटनाका सजीव लिखित विवरण देखनेको मिला। यह मुझे तीरकी तरह चुभा। किन्तु इतना ही सब-कुछ नहीं है। मैं यह अध्ययन करने और समझनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि तहके नीचे क्या छिपा हुआ है, और जो-कुछ हो रहा है, उसके लिए एक हद तक मुझे अपने-आपको ही जिम्मेदार समझना चाहिए। ईश्वरने सन् १९१९ में देशमें महान् जागृति पैदा करनेके लिए साधनके तौरपर मेरा इस्तेमाल किया था। स्वभावतः ही वासनाएँ जागृत हुईं; किन्तु क्योंकि उस समय सब अपनेको भारतीय मानकर एक समान उद्देश्यके लिए लड़ रहे थे, इसलिए कोई परस्पर संहारक झगड़ा नहीं हुआ। किन्तु वह धुँएँकी तरह विलीन हो जानेवाला एक क्षणिक स्वप्न-मात्र था, और हम सब देख रहे हैं कि हम अब एक-दूसरेके विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह मुझे स्वराज्यके लिए काम करनेके अयोग्य बना देता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे किसी तरह स्थिति ठीक हो भी जाये, तो भी कोई दूसरी ऐसी घटना हो सकती है, जो मुझे पागल और सर्वथा दुर्बल बना दे। निश्चय ही तब आप ऐसे आदमीको लन्दन नहीं भेजना चाहेंगे, जो इस प्रकार हतोत्साहित हो गया हो। आपको ऐसे ही आदमीको भेजना चाहिए, जिसमें आत्म-विश्वास हो, और मुझमें वह विश्वास तेजीसे गायब होता दिखता है। इसी कारण मेरी यह दशा हुई जो एक क्षण पहले आपने देखी थी।[1]

गांधीजीने आगे कहा कि यदि श्री सत्यमूर्ति[2] यह समझते हों कि वे तर्कके बल पर अपनी माँगें पूरी करवा लेंगे तो यह उनकी भूल है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलनमें बहुत-सी चीजें परदेके पीछे होंगी और सारी चीज सुनियोजित रूपसे होगी।

१. इसके बादका अनुच्छेद **हिन्दू** से लिया गया है।

२. श्री सत्यमूर्तिने कार्यसमितिसे कराची समझौतेके विरुद्ध गोलमेज सम्मेलनमें एक ही प्रतिनिधि भेजनेके निर्णयके सम्बन्धमें सफाईकी माँग पेश की थी।

श्री सत्यमूर्तिके इस तर्कका उल्लेख करते हुए कि दूसरे दलोंका प्रतिनिधित्व ज्यादा है इसलिए कांग्रेसका भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, गांधीजीने कहा कि यही वजह थी जिससे लोगोंने मात्र एक प्रतिनिधि चुननेका निर्णय किया। गांधीजीने आगे कहा कि इस प्रकारके नाजुक मसलोंको वे तर्कके बूतेपर हल नहीं कर सकते, क्योंकि तर्कके दिन बीते बहुत दिन हो गये; लेकिन मामले केवल बातचीत द्वारा ही सुलझाये जा सकते हैं। गांधीजीके विचारमें ऐसे नाजुक समझौतेके लिए एक प्रतिनिधि-मण्डलकी अपेक्षा अकेला एक प्रतिनिधि ज्यादा ठीक ठहरता है। और उन्होंने श्री सत्यमूर्तिसे अपने प्रतिनिधिमें विश्वास रखनेके लिए कहा। आगे उन्होंने कहा कि यदि उन्हें एक प्रतिनिधिकी ही क्षमतामें विश्वास नहीं है तो किसी प्रतिनिधिमण्डलमें, जिसमें एकसे अधिक व्यक्ति होते हैं, वह उससे ज्यादा विश्वास नहीं रख सकते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-८-१९३१, और **हिन्दू**, ९-८-१९३१

३०४. बातचीत : सेवादलके कार्यकर्ताओंके साथ[1]

बम्बई

९ अगस्त, १९३१

आप मुझसे पूछते हैं कि अब आप क्या करें। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रान्त स्त्री-पुरुष कार्यकर्ताओंका ऐसा भण्डार बन जाये जो दूसरे प्रान्तवालोंको आवश्यकता होनेपर मदद पहुँचा सके। ये कार्यकर्ता अहिंसाके प्रति खास तौरपर प्रतिज्ञाबद्ध होंगे और वे अहिंसाको एक नीतिके रूपमें नहीं, बल्कि एक सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार करेंगे, अहिंसाको स्वराज्य रूपी अट्टालिकाकी एक नगण्य ईंट नहीं, बल्कि आधारशिला मानेंगे जिसके हटानेसे स्वराज्यकी सारी इमारत ही धराशायी हो जायेगी। मैं उन्हें अहिंसाके ऐसे न्यासी बना देखना चाहता हूँ, जो अहिंसाके इस बहुमूल्य, कभी न खत्म होनेवाले बल्कि हमेशा बढ़ते रहनेवाले खजानेकी रखवाली करें। इस प्रकार उनका कार्य केवल सभाओंका नियन्त्रण करना ही न होगा, वरन जिन्ना मेमोरियल हॉलके उपद्रवकी तरह जहाँ कहीं भी उपद्रव हों, वहाँ अपने-आपको बलिदानके लिए समर्पित कर देना होगा।

सेवादलके सदस्योंको कांग्रेस संगठनके आदर्श सदस्य बनना चाहिए। वह सेना किसी भी हिंसक सेनाकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। हिंसक सेना असत्यके विष और साम्प्रदायिक कलह की वृद्धिको नहीं रोक सकती, किन्तु आपकी अहिंसक सेना उसको रोकनेमें समर्थ हो सकेगी। शक्तिशाली और समृद्ध स्वतन्त्र भारतमें प्रत्येक

१. हिन्दुस्तानी सेवादलका कांग्रेसके साथ विलय होनेके अवसरपर डा० हार्डीकर और उनके मित्रोंने प्रातःकालीन प्रार्थनाके तुरन्त बाद गांधीजीके सन्देशके लिए उनसे भेंट की थी।

व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिकी स्वतन्त्रता और जीवनकी पवित्रताकी रक्षा करनेके हेतु लड़ने-मरनेको तैयार रहना चाहिए। मैं निराशावादी नहीं हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवनकालमें ही वह समय आ सकता है जबकि यह अहिंसक सेना एक वास्तविकता और जीवन्त सचाई होगी और प्रतापी सैनिकोंको मात दे देगी। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि जहाँ हिंसक सेनाकी अपनी प्रत्यक्ष सीमाएँ हैं, वहाँ अहिंसक सेनामें उसी प्रकारकी कोई मर्यादा नहीं है। एक बार उसके हृदयमें अग्नि प्रज्वलित हो जानेपर फिर उसे किसी शिक्षा या अनुशासनकी आवश्यकता नहीं रहती। केन्द्रीय बोर्डका यह काम होना चाहिए कि वह किसी एक स्थानपर संगठनका केन्द्रीकरण करे जोकि एक आदर्श सेनाका प्रधान कार्यालय हो, और इस प्रकार एक उदाहरण उपस्थित करे। यदि इस आन्दोलनने कर्नाटकमें जोर पकड़ लिया तो यह सारे भारत-भरमें फैल जायेगा; किन्तु यदि स्वयं कर्नाटकमें यह आग पैदा नहीं होती, तो फिर सारे भारतकी बात तो दूर रही, स्वयं उस प्रान्तमें इसका बहुत कम असर होगा। यदि यह एक जीवन्त शक्ति बन जाये, और यदि ईश्वर मुझे फिर कर्नाटकमें भ्रमण करने देना चाहे, तो मुझे वहाँ एक दूसरे प्रकारका ही वातावरण दिखाई देना चाहिए। तब फिर यह सारा प्रान्त, अहिंसक सैनिकोंका एक डिपो बन जायेगा, जैसे कि नाविकोंके लिए प्रत्येक बन्दरगाहवाला नगर एक बड़ा नाविक अड्डा होता है और प्रतिदिन यहाँसे अहिंसक सैनिक निकल-निकल कर देश भरमें फैलते रहेंगे। केन्द्रीय बोर्डको जान-बूझकर सिर्फ अफसर तैयार करनेके लिए बनाया गया है। ऐसा कोई भी प्रान्तीय संगठन नहीं हो सकता, जिसमें सेवादल कार्यालय द्वारा प्रमाणित एक अफसर न हो। और यदि आपका यह अफसर ईमानदार व्यक्ति हो, परम्पराका दीवाना हो, तो उसके द्वारा आप सारे संगठनपर नैतिक नियन्त्रण रख सकते हैं। यह मेरा आदर्श है और मेरा विश्वास है कि यह एक जीवन्त यथार्थ बन सकता है। ऐसा अद्भुत विश्वास मेरा जवाहरमें है। प्रचुर उत्साहसे प्रज्वलित होकर वह इस कामको कर डालेगा। मेरे इस विश्वासमें आत्म-प्रवंचना हो सकती है, किन्तु यह आत्म-प्रवंचना देशको सहायता पहुँचायेगी। हार्डीकरके बारेमें मुझे यही कहना है कि मैं उनके निकट सम्पर्कमें नहीं आया हूँ, किन्तु मुझे उनसे आशा है और मुझे उनमें विश्वास है, क्योंकि मुझे भारतके भविष्यमें विश्वास है। किन्तु यदि अहिंसा एक जीवन्त शक्ति न बनी तो मेरा वह विश्वास चकनाचूर हो जायेगा। आज साधारण जनता तो अन्धानुकरण कर रही है, और उच्च वर्गके लोग बनियोंकी लग-भग मूर्खतापूर्ण नफे-घाटेका हिसाब लगाकर काम करनेकी मनोवृत्तिके साथ अनुकरण करते हैं। कांग्रेसियोंको इस बेहूदा तरीकेसे दूर रखनेका प्रयत्न किया गया है, किन्तु यह सफल तभी हो सकता है, जबकि कांग्रेसी स्वयंसेवक अपने उद्देश्यके प्रति सच्चे हों। एक बार अहिंसा उनके हृदयमें स्थान पा जाये, तो फिर उसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं। गत वर्ष हमने जो जागृति देखी वह इसके बिना असम्भव होती। इतिहासको मेरी आँखोंसे पढ़िए। गदरका इतिहास ही ले लीजिए। वह हिंसाके शस्त्रोंसे लड़ा गया स्वतन्त्रताका युद्ध था। कर्नल मैलेसनने उसका काफी सच्चा विवरण दिया है।

आप देखेंगे कि चर्बी लगे कार्तूस भले ही इसका तात्कालिक कारण रहे हों, किन्तु वह एक भरे हुए बारूदखानेमें एक चिनगारी फेंकनेके समान था। किन्तु उसके परिणामकी ओर देखिए। संयुक्त प्रान्त, जो १८५७ के विद्रोहका मुख्य केन्द्र था, उसके बाद पीढ़ियोंसे ऐसा निर्जीव पड़ा हुआ है, जितना निर्जीव शायद ही कोई प्रान्त रहा हो, क्योंकि लोगोंको उस समयकी अब भी स्पष्ट याद है जब मनुष्य पशु बन गया था और जब जनताको, जो केवल दर्शक मात्र थी, खेतोंमें खड़ी फसलकी तरह काट डाला गया था। अब इस १२ वर्षके प्रयोगको लीजिए। इस राष्ट्रके इतिहासमें यह अवधि बहुत थोड़ी है। यह प्रयोग और उसका महान प्रभाव अहिंसाकी महान् शक्तिके बिना असम्भव होता। किन्तु अभी हममें वह शक्ति पूर्णतया व्याप्त नहीं हो पाई है, अन्यथा जो लज्जाजनक दृश्य आज हम देख रहे हैं, वे हमें दिखाई न देते। बंगालको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कितनी ऊँचाईतक उठ सकता है। उसने हमें केवल एक रवीन्द्रनाथ ठाकुर ही नहीं दिया है, बल्कि महान् पुरुषोंकी पूरी सेना दी है। किन्तु आज वह निर्जीव है, अपनी स्वाभाविक ऊँचाई तक उठनेमें असमर्थ है। पिछले वर्ष उसने जो शानदार रिकार्ड उपस्थित किया है उसके बावजूद मैं यह बात कह रहा हूँ। परन्तु हिंसाकी जिस भावनाने इसपर प्रभाव जमा लिया है, यदि वह भावना न होती तो वह रिकार्ड इससे कहीं अधिक शानदार होता।

मैंने हिंसात्मक और अहिंसात्मक सेनाके बीच भेद कर दिया है। इनके अनुशासनमें भी अन्तर होगा। हिंसात्मक सेनाका सिपाही युद्धकालमें अनुशासनका पालन करता है, किन्तु युद्धसे छुट्टी पाते ही वह उच्छृंखलताके वशीभूत हो जाता है। किन्तु एक अहिंसक सैनिकके हृदयमें अनुशासनकी भावना रहती है और वह जीवनके प्रत्येक चरणमें संयमका वातावरण बनाये रखेगा। अहिंसा एक न्यास है, जिसकी रक्षा सेवादलको उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। आपके सैनिक केवल सभाओंमें ही नहीं बल्कि घरोंमें और घरेलू मामलोंमें भी अनुशासन रखेंगे। एक अहिंसक सैनिक सब जगह और सब समय अहिंसक रहता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-८-१९३१

३०५. गुजरात विद्यापीठ

काकासाहब लिखते हैं:[१]

यह खेदकी बात है कि पिछले चार महीनोंसे इस राष्ट्रीय विद्यापीठकी एक छोटी-सी माँग भी पूरी नहीं की गई है। इस विद्यापीठसे अहमदाबाद स्वाभाविक रूपसे सबसे अधिक लाभान्वित होता है, इसलिए काकासाहब अहमदाबादसे जो अपेक्षा करते हैं वह ज्यादा नहीं कही जा सकती। अहमदाबादके लोगोंमें इतने पैसे इकट्ठे कर देनेकी क्षमता तो अवश्य है। विद्यापीठकी योग्यताके बारेमें, उसकी सेवाके बारेमें तो दो मत नहीं हो सकते। शिक्षकोंको अथवा काकासाहबको भिक्षा माँगनेके लिए दर-दर भटकनेकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल अहमदावादके धनिक अथवा मध्यमवर्ग अथवा दोनों वर्गोंके लोगोंमें २५,००० रुपया इकट्ठा कर देनेकी इच्छा होनी चाहिए। एक अथवा दो व्यक्ति यदि इस कामको अपने हाथमें ले लें तो एक सप्ताह अथवा पन्द्रह दिनमें रकम इकट्ठी हो जाये। क्या अहमदाबाद इतना करेगा? जो लोग 'नवजीवन'की मार्फत ही थोड़ा रुपया भेज सकते हों वे उक्त रुपया 'नवजीवन'के कार्यालयमें दे दें अथवा सीधे काकासाहबको पैसा भेज दें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-८-१९३१

३०६. पत्र: लीलावती सावर्डेकरको[२]

वम्बई

९ अगस्त, १९३१

प्रिय बहन,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरी सलाह है, चाहे कुछ हो जाये, तुम्हें अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए।

तुम्हें शायद पता न हो कि दक्षिण भारतकी देवदासियोंके लिए मुझसे जो-कुछ हो सकता था, मैंने करनेका प्रयत्न किया।

हृदयसे तुम्हारा,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-८-१९३१

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें चन्देके लिए अपील की गई थी।

२. यह पत्र और १६ अगस्त, १९३१ को लीलावती सावर्डेकरको लिखा पत्र **बॉम्बे क्रॉनिकल** में एक ही व्यक्तिको लिखे गये पत्रोंके रूपमें प्रकाशित किये गये थे। यह महिला पतिता थी और आगेसे सम्मानपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी।

३०७. भाषण : हिन्दुस्तानी सेवादल सम्मेलन, बम्बईमें

९ अगस्त, १९३१

जिन्ना हॉलमें . . . हिन्दुस्तानी सेवादल सम्मेलनके एक विशेष अधिवेशनमें एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें स्वयंसेवक दलके केन्द्रीय बोर्डके उस निर्णयकी पुष्टि की गई थी जिसमें दलकी सभी संस्थाओंको भंग करके दलको कांग्रेसकी कार्य-समितिको सौंप देनेकी बात कही गई थी।

महात्मा गांधीने सम्मेलनका उद्घाटन किया और कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेलने उसकी अध्यक्षता की। . . .

महात्मा गांधी . . . ने कहा, जैसाकि श्रीमती नायडूने, जिन्हें सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेके लिए कहा गया था लेकिन जो हैदराबाद जानेकी वजहसे अध्यक्षता न कर सकीं, अपने पत्रमें कहा है, इस सम्मेलनको दलका समाधि-लेख लिखनेके उद्देश्यसे नहीं बुलाया गया है। इसके विपरीत इसका उद्देश्य दलको और भी मजबूत बनाना है। कांग्रेस अब दलको सीधे अपने नियन्त्रणमें लाना चाहती है, क्योंकि वह महसूस करती है कि अब देशके सारे स्वयंसेवकोंको संगठित करने और उन्हें अपने नियन्त्रणमें लेनेका समय आ गया है। भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा :

पिछले वर्ष हमने जो आन्दोलन चलाया था उसपर से मुझे स्वयंसेवकोंके बीच प्रशिक्षण और अनुशासनकी आवश्यकता महसूस हुई। जैसे-जैसे आन्दोलन जोर पकड़ता गया, मैंने देखा कि हमारे पास जो स्वयंसेवक थे उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। हालाँकि हमें इस आन्दोलनसे बहुत लाभ पहुँचा, लेकिन कुछ बातोंमें हमें नुकसान भी सहना पड़ा। आप शायद इस तथ्यसे परिचित न हों, लेकिन मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। यद्यपि मैं यरवडा जेलमें बन्द था तथापि मुझे अखबार मिलते रहते थे और उनसे मैं जान सकता था कि देशमें प्रतिदिन क्या हो रहा है। और जब देशकी जनता जागृत हो जाये तब यह सब स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसे समयमें यदि कोई अनुशासन न रहे तो उसमें बहुत-सी बुराइयोंका उत्पन्न होना निश्चित है, और पिछले आन्दोलनके समय हुआ भी यही।

स्वयंसेवक संस्थाएँ वस्तुतः कांग्रेसकी आत्मा हैं। कांग्रेसका अस्तित्व मात्र उनपर निर्भर करता है क्योंकि वे कांग्रेसकी सेना हैं। बेशक हमारी सेनाको अहिंसक होना है। हमने एक नया तरीका अपनाया है। हमारी सेना हथियारोंसे लैस नहीं होगी और न ही हम गोला-बारूदका कोई उपयोग करेंगे। कांग्रेसने उस नये हथियार द्वारा भारतको मुक्ति दिलानेका निश्चय किया है। उस तरीकेको अपनाकर हम पहले ही पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुके हैं तथा हम और अधिककी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हमारी सफलता स्वयंसेवकोंकी अहिंसक सेनापर निर्भर करती है। यदि वे भारतकी

रक्षा नहीं करते, यदि वे उसे बचानेके बजाय अपने ही हाथोंसे उसका नाश करते हैं, यदि वे अहिंसाके प्रचारक न होकर स्वयं ही हिंसाके उपासक बन जाते हैं तो हम अपने आन्दोलनमें सफल होनेकी कैसे उम्मीद रख सकते हैं?

हालाँकि मैं यरवडा जेलमें कैद था, लेकिन मुझे अखबार नियमित रूपसे मिलते रहते थे और मैं देख सकता था कि देशमें क्या-क्या हो रहा है। मैंने यह महसूस किया कि यदि हम अपने उद्देश्यके लिए सेवादलकी सहायता लेना चाहते हैं तो हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए और अपने कार्यके लिए उसे और उपयोगी बनाना चाहिए। उस परिवर्तनको कार्यान्वित करनेके लिए ही आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस सम्मेलनका यही उद्देश्य है।

जो लोग सेवादलमें काम करते रहे हैं अथवा अन्य तरीकोंसे उनकी मदद करते रहे हैं उन्हें इस परिवर्तनसे दुःखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन सेवादलके हितमें किया जा रहा है। यह देशके हितमें भी है। सेवादलमें जो-कुछ अच्छा था उसे बनाये रखने और उसे नया जीवन प्रदान करनेके लिए यह किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इन परिवर्तनोंसे सेवादल मजबूत बनेगा और देशकी सेवाके लिए अधिक उपयोगी होगा।

कार्य-समितिने यह कार्य डॉ० हार्डीकर और पण्डित जवाहरलालको सौंपनेका निश्चय किया है। समिति इस नई व्यवस्थासे अच्छे परिणामोंकी अपेक्षा रखती है। हमें हर मामलेमें सेवादलकी सेवाओंकी जरूरत है। इस समय तो हम शान्तिकी स्थितिमें रह रहे हैं। युद्ध-विरामकी इस स्थितिसे स्थायी शान्ति कायम हो जाये अथवा हमें आन्दोलन फिरसे शुरू करना पड़े, दोनों ही स्थितियोंमें हमें सेवादलकी जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा है, यह हमारी सेना है और हमें इसे बनाये रखना है। मुझे स्वीकार करना होगा कि हालाँकि मैं अपने-आपको एक अच्छा सेनानी मानता हूँ और ऐसे मामलोंमें मुझे गहरी दिलचस्पी है फिर भी मैंने सेवादलके कार्यमें अभीतक कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है। मैं आशा करता हूँ कि इस नये परिवर्तनसे आपकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। मेरी इच्छा है कि ऐसा ही हो। यदि मैं आपको कोई आशीर्वाद दे सकता हूँ तो इस अवसरपर आपको मेरा यही आशीर्वाद है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-८-१९३१

३०८. प्रश्नोत्तर[1]

१० अगस्त, १९३१

प्रश्न १: क्या आप तीनों बहनोंको, या तीनोंमें से जो आना चाहे उसको, अपने साबरमती आश्रममें रखनेको तैयार हैं?

उत्तर:—हाँ, खुशीके साथ मैं उन्हें आश्रममें रखनेको तैयार हूँ। परन्तु आश्रममें आनेके पहले उन बहनोंको मेरा विचार बराबर समझ लेना चाहिए।

प्रश्न २: आपका क्या विचार है?

उत्तर:—मेरा पहला कर्तव्य यह होगा कि इन बहनोंके आश्रममें आनेके साथ ही मैं सरकारको इत्तिला दूँ और उसमें जो बहनें आयेंगी उनका नाम, परिचय लिख भेजूँ।

प्रश्न ३: अगर आप सरकारको इत्तिला देंगे तो वह उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चालू कर देगी।

उत्तर:—हाँ, यह भी हो सकता है। बहनोंको इस बातके लिए—जोखिमके लिए—तैयार होकर ही आश्रममें आना चाहिए।

प्रश्न ४: तब आश्रममें आनेसे उन बहनोंको क्या लाभ हो सकता है?

उत्तर:—सम्भव है शायद सरकार मेरे लिखनेपर इसके लिए राजी हो जाये कि अभी, या जबतक ये आश्रममें रहेंगी और अपना भविष्यका व्यवहार आश्रम-जीवनके साथ मिलानेकी कोशिश करेंगी, तबतक उनपर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

प्रश्न ५: क्या सरकार उनसे जो-जो मामले बने हैं उनकी बातें जाननेको मजबूर नहीं करेगी?

उत्तर:—सरकार जरूर जानना चाहेगी, परन्तु मैं सरकारसे भी कहूँगा और बहनोंसे भी कि वह दूसरे किसीका नाम न बताकर अपने हाथसे जो गुनाह या भूल हुई हो वही कबूल करें।

प्रश्न ६: अर्थात् बहनें सब प्रकारकी जोखिम उठानेकी तैयारी करके आश्रममें आयेंगी तो ठीक रहेगा।

१. ये प्रश्न और गांधीजी द्वारा दिये गये इनके उत्तर जमनालाल बजाजने अपने एक पत्रमें लिख कर गांधीजीके पास भेजे थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे अपने (गांधीजीके) उत्तरोंको एक बार फिरसे पढ़कर जहाँ ठीक लगे संशोधन कर दें। ये प्रश्न उन तीन फरार स्त्रियोंके सम्बन्धमें थे, जिनकी सरकारको तलाश थी।

उत्तर:–हां, अगर बहनें सब प्रकारकी जोखिम उठानेकी तैयारी करके ही आयेंगी तो ठीक रहेगा।

यह ठीक है।[1]

मोहनदास गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८९२) से।

३०९. तार: वाइसरायको

बम्बई
११ अगस्त, १९३१

आपको सूचित करते अत्यन्त खेद है कि बम्बई सरकारका जो पत्र[2] अभी-अभी मिला है उसे देखते हुए मेरा लन्दन रवाना होना असम्भव हो गया है। पत्रमें तथ्य और कानून सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं और कहा गया है कि सरकार ही दोनों चीजोंकी अन्तिम निर्णायक है। खोल कर कहा जाये तो इसका मतलब यह है कि बम्बई सरकार और शिकायत करनेवाले लोगोंके बीच हुए करारसे सम्बन्धित विवादोंमें सरकारको ही अभियोक्ता और निर्णायक दोनों होना चाहिए। कांग्रेसके लिए यह स्थिति स्वीकार करना असम्भव है। जब मैं बम्बई सरकारके पत्रको संयुक्त प्रान्त, सीमा प्रान्त तथा अन्य प्रान्तोंमें लगातार सतानेकी घटनाओंकी रिपोर्ट और मेरी प्रेक्षाके उत्तरमें सर मैलकम हेलीके तारके साथ मिलाकर पढ़ता हूँ तो मुझे ये इस बातके स्पष्ट संकेत लगते हैं कि मुझे रवाना नहीं होना चाहिए। चूंकि मैंने कोई अन्तिम निर्णय करनेसे पहले आपसे लिखा-पढ़ी करनेका वचन दिया था इसलिए मैं उपरोक्त तथ्य आपके ध्यानमें ला रहा हूँ। निश्चयकी घोषणा करनेसे पहले मैं आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. यह वाक्य गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

२. देखिए परिशिष्ट ७।

३१०. तार : आर० एम० मैक्सवेलको

बम्बई
११ अगस्त, १९३१

आज सुबह मिले पत्र[1] के लिए धन्यवाद। गवर्नरके साथ सद्भावपूर्ण बातचीतके बाद मैं इस पूर्णतया निराशाजनक उत्तरके लिए तैयार नहीं था। जैसा कि गवर्नर जानते हैं, बारडोलीका मामला मेरे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस किसानोंसे वचनबद्ध है। मैंने यह नहीं कहा है कि कांग्रेस अन्तिम निर्णायक है। मैंने जो कहा था वह यह कि कांग्रेसने किसानोंको वचन दिया है कि यदि वे बिना कर्ज लिए अपनी सामर्थ्यके अनुसार अदायगी कर देंगे तो कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की जायेगी। मैंने गवर्नरको बताया था कि जिस धनको वापस माँगा जा रहा है वह उनकी सामर्थ्य होनेके कारण नहीं, बल्कि दबावके कारण दिया गया था। जहाँ वचनका सवाल हो, वहाँ जब हमारी स्थितिका समर्थन करनेवाले सबूत हमारे पास हैं तब हम कलेक्टरकी बातको अन्तिम नहीं मान सकते। अतः जबतक गवर्नर निर्णय बदलनेको तैयार नहीं हो, मेरे लिए लन्दन रवाना होना असम्भव है। लेकिन चूँकि मैंने वाइसरायसे वादा किया था कि उनके साथ पत्र-व्यवहार किये बिना मैं सार्वजनिक रूपसे पहले घोषणा नहीं करूँगा अतः मैंने उन्हें तार दे दिया है और घोषणा करनेसे पहले उनके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. देखिए परिशिष्ट ७।

३११. तार : विधानचन्द्र रायको[1]

[११ अगस्त, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

तुम्हारा तार मिला। यदि वह शर्तों पर आपत्ति करें तो नहीं।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४५४) से।

३१२. पत्र : अम्तुस्सलामको

१२ अगस्त, १९३१

प्रिय अमतुल,

तुम्हारा खत मिला। नारणदास जैसा कहें वैसा करो और जो वे कहें उसमें पूरा भरोसा रखो। यहाँसे मैं तुम्हारा ज्यादा मार्गदर्शन नहीं कर सकता।

तुम्हारी अम्मा और भाईसे मैं मिला था। उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।

प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४४) से।

३१३. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१२ अगस्त, १९३१

चि० प्रेमा,

तू पत्र नहीं ही लिखेगी? मेरे प्रेमको तू समझी ही नहीं। पुत्रीसे भी ज्यादा मानकर मैंने तुझे आश्रममें रखा है। कहीं मुझे शनिवारको जाना ही पड़े, तो मेरे पास तेरा कोई पत्र ही न होगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६१) से। सी० डब्ल्यू० ६७१० से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१ और २. यह तार विधानचन्द्र रायके ११ अगस्त, १९३१ के तारके उत्तरमें था, जिसमें कहा गया था : "मसविदेके पाँचवें मुद्देके बारेमें सुभाष कहते हैं कि वर्तमान विवाद १९३१-३२ के बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके चुनावके सम्बन्धमें है और अक्टूबरमें कोई नया चुनाव नहीं होनेवाला है। उनकी राय है कि अगले साल होनेवाले चुनावोंके लिए निरीक्षण सम्बन्धी कोई शर्तें अभी लगानेकी जरूरत नहीं है। तार दीजिए कि क्या सुभाष कल बुधवारको रवाना हों।"

३१४. पत्र : नारणदास गांधीको

१२ अगस्त, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। पत्रसे देखता हूँ कि मेरे सार्वजनिक रूपसे बोलनेके कारण तुम्हें और . . .[1] दोनोंको दुःख हुआ है और मेरा कहना तुम्हें अनुचित भी जान पड़ा है। तुम्हें दुःख होगा अथवा दुःख हुआ है यह बात मुझे आज ही मालूम हुई। तुम्हारी अस्वस्थताको मैंने अपने कथनके साथ जोड़ा ही नहीं था। मैंने तो ऐसा माना था कि तुम यह सोचकर दुःखी हो कि तुम्हारे बारेमें किसीके मनमें जरा भी सन्देह क्यों हुआ। . . . के दुःखका कारण भी मैं नहीं समझ पाया। उसने तो सारी बात ही हँसीमें उड़ा दी थी और उससे मैं निश्चिन्त हो गया था। मैंने प्रकटमें जो बातचीत की सो तो मैंने अपने स्वभावानुसार वातावरणको साफ करनेके लिए ही की थी। यह बात एकसे अधिक व्यक्तियोंके मुँहमें चढ़ गई थी, इसीसे मैंने सोचा कि यदि मैं प्रकट रूपसे अपनी राय दे दूँ और यह खुसर-फुसर बन्द हो जाये तो ठीक हो। इसमें मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगा। दुःखका तो इसमें कोई कारण ही नहीं है। यह बात कितनी हास्यास्पद है कि हमारे बारेमें यदि कोई गुप्त-रूपसे बात करता है तो हमें बुरा ही न लगे और उसी बातको प्रकटमें कहा जाये तो दुःख होता है। और फिर जिस बातका कोई आधार ही नहीं है उसको लेकर दुःख किसलिए? इस सबपर विचार कर जाना। . . . को भी पढ़ाना और दुःखको भूल जाना। मेरी इस विचारसरणीमें यदि तुम्हें कोई भूल दिखाई दे तो मुझे बताना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने

१. साधन-सूत्रमें यहाँ और इस पत्रमें अन्यत्र नाम छोड़ दिये गये हैं।

३१५. पत्र : नारणदास गांधीको

[१२ अगस्त, १९३१ के पश्चात्][1]

चि० नारणदास,

आज मेरे पास लम्बा पत्र लिखनेका समय नहीं है। महावीरको अब बहुत आराम है। मेरे दायें हाथका अँगूठा कमजोर पड़ गया है इसीसे बायें हाथसे लिख रहा हूँ।

तुम अब शान्त हो? . . . बहन[2] शान्त हुई? वातावरण साफ हुआ? मुझे ब्यौरेवार पत्र लिखना।

सन्तोकसे तुमने क्या गोसेवाका काम ले लिया?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरा वहाँ आनेका बहुत मन है लेकिन मैं निकल ही नहीं सका। विलायतकी बात अभी अधरमें है। तुमसे मैं यह कहना भूल गया कि छगनलाल जोशीको[3] सत्याग्रह कोषमें से २०० रुपये दे देना और बादमें भी यदि उसे आवश्यकता पड़े तो देते रहना।

सत्याग्रह कूचके यात्रियोंमें से भी यदि उसे किसी व्यक्तिकी जरूरत महसूस हो तो उस व्यक्तिको तो कूचसे निकालना ही होगा। आश्रमकी सुविधाका विचार तो हमें रखना ही होगा।

बापू

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने। सी० डब्ल्यू० ८१८६ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१. यह पत्र नारणदास गांधीको भेजे १२ अगस्त, १९३१ के पत्रके पश्चात् लिखा जान पड़ता है।

२. नाम नहीं दिया गया है।

३. इस समय छगनलाल जोशी नवसारीके आस-पास काम कर रहे थे।

३१६. असहाय अनुभव करनेकी आवश्यकता

ईश्वर महान है और हम केवल रज-मात्र हैं। किन्तु अपने अभिमानमें, जबकि अपनी जिह्वासे हम कहते हैं कि 'ईश्वर महान है', हमारे कार्य इस कथनको झूठा सिद्ध करते हैं और दिखाते हैं कि हम ईश्वरको कुछ नहीं समझते और अपने-आपको 'बहुत बड़ा' मानते हैं। किन्तु अब समय आ गया है कि हम अपनी असहायताका अनुभव करें। बढ़ती हुई गुण्डागर्दी पर, जिसका कि बम्बईको कटु अनुभव हो चुका है, हम सभीको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। गुण्डागर्दीका जवाब गुण्डागर्दीसे देना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन गुण्डागर्दीसे जवाब दिया नहीं जा सकता, दिया भी नहीं जाना चाहिए। अपने विरोधीकी गालीका ज्यादा बड़ी गालीसे जवाब देने या एकके जवाबमें दो घूँसे जमाने अथवा पाँचके खिलाफ दस आदमियोंको संगठित करनेसे अधिक आसान और क्या हो सकता है? किन्तु इससे इस लोकका कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता। और यदि उससे परलोकका प्रयोजन सिद्ध हो सकता होता हो, तो फिर ऐसा परलोक तो नर्कसे भी बदतर होगा।

तब फिर क्या इस बढ़ते हुए रोगका कोई इलाज नहीं है? अनुभव-सिद्ध और सुपरीक्षित उपाय है प्रार्थनाका और उपवासका। किन्तु दोनों ही हृदयसे होने चाहिए। सुन्दरतम भावनाओंको तोतेकी तरह दुहराना और केवल शरीरको भूखों मारना तो व्यर्थसे भी बुरा है। प्रार्थना और उपवास वहीं सार्थक होते हैं, जहाँ हमें अपने अन्दर ईश्वरकी उपस्थितिका वैसा ही निश्चित ज्ञान हो जैसा कि एक ही घरमें अपने मित्रकी उपस्थितिका होता है। अपने-आपको धोखा देनेसे काम नहीं चलेगा।

जवाहरलालने व्यथित होकर जब कहा कि "यह तो राजनैतिक जीवनको रोक देगा, और सम्भव है कि सामाजिक जीवनपर भी इसका प्रभाव पड़े", तब उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओंके भावोंको भी प्रकट किया है। जो उपाय है वह यही है कि गुण्डागर्दीको किसी प्रकारका सहारा न दिया जाये। शान्तिप्रिय लोगोंके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह होगा कि जिन सभाओंमें गुण्डे धावा करें, उनसे वे वापस लौट आयें। हिंसासे सत्यको दबाया नहीं जा सकता। और जो लोग सत्यके हामी हैं, वे यदि बिना किसी बदलेके सब-कुछ सहेंगे, तो वे देखेंगे कि बिना किसी प्रयत्नके ही सत्य फैल रहा है। किन्तु कठिनाई सिर्फ यह समझनेमें है कि सत्य किस बातमें है। अपने विरोधीपर असत्यका हामी होनेका आरोप लगा देना काफी आसान है, किन्तु चूँकि मनुष्यके लिए अपनी स्थितिको पूर्णतः सत्यनिष्ठ सिद्ध कर सकना सम्भव नहीं है, इसीलिए व्यवस्थित जीवनके विकासके लिए सहिष्णुता एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने विचार व्यक्त करनेकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस बातका विश्वास होना चाहिए कि उससे भिन्न मत रखनेवाले लोग उसकी विचार-अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रतामें बाधा नहीं डालेंगे। यदि व्यक्तिको ऐसी स्वतंत्रता न हो, तो वैसी स्थितिमें व्यवस्थित जीवन एक असम्भव वस्तु बन जायेगा।

क्या इस दलीलका स्वाभाविक अर्थ यह है कि अपना बचाव भी न किया जाये? मैं इस समय इतना आगे जानेकी जरूरत नहीं समझता, यद्यपि जो लोग अहिंसामें पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो आत्मरक्षा करना एक असम्भव चीज है। उनके लिए तो अपना बचाव न करना ही सर्वोत्तम आत्मरक्षा है। किन्तु यह कोई बनावटी या यान्त्रिक स्थिति नहीं है, जोकि बाहरसे लादी जा सके। यह बहसके लिए गुंजाइश नहीं रखती। आत्मविकास द्वारा ही इस स्थितिको पहुँचा जा सकता है। एक तमिल कहावत है: असहायका सहाय ईश्वर है। इसका अनुभव हमें अहिंसाके स्वाभाविक परिणामको समझनेकी कोशिश किये बिना ही वर्तमान अभेद्य अन्धकारमें से निकलनेका एक मार्ग बतायेगा। यह काम दार्शनिकोंका है। हम असहाय स्त्री-पुरुषोंके लिए, जिन्हें दिन-दिन कभी-कभी भयंकर निराशाके मुकाबलेमें काम करना पड़ता है, यही काफी है यदि हम एक सन्तके शब्दोंमें गा सकें: "मेरे लिए एक कदम काफी है।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-८-१९३१

३१७. तार: वाइसरायको

बम्बई

१३ अगस्त, १९३१

आपका विस्तृत तार[1] मिला। धन्यवाद। आपके आश्वासनको मैं वर्तमान घटनाओंके प्रकाशमें ही देख सकता हूँ, और यदि आपको इनमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती जो समझौतेके विपरीत हो तो

१. १३ अगस्तका जिसमें लिखा था: "आपने जो कारण बताये हैं यदि उनके कारण सम्मेलनमें अपने प्रतिनिधित्वके विषयमें किये गये प्रबन्धको पूरा करनेको कांग्रेस अनिच्छुक हो तो मुझे बहुत दुःख होगा। मैं इन कारणोंको ठीक माननेमें असमर्थ हूँ और मुझे लगता है कि सरकारकी नीति और उस नीतिके आधारको गलत समझनेके कारण ही यह गलतफहमी पैदा हुई है।... विशेष रूपसे मेरे विचारसे संयुक्त प्रान्तके विषयमें जो भी गलतफहमियाँ हैं वे आपके नाम सर मैलकम हेलीके ६ अगस्तके तारसे दूर हो जानी चाहिए थीं और जहाँ तक गुजरातकी बात है, वहाँके बारेमें आपकी गलतफहमी सर अर्नेस्ट हॉटसनके निजी सचिव द्वारा आपको लिखे १० अगस्तके पत्रके चौथे अनुच्छेदसे दूर हो जानी चाहिए थी। मैं आपको लिखे अपने ३१ जुलाईके व्यक्तिगत पत्रकी याद दिलाता हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा विश्वास दिलाया था कि समझौतेसे सम्बन्धित हर चीजमें मैं निजी तौर पर पूरी दिलचस्पी लूँगा और इसीलिए मैं यह आशा कर सकता था कि आप मौजूदा तफसीलोंसे सम्बन्धित विवादोंको अपने मार्गमें बाधा नहीं बनने देंगे और भावी संविधानपर होनेवाली उस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चामें भाग लेकर भारतकी सेवा करेंगे जो देशके भाग्यका निर्धारण करेगी और जिसका प्रभाव मेरे और आपके जीवन काल तक ही सीमित नहीं होगा। लेकिन यदि आपका तार अन्तिम निर्णयका सूचक है तो मैं सम्मेलनमें आ सकनेमें आपकी असमर्थताकी सूचना प्रधान मन्त्रीको तत्काल दे दूँगा।"

इससे पता चलता है कि समझौतेके बारेमें हम दोनोंके दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर भिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें मुझे यह कहते खेद होता है कि अपने जिस निर्णयकी सूचना मैं पहले दे चुका हूँ उसकी पुष्टि करनेके सिवा मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है। मैं इतना ही और कह सकता हूँ कि मैंने लन्दन जानेकी अपनी भरसक कोशिश की लेकिन विफल रहा। कृपया इसकी सूचना प्रधान मन्त्रीको दे दीजिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं पत्र-व्यवहार और तारोंको प्रकाशनार्थ दे सकता हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

३१८. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

१३ अगस्त, १९३१

कांग्रेस कार्यसमितिके निर्णयकी घोषणाके बाद महात्मा गांधीने पत्र-प्रतिनिधियोंके दलसे बातचीत की और कार्यसमितिके निश्चयको समझाया। महात्माजीने कहा :

यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि इस बातसे मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मुझे लन्दन नहीं जाना है। मैं जानता हूँ कि लॉर्ड इर्विनपर इसका क्या असर पड़ेगा और मैं यह भी जानता हूँ कि इससे इंग्लैंडमें रहनेवाले मेरे बहुतसे मित्रोंको कितनी निराशा होगी। पर वहाँ न जानेका निश्चय करना अनिवार्य हो गया था। मैंने आशा न होते हुए भी आशाकी थी कि कमसे-कम अन्तिम समयतक अवश्य न्याय किया जायेगा।

मेरे मतसे मैंने बहुत साधारण-सी प्रार्थना की थी। यदि सरकार और कांग्रेसमें समझौता हुआ है और यदि इस समझौतेके अर्थके सम्बन्धमें झगड़ा है या यदि किसी पक्षकी ओरसे समझौतेकी शर्तोंका अपालन होता हो तो इस समझौतेके सम्बन्धमें उन नियमोंका व्यवहार होना चाहिए जिन नियमोंका व्यवहार सब समझौतोंके सम्बन्धमें होता है। ऐसा होना मेरे मतसे और भी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समझौता एक बड़ी सरकार, और सम्पूर्ण राष्ट्रका प्रतिनिधि होनेका दावा करनेवाली बड़ी संस्था कांग्रेसमें हुआ है। वर्तमान समझौतेकी शर्तोंका पालन कानूनके द्वारा नहीं कराया जा सकता। ऐसी हालतमें सरकारका दूना कर्तव्य हो जाता है कि वह उन प्रश्नोंको निरपेक्ष न्यायालयके सामने उपस्थित करे जिनके सम्बन्धमें सरकार और कांग्रेसमें मतभेद हो रहा है। इस प्रकार सरकारने कांग्रेसके अति साधारण प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया।

१. उत्तरमें वाइसरायने १४ अगस्त १९३१ के अपने तारमें कहा : "मैंने प्रधान मन्त्रीको आपके निर्णयकी सूचना दे दी है। मैं सम्बन्धित पत्र-व्यवहार समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ दे रहा हूँ। . . . अवश्य ही आप भी ऐसा करनेको स्वतंत्र हैं।"

ऐसी स्थितिमें कांग्रेसका गोलमेज सम्मेलनमें सम्मिलित होना बहुत ही अनुचित होता। इससे अधिक मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस कार्यसमितिके लिए यह सम्भव होगा कि वह आवश्यकताके अनुसार उक्त विषयमें हुए पत्र-व्यवहार प्रकाशित करे। उस समय जनता स्वयं ही अपना मत निश्चित कर सकेगी।

इसके बाद पत्र-प्रतिनिधिने महात्मा गांधीसे पूछा, "आपका भावी कार्यक्रम क्या होगा?" महात्माजीने कहा :

मैं इस अवसरपर यकायक यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि भावी कार्यक्रम क्या होगा। सरकारकी ओरसे जो कुछ कार्रवाई की जायेगी उसीपर हमारा कार्यक्रम निर्भर करेगा।

प्रश्न — क्या सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया जायेगा, और यदि शुरू होगा तो कब?

उत्तर — जहाँतक मुझे मालूम है, फौरन सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करनेका विचार नहीं है।

प्र० — आप बम्बईसे कब रवाना होंगे और कहाँ जायेंगे?

उत्तर — मैं कल शामको बम्बईसे अहमदाबादके लिए रवाना होनेकी आशा करता हूँ।

प्र० — क्या आप और वाइसरायमें फिर समझौतेकी बातचीत शुरू होनेकी कुछ आशा है?

उ० — यदि आप गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर बातचीत फिर शुरू होनेके बारेमें पूछते हों तो जहाँतक मैं जानता हूँ और जहाँतक कांग्रेस कार्यसमितिका सम्बन्ध है, अब बातचीत फिर शुरू करनेका प्रश्न नहीं है।

इसके बाद प्रतिनिधिने पूछा कि दिल्लीका समझौता रहेगा या रद हो जायेगा? महात्माजीने जवाब दिया :

वर्तमान बातचीतके टूटनेका जरूर ही यह अर्थ नहीं हो सकता कि दिल्लीका समझौता रद हो गया। दिल्लीके समझौतेका भंग होनेसे गोलमेज सम्मेलनमें अपना प्रतिनिधि भेजनेसे इनकार करना एक बात है और समझौतेका अन्त घोषित करना दूसरी बात है।

मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस जल्दी ही कोई प्रबल कार्य करनेको तैयार नहीं है। कांग्रेस समझौतेकी शर्तोंका पालन करनेके लिए पूरा प्रयत्न करेगी। लेकिन सरकार बिल्कुल असह्य स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ऐसी स्थितिमें कांग्रेस आत्म-रक्षामें कुछ करेगी।

प्रतिनिधिने पूछा : "इस समय क्या सर्वथा असह्य स्थिति उत्पन्न हो गई है?" महात्मा गांधीने जवाब दिया :

शायद सर्वथा असह्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

प्र० — वाइसरायने आपको क्या लिखा है?

उ० — मैं वाइसरायके उत्तरकी बातें प्रकट करनेमें असमर्थ हूँ। मैं पत्र-व्यवहार प्रकाशित करनेकी अनुमतिकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आज, १५-८-१९३१

३१९. तार: आर० एच० बर्नेजको[1]

मणिभवन
१४ अगस्त, १९३१

बर्नेज
'न्यूज क्रॉनिकल'
लन्दन

ब्रिटिश जनताको एक बार तो यह विश्वास करना चाहिए कि मैंने लन्दन आनेकी यथाशक्ति कोशिश की लेकिन मेरे मनमें यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि यहाँके प्रमुख राज्याधिकारी नहीं चाहते कि मैं सम्मेलनम शामिल होऊँ या चाहते भी हैं तो ऐसी परिस्थितियोंमें जिसे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था कभी सहन नहीं कर सकती। यदि दोनों राष्ट्रोंके बीच स्थायी साझेदारी स्थापित होनी है तो ये राज्याधिकारी शायद भारतके सच्चे सेवकोंके रूपमें यहाँ बने रहेंगे। अतः यदि उनकी हार्दिक सद्भावना और शुभकामना मेरे साथ नहीं है तो सम्मेलनमें शामिल होनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब सारे तथ्य प्रकाशित होंगे तब मैं प्रान्तीय सरकारों द्वारा समझौता भंगके दृष्टान्त दे सकूँगा जिनसे देखा जा सकेगा कि कांग्रेसने कितना धीरज रखा है और आशाका सहारा नहीं छोड़ा है। एक ऐसे निष्पक्ष अधिकरणकी माँगको मैं सर्वथा स्वाभाविक और सहज मानता हूँ जिसके सामने कांग्रेस इन समझौता-भंगकी घटनाओंको सिद्ध कर सके। कोई भी साधारण समझौता जितना पवित्र और रक्षणीय होता है उतना ही मैं दिल्ली समझौतेको भी मानता हूँ, लेकिन यदि इस पवित्र समझौतेके मामलेमें एक ही पक्ष अभियोक्ता और निर्णायक दोनों हो सकता है

१. यह तार बर्नेजके उस तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "कार्य-समितिके निर्णयसे यहाँ बड़ी निराशा और घबराहट फैली है। आपके मित्र अभी भी पूरी आशा करते हैं कि आप लन्दन आयेंगे। क्या यह अब भी सम्भव है? निजी तौरपर मैं यह महत्त्वपूर्ण मानता हूँ कि आप ब्रिटिश जनताके लाभके लिए स्थितिको स्पष्ट करें।"

तो जिस कागजपर यह लिखा है उसके बराबर भी इसका मूल्य नहीं है, और जिस पक्षके पास शस्त्रोंका बल नहीं है यदि समझौतेमें शामिल उस पक्षको लन्दन संरक्षणकी गारंटी नहीं दे सकता तो लन्दनसे ऐसी योजना तैयार करनेकी उम्मीद नहीं है जिसकी भारतको बहुत दिनोंसे कामना है और जिसका कि वह यदि और कुछ नहीं तो कष्ट-सहनके कारण हकदार है। स्थानीय अधिकारी समझौतेकी शर्तोंका पालन करें तो मैं अपना कदम कभी भी वापस ले सकता हूँ। कांग्रेसकी तरफसे मेरा दावा है कि इसने यथाशक्ति अपना पार्ट पूरा किया है, अपने खिलाफ शिकायतोंको दूर करनेके लिए बराबर तैयार रही है और अपने प्रत्येक कार्यकी सार्वजनिक जाँचके लिए सदा तैयार रही है। लॉर्ड इर्विनकी खातिर मैं व्यक्तिशः सब कुछ देनेको तैयार हूँ जिन्होंने इस समझौतेके लिए कई दिन और रात अनथक परिश्रम किया था और जिन्हें आखिरी वक्तमें समझौता विफल होते देख कर गहरा दुख होगा। मेरा दावा है कि मेरा दुख उनसे कम तीव्र नहीं है। अतः आप विश्वास करें कि जो लोग रास्ता साफ करनेकी स्थितिमें हैं उनके वैसा करते ही मैं लन्दन रवाना हो जाऊँगा।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४६४) से।

३२०. पत्र : वाइसरायको[1]

१४ अगस्त, १९३१

घटनाचक्र इतनी तेजीसे चला कि मुझे आपके ३१ जुलाईके व्यक्तिगत कृपापत्र[2] का उत्तर देनेका अवकाश ही न मिल सका। इस पत्रमें जो-कुछ कहा गया है, उसकी ईमानदारीका मैं अनुभव करता हूँ, किन्तु हालकी घटनाओंने इस पत्रको विगत इतिहास बना दिया है, और जैसाकि मैंने अपने इसी १३ तारीखके तारमें कहा है, सब परिस्थितियोंका कुल जायजा लेनेपर हमारे और आपके दृष्टिकोणोंमें बुनियादी अन्तर दिखाई पड़ता है। मैं आपको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि पूरी तरह और अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके बाद ही मैं इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि यहाँके अपने उत्तरदायित्वको ध्यानमें रखते हुए मैं आपके निर्णयको देखते गोलमेज सम्मेलनमें नहीं जा सकता। लेकिन यह सुनकर मुझे दुख हुआ कि

१. **यंग इंडिया** में "क्या समझौता कायम रहेगा" (विल द सेटिलमेंट अबाइड) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित।

२. देखिए परिशिष्ट ६।

आपके निर्णयका कारण आपकी यह धारणा थी कि मैं पंचायत बोर्डकी नियुक्तिपर जोर दे रहा था और अपने-आपको समानान्तर सरकारके प्रधानकी हैसियतमें रखनेका प्रयत्न कर रहा था। जहाँतक पंचायत बोर्डका सम्बन्ध है, यह सच है कि मैंने अधिकारके तौरपर उसका दावा किया था; किन्तु यदि आपको हमारी बातचीतकी याद हो, तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसपर कभी आग्रह नहीं किया था। इसके विपरीत मैंने आपसे कहा था कि जबतक मेरे साथ न्याय होगा, जिसका कि मैं अधिकारी हूँ, मैं पूर्णतः सन्तुष्ट रहूँगा। इससे आप सहमत होंगे कि पंचायत बोर्डके लिए आग्रह करनेसे यह बात सर्वथा भिन्न है। जहाँतक कथित समानान्तर सरकारका सवाल है, मेरा खयाल था कि इस विषयमें परिहासमें कही गई आपकी बातके उत्तरमें मैंने यह कहकर आपका भ्रम दूर कर दिया था कि मैं जिला अधिकारी होनेका दावा नहीं करता, वरन् मेरे साथी कार्यकर्ताओंने और मैंने अपनी मर्जीसे पटेल और गाँवके मुखियाके रूपमें काम किया है और वह भी जिला अधिकारियोंकी मर्जीसे और उनकी जानकारीमें। इसलिए यदि इन दोनों बातोंका, जो कि मेरे विचारमें अनर्गल थीं, आपके निर्णयपर प्रभाव पड़ा हो, तो मुझे खेद होना ही चाहिए।

किन्तु इस पत्रके लिखनेका उद्देश्य तो आपसे यह जानना है कि आप समझौतेको अब रद हुआ समझते हैं, अथवा कांग्रेसके गोलमेज सम्मेलनमें हिस्सा न लेनेपर भी यह कायम रहेगा? कार्य-समिति आज सुबह निम्न निर्णयपर पहुँची है:

> **कांग्रेसके गोलमेज सम्मेलनमें भाग न लेनेके सम्बन्धमें कार्य-समिति द्वारा स्वीकृत १३ अगस्तके प्रस्तावको ध्यानमें रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उक्त प्रस्तावका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि इससे दिल्ली-का समझौता भंग हो गया। इसलिए समिति कांग्रेस संस्थाओं और सब कांग्रेस-सदस्योंको सलाह देती है कि जबतक कोई दूसरी सूचना न दी जाये तबतक वे समझौतेकी शर्तोंका, जिस हदतक वे कांग्रेसपर लागू होती हैं, पालन करते रहें।**

इससे आप जान लेंगे कि कांग्रेस कार्य-समिति ऐसे मौकेपर सरकारको कठि-नाईमें नहीं डालना चाहती और इसलिए वह समझौतेका सम्मानपूर्वक पालन करते रहनेको तैयार है। किन्तु इसके लिए प्रान्तीय सरकारोंका भी वैसा ही अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पत्रों द्वारा और आपके साथ हुई बात-चीतमें आपको अक्सर बताया है, सरकारकी ओरसे सहयोग बराबर कम होता गया है। कार्य-समितिके कार्यालयमें सरकारकी कार्रवाइयोंकी जो सूचनाएँ बराबर मिलती रहती हैं, उनका केवल यही मतलब लिया जा सकता है कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेसकी साधारण हलचलोंको कुचल देनेकी आयोजनाका पूर्व संकेत है। इसलिए यदि समझौतेपर कायम रहना है, तो मेरी समझसे यह आवश्यक है कि जिन शिका-यतोंको अबतक दर्ज किया जा चुका है, उनका समाधान शीघ्र ही हो जाये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अभी और शिकायतें आ रही हैं और साथी कार्यकर्ता

इस बातपर आबद्ध हैं कि यदि समयपर समाधान न हुआ तो उन्हें अपने बचावके साधनोंका उपयोग करनेकी स्वीकृति तो कमसे-कम दे ही दी जाये। क्या मैं आशा करूँ कि आप शीघ्र ही उत्तर देंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

३२१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

१४ अगस्त, १९३१

प्रश्न : यदि समझौता-वार्ता फिरसे आरम्भ नहीं की जाती तो क्या आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलनके समाप्त होनेतक सविनय अवज्ञा आन्दोलनको फिरसे शुरू नहीं करेंगे?

उत्तर : कोई निर्णयात्मक उत्तर देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन कांग्रेस भरसक प्रयत्न करेगी कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको फिरसे शुरू न किया जाये। सरकारके रवैयेपर बहुत-कुछ निर्भर करेगा।

प्रश्न : यदि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपकी मुख्य माँगोंको ज्योंका-त्यों या साररूपमें स्वीकार नहीं करता तो क्या आप दिल्ली समझौतेको खत्म मानेंगे और क्या तब आप संघर्षको फिरसे शुरू करेंगे?

उत्तर : यदि कांग्रेसकी माँगें स्वीकार नहीं की जातीं तो संघर्षका फिरसे शुरू किया जाना निश्चित है।

प्रश्न : यदि संघर्ष फिरसे आरम्भ किया गया तो क्या वह ज्यादा तीव्र होगा और ज्यादा बड़े पैमानेपर चलाया जायेगा?

उत्तर : मैं आशा ऐसी ही करता हूँ। संघर्षको और अधिक तीव्रताके साथ और ज्यादा बड़े पैमानेपर चलानेमें कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

प्रश्न : कल जब आपने निर्णय लिया तब क्या आपने ईश्वरीय मार्गदर्शनके लिए प्रार्थना की थी?

उत्तर : मेरी हालकी सभी प्रवृत्तियोंमें और कार्यसमिति द्वारा कल किये गये निर्णयमें[1] ईश्वरका हाथ स्पष्ट देखा जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन चिन्तापूर्ण दिनोंमें मैंने ईश्वरीय मार्गदर्शनके लिए व्यग्रभावसे अपने हृदयको टटोला है।

प्रश्न : यदि लॉर्ड इर्विन वाइसराय होते तो क्या आप समझते हैं कि लन्दन जानेके बारेमें आपका उनके साथ कोई समझौता हो जाता?

उत्तर : तुलनाएँ विद्वेषजनक होती हैं।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

प्रश्न : समझौता-वार्ताओंकी विफलताके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, प्रान्तीय अधिकारियोंको, लॉर्ड विलिंग्डनको, या लन्दन सरकारको अथवा तीनोंको?

उत्तर : मैं विफलताकी जिम्मेदारी प्रान्तीय अधिकारियोंकी हठधर्मितापर रखता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा परिस्थितियोंके दबावपर रखता हूँ।

प्रश्न : क्या आप मानते हैं कि कार्य-समितिका कलका प्रस्ताव सरकारके लिए समझौता-वार्ता फिरसे आरम्भ करनेका रास्ता खुला छोड़ता है जिसके फलस्वरूप आप लन्दनमें उपस्थित हो सकें?

उत्तर : कार्यसमितिका प्रस्ताव असंदिग्ध रूपसे ऐसी सभी प्रकारकी समझौता-वार्ताओंके लिए दरवाजा खुला रखता है जिनका उद्देश्य कांग्रेसको उसके निर्धारित लक्ष्यतक पहुँचाना हो।

प्रश्न : लन्दन जानेके लिए आपकी न्यूनतम शर्तें क्या हैं?

उत्तर : इस बातका सन्तोषजनक आश्वासन कि दिल्ली समझौतेकी शर्तें जिस हदतक प्रान्तीय सरकारोंपर लागू होती हैं उस हदतक वे उनका पालन करेंगी। सन्तोष उस पक्षको मिलना चाहिए जो पीड़ित होनेका दावा करे, और इस मामलेमें वह पक्ष कांग्रेस है।

प्रश्न : क्या हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्याको हल करनेमें विफलता या हालकी किसी नई बातका लन्दन न जानेके आपके निर्णयमें कोई हाथ था?

उत्तर : मेरे निर्णयका एकमात्र कारण दिल्ली समझौतेका एक ऐसे नाजुक मौके पर टूटना था जब कि, यदि प्रान्तीय सरकारोंका सचमुच यह मन्शा होता कि मैं लन्दन जाऊँ तो उनको मेरा रास्ता साफ करना चाहिए था और उन्होंने किया भी होता। इसके अलावा अन्य किसी घटनाका मेरे निर्णयमें कोई हाथ नहीं था।

प्रश्न : क्या आपकी रायमें इस बातका कोई खतरा है कि किसान लोग जब देखें कि आप लन्दन नहीं जा रहे हैं तो वे अपने-आप लगानकी अदायगी करना बन्द कर दें?

उत्तर : मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, और यदि उनके ऊपर हमारा तनिक भी नियन्त्रण स्थापित हो सका है तो ऐसा निश्चय ही नहीं होगा।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, १५-८-१९३१

३२२. तार: च० राजगोपालाचारीको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

राजगोपालाचारी
मार्फत ए० वी० रमण, लॉयड कॉर्नर
रोयापेट्टा (मद्रास)

पापाकी[1] अस्वस्थतासे व्यथित। इस बदली परिस्थितिमें तुम जल्दी आनेके बारेमें चिन्ता मत करो। मैं यहाँ कुछ समय तक हूँ। पत्र लिख रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४६६) से।

३२३. पत्र: म्यूरियल लेस्टरको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

प्रिय म्यूरियल,

मैं जानता हूँ कि यह जानकर तुम्हें कितना जबर्दस्त आघात लगा होगा कि मैं अन्ततः नहीं आ रहा हूँ। यदि इससे कुछ सान्त्वना मिलती हो तो यह भी जान लो कि मेरे लिए भी यह मामूली आघात नहीं था। मैं जानता हूँ कि कितने स्नेह-पूर्वक तुम मुझे अपने घरमें ठहरानेकी तैयारियाँ कर रही थीं। मैं किंग्सले हॉलके पास-पड़ोसमें रहनेवालोंसे परिचय प्राप्त करने और उनके जीवनको निकटसे देखनेकी बहुत उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ईश्वरकी इच्छा कुछ और है। तुम्हें यह विश्वास दिलानेकी मैं जरूरत नहीं समझता कि मैंने दुराग्रह या हठसे काम नहीं लिया। इसके विपरीत मैंने अत्यधिक धीरज बरता। लेकिन यह दुखद कहानी तुम्हें शीघ्र ही मालूम हो जायेगी। अतः जहाँ मुझे अत्यन्त दुखके साथ न जानेका निर्णय

१. राजगोपालाचारीकी पुत्री।

करना पड़ा वहीं मुझे यह भी लगता है कि यही सर्वोत्तम था और मेरे लन्दन जानेका उपयुक्त समय अभी नहीं आया है।

सप्रेम,

बापू

कुमारी म्यूरियल लेस्टर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६४१) से।

३२४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

मैं जानता हूँ कि यह जानकर तुम्हें कितना गहरा दुख हुआ होगा कि अन्ततः मैं 'मुल्तान'से रवाना नहीं हो सका। मैं इस बातको दिनके प्रकाशके समान स्पष्ट रूपसे देख सकता हूँ कि ईश्वरकी यही इच्छा थी कि मैं न जाऊँ। मैं जा सकूँ इसके लिए मैंने जबर्दस्त प्रयत्न किये, लेकिन सब व्यर्थ। मैं कुछ और ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तारसे तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। मैं यह पत्र तुम्हें सिर्फ यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि यह निर्णय करते समय मुझे शास्त्री, पोलक और सबसे ऊपर म्यूरियलका खयाल था। लेकिन कर्त्तव्य व्यक्तिगत सम्बन्धोंका विचार नहीं करता। क्या मुझे अपने प्रियतम मित्रोंको अक्सर निराश नहीं करना पड़ा है? यह विचार भी, कि लॉर्ड इर्विनके ऊपर इस निर्णयका क्या असर पड़ेगा, मेरे लिए लगभग असह्य है। लेकिन अन्तःकरणकी आवाज मेरे लिए अलंघनीय थी, और इसलिए जब वाइसरायका तार[1] आया तो मेरे सीनेपरसे एक भारी बोझ हट गया।

मैं म्यूरियलको छोड़ अन्य मित्रोंको अलगसे नहीं लिख रहा हूँ। क्या तुम इसे औरोंको भी पढ़ा दोगे?

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७०) से।

१. देखिए "तार : वाइसरायको", १३-८-१९३१ की पाद-टिप्पणी।

३२५. पत्र : मैथ्यू कोहोसॉफको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

हेलेन केलर लिखित 'मिडस्ट्रीम' भेजनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालाँकि मैं पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन उसके पृष्ठोंपर एक सरसरी निगाह डालनेसे पता चलता है कि यह एक अद्भुत कहानी है।

हृदयसे आपका,

श्री मैथ्यू कोहोसॉफ
५७४, वेस्ट १९२डी स्ट्रीट
न्यूयॉर्क (यू० एस० ए०)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७१) से।

३२६. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

प्रिय सुभाष,

तुम्हारा तार मिला था। चूंकि कोई जल्दी नहीं थी इसलिए मैंने तारसे जवाब नहीं दिया। उसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि श्री अणेके लिए यह बेहतर होगा कि वह जाँच-कार्य जारी रखें ताकि तथ्योंके सम्बन्धमें एक उचित निर्णय उपलब्ध हो सके।[1]

मैं आशा करता हूँ कि दिनेशवाला प्रस्ताव रद हो गया होगा।[2]

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७२) से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. दिनेश गुप्तको बंगालके इन्स्पेक्टर-जनरल ऑफ प्रिज़न्स, कर्नल सिम्पसनकी हत्याके आरोपमें ७ जुलाईको अलीपुर सेंट्रल जेलमें फाँसी दे दी गई थी।

३२७. पत्र : एम० एस० अणेको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री अणे,

मैं आपको यह बताना भूल गया कि आपको बंगालके विवादकी जाँच जारी रखनी है क्योंकि जहाँतक मैं जान सका हूँ, सुभाषबाबूको आपका सुझाव अस्वीकार्य था[1], और समितिके जिन सदस्योंसे मैं बात कर सका वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि यह बेहतर होगा कि सारे मामलेको पूरी तरह विचार-विमर्श करके सुलझाया जाये और आप यह पता चलाएँ कि कौन गलतीपर है। इसलिए हालाँकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप कृपया समितिको अपना निर्णय सविस्तार दें।

अगर आप समय निकाल सकें तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे वन-कानून और उसके प्रशासनके बारेमें एक विस्तृत टिप्पणी लिख कर दें और जंगल सत्याग्रह आरम्भ करनेकी आवश्यकताके विषयमें अपना सुविचारित मत भी दें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एम० एस० अणे
यवतमाल (बरार)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७३) से।

३२८. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

मुझे तुम्हारा पत्र मिला था।

तुम एक कठिन परीक्षासे गुजर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि इन सबके बीच भी तुम प्रसन्न और अनुद्विग्न रह सकते हो। मैं तुम्हें पापासे दूर करनेकी बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए जबतक उसे तुम्हारी व्यक्तिगत परिचर्याकी आवश्यकता है तबतक तुम्हारा कर्तव्य उसके निकट रहनेमें है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

जो नाटकीय घटनाएँ हुई हैं उनके बारेमें मैं तुम्हें क्या लिखूँ? मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि भी मेरे निर्णयका पूरा समर्थन करती है। खुद मुझे उसके

१. देखिए "तार : विधानचन्द्र रायको", ११-८-१९३१।

बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम कार्य-समितिकी अगली बैठकमें[1] शामिल हो सको तो अच्छा हो, बशर्ते कि मैं उस समयतक स्वतन्त्र रह सकूँ। मैं अब और अधिक नाटकीय घटनाओंकी उम्मीद करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक ही होगा और सत्याग्रहियोंकी हैसियतसे हमारा काम भविष्यकी झलक पानेकी इच्छा करना नहीं है। हमें तो बस वर्तमानकी चिन्ता करनी चाहिए और भविष्यके बारेमें निश्चिन्त रहना चाहिए।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
मार्फत श्रीयुत ए० वी० रमण
लॉयड कॉर्नर
रोयापेट्टा (मद्रास)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७४) से।

३२९. पत्र : रोमाँ रोलाँको

अहमदाबाद
१५ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपका अत्यन्त स्नेह-स्निग्ध पत्र मिला। इंग्लैंड जाता तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं होना था। मुझे लगता है कि ईश्वरकी इच्छा थी कि मैं न जाऊँ। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि किसी दिन किसी-न-किसी प्रकार हम परस्पर साक्षात्कार करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री रोमाँ रोलाँ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४७५) से।

१. यह ८ सितम्बरसे आरम्भ होनेवाली थी।

३३०. तार: शेरवानीको

[१५ अगस्त, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

शेरवानी
एल्गिन रोड
इलाहाबाद

मेरी राय है कि गोविंद बल्लभ पन्तको भूमि-सुधार समितिमें शामिल होना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४३०) से।

३३१. तार: जवाहरलाल नेहरूको[2]

[१५ अगस्त, १९३१ या उसके पश्चात्]

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

तुम्हारा तार मिला। मेरा विचार है कि गोविंद बल्लभ को समितिमें शामिल होना चाहिए। शेरवानीको तदनुसार तार कर दिया है।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४३०) से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. यह जवाहरलाल नेहरूके १५ अगस्त, १९३१ के तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "संयुक्त प्रान्त सरकारने गोविंद बल्लभ पंतको भूमि-सुधार समितिमें शामिल होनेको निमंत्रित किया जो भावी राजस्व नीतिपर विचार कर रही है। मेरे विचारसे वर्तमान परिस्थितियोंमें उनका जाना अवांछनीय। कृपया अपनी राय शेरवानी, एल्गिन रोड, इलाहाबादको तारसे भेज दें।"

३३२. ईश्वरेच्छा

सब लोग यही समझते थे कि १५ तारीखको मैं विलायतके लिए रवाना हो चुका हूँगा। यहाँ, विलायतमें और सारे संसारके अन्य भागोंमें अनेक लोग इस बातके लिए उत्सुक भी थे कि मैं विलायत जाऊँ तो अच्छा हो। लेकिन अगर रामचन्द्र जैसे भी यह नहीं जानते थे कि राज्याभिषेककी शुभ घड़ीमें उन्हें वनवास भुगतना होगा तो मुझ जैसा प्राकृत मनुष्य अथवा कांग्रेस जैसी प्राकृत संस्था कैसे कह सकते हैं कि अमुक वस्तु अवश्य होगी और अमुक समयमें होगी। होता तो वही है जो प्रभुको मंजूर होता है, और वही श्रेयस्कर होता है। वाइसराय महोदयके उत्तरमें मैं तो ईश्वरकी इच्छा ही देखता हूँ। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं विलायत जाकर गोलमेज सम्मेलनमें भाग ले सकूँ, इसके लिए एक मनुष्य जितने उपाय कर सकता है सो सब मैंने मन, वचन और कर्मसे किये थे। इतना सब करनेपर भी यदि विलायत जाना नहीं हो सका तो मैं अवश्य मानता हूँ कि इसमें हिन्दुस्तानका ही हित निहित है।

मैं स्वयं तो यहाँके अधिकारियों और विलायतके शासनाधिकारियोंमें कोई भेद नहीं मानता और यदि यहाँ छोटी-छोटी बातोंमें न्याय प्राप्त करनेमें खूनका पानी होता हो और कई बार तो खूनका पानी करनेपर भी न्याय न मिल सकता हो, तो बड़े-बड़े मसलोंके लिए विलायत जाकर न्याय प्राप्त किया जा सकेगा, यह मानना तो आकाशके कुसुम चयन करने जैसा है। यह बात तो अंकगणितके हिसाबकी तरह साफ है। बड़ी चीजका अर्थ है छोटी-छोटी वस्तुओंका समूह। जो बात छोटीसे-छोटी वस्तुपर लागू होती है वही बड़ीसे-बड़ी वस्तुपर होती है, और यदि छोटीसे-छोटी चीज प्राप्त करना असम्भव हो तो बड़ीसे-बड़ी चीज प्राप्त करना तो असम्भव होगा ही। इस न्यायके आधारपर भी यहाँ जो हुआ है वह इस बातका प्रतिघोष ही है कि इंग्लैंडमें क्या होनेवाला है। यदि यह विचारश्रेणी सही है तो व्यावहारिक रूपसे भी कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें मेरा वहाँ न जाना उचित ही था।

लेकिन मेरे न जानेसे जनताकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे अब जनतासे ज्यादा काम लेना होगा और जनताको ज्यादा काम करना होगा; अतः जनता जागे। लेकिन इस बारेमें विशेष विचार फिर कभी करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-८-१९३१

३३३. तार: के० एफ० नरीमनको[1]

विद्यापीठ
अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

नरीमन
कांग्रेस
बम्बई

मिलने और सूचना देनेमें कोई आपत्ति नहीं।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८७) से।

३३४. तार: अब्दुल गफ्फार खाँको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

अब्दुल गफ्फार खाँ
उटमंजई (चारसद्दा)

आपका तार मिला। कृपया अकबरपुराके कमिश्नरसे मिलकर उनके सामने सारे तथ्य रख दें। डेरा इस्माइलखाँ न गये हों तो वहाँ भी जाइए और झगड़ा सुलझाइए।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८८) से।

१. यह तार महादेव देसाईको लिखे गये नरीमनके पत्रके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "सर कावसजी (जूनियर) ने आज मुझे बुलाकर उस विषयपर लम्बी बातचीत की। वह चाहते थे कि मैं उनके साथ पूना जाऊँ। मैंने कहा कि मैं मुख्य कार्यालयसे निर्देश मिले बिना नहीं जा सकता। वह हॉटसन्से बातचीत करनेके लिए आज रात पूना जा रहे हैं। यह बातचीत, मेरा अनुमान है कि विलिंग्डनको सप्रू द्वारा दिये गये तारके अनुसार होगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि कल शाम उनके लौटनेपर मैं उनसे फौरन मिलूँ और तब अगर जरूरी हुआ तो वह मुझसे उसी रात अहमदाबाद जानेको कह सकते हैं और मुमकिन है साथमें वह भी आयें; वैसी स्थितिमें मैं सोमवारकी सुबह पहुँचूँगा। परामर्शके बाद कृपया तार कीजिए कि क्या इसमें कोई आपत्ति है"। (एस० एन० १७४७९)

३३५. पत्र : जे० बी० कृपालानीको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय प्रोफेसर,

खद्दरका काम करनेके लिए, अर्थात् कताई, धुनाई, बुनाई आदि सिखानेके लिए किसीको सीमा प्रान्त भेजना है। क्या तुम्हारी निगाहमें कोई है जिसे भेज सको? खुर्शेदबहन चाहती हैं कि तुम यह काम करो।

हालकी घटनाओंके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है?

आचार्य कृपालानी
गांधी आश्रम
मेरठ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८०)से।

३३६. पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजीको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

देवदासने मुझे तुम्हारा लम्बा पत्र दिया। उसे पढ़कर मुझे बहुत आनन्द हुआ, क्योंकि उसमें खूब खबरें थीं, और इसके अलावा खानसाहब और देवदासने जो-कुछ बताया उससे यह खुशी और बढ़ गई। अब चूँकि मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम मुझे समाचारोंका हफ्तावारी चिट्ठा दिया करो।

मैं खादी-कार्यके लिए किसीको भेजनेका प्रयत्न कर रहा हूँ और मैं एक या दो और बहनोंको भेजनेकी बात भी सोच रहा हूँ। बेशक मैं पहले तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त किये बगैर किसीको नहीं भेजूँगा। हमीदाको मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ और जिस दूसरीका मेरे मनमें ध्यान है वह है कुसुमबहन जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो और जो अलमोड़ाके दौरेमें हमारे साथ थी। उसने मुझे अपना अन्तिम निर्णय अभीतक नहीं बताया है, लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि वह जानेका निर्णय भी करेगी तो भी उसे भेजनेसे पहले मुझे तुमसे राय लेनी पड़ेगी। इसलिए अब तुम मेरा मार्ग-निर्देशन करना और तुम्हें और कुछ नाम सूझें तो बतानेमें हिचकना नहीं। नानीबहन मेरे दिमागमें है। आज मैंने उससे बात की थी। मैंने सीमा प्रान्तवाले कामका उससे अभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन उससे पता चला कि इस

समय वह एक शराबकी दुकानको देख रही है और इस समय मुझे लगता है कि उसे यहाँसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारी राय जाने बगैर मैं आगे और कोई कदम नहीं उठाऊँगा।

डेरा इस्माइल खाँसे भेजा तुम्हारा तार मैंने देखा। मैंने खान साहबको तार दिया है।[1] मैं तुमसे पूरी जानकारी पानेकी आशा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हें अखबार बराबर पहुँचते रहते हैं, इसलिए जो दुखद घटनाएँ यहाँ घट रही हैं उनके बारेमें तुम्हें बतानेकी जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई ऐसा अखबार चाहो जो तुम्हें वहाँ नहीं भेजा जा रहा है तो उसके लिए कहनेमें हिचकना नहीं।

श्रीमती खुर्शेदबहन
मार्फत डा० खान साहब
पेशावर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८१) से।

३३७. पत्र : लीलावती सावर्डेकरको[2]

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय बहन,

मेरा सन्देश यह है:

जहाँ यह बात ठीक है कि पुरुषको अपनी पतिता बहनोंकी खातिर अपने दुराचारोंको छोड़ना चाहिए वहीं यह भी निश्चित है कि यह बुराई तभी दूर होगी जब उन पतित बहनोंमें से कोई एक इस बुराईके विरुद्ध विद्रोह कर देगी और अपनी पवित्रताकी ज्वालासे दूसरोंके अन्दरकी बुराईको जलाकर क्षार कर देगी।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीमती लीलावती सावर्डेकर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८२) से; **बॉम्बे क्रॉनिकल,** २९-८-१९३१ से भी।

१. देखिए "तार : अब्दुल गफ्फार खाँको", १६-८-१९३१।
२. देखिए "पत्र : लीलावती सावर्डेकरको", ९-८-१९३१।

३३८. पत्र : विधानचन्द्र रायको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय डाक्टर विधान,

कल अहमदाबाद पहुँचनेके बाद ही मैं आपका पत्र देख सका। अब जाकर ही मैं बकाया पत्रोंका उत्तर निपटानेकी स्थितिमें हूँ। चूंकि सरदार वल्लभभाईने मुझे बताया कि निगमने दिनेश सम्बन्धी प्रस्तावमें हस्तक्षेप करनेसे पहले ही इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने अपनी राय सूचित करनेके लिए कल तार नहीं किया। यदि सरदार द्वारा दी गई सूचना सही थी तो मुझे दुख है। मैं अवश्य यह मानता हूँ कि युवकोंकी खातिर और सत्यकी खातिर इस प्रस्तावको मंसूख कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल बेबस थे।

जहाँतक बंगालमें पार्टीके झगड़ोंका सवाल है, सुभाषका पत्र पानेके बाद मुझे समितिके जितने सदस्य मिल सके उनके साथ मैंने एक अनौपचारिक बातचीत की और हम सब इस निष्कर्षपर आये कि मौजूदा परिस्थितियोंमें यह बेहतर होगा कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दी जायें, और श्री अणेको अपना निर्णय देने दिया जाये।

मैं इसके साथ आपको दो पत्र भेज रहा हूँ। मुझे फणीन्द्रनाथ सेठका पत्र पसन्द आया। आरोपोंके अलावा, उनके सुझाव मुझे ठीक लगते हैं। दूसरे पत्रका मैं सर-पैर कुछ नहीं समझ पाया।

हृदयसे आपका,

संलग्न : २

डा० विधानचन्द्र राय
३६, वेलिंगटन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८३) से।

३३९. पत्र : ऐन मारी पीटर्सनको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र पाकर बहुत हर्ष हुआ।

मेरी मूर्च्छाका[1] मेरे स्वास्थ्यसे कोई सम्बन्ध नहीं था। वैसा केवल भावातिरेकके कारण हुआ था। ऐसा मेरे साथ एकाधिक बार हो चुका है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और चिन्ताका कोई कारण नहीं है। मेरा समय नष्ट करनेका भय मानकर पत्र लिखना बन्द मत करना। बस यह उम्मीद मत करना कि मैं हमेशा उत्तर दे सकूँगा। अगर मैं यूरोप गया होता तो निश्चय ही एस्थर और मेननको ढूँढ़ निकालता। लेकिन ईश्वर बहुत महान और दयालु है। ठीक मौकेपर उसने मेरे कन्धे परसे बोझ हटा लिया।

कुमारी पीटर्सन
पोर्टो नोवो (दक्षिण भारत)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८४) से।

३४०. पत्र : श्रीराम शर्माको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

रोहतकमें दमनके बारेमें आपका पत्र मिला। यदि राहत नहीं मिलती तो आपको शीघ्र ही बचावकी कार्रवाई करनेकी आवश्यक अनुमति मिल जायेगी। चूंकि मैं भारतके बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कृपया मुझे वहाँकी स्थितिसे बराबर अवगत रखें।

हृदयसे आपका,

श्रीराम शर्मा
महामन्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी
रोहतक (पंजाब)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४८५) से।

१. अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें, ८ अगस्तको; देखिए पृष्ठ ३०१।

३४१. पत्र : ए० सुब्बैयाको

पी० ओ० बॉक्स २६
अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय सुब्बैया,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा तार मिलते ही उसपर कार्रवाई की गई थी। अब चूँकि मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मुझपर दबाव कुछ कम होगा। लेकिन यह भी सम्भव है कि दबाव कुछ बढ़ जाये।

ललिता[1] के लिए अपनी हिन्दीकी पढ़ाई पूरी न करनेका कोई बहाना नहीं है। वह समय न होने अथवा कोई पढ़ानेवाला न होनेका बहाना नहीं बना सकती। तुम रोजाना कुछ मिनट दे सकते हो, लेकिन उसे दूसरेकी मददकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी मेहनत करनेकी है। मुझे यह लगता है कि जो दक्षिणवासी मेरे निकटतम हैं यदि वे हिन्दी सीखनेकी तकलीफ गवारा नहीं करते तो कहीं कुछ गड़बड़ है, और तब मुझे दूसरोंसे हिन्दी सीखनेकी अपेक्षा करनेका कोई अधिकार नहीं है। जनसाधारणकी सेवा करनेके लिए यदि हिन्दीका ज्ञान आवश्यक है, तो सभी सच्चे सेवकोंको उसे फौरन सीख लेना चाहिए, और अगर आवश्यक नहीं है तो वैसी स्थितिमें हिन्दी प्रचार कार्यालयको बन्द कर देना चाहिए। वर्तमान अस्पष्टताकी स्थितिमें कुछ असत्य जैसा है। इसलिए ललिताको सावधान रहना चाहिए।

मैं यहाँ तीन सप्ताह रहनेकी आशा रखता हूँ। . . .[2]

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७४८६) से।

१. ए० सुब्बैयाकी पत्नी।

२. साधन-सूत्रमें पत्र अधूरा है।

३४२. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

अहमदाबाद
१६ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

२१ गाँवोंमें पंच द्वारा लगाये गये जुर्माने और रासमें लगानके बारेमें आपके दो पत्र मिले। धन्यवाद। उनका उत्तर देनेमें विलम्ब होनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं अब कुछ समयतक अहमदाबादमें रहूँगा। अपनी जाँच-पड़ताल पूरी करते ही मैं आपको अधिक विस्तारके साथ पत्र लिखनेकी आशा रखता हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४८९) से।

३४३. तार : के० एफ० नरीमनको

१७ अगस्त, १९३१

नरीमन
मारफत कांग्रेस
बम्बई

तुम्हारा पत्र[1] मिला। बारडोलीमें लगान वसूलीकी अगर एक निष्पक्ष और सार्वजनिक जाँच कराई जाये तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। मेरे लन्दन जानेके लिए इतना काफी होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कार्यसमिति अन्य मामलोंमें राहतकी माँग, या सन्तोष न मिलने पर सार्वजनिक निष्पक्ष जाँचकी माँग नहीं करेगी।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४९२) से।

१. १६ अगस्तका पत्र। नरीमनने लिखा था कि वह कावसजी जहाँगीरके पूनासे लौटनेपर उनसे मिले थे और उनसे बात करनेसे और तेजबहादुर सप्रू और जयकर द्वारा वाइसरायको भेजे गये तारसे वह स्थितिको जैसा समझे थे वह यह थी कि बारडोलीमें लगानकी जबरन वसूलीकी जाँच करनेके लिए सरकार यदि एक निष्पक्ष अधिकारी नियुक्त कर दे तो गांधीजी लन्दन जानेको तैयार होंगे। नरीमनने पूछा था कि क्या यह बात सही है।

३४४. तार : मदनमोहन मालवीयको

विद्यापीठ
अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

मालवीयजी
हिन्दू विश्वविद्यालय
बनारस

ठीक तो नहीं लगता लेकिन आपकी सलाह के आगे झुक रहा हूँ। मैं इसे[1] प्रेसको दे रहा हूँ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५११) से।

३४५. पत्र : अब्बास तैयबजीको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय भुर्-र्-र्,

तुम्हारा पत्र मिला। हाँ, संकटकी घड़ी आनेपर तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना है। तुम अभी भी उत्तराधिकारी[2] हो। तुम सबोंको प्यार, विशेष रूपसे नवागन्तुकको। वह लड़का हो या लड़की, मेरी ओरसे उसे खूब प्यार कर लेना। जरा ध्यान रखना कि लम्बी दाढ़ी कोमल त्वचामें गड़े नहीं।

तुम्हारा,
भुर्-र्-र्

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५७७) से।

१. अनुमानतः अभिप्राय उस पत्र-व्यवहारसे है जिसमें 'आरोप-पत्र' भी शामिल था। यह **यंग इंडिया** के २०-८-१९३१ के अंकमें छपा था।

२. दांडी यात्राके समय गांधीजीकी गिरफ्तारी होनेकी स्थितिमें अब्बास तैयबजीको उनका उत्तराधिकारी नामजद किया गया था, देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ २०८।

३४६. पत्र : हरदित सिंह ढिल्लोंको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

भले ही हममें तरीकोंके मामलेमें मतभेद हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है। अहिंसामें विश्वास रखनेके कारण मेरी कोशिश होती है कि लोग स्वेच्छासे विशिष्ट स्थिति अपनायें, लेकिन उन्हें मजबूर करनेकी मेरी कोशिश नहीं है। इसलिए आपकी योजनाका समर्थन करना मेरे लिए कठिन है।

हृदयसे आपका,

श्री हरदित सिंह ढिल्लों
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय
बर्कले, कैलिफोर्निया (यू० एस० ए०)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७४९९) से।

३४७. एक पत्र[1]

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय बहन,

मेरे स्वास्थ्यमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मेरे दाहिने अँगूठेको बराबर लिखते रहनेके कारण आरामकी जरूरत है, इसलिए बायें हाथका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सभामें मैं जो मूर्च्छित हुआ वह मेरी व्यथाका द्योतक था जिसे मैं सँभाल नहीं सका। मेरा स्वास्थ्य जितना अच्छा है इतना अच्छा पिछले कुछ वर्षोंमें कभी नहीं रहा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५००) से।

१. प्रेषितीका नाम अज्ञात है।

३४८. पत्र : सोंजा श्लेसिनको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय कुमारी श्लेसिन,

मैं दक्षिण आफ्रिका नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इंग्लैंड भी नहीं जा रहा हूँ।

सच मानो कि लँगोटी धारण करनेमें आडम्बर जैसा कुछ नहीं है। यह एक परम आवश्यकता है। दक्षिण आफ्रिकामें जो परिवर्तन किया गया था क्या उसमें कुछ आडम्बरपूर्ण था? क्या यह पोशाक अर्थात् नेटालमें कुलीकी लँगोटी आडम्बरपूर्ण है? और अगर मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, ऐसा मुझे न लगता हो, तो कैसा? क्या तुम जानती हो कि भारतमें करोड़ों लोग एक लँगोटीके सिवा कुछ नहीं पहनते? लेकिन मैं भूल गया था कि तुम एक श्रेष्ठतर वर्गकी महिला हो। तुम लोगोंको साधारण मापदण्डसे नहीं जाँच सकतीं।

मेरी किताब सच्ची है, क्योंकि यह मेरे संस्मरणोंका सच्चा प्रस्तुतीकरण है। जो लोग मेरे साथ सम्बन्धित थे उन सभीको गलतियाँ सुधारनेकी छूट है। और चूँकि यह विज्ञापनका कोई साधन नहीं है, इसलिए लिखते वक्त अगर कुछ प्रिय मित्रोंके नाम स्मृतिसे छूट गये तो क्या अन्तर पड़ता है? लेकिन जो-कुछ गलतियाँ और छूटें हों उनकी एक सूची मुझे भेजना। जब दूसरा संस्करण निकलना होगा उस समय उसमें आवश्यक सुधार और परिवर्धन करनेका प्रयत्न किया जायेगा।

मेरा दाहिना हाथ बेकार है, इसलिए बायें हाथसे लिख रहा हूँ।

तुम्हारा,

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०१) से।

३४९. पत्र : विसेंटी लूटोस्लाव्सकीको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

जैसा कि आपने देखा होगा, मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ। यदि मैं जाता तो निश्चित ही एक घंटेका समय आपके लिए अलग रख देता। मैं आपकी चेतावनीको समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि यदि हमारे अन्दर सच्चा सत्याग्रह है तो हमें अपनी बातपर दृढ़ रहना चाहिए। यह कठिन होगा, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस दिशामें एक सत्याग्रहीके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है।

हृदयसे आपका,

प्रो० विंसेन्टी लूटोस्लाव्सकी
इताब्ल, कोतेदु नोर्द,
(फ्रान्स)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०२) से।

३५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

मैं तुम्हारी सूचनाके लिए संलग्न कागज भेज रहा हूँ। तुम इसका उपयोग करनेके बाद इसे नष्ट कर देना।

संलग्न : १

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०३) से।

३५१. पत्र : मजहर अली अल्वीको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

आप अपनी पुस्तक मुझे समर्पित करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कृपया अपने पिताजीको मेरी याद दिला दीजिएगा। मुझे आशा है अब वह अच्छे हैं।

हृदयसे आपका,

प्रो० मजहर अली अल्वी
कोठी नं० १३१
अमीनाबाद, लखनऊ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०४) से।

३५२. पत्र : विधानचन्द्र रायको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय डॉक्टर राय,

बाढ़-पीड़ितोंकी ओरसे चन्देकी आपकी अपील मुझे 'नवजीवन'के मैनेजरने भेजी है। मैं तो बस स्तब्ध रह गया हूँ। मेरे पास असम, बिहार, रत्नगिरि और अब आपके पाससे अपीलें आई हुई हैं। पाठकोंसे मुझे कुछ मिल सकता है या नहीं, मैं नहीं जानता। इसीलिए मैंने 'नवजीवन' या 'यंग इंडिया' में कोई अपील नहीं छापी है। क्या करना चाहिए, मैं इसी उधेड़बुनमें पड़ा हूँ। मैं एक सुझाव देता हूँ। जिनको आप जानते हों, ऐसे कुछ धनवान व्यक्तियोंको आप व्यक्तिगत तौर पर लिखिए। मुझे गहरा दुख है कि मैं कुछ नहीं कर सकता।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
कालेज ऑफ साइंस
कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०५) से।

३५३. पत्र : मुहम्मद मुफ्ती किफायतउल्लाको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मौलाना साहब,

आपके इसी १३ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद।

कार्यसमितिने उस प्रश्नपर निश्चय ही विचार नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि पण्डित मालवीयजी और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कहते रहे हैं। किसी भी हालतमें मेरा वचन स्थिर है, और अब चूंकि मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ, इसलिए क्या आपको यह नहीं लगता कि सारी चर्चा ही बेसूद हो गई है?

हृदयसे आपका,

मौलाना मुहम्मद मुफ्ती किफायतउल्ला
अध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द
बाजार बल्लीमारान
दिल्ली

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०६) से।

३५४. पत्र : आर० जी० प्रधानको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र और उसके साथ संलग्न गोलमेज सम्मेलनके हिन्दू सदस्योंके नाम आपकी अपीलके लिए धन्यवाद। अब इसका मुझसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस अपीलका कोई खास उपयोग नहीं है क्योंकि मेरी रायमें सरकार इस मामलेको अपने पास खुद ही निर्णयके लिए रखना चाहती है। मैं गलत होऊँ तो मुझे खुशी होगी। लेकिन यह धारणा बेबुनियाद नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत आर० जी० प्रधान
नासिक

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५०७) से।

३५५. पत्र : एस० थुराई राजा सिंगमको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं आपके पत्र और सोनेके बटनोंके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इनका उपयोग खादी-कार्यके लिए किया जायेगा।

दीनबन्धु एन्ड्रचूजके बारेमें मेरे लेखोंका आप जो और जैसा उपयोग चाहें, कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० थुराई राजा सिंगम
द स्कूल
पेकन
[मलाया]

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५०८) से।

३५६. पत्र : पद्माको

१८ अगस्त, १९३१

चि० पद्मा,

तेरा पत्र पढ़कर खुश हुआ। तेरे पत्रके साथ मुझे टेम्परेचरका चार्ट दिखाई नहीं दिया। इतना कभी नहीं घूमना चाहिए कि थकावट हो जाये। वहाँ अपना समय कैसे व्यतीत करती है? सरोजिनी देवी क्या करती हैं? तेरी खूराक क्या है? यह सब समाचार लिखना। वजन कम हो गया है, यह बात ठीक नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२५) से।

३५७. पत्र : कुसुम देसाईको

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

चि० कुसुम,

तेरा कार्ड मिला। मुझे डाक्टरकी राय नहीं चाहिए, तेरी चाहिए।

महावीरसे मिल आना।

मेरी दृष्टिसे तुझे दवाकी जरूरत नहीं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८२६) से।

३५८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
१८ अगस्त, १९३१

पण्डित मदनमोहन मालवीय द्वारा दिये गये हालके बयानके[1] बारेमें भेंट करने पर महात्मा गांधीने कहा :

मैंने पण्डित मालवीयका सन्देश पढ़ा है। तात्कालिक माँगके बारेमें उन्होंने जो कुछ कहा है वह तत्त्वतः सही है, लेकिन उनकी जैसी आशावादिता मैं नहीं महसूस करता। पण्डित मालवीयका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि समस्या अब घटकर एक ही प्रश्नके बारेमें रह गई है।

यह समस्या घटाकर इतनी सीमित कर दी गई है, उसका कारण केवल यही है कि मेरे लिए इंग्लैंड जाना सम्भव हो सके, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो प्रश्न बचा है उसके पीछे एक बड़ा सिद्धान्त निहित है जिसका सामना सरकारको करना ही है। मेरी रायमें यह सिद्धान्त, कि जनता और सरकारके बीच कांग्रेसकी स्थिति मध्यस्थकी है, समझौतेका अभिन्न अंग है।

१. इसमें मालवीयजीने कहा था : "मैं यह नहीं मान पा रहा हूँ कि जब सरकार और कांग्रेसके बीच विवादका विषय इतना छोटा, हालाँकि महत्त्वपूर्ण, रह गया है, और जब माँगका औचित्य इतना स्पष्ट है तब प्रधानमन्त्री और उनके सहयोगी पिछले कई महीनोंकी सच्ची और कड़ी मेहनतको विफल हो जाने देंगे, उस मेहनतको जिसका कुल उद्देश्य यह था कि गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधि भी शरीक हों।"

यदि यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जाता तो समझौता कोई अर्थ नहीं रखता। और मुझे भय है कि चूँकि सरकार समझौतेके इस स्वाभाविक परिणामको स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए सरकारने बारडोलीके मामलेमें उस समझौतेको तोड़ा है। पंच-मण्डलके द्वारा राहत दी जाये या किसी निष्पक्ष स्वीकार्य जाँचके द्वारा, इसमें मुझे एतराज नहीं है। सरकारको या किसीको भी नीचा दिखाने या अटपटी स्थितिमें डालनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। इच्छा केवल यही है कि किसी तरह न्याय प्राप्त हो। सरकार अपने ही ढंगका न्याय करे, लेकिन न्याय ऐसा हो कि जिसे वे लोग भी स्वीकार करें जो उसके लिए प्रयत्नशील हैं।

अखबारोंमें छपी इस रिपोर्टके बारेमें पूछे जानेपर कि कांग्रेस लड़ाईके लिए तेजीसे तैयारी कर रही है, कि कांग्रेसके विभिन्न पदाधिकारियोंको यह निर्देश किया गया है कि वे सरकारके ऐसे आदेशोंका पालन न करें जिनका उद्देश्य विदेशी कपड़े और शराबकी दुकानोंके आगे धरना देनेके उनके कानून-सम्मत अधिकारोंमें दखल देना हो, कि खेड़ा और सूरत जिलोंके किसानोंको सूचित कर दिया गया है कि वे जितना दे सकते हों उससे अधिक लगान न दें और बदलेमें जो परिणाम हो उसे भोगें, और यह कि इलाहाबादमें कांग्रेसके मन्त्रीको यह अधिकार दे दिया गया है कि वह संयुक्त प्रान्तके किसान नेताओंको निर्देश जारी कर दें कि वे जमींदारों या सरकारी अमलोंके अत्याचारोंका प्रतिरोध करें, गांधीजीने कहा :

यह जानबूझकर फैलाया गया झूठ है। ऐसे कोई निर्देश किसीको जारी नहीं किये गये हैं। यही नहीं, बल्कि सारे देशमें ये निर्देश जारी किये गये हैं कि दिल्ली-समझौतेका पालन किया जाना चाहिए और सदरमुकामकी अनुमतिके बिना कोई व्यक्ति किसी सरकारी आदेशकी अवज्ञा न करे। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस कार्यसमिति दिल्ली-समझौतेको सम्मानजनक ढंगसे कार्यान्वित करनेको उत्सुक है, किन्तु यदि प्रान्तीय सरकारें हमें कोंचेंगी तो हमें बचावकी सूरत अख्तियार करनी पड़ेगी। मैंने इस बातको सिद्ध करनेके पर्याप्त प्रमाण जुटा लिये हैं कि कोंच-काँच पहले ही शुरू हो चुकी है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-८-१९३१

३५९. तार : प्राणजीवन मेहताको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

डॉ० मेहता
पगोडा रोड
रंगून

रतिलाल अब यहाँ है। स्वस्थ दीखता है लेकिन अभी भी जल्दी उत्तेजित हो उठता है। मेरा विचार उसे स्वतन्त्र छोड़ देनेका है।

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५२१) से।

३६०. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

आपके इसी १७ तारीखके पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ संलग्न टिप्पणीमें पटेलों, तलाटियों आदिके लिए सूचना दी गई है। मुझे इसके विषयमें शायद आगे और लिखना पड़ सकता है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५१०) से।

३६१. पत्र : ई० आई० बनबरीको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं जानता हूँ कि इसी ४ तारीखके आपके कृपा-पत्रका उत्तर विलम्बसे देनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पास काम ज्यादा और समय कम था तथा मैं जानता था कि आपके प्रश्नका उत्तर देनेकी कोई जल्दी नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति या फर्म भारतीय कपड़ेका व्यापार करनेके साथ-साथ विदेशी कपड़ेका आयात भी करती है तो वह व्यक्ति या फर्म भारतीय हो या यूरोपीय, उसका निश्चय ही बहिष्कार किया जायेगा। और यह मेरी रायमें किसी भी रूपमें समझौतेके विरुद्ध नहीं है। अन्य किसी भी शर्तपर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कारगर नहीं हो सकता। यदि आप एक बार विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका औचित्य और उसकी आवश्यकता स्वीकार कर लें, तो दूसरी बात अपने-आप ही सिद्ध हो जाती है।

हृदयसे आपका,

श्री ई० आई० बनबरी
होम स्ट्रीट
बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५१०) से।

३६२. पत्र : बॉयड टकरको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय बॉयड,

मैंने तुम्हारे पत्रका उत्तर देना जानबूझकर रोके रखा, क्योंकि मैं यह जाननेकी प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या होनेवाला है। परिणाम तो तुम अब जानते ही हो। लेकिन मान लो कि जो समझौता वार्ताएँ चल रही हैं वे सफल हों और अन्ततः मुझे जाना ही पड़े, तो मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें मेरे दलके सदस्यके रूपमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुतसे लोग स्वतन्त्र रूपसे यात्रा कर रहे होंगे और तुम भी वैसा ही कर सकते हो। मुझे तो यही लगता है कि मैं जैसा हूँ उसी हालतमें मुझे जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मेरा तटस्थ मन:स्थिति लेकर जाना

तुम ठीक समझते हो या नहीं। यह मनःस्थिति या तो अहंकारजन्य होती है या ईश्वरमें पूर्ण आस्थाका फल हो सकती है। मुझे निश्चय है कि मेरे मामलेमें यह ईश्वरमें आस्थाके कारण है। आगे आनेवाली जबर्दस्त कठिनाइयों और खुद अपनी अत्यन्त सीमित शक्तियोंका मैं जितना ही विचार करता हूँ अपनी असहायावस्था मेरे सामने उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। इसलिए मैं अपने आपमें कहता हूँ : "मैं केवल ईश्वरपर आधार रखूंगा, और किसीपर नहीं, किसी चीजपर नहीं।" लेकिन ईश्वर अपने उद्देश्यके लिए बहुतसे साधनोंको चुनता है, और यदि वह उनका उपयोग करना चाहता है तो वही यह भी देखेगा कि वे उपयोग किये जानेके लिए तैयार हैं।

हृदयसे तुम्हारा,

रेवरेंड बॉयड टकर
शान्तिनिकेतन
वीरभूमि

अंग्रेजी की फोटो-नकल (एस० एन० १७५१४) से।

३६३. पत्र : हेनरी नीलको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

आप स्पष्ट ही ऐसा मानते प्रतीत होते हैं कि मेरे पास धनका अक्षय भण्डार है। तथ्य यह है कि मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं है जिसे मैं अपनी कह सकूं। मेरे नियन्त्रणमें कुछ कोष अवश्य हैं, लेकिन वे पहले ही दूसरी चीजोंके निमित्त कर दिये गये हैं। अतः आपके प्रस्तावके सिलसिलेमें यदि मैं कुछ करनेका निश्चय करूँ तो मुझे भीख माँगनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हाथमें पहले ही बहुतसे भिक्षा-पात्र हैं, और आप यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि मैं उनमें एक और जोड़ दूं। वे पहले ही इतने ज्यादा हैं कि दान-दाताओंको शायद उनसे कुछ उलझन होती हो।

हृदयसे आपका,

श्री हेनरी नील
ईस्ट ऑरोरा, न्यूयॉर्क (यू० एस० ए०)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५१५) से।

३६४. पत्र : बी० के० भट्टाचार्यको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपका इसी ५ तारीखका पत्र मिला था।[1] अत्यावश्यक कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण पहले उत्तर नहीं दे सका।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके समय मैंने दोनों पक्षोंमें कुछ सुलह करानेकी थोड़ी कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल हुआ। इसके सचमुच मतलब हैं कि मैं खुद बंगाल जाऊँ, लेकिन इस समय ऐसा करना सम्भव नहीं है। श्री अणे योग्य, निर्भीक और निष्पक्ष व्यक्ति हैं। जितनी जल्दी वह दे सकें, उतनी जल्दी उन्हें अपना निर्णय देने दीजिए। तब शायद मैं अन्धकारमें प्रकाश देख सकूँ। जहाँ दोनों पक्ष अपने सही होनेका बहुत जोरदार ढंगसे दावा करते हों वहाँ मेल-मिलाप कराना असम्भव हो जाता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत बी० के० भट्टाचार्य
८१, शिवपुर रोड
शिवपुर, हावड़ा

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५१६) से।

३६५. पत्र : सी० ई० न्यूहमको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री न्यूहम,

आपका अत्यन्त कृपापूर्ण पत्र[2] मिला। मैं उसे अत्यन्त कृपापूर्ण जानबूझकर कह रहा हूँ। यह मुझमें आपके विश्वासका प्रमाण है, और मैं उसकी कद्र करता हूँ। काश, आपकी आशाको पूरा कर सकना मेरे लिए सम्भव होता। अब मुझे एक स्वीकारोक्ति करनी है। आपको मेरी आश्चर्यजनक मूढ़ता और अज्ञानका कोई

१. इस पत्रमें गांधीजीसे आग्रह किया गया था कि वे सुभाषचन्द्र बोस और जे० एम० सेनगुप्तके बीच सुलह करानेके लिए हस्तक्षेप करें।

२. इस पत्रमें न्यूहमने इंडियन हॉकी फेडेरेशनकी तरफसे गांधीजीसे ओलम्पिक हॉकी फण्डमें चन्दा देनेका अनुरोध किया था।

पता नहीं है। आपको यह जानकर विस्मय होगा कि मुझे पता नहीं, हॉकीका खेल सचमुच होना क्या है। मुझे पता नहीं था कि जनम[illegible]को उसमें दिलचस्पी होगी। मुझे याद नहीं कि मैंने इंग्लैंड, दक्षिण आफ्रिका या भारतमें कभी कोई खेल देखा हो। मैं क्रिकेट मैच देखने कभी नहीं गया और केवल एक बार क्रिकेटका गेंद-बल्ला हाथमें लिया था, वह भी जिस हाईस्कूलमें मैं पढ़ता था उसके हेडमास्टरके दबावके कारण, और यह ४५ वर्ष पहलेकी बात है। इस स्वीकारोक्तिका किसी भी रूपमें यह अर्थ नहीं है कि मैं खेलोंके विरुद्ध हूँ। बस इतना ही है कि खुद मैं उनमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं ले पाया। ऐसी स्थितिमें अगर मैं एक नया हाथ दिखाऊँ तो इससे लोग चक्करमें पड़ जायेंगे, भले ही इसके पीछे उस अनुष्ठानके लिए और अधिक अंग्रेजोंकी मैत्री और सहानुभूति प्राप्त करनेका सराहनीय उद्देश्य ही क्यों न हो, क्योंकि इनके कारण ही यह जीवन जीने योग्य बनता है। आशा है आप मेरी कठिनाई और इसी कारण आपकी सहायता करनेकी मेरी असमर्थताको समझ सकेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री सी० ई० न्यूहम
सेसिल होटल, शिमला

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५१७) से।

३६६. पत्र : वी० एस० नारायण रावको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय नारायण राव,

मुझे तुम्हारा इसी १५ तारीखका पत्र मिला।

दीवान साहबके साथ मेरी लम्बी खतोकिताबत हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला जिसकी सूचना तुम्हें देता। इसीलिए मैं तुम्हें कोई निश्चित सलाह भी नहीं दे सकता। अतः तुमने मेरे साथ जो चर्चाएँ की हैं उनको याद करनेकी कोशिश करो, अर्थात् उसमें से जितना कुछ तुम आत्मसात कर सके थे उसको, और फिर इस समय वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखनेके बाद अन्तरात्मा जैसा कहे वैसा करो। मैं इतनी दूर बैठकर कोई अन्तिम निर्णय देनेकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत वी० एस० नारायण राव
मन्त्री, बंगलोर जिला कांग्रेस कमेटी
बंगलोर सिटी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५१९) से।

३६७. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पिछली २५ जुलाईका पत्र मिला तथा तार भी। दोनोंके लिए धन्यवाद। मैंने आपको तुरन्त उत्तर भेज दिया था जो आशा है आपको यथासमय मिल गया होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने जो जोरदार कदम उठाये हैं उन्हें आपने देखा होगा। इसका परिणाम बड़ा उत्साहवर्द्धक रहा है। सर अर्नेस्ट हॉटसनकी हत्याके प्रयास तथा जज गार्लिककी दुखद हत्याके बारेमें लिखे मेरे लेख भी आपने देखे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हत्याओंके इस पागलपनसे भरे तरीकेको रोकनेके लिए जो-कुछ किया जा सकता है उसमें कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

हृदयसे आपका,

सर डार्सी लिंडसे,
मेफेयर, लन्दन डब्ल्यू०

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५२०) से।

३६८. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
१९ अगस्त, १९३१

आज सुबह गांधीजीका ध्यान बम्बईके एक समाचारपत्रको दी गई सर प्रभाशंकर पट्टणीकी एक भेंटकी ओर आकृष्ट किया गया, और मैंने उस भेंटमें प्रतिपादित प्रस्तावके बारेमें गांधीजीकी राय जाननेका प्रयत्न किया। इस प्रस्तावमें एक न्यायाधिकरण नियुक्त करनेका सुझाव दिया गया था जिसमें हाईकोर्टके एक जजके अलावा तीन अधिकारी सदस्य होंगे।

हालाँकि गांधीजी प्रस्तावके बारेमें कोई राय व्यक्त करनेको अनिच्छुक थे, लेकिन मेरी उनके साथ लम्बी बातचीत हुई जिससे यह पता चलाया जा सकता था कि गांधीजीको इसकी परेशानी नहीं है कि वह जाँच हो या न्यायाधिकरण हो। वह जो चाहते हैं सो यह कि उनकी माँगको तत्वतः स्वीकार कर लिया जाये। उन्होंने कहा :

नाममें क्या धरा है? जिस चीजमें मुझे तत्त्व प्राप्त हो जाये उसी चीजमें मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

गांधीजीने कहा कि सर प्रभाशंकर पट्टणीने जिस प्रकारकी जाँचका सुझाव दिया है वैसी जाँचकी बात यदि सरकार स्वीकार कर ले तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-८-१९३१

३६९. प्रश्नोंके उत्तर[1]

बुधवार [१९ अगस्त, १९३१]

प्र० : अभी हाल ही में अहमदाबादमें आधी दर्जन नई मिलोंके लिए ब्रिटिश मशीनरीका आर्डर दिये जानेकी बात क्या साँपको दूध पिलाने जैसी नहीं है?

उ० : यदि समझौतेके दौरान थोड़ेसे ब्रिटिश यन्त्रोंका आर्डर दिया जाता है तो इससे हमारे आन्दोलनको बल मिलता है। हमारी ब्रिटिश लोगोंके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। यदि ब्रिटिश मशीनोंके आर्डरपर अमल हो रहा हो और इसी बीच हमारा संघर्ष फिरसे शुरू हो जाये तो आपको आर्डर दिये गये मालको स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह शत्रुता करनेसे स्वराज्य नहीं मिलता। यदि संघर्ष शुरू हो जाये और ब्रिटिश लोग आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करने लगें तो आप भी उनका माल लेनेसे इनकार कर दें। जबतक कांग्रेस बहिष्कारका ऐलान नहीं करती तबतक ब्रिटिश माल खरीदा जा सकता है?

प्र० : मिलोंकी संख्या बढ़नेसे क्या खादीकी प्रगतिमें बाधा नहीं आयेगी?

उ० : मिलोंकी संख्या बढ़नेसे नहीं वरन् खादीके प्रति प्रेम कम होनेसे खादीकी प्रगतिमें बाधा आयेगी। आप जनताको खादीकी उपयोगिता बता सकते हैं, लेकिन नई मिलोंको खुलनेसे नहीं रोक सकते।

[गुजरातीसे]

गुजराती, २३-८-१९३१

१. शामको हुई एक प्रार्थना सभामें।

३७०. वास्तविक प्रश्न

कार्यसमितिको मुझे लन्दन न भेजनेका निर्णय सरकार और कांग्रेसके बीच जिस मतभेदके कारण करना पड़ा[1], वह हालाँकि देखनेमें बहुत मामूली है, किन्तु वास्तवमें यह मतभेद मौलिक था। 'यंग इंडिया'के इस अंकमें प्रकाशित पत्र-व्यवहारको धैर्य-पूर्वक पढ़ जानेवाले प्रत्येक पाठकको यह बात स्पष्ट दिखाई दे जायेगी। समझौतेपर अमल शुरू होनेके आरम्भिक दिनोंमें ही श्री इमर्सनने प्रश्न खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि कांग्रेस, सरकार और जनताके बीच, जिसकी कि वह प्रतिनिधि है, मध्यस्थका काम नहीं कर सकती। मैंने इस तर्कका प्रतिवाद किया। कानूनी मुद्देका आखिरी फैसला कभी नहीं हुआ। मैं सरकारको कठिनाईमें डालना या अपमानित नहीं करना चाहता था। जहाँतक व्यवहारकी बात थी, कांग्रेसकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई थी, और इसलिए मैं सन्तुष्ट था। पाठक देखेंगे कि श्री गैरेट कितनी अनिच्छापूर्वक इस स्थितिको स्वीकार करनेके लिए अपनेको तैयार कर सके।[2] किन्तु कांग्रेस अपनेको किसानोंका प्रतिनिधि माने, इस बातके लिए वह कांग्रेसको कभी क्षमा नहीं कर सके। यदि वे अपनी जैसी कर पाते, तो सम्भव था कि बारडोली और बोरसदमें कुछ हजार रुपयोंको छोड़कर चालू लगानका जो भुगतान कांग्रेस कार्यकर्ताओंके प्रयत्नोंसे उन्होंने किया, उसे स्वीकार करनेके बजाय वह जोर-दबावसे जितनी वसूल हो सके उतनी रकम वसूल करना ज्यादा पसन्द करते। पाठक आसानीसे यह देख सकेंगे कि ऐसे नोटिस जारी किये जा चुके थे जिनमें जोर-जबर्दस्ती-की धमकी दी गई थी। कांग्रेसकी ओरसे मेरे प्रबल विरोध करनेके पहले ये वापस नहीं लिये गये। यह बात लिखित प्रमाणोंसे सिद्ध की जा सकती है कि ऐसे अवसर कम नहीं आये थे और अब भी जिनकी कमी नहीं है, जिनसे कि कांग्रेस प्रान्तीय सरकारों द्वारा की गई शर्तोंके भंगके कारण सन्धिको रद हुई घोषित कर सकती थी। मैं यह बात साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि सन्धिको रद न करनेमें कांग्रेसने अन्यतम धैर्य प्रदर्शित किया है। विभिन्न प्रान्तीय सरकारोंपर कांग्रेसने शर्त-भंगके जो आरोप लगाये हैं, आरोप-पत्रमें[3] उनकी एक झाँकी देखी जा सकती है। पाठकोंको यह खयाल नहीं कर लेना चाहिए कि आरोपोंकी यह सूची शर्त-भंगका सर्वांगपूर्ण सूचीपत्र है। उदाहरणके लिए सविनय प्रतिरोध करनेवाले कई सौ ऐसे सत्याग्रही कैदी अब भी जेलोंमें पड़े सड़ रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओंके मतसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये मामले अभीतक प्रान्तीय सरकारोंके विचाराधीन हैं। इसलिए आरोपोंकी जो सूची शिमलामें दी गई थी, उसमें वे

१. १३ अगस्तकी बैठकमें।

२. देखिए खण्ड ४६, "पत्र: जे० एच० गैरेटको", पृष्ठ २० तथा ४३।

३. देखिए "एक ज्ञापन", २१-७-१९३१।

शामिल नहीं हैं। उसमें केवल ऐसे ही मामले दिये गये हैं, जिनके सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारें विपरीत निर्णय दे चुकी हैं। केन्द्रीय सरकारके प्रति न्याय करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सूचीमें बताये गये कुछ मामलोंमें राहत दी गई है और सम्भव है कि कुछ और में भी दी जाये। लेकिन मैं जानता हूँ कि अधिकांश मामलोंमें न्याय मिलनेकी बहुत कम सम्भावना है। निश्चय ही यह कभी नहीं सोचा गया था कि जिन मामलोंमें कांग्रेस सन्तुष्ट न होगी, उनकी खुली जाँच नहीं की जायेगी। यदि समझौता कानूनी लेख है, तो सरकारपर किसी भी कानूनी अदालतमें दावा किया जा सकता है। लेकिन चूँकि वह कानूनी लेख नहीं है, इस कारण सरकारपर यह दोहरी जिम्मेवारी है कि वह कांग्रेसको ऐसी अदालत दे, जहाँपर कि वह सन्धि-भंगकी शिकायतोंको सिद्ध कर सके या जहाँपर वह समझौतेकी विविध धाराओंकी व्याख्याके अथवा उसके फलितार्थोंके सम्बन्धमें अधिकारपूर्ण निर्णय पा सके। सरकारका समझौतेके सर्वथा स्वाभाविक फलितार्थको स्वीकार करनेसे इनकार कर देना यह बतलाता है कि अधिकारी इस बातको स्वीकार करनेमें कितना पीछे हटते हैं कि शक्ति अथवा सत्ता जनताके हाथोंमें जा रही है और न ही वे इस बातको स्वीकार करना चाहते हैं कि कांग्रेस जनताकी प्रतिनिधि है और उसके स्वेच्छासे दिये गये सहयोगको धन्यवादपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उनके विचारमें सहयोगका अर्थ समझौता करनेवाले दोनों दलोंका परस्पर विश्वास और मेल नहीं है, वरन् उनकी आज्ञाओं और अधिकारको स्वीकार करना है। हर जगह प्रान्तीय सरकारें कांग्रेस-वालोंको सन्देहकी नजरसे देखती हैं और कई मामलोंमें कांग्रेसके साथ खुल्लम-खुल्ला शत्रुका-सा बर्ताव किया जाता है। यह लेख लिखते समय बम्बई सरकारका पत्र 'गुजरात पत्रिका' मेरे सामने है। इसमें कांग्रेस और कांग्रेसवालोंकी निन्दा भरी पड़ी है, उनके विरुद्ध बे-सिर-पैरके आक्षेप किये गये हैं और कुछ मामलोंमें तो झूठे आरोप तक लगाये गये हैं। यदि उत्तरमें यह कहा जाये कि कांग्रेसकी भूमिका सरकारसे कुछ बेहतर नहीं रही है, और उसने भी समझौतेका भंग किया है, तो यह केवल इसीलिए अनुचित आक्षेप होगा कि जब कभी भी समझौता-भंगके उदाहरण मेरी नजरमें लाये गये, उनका तुरन्त समाधान कर दिया गया अथवा सफाई दे दी गई थी। कांग्रेस अपने विरुद्ध लगाये जा सकनेवाले सब आरोपोंकी निष्पक्ष जाँचका सदैव स्वागत करेगी और प्रान्तीय सरकारोंने जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा कांग्रेस-वालोंके खिलाफ कार्रवाई करनेमें हिचकिचाहट नहीं की। इसके विपरीत मेरा यह आरोप है कि बहुतसे मामलोंमें, उदाहरणार्थ धारा १२४–अ के मामलोंमें चलाये गये मुकदमे केवल सताने और तंग करनेके लिए ही चलाये गये थे। इस धाराका सम्बन्ध सरकारके प्रति असन्तोष उत्पन्न करनेसे है। किन्तु इस समय असन्तोषका अर्थ लिया गया है, सक्रिय निष्ठा अथवा वफादारीका अभाव। इसलिए जो कोई भी तटस्थ है, वही अनिष्ठाका अपराधी है। मुझे यह स्वीकार करना ही चाहिए कि प्रत्येक कांग्रेसवादी अपने सिद्धान्तके कारण भी राजद्रोहका अपराधी है और समझौतेके कारण वह इसका कुछ कम अपराधी नहीं बन जाता। कांग्रेसका ध्येय है वर्तमान शासन-प्रणालीका नाश

करना और उसके स्थानपर सर्वथा राष्ट्रीय सरकार स्थापित करना। समझौतेका यह आशय कभी नहीं था कि कांग्रेस अपना यह ध्येय बदल दे। यदि कांग्रेस विश्वासकी पात्र नहीं थी, अथवा उसकी माँग अरुचिकर अथवा ब्रिटिश सरकारके स्वीकार करने योग्य नहीं थी, तो उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। अथवा यदि अपने किसी कार्यके कारण कांग्रेसने अपनेको अविश्वासके योग्य सिद्ध किया हो, तो समझौतेको रद करार दे दिया जाना चाहिए था। इन दोनोंमें से कोई भी उपाय ईमानदारीका होता। किन्तु समझौतेके कागजकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि तभीसे अविश्वास करने लगनेका अर्थ समझना मेरे लिए कठिन था और अब भी है। मैं यह मानता हूँ कि प्रान्तीय सरकारोंने समझौतेका गम्भीर भंग किया है, तथापि जहाँतक मेरे लन्दन जानेका सम्बन्ध था, मैं इतनेसे ही सन्तुष्ट हो जानेके लिए तैयार था कि बारडोलीमें जोर-जबर्दस्तीसे की गई वसूलीके मामलेमें राहत दे दी जाये और उसमें भी मेरा इतना ही कहना था कि या तो इस तरह वसूल की गई रकम वापस लौटा दी जाये या एक खुली और निष्पक्ष जाँचका अवसर दिया जाये, जिससे कि मैं यह सिद्ध कर सकूँ कि बहुसंख्यक मामलोंमें, लोगोंमें देनेकी सामर्थ्य न होने पर भी, उनसे जोर-जबर्दस्ती करके वसूली की गई और इसलिए समझौतेके अनुसार वह रकम लौटा दी जानी चाहिए। अवश्य ही मामला इतनेपर ही समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कार्यसमिति अन्य सब मामलोंमें भी राहतके लिए जोर देनेपर बाध्य होती। प्रत्यक्षतः ही सरकारके लिए यह बहुत बड़ी बात होती और इसलिए उसने बारडोलीके मामलेपर ही सम्बन्ध-विच्छेदका निश्चय कर दिया।

प्रान्तीय सरकारोंके बरतावसे मैं जो-कुछ नतीजा निकाल सका हूँ, वह यही है कि उच्च अफसर वर्गके सदस्य जिनके हाथमें प्रान्तीय शासनकी बागडोर है, वास्तवमें नहीं चाहते थे कि मैं लन्दन जाऊँ। यदि इसके विपरीत वे चाहते तो कांग्रेसको अपने उपयुक्त विश्वास और आदरका पात्र मानकर और इसलिए जिन बातोंमें उसे उनके निर्णय स्वीकृत नहीं हो सकते थे, उनकी निष्पक्ष जाँच द्वारा उसे सन्तुष्ट करके मेरे लिए रास्ता साफ करनेका द्वार उनके लिए खुला हुआ था, जैसा कि वह इस समय भी खुला हुआ है।

यह कहा गया है कि अपनी शक्तिको तफसीलकी बातोंपर केन्द्रित करके मैंने महत्तर हितके निर्णयोंमें सहायक होनेका मौका खो दिया। मैं दोनों बातोंको अलग-अलग नहीं देखता। भारत सरकार समस्त साम्राज्यीय योजनाका सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। वह केन्द्रकी स्थितिको प्रतिबिम्बित करती है। इसलिए केन्द्र अर्थात् इंग्लैंडकी सरकार बहुत करके भारत सरकारकी तरह ही है, और यदि भारत सरकार भारतका, बिना किसी बाहरी नियन्त्रणके, अपना शासन करनेका अधिकार स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है तो इंग्लैंडकी सरकार भी उसके खिलाफ सोचने या करनेके लिए तैयार न होगी, और भारत सरकारके साथ पिछले चार महीनेके अपने अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धने मेरे मनपर यही छाप डाली है कि उच्च अधिकारी वर्ग भारतका पूर्ण स्वतन्त्रताका अधिकार स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है। उनकी

योग्यता, संगठन-शक्ति और अंग्रेज जनतापर उनके प्रभावके प्रति मेरा बड़ा आदर है और इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनके हार्दिक सहयोग और आशीर्वादके बिना मुझ जैसे साधारण व्यक्तिका लन्दनसे कुछ पा सकना कठिन है। इसलिए जबतक इन लोगोंका मत परिवर्तन नहीं किया जाता, कांग्रेसके लिए पूर्ण स्वतन्त्रताके सिल-सिलेमें समझौता-वार्ता शुरू करनेका कोई अवसर नहीं है। उसे अभी और अधिक कष्ट सहन करना चाहिए, भले ही इसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। इसलिए बारडोली मेरे लिए असली कसौटी थी। वह उच्च अधिकारियोंका मन समझनेके लिए निर्दिष्टकी गई थी। इस दृष्टिसे देखनेपर उसका वही महत्त्व था जो कि दिशा-सूचक यंत्रमें चुम्बकीय सुईका होता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

३७१. स्वदेशी माल

कार्य-समितिने अब हमें स्वदेशी मालकी एक कामचलाऊ परिभाषा दी है। वह इस प्रकार है:

> **कपड़े या सूतके अलावा स्वदेशी माल वह माल है जो किसी निर्माता द्वारा देशी या आयातित कच्चे मालसे पूरी तरह भारतमें ही तैयार किया गया हो, और जिसमें कमसे-कम ७५ प्रतिशत हिस्सा-पूँजी भारतीयोंकी हो, बशर्ते कि ऐसा कोई माल स्वदेशी नहीं माना जायेगा जिसके उत्पादनपर विदेशियोंका नियन्त्रण हो।**
>
> **टिप्पणी: इस परिभाषाके अन्तर्गत 'नियंत्रण' का अभिप्राय बोर्ड्स ऑफ डाइरेक्टर्स और/या मैनेजिंग एजेन्ट्ससे है।**
>
> **कार्य-समिति समय-समयपर ऐसे विभिन्न मालोंकी सूची प्रकाशित करनेको स्वतन्त्र होगी जिन्हें स्वदेशी कहा जा सके, भले ही वे ऊपर दी गई परिभाषाके बिल्कुल अनुरूप न हों।**

इस परिभाषाके बारेमें यह आपत्ति की जा सकती है कि इसमें कच्चे मालका आयात करनेकी छूट रखी गई है। यह छूट जानबूझकर दी गई है। जब कोई कच्चा माल भारतमें न मिल सके तब उसका आयात करनेमें कोई हर्ज नहीं है। स्वदेशीकी भावनाके अभावमें जिस चीजको खत्म कर दिया गया है या अविकसित रहने दिया गया है वह चीज है कौशल। जो देश अपनी हस्तकलाओं और अपने उद्योगोंका विकास नहीं करता और सभी तैयार माल बाहरसे आयात करके आलसी परजीवियोंका जीवन बिताता है, वह भौतिक और बौद्धिक, दोनों दृष्टियोंसे निर्धन रहता है। एक समय था जब हम अपनी जरूरतकी लगभग सभी चीजोंका उत्पादन स्वयं करते थे। अब उलटी ही प्रक्रिया चल रही है, और अधिकांश तैयार मालके

लिए हम बाहरके देशोंपर निर्भर करते हैं। पिछले वर्षके दौरान स्वदेशी भावना अद्भुत रूपसे जाग्रत हुई। अतः स्वदेशी मालकी परिभाषा करना जरूरी हो गया है। लेकिन परिभाषा करते समय इस बातकी सावधानी रखना जरूरी था कि परिभाषा कहीं इतनी संकीर्ण न हो जाये कि उत्पादन लगभग असम्भव हो जाये अथवा कहीं इतनी व्यापक न हो जाये कि स्वदेशीका नाममात्र ही रह जाये। हम कूप-मंडूकवाली नीतिपर नहीं चलना चाहते और न अंतर्राष्ट्रीय होनेका दिखावा करनेकी कोशिशमें अपनी बुनियाद ही छोड़ना चाहते हैं। यदि हम अपनी वैयक्तिकता अर्थात राष्ट्रीयता ही खो देंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रख सकते।

पाठक यह भी देखेंगे कि सूती, ऊनी या रेशमी, किसी भी प्रकारके कपड़े या सूतको इस परिभाषामें शामिल नहीं किया गया है। इसका एक कारण यह है कि लोगोंको भली प्रकार विदित है कि स्वदेशी कपड़ा क्या है। लेकिन दूसरा और मेरी दृष्टिमें सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेसजनोंके लिए स्वदेशी कपड़ेका अर्थ केवल हाथकती, हाथबुनी खादी है। देशी मिलोंका कपड़ा उनके लिए है जिनतक कांग्रेसका संदेश पहुँच नहीं सकता, या पहुँचता नहीं है।

पाठक यह भी देखेंगे कि चूंकि अपने विकास-क्रमकी वर्तमान स्थितिमें हमें इस बातसे संतोष करना होगा कि हमारी बहुत-सी चीजें पूरी तरह स्वदेशी नहीं हो सकतीं, इसलिए कार्य-समितिने समय-समयपर ऐसे मालोंकी एक सूची जारी करनेका अधिकार सुरक्षित रखा है जो स्वदेशीकी परिभाषापर पूरे न उतरते हों, फिर भी जिनको वर्जित करना देशके हितके विरुद्ध होगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

३७२. पत्र : एस० आर० बोमनजीको

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय श्री बोमनजी,

आपके दो पत्र मुझे मिले। धन्यवाद।

मैं जानता हूँ कि हमारे देशको धीरे-धीरे संसारकी सहानुभूति प्राप्त होती जा रही है और यदि हम अहिंसाका तरीका जारी रखेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल अप्रतिरोध्य हो जायेगी। इस उपायमें मेरा विश्वास दिनोंदिन बढ़ रहा है।

यदि हम कभी पंच-निर्णयकी अवस्थातक पहुँचे तो मैं आपकी अमूल्य सलाहको याद रखूँगा।

कृपया अपनी पत्नीको उनकी सहानुभूतिके लिए और मीराबहनको पत्र लिखनेके लिए धन्यवाद कहें।

मुझे विश्वास है कि आपको 'यंग इंडिया' मिल रहा है। आप जानते हैं कि यह मित्रोंके नाम मेरा साप्ताहिक पत्र है।

हृदयसे आपका,

श्री एस० आर० बोमनजी
द प्लाजा
न्यूयॉर्क (यू० एस० ए०)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५२८) से।

३७३. पत्र : बापासोलाको

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय बापासोला,

मुझे याद है कि श्रीमती नायडूने मुझे आपका एक पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि श्रीयुत बबन गोखलेने इस बातका समर्थन किया है कि स्वराज्य सभाका रुपया लड़कियोंके विद्यालयको दे दिया जाये जिसके बारेमें दावा किया गया था कि वह राष्ट्रीय विद्यालय है। श्रीयुत बबन गोखलेने अब मुझे उस विद्यालयके बारेमें जो विवरण दिया है उससे पता चलता है कि स्कूलमें राष्ट्रीय जैसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने यह भी कहा है कि वह विद्यालय पूरी तरह फिरसे राष्ट्रीय स्थितिको न प्राप्त कर ले उस समयतक उसे रुपया देनेकी बातका उन्होंने समर्थन कभी नहीं किया। उनके पत्रके प्रकाशमें मेरी समझमें यह बात नहीं आती कि आप ऐसा कैसे मान बैठे कि श्री गोखले लड़कियोंके उस विद्यालयको रुपया देनेके पक्षमें मत देनेको तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी स्वीकृतिकी शर्त यह थी कि पहले श्रीयुत बबन गोखलेको संतुष्ट होना चाहिए। अब चूँकि उनकी निश्चित राय है कि वह विद्यालय राष्ट्रीय नहीं है और इसलिए उसे रुपया नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए आप कृपया मुझे भी इस प्रस्तावका विरोधी मानिए कि स्वराज्य-सभाका रुपया उस विद्यालयको दिया जाये।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत बापासोला
मार्फत श्रीयुत बबन गोखले
गिरगाँव
बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५२९) से।

३७४. पत्र : मुहम्मद अलीको

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं आपको इससे पूर्व नहीं लिख सका, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं बहुत कार्य-व्यस्त होनेके बावजूद आपके कामकी तरफ ध्यान देता रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। अगर समझौता जारी रखा गया तो मैं निश्चय ही आगे कोशिश करूँगा। यदि यह तोड़ दिया जाता है तो निश्चय ही मैं आपके जैसे जो मामले हैं उनमें कुछ नहीं कर सकूँगा। एक मित्र आपके मामलेके बारेमें पूछताछ कर रहे थे। मैंने उनके जरिये आपको एक सन्देशा भेजा था जो आशा है आपको समयसे मिल गया होगा।

हृदयसे आपका,

मौलवी मुहम्मद अली
धारावी, बम्बई-१७

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५३०) से।

३७५. पत्र : सी० आर० संगमेश्वरनको

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

यदि आपको ईश्वरमें विश्वास नहीं है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और यदि आपको ईश्वरमें विश्वास है तो आपको मेरी सहायताकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि ईश्वरमें विश्वास रखिए और इसीलिए प्रार्थनामें भी। तब आप देखेंगे कि सारे बुरे विचार आपको छोड़ देंगे और धीरे-धीरे आपके मनकी शान्ति बढ़ती जायेगी और आप सेवाके एक उपयुक्त साधन बन जायेंगे।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सी० आर० संगमेश्वरन
९३, टॉमस स्ट्रीट
कोयम्बटूर (द० भारत)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५३१) से।

३७६. पत्र : जी० सीताराम शास्त्रीको

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय सीताराम शास्त्री,

मैं जानता हूँ कि आपके पिछले २८ तारीखके पत्रका उत्तर देनेमें इस बेजा विलम्बके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पास सचमुच समय नहीं था।

आपके प्रश्नोंका उत्तर बहुत सरल है। मेरे विचारसे जब कोई धोबी या इनमें से कोई कर्मचारी विदेशी कपड़े या विदेशी सूतको धोने आदिके लिए ले चुका हो, तब उसके काममें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके घर जाकर उन्हें यह बतानेमें कोई हर्ज नहीं है कि विदेशी सूत और विदेशी कपड़ा धोनेके लिए लेकर वह देशका कितना नुकसान करते हैं। जब हम यह जानते हों कि व्यापारी लोग रातमें भी अपना कारोवार करेंगे तब रातके समय पहरा बिठानेमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ इस दर्जेकी हठधर्मी हो वहाँ उनकी निगहबानी करनेकी अपेक्षा व्यापारी लोगोंके घरोंपर जाकर उन्हें समझाने-बुझानेके तरीकेका ही सहारा लेना चाहिए। अन्ततः हम धरनेका इस्तेमाल शुद्ध नैतिक शक्तिके रूपमें करना चाहते हैं जो समाजमें कुछ वलवला पैदा कर सके, लोगोंको तंग करनेके लिए या उनपर कोई अनुचित दबाव डालनेके लिए नहीं।

खरीदारीके बाद समझाना-बुझाना निन्दनीय है और इससे अनुचित दबावकी बू आती है। खरीदारी कर चुकनेके बाद किसी व्यक्तिको तंग करनेसे क्या फायदा है?

मैं आशा करता हूँ कि इससे आपके सारे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता है। इतनी देर हो जानेके बाद मेरा उत्तर किसी कामका है या नहीं, सो नहीं जानता।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत जी० सीताराम शास्त्री
रोपल्ली (द० भारत)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५३२) से।

३७७. पत्र : के० जी० रानडेको

अहमदावाद
२० अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपका ९ अगस्तका पत्र मिला। आपका मामला सचमुच निंदनीय है, और आप जो-कुछ बताते हैं, उसके अनुसार तो यह शुद्ध रूपसे आपके बेटेकी हत्याका मामला है। लेकिन मैं इस मामलेमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह मामला समझौतेके अन्तर्गत नहीं आयेगा। इसलिए मैं यही आशा कर सकता हूँ कि आपने भारत मन्त्रीके विरुद्ध जो मुकदमा दायर किया है उसमें आपको सफलता मिलेगी।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० जी० रानडे
जैन बोर्डिंग हाउस
शोलापुर

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५७२) से।

३७८. पत्र : तहमीना खम्भाताको

अहमदाबाद, पोस्ट बॉक्स २६
२० अगस्त, १९३१

प्रिय बहन,

तुमने तो मुझे मना किया है तथापि मुझे इस पत्रकी पहुँच दिये ही छुटकारा है। तुमने तो मुझे खूब बाँध लिया है। लेकिन मनुष्यको [कभी-कभी] ईश्वरके विकराल रूपके भी दर्शन करने पड़ते हैं। हमारी श्रद्धापर भी हमला तो होता ही है। उसकी अग्नि-परीक्षा भी तो होनी चाहिए। मुझमें बहुत अहिंसा होनेके बावजूद मनके किसी-न-किसी कोनेमें हिंसा भी तो भरी होगी न? इसलिए पलभरके लिए आत्मविश्वास खो जाता है। लेकिन सदाके लिए न खो जाये, ऐसी आशा मैं रखता हूँ, ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ और तुम भी वही करती रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७५४६) से।

३७९. भेंट : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

श्री ब्रेलवीके तारके सिलसिलेमें 'क्रॉनिकल' के संवाददाता द्वारा आज तीसरे पहर भेंट करनेपर महात्माजीने निम्नलिखित बयान दिया :

आपने जो सन्देश मुझे दिखाया है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। कोई समझौता-वार्ता नहीं चल रही है, इसलिए उसे समाप्त करनेका कोई सवाल ही नहीं है। मेरे लन्दन जानेकी सम्भावना इस माह १३ तारीखको उस दिन कम हो गई जिस दिन वाइसरायका तार मिला। जितनी कम वह उस दिन हो गई थी, उतनी ही कम वह आज भी है।

"सरकार मेरी चुनौती स्वीकार करनेको तैयार है", इस बातसे अभिप्राय क्या है, यह मैं नहीं जानता। मैंने कोई चुनौती नहीं दी है। मैंने जो-कुछ कहा है वह पत्र-व्यवहारमें प्रकाशित हो चुका है। यदि सूरतके कलेक्टरको लिखा मेरा पत्र चुनौती समझा जाता हो, तो उस पत्रकी बातपर मैं निस्सन्देह कायम हूँ। तात्त्विक परिणाम पहले ही प्राप्त किया जा चुका है — अर्थात्, मैं लन्दन नहीं जा सका। इस प्रकार बारडोलीके किसानोंके साथ किया गया कांग्रेसका वादा सच्चा रहा। बाकी सरकारके हाथमें है।

सरकारका अन्तिम निर्णय कुछ भी हो, मैं यह बात माननेसे इनकार करता हूँ कि आरोप-पत्र, जोकि सम्बन्धित पत्र-व्यवहारका अंग था, के प्रकाशनसे उस निर्णयपर कोई असर पड़नेकी सम्भावना है। इसके प्रकाशनकी स्वीकृति शिमलासे भेजे गये १४ तारीखके तारसे दी गई थी, और उसे पहले ही छापा जा चुका है।

जहाँतक प्रत्यारोपोंका सवाल है, मैं उनका स्वागत करूँगा, और इन आरोपोंकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्तिका भी। वस्तुत: मैं तो कार्य-समितिको एकतरफा न्यायाधिकरणको भी स्वीकार कर लेनेकी सलाह दूंगा — यानी ऐसे अधिकरणको जो केवल प्रत्यारोपोंकी ही जाँच करनेवाला हो। कांग्रेसके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी सार्वजनिक जाँच होनेसे कांग्रेसकी कोई हानि नहीं होगी।

अन्तमें उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें लन्दन जानेकी मुझे कोई आशा नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-८-१९३१

३८०. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
२० अगस्त, १९३१

गांधीजी लन्दन रवाना हो सकें, इसके लिए उनके साथ कोई समझौता करनेकी सरकारकी कोशिशोंके सफल होनेकी जो भी थोड़ी-बहुत आशा थी वह भी आरोप-पत्रके प्रकाशित होनेके बाद समाप्त हो गई है — अखबारोंमें छपी इस आशयकी रिपोर्टके बारेमें एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा भेंट किये जानेपर महात्मा गांधीने कहा:

जैसाकि मैंने अभी उस दिन कहा था, मैं पण्डित मालवीय जैसी आशावादिता नहीं महसूस करता,[1] किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा निष्पक्ष जाँचकी न्यायोचित माँगके स्वीकार किये जानेकी कोई भी सम्भावना हो तो मैं नहीं समझ पाता कि आरोप-पत्रके प्रकाशनसे वह सम्भावना किस तरह कम होती है या प्रभावित होती है।

वस्तुतः वाइसराय द्वारा मुझे लिखे गये पत्रमें, जिसे शिमलामें प्रकाशित किया गया था, आरोप-पत्रका जो उल्लेख किया गया था, उसे देखते हुए आरोप-पत्रको प्रकाशित करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था।

बहुतसे लोग उसे प्रकाशित करनेका आग्रह कर रहे थे, और मैं मानता हूँ कि उनकी माँग उचित और न्यायोचित थी। और इसके सिवा, बिना आरोप-पत्रको प्रकाशित किये मैं कांग्रेसके पक्षको पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

अन्तमें, मैंने इन कागजातोंको वाइसरायकी अनुमति पानेके बाद ही प्रकाशित किया। इसलिए आरोप-पत्रको प्रकाशित करनेका मुझे कतई कोई पछतावा नहीं है।

जहाँतक कांग्रेसके विरुद्ध प्रत्यारोपोंका सवाल है, मैं उनका स्वागत करूँगा; और मैं चाहूँगा कि कोई निष्पक्ष न्यायाधिकरण उनकी जाँच-पड़ताल करे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-८-१९३१

१. देखिए "भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे", १८-८-१९३१।

३८१. तार: तेजबहादुर सप्रूको[1]

विद्यापीठ, अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

डॉक्टर सप्रू
एस० एस० 'मुल्तान'

इसका कोई गुमान नहीं था कि अभियोग-पत्रके प्रकाशनका निर्णय पर असर पड़ सकता था। यदि समुचित जाँचकी माँग मान ली जाये तो लन्दन रवाना होनेको बिल्कुल तैयार हूँ।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५५१) से। ए० आई० सी० सी० फाइल नं० २९५, १९३१ से भी; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३८२. तार: वाइसरायको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

मुझे बहुत-सी अफवाहें सुनाई पड़ रही हैं, जो विश्वस्त समझी जाती हैं। आखिरी अफवाह मुझे उत्तर देनेके लिए विवश करती है। कहा जाता है कि अभियोग-पत्रके प्रकाशनने सरकारको विचलित कर दिया है और जो जाँच विचाराधीन थी इससे उसके रुक जानेकी सम्भावना है। इस पर से अनुमान कर लिया गया है कि मैंने सोच-समझसे काम नहीं लिया और मैंने अशिष्टता दिखाई है। मैंने दोनों ही बातोंसे बचनेकी भरसक कोशिश की है। अभियोग-पत्र तो सम्बन्धित पत्र-व्यवहारका भाग था और आपके ३१ जुलाईके और शिमलासे प्रकाशित श्री इमर्सनके ३० जुलाईके पत्रमें इसका जिक्र था। इसीलिए मैंने इसे प्रकाशित करना जरूरी समझा। श्री सप्रू, श्री जयकर और अन्य मित्र मुझसे अपनी

१. यह तार सप्रू और जयकरके उस तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: "जमनादास द्वारकादाससे प्राप्त आपके सन्देशके अनुसार हमने वाइसरायपर दबाव डाला कि वे निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जाँच करवायें और बादमें लन्दनसे भी हस्तक्षेप करनेको कहा। परिणामत: यह प्रेस सन्देश पाकर दुख और आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रयासोंका नतीजा निकलनेसे पहले आपका अभियोग-पत्र प्रकाशित हो गया। अनुरोध है कि आप तारसे अपनी वर्तमान स्थितिकी सूचना 'मुल्तान' पर दें।" (एस० एन० १७५३९)

स्थिति प्रस्तुत करनेको कह रहे हैं। मैंने उनके सामने अपनी स्थिति प्रस्तुत कर दी है।[1] परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि आपके साथ तथा उस उद्देश्यके साथ जिसका कि मैंने संकल्प किया है, न्याय करते हुए मुझे निजी तौर पर भी अपनी स्थिति यथाशक्ति आपके सामने स्पष्ट कर देनी चाहिए। मेरी दलील यह है कि समझौतेकी व्याख्या तथा उसे क्रियात्मक रूप देनेके विषय पर सरकार और कांग्रेसमें मतभेद उत्पन्न होनेकी अवस्थामें निष्पक्ष पंचायत की नियुक्ति समझौतेमें ही निहित है। मैं इस बातके लिए हमेशा तैयार हूँ, जैसा कि अब भी हूँ, कि यदि शान्तिके साथ व्यक्तिगत बातचीतके द्वारा अथवा किसी और ऐसे ही अनौपचारिक उपायसे कांग्रेसको उचित सन्तोष दिलाया जा सकता हो तो इस प्रकारकी जाँचकी माँगको छोड़ दिया जाये। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि यह समझौता छोटी-मोटी बातों अथवा किसी गलतफहमीके कारण न टूटने पाये। अतः यदि आप बातचीत करना आवश्यक समझते हों, तो मैं शिमला भी आनेके लिए तैयार हूँ। आपका उत्तर मिलने तक मैं इसका प्रकाशन रोक रहा हूँ।

गांधी

वाइसराय महोदय
कैम्प

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५५०) से। ए० आई० सी० सी० फाइल नं० २९२, १९३१ से भी; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३८३. पत्र: उर्मिला देवीको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

दुखी मनसे लिखा तुम्हारा पत्र मिला।

मुझे लिख कर तुमने बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्तिकी जरूरत है जिससे तुम किसी दोषका खतरा मोल लिये बिना जो-कुछ चाहो कह सको। तुम्हारी भावनाओंको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन अवश्य ही तुमने जो दोष गढ़े हैं वे बेबुनियाद हैं। क्षण-भरके लिए भी तुम ऐसा मत सोचो कि चूँकि मैं कुछ कहता नहीं, अतः बंगालके लिए मैं कुछ महसूस भी नहीं करता। मेरी कुछ गहनतम भावनाएँ तो अव्यक्त ही रहती हैं और शायद मुझमें जो-कुछ शक्ति है वह अपनी भावनाओंको दबा सकनेकी मेरी क्षमताके कारण ही है। तुम्हारा यह खयाल बिल्कुल गलत है कि सरदार वल्लभभाई पटेलके अथवा मेरे मनमें किसी तरहका पक्षपात है। वास्तविकता यह है कि कुछ भी कर सकनेमें हम लाचार रहे हैं। लेकिन

१. देखिए पिछला शीर्षक।

मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने अपना बचाव करनेकी मुझे जरूरत नहीं है और मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने जो-कुछ लिखा है, यों ही लिखा है।

अन्ततः अब मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँके जीवनसे और वहाँकी चीजोंसे तुम ऊब गई हो तो क्यों नहीं आश्रम चली आतीं और वहीं रहतीं? मैं यह जानता हूँ कि शुष्क मौसम साधारण बंगालीके स्वास्थ्यको अनुकूल नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जैसी दृढ़ इच्छा-शक्ति है उसे देखते हुए यदि तुम्हें वहाँका वातावरण मानसिक दृष्टिसे अनुकूल पड़ा तो तुम्हारा शरीर भी उसका आदी हो जायेगा। आशा है मैं अहमदाबादमें कमसे-कम १० सितम्बरतक रहूँगा। जैसाकि तुम जानती हो, कार्य-समितिकी बैठक ८ ता० को हो रही है। मैं खुद आश्रममें नहीं रह रहा हूँ, बल्कि विद्यापीठमें रह रहा हूँ। प्रार्थना-कालके उपरान्त रोज शामको मैं आश्रम जाता हूँ। प्रार्थनाके लिए मैं विद्यापीठमें रहता हूँ।

श्रीमती उर्मिला देवी
४२ ई० आशुतोष मुखर्जी रोड
भवानीपुर, कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५४४) से।

३८४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला।

ज्यादा लिखनेके कारण दाहिना हाथ जकड़ गया है इसलिए उसे आराम दे रहा हूँ।

बंगालकी बाढ़के विषयमें डॉ० रायने तारसे अपील की थी जिसके जवाबमें मैंने उन्हें परसों लिखा है।[1] मैंने जो लिखा है, उसे यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई सन्देह नहीं है कि आप वह पत्र देखेंगे ही। यदि मैं कर सकता तो बम्बई-के उदार लोगोंसे अपील करता। लेकिन बम्बईकी स्थितिको मैं जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि स्थानीय आवश्यकताओंको लेकर बम्बईमें कई मौकों पर चन्दे वसूले जा चुके हैं, इसलिए मेरी हिम्मत अपील करनेकी नहीं हुई, और यदि करता तो मुझे रत्नगिरि, बिहार, आसाम और बंगाल इन चारों स्थानोंकी तरफसे अपील करनी पड़ती, क्योंकि बंगालकी ही तरह इन अन्य तीन स्थानोंसे भी उतनी ही करुण

१. देखिए "पत्र : विधानचन्द्र रायको", १९-८-१९३१।

अपीलें आई हैं। बिहारकी अपील उस समय आई जब कार्य-समितिकी बैठक चल रही थी। मैंने जमनालालजीको एक मित्रके पास भेजा, लेकिन वह एक पाई भी नहीं दे सके। इसलिए मैंने किसी अन्य कामके लिए पहलेसे निर्धारित रकममें से २००० रुपये चम्पारन भेजनेको जमनालालजीसे कहा। अवश्य ही वे और रुपये चाहते हैं, और उनके यहाँ सहायता-कार्य संगठित करनेवाला राय या सतीशबाबू जैसा कोई आदमी नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप कलकत्तेमें ही जोर लगाइए, और मुझे नहीं लगता कि आपको निराशा होगी। फिर भी, यदि आप सोचें कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो कृपया मुझे सूचित करें।

बंगालकी राजनीतिका आपने जो वर्णन किया है उससे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, सिवा इसके कि हमें अपना आचार ठीक रखना चाहिए और तूफानके सामने झुकना नहीं चाहिए।

क्या आपका अखबार लोकप्रिय हो रहा है? और क्या लोगोंपर उसका कुछ असर पड़ रहा है?

आप सहायता-कार्य करें यह विचार तो मुझे पसन्द है, लेकिन यह सोचकर मुझे चिन्ता होती है कि आप अभी-अभी बीमारीसे उठे हैं। मेरा खयाल है कि आपको संकट-ग्रस्त क्षेत्रोंका दौरा करना होगा। पता नहीं इसे आप कहाँतक बर्दाश्त कर पायेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि पिछली बार संकटके दौरान जब आपने वह बृहत् बाँध बनाया था, उस समय आपका शरीर जितना हट्टा-कट्टा था उतना आज नहीं है। अब आपको अपनी मर्यादा स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए आप कृपया सँभलके चलिए।

चारूने कल मुझे कुछ काले और रंगीन ब्लॉक भेजे हैं। उसने मुझे कोई विवरण नहीं भेजा है। परिचय-पंक्तियोंसे मैं देख सकता था कि वे 'आत्मकथा' से सम्बन्धित हैं। उसने जो तीन-चार पंक्तियाँ लिखीं उनमें उसने विभिन्न प्रकारकी स्याहियोंका उल्लेख किया है। शायद ये ब्लॉक मुझे यह दिखानेके लिए भेजे गये थे कि इन स्याहियोंको सतीश बाबूने तैयार किया है।

क्या 'आत्मकथा' और 'गीता' के अनुवादकी अब भी माँग है?

कृपया अपनी गतिविधियोंसे मुझे पूरी तरह अवगत रखिए। मैं यहाँ कमसे-कम ८ सितम्बरतक हूँ, बशर्ते कि कोई दुर्घटना न घट गई तो। यही समय है जब कार्य-समितिकी बैठक होगी।

मेरे अभी भी लन्दन जानेकी सम्भावनाकी चर्चाको आप कोई महत्त्व न दें। मुझे मालूम है कि कुछ मित्र प्रयत्नशील हैं। लेकिन उनकी कोशिशोंसे मैं किसी परिणामकी आशा नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैं 'यंग इंडिया' में लिखे अपने लेख[1] में कह चुका हूँ, सवाल बारडोलीके मामलेमें राहत देनेका ही नहीं है, उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और व्यापक है। बारडोलीकी घटना तो धैर्यकी अन्तिम कसौटी

१. देखिए "वास्तविक प्रश्न", २०-८-१९३१।

थी। यदि अप्रत्याशित बात हो जाये और सरकार राहत दे दे तो मेरे लिए यह निश्चय ही एक महान परिवर्तनका सूचक होगा। देखें कि क्या होता है?

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सौदपुर (बंगाल)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५४५) से।

३८५. पत्र : के० एफ० नरीमनको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय नरीमन,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने देखा। अभियोग-पत्रमें धरनेका उल्लेख करते समय धरनेदारोंको तंग करनेके और आबकारी प्रशासनमें ढिलाईके सिलसिलेमें बम्बईका विचार मेरे मनमें निश्चय ही नहीं था। अतः बम्बईका उल्लेख भूलसे हो गया है। मुझे मालूम नहीं कि यह गलती हो कैसे गई। किसी भी हालतमें मेरे मनमें बम्बई अहातेकी बात थी और फिर मेरे मनमें अहमदाबाद, सूरत जिला और रत्नगिरि जिला था। इसलिए बम्बई पुलिसके ऊपर अनजानेमें कोई आक्षेप हो गया तो उसका मुझे दुख है। मुझे खुशी है कि जहाँतक पुलिसके आचरणका सवाल है आपको बम्बईमें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। आप इस पत्रका जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं।

जहाँतक श्री जोशीका सवाल है, मुझे बम्बई सरकारने सूचित किया है कि उनके विरुद्ध जारी किये गये आदेश पहले ही वापस ले लिये गये हैं। 'यंग इंडिया' में प्रकाशित पत्र-व्यवहारकी भूमिकामें आप देखेंगे कि इस बातको स्वीकार किया गया है कि कुछ मामलोंमें राहत दी गई है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एफ० नरीमन
मार्फत, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
कांग्रेस हाउस
बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५४७) से।

३८६. पत्र : जे० बी० कृपालानीको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय प्रोफेसर,

तुम्हारा पत्र मिला।

मुझे आशा है कि कलकत्तेमें तुम्हें सफलता मिली होगी। निश्चय ही तुम्हारा कलकत्ते जाना साहसका काम था।

मैं गिडवानीको लिख रहा हूँ, और यदि मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो मुझे भय है कि न्यासकी रक्षाके लिए ऐसे कदम उठाना तुम्हारा कर्त्तव्य होगा जो आवश्यक जान पड़ें।

गिरधारीका क्या हुआ ?

आचार्य जे० बी० कृपालानी
गांधी आश्रम, मेरठ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५४८) से।

३८७. पत्र : ए० टी० गिडवानीको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय गिडवानी,

खादी-कार्यके सिलसिलेमें मेरठके गांधी आश्रमकी तरफ तुम्हारे ऋणके बारेमें यह क्या बात सुनता हूँ ? कृपालानीने शिकायत की है कि तुमने उसके सभी पत्रोंकी उपेक्षा की है और मुझसे पूछा है कि न्यासीकी हैसियतसे क्या यह उसका कर्त्तव्य नहीं है कि वह कानूनी कार्रवाई करे, विशेष रूपसे इसलिए कि तुम एक निकटके सहकर्मी हो। मैंने उसे लिखा है कि मैं तुम्हें एक पत्र लिख रहा हूँ और जबतक तुमसे उसका जवाब न पा लूँ तबतक वह कुछ न करे। कृपया मुझे इस ऋणके बारेमें सब कुछ लिखो।

मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ हो, और गंगाबहन[1] भी।

हृदयसे तुम्हारा,

आचार्य गिडवानी
म्युनिसिपैलिटी, कराची

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५४९) से।

१. गिडवानीकी पत्नी।

३८८. पत्र : टिम्मप्पा नायकको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय टिम्मप्पा,

काकासाहबने उत्तर देनेके लिए तुम्हारा पत्र मुझे दिया है।

मैंने कभी नहीं कहा है कि सेवा-दलके लोगोंने अहिंसाका आजीवन व्रत लिया है। सुबहकी जिस सभाका तुमने जिक्र किया है उसमें मैंने जो कहा था[१] वह मेरी अपनी अभिलाषा और आशाकी अभिव्यक्ति मात्र था, और वहाँ जो लोग थे वे इस बातसे सहमत प्रतीत हुए कि सेवा-दलके सदस्योंके लिए अहिंसा केवल नीतिकी ही बात नहीं, बल्कि सिद्धान्तकी चीज होनी चाहिए। मैं तुम्हारी इस बातसे सहमत हूँ कि चूँकि मैं चाहता हूँ या चूंकि सेवा-दल बाकायदा पूरी तौरपर कांग्रेसका एक संगठन बन गया है, महज इसीलिए एक मिनटमें सहसा ही कायापलट नहीं हो सकता। मेरे लिए तुम्हारा यह कहना ही काफी है कि पिछले संघर्षके दौरान स्वयंसेवकोंने सराहनीय ढंगसे काम किया और अहिंसाका पालन करनेकी कोशिश की। तथापि मैं इतना और कह दूं कि डॉ० हार्डीकरने मेरे साथ एकाधिक बार बातचीत की है, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके लिए अहिंसा एक सिद्धान्तकी चीज यदि बन नहीं चुकी है तो तेजीसे बनती जा रही है।

बहिष्कारके विषयमें यदि मेरे लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरा भी सम्भव है तो मैं आशा करता हूँ कि 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें स्पष्ट करनेका समय निकाल सकूंगा। तुमने उसे सही ढंगसे व्यक्त किया है।

तुम्हें मिली यह सूचना कतई गलत है कि पहचाने जानेसे बचनेके लिए आपत्कालीन स्थितिमें स्वयंसेवक लोग विदेशी वस्त्र धारण कर सकते हैं। मेरा यह विचार कभी रहा ही नहीं है, उसे व्यक्त करनेका तो सवाल ही नहीं है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत टिम्मप्पा नायक
सिरसी कांग्रेस कार्यालय
पोस्ट सिरसी, उत्तर कन्नड़

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५५२) से।

१. देखिए "बातचीत: सेवादलके कार्यकर्त्ताओंके साथ", ९-८-१९३१।

३८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

यह पत्र तुम्हें मेरठके श्रीनिवास शर्मा देंगे। वह किसी प्रकार आश्रमतक पहुँच गये, और चूँकि वह बहुत आग्रही प्रतीत हुए इसलिए उन्हें भर्ती कर लिया गया। उन्होंने उस समय यह नहीं बताया कि उन्होंने वास्तवमें अपनी पत्नीको छोड़ दिया है और बहुत ज्यादा कर्जमें डूबे होनेके कारण अपने घरसे भाग आये हैं। अभी तीन चार दिन पहले उन्हें पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नीको छोड़ आये हैं और लोगोंका उनके ऊपर करीब १००० रुपयेका कर्जा है। इसी कारण वह मेरठ लौटनेसे डरते हैं। मैंने उन्हें संयुक्त प्रान्तमें कोई काम ढूँढ़नेकी सलाह दी है। ऐसा लगता है कि वह इलाहाबादमें स्वयंसेवक भी रहे हैं। मेरी उनके साथ एक ही बार बातचीत हुई है और मुझे वह सच्चे आदमी लगते हैं और ठीक काम करना चाहते हैं। वह अब इलाहाबाद जा रहे हैं और तुमसे मिलेंगे। मेरा सुझाव है कि तुम उन्हें कहीं लगा दो, और इस बातपर आग्रह करो कि वह अपनी पत्नीको अपने पास बुला लें और उनके ऋणदाताओंके बारेमें कुछ पता करो। यदि वह भरोसेके काबिल कार्यकर्ता सिद्ध हों तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें कहीं जगह नहीं दे सकते और तुम्हें लगे कि तुम्हारे काममें यह बात एक उलझन जैसी है तो अपने दिमागसे उनकी बातको निकाल देना।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५५३) से।

३९०. पत्र : मोतीलाल रायको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय मोती बाबू,

आपका पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ।

निःसन्देह आपने देखा होगा कि मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ और शायद यह ठीक ही है।

मैं जानता हूँ कि आप चुपचाप अपने-आपको रचनात्मक-कार्यके लिए तैयार कर रहे हैं।

स्वामी बोधानन्दके विषयमें आपने जो लिखा है उसे मैंने मनमें रख लिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनका आचरण सारे सन्देहोंको मिटा देगा। मैं मानता हूँ कि आप मुझसे इस विषयमें कुछ करनेकी अपेक्षा नहीं करते, और अपेक्षा करते भी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत मोतीलाल राय
प्रवर्तक संघ, चन्द्रनगर

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५५४) से।

३९१. पत्र : कन्हैयालालको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

आपकी बेटीके बारेमें मैं यही सुझाव दे सकता हूँ कि आप उसे किसी विधवा-आश्रममें रख दें। जैसा कि आप जानते हैं, सर गंगाराम लाहौरमें इसी तरहका एक आश्रम चलाते थे।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत कन्हैयालाल
ई० आई० रेलवेके अवकाश-प्राप्त रिकार्ड-कीपर
अशरफाबाद, लखनऊ

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५५५) से।

३९२. पत्र : गिल्बर्ट कलिनको

अहमदावाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके १६ जुलाईके पत्रके लिए धन्यवाद।

मेरी रायमें अपना शासन स्वयं करनेकी जिस एकमात्र योग्यताकी आवश्यकता किसी जातिमें होनी आवश्यक है वह है विदेशी अतिक्रमणका प्रतिरोध कर सकनेकी योग्यता। इसका अर्थ अच्छा या शुद्ध शासन होना जरूरी नहीं है।

मैं इस समय ऐसी कोई किताब नहीं सोच पा रहा हूँ जिसे पढ़नेका सुझाव दे सकूं।

हृदयसे आपका,

श्री गिल्बर्ट कलिन
कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स यू० एस० ए०

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५५६) से।

३९३. पत्र : आर० एस० हुकेरीकरको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय हुकेरीकर,

तुम्हारा पत्र मिला जिसके साथ एक गोपनीय परिपत्रकी प्रति संलग्न की गई है। यह सूचना बहुत मूल्यवान है। इसे प्रकाशित करनेका समय मेरे ऊपर छोड़ देना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए फिलहाल अभी इसके बारेमें तुमको कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत आर० एस० हुकेरीकर
कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
धारवाड़

अंग्रेजीकी माइक्रोफ़िल्म (एस० एन० १७५५७) से।

३९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

इसके साथ उस तारकी[१] नकल नत्थी है जो मैंने वाइसरायको भेजा है। इतनी अफवाहें और गलतबयानियाँ चल रही हैं कि मुझे लगा कि मैं वाइसरायको सूचित करके यह बता दूँ कि हमारी स्थिति क्या है और इस प्रकार स्थितिको स्पष्ट कर दूँ। डॉ० सप्रूने भी मुझे एक तार भेजा था। उसकी प्रति और अपने जवाबकी[२] प्रति भी साथमें संलग्न कर रहा हूँ।

मुझे आशा है कि तुमने इन्दुको प्रसन्न पाया होगा।

बापू

संलग्न : ३

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० २९५, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय। एस० एन० १७५५८ से भी

३९५. पत्र : नारणदास गांधीको

गुजरात विद्यापीठ
पोस्ट बॉक्स २६
अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

चि० नारणदास,

जयन्तीप्रसादके बारेमें मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे कहना कि वह मुझे लिखे कि उसकी मेरे साथ कब और किन परिस्थितियोंमें बात हुई थी। जयन्तीप्रसादने कुछ सामान बारडोलीसे लिया था। उसके बिलके नकद पैसे प्यारेलालने चुकाये थे और बाकी रकम उसके नाम चढ़ानेके लिए तुम्हें लिखनेको कहा था। यदि वे पैसे आ गये हों तो आज मैं आऊँगा, तब मुझे बताना।

१. देखिए "तार : वाइसरायको", २१-८-१९३१।
२. देखिए "तार : तेजबहादुर सप्रूको", २१-८-१९३१।

२. पण्डितजीके भतीजे गजाननको छात्रवृत्ति देनेकी बात चल रही थी और यह निर्णय ठीक भी है।

३. गलियारा न्यासकोषके जरिये जो काम वहाँ चल रहे हैं उनके लिए बजटके अनुसार पैसा भेजना। बजट मैं साथ भेज रहा हूँ।

४. सीतलासहायके खर्चके लिए जब मैं वहाँ आऊँ तब मुझसे पूछना। उसने मुझे लिखा तो अवश्य था, लेकिन मैं उसे कोई उत्तर नहीं दे सका।

५. नियमावलीके बारेमें मुझे याद तो है लेकिन समय मिला तो उसे देख जाऊँगा।

६. लालजीके बारेमें मामाने मुझे कोई पत्र लिखा नहीं जान पड़ता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

३९६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

अहमदाबाद
२१ अगस्त, १९३१

यह पूछे जानेपर कि 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको दिये गये अपने इस वक्तव्यसे[1] कि "वस्तुतः मैं तो कार्यसमितिको एकतरफा न्यायाधिकरणको भी स्वीकार कर लेनेकी सलाह दूँगा — यानी ऐसे न्यायाधिकरणको जो केवल प्रत्यारोपोंकी ही जाँच करनेवाला हो," गांधीजीका क्या मतलब था, उन्होंने कहा :

कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपोंकी निष्पक्ष जाँच-सम्बन्धी अपनी माँगको मैं छोड़नेको तैयार नहीं हूँ, लेकिन 'क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे मैंने जो कहा था वह यह था कि मैं कार्य-समितिको यह सलाह देनेको तैयार हूँ कि वह एक ऐसी जाँच-समितिको भी स्वीकार कर ले जो केवल कांग्रेसके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी ही जाँच करेगी।

दूसरे शब्दोंमें ऐसी कोई शर्त नहीं रखूँगा कि जो न्यायाधिकरण कांग्रेसके विरुद्ध आरोपोंकी जाँच करे वह प्रान्तीय सरकारोंके विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपोंकी जाँच भी करे। कांग्रेस कुछ भी छिपाना नहीं चाहती और न कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधि भेजनेसे ही बचना चाहती है; लेकिन गोलमेज सम्मेलनमें शामिल होनेकी शर्त पूरी की जानी चाहिए, यानी सरकार सन्धिकी शर्तोंको सन्तोषजनक रूपसे पूरा करे। यह सन्तोष दो ही तरहसे दिया जा सकता है — या तो सरकार कांग्रेसकी माँगोंको स्वीकार कर ले, और या फिर जाँचके लिए एक न्यायाधिकरणको नियुक्त कर दे। इससे ज्यादा न्यायोचित, ज्यादा सरल और ज्यादा सम्मानजनक चीज मेरे विचारमें और कुछ नहीं हो सकती।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-८-१९३१

१. देखिए "**भेंट : बॉम्बे क्रॉनिकलके** प्रतिनिधिसे", २०-८-१९३१।

३९७. तार : घनश्यामदास बिड़लाको[1]

विद्यापीठ
अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

घनश्यामदास बिड़ला
बिड़ला हाउस, नैपियन सी रोड
बम्बई

शिमलाके बारेमें अभी कुछ तय नहीं। बेशक आइए।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६४) से।

३९८. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

[२२ अगस्त, १९३१][2]

सर प्रभाशंकर पट्टणी

आपका तार मिला। कल आप आ रहे हैं, यह जानकर खुशी हुई। मिलने पर हम सभी मामलोंपर बातचीत करेंगे।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६०) से।

१. यह तार श्री बिड़लाके इस तारके उत्तरमें दिया गया था: "यदि आप शिमला नहीं जा रहे हों तो कल आनेका इरादा रखता हूँ। कृपया तार दें।"

२. यह तार पट्टणीके २२ अगस्तके तारके उत्तरमें दिया गया था: "अभी-अभी कलकत्तासे वापस आया और गुजरात मेलसे कल सबेरे अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ। यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि आपने वाइसरायसे मुलाकातके लिए समय माँगा है और उम्मीद है कि वे आपको समय देंगे। मैंने कलकत्तामें व्यक्तिगत रूपसे और फिर तार द्वारा भी यह सुझाव दिया था। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं आपके साथ शिमला जाना चाहूँगा। इस बीच मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष कार्य-समितिके सभी सदस्योंको और मालवीयजीको भी, यदि वह सदस्य नहीं हैं तो, तार द्वारा सूचित करें कि वे भाषण अथवा अखबारोंको कोई भेंट न दें, क्योंकि समय इतना नाजुक है कि आपको ही पूरी जिम्मेदारी सँभालनी चाहिए। कृपया ताजमहलके पते पर तार दें।"

३९९. पत्र : माधव श्रीहरि अणेको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री अणे,

आपका पत्र मिला।

बंगालमें आपका कार्य बहुत कठिन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियोंको उठानेमें सक्षम हैं और मेरे लिए यह बहुत हर्षका विषय है कि आपको दोनों पक्षोंका विश्वास प्राप्त है। इसलिए आप जो निर्णय लेंगे उससे गलतफहमियाँ दूर हो जायेंगी और लोगोंको मालूम हो जायेगा कि सच क्या है।

अनेक मित्रोंकी केन्द्र सरकारके साथ जो बातचीत चल रही है उसका क्या परिणाम निकलेगा, सो मैं नहीं जानता। मैं देखता हूँ कि समाचारपत्रोंमें बहुत-सी भ्रान्तियाँ पनपती जा रही हैं। मैंने वाइसरायको कल एक साधारण-सा तार भेजा है, जिसमें अपनी स्थितिको फिरसे बताते हुए मैंने उनसे कहा है कि यदि वे किसी मामलेको निपटानेके लिए हमारा परस्पर मिलना और बातचीत करना आवश्यक समझते हों तो मैं उनसे मिलनेके लिए तैयार हूँ। वे किसी अटपटी स्थितिमें न पड़ें, इस खयालसे मैंने वह तार प्रकाशित न करनेका विचार किया था। लेकिन आजकल तो मैं किसीके कानमें कोई बात कहूँ तो वह भी अखबारवालोंसे छिपी नहीं रहती और इसीलिए आपको विकृत रिपोर्टें पढ़नेको मिलती हैं। मुझे अभी तारका उत्तर नहीं मिला है।

मैं ८ सितम्बरको यहाँ आपसे मिलनेकी आशा रखता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एम० एस० अणे
यवतमाल

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६२) से।

४००. पत्र : अब्दुल गफ्फार खाँको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय खान साहब,

मैं इस पत्रके साथ डेरा इस्माइल खाँके सम्बन्धमें प्राप्त एक पत्र भेज रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस मामलेसे सम्बन्धित मेरा तार[1] आपको समयसे मिल गया होगा, और साथ ही अकबरपुराकी घटनासे सम्बद्ध तार भी। इन दोनोंके बारेमें और वहाँकी ताजा स्थितिके सम्बन्धमें मैं आपके पत्रकी राह देख रहा हूँ। इस समय तो मैं साप्ताहिक खर्चका तख्मीना चाहूँगा।

गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधित्वके बारेमें आपको अखबारोंसे सब-कुछ मालूम हो गया होगा। हालाँकि समझौता-वार्ता फिरसे शुरू करनेके बारेमें बहुत जोर-शोरसे बातें की जाती हैं, फिर भी मेरे साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं हो पाया है। और इसलिए यद्यपि हम अपने दिलोंसे लन्दन जानेकी बातको निकाल दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि समझौता रद हो गया है। अतः हमें कुछ देरके लिए समझौतेका पालन करना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप चीफ कमिश्नरसे, यदि वे चाहें तो, अपनी बातचीत पूरी कर लें।

खुर्शेदबहन कैसी हैं? खादी-कार्यके विकासके लिए वहाँ बुनाई विशेषज्ञके भेजनेकी बातको मैं नहीं भूला हूँ। मैं खुर्शेदबहनके अगले पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे आगे एक सुझाव रखा था। मैं उस मामलेपर भी उनसे चर्चा करना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ
उटमंजई (चारसद्दा)
जिला पेशावर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६५) से।

१. देखिए "तार: अब्दुल गफ्फार खाँको", १६-८-१९३१।

४०१. पत्र : एमा हार्करको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

तुम्हारे परेशान हो उठनेकी तो कोई बात ही नहीं है। हम जैसा चाहते हैं ईश्वर वैसा नहीं करता; इसके विपरीत हमें उसकी इच्छाके आगे सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस जगन्नियन्ताके सामने स्वेच्छासे सिर झुका दें।

हृदयसे तुम्हारा,

कुमारी एमा हार्कर
२ बेलग्रेव टेरेस
कराची

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६६) से।

४०२. पत्र : कृष्णदासको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय कृष्णदास,

मैं सोच रहा था कि तुमने मुझे अबतक पत्र क्यों नहीं लिखा। मैं तुम्हारे प्रति कुछ-कुछ धीरज खोता जा रहा था और मुझे तुमपर गुस्सा भी आ रहा था। कल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और आज तुम्हारा पत्र आ गया। यदि तुम्हारी तबीयत अब फिर खराब हो गई है तो बिल्कुल खाट पकड़ लेनेकी राह क्यों देख रहे हो? तुम कुमिल्ला क्यों नहीं चले जाते? या इससे भी अच्छा यह रहेगा कि आश्रम चले जाओ, क्योंकि वह तो तुम्हारा पुराना घर है।

मेरे कार्यक्रमके बारेमें कुछ भी निश्चित नहीं है, हालाँकि मेरा खयाल है कि मैं ८ सितम्बरतक, जब कार्यकारी समितिकी बैठक होगी, यहाँ रह सकूँगा।

मैं समझता हूँ कि तुम्हें 'यंग इंडिया' नियमित रूपसे मिलता होगा।

श्रीयुत कृष्णदास
डाकखाना सिंहेरगाँव
बंगाल

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५६७) से।

४०३. पत्र : एम० आई० डेविडको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

जैसा तुम सोचते हो यदि वैसा ही होता गया तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम उसपर भरोसा करके भावी योजना न बनाओ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री एम० आई० डेविड
४ क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६८) से।

४०४. पत्र : जे० बी० कृपालानीको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय प्रोफेसर,

तुम्हारे कलके पत्रसे उठनेवाले एक सवालके बारेमें अर्थात् पण्डित सुन्दरलाल द्वारा जो भद्दा भाषण दिये जानेकी खबर है उसके बारेमें मैं लिखना ही भूल गया। न तो किसी व्यक्तिसे और न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें ही मैंने कभी भी यह बात कही है कि यदि सरकार समझौतेकी शर्तोंका पालन करती रहेगी, तब भी मैं हिन्दुओं और मुसलमानोंकी पारस्परिक फूटके कारण [गोलमेज सम्मेलन] में नहीं जाऊँगा। लेकिन हमें आशा करनी चाहिए कि पण्डित सुन्दरलालने वैसा कुछ नहीं कहा होगा जैसा कहनेका उनपर आरोप लगाया जाता है। फिर भी मैं उन्हें पत्र लिख रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

प्रोफेसर कृपालानी
गांधी आश्रम
मेरठ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६८ ए) से।

४०५. पत्र : रैशल एम० रटरको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए और आप जो प्रयास कर रही हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे जो पत्र भेजा है उसका मैं कोई उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन आप चिन्ता क्यों करती हैं? आप लोगोंसे व्यक्तिगत रूपसे जो सम्पर्क स्थापित करेंगी वही आपका ठोस कार्य होगा।

मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि जब आपने यह पत्र लिखा तब आप शिराशोथसे पीड़ित थीं। आशा है, अब आप स्वस्थ हो गई होंगी।

हृदयसे आपका,

कुमारी रैशल एम० रटर
विन्कैन्टन
सॉमरसेट (इंग्लैंड)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५६९) से।

४०६. पत्र : डेविड पोलॉकको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री पोलॉक,

आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई।

इस समय मेरे लन्दन जानेके कोई आसार दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि मैं वहाँ गया तो आपके साथ अपने पुराने परिचय और सम्बन्धको ताजा करके मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। मैं आपको कितना सन्तोष दे पाऊँगा, सो मालूम नहीं।

हृदयसे आपका,

श्री डेविड पोलॉक
२९ ऑनस्लो गार्डेन्स
लन्दन, एस० डब्ल्यू० ७

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५७०) से।

४०७. पत्र : के० डी० उमरीगरको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके १७ अगस्तके पत्र और उसके साथ 'नाइनटीन्थ सेंचुरी रिव्यू' का लेख भेजनेके लिए आपका धन्यवाद। इसको पढ़नेके बाद देखूँगा कि इसका क्या उपयोग हो सकता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० डी० उमरीगर
बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५७१) से।

४०८. पत्र : जमनालाल बजाजको

अहमदाबाद, पी० बी० २६
२२ अगस्त, १९३१

चि० जमनालाल,

तुम्हें पत्र लिखनेका समय ही नहीं मिलता। अभी दाहिने हाथको तकलीफ नहीं देता हूँ, इस वजहसे लिखनेका काम कम होता है। बायें हाथसे जितना लिखा जाता है, लिखता हूँ। कल पत्र भेजे थे, सो मिले होंगे। अस्पृश्यताके लिए कांग्रेस, कांग्रेसवालों और उनके द्वारा अथवा उनकी प्रेरणासे जितने रूपये खर्च किये गये हों उनका हिसाब तैयार करनेकी बड़ी आवश्यकता है। कुछ तो मेरी जबानपर है। तुम्हें भी याद होना चाहिए। यह भार तुम पर डालना है। जहाँसे मँगाना हो मँगाकर ये आँकड़े इकट्ठे कर लेना। उसमें फिर कुछ रह जायेगा तो मैं याद कर लूँगा। मैंने बीस लाखका हिसाब लगाया है। मेरी समझसे यह कम ही है, अधिक नहीं। तिलक कोषमें कुछ रुपये तो इस कामके लिए 'इयर मार्क' थे। तुम्हारे पास तिलक-कोषका जो हिसाब है उसमें से यह मिल जायेगा।

अल्मोड़ाकी जमीनके सम्बन्धमें कुछ हुआ? कुछ न हुआ हो और जल्दी हो सकता हो तो उसे जल्दी कर लेना मैं जरूरी समझता हूँ।

जानकीबहन और बालकृष्णके क्या हाल हैं? अखबारोंमें बड़ी गलतफहमी हुई और अनेक प्रकारकी वातें आने लगीं तो कल वाइसरायको तार दिया था। उसका

उत्तर अभी नहीं आया। तारकी नकल इसके साथ भेजता हूँ। पट्टणीजी कल आ रहे हैं। कुछ होगा तो सूचना दूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८९३) से।

४०९. पत्र : जानकीदेवी बजाजको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

चि० जानकीबहन,

मुझपर दया करके ही तुमने पत्र नहीं लिखा और मदुको तथा ओमको भी नहीं लिखने दिया न? मुझे दया नहीं चाहिए, पत्र चाहिए। क्या अब कुछ तबीयत सुधरी? क्या खुराक लेती हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८९३) से।

४१०. पत्र : प्रभावतीको

२२ अगस्त, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं अपने दायें हाथको अभी आराम दे रहा हूँ। मुझे निम्न पतेपर ही पत्र लिखना : पी० बी०, २६, अहमदाबाद। मैं ८ सितम्बर तक यहीं हूँ। विलायत जानेकी बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें मुझे कुछ सार दिखाई नहीं देता।

जयप्रकाशको मैंने दूसरे ही दिन पत्र लिखा था। वह मिला होगा। तुमने क्या किया?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३३९७) से।

४११. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेसको

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

वाइसरायने जो उत्तर[1] दिया है उसे मैं कतई बुरा अथवा निराशाजनक नहीं मानता। वस्तुतः मुझे उनसे कुछ ऐसे ही उत्तरकी अपेक्षा थी।

जहाँतक मैं पत्रसे समझ सका हूँ मुझे इस बातकी भी प्रसन्नता है कि सरकार समझौतेको रद करनेका इरादा नहीं रखती और जैसाकि जनताको अच्छी तरह मालूम ही है, कांग्रेसकी कार्यसमिति पहले ही इस आशयका एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सारे कांग्रेसजन अत्यन्त सावधानीके साथ इस समझौतेका पालन करेंगे।

जहाँतक कांग्रेसके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका सवाल है और जहाँतक प्रान्तीय अधिकारियोंके विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपोंके खण्डनका सवाल है, यह तो अपना-अपना विचार है। जब कांग्रेसके विरुद्ध अपेक्षित प्रत्यारोप-पत्र जारी हो जायेगा तब मैं उसपर विचार कर सकूँगा। इस समय तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस कार्यसमिति इस बातके लिए बहुत उत्सुक रही है कि कांग्रेस अपना दामन बिलकुल साफ रखे।

सीमा प्रान्त और संयुक्त प्रान्तके बारेमें सरकारकी क्या राय है, सो मैं जानता हूँ। मैंने हमेशा उसका विरोध किया है, लेकिन यह तो दो परस्पर विरोधी विचारोंके बीच रस्साकशीका मामला रहा है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तथ्योंका पता लगानेके लिए स्वयं जो-कुछ कर सकता था वह मैंने सब किया है और इक्का-दुक्का मामलोंको छोड़कर मैंने कांग्रेसजनोंको [समझौतेका] उल्लंघन करते नहीं पाया है। जहाँ कहीं भी यह बात पाई गई है वहाँ मैंने सरकारके सामने उसे स्वीकार किया है और जहाँ सम्भव हो सका है वहाँ सुधार किया है। जहाँतक प्रान्तीय अधिकारियोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका सवाल है मैंने कार्यसमितिकी ओरसे उन्हें एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणके आगे रखनेका प्रस्ताव रखा है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था और यदि मैं इससे कममें सन्तोष कर लेता तो मैं कांग्रेसके प्रति कर्तव्य च्युत होता।

१. अनुमानतः गांधीजीके १४ अगस्तके पत्रके उत्तरमें; देखिए "पत्र : वाइसरायको", १४-८-१९३१। डा० पट्टाभि सीतारमय्याके अनुसार वाइसरायने कहा था कि "खास उपायोंका प्रयोग यथासम्भव टालनेका और विशेष परिस्थितिकी आवश्यकताके अनुसार सीमित कदम उठानेका सरकारका प्रयत्न जारी रहेगा", और यह भी कहा कि गांधीजीकी गोलमेज सम्मेलनमें अनुपस्थिति "समझौतेके एक प्रधान उद्देश्यकी विफलता स्वरूप" होगी।

मैं इस बातको अच्छी तरह स्वीकार करता हूँ और मुझे मालूम है कि कांग्रेसका गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेसे इनकार करना समझौतेके मुख्य उद्देश्योंमें से एककी विफलताका द्योतक है। इस बातका सरकारको जितना खेद है उतना ही मुझे भी है, लेकिन कार्यसमिति कुछ नहीं कर सकती थी।

हमारा सम्मेलनमें भाग लेना इस शर्तपर निर्भर था कि सरकार समझौतेका पालन करेगी। सही हो या गलत, कार्यसमिति इस निष्कर्षपर पहुँची है, और मैं भी उसके इस निष्कर्षसे सहमत हूँ, कि प्रान्तीय सरकार एकसे अधिक अवसरोंपर समझौतेका पालन करनेमें असफल रही है। इस विश्वासके आधारपर कांग्रेसके लिए तबतक गोलमेज सम्मेलनमें शामिल होना सम्भव नहीं है जबतक [समाधानका] कोई रास्ता नहीं निकल आता। उदाहरणतया न्यायाधिकरणकी नियुक्ति अथवा किसी अन्य तरीकेसे कांग्रेसकी यथोचित सन्तुष्टि।[१]

विचारोंके इस संघर्षके बीच कोई मध्यस्थता करनेवाला होना चाहिए। अतएव मैंने एक न्यायाधिकरणकी नियुक्तिका जो सुझाव रखा है वह मौजूदा परिस्थितियोंमें सबसे ज्यादा स्वाभाविक बात है। न्यायाधिकरणका क्या स्वरूप होना चाहिए, यह समस्या निःसन्देह पारस्परिक बातचीत और सौजन्य द्वारा हल की जा सकती है। व्यक्तिगत रूपसे यदि मुझे न्यायाधिकरणकी ओरसे निष्पक्ष व्यवहारका पर्याप्त आश्वासन रहता है तो मुझे कोई असन्तोष न होगा। इस तरहके न्यायाधिकरणके नियुक्त किये जानेसे सरकारके सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकारमें कोई कमी न आयेगी। मेरी मान्यता है कि इस तरहकी नियुक्ति एक सुव्यवस्थित सरकारका एक सामान्य कार्य है, और यदि उसी सरकारने अनुबन्धात्मक सम्बन्धोंसे बाहरके मामलोंकी जाँच करनेके लिए समितियाँ नियुक्त की हों तो फिर यह कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वह उक्त ढंगका न्यायाधिकरण नियुक्त करे — विशेषकर तब जबकि अनुबन्धमें शामिल विभिन्न पक्ष परस्पर एक दूसरेके आचरणसे और स्वयं उस अनुबन्धसे उठनेवाले सवालोंको लेकर असन्तुष्ट हों।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-८-१९३१ और **टाइम्स ऑफ इंडिया**, २४-८-१९३१

१. **टाइम्स ऑफ इंडिया** की रिपोर्टमें यह और इससे पहलेवाला अनुच्छेद अन्तमें दिये हुए हैं।

४१२. प्रश्नोत्तर

अहमदाबाद
२२ अगस्त, १९३१

आज शाम प्रार्थनाके समय गांधीजीसे अनेक प्रश्न पूछे गये। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि यदि यह बतानेके बजाय कि सुलहकी स्थिति खत्म हो गई है अथवा जारी है, सरकार नेताओंको गिरफ्तार कर लेती है तो क्या कांग्रेस अपने-आप फिरसे संघर्ष आरम्भ कर देगी अथवा उसके लिए अनुमति लेनी होगी। श्री गांधीने उत्तर दिया कि संघर्ष फिरसे तबतक आरम्भ नहीं किया जा सकता जबतक कार्यसमिति ऐसा करनेकी अनुमति नहीं देती। तथापि आपको यह बता दूँ कि वाइसरायकी ओरसे मुझे उत्तर मिला है कि सरकार सुलहकी स्थितिको खत्म नहीं करना चाहती। इसलिए संघर्ष अपने-आप शुरू नहीं किया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
टाइम्स ऑफ इंडिया, २४-८-१९३१

४१३. रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता

सामान्यतया जब हम लकड़ी, कपड़ा आदि वस्तुएँ जलाते हैं तो वे जलकर राखकी एक ढेरी बन जाते हैं, लेकिन रस्सीके सम्बन्धमें यह मान्यता है और वह सही है कि रस्सी जल जायेगी, लेकिन अपना वल नहीं छोड़ेगी। जली हुई रस्सीकी राखको हम अपने हाथसे कुचल दें तभी वह अपना आकार छोड़ेगी। सरकारके बारेमें ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसा न हो तो सरकार और कांग्रेसके बीच हुई सन्धिके अमलके सम्बन्धमें मतभेद होनेपर इसे दूर करनेके लिए एक तटस्थ न्यायाधिकरणकी स्थापना करनेमें वह आनाकानी क्यों करती है? सन्धि अर्थात् कांग्रेस और सरकारके बीच हुआ करारनामा। करारनामेके सम्बन्धमें तकरार हो तो उसका निर्णय कोई अदालत करती है; फिर उसे पंच कहा जाये अथवा कोर्ट, यह महत्त्वहीन है। मुख्य बात यह है कि एक तटस्थ व्यक्ति ही निर्णय दे सकता है। सरकार और कांग्रेसके बीच हुए करारनामेमें ऐसी खास बात क्या है कि यह करारनामा पंचके समक्ष पेश किया ही नहीं जा सकता? यदि करारनामेसे सम्बन्धित मतभेदका निर्णय सरकारको ही करना था तो करारनामेकी जरूरत ही क्या थी? और ऐसे करारनामेको कांग्रेस स्वीकार ही कैसे करती? करारनामेकी किसी भी धाराके सम्बन्धमें यदि कांग्रेसको सरकारका निर्णय मान्य न हो तभी एक तटस्थ न्यायाधिकरण अथवा पंचके द्वारा निर्णय किये जानेका सवाल खड़ा होता है। ऐसे प्रसंगमें जब सरकार

स्वयं ही काजी बन बैठी है तब कांग्रेस क्या कहे? संसार क्या कहेगा? ऐसे अवसर पर यदि कांग्रेस चुप होकर बैठी रहे तो उसका अर्थ यह होगा कि कांग्रेसने अपनी शक्ति, अपना सत्व ही खो दिया है। करोड़ों व्यक्तियोंके नामपर तथा उनकी ही ओरसे काम करनेवाली कांग्रेस जैसी संस्था ऐसी दयनीय स्थितिको कैसे प्राप्त हो सकती है? जबतक सहन किया जा सका, कांग्रेसने सहन किया। लेकिन अन्तमें कांग्रेसके पास जब कोई उपाय बचा न रहा और गरीब किसानोंके साथ अन्याय होने लगा तो कांग्रेसने उसे सहन कर गोलमेज सम्मेलनमें अपना प्रतिनिधि भेजनेसे इनकार कर दिया। यह कहा जा सकता है कि इनकार करके उसने अपना प्रतिनिधित्व सिद्ध किया। इस बातचीतके अन्तमें हमें सरकारका जो रुख दिखाई दिया है उससे सूचित होता है कि यदि स्वराज्य हमें सरकारके हाथों ही मिलनेवाला है तो वह अभी बहुत दूर है। जो सरकारी अधिकारी आज सरकारी तंत्रके मातहत नियुक्त अदालतसे अपने कार्योंकी जाँच करवानेके लिए तैयार नहीं हैं वे कल अपने हाथोंसे अधिकार छोड़ देंगे और जनताके हाथमें उसे सौंप देंगे, ऐसा समझना तो मेरे खयालसे बिल्कुल ही भोलापन है।

सौभाग्यवश किसी भी राष्ट्रकी स्वाधीनता किसी विदेशी राज्य अथवा पराई सत्ता पर निर्भर नहीं करती, वह तो केवल राष्ट्र विशेषकी इच्छापर और उस इच्छाको पूर्ण करनेकी शक्तिपर निर्भर रहती है। यदि कांग्रेस यहाँ किसी साधारण-सी वस्तुमें भी न्याय प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है तो वह विलायत जाकर कुछ नहीं ला सकती। इस दृष्टिसे विचार करते हुए कांग्रेसके प्रतिनिधिका विलायत जाना न जाना बराबर ही है। स्वराज्यके लिए वहाँ जानेकी आवश्यकता होगी तब वहाँ जानेका रास्ता भी खुला होगा। बारडोलीके किसानोंकी ओरसे रखी गई माँगोंकी अस्वीकृतिमें कांग्रेसको विलायतमें अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने देनेका सरकारका सीधा और स्पष्ट संकेत है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिन लोगोंको यह लगता था कि मेरा लन्दन जाना ठीक होगा उन्हें तनिक भी निराश होनेका कारण नहीं है। मेरी तो हमेशासे यही मान्यता रही है कि जनताको विलायत अथवा शिमला अथवा दिल्लीकी ओर देखनेकी आवश्यकता ही नहीं है। जनताका कर्तव्य तो यह है कि वह स्वयं अपनी ओर ही देखे। इस तरह देखते हुए रास्तेमें भले ही दिल्ली, शिमला, विलायत आदि आयें, लेकिन जनताको इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जो-कुछ होना होगा सो उसकी अपनी शक्तिसे होगा और जो होगा सो उसकी शक्तिका परिचायक होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-८-१९३१

४१४. तार : वाइसरायको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
२३ अगस्त, १९३१

हिज एक्सेलेंसी वाइसराय
शिमला

आपके तारके लिए धन्यवाद।[1] हालाँकि मेरी कोई कठिनाई आपसे छिपी नहीं है, और हालाँकि व्यक्तिगत चर्चाकी वांछनीयताके बारेमें निर्णय करने की बात भी मैंने अपने तारमें आप पर ही छोड़ दी थी, लेकिन चूँकि मैं प्रयत्न में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता अतः मैं खुशीसे अपनी जिम्मेदारी पर आज रात शिमलाके लिए रवाना होकर मंगलवार वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं अपने शिमला आवासके दौरान कार्यसमितिके अध्यक्ष,[2] पण्डित जवाहरलाल और अब्दुल गफ्फार खाँको साथ रहनेके लिए आमन्त्रित कर रहा हूँ। चूँकि बातें किसी-न-किसी प्रकार लगभग हमेशा विकृत होकर प्रकट ही हो जाती हैं जिससे गलतफहमी पैदा होती है इसलिए जनहितमें मुझे यह आवश्यक लगता है कि हमने एक दूसरेको हाल ही में जो तार भेजे हैं उन्हें प्रकाशित कर दूँ। अतः मैं उन्हें अखबारोंमें दे रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५८२)से।

१. २२ अगस्तका तार जिसमें कहा गया था : "आपका २१ अगस्तका तार मिला। अगर आप समझते हैं कि आगे बातचीत करनेसे आपकी कठिनाइयाँ हल हो सकेंगी, तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आप शिमला कब आ रहे हैं।" (एस० एन० १७५७५)

२. वल्लभभाई पटेल।

४१५. तार: जवाहरलाल नेहरूको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
२३ अगस्त, १९३१

जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

मैं आज रात शिमलाके लिए रवाना हो रहा हूँ। वल्लभभाई साथ जा रहे हैं। हम दोनों तुम्हारी और अब्दुल गफ्फार खाँकी उपस्थितिको आवश्यक समझते हैं। आ जाओ।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५७८) से।

४१६. तार: डा० खान साहबको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
२३ अगस्त, १९३१

डाक्टर खान साहब[1]
पेशावर

मंगलवारको शिमला पहुँच रहा हूँ। कृपया खान साहबसे शिमला आनेके लिए कहें। डाक्टर अन्सारीके पते पर तार दें।

गांधी

अंग्रेजीकी नकल (एस० एन० १७५७९) से।

१. खान अब्दुल गफ्फार खाँ के भाई।

४१७. तार : मु० अ० अन्सारीको

गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद
२३ अगस्त, १९३१

डाक्टर अन्सारी
दरियागंज
दिल्ली

आज रात सरदारके साथ शिमलाके लिए रवाना हो रहा हूँ। कृपया स्टेशन पर मिलें।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७५८०) से।

४१८. तार : आर० एस० हुकेरीकरको

विद्यापीठ
अहमदाबाद
२३ अगस्त, १९३१

आर० एस० हुकेरीकर
धारवाड़

प्रकाशित न करें। इस मामलेको आप पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दें।[1]

गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७५८१) से।

१. देखिए "पत्र : आर० एस० हुकेरीकरको", २१-८-१९३१।

४१९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

आश्रम
२३ अगस्त, १९३१

चि० पुरुषोत्तम,

तेरा अब विवाह करनेका विचार हो गया है अथवा तू विवाह प्रस्तावपर विचार करनेके लिए राजी है, जमनाकी ऐसी मान्यता है। यदि यह सच है तो मुझे लिखना और तेरी क्या पसन्द है, सो भी बताना। और यदि तेरे लिए यह पसन्दगी मुझे करनी हुई तो क्या तू जात-पाँत या प्रान्त-भेद बनाये रखना चाहेगा? मेरे विचारोंसे तो तू अवगत ही है। हम जात-पाँत और प्रान्त-भेदको दूर कर देना चाहते हैं। लेकिन विवाह जैसी चीजमें मैं आग्रह नहीं करूँगा। इसमें विवाह करनेवालेकी इच्छा ही सर्वोपरि मानी जानी चाहिए। मुझे दिल खोलकर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९०२) से; सौजन्य : नारणदास गांधी

४२०. एक टिप्पणी

विद्यापीठ
२३ अगस्त, १९३१

श्री नारणदास भाईके पत्रमें उल्लिखित बुनाईसे सम्बन्धित सामान लालजीके लिए जुटा देना। जब मैं उद्योग मन्दिरमें था तबके उसके २० रुपये १२ आने जमा हैं। यह रकम सामानकी कीमतमें गिन लेना। यह रकम फिलहाल मामाके ही पास है। ध्यान रखना कि ५० रुपयेसे अधिक खर्च न पड़े। मामा उससे रसीद ले लेंगे। मामा जब दुबारा लिखेंगे तब तुम सामान भेजना।

२. बारडोलीसे तीन यरवडा चरखे मँगवा कर तुरन्त मामाको भेज देना। यदि वे और चरखोंकी माँग करें तो नौ तक चरखे भेज देना। तीन चरखोंके लिए वहींसे बारडोलीको लिख देना।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४२१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधिसे

नई दिल्ली
२४ अगस्त, १९३१

एक पत्र-प्रतिनिधिने गांधीजीसे पूछा :

मान लीजिए कि सरकार कांग्रेस और सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों और प्रत्यारोपोंकी जाँचके लिए दोनोंको मान्य एक न्यायाधिकरणकी नियुक्ति की बातको स्वीकार कर लेती है और यह भी मान लीजिए कि समझौतेमें निहित कांग्रेसके मध्यस्थके दर्जेपर सरकार आपत्ति करती है, तो क्या आप इस प्रश्नको भी न्यायाधिकरणके सम्मुख रखनेके लिए तैयार हो जायेंगे? श्री गांधीने उत्तर दिया :

यदि सरकार ऐसे न्यायाधिकरणकी नियुक्ति करती है और इस बुनियादी प्रश्न पर भी जिसे मैं समझौतेका एक भाग समझता हूँ, आपत्ति करती है तो भी मुझे इस प्रश्नको न्यायाधिकरणके सम्मुख रखनेमें और वह जो निर्णय देगा उसका पालन करनेमें कोई एतराज नहीं होगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २५-८-१९३१

४२२. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

मौनवार [२४ अगस्त, १९३१ या उसके पश्चात्][१]

चि० प्रेमा,

तू मुझे लिखना बन्द कर दे तो भी मुझे तो पत्र लिखना ही पड़ेगा। लेकिन तू लिखती नहीं, यह अच्छा नहीं करती। लिखनेका हुक्म दूँ तो मानेगी?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६२) से। सी० डब्ल्यू० ६७११ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१. **बापुना पत्रो–५: कु० प्रेमाबहेन कंटकने** के अनुसार यह पत्र १२ अगस्त और ६ सितम्बर, १९३१ के दरम्यान लिखा गया था। १२ अगस्त के बाद प्रथम मौनवार १७ अगस्तको था, किन्तु तब गांधीजी और प्रेमाबहन कंटक दोनों अहमदाबादमें थे। इसलिए यह पत्र सम्भवतः मौनवारको या उसके पश्चात् लिखा गया था।

४२३. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

शिमला
२५ अगस्त, १९३१

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा सवाल पूछनेपर . . . श्री गांधीने लेबर पार्टीके मन्त्रिमण्डलके पतनपर अपनी राय देनेसे इनकार कर दिया और कहा :

यह बहुत ऊँची राजनीति है, जहाँतक मेरी पहुँच नहीं है।

यह पूछे जानेपर कि नये मन्त्रिमण्डलके बननेसे क्या उनके कार्यक्रममें कोई परिवर्तन हो सकता है, श्री गांधीने कहा :

मैं ऐसा नहीं समझता।

गांधीजीने आगे कहा कि मेरा इंग्लैंड जाना इस बातपर निर्भर है कि मैंने जो माँगें रखी हैं उनके सम्बन्धमें सरकार कांग्रेसको सन्तुष्ट करती है या नहीं। उनसे जब यह बतानेका आग्रह किया गया कि कांग्रेसको किस तरहसे सन्तुष्ट किया जा सकता है, विशेषकर इस स्थितिमें जब कि उन्होंने जाँचकी माँगको वापस ले लिया है, श्री गांधीने कहा :

मैं नाममात्रके लिए जाँच नहीं चाहता और न ही मेरा इरादा सरकारको नीचा दिखानेका है। लेकिन कांग्रेसको सन्तुष्ट करनेके तीन तरीके हैं। एक तो यह है कि कांग्रेसकी माँगको पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाये। दूसरा तरीका यह है कि सरकार कांग्रेसको इस बातकी प्रतीति करवा दे कि उसकी माँग गलत और अनुचित है और तीसरा यह कि सरकार कांग्रेसको इस बातके लिए आश्वस्त कर दे कि उसे सन्तुष्ट किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २५-८-१९३१

४२४. भेंट : 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधिसे

२५ अगस्त, १९३१

वे [गांधीजी] बहुत ज्यादा खुश और आशावान नजर आ रहे थे और यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार द्वारा उनके आरोप-पत्रका दिया गया उत्तर शायद इस सम्बन्धमें कही गई (किसके द्वारा, यह उन्होंने नहीं बताया) अन्तिम बात नहीं है, फिर भी ऐसा लगता था कि उस उत्तरका उनपर एक हदतक खासा अनुकूल असर हुआ है।

उन्होंने जोरदार शब्दोंमें इस कथनका प्रतिवाद किया कि लन्दन जाकर उनके सहयोग करनेके मार्गमें श्री वल्लभभाई पटेल आड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा :

किसी भी विषयपर अपनी राय खुद बनानेकी क्षमता मुझमें है।

[अंग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, २६-८-१९३१

४२५. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

शिमला
२६ अगस्त, १९३१

श्री गांधीने वाइसरायसे तीन घंटे तक बातचीत की।[1] बातचीत सन्तोषजनक रही। बातचीतके बाद श्री गांधीने एसोसिएटेड प्रेसको बताया कि वे २९ तारीखको बम्बईसे लन्दनके लिए रवाना होनेवाले हैं।

श्री गांधीसे जब यह पूछा गया कि समझौता भंग किये जानेकी बातकी जाँचके प्रश्नका क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ भी बतानेसे इनकार किया, लेकिन कहा कि वाइसरायसे उनकी भेंट सन्तोषजनक रही।

'फरग्रोव' वापस जाते हुए गांधीजीने सेसिल होटलमें फोटोग्राफरोंके एक दलके सम्मुख एक मिनटसे ज्यादा रुकनेसे इनकार करते हुए कहा :

मेरे पास समय नहीं है और मैं अब आपकी ज्यादती सहन नहीं कर सकता।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-८-१९३१

१. देखिए परिशिष्ट ९।

४२६. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

शिमला
२६ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आपने आज तीसरे पहर मुझे विज्ञप्तिका जो मसविदा दिया था, उसमें मैंने अपने संशोधनोंकी सूचना आपको टेलीफोनपर दी थी। आपने टेलीफोनपर कहा था कि मैं संशोधन आपको भेज दूँ। ये संशोधन मेरे साथियोंने सुझाये थे जो इस समय यहाँपर उपस्थित हैं। मामूलीसे परिवर्तनोंके साथ मैं उन्हें नीचे दे रहा हूँ:

यह रहा पहला संशोधन:

"श्री गांधीने कहा कि कांग्रेस ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहती जिससे शान्तिपूर्ण वातावरणमें खलल पहुँचे, लेकिन उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि इसके अर्थ यह नहीं हैं कि जो शिकायतें जारी रहती हैं उनके बारेमें या किसी अप्रत्याशित रूपसे पैदा होनेवाली नई स्थितिमें कांग्रेस भविष्यमें कोई कार्रवाई न करनेका वचन देती है।

रेखांकित अंश वह संशोधन है जो मेरे साथियोंने अनुच्छेद ५ के प्रथम वाक्यमें सुझाया है। कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं इस सुझावका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

आप देखेंगे कि रेखांकित अंशके अलावा हमने टेलीफोनपर सूचित किये गये आपके संशोधनको स्वीकार कर लिया है। मैं यह बता दूँ कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि यहाँ जो संशोधन दिया गया है उसका अक्षरशः पालन किया जाये। हम जो बात साफ-साफ कहना चाहते हैं वह यह है कि विज्ञप्तिके मसविदेका अनुच्छेद ३ किसी भी तरहसे कांग्रेसके भविष्यके कार्योंपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। और न ही इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस अपनी प्रत्येक शिकायतकी चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, जाँचका आग्रह करेगी। लेकिन कांग्रेससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह शिकायतोंको दूर करवानेके अपने अधिकारको छोड़ देगी और इसमें असफल होने पर जो आवश्यक जान पड़े उन उपायोंको नहीं अपनायेगी। वस्तुतः यह एक प्राथमिक सिद्धान्त है जिसको स्पष्ट करनेकी कोई जरूरत नहीं है। यह तो इसलिए जोड़ा गया है ताकि कांग्रेसपर विश्वास भंग करनेका आरोप लगानेकी कोई सम्भावना न रह जाये। आपने रिचमॉण्डमें हुई हमारी बातचीतसे जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको देखते हुए यह स्पष्टीकरण करना और भी जरूरी हो गया है।

परिषद्का यह सुझाव हमें स्वीकार है कि "भारत सरकारको इसपर कोई आपत्ति नहीं है" यह वाक्य हटा दिया जाये।

कांग्रेसकी ओरसे हमारा यह सुझाव भी है कि अनुच्छेद ५ का बाकी हिस्सा हटा दिया जाये। आप यह स्वीकार करेंगे कि यह वाक्य "जबतक कि समझौता . . . धाराओं" मामूली परिवर्तनोंके साथ विज्ञप्तिके अनुच्छेद २ की पुनरावृत्ति मात्र है। अनुच्छेदके बाकी हिस्सेमें एक लम्बा उद्धरण दिया गया है। यह उद्धरण उस पत्रमें से लिया गया है जो १९ तारीखको वाइसराय महोदयने मुझे लिखा था। सन्दर्भसे अलग होनेके कारण इस उद्धरणका अर्थ यहाँ बिल्कुल भिन्न हो गया है। मेरे सहयोगियोंने इस ओर मेरा ध्यान दिलाया है कि खाली उद्धरणका यह अर्थ लगाया जायेगा कि मैं और कांग्रेस भारत सरकारके इस दावेका अनुमोदन करते हैं कि उसने अभीतक परिस्थिति विशेषकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखते हुए सीमित कार्रवाईकी नीतिका अनुसरण किया है। आप स्वीकार करेंगे कि न मैंने और न कांग्रेसने ही कभी ऐसे दावेका समर्थन किया है। इसके विपरीत यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें अक्सर सरकारका ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ा है कि असंख्य मामलोंमें सरकारी कार्रवाई परिस्थिति विशेषको देखते हुए आवश्यकतासे अधिक कठोर रही है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि एक ऐसी विज्ञप्तिमें जिसका उद्देश्य शान्ति स्थापित करना है और लन्दनकी मेरी शान्ति-यात्राको सम्भव बनाना है, उस विज्ञप्तिमें यह याद दिलाना कि सरकारके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको लेकर कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं कर सकती, न तो समयानुकूल है और न उपयुक्त ही। मैं नहीं समझता कि सरकारके पास जो अधिकार हैं, उन्हें बार-बार दोहरानेसे ये अधिकार और भी स्पष्ट और कारगर बन जाते हैं। वाइसरायकी ओरसे मुझे जो पत्र भेजा गया था उसका जो अर्थ और उद्देश्य था वह उस उद्देश्यसे बिल्कुल भिन्न है, जो मैं आशा करता हूँ कि हम सबका उद्देश्य है।

पिछली बार टेलीफोनपर जो बातचीत हुई थी उसमें आपने परिषद्की ओरसे कुछ ऐसी बात कही है जो बहुत ही दुःखद और चौंकानेवाली है। मैं तो केवल यही उम्मीद रख सकता हूँ कि मैंने आपके सन्देशको गलत समझा है। इससे तो उन समझौता-वार्ताओंके टूटनेका आभास मिलता है जिनके बारेमें वाइसराय महोदयका, आपका और मेरा यह विचार था कि वे लगभग सफल होनेवाली हैं। यहाँ जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें निःसन्देह ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिसका परिणाम इतना दुखद हो। अतएव मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना करीब आ जानेके बाद, इसमें चाहे किसीका भी दोष क्यों न हो, किसीको यह कहनेका अवसर नहीं दिया जायेगा कि हम लोग अलग होनेके लिए ही करीब आये थे। मेरे विचारमें तो यदि हमारा उद्देश्य एक ही है तो विचार-विमर्श और समझौतेके लिए बहुत गुंजाइश है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर जितनी जल्दी दुविधाकी यह स्थिति खत्म हो उतना ही अच्छा है।

मैंने आपकी इस चेतावनीको ध्यानमें रख लिया है कि विज्ञप्तिका मसविदा अस्थायी और गोपनीय है। इसे गोपनीय रखा जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० इमर्सन
भारत सरकारके गृह सचिव
शिमला

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०१) से।

४२७. मिलें और मजदूर

कांग्रेसका उद्देश्य मजदूरोंकी हित-साधना है और वह पूँजीपतियोंकी भी उस हदतक हित-चिन्तक है जिस हद तक कि वे मजदूरोंके हितसाधक हैं। इसलिए विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके विषयमें कांग्रेस और मिल-मालिकोंमें समझौता सिर्फ इसीलिए है कि बहिष्कारसे बिल्कुल निकट भविष्यमें मजदूरों और बहुसंख्यक उपभोक्ताओंको लाभ पहुँचनेकी आशा है। यह समझौता स्वेच्छया हुआ है और दोनोंमें से किसीकी भी इच्छा पर तोड़ा जा सकता है। मिल-मालिकोंको अगर इसमें फायदा दिखाई न दे, तो वे इसे तोड़ सकते हैं और तोड़ भी देंगे। अगर इससे खादीको नुकसान पहुँचता हो, मजदूरोंकी हानि होती हो अथवा ग्राहकका शोषण होता हो, तो कांग्रेस इसे तोड़ सकती है और अवश्य तोड़ देगी। इससे खादीको अस्थायी हानि हो सकती है, जो कि शायद हुई भी है। सम्भव है, ग्राहकोंको, हिस्सेदारोंके अधिक मुनाफेके लिए नहीं, बल्कि मिलोंकी आर्थिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे, वर्ष दो वर्ष — इससे अधिक नहीं — तक महँगी कीमतके रूपमें संरक्षण-कर देना पड़े। लेकिन कांग्रेस मजदूरोंका शोषण कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दोंमें, उनकी हालत बहिष्कारसे पहलेकी हालतसे बदतर नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत, समझौतेके कारण कांग्रेसपर यह देखनेकी भारी जिम्मेदारी और आ पड़ती है कि मजदूरोंकी हालत समझौतेके कारण बेहतर हुई है। किसी भी खास मिलके साथ करार करते समय कांग्रेस उसके मजदूरोंके हितोंको ही सामने रखती है।

इस खास जिम्मेदारीको महसूस करनेके कारण ही कार्यसमितिने अपनी पिछली बैठकमें[1] नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया है:

> **कार्यसमिति अपने १० जुलाई, १९३१ के प्रस्तावकी[2] ओर मिल-मालिकों और मैनेजरों, खासकर कांग्रेस द्वारा प्रमाणित मिलोंके मालिकों और मैनेजरोंका**

१. यह बैठक बम्बईमें ९ से १४ अगस्ततक हुई थी।

२. इसमें लिखा था: "कार्यसमितिकी यह राय है कि टेक्सटाइल मिल्स एग्जेम्पशन कमेटीको चाहिए कि वह जहाँ कहीं सम्भव हो और आवश्यक हो, सुलह-समझौतेके तरीकेसे उन मिलोंमें जिन्होंने कांग्रेसके घोषणा-पत्रपर हस्ताक्षर किये हैं, मजदूरोंके प्रति अन्याय या अत्याचारको रोकनेका प्रयत्न करे और इन मिलों में मजदूरोंकी स्थितिको सुधारनेमें सहायता दे।"

ध्यान आकृष्ट करती है, और साथ ही इस बातकी तरफ भी उनका ध्यान दिलाती है कि कार्यसमितिको इस बातकी शिकायतें मिली हैं कि मजदूरोंके साथ ठीक बरताव नहीं किया जाता और मजदूरोंमें असन्तोष बढ़ रहा है तथा कुछ मिलोंमें मजदूरीमें कमी की जानेकी योजना है।

समिति आशा करती है कि मिल-मालिक और मैनेजर असन्तोषके सब कारण दूर कर देंगे। कांग्रेस मुख्यतः लाखों किसान और मजदूरोंके हितोंका प्रतिनिधित्व करती है, अतः कार्यसमितिका विश्वास है कि जिन मिलोंमें पहलेसे ही ऐसी शिकायतोंके वाजिबी कारण मौजूद हों उन मिलोंको मान्यता देना कांग्रेसके उक्त दावेके प्रतिकूल होगा।

पिछली बैठकमें अ० भा० कां० क० द्वारा कार्यसमितिको सौंपे गये निजी प्रस्तावोंमें एक प्रस्ताव मिल-मजदूरोंके सम्बन्धमें था। वह बड़ा कड़ा प्रस्ताव था। मेरे सामने उन मिलोंकी एक सूची पड़ी है जिन्होंने, कहा जाता है कि, मजदूरीमें कमी की जानेकी धमकी दी है। इसलिए कार्यसमितिने उक्त नरम प्रस्ताव पास किया है। इसमें उसने इस विषयमें अपनी नीति और कर्तव्यको स्पष्ट कर दिया है। इसमें मजदूरोंको यह विश्वास दिलाया गया है कि कांग्रेस उनको हानि पहुँचानेमें हरगिज सहायक नहीं होगी, और यह प्रस्ताव मिल-मालिकोंको मजदूरोंसे सम्बन्धित कांग्रेसकी नीतिकी सूचना है। इसको किसी भी हालतमें किसी प्रकारकी धमकीके रूपमें नहीं लेना चाहिए। मजदूरोंके कल्याणका ध्यान रखनेमें मिल-मालिकोंका भी वैसा ही अनुराग होना चाहिए जैसा कि कांग्रेसका। स्वराज्यका शान्तिपूर्ण मार्ग सब राष्ट्रीय प्रयत्नोंके समन्वयमें है, वैमनस्यमें नहीं। और इस समन्वयका एक ही महान उद्देश्य होना चाहिए जो है श्रमिकोंकी स्वतन्त्रता — चाहे श्रमिक खेतोंमें काम करनेवाले हों, या कारखानोंमें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

४२८. टिप्पणियाँ

कांग्रेसका झण्डा

यह सर्वथा उचित था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने लगभग सर्वसम्मतिसे निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय झण्डा स्वीकार किया[1]:

> **राष्ट्रीय झण्डा पहलेकी तरह आड़े तीन रंगका होगा, लेकिन रंग क्रमशः ऊपरसे नीचे केसरिया, सफेद और हरा होगा, और सफेद पट्टीके बीचमें गहरे नीले रंगका चरखा होगा। यह माना गया है कि रंगोंका कोई साम्प्रदायिक महत्त्व नहीं है, बल्कि केसरिया साहस और बलिदान, सफेद शान्ति और सत्य, और हरा विश्वास और वीरता तथा चरखा जनताकी आशाका द्योतक होगा। झण्डेकी लम्बाई-चौड़ाईका अनुपात ३ और २ का होगा।**

यह याद रखना चाहिए कि सफेद, हरा और लाल रंगका तिरंगा झण्डा कांग्रेसने कभी अधिकृत रूपसे स्वीकार नहीं किया था। वह मेरी कल्पना थी और मैंने सचमुच ही उसे साम्प्रदायिक अर्थ दिया था। उसके जरिये साम्प्रदायिक एकता प्रदर्शित करनेका खयाल किया गया था। सिखोंने इसका विरोध किया और उसमें अपना रंग भी रखनेकी माँग की। नतीजा यह हुआ कि एक कमेटी नियुक्त हुई। उसने मूल्यवान गवाहियाँ इकट्ठी कीं और उपयोगी सिफारिशें कीं। और अब हमारे पास ऐसा झण्डा है, जिसके किसी भी रंगका कोई साम्प्रदायिक अर्थ न होनेकी अधिकारपूर्ण घोषणा हो चुकी है और प्रत्येक रंगका एक निश्चित अर्थ निर्दिष्ट कर दिया गया है। लालकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया है और सर्वथा कलात्मक दृष्टिसे सबसे ऊपर रखा गया है। पूरा झण्डा सुन्दर दिखे इस ख्यालसे, और सारे झण्डेका वर्चस्व स्पष्ट रूपसे दिखानेके लिए केसरिया और हरेके बीचमें सफेद रंग रखा गया है। चरखा सफेद पट्टीपर गहरे नीले रंगमें रहेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि झण्डेका यह एक उन्नत स्वरूप है। बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि चरखेको 'जनताकी आशा' के रूपमें कायम रखा गया है। वह ऐसा सिद्ध भी हो चुका है। जहाँ-जहाँ उसका प्रवेश हुआ है, खुशहाली बढ़ी और कंगाली दूर हुई है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओंका कर्त्तव्य है कि वे जनताको राष्ट्रीय झण्डेका अर्थ समझायें और मैं आशा करता हूँ कि उसके पूरे अर्थको वे स्वयं अपने जीवनमें उतारेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि प्राण देकर भी उसकी रक्षा की जायेगी, लेकिन उसकी सच्ची रक्षा तो उसके रंगोंमें बताये गये गुणोंको आत्मसात् कर लेने और घर-घरमें चरखा पहुँचा देनेमें है। उस समय हमें विदेशी कपड़ेके खिलाफ धरना

१. ६ से ८ अगस्ततक होनेवाले अपने अधिवेशनमें।

देनेकी जरूरत न रहेगी। यदि हम झण्डेके लिए मरनेको तैयार हैं, तो पहले हमें उसके लिए जिन्दा रहना सीखना चाहिए।

पारसी भाइयोंसे

बहादुर आबिद अलीको उन्हींके समान बहादुर श्री नरीमनके धोखेमें, किसी अज्ञात पारसीने क्रुद्ध होकर पता नहीं किस अस्त्रसे सात घाव पहुँचाकर करीब-करीब मार ही डाला था। यह उस समय हुआ जब दावरकी शराबकी दुकान पर धरना दिया जा रहा था, और श्री आबिद अली वहाँ निठल्ले दर्शकोंकी भीड़को हटानेका प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए सम्बन्धित पारसियों और महान परोपकारी तथा सुधारक पारसियोंसे मुझे कुछ निवेदन करना है। सम्बन्धित शराबके विक्रेताओं तथा उनके मित्रोंसे मेरा निवेदन है कि आपके साथ मेरी वैसी ही सहानुभूति है, जैसी विदेशी कपड़ोंके व्यापारियोंसे। इस सहानुभूतिसे प्रेरित होकर ही मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि गरीबोंके हितकी दृष्टिसे दोनों व्यापार बन्द होने ही चाहिए। और आप गुण्डागर्दीके बलपर दोनोंमें से एक भी व्यापार जारी नहीं रख सकते। पारसी लोग इतने चतुर अवश्य हैं कि इस तथ्यको समझ लें और वे दूसरा व्यवसाय ढूँढ़ निकालनेमें समर्थ हैं। परोपकारी पारसियोंसे मेरा कहना है कि अपने परोपकारके उज्ज्वल उदाहरण आपके सामने हैं। क्या आप शराबके पारसी दुकानदारोंका जिम्मा लेकर और उन्हें किसी दूसरे सम्मानित व्यवसायमें लगाकर इन उदाहरणोंमें और वृद्धि न करेंगे? मेरे बताये परोपकारकी समानता शायद ही कोई दूसरा परोपकार कर सके। आत्माका नाश करनेवाली शराबके अभिशापसे राष्ट्रको मुक्त करनेमें आपकी सम्पत्तिका उपयोग हो, इससे बढ़कर दूसरा उत्तम काम और क्या हो सकता है?

पंच-न्याय

एक पत्र-लेखक सूचित करते हैं कि अ० भा० कांग्रेस कमेटीने अपनी मौलिक अधिकारोंकी व्याख्यामें जूरी अर्थात् पंच द्वारा मामलोंकी जाँचकी बातका समावेश नहीं किया। मैं कांग्रेस कमेटीके दूसरे सदस्योंके विचार तो नहीं जानता, लेकिन यह प्रश्न आता तो मैंने स्वयं इसका विरोध किया होता। जजके मुकाबले जूरी द्वारा मुकदमेकी सुनवाई क्यों ज्यादा लाभकर है, यह मैं अभीतक नहीं समझ सका हूँ। अपने यहाँका न्याय-विभाग राजनैतिक मामलोंमें सरकारका पक्ष लेनेके लिए कुख्यात हो चुका है, लेकिन ठीक निर्णयपर पहुँचनेके लिए हमें उसके कटु अनुभवोंसे परेशान नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड तकमें ठीक मौकेपर जूरीको असफल होते हुए देखा गया है। जब भावनाएँ बहुत तीव्र हो जाती हैं तो जूरी अथवा पंच उनसे प्रभावित हो जाते हैं और विकृत निर्णय दे देते हैं। न हमें यही खयाल कर लेना चाहिए कि उनका झुकाव सदैव नर्मीकी ओर ही होता है। मुझे कई ऐसे पंचोंका पता है, जिन्होंने गवाहियों और जजके खुलासेके भी विरुद्ध अभियुक्तोंको दोषी करार दिया। हमें अंग्रेजोंकी हर चीजका आँख बन्द करके अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिन मामलोंमें सर्वथा निष्पक्षता, शान्ति और गवाहियोंकी विषमताको छाँटने तथा मानव-

स्वभावको समझनेकी आवश्यकता होती है, वहाँ हमें अभ्यस्त न्यायाधीशों अर्थात् जजोंके स्थानपर संयोगसे एकत्रित अनभ्यस्त लोगोंको नहीं बैठा देना चाहिए। हमारा जो-कुछ उद्देश्य हो वह यह हो कि हमारा न्यायविभाग नीचेसे ऊपर तक एक अभ्रष्टनीय, निष्पक्ष और योग्य विभाग हो। मैं ग्राम्य पंचायतोंको स्वाभाविक संस्था मानता हूँ। किन्तु जाति-प्रथाके पतन, वर्तमान शासन प्रणालीके कुप्रभाव और जनताकी बढ़ती हुई अपढ़ताके कारण यह प्राचीन और सुन्दर संस्था निकम्मी हो गई है और जहाँ ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ उसने अपनी पुरानी पवित्रता और प्रभावको खो दिया है। किन्तु, यदि गाँवोंको बरबाद नहीं करना है, तो इस प्रथाको प्रत्येक सम्भव उपायसे पुनर्जीवित करना ही चाहिए।

नकली प्रॉवीडेण्ट कम्पनियाँ

ऐसी नकली कम्पनियोंके बारेमें अभीतक शिकायतें आती ही रहती हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सरदार वल्लभभाईने इस सम्बन्धमें जो चेतावनी दी थी, उसका पूरा असर नहीं हुआ। अहमदाबादमें ऐसी कम्पनियोंके लिए एक 'सतर्कता समिति' स्थापित हुई है। कुछ कम्पनियोंने इसके पदाधिकारियोंके विरुद्ध मामला चलानेकी धमकी देने तकका साहस किया है। कई कम्पनियाँ इतने भारी और मोहक प्रलोभन देती हैं कि उनका पूरा कर सकना उनके लिए सम्भव हो ही नहीं सकता। फिर भी जो धनवान बननेके लिए आतुर हैं, वे इनके जालमें फँसते ही रहते हैं। दुर्भाग्यसे गरीब किसानोंके भोलेपन पर ये कम्पनियाँ अपना व्यवसाय चलाती हैं। फीसकी रकमकी वसूलीके अवसरको छोड़कर बाकी ये लोग किसानोंको कभी मुँहतक नहीं दिखाते। एक भाई पूछते हैं कि हम सच्ची और झूठी कम्पनियोंका भेद किस तरह जानें? मेरी सलाह तो यह है: "इन सबका ही त्याग करो। ऐसे मोहक लालचके पीछे क्यों पड़ते हो? किन्तु यदि आप किसी कम्पनीसे लाभ उठाना ही चाहते हैं तो सतर्कता समितिसे पूछिए और उसकी सलाहके मुताबिक काम करिए।" इसके सब सदस्य सेवाकी दृष्टिसे काम करनेवाले हैं। परोपकारकी दृष्टिसे और गरीबोंको जितने नुकसानसे बचाया जा सके, बचाया जाये, इसी उद्देश्यसे इसकी स्थापना हुई है।

एक स्वदेशी परोपकारी कम्पनी

स्वदेशी इलेक्ट्रिक क्लॉक मैनुफैक्चरिंग कम्पनीका कारखाना ग्रांट रोडपर शास्त्री हॉलमें है। कुछ दिनों पहले मुझे जमनालालजीके साथ इस कारखानेको देखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ था। इस मौके पर खादी प्रतिष्ठानके सतीश बाबू भी मेरे साथ थे। चूंकि वह इन चीजोंके विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैंने उनसे इस कारखानेको फिरसे जाकर देखने और उसके बारेमें अपने विचार मुझे बतानेको कहा था, जो उन्होंने किया है। उन्होंने इस उद्योगकी सम्भावनाओंको बहुत अच्छा बताया है। यह कारखाना कर्नाटकमें निपानी नामक स्थानकी एक राष्ट्रीय शाला, तिलक राष्ट्रीय पाठशालाकी शैक्षणिक गतिविधियोंका सुपरिणाम है। इस स्कूलकी स्थापना १९२१ में असहयोग आन्दोलनके दिनोंमें हुई थी। औद्योगिक प्रशिक्षण इस पाठशालाके पाठ्यक्रमका अंग था। श्री एम०

डी० जोशीके रूपमें, जो इस शालाके जीवन-सदस्य थे, पाठशालाको एक तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त था। इसलिए प्रबन्धक-मण्डलने यह इच्छा प्रकट की कि वह नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। उन्होंने इंजीनियरी विषय लिया और अन्तिम परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए। इसके बाद उन्होंने बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवेके परेल वर्कशॉपमें अपरेंटिसके रूपमें काम किया और तत्पश्चात् रॉयल इंडियन मैरीन डॉक-यार्डमें अपरेंटिस रहे। इस दौरान वह अपने खाली समयका उपयोग बिजलीसे चलने-वाली घड़ीका निर्माण करनेमें करते रहे। इस तमाम परिश्रमका फल यह कारखाना है जिसकी स्थापना पूनाके सरदार दाजी साहब पटवर्धनकी स्वैच्छिक सहायताके कारण सम्भव हो सकी। उन्होंने कम्पनीको २०,००० रुपयेकी पूँजी निर्व्याज प्रदान की और किसी जमानतकी माँग भी नहीं की। इस कम्पनीके डाइरेक्टर हैं पूनाके तिलक महा-विद्यालयके प्रिंसिपल लिमये, डा० आर० एन० दातार, श्री जोशी और श्री नरवाणे। इन डाइरेक्टरोंको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। यह सारी संस्था आत्म-त्यागके सिद्धान्त-पर आधारित है। यह संस्था राष्ट्रीय पाठशालाओंके छात्रोंको तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है। यदि कोई मुनाफा हो तो उसका उपयोग शिक्षा-प्रसारके काममें किया जाता है। इस कम्पनीने पिछले वर्ष करीब १५,००० रु० की घड़ियाँ बेचीं, और ग्राहकोंको उनसे पूर्ण सन्तोष मिला बताया जाता है। इन घड़ियोंकी बनावट मौलिक है और उसको पेटेंट करा दिया गया है। "घड़ीका हर पुर्जा कारखानेमें बनता है और पूरी घड़ी कारखानेमें ही तैयार होती है।" ये घड़ियाँ व्यक्तियोंके इस्तेमालके लिए नहीं बल्कि दफ्तरोंमें, कारखानोंमें और सार्वजनिक संस्थाओंमें उपयोगके खयालसे बनाई गई हैं, जहाँ एक ही भवनके अन्दर कई घड़ियाँ लगानेकी जरूरत होती है। इन घड़ियोंमें चाबी भरनेकी जरूरत नहीं है, और बिजलीकी एक ही सर्किटसे चलनेवाली घड़ियाँ ठीक एक जैसा ही समय बताती हैं। निपानी स्कूलके छः छात्र पहले ही इस कारखानेमें काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस कारखानेके ऊपर इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। जो लोग वास्तविक स्वदेशी उद्योगोंमें दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वे इस संस्थाको जाकर देखें और उसके कार्य करनेके ढंगका अध्ययन करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

४२९. प्राचीन भारतमें पशुओंकी स्थिति[1]

पाठकोंको यह नहीं मान बैठना चाहिए कि यहाँ हम प्राचीन कालमें प्रचलित पशुओंकी बर्बरतापूर्ण दौड़-प्रतियोगिताको फिरसे लाना चाहते हैं। और चूँकि यह लेख सभी देशी राजाओंको ध्यानमें रखकर लिखा गया है, यहाँ 'गौ' शब्दको समस्त पशु-धनका और 'ब्राह्मण' को सच्चे ज्ञानकी सम्पदाका पर्याय मानें।[2]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-८-१९३१

४३०. पत्र : वाइसरायको

शिमला

२७ अगस्त, १९३१

व्यक्तिगत

प्रिय मित्र,

यात्राकी एक मंजिल पूरी हो गई है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशानी पहुँचाई है। लेकिन मुझे जिस बातसे कुछ सन्तोष मिल सकता है और जो मैं आपको भी दे सकता हूँ वह यह तथ्य है कि मैं स्वयं कुछ कम चिन्तित और परेशान नहीं रहा हूँ। अपने मित्रों या विरोधियोंसे बराबर असहमत रहना मेरे लिए कोई खुशीकी बात नहीं है। इसलिए आप मेरी इस बातका विश्वास करें कि यदि मैं आपको दुराग्रही या कठोर लगा होऊँ तो ऐसा मेरी इच्छाके विरुद्ध हुआ है और यह मेरे कर्तव्यकी माँग थी। जो सहयोगी मेरे साथ रहे हैं हालाँकि उन्होंने मुझे अपना हार्दिक सहयोग दिया है, किन्तु मैं जानता हूँ कि अन्तिम जिम्मेवारी मेरे कन्धोंपर है। भय, हृत्कम्पन और गम्भीर सन्देहके साथ मैंने लन्दन जानेका निर्णय किया है। कांग्रेसकी दृष्टिसे स्थिति बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है, लेकिन मैं आपके बारम्बार दिये गये इस आश्वासनपर भरोसा कर रहा हूँ कि आपके ध्यानमें जो भी

१. वालजी गोविन्दजी देसाई द्वारा लिखा गया लेख यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने प्लीनी द्वारा लिखित दौड़ोंके विवरणसे एक अंश उद्धृत किया था, जिसमें बताया गया है कि बैल घोड़ोंसे होड़ करते थे। इस उद्धरणके द्वारा लेखक यह दिखाना चाहते थे कि प्राचीन-भारतमें पशु कितने तगड़े और फुर्तीले हुआ करते थे।

२. लेखकने इच्छा व्यक्त की थी कि देशी राजाओंको, जो गो-ब्राह्मण रक्षकका नाम दिया गया है, उसे सार्थक करनेके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए।

चीज लाई जायेगी उसपर आप व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देंगे। कृपया आप सरदार पटेल और कार्यसमितिके अन्य सदस्योंपर विश्वास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका उनपर भरोसा रखना गलत साबित नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप खान अब्दुल गफ्फार खाँका भी विश्वास करें। मैं उन्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही उन्हें अधिक चाहता जाता हूँ। वह अत्यन्त स्पष्टवादी हैं, मनमें कोई बात नहीं रखते और उन्होंने मुझसे कहा है कि अहिंसा उनके लिए नीतिकी चीज नहीं है, बल्कि वह उनका धर्म है।

कृपया लेडी विलिंग्डनको मेरा अभिवादन दें और उनके पतिके लिए परेशानी और चिन्ताका कारण बननेके लिए उनसे मेरी ओरसे क्षमा माँग लें। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ आप दोनोंके आशीर्वाद हैं।[1]

हिज एक्सेलेंसी लॉर्ड विलिंग्डन
शिमला

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०१) से।

४३१. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

शिमला
२७ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

आपके आजके पत्र और साथ संलग्न नये मसविदेके लिए धन्यवाद। सर कावसजीने आपके सुझाये हुए संशोधन भी मुझे बतानेकी कृपा की है। संशोधित मसविदेपर मैंने और मेरे साथियोंन अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उसे हम नीचे बताई गई टिप्पणियोंके साथ स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं: चौथे अनुच्छेदमें सरकारने जो शर्त रखी है, कांग्रेसकी ओरसे उसे स्वीकार कर लेना मेरे लिए सम्भव नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ कांग्रेसकी सम्मतिमें समझौतेके अमलके कारण पैदा हुई शिकायत दूर नहीं हुई हो, वहाँ उस सम्बन्धमें जाँच आवश्यक हो जाती है, वह इसीलिए कि दिल्ली समझौतेके जारी रहनेतक सविनय अवज्ञाको स्थगित रखा गया है।

किन्तु यदि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें जाँच करवानेके लिए तैयार न हों तो मुझे और मेरे साथियोंको इस धाराके बने रहनेपर कोई आपत्ति नहीं है। परिणाम यह होगा कि कांग्रेस अपनी तरफसे 'अभीतक उठाये गये दूसरे विषयोंमें'

१. इसके उत्तरमें वाइसरायने लिखा: "कल रात आपका पत्र पाकर और आपका निर्णय जानकर हर्ष हुआ। मुझे विश्वास है कि आप ठीक हैं। मैं आपको अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएँ भेजता हूँ। आपको दिये गये मेरे आश्वासनपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं।" (एस० एन० १७६०१)

जाँचके लिए जोर नहीं देगी। किन्तु दुर्भाग्यसे यदि कोई शिकायत इतनी असह्य हो जाये कि जाँचके अभावमें उसको दूर करनेके लिए आत्मरक्षार्थ सीधे उपायका अवलम्बन करना कांग्रेसका धर्म हो जाये, तो सविनय अवज्ञाके स्थगित रहते हुए भी उसका अवलम्बन लेनेके लिए वह स्वतन्त्र होनी चाहिए।

मुझे सरकारको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं कि कांग्रेस सीधी कार्रवाई-का मार्ग टालकर बातचीत, समझाने-बुझाने तथा ऐसे ही दूसरे उपायों द्वारा समाधान पानेका सतत प्रयत्न करेगी। यहाँ जो कांग्रेसकी स्थिति बताई गई है वह इसलिए जरूरी हो गई थी कि जिससे भविष्यमें कोई गलतफहमी न हो जाये तथा कांग्रेस पर विश्वास-भंगका आरोप न लगाया जा सके।

इस समयकी बातचीतके सफल होनेकी स्थितिमें मैं आशा करता हूँ कि सरकारी विज्ञप्ति,[1] यह पत्र और आपका उत्तर एक साथ प्रकाशित किये जायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३-९-१९३१

४३२. अकेला, फिर भी अकेला नहीं

[२८ अगस्त, १९३१][2]

रेनॉल्ड्स और कुछ दूसरे मित्र भी चाहते थे कि मैं कमसे-कम जवाहरलालको अपने साथ लन्दन ले जाऊँ। वे निर्भीक होते हुए भी सौम्य हैं, कमजोरी और कम-जोर करनेवाले आत्म-संशयसे अपरिचित होनेके कारण एक नजरमें कमजोरीको पकड़ लेते हैं; कूटनीतिसे परे होनेके कारण कूटनीतिपूर्ण भाषासे घृणा करते हैं और स्पष्ट शब्दोंमें मुख्य विषयपर आनेपर जोर देते हैं। और क्योंकि आदर्शवादमें मैं अपनेको उनसे आगे बढ़ा हुआ मानता हूँ, वे मेरे इस दावेको रद्द करते हुए सर्टीफिकेट लौटा देते हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और इसलिए इतने मित्रोंने जो यह प्रबल इच्छा प्रकट की है कि मुझे सीधे रास्तेपर रखने और सन्देह पैदा होने पर उसे दूर करनेके लिए शब्दकोषकी तरह सहायक होनेके लिए जवाहरलाल मेरे साथ होने चाहिए, उससे मैं पूरा सहमत हूँ। दूसरे मित्र कुछ दूसरे सज्जनोंका मेरे साथ होना आवश्यक समझते थे, भले ही वे प्रतिनिधि न हों। वे यह सोचकर खुश हैं कि

१. अन्तिम रूपसे प्रकाशित विज्ञप्तिके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ९।

२. इस लेखमें गांधीजी कहते हैं कि उन्होंने इसे बम्बई जाते हुए रेलगाड़ीमें लिखवाया था। वे शिमलासे २७की शाम रवाना हुए थे, इसलिए इसकी सबसे अधिक सम्भावित लेखन-तिथि २८ अगस्त ही प्रतीत होती है।

मालवीयजी और सरोजिनी देवी, कांग्रेसके सदस्य और भूतपूर्व सभापति होनेके सिवा अपने विशिष्ट दर्जेके कारण नामांकित किये जानेके अधिकारी हैं। इन मित्रोंके सुझावोंमेंसे प्रत्येकमें बल है। कार्यसमितिने जिस समय पूरे और लम्बे वाद-विवादके बाद यह निर्णय किया[1] कि कांग्रेसका केवल एक ही प्रतिनिधि हो, उस समय ये सब विचार उसके सामने आये थे। कार्यसमितिके सदस्यों द्वारा एकमतसे प्रकट किये गये विचारोंसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन जिस समय लन्दन जानेके लिए मेरा रास्ता साफ हुआ, और उससे भी अधिक जब २७ तारीखको ७ बजे शाम वह रास्ता खुल गया, ठीक उससे पहले म अचानक इतनी कमजोरी महसूस करने लगा जितनी पहले कभी भी महसूस नहीं की थी और जिस समय बम्बई जाते हुए गाड़ीमें मैं ये पंक्तियाँ लिखवा रहा हूँ, उस समय भी मैं उसपर काबू नहीं पा सका हूँ।

मेरे अन्तरतममें किसीने कहा कि शिमलाकी मुलाकातके निर्णयकी जिम्मेवारी मुझे अकेले ही अपने सिरपर नहीं लेनी चाहिए, प्रत्युत क्योंकि सीमान्त प्रदेश और संयुक्त प्रान्त तूफानके केन्द्र हैं, और गुजरातके सम्बन्धमें सरदार वल्लभभाईकी खास जिम्मेवारी है, इसलिए वे, खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ और पण्डित जवाहरलाल नेहरू, मेरे साथ होने चाहिए और मुझे उनकी पूर्ण सहमति और स्वीकृतिके बिना कोई निर्णय नहीं करना चाहिए और इसलिए मैंने वाइसरायको अपने तारमें[2] लिख दिया कि वे तीनों मेरे साथ शिमला आयेंगे। क्योंकि मैं दिल्लीके रास्ते जानेवाला था, इसलिए मैंने डॉ० अन्सारीको भी तार दे दिया था, जिससे कि मैं उनसे आध घंटे बातचीत कर सकूँ। वे दिल्लीमें नहीं थे, अपने एक रोगीके साथ मसूरीमें थे। मेरे तारकी प्रति तारके जरिये उनके पास मसूरी भेजी गई, और क्योंकि वे मुझे दिल्ली नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए वे तुरन्त सीधे कालकाको रवाना हुए और इसलिए वे भी शिमला तक मेरे साथ आये। और मैं कृतज्ञताके साथ स्वीकार करता हूँ कि इनमें से प्रत्येककी उपस्थिति मेरे लिए बहुमूल्य सिद्ध हुई। मैं यह भेदकी बात बता सकता हूँ कि ये लोग यदि उपस्थित न होते और खासकर यदि जवाहरलालने निर्भीक और जोरदार आलोचना न की होती तो सारा समझौता[3], तत्त्वत: मूल जैसा होते हुए भी, अन्ततः जिस रूपमें सामने आया उससे उसका रूप बिल्कुल भिन्न होता। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अकेला होनेपर अधिकारियों तकके स्वभावमें विश्वास रखते हुए मैंने जो समझौता स्वीकार कर लिया होता यह समझौता उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मेरे सामने इतना उपयोगी उदाहरण होनेपर, पाठकोंको मुझसे कहनेका अधिकार है कि या तो मैं अत्यन्त अहम्मन्य हूँ अथवा अत्यन्त जड़-बुद्धि हूँ, यदि मैं उपरोक्त साथियोंको लन्दन ले जानेका सफल प्रयत्न न करूँ, फिर भले ही ये मेरे सहयोगी प्रतिनिधिके रूपमें न आयें।

१. अपनी ९ जूनसे ११ जून, १९३१ तक चलनेवाली बैठकमें।

२. देखिए "तार: वाइसरायको", २३-८-१९३१।

३. देखिए परिशिष्ट ९।

लेकिन मुझे अपनेमें ऐसी किसी अहम्मन्यता अथवा किसी खास जड़ताका पता नहीं है, जो कि असलियतको मुझसे छिपा सके। ये साथी भी यही अनुभव करते हैं कि एक प्रतिनिधि ही ठीक है, और उनका अपना स्थान प्रतिनिधि अथवा सलाहकार किसी भी हैसियतसे लन्दनमें नहीं, वरन् भारतके अपने-अपने कर्त्तव्य-क्षेत्रमें ही है। लन्दनमें वाद-विवादमें उनके सहायक हो सकनेके लाभकी अपेक्षा उनकी यहाँकी उपस्थितिसे होनेवाला लाभ कहीं अधिक होगा।

मुझे अपनी कमजोरियोंको पूरी तरह अनुभव करते हुए लन्दन अवश्य जाना है। केवल ईश्वरको ही अपना मार्गदर्शक मानकर मुझे लन्दन जाना चाहिए। वह ईर्ष्यालु प्रभु है। वह अपने अधिकारमें किसीका दखल देना बरदाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी पूरी कमजोरियोंके साथ और खाली हाथों तथा पूर्ण आत्मसमर्पणके भावसे उसके सामने खड़ा होना चाहिए और तब वह आपको सारे संसारके खिलाफ खड़ा होने योग्य बना देगा और सभी आपदाओंसे आपकी रक्षा करेगा। जब मैं लन्दनके आसारका खयाल करता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि भारतमें सब-कुछ ठीक नहीं है, और दूसरा समझौता किसी भी तरह शोभनीय नहीं है तथा सुखद स्मृतियोंसे युक्त नहीं है, तो मेरे लिए निराश होनेको कुछ बाकी नहीं रह जाता। क्षितिज उतना ही अन्धकारपूर्ण है, जितना कि हो सकता है। मेरे खाली हाथ लौटनेकी प्रत्येक सम्भावना है। ठीक यही समय है, जब कि मनुष्य अपनी भीतरी कमजोरीका अनुभव करता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि दूसरे समझौतेके जरिये ईश्वरने मेरा लन्दन जानेका रास्ता साफ किया है, इसलिए मैं आशाके साथ यह यात्रा कर रहा हूँ और अनुभव करता हूँ कि कांग्रेसने मुझे जो आज्ञा दी है, यदि मैं उसके प्रति गैरवफादार सिद्ध न हुआ, तो इस यात्राका जो-कुछ भी नतीजा होगा, राष्ट्रके लिए अच्छा ही होगा।

अभियोग-सूची और उसका उत्तर[1]

मुझे खेद है कि सरकारने अभियोग-सूचीमें वर्णित अपराधोंके सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारोंके उत्तर प्रकाशित कर दिये हैं। मेरे विचारमें अपराधोंसे स्पष्ट इनकार यदि कुछ सिद्ध करता है, तो वह जाँचकी आवश्यकता ही सिद्ध करता है। अपराधी व्यक्ति अपने विरुद्ध लगाये गये अपराधसे इनकार करके शिकायतको रद नहीं कर सकता, फिर चाहे उसका इनकार कितना ही जोरदार क्यों न हो। उसे न्यायाधीशके सामने अपनी निर्दोषता साबित करनी होती है। जहाँतक कांग्रेसजनोंका सम्बन्ध है, प्रान्तीय सरकारोंके उत्तरसे उनके सन्देहकी पुष्टि ही होती है। इसलिए जनताको अभियोग सूचीके विषयमें कुछ अधिक बताना होगा। महादेव देसाईने इस अंकमें अपने छिट-पुट विचार दिये हैं। किन्तु पूरा जवाब तैयार हो रहा है[2], और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि जब वह प्रकाशित होगा, तब जनता देख सकेगी कि कांग्रेसका पक्ष

१. देखिए "एक ज्ञापन", २१-७-१९३१।
२. देखिए "पत्र: च० राजगोपालाचारीको", २८-८-१९३१।

कितना साफ है। यदि प्रान्तीय सरकारें ऐसी निर्दोष हैं, जैसा कि वे दावा करती हैं, तो निष्पक्ष जाँचसे आँखें क्यों चुराती हैं? लेकिन दूसरे समझौतेके अनुसार वे जाँचका सामना करनेसे इनकार करती हैं। कांग्रेसने उनकी इस अस्वीकृतिको मान लिया है। लेकिन साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी इस स्वीकृतिका अर्थ सम्बन्धित अन्याय सह लेना नहीं है, और यदि कोई ऐसा अन्याय हुआ, जिसको सहना कांग्रेसकी रायमें राष्ट्रहितके विरुद्ध होगा, तो समझौतेमें सत्याग्रह स्थगित रखनेकी बात होते हुए भी कांग्रेसने सत्याग्रहका आत्मरक्षाके रूपमें उपयोग करनेका अधिकार सुरक्षित रखा है। जब बहस, वार्ता और प्रार्थनापत्र विफल हो जाते हैं, तब जाँचका एकमात्र विकल्प यही रह जाता है। लेकिन मुझे आशा करनी चाहिए कि आत्मरक्षा-के रूपमें सत्याग्रह अनावश्यक प्रतीत होगा। मैं जानता हूँ कि सरदार वल्लभभाई और कार्यसमिति मामूली-सी बातपर सत्याग्रह जारी कर देनेकी आज्ञा नहीं देंगे। जहाँ तक मनुष्यके लिए सम्भव है, जबतक लन्दन-यात्राका नतीजा मालूम नहीं हो जाये, सत्याग्रहको बचाना ही चाहिए। लेकिन राष्ट्र-हित अथवा राष्ट्रीय आत्म-सम्मानका बलिदान करके उसे नहीं बचाया जा सकता, बचाया जाना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस कमेटियों और व्यक्तियोंको जान लेना चाहिए कि उन्हें अपनी जिम्मेवारीपर सत्याग्रह आरम्भ कर देनेकी स्वतन्त्रता नहीं है। कार्यसमिति अथवा कांग्रेस अध्यक्षकी स्वीकृति नितान्त आवश्यक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-९-१९३१

४३३. पत्र : अमतुस्सलामको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय अमतुल,

तो कुछ समयके लिए अब हम नहीं मिलेंगे। तुम अगर कमजोर और बीमार रहती हो तो अब हवा बदलनेके लिए चली जाना और जब चंगी हो जाओ और साबरमतीमें मलेरियाका मौसम खत्म हो जाये, तब वापस चली आना। हर हालतमें तुम्हें अपनेको बिल्कुल शान्त और खुश रखना चाहिए। किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो। लेकिन जो काम तुम कर सको वह करो। एक क्षण भी बेकार न जाये। तुम तकलीपर सूत कात सकती हो; अनाजकी सफाई, सिलाई, रुईकी सफाई और इसी तरहके दूसरे बहुत-से कम मेहनतवाले काम कर सकती हो। वे भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कि भारी मेहनतवाले काम। यह सब उनको स्वाभाविक रूपसे आ जाते हैं जो अपनी ही नहीं, बल्कि सबके भलेकी सोचते हैं और उस हितकी

वृद्धिके लिए अपनी सामर्थ्यभर योगदान करते हैं। मुझे जरूर लिखना। मेरा पता नारणदाससे मालूम हो जायेगा।

प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४५) से।

४३४. पत्र : सर मैलकम हेलीको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं जानता हूँ कि मैंने बम्बईसे आपको जो तार[1] दिया था, उसके जवाबमें भेजे गये आपके तारका उत्तर न देनेके लिए आप मुझे अशिष्ट नहीं मानेंगे। कारण सीधा-सादा था। मुझे उस समय पता नहीं था कि क्या जवाब दूँ। अब जाकर ही मैं उत्तर भेज सकता हूँ, और मुझे बम्बईकी ओर ले जा रही इस ट्रेनमें मुझे जो थोड़ेसे क्षणोंका समय मिल सकता है, उसमें मैं वही कर रहा हूँ। आप मेरे इस कथनका बुरा मत मानिएगा कि आपका तार ऐसा था कि उसमें आशाका सन्देश पढ़ा भी जा सकता था और नहीं भी। मेरा विचार अब आपके तारमें आशाका सन्देश पढ़नेका है। मुझे कानूनी स्थितिका पता नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपकी यह ख्याति है कि यदि आपको विश्वास हो कि किसी कठिनाईका कुछ हल निकालना ही चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। संयुक्त प्रान्तमें मुझे जो सबसे बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है वह ऐसे मामलोंकी है जिनमें लोगोंको पहले ही बेदखल किया जा चुका है, और वे मामले जिनमें बेदखलीके अभी भी जारी हैं। ये सभी बेदखलियाँ कानून-सम्मत हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रणालीमें इतनी बड़ी संख्याम बेदखलीकी गुंजाइश हो, उस प्रणालीमें कोई खराबी है। आपने अपने तारमें कहा है कि इस वर्ष बेदखलीके मामलोंकी संख्या पिछले वर्षके मुकाबले ज्यादा नहीं हैं। ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप एक बुरे पूर्वोदाहरणके आधारपर उनको उचित ठहरायेंगे। भारतभरमें जो एक जबर्दस्त जागृति आई है; उसके कारण लोग अन्यायोंको जितनी तीक्ष्णतासे अब महसूस करते हैं उतनी तीक्ष्णतासे १२ महीने पहले नहीं करते थे। अत: मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस संवेदनशीलताको समझें और अन्यायका निपटारा करें। और मैं यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि आप इस दिशामें इससे बेहतर शुरुआत और कुछ नहीं कर सकते कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरूको बुलायें और उनके साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करें। यह देखते हुए कि समझौता

१. ५ अगस्तका; देखिए पृष्ठ २७४।

जारी है, मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि कांग्रेसपर भरोसा किया जाये और जो भी सहायता आवश्यक हो वह उससे ली जाये। मुझे निश्चय है कि यदि उद्देश्य समान हो, जैसा कि मैं मानता हूँ कि हमारे आपके उद्देश्य समान हैं, तो यह भरोसा गलत साबित नहीं होगा।

मैंने अपनी बात स्पष्ट रूपसे लिखी है, क्योंकि खानगी मैत्री तथा सार्वजनिक मैत्रीके बन्धन सुदृढ़ करनका कोई अन्य तरीका नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस पत्रको अनुचित समझकर बुरा नहीं मानेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हिज एक्सेलेंसी सर मैलकम हेली
नैनीताल

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८११) से; एस० एन० १७६०८ से भी।

४३५. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय सी० आर०

मैं तुम्हें क्या लिखूँ? क्या तुम जानते हो कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने तुम्हारी याद न की हो और तुम्हारी उपस्थितिकी आवश्यकता न अनुभव की हो? लेकिन वह मुझे नहीं मिलनी थी, और दुर्भाग्यकी बात यह है कि जहाज पर रवाना होनेसे पहले मैं तुमसे थोड़ी बातचीत भी नहीं कर सकता। दो आदमी हैं जिन्हें मैं लन्दनमें अपने साथ चाहूँगा, तुम और जवाहरलाल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों आ भी सकते तो भी मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भारतमें रहकर तुम दोनों अन्य लोगोंकी तरह मेरी सहायता कर रहे होगे। इतना जरूर है कि लन्दनमें तुम्हारी उपस्थितिने मेरा भार हल्का कर दिया होता। लेकिन यह सलीब मुझे अकेले ही और पूरी तरह ढोना चाहिए। जब मैं अपनी तमाम सीमाओं और अज्ञानकी बात सोचता हूँ तो मेरा मन घोर निराशामें डूब जाता है, लेकिन यह विचार और अनुभव करते ही मैं फिर ऊपर निकल आता हूँ कि यह तो मेरे अन्दर बैठा भगवान है जो मुझे चला रहा है और अपने साधनके रूपमें मेरा प्रयोग कर रहा है। वह मुझे ठीक समयपर ठीक शब्द सुझा देगा। इसके यह मतलब नहीं कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन मैं ऐसा मानने लगा हूँ कि भले ही हमारा घमण्ड तोड़नेके लिए ही क्यों न हो,

ईश्वर हमसे जानबूझकर गलतियाँ कराता है। मैं जानता हूँ कि यह एक खतरनाक विश्वास है जिसका उपयोग किसी गलतीको उचित ठहरानेके लिए किया जा सकता है। लेकिन जहाँतक अनजाने होनेवाली गलतियोंका सवाल है, मुझे इसके सही होनेमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मेरे इस पत्रका उद्देश्य अपने दर्शनकी चर्चा करना नहीं है। इसे लिखनेका उद्देश्य तुमसे यह कहनेका है कि जो चीज तुम्हारी उपस्थितिके जरिये मुझे नहीं मिल सकती उसे तुम साप्ताहिक पत्रोंके जरिये, चाहे हवाई डाकसे ही क्यों न हो, भेजते रहो। मैं यह भी चाहूँगा कि तुम 'यंग इंडिया'के लिए हर हफ्ते लिखो। मैं नहीं समझता कि मेरी अस्थायी अनुपस्थितिके दौरान एक नये सम्पादककी घोषणा करना कानूनन जरूरी है। यदि कानूनन जरूरी हो, तो मैं चाहूँगा कि सम्पादन-भार तुम सँभालो।

मद्रासके आरोप-पत्रका मद्रास सरकारने जो उत्तर दिया है, मैं चाहूँगा कि तुम उसका प्रत्युत्तर तैयार करो, और आरोप-पत्रको अद्यतन पूरा करके अपना प्रत्युत्तर सरदारके पास भेज दो।

शुरुआतके तौरपर तुम हवाई-डाकसे मुझे विस्तारपूर्वक लिखो कि तुम मुझसे लन्दनमें क्या करनेकी अपेक्षा करते हो। जो-कुछ तुम हवाई-डाकसे भेजो उसकी प्रतियाँ सामान्य साप्ताहिक डाकसे भेजी जानी चाहिए।

पापा कैसी है? मैं पूरी आशा करता हूँ कि वह बेहतर है।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०९) से।

४३६. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

दुबारा नहीं पढ़ा

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

क्या तुम कृपया 'यंग इंडिया'के सम्पादनका काम देखोगे? मतलब यह है कि सम्पादकके नाममें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सम्पादककी अस्थायी अनुपस्थितिमें इस प्रकारके परिवर्तनकी कानूनन कोई जरूरत है। लेकिन यदि ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो, तो च० राजगोपालाचारीका नाम बतौर सम्पादक जाना चाहिए, और किसी भी हालतमें जब तुम्हें कोई दुविधा हो या हमारी मण्डलीमें रायमें भेद हो, तब तनिक भी सम्भव होनेपर राजगोपालाचारीकी राय ले लो और उन्हींकी राय अन्तिम होगी। ऐसा सम्भव न हो तो जयरामदासकी राय निर्णयात्मक होगी, और जब यह भी सम्भव न हो तो जबतक काकासाहब स्वयं कोई निर्णय न करना चाहें तबतक तुम्हारी राय ही अन्तिम होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वे यह भार वहन करें। लेकिन वे जब भी आवश्यक समझें तब उन्हें हस्तक्षेप करनेका

अधिकार है। मैंने राजगोपालाचारीको पहले ही लिख दिया है कि वे कुछ सामग्री नियमित रूपसे भेजा करें और मैं जयरामदाससे भी कह रहा हूँ कि वे तुम्हें प्रति सप्ताह एक या एकाधिक लेख दिया करें। मैंने जवाहरलालसे भी ऐसा ही करनेको कहा है और वह सम्भवतः तुम्हें संयुक्त प्रान्तकी खबरोंका साप्ताहिक चिट्ठा और अन्य जो-कुछ भी वे लिखना चाहेंगे, भेजा करेंगे। अतः इससे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, ऐसी आशा है। लेकिन जैसा कि सम्भव है, यदि ये सभी लोग कुछ न भेज सकें, तो तुम पृष्ठोंको किसी-न-किसी प्रकार भर देना। अवश्य मैं प्रति सप्ताह कुछ सामग्री भेजनेकी आशा रखता हूँ। तुम जो-कुछ भी लिखो मैं चाहूँगा कि आलोचनाका स्वर उसमें यथासम्भव कमसे-कम रहे, लेकिन ज्यादासे-ज्यादा जितने तथ्य और आँकड़े दे सकना सम्भव हो दो।

यदि तुम्हें समय मिले तो तुम शराबके आर्थिक पहलूका अध्ययन करो और तथ्य तथा आँकड़े देकर यह दिखाओ कि जितनी शराब पी जाती है उसकी वास्तविक कीमतके अलावा शराबकी आदतसे कितनी जबर्दस्त बर्बादी होती है। जिन बीमारियों-की रोकथाम की जा सकती है, उनके चलते, गलत ढंगके आहारके चलते और खाद रूपी मनुष्यके मल-मूत्रकी भयंकर बर्बादीके चलते हमारे बीच होनेवाली आर्थिक बर्बादी-के समूचे सवालकी भी चर्चा कर सकते हो। इस बर्बादीका ब्योरा [श्री] पूर्ड द्वारा पहले ही तैयार किया जा चुका है। मेरा विश्वास है कि पूर्ड रचित पुस्तकें हमारे पास आश्रममें हैं। गलत ढंगके आहारके कारण होनेवाली दोहरी बर्बादीका बहुत ही अधूरा ब्योरा कर्नल मैकेनिस्टर — या कुछ ऐसा ही नाम है — द्वारा दिया गया है। यह वही डाक्टर है जिसने विटामिनोंके बारेमें लिखा है। मैंने तो कुछ संकेत इधर-उधरसे लेकर यहाँ दे दिये हैं जो तुम्हारे लिए खोजबीन और अन्वेषण करनेके खयालसे काफी होने चाहिए। अर्थशास्त्रका ऐसा प्रयोग करनेसे वह आम जनताके लिए आकर्षक, दिलचस्प और शिक्षाप्रद बन जाता है। अर्थशास्त्रके विज्ञानका जिसने तुम्हारी तरह अध्ययन किया है उसके लिए इन अन्वेषणोंकी खातिर बहुत गहरा या बहुत अधिक अध्ययन करनेकी जरूरत भी नहीं है। यदि तुम देखो कि ये संकेत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गये हैं जिसे अर्थशास्त्रका तनिक भी ज्ञान नहीं है, तो तुम इस पूरे अनु-च्छेदको अनदेखा करनेको स्वतन्त्र हो। कृपया काकासाहबको भी यह पत्र दिखा देना। मैं ज्यादासे-ज्यादा ३ महीने, और किसी भी हालतमें कमसे-कम ६ सप्ताह बाहर रहूँगा, ऐसी आशा है।

प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १००९८) से।

४३७. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

रास्तेमें

व्यक्तिगत

२८ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

शायद वाइसराय महोदय उनके नाम लिखा मेरा व्यक्तिगत पत्र[1] आपको दिखायेंगे। यह पत्र मैं आपको यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि शिमलेमें आपकी स्पष्टतः अड़ंगा पैदा करनेकी नीतिसे मुझे बहुत दुःख पहुँचा। मैं मानना चाहूँगा कि मेरी यह आशंका गलत है, और आप उस क्षोभजनक स्थितिके लिए जिम्मेदार नहीं थे जिसके कारण तीन दिनका अमूल्य समय नष्ट हुआ। जिन व्यक्तियोंके ऊपर भरोसा किया जा सके, ऐसे मनुष्योंसे मिलनेका जो सुख है उसके मुकाबले एक संविधान प्राप्त कर लेनेका सुख मेरे लिए तुच्छ है।

मैं शीघ्र ही पिछले तीन दिनोंकी दुखद बातें भूल जाऊँगा और मैं जानता हूँ कि यदि मैंने अनजाने आपको गलत समझा है तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन भविष्यकी बात सोचकर मेरा मन भय और आशंकाओंसे भर जाता है। यदि आप सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल और अब्दुल गफ्फार खाँका अविश्वास करेंगे तो विस्फोट होना अवश्यम्भावी है। आप उनका विश्वास करके निश्चय ही इस विस्फोटको टालेंगे। मैं जानता हूँ कि आपका क्या प्रभाव है। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आप उस प्रभावका सही प्रयोग करेंगे?

मित्रताका जो विशेषाधिकार होता है, उसका उपयोग करते हुए मैंने इतनी स्वतन्त्रतापूर्वक यह लिखा है और इसीलिए आशा करता हूँ कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे।

मेरे दाहिने हाथको आरामकी जरूरत है इसलिए मुझे बायें हाथसे लिखना पड़ रहा है। मैं इस प्रकारका व्यक्तिगत पत्र बोलकर नहीं लिखा सकता था।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०१) से।

१. देखिए "पत्र: वाइसरायको", २७-८-१९३१।

४३८. पत्र : एच० डब्ल्यू० इमर्सनको

फ्रंटियर डाउन मेलपर,
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय श्री इमर्सन,

अकबरपुराके बारेमें और उन कैदियोंके साथ होनेवाले व्यवहारके बारेमें जिन्हें मैं किसी अधिक उपयुक्त शब्दके अभावमें राजनीतिक कैदी कहता हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कोई वक्तव्य लेनेका मेरे पास कोई समय नहीं था। खान साहबने पेशावर जेलमें बन्द उन कैदियोंकी दशाका मर्मान्तिक विवरण दिया जिन्हें एक नाटकके सिलसिलेमें सजा दी गई है। आपको याद होगा कि इस नाटकके विषयमें मैंने आपसे चर्चा की थी। खान साहबने मुझे बताया है कि इन कैदियोंको बेड़ियोंमें रखा जाता है और उन्हें चरस चलानेका कठोर काम दिया जाता है। स्वस्थ शरीरवालोंको कड़ा काम दिया जाये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्वस्थसे-स्वस्थ शरीरवाले आदमीकी भी मेहनत कर सकनेकी एक सीमा है और जब पैरोंमें बेड़ियाँ पड़ी हों तब चरस चलाना कोई हँसी-खेल नहीं है। खुर्शेदबहनने अकबरपुरामें घायल स्त्री-पुरुषोंकी जो हालत देखी उसके बारेमें उनके द्वारा दिया गया एक बयान साथमें संलग्न कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन सब वक्तव्योंको झूठा या अतिरंजित कहकर बरतरफ नहीं कर देंगे। डेरा इस्माइल खाँके बारेमें दिया गया उनका वक्तव्य ध्यान देने योग्य है। उसे भी साथ संलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० इमर्सन
शिमला

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०७) से।

४३९. पत्र : डी० एन० बहादुरजीको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

जैसा कि मुझे प्राप्त सूचनाओंसे प्रतीत होता है, सीमा प्रान्तमें काफी दमनात्मक कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी हाल ही में अकबरपुरामें बिना किसी औचित्यके सैनिकोंने कई सौ स्त्री और पुरुषोंपर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कमोबेश गम्भीर चोटें आईं। डेरा इस्माइल खाँमें हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके पीछे, कहा जाता है कि, पुलिसका हाथ था। राजनीतिक बन्दियोंके साथ बहुत कठोर बर्ताव किया जा रहा है। खुर्शेदबहनको, जो आपको यह पत्र देंगी, इन सब बातोंके बारेमें कुछ जानकारी है। यदि आप सीमाप्रान्त जा सकें और वहाँ चुपचाप इन घटनाओंके बारेमें जाँच करके रिपोर्ट दे सकें, तो आपकी रिपोर्ट अत्यन्त मूल्यवान साबित हो सकती है और मुमकिन है उससे स्थिति कुछ सुधरे। आपकी नियुक्ति अधिकृत रूपसे कार्यसमितिको करनी चाहिए या नहीं, इसके बारेमें मैं नहीं जानता। इस प्रकारकी नियुक्तिसे सम्भावना इसी बातकी है कि नियुक्तिका उद्देश्य पूरा न हो। सीमाप्रान्त एक नॉन-रेगुलेशन प्रान्त है। वहाँ बहुतसी ऐसी चीजें की जाती हैं जिन्हें भारतमें हमारी तरफ असम्भव माना जाता है। सरकार जाँच करनेका निषेध भी कर सकती है, और यदि कार्यसमिति द्वारा नियुक्त जाँचमें सरकार बाधा डालती है तो एक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन पहली चीज तो यह है कि क्या आप सीमा प्रान्त जानेके लिए समय निकाल सकते हैं, और यदि निकाल सकते हैं, तो क्या आप यह जिम्मेवारी उठाना पसन्द करेंगे, अथवा नहीं? यदि आप जा सकें, तो कृपया आप सरदार वल्लभभाईसे परामर्श करके यह तय कर लें कि कार्यसमिति द्वारा अधिकृत जाँचके मुकाबले चुपचाप अनौपचारिक ढंगकी जाँच ज्यादा अच्छी होगी या नहीं। यदि आपको किसी भी कारणवश ऐसा लगे कि आप यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो 'ना' कहनेमें हिचकिएगा नहीं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत डी० एन० बहादुरजी
बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७६१०) से।

४४०. पत्र : डॉ० श्रीमती कमिसेरियटको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय डॉ० कमिसेरियट,

आपको याद होगा कि जब हम नैनीतालमें मिले थे तब आपने मुझसे कहा था कि आप जिस प्रकारकी राष्ट्रीय सेवाके लिए अपनेको योग्य समझेंगी वैसी कोई सेवाका काम आप करनेको तैयार हैं। मैं आपके इस कथनका लाभ उठाना चाहता हूँ। आप खुर्शेदबहन नौरोजीको जानती हैं। उन्होंने अभी हाल ही में सीमाप्रान्तकी स्त्रियोंके बीच काम शुरू किया है। वह मुझे सूचित करती हैं कि यदि इस प्रान्तकी स्त्रियोंके बीच कोई महिला डॉक्टर काम करनेवाली हो तो यह एक अच्छी बात होगी जिसकी सीमा प्रान्तके लोग कद्र करेंगे। यदि आपके पास समय हो, और इच्छा भी हो, तो मैं समझता हूँ कि इस कामके लिए आप ही उपयुक्त व्यक्ति हैं। अगर आप स्वतन्त्र हों, इस कामको करनेके लिए समय देनेकी आपकी इच्छा हो, तो आप कृपया कुमारी नौरोजीसे पत्र-व्यवहार करें, जिनका पता अगले दस दिनोंतक यह होगा: ७८, नेपियन सी रोड, बम्बई। वह एक पखवाड़ेके भीतर सीमाप्रान्तके लिए रवाना होनेकी आशा करती हैं।

हृदयसे आपका,

डॉ० (श्रीमती) कमिसेरियट

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७६११) से।

४४१. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

फ्रंटियर डाउन मेलपर
२८ अगस्त, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

मुझे उतनी थोड़ी-सी बातचीत कर सकनेकी भी खुशी है। तुम्हें बिल्कुल प्रसन्न और शान्तचित्त रहना चाहिए। तुम्हें शरम छोड़ देनी चाहिए और भले ही कितनी खराब या व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध बोलो, लेकिन हिन्दी धड़ल्लेसे बोलनी चाहिए। मेरे लौटनेतक मैं आशा करता हूँ कि तुम हिन्दीमें धाराप्रवाह बोलने लगोगे और जब भी सम्भव हो तब हिन्दीमें लिखा भी करो। तुम एक शिक्षाशास्त्री हो, और आत्मविश्वासकी तुम्हारे अन्दर यह कमी एक जबर्दस्त कमी है जिसे तुम्हें दूर कर देना चाहिए। शिक्षाशास्त्री सदैव एक विद्यार्थी है। उसके लिए कोई चीज मुश्किल

नहीं है और उसके सामने जो काम है, यदि उस कामकी दृष्टिसे कोई नई चीज सीखना उसके लिए जरूरी हो, तो उम्र कोई बाधा नहीं है। और तुमने यह महसूस कर लिया है कि यदि तुम्हें आश्रमके जरिये सेवाकार्य करना है तो हिन्दीकी ठीक जानकारी अत्यावश्यक है। तुम्हें मुझे लिखना चाहिए। यदि रतिलाल वहाँ हो तो उसे दोस्त बनानेकी कोशिश करो। किसी अच्छे शिक्षाशास्त्रीके लिए रतिलाल जैसे अर्द्ध-विक्षिप्त मनुष्योंको सँभालना और अपने नैतिक-बलसे उसके पागलपनको दूर करना आनन्दकी चीज होगी। मेरा विश्वास है कि रतिलालकी दशा ऐसी नहीं है कि निराश हुआ जाये। दयाके बर्तावका उसपर बहुत असर पड़ता है। निर्बुद्धि होनेके कारण उसका कोई मित्र नहीं है। किसीने उसमें प्रेमपूर्ण दिलचस्पी नहीं ली है। अतः वह उपेक्षित महसूस करता रहा है, और उपेक्षित होनेकी भावनाने उसको कटु, क्रुद्ध और अन्तमें पागल कर दिया है।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एस० एन० १७६१४) से।

४४२. पत्र : नारणदास गांधीको

२८ अगस्त, १९३१

चि० नारणदास,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। उनमें रतिलालके बारेमें कोई खबर नहीं है।

प्रभावतीको 'मुम्बई समाचार' भेजना।

लालजीके बारेमें तो मैंने तुम्हें लिख दिया है। लालजीको ५० रुपये तकका सामान जब मामा लिखें तब भेजना। जो २० रुपये पहले ही भेज चुके हो वह इसमें से काट लेना। मतलब यह कि ३० रुपये और खर्च करने होंगे। मामाको बारडोलीमें बनाये जानेवाले अभी तीन यरवडा चरखे भेजने हैं। बाकी नौ वे जब मँगायेंगे तब भेजेंगे।

मैं तो अब चला। तुमपर बहुत जिम्मेदारी डाले जा रहा हूँ। लेकिन तुम तो सहनशील हो। [इंग्लैंडमें मेरा] पता महादेवने तुम्हें लिख भेजा होगा। लिखते रहना। मैं जल्दीसे-जल्दी छः हफ्तोंमें और ज्यादासे-ज्यादा १२ हफ्तोंमें वापस आऊँगा, ऐसा मेरा खयाल है। अब दस बजनेवाले हैं और मुझे नींद आ रही है, इसलिए अधिक नहीं लिखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अन्य लोगोंको या तो सवेरे पत्र लिखूँगा अथवा स्टीमरपर से लिखूँगा।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४४३. भेंट : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे

फ्रंटियर डाउन मेल पर
२९ अगस्त, १९३१

महात्मा गांधीसे सबसे पहला प्रश्न . . . यह था कि उनके और वाइसरायके बीच अभी हाल ही में जो बातचीत हुई थी उससे क्या वे आश्वस्त हैं कि सरकारका 'हृदय-परिवर्तन' हो गया है। गांधीजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कहा :

मुझे सखेद कहना पड़ता है कि नहीं।

प्र० : जिन लोगोंका यह कहना है कि आपकी माँगका रूप सदा एक ही नहीं रहा है, उनको आपका क्या उत्तर है? इन लोगोंके विचारसे आपने पहले-पहल सरकार द्वारा समझौता भंग किये जानेके मामलेको लेकर एक निष्पक्ष जाँचकी माँग की, फिर आपने उसमें परिवर्तन करके उच्च न्यायालयके न्यायाधीश द्वारा यह जाँच करानेकी माँग की, बादमें आपने कहा कि आप एक-पक्षीय जाँचसे ही सन्तोष कर लेंगे और अन्तमें आप बारडोलीके अलावा अन्य किसी भी स्थानपर कोई जाँच न किये जानेकी बातसे सहमत हो गये।

उ० : लोगोंका यह सोचना उचित है कि मेरी माँगका स्वरूप हमेशा बदलता रहा है। लेकिन मुझे भी वही अधिकार दिया जाना चाहिए और मुझे यह कहनेका अवसर मिलना चाहिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरा आग्रह जाँचपर था। मैंने अनेक सुझाव दिये थे। लेकिन मेरी न्यूनतम माँग यह थी कि कमसे-कम बारडोलीके आरोपके सम्बन्धमें एक निष्पक्ष और खुली जाँच की जाये। और इस खुली जाँचकी अनुमति मिल गई है। यह जाँच भी निष्पक्ष होगी अथवा नहीं, सो मैं नहीं जानता।

हालाँकि मैंने [सरकारपर लगाये गये] सभी आरोपोंकी जाँच की जानेकी माँग की है, और उस माँगको वापस नहीं लिया है फिर भी यदि सरकार अन्य आरोपोंकी जाँच किये जानेकी अनुमति नहीं देती तब भी लन्दन जानेसे इनकार करनेका यह कोई कारण नहीं है। जाँच तो सविनय अवज्ञा आन्दोलनका विकल्प है। जैसा कि आप अखबारोंमें प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार परसे देखेंगे, आन्दोलन आरम्भ करनेका यह अधिकार विशेष रूपसे सुरक्षित रखा गया है।

मेरे विचारसे माँगकी कोई भी महत्त्वपूर्ण चीज नहीं छोड़ी गई है।

प्र० : आपने जो आरोप-पत्र प्रकाशित किया है उसमें आपने सरकार द्वारा समझौता भंग किये जानेके मामलोंकी एक 'तालिका' दी है। देशमें आपके उपस्थित रहने और आपके द्वारा संकटकी स्थितिको न आने देनेके लिए किये गये अथक

प्रयत्नोंके बावजूद ये सब बातें हुई हैं। क्या आप सरकारसे आपके लन्दन चले जानेपर दिल्ली समझौतेकी शर्तोंका पालन करनेकी आशा करते हैं?

उ० : आपने अपने प्रश्नमें जो शंका उठाई है वह निराधार नहीं है। तथापि एक विश्वासी व्यक्ति होनेके कारण मैं उस सरकारसे यह उम्मीद अवश्य रखता हूँ कि वह दिल्ली समझौतेकी शर्तोंका पालन करेगी। आप देखेंगे कि विज्ञप्तिमें[1] केन्द्रीय सरकारने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा की है कि समझौतेका अक्षरशः पालन किया जायेगा। स्वयं वाइसरायने गम्भीरतापूर्वक मुझे इसका आश्वासन दिया है, लेकिन विज्ञप्तिमें की गई घोषणा और इस आश्वासनको कहाँतक कार्यान्वित किया जायेगा, यह तो केवल भविष्य ही बतायेगा।

लेकिन किसी भी हालतमें कांग्रेस जैसी एक महान राष्ट्रीय संस्थामें किसी भी व्यक्तिकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, चाहे वह काम-काजकी दृष्टिसे कितना ही योग्य व्याक्ति क्यों न हो। एक ऐसी संस्था जिसने पिछले पचास वर्षोंसे लगातार अनेक तूफानोंको झेला है, मेरी अनुपस्थितिके बावजूद अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकती है और मैं सचमुच यह महसूस करता हूँ कि मुझे लन्दन भेजनेके बाद सरकार इसे एक प्रतिष्ठाका सवाल बना लेगी कि अब समझौतेकी शर्तोंका पालन पहलेसे भी ज्यादा अच्छी तरह किया जाये।

प्र० : यदि सरकार अपनी पुरानी नीतिपर चलती रहती है और जो अन्याय पहले किया जा चुका है उसका प्रतिकार नहीं करती तो क्या आप कांग्रेसकी संस्थाओंको सीधी कार्रवाई करनेकी सलाह देंगे?

उ० : सबसे पहले तो आप यह बात अच्छी तरह समझ लें कि कांग्रेसने अभी तक किसी भी आरोपको इसलिए वापस नहीं लिया है कि वह उनकी जाँच नहीं करवा सकेगी। बातचीत तो अब भी चलती रहेगी और मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जब किसी शिकायतके लिए कोई-न-कोई कार्रवाई करना बिल्कुल अनिवार्य हो जायेगा, तब कांग्रेस वह कार्रवाई अवश्य करेगी।

प्र० : संयुक्त प्रान्तमें किसानोंकी स्थिति क्रमशः अधिक विकट होती जा रही है। यह बताया जाता है कि किसान लोग अपनी खेतीका धन्धा छोड़कर नौकरीकी तलाशमें शहरोंमें जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। इस स्थितिको दूर करनेके लिए आप क्या उपाय बतलाते हैं और अच्छा वातावरण तैयार करनेमें कांग्रेस क्या मदद कर सकती है?

उ० : संयुक्त प्रान्तमें जो हालत निरन्तर बिगड़ती जा रही है उससे मैं परिचित हूँ और इसका मुझे दुख है। इस स्थिति पर मेरी पण्डित जवाहरलालसे गाड़ीमें बहुत लम्बी बातचीत हुई है। हम दोनोंने मिलकर कार्रवाई करनेकी एक योजना बनाई है तथा मैंने सर मैलकम हेलीको एक पत्र[2] लिखनेका साहस भी किया है। वे इस

१. देखिए परिशिष्ट ९।

२. देखिए "पत्र: सर मैल्कम हेलीको", २८-८-१९३१।

समय भारतके सबसे शक्तिशाली गवर्नरोंमें से एक हैं। और मैं जानता हूँ कि वे न्याय दिलवानेमें भी दृढ़तासे काम लेंगे। यदि वे संकटको टालनेके लिए कांग्रेसकी मददको आते हैं तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता।

प्र० : क्या आप गोलमेज सम्मेलनके परिणामोंके प्रति आशावान हैं?

उ० : यदि आजकलके हालातको देखते हुए मुझे भविष्यका अनुमान करना हो तो मैं आशावान नहीं हूँ। लेकिन जन्मसे ही आशावादी होनेके कारण मैंने अभेद्य अन्धकारमें भी आशाको कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन हमें अभी तो वर्तमानकी चिन्ता करनी चाहिए। प्रत्येक कांग्रेसजनको चाहिए कि वह अपने कर्तव्यको निभाये; मनसा, वाचा, कर्मणा, अहिंसा और सत्यका पालन करे और मैं वचन देता हूँ कि सब ठीक ही होगा।

प्र० : गोलमेज-सम्मेलनमें आपकी कमसे-कम माँग क्या होगी?

उ० : मेरी कमसे-कम माँग क्या होनी चाहिए, सौभाग्यसे यह बात कांग्रेसने मुझे दिये गये आदेशपत्रमें बता दी है। मुझमें जो विश्वास प्रकट किया गया है अपनेको उसके काबिल सिद्ध करते हुए मुझसे आशा की जाती है कि आदेश-पत्रकी शर्तोंसे मैं जरा भी पीछे न हटूँ।

प्र० : क्या आप अपने ग्यारह मुद्दोंको फिरसे बतायेंगे?[१]

उ० : मेरे ग्यारह मुद्दोंकी बात तो रानी एनीकी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन कांग्रेसके तथाकथित मूलभूत अधिकारोंके प्रस्तावमें[२] उन्हें जोरदार शब्दोंमें फिरसे व्यक्त किया गया है। इनमें से जो भी मुद्दे संविधानमें शामिल होंगे वे कांग्रेसको स्वीकार्य किसी भी संविधानका अंग होंगे।

प्र० : क्या आप किसी ऐसे संविधानको स्वीकार करेंगे जो कराचीमें पास किये गये स्वतन्त्रता प्रस्ताव अथवा जिसे आप स्वतन्त्रताका सार कहते हैं उससे कम बैठता हो।

उ० : कांग्रेस प्रस्तावकी बात तो जाने दीजिए, स्वतन्त्रताके सारसे भी कम ठहरने-वाली कोई चीज मुझे व्यक्तिगत रूपसे स्वीकार्य न होगी।

गांधीजीसे जब यह पूछा गया कि राष्ट्रीय ऋणके सम्बन्धमें उनके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा कि हमेशाकी तरह मेरा विचार तो यह है कि इसकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणकी नियुक्ति की जाये।

इसके बाद बातचीत साम्प्रदायिक समस्याको[३] सुलझानेके लिए कांग्रेसने जो फार-मूला तैयार किया था और जो मुसलमानोंके एक वर्गको स्वीकार्य नहीं था, उस

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ४४७-५१।

२. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३९२-३।

३. देखिए "साम्प्रदायिकताके प्रश्नका हल", १६-७-१९३१।

ओर मुड़ गई। गांधीजीसे यह पूछा गया कि सम्मेलनके आगे एक संयुक्त मोर्चा पेश करनेके लिए क्या वे समझौतेके लिए तैयार हो जायेंगे?

उ० : कांग्रेसके प्रस्तावमें मेरे लिए इस बातकी कोई गुँजाइश ही नहीं रखी गई है कि मैं किसी भी ऐसे समझौतेको स्वीकार कर लूँ जो सम्बन्धित दलोंको मान्य न हो। इसलिए किसी भी समझौतेके लिए सब लोगोंका सहमत होना बहुत जरूरी था।

गांधीजीने इस बातपर खेद प्रकट किया कि राष्ट्रवादी मुसलमानोंके विचारोंके आधिकारिक प्रतिनिधित्वकी अवहेलना करके यह काम मूर्खतापूर्ण ढंगसे असम्भव बना दिया गया है।

यह एक नगण्य अल्पसंख्या हो सकती है या फिर यह प्रबुद्ध मुसलमानोंके बहुत बड़े भागके विचारोंका भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। लेकिन इसके प्रभावका क्षेत्र कितना ही क्यों न हो, उसके विचारोंकी बिल्कुल अवहेलना नहीं की जा सकती; कमसे-कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जबकि मैं जानता हूँ कि राष्ट्रवादी मुस्लिम दलमें मेरे कुछ बहुत पुराने मुसलमान साथी और भारत-भरके अत्यन्त कुलीन मुसलमान शामिल हैं।

प्र० : क्या आपने लंकाशायर जाना और वहाँ बहिष्कार आन्दोलनके मर्मको बताना स्वीकार कर लिया है।

उ० : हाँ, यदि लंकाशायरवालोंकी इच्छा होगी तो मैंने जाना स्वीकार कर लिया है।

यह पूछे जानेपर कि क्या वे इंग्लैंडके अलावा किसी अन्य यूरोपीय देशमें जानेका इरादा रखते हैं, गांधीजीने कहा :

यदि मुझसे बन सके तो मैं निस्सन्देह उन सब स्थानोंपर अवश्य जाऊँगा, जहाँसे मुझे निमन्त्रण प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह तो राजनीतिक स्थितिपर निर्भर करेगा।

महात्मा गांधीने बताया कि लन्दनमें वे कुमारी म्यूरियल लेस्टरके मेहमान होंगे जो उनके ही समान गरीबोंका प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्र० : यदि गोलमेज सम्मेलनमें राष्ट्रीय माँगको स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या आपका इरादा राजनीतिक जीवन जारी रखनेका है? गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा :

यदि गोलमेज सम्मेलनमें राष्ट्रीय माँग स्वीकार कर ली जाती है तब तो मैं सही अर्थोंमें राजनीतिमें प्रवेश करूँगा।

गांधीजीसे अनुरोध किया गया कि वे 'क्रॉनिकल' के माध्यमसे देशको एक 'विशेष' सन्देश दें। इसपर गांधीजीने कहा :

मैं 'क्रॉनिकल' का ही आदमी हूँ और चूँकि मैं अपने-आपको 'क्रॉनिकल' का ही आदमी समझता हूँ, इसलिए 'क्रॉनिकल' के लिए मेरा कोई विशेष सन्देश हो ही नहीं सकता।

इससे ज्यादा कुछ और कहनेके लिए गांधीजीको राजी नहीं किया जा सका और प्रश्नोंकी वर्षाके उत्तरमें उन्होंने कहा :

आपने अपने १७ मुद्दोंके द्वारा मुझसे सब-कुछ उगलवा लिया है। अब आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए और यहाँसे भाग खड़े होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३१-८-१९३१

४४४. पत्र : वाइसरायको

बम्बई
२९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्र,

शिमलामें हमारी बातचीतके अन्तमें मैंने गोलमेज सम्मेलनमें डॉ० अन्सारीके प्रतिनिधित्वका सवाल उठाया था और मैं फेडरेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्सके प्रतिनिधिका सवाल भी उठाना चाहता था। जहाँतक डॉ० अन्सारीका सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड इर्विनका विश्वास है कि मुझे ऐसा लगना चाहिए था कि उनका प्रतिनिधि होना एक निश्चित बात होगी। जहाँतक फेडरेटेड चैम्बर्सकी ओरसे प्रतिनिधित्व का सवाल है, मेरे पास लॉर्ड इर्विनके निजी सचिव और फेडरेशनके अध्यक्षके बीच हुआ पत्र-व्यवहार है। इस पत्र-व्यवहारसे यह स्पष्ट है कि उसके तीन प्रतिनिधि होने थे, और पत्र-व्यवहारका अन्त फेडरेशन द्वारा अन्तमें तीन नामोंका सुझाव देनेके साथ हुआ। ये थे सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सेठ जमाल मुहम्मद, और सेठ घनश्यामदास बिड़ला। इनमें से केवल सर पुरुषोत्तमदासको ही निमन्त्रण प्राप्त हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं, जबतक अन्य दो व्यक्तियोंको भी निमन्त्रित नहीं किया जाता तबतक फेडरेशन अकेले उन्हें भेजनेकी बात नहीं सोचेगा। मेरे विचारसे यहाँ एक भूतपूर्व वाइसराय द्वारा दिये गये वचनका सवाल है और मेरी रायमें उसका आदर किया ही जाना चाहिए। लेकिन जिस मुद्देपर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह नहीं है। मैं जिस मुद्देपर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि जिन हितोंका ये तीन सज्जन प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन हितोंका डॉ० अन्सारी प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उन हितोंका गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मेरी उपयोगिता बहुत घट जायेगी। फेडरेशन कुछ हदतक कांग्रेसके साथ मिलकर काम कर रहा है और इसी प्रकार राष्ट्रवादी मुस्लिम पार्टी भी, जिसके कि डॉ० अन्सारी प्रधान हैं, कांग्रेससे मिल कर काम कर रही है। यदि हिन्दू-मुस्लिम सवालके सम्बन्धमें या भारतीय वाणिज्यके सम्बन्धमें कोई समझौता-वार्ता हुई तो मैं इन सज्जनोंकी सहायता और सहयोगके बिना बिल्कुल लाचार होऊँगा, और जिस उद्देश्यसे मुझे लन्दन भेजा जा रहा है उस उद्देश्यके ही विफल हो जानेका खतरा है। अतः यदि आपको अधि-

कार हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि जिस दृष्टिका मैंने जिक्र किया है उस दृष्टिसे इन लोगोंको नामजद करनेकी वांछनीयता पर आप विचार करें। यदि आपको ऐसा अधिकार न हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस पत्रका आशय तार द्वारा प्रधानमन्त्रीको सूचित कर दें और मेरी दृष्टिमें जो एक बहुत बड़ी भूल हो गई है उसे तनिक भी सम्भव हो तो ठीक करा दें। मैं यह भी जोड़ दूँ कि पण्डित मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी इस पत्रमें कही गई बातोंसे सहमत हैं।

हिज़ एक्सेलेंसी लॉर्ड विलिंग्डन
शिमला

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६०१) से।

४४५. पत्र : नेशनल क्रिश्चियन पार्टीको

मणि भवन
गामदेवी, बम्बई
२९ अगस्त, १९३१

प्रिय मित्रो,

आपने जो अभिनन्दन-पत्र दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं निश्चय ही उसे सावधानी-पूर्वक पढ़ूँगा, लेकिन यह आश्वासन मैं आपको पहले ही दे सकता हूँ कि कांग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मुझे ईसाई समाजके हित उतने ही प्रिय होंगे जितने कि अन्य जातियोंके। मैं आशा करता हूँ कि सभी ईसाई मित्र — स्त्रियाँ और पुरुष — कांग्रेसके कार्यक्रमको व्यक्तिशः पूरा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष, दोनों आसानीसे कर सकते हैं। उदाहरणके लिए, प्रतिदिन गरीबोंके नामपर सूत कातिए, सब प्रकारके कपड़े छोड़कर केवल खादीको अपनाइए, और जिन लोगोंको शराबकी लत है वे शराब न पियें।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १-९-१९३१

४४६. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभामें

२९ अगस्त, १९३१

मूसलाधार वर्षामें भी उत्साहपूर्वक डटे हुए एक विशाल जनसमूहके सामने श्री गांधीने एक खानगी मकानके छज्जेपर खड़े होकर पन्द्रह मिनट तक भाषण किया।

श्री गांधीने कहा कि मैंने सरकारके साथ एक दूसरे समझौतेपर दस्तखत किये हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं। आपमें से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस आदमीने जाकर यह फिरसे क्या कर दिया। लेकिन मैं इस बातसे अवगत हूँ कि गोलमेज सम्मेलनके लिए अपना एकमात्र प्रतिनिधि चुन कर राष्ट्रने मुझमें जबर्दस्त विश्वास व्यक्त किया है। आपका विश्वास न प्राप्त होता तो साधारण परिस्थितियोंमें मैं लन्दन जानेसे इनकार कर देता, लेकिन आपका विश्वास मुझे बल देगा। मैं अपनी कमियों और कमजोरियोंको भली-भाँति जानता हूँ, लेकिन सत्य और अहिंसा ही मेरा मार्ग-दर्शन करनेवाले सिद्धान्त होंगे और मैं आशा करता हूँ कि लन्दनमें मेरे कार्यमें ये सिद्धान्त अपनी पूर्णतामें प्रकट होंगे।

मैं तो अपंग हूँ, लेकिन यह स्वाभाविक ही है कि एक अपंग राष्ट्रका प्रतिनिधि एक अपंग ही हो, क्योंकि करोड़ों लोगोंकी कठिनाइयों और दुखोंको वही समझ सकता है।

श्री गांधीने श्रोताओंको यह विश्वास दिलाया कि मैं कांग्रेस द्वारा दिये गये आदेशका पालन करूँगा। मैं किसीको धोखा नहीं दूँगा, न अंग्रेजोंको और न अन्य किसीको, और भारतके करोड़ों लोगोंको धोखा देनेका तो सवाल ही नहीं उठता।

यदि मैं आपको धोखा दूँ तो मुझे मार डालना भी हिंसा नहीं होगी। मेरी अंग्रेजोंसे या मुसलमानोंसे या किसीसे भी कोई शत्रुता नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २९-८-१९३१

४४७. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेसको[1]

एस० एस० "राजपूताना"
२९ अगस्त, १९३१

हालाँकि मुझे क्षितिजपर आशाकी कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती, तथापि मैं चूँकि जन्मजात आशावादी हूँ इसलिए आशाका कोई कारण न होनेपर भी मैं आशा रखता हूँ। ईश्वरमें मेरा विश्वास है और प्रतीत होता है कि उसने मेरा रास्ता साफ कर दिया है ताकि मैं लन्दन जा सकूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मानवताकी सेवाके लिए वह अपने साधनके रूपमें मेरा प्रयोग करेगा। मेरे लिए भारतकी सेवा मानवताकी सेवा ही है।

भारतमें लोगोंके कुछ वर्ग कांग्रेसको भले ही स्वीकार न करें, लेकिन कांग्रेसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारतका प्रतिनिधित्व करनेका है। और इसलिए मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया गया है और मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसके योग्य सिद्ध होनेके लिए मैं ऐसे प्रत्येक हितका प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिश करूँगा जिनका उन करोड़ों मूक लोगोंके हितोंसे कोई संघर्ष नहीं है जिनकी खातिर ही कांग्रेस मुख्यतः कायम है।

मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेसने अपने सामने जो उद्देश्य रखा है, उसे प्राप्त करनेमें प्रान्तीय सरकारें, अधिकारी वर्ग और ब्रिटिश व्यापारिक संस्थाएँ कांग्रेसकी मदद करेंगी। कांग्रेस अहिंसा और सत्यके सन्देशका प्रतिनिधित्व करती है, और राष्ट्रके सभी वर्गोंकी सद्भावनासे ही सफलता प्राप्त कर सकती है, और इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि अपने सौंपे हुए कामको पूरा करनेके लिए जानेवाले इस विनम्र प्रतिनिधिको सब अपनी सद्भावना प्रदान करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३०-८-१९३१

१. जहाज द्वारा इंग्लैंडके लिए रवाना होनेसे ठीक पहले गांधीजीने यह वक्तव्य दिया था।

४४८. वक्तव्य : बारडोली जाँचपर[1]

[२९ अगस्त, १९३१ के पश्चात्]

बारडोली और बोरसदमें राजस्वकी वसूलीके सम्बन्धमें इस बातपर पहलेसे ही स्पष्ट समझौता था कि सविनय-अवज्ञासे जो खातेदार प्रभावित हुए हैं वे उतना ही लगान चुकायेंगे जितना वे बिना कर्ज लिये चुका सकें। यह बात खेड़ाके कलेक्टर श्री पेरी और उनके उत्तराधिकारी श्री भद्रपुर तथा सूरतके कलेक्टर श्री कोठावालाके बीच बातचीतमें बार-बार स्पष्ट की गई थी। उनके साथ हुए पत्र-व्यवहारसे इस कथनकी पुष्टि होती है। जहाँतक जाँच-अधिकारीके विचारार्थ विषयोंका सम्बन्ध है, मैंने यह स्पष्ट रूपसे समझ लिया है कि उसमें उल्लिखित मापदण्डका अर्थ बिना कर्ज लिये लगान चुकानेकी सामर्थ्य है।

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, फाइल नं० ३३/३९–पोल, १९३१; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

४४९. पत्र : जंगबहादुर सिंहको

अदन पहुँचते हुए
मौनवार [३१ अगस्त, १९३१][2]

भाई जंगबहादुर सिंह,

आपका पत्र मिला है। कृष्णकुमारीकी बहनको यू० पी० के हि क्षत्रीको देनेकी कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहिं होती है। उसे यू० पी० के बाहर क्यों न दी जाय? क्षत्रीमें हि क्यों? कालाकांकर इसमें क्या कर सकते हैं? मेरा यह भी अभिप्राय है कि १४ वर्षकी लड़की विवाहके योग्य नहिं है। मैं थोड़े हि अरसे में वापिस आउंगा। तब मुझे लिखिये। कृष्णकुमारी आजकल तो खुश रहती हैं।

आपका,
मोहनदास

मूलकी फोटो-नकल (जी० एन० १३३८) से।

१. गांधीजीने २९ अगस्त, १९३१ को इंग्लैंडके लिए रवाना होनेके बाद बारडोली जाँचपर "समझौतेके आधारसे सम्बन्धित" यह वक्तव्य भेजा था।

२. गांधीजी अदन ३ सितम्बरको सुबह पहुँचे थे; उससे पहले मौनवार ३१ अगस्तका था।

४५०. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

एस० एस० "राजपूताना" स्टीमरपर
मौन दिवस [३१ अगस्त, १९३१][1]

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। लक्ष्मीके बारेमें मैंने तुम्हें जोशीके हाथ सन्देश भेजा है। मारुति यदि तैयार हो तो वे कभी भी विवाह कर सकते हैं। मारुतिपर इसके लिए दबाव नहीं डालना।

कृष्णकुमारीको खुजली थी, वह ठीक हो गई होगी।

नारणदासके साथ पूर्ण रूपसे एक दिल क्यों नहीं हो सकतीं? उसको लेकर पहले तो तुम्हें बहुत मोह था। क्या अब उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता।

चाहे जो हो, आश्रम तुम्हारा है और सुख शान्ति भी यदि मिलेगी तो तुम्हें वहींसे प्राप्त करनी है। यदि तुम ऐसा निश्चय कर लोगी तो तुम्हें सब कुछ वहींसे मिलेगा।

तथापि तुम अपने मनका सारा गुबार मेरे आगे निकालती ही रहना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने। सी० डब्ल्यू० ८७८७ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

४५१. सन्देश : भारतीय जनताको

एस० एस० "राजपूताना"
२ सितम्बर, १९३१

भारतीय तटको छोड़कर दूर जाते हुए अब मैं भारतीय जनतासे अपील करना चाहूँगा कि वह मेरी अनुपस्थितिमें पूर्णतः अहिंसक वातावरण कायम रखे और कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमका पालन करे — यानी शराब, नशीली वस्तुओं, विदेशी कपड़ों और अस्पृश्यता रूपी चार अभिशापोंको समाप्त करे। लोग हाथ-कताईके ग्रामोद्योगको पुनरुज्जीवित करें और सभी वर्गोंके बीच एकता स्थापित करें, जोकि भारतकी आजादीके लिए अपरिहार्य है। मैं सरकारी अधिकारियों सहित सभी अंग्रेजोंसे भी अपील

१. देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी।

करना चाहूँगा कि यदि वे सचमुच ऐसा मानते हैं कि सत्ता उनके हाथोंसे निकलकर भारतके हाथमें आनी चाहिए, तो वे कांग्रेस और कांग्रेसजनोंके ऊपर विश्वास करें।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स, ३-९-१९३१

४५२. पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको

एस० एस० "राजपूताना" पर
२ सितम्बर, १९३१

भाईश्री वालजी,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं अपरिग्रह-सम्बन्धी लेखके अनुवादकी जाँच करके उसे इस डाकसे भेज सकूँगा। सरदार वल्लभभाई तुमसे फिरसे मिलनेका विचार कर रहे थे। यदि उन्होंने तुम्हें रोका नहीं है तो मेरा खयाल है तुम अल्मोड़ा पहुँच गये होगे। मेरे विलायत जानेकी वजहसे हमारी व्यवस्थामें कोई फेरबदल करनेकी जरूरत नहीं थी, इसीसे तुमपर 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' का बोझ नहीं डाला गया। तुम्हारा स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाये, यह बहुत जरूरी है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मैंने इसे दोबारा नहीं पढ़ा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४१६) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

४५३. पत्र : नारणदास गांधीको

एस० एस० "राजपूताना"
बुधवार, २ सितम्बर, १९३१

चि० नारणदास,

अब रातके साढ़े आठ बजा चाहते हैं। तुम्हारी घड़ीके अनुसार ग्यारह। सूरज-भान कहाँ गया है? क्या वह यशोदादेवीको छोड़ गया है? वह कैसी है? कुरेशीको लिखा मेरा पत्र पढ़ जाना। उसके बारेमें इमाम साहबके विचार जानना। कुरेशीको भेजनेकी उतावली नहीं है। रतिलालकी खबर तो तुम देते ही रहोगे। मैं तीन महीनेके अन्दर वापस आ ही जाऊँगा, लेकिन यदि डेढ़ महीनेमें ही लौट आता हूँ तो उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं होगी। मीराबहन शनिवारके बाद आज ही उठ पाई है।

इस पत्रको लिखते-लिखते झपकी लग गई, सो मैं तनिक सो गया। अब पौने दस बजे हैं इसलिए पत्र और लम्बा न लिखकर यहीं समाप्त करता हूँ। जिन्हें अभी पत्र लिखने हैं उन्हें फिर कभी।

प्रेमाबहनसे कहना कि वह पत्र नहीं लिखती, इससे मन दुःखी होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने। सी० डब्ल्यू० ८१९३ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

४५४. पत्र : वसुमती पण्डितको

एस० एस० "राजपूताना" पर
२ सितम्बर, १९३१

चि० वसुमती,

मैं तुम्हारा पत्र स्टीमरपर ही पढ़ पाया हूँ। यदि तुम्हारी तबीयत अच्छी रहती है तो अब थोड़ा समय तुम वहाँ निश्चिन्त होकर रहो। अब तुम्हें ज्यादा सुविधाजनक जगह मिल गई होगी। जितना तुम्हारा शरीर बरदाश्त कर सके उतना तुम पहाड़पर घूमो और प्राकृतिक दृश्योंकी छटा देखो। इन दृश्योंको देखते हुए और इनका चिन्तन करते हुए इनके द्वारा ईश्वरको जानना कोई ऐसी-वैसी शिक्षा नहीं है। शरीर जितना स्वीकार करे उससे अधिक परिश्रम तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारे पत्रमें प्रेमवतीकी जरा भी खबर नहीं है। हम ज्यादासे-ज्यादा तीन महीनेमें और कमसे-कम डेढ़ महीनेमें वापस लौटेंगे।

बापूके आशीर्वाद

इसे दोबारा नहीं पढ़ा है।[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३३०) से।

१. यह वाक्य गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

४५५. वक्तव्य : रायटरको[१]

अदन
३ सितम्बर, १९३१

मैं एक ऐसे संविधानके लिए प्रयत्न करूँगा जो भारतको हर प्रकारकी दासता और संरक्षणसे मुक्त करेगा और यदि आवश्यकता हुई तो उसे पाप करनेका अधिकार भी देगा। मैं एक ऐसे भारतके लिए कार्य करूँगा जिसमें अत्यन्त दरिद्र लोग भी यह महसूस करेंगे कि उसके निर्माणमें उनकी आवाजका भी वजन है; एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च अथवा नीच वर्ग न होगा; एक ऐसा भारत जिसमें सब जातियोंके लोग पूर्ण सामंजस्य और मैत्री भावसे रहेंगे।

ऐसे भारतमें अस्पृश्यता अथवा मादक द्रव्यों और इनका सेवन करनेवालोंके लिए कोई स्थान न होगा। महिलाओंको भी पुरुषोंके समान अधिकार प्राप्त होंगे। और चूँकि हम समस्त संसारके साथ शान्तिपूर्वक रहेंगे, न तो किसीका शोषण करेंगे और न शोषित रहेंगे, इसलिए हमारे पास सबसे छोटी सेना होगी।

देशी हों अथवा विदेशी, ऐसे समस्त हितोंका पूरी तरह सम्मान किया जायेगा जो करोड़ों मूक लोगोंके हितोंके आड़े न आते हों। व्यक्तिगत रूपसे मुझे देशी और विदेशीमें भेद किये जानेकी बात अच्छी नहीं लगती।

यह है मेरे सपनोंका भारत, जिसके लिए मैं आगामी गोलमेज सम्मेलनमें संघर्ष करूँगा। मैं अपने इस संघर्षमें असफल भी हो सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे कांग्रेसका विश्वास प्राप्त करना है तो मुझे इससे कमसे सन्तोष नहीं होगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ५-९-१९३१

४५६. भाषण : अदनके स्वागत समारोहमें[२]

अदन
३ सितम्बर, १९३१

आपने जो मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियोंका नहीं है, वरन्

१. रायटरके सम्वाददाताने गांधीजीसे पूछा था कि इंग्लैंडमें उनका कार्यक्रम क्या होगा।

२. गांधीजीका जहाज सुबह ४ बजकर ५० मिनटपर अदन पहुँचा था और उसके तुरन्त बाद ही स्वागत-समारोह किया गया था। इस अवसरपर गांधीजीको ३२८ गिन्नियोंकी एक थैली भेंट की गई थी। यहाँ पर प्रस्तुत भाषणको देनेसे पहले गांधीजी गुजरातीमें बोले थे। उस भाषणका पाठ तो उपलब्ध नहीं है। यह भाषण महादेव देसाईकी रिपोर्टमें से लिया गया है।

उस कांग्रेसका है जिसका गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधित्व कर सकनेकी मुझे आशा है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके इस कार्यक्रममें राष्ट्रीय झण्डेके कारण कुछ बाधा थी। अब मेरे लिए तो भारतीयोंकी किसी ऐसी सभाकी कल्पना करना ही असम्भव है जिसमें राष्ट्रीय झण्डा न फहरता हो, विशेष रूपसे तब जब उसमें राष्ट्रीय नेताओंको आमन्त्रित किया गया हो। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झण्डेके सम्मानकी रक्षा करनेमें अनेक लोगोंने लाठियोंके प्रहार सहे हैं और कुछेकने अपने प्राणतक दे दिये हैं, इसलिए आप भारतीय राष्ट्रीय झण्डेका सम्मान किये बिना किसी हिन्दुस्तानी नेताका सम्मान नहीं कर सकते। और फिर, सरकार और कांग्रेसके बीच एक समझौता हो चुका है, और कांग्रेस इस समय सरकारका विरोध करनेवाली पार्टी नहीं बल्कि उसकी मित्र है। इसलिए कांग्रेसका झण्डा लगानेकी अनुमति दे देना या उसे सहन कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जहाँ कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको आमन्त्रित किया जाये, वहाँ उसे सम्माननीय स्थान मिलना चाहिए।

कांग्रेसकी ओरसे मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेसका उद्देश्य केवल एकाकी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना ही नहीं है, जो कि आसानीसे संसारके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन सत्य और अहिंसाके अपने सिद्धान्तके कारण कांग्रेस संसारके लिए खतरा नहीं बन सकती। मेरा यह विश्वास है कि भारत, जिसमें मानवजातिका पाँचवा भाग समाहित है, सत्य और अहिंसाके साधनसे स्वतन्त्र होनेपर, समस्त मनुष्य जातिकी सेवा करनेवाली एक जबर्दस्त ताकत बन सकता है। इसके विपरीत, भारतको चूँकि आज अपने शासनमें ही कुछ बोलनेका अधिकार नहीं है, इसलिए आज वह संसारके लिए खतरा है। भारतकी असहायताको देखकर उन अन्य देशोंके अन्दर ईर्ष्या और लोभकी भावना उत्पन्न होती है जिन्हें इसका शोषण करके जीवित रहना है। लेकिन जब भारत अपना शोषण करानेसे इनकार कर देगा और अपने हितकी रक्षाकी सामर्थ्य उसमें आ जायेगी, और जब वह अहिंसा और सत्यके द्वारा अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा, तब वह शान्तिका समर्थन करनेवाली एक शक्ति होगा और हमारे इस पीड़ित भूमण्डलपर शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करनेमें समर्थ होगा।

इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इस समारोहके आयोजनमें अरब और अन्य लोगोंने हिन्दुस्तानियोंका साथ दिया। शान्तिके सब उपासकोंको शान्तिको चिरस्थायी बनानेके काममें सहयोग देना ही चाहिए। मुहम्मद और इस्लामकी जन्मभूमि यह महान् प्रायद्वीप हिन्दू-मुस्लिम समस्याको हल करनेमें मदद कर सकता है। मेरे लिए यह स्वीकार करना लज्जाकी बात है कि अपने घरमें हम एक दूसरेके विरुद्ध हैं। कायरता और भयके फलस्वरूप हम एक दूसरेका गला काटनेको दौड़ते हैं। हिन्दू लोग कायरता और भयके कारण मुसलमानोंपर अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी वैसी ही कायरता और कल्पित भयसे हिन्दुओंपर अविश्वास करते हैं। शुरूसे आखिर तक अपने इतिहासमें इस्लाम अतुलनीय शौर्य और शान्तिका प्रतीक रहा है, इसलिए मुसलमानोंके लिए तो यह कोई गौरवकी बात नहीं है कि वे हिन्दुओंसे

भयभीत हों। इसी तरह हिन्दुओंके लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानोंसे, चाहे उन्हें संसार भरके मुसलमानोंकी मदद क्यों न मिली हो, भयभीत हों। क्या हम इतने पतित हैं कि हम अपनी परछाईं तकसे डरें? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पठान लोग हमारे साथ शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। पिछले आन्दोलनमें वे हमारे साथ कन्धेसे-कन्धा भिड़ा कर खड़े रहे और स्वतन्त्रताकी बलि-वेदीपर अपने नौजवानोंका बलिदान किया। मैं आपसे, जो कि पैगम्बरकी जन्मभूमिके निवासी हैं, यह चाहता हूँ कि भारतके हिन्दु-मुसलमानोंमें शान्ति कायम रखनेमें आप अपना योगदान करें। मैं यह नहीं बता सकता कि आप यह किस तरह करें, लेकिन इतना याद दिला देता हूँ कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल आती है। मैं अरबके लोगोंसे चाहता हूँ कि वे हमारे बचावके लिए और हमारी मददके लिए आगे बढ़ें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें, जिसमें कि मुसलमान लोग हिन्दुओंकी और हिन्दू लोग मुसलमानोंकी सहायता करना अपने लिए इज्जतकी बात समझें।

बाकीके लिए मैं आपको अपने घरोंमें चरखा कातने और कपड़ा बुननेका सन्देश भी देना चाहता हूँ। कई खलीफाओंका जीवन सादगीका नमूना था और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा स्वयं बना लें तो इसमें इस्लामका कोई अपमान नहीं होगा। इसके अलावा शराबखोरीका भी सवाल है, जोकि आपके लिए दुहरा पाप होना चाहिए। यहाँपर शराबकी एक बूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समझता हूँ कि अरब लोगोंको उन्हें अदनमें शराब बन्द करनेके लिए समझा-बुझाकर राजी करना पड़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि एक-दूसरेके साथ हमारे सम्बन्ध अब और मजबूत और घनिष्ठ होंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-९-१९३१

४५७. तार : एलीन्यूजपा होल्ड, लन्दनके सम्पादकको

[३ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

बेतारके सन्देशके लिए धन्यवाद। अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है लेकिन यदि समय मिला और एन्ड्रयूज जैसे मित्रोंकी अनुमति हुई तो मैं सहर्ष ब्रिस्टल-समेत प्रान्तीय नगरोंका दौरा करूँगा। कृपया एन्ड्रयूजके साथ सम्पर्क स्थापित करें।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६३८) से।

१. यह ३ सितम्बरको गांधीजीको मिले रेडियो सन्देशके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वे ब्रिस्टलमें एक सभामें भाषण दे सकेंगे।

४५८. भेंट : रायटरके प्रतिनिधिसे

एस० एस० "राजपूताना"
४ सितम्बर, १९३१

मैं पहलेसे ही कुछ तैयारी नहीं करूँगा। लन्दनमें जब श्री मैक्डोनल्ड और गोलमेज सम्मेलनके अन्य प्रतिनिधियोंसे मेरा सामना होगा और मैं उनसे बातचीत करूँगा तो सब चीजें सहज ही मेरे दिमागमें आती चली जायेंगी।

महात्मा गांधीने यह आशा व्यक्त की कि यदि सम्मेलन बुनियादी बातोंको लेकर आरम्भमें ही भंग नहीं हो जाता, तो उसका अधिवेशन पहली नवम्बर तक चलेगा। महात्मा गांधीने बताया कि लन्दन पहुँचने पर उनका पहला कर्त्तव्य अनौपचारिक रूपसे श्री मैकडोनल्ड, श्री बाल्डविन, लॉर्ड सैंके, वाइकाउन्ट पील, लॉर्ड रीडिंग और अन्य लोगोंसे बातचीत करना तथा उनके आगे कांग्रेसकी माँगोंको स्पष्ट रूपसे रखना होगा।

जब रायटरके सम्वाददाता . . . ने उनसे पूछा कि क्या नृत्यसे उनको कोई परेशानी तो नहीं होती, तो महात्मा गांधीने मुस्कराते हुए कहा :

मैं नृत्य-कलाकी देवीकी ओर ध्यान नहीं देता। मैं तो निद्रा-देवीकी गोदमें चला जाता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ६-९-१९३१

४५९. अपील : बम्बईके नागरिकोंसे

एस० एस० "राजपूताना"
[५ सितम्बर, १९३१ से पूर्व]

मैं बम्बईकी उदारमना जनतासे अपील करता हूँ कि वह बाढ़ग्रस्त बंगालकी सहायता करे। चन्दा डॉक्टर पी० सी० राय, कालेज ऑफ साइन्स, कलकत्ताके पते पर भेजा जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-९-१९३१

४६०. तार: सुभाषचन्द्र बोसको

५ सितम्बर, १९३१

सुभाष बोस
कलकत्ता

मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर रायने मार्मिक शब्दोंमें मुझसे अपील की थी।[1]

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६४७)से।

४६१. तार: रोमाँ रोलाँको

५ सितम्बर, १९३१

स्पेशल मध्यरात्रिके बाद दिजाँ पहुँचती है। क्या आप मारसाई नहीं आ सकते जहाँ हम तड़के पहुँच जायेंगे, सात घंटे रुकेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी तबीयत अच्छी होगी और आप यह यात्रा कर सकेंगे।[2] लेकिन मैं किसी भी हालतमें आपसे मिले बिना यूरोपसे नहीं जाऊँगा। इसलिए चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्यको खतरेमें न डालें। लेकिन यदि सम्भव हो सका तो मारसाईमें आपकी बहनसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।[3]

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६४७) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक; तथा "पत्र: विधानचन्द्र रायको", १८-८-१९३१ भी।
२. अस्वस्थ होनेकी वजहसे रोमाँ रोलाँ मारसाईमें गांधीजीसे नहीं मिल सके थे।
३. मैडेलीन रोलाँ अपने भाईकी ओरसे सन्देश लेकर गांधीजीसे मिली थीं।

४६२. पत्र : गंगाबहन और नानीबहन झवेरीको

५ सितम्बर, १९३१

चि० गंगाबहन और नानीबहन,

तुम दोनोंके पत्र मिले। मैं तुम दोनोंमें से किसीसे भी न मिल सका। लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कौन-सा लम्बे समयके लिए बाहर रहना है? कदाचित दो सप्ताह ही विलायतमें रहूँ अथवा ज्यादा-से-ज्यादा दो महीने रहूँगा। इतना समय तो तुरन्त ही बीत जायेगा।

तुम्हारे कामके सम्बन्धमें तुम्हें जो अच्छा लगे सो काका साहबसे मिलकर तय करना। यदि प्यारेलाल पेशावर गये हों और खुर्शेदबहन तुम्हें बुलायें तो तुम्हारा वहाँ जाना मुझे अच्छा लगेगा।

नानीबहनकी तबीयत सुधरती जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है। जबतक यह पत्र मिले तबतक तो उसे बिल्कुल अच्छा हो जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११८) से।

४६३. भाषण : प्रार्थना सभामें[1]

एस० एस० "राजपूताना"
[५ सितम्बर, १९३१][2]

प्रार्थना मेरे जीवनकी रक्षिका रही है। इसके बिना तो मैं बहुत पहले ही पागल हो गया होता। मेरी 'आत्मकथा' से आपको मालूम होगा कि अपने जीवनमें मुझे सार्वजनिक और निजी सब तरहके कटु-से-कटु पर्याप्त अनुभव हुए हैं। उन्होंने

१. यह रिपोर्ट महादेव देसाईके विवरणमें से ली गई है जिसकी भूमिकामें वे लिखते हैं: "प्रातःकालीन प्रार्थना इतनी जल्दी होती है कि ये मित्र इसकी ओर आकर्षित नहीं होते लेकिन फिर भी सभी भारतीय (जिनकी संख्या ४० से अधिक है) — हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख — और कुछेक यूरोपीय संध्याकी प्रार्थनामें शामिल होते हैं। इनमें से कुछ मित्रोंके अनुरोधपर प्रार्थनासे पूर्व और रातके खानेके बाद १५ मिनटकी बातचीत दैनिक चर्याका अंग बन गई है। हर शाम एक प्रश्न पूछा जाता है और गांधीजी दूसरी शामको इसका उत्तर देते हैं। एक भारतीय यात्री — एक मुसलमान नवयुवक — ने गांधीजीसे प्रार्थनाके सम्बन्धमें अपनी व्यक्तिगत मान्यता बतानेके लिए कहा, सैद्धान्तिक विवेचन नहीं बल्कि प्रार्थनाके फलस्वरूप उन्हें जो अनुभव हुआ है उसे सुनानेके लिए कहा।"

२. घनश्यामदास बिड़लाकी **डायरीके पन्ने** के आधारपर।

मुझे कुछ समयके लिए तो निराशामें डाल दिया था; लेकिन अन्तमें यदि मैं उससे अपने आपको बचा सका, तो इसका कारण प्रार्थना थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस अर्थमें सत्य मेरे जीवनका एक अंग रहा है, उस तरह प्रार्थना नहीं रही है। इसका आरम्भ सर्वथा आवश्यकताके फलस्वरूप हुआ, क्योंकि जब कभी मैं इसके बिना सुखी न रह सका तभी मैंने अपने आपको कठिनाईमें पाया। और जितना अधिक मेरा विश्वास ईश्वरमें बढ़ता गया उतनी ही अधिक प्रार्थनाके प्रति मेरी लगन बढ़ने लगी। इसके बिना जीवन खाली-खाली और नीरस मालूम होने लगा। दक्षिण आफ्रिकामें मैं ईसाइयोंकी प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ था। लेकिन वह मुझे आकर्षित करनेमें असफल हुई। मैं प्रार्थनामें उनका साथ न दे सका। उन्होंने ईश्वरकी प्रार्थना की, किन्तु मैं ऐसा न कर सका, मैं बुरी तरह असफल हुआ। मैंने ईश्वर और प्रार्थनामें अविश्वास करना शुरू कर दिया और जीवनमें काफी उम्रतक मैंने जीवनमें कोई कमी महसूस नहीं की। लेकिन उस अवस्थामें मैंने अनुभव किया कि जिस तरह शरीरके लिए भोजन अनिवार्य है, उसी तरह आत्माके लिए प्रार्थना अनिवार्य है। सच तो यह है कि भोजन शरीरके लिए इतना आवश्यक नहीं है, जितनी प्रार्थना आत्माके लिए। क्योंकि शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए उपवासकी अक्सर आवश्यकता पड़ जाती है, किन्तु प्रार्थनारूपी भोजन तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। सम्भवतः आप प्रार्थनाका अतिरेक नहीं पा सकते। संसारके सबसे महान् शिक्षकोंमें से तीन महान् शिक्षक बुद्ध, ईसा और मुहम्मद अपना यह अकाट्य अनुभव छोड़ गये हैं कि उन्हें प्रार्थनाके द्वारा प्रकाश मिला और उसके बिना जीवित रह सकना सम्भव नहीं। लेकिन पासका ही उदाहरण लीजिए। करोड़ों हिन्दू, मुसलमान और ईसाई अपने जीवनकी एकमात्र शान्ति प्रार्थनामें पाते हैं। या तो आप उन्हें झूठा कहेंगे या आत्म-प्रवंचक। तब मैं कहूँगा कि यदि इस 'झूठ' ने मुझे जीवनका वह मुख्य आधार अथवा तत्त्व दिया है, जिसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, तो मुझ सत्यान्वेषीको यह झूठ ही मोहक लगता है। राजनैतिक क्षितिजपर निराशाके बादल छाये देखकर भी मैंने कभी अपनी शान्ति नहीं खोई। वस्तुतः मुझे ऐसे आदमी मिले हैं, जो मेरी शान्तिसे ईर्ष्या करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे यह शान्ति प्रार्थनासे ही मिलती है। मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ; किन्तु नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं प्रार्थनामें विश्वास रखनेवाला प्राणी हूँ। प्रार्थनाके स्वरूपसे मुझे सरोकार नहीं है। इस सम्बन्धमें अपने लिए नियम निश्चित करनेको प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। किन्तु कुछ सुस्पष्ट मार्ग हैं, और प्राचीन शिक्षकों द्वारा अपनाये गये मार्गका अनुसरण करना सुरक्षित है। मैं अपना व्यावहारिक अनुभव बता चुका हूँ। प्रत्येकको यह प्रयत्न करना और यह अनुभव करना चाहिए कि दैनिक प्रार्थनाके रूपमें वह अपने जीवनमें एक किसी ऐसी नई चीजकी वृद्धि कर रहा है, जिससे अन्य किसी भी चीजकी तुलना नहीं की जा सकती।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-९-१९३१

४६४. तार : ए० फेनर ब्रॉकवेको[1]

[५ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

ब्रॉकवे
३३ बुशवुड रोड
क्यू गार्डेन्स

धन्यवाद। मैं सामाजिक समारोहोंमें शरीक नहीं होता लेकिन आप एन्ड्रयूजसे परामर्श करें।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६५२) से।

४६५. तार : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[५ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][3]

एन्ड्रयूज

मैं विशेष जलपोत द्वारा आ रहा हूँ। जो उचित लगे सो करो।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६५३) से।

४६६. पत्र : नारणदास गांधीको

६ सितम्बर, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हें अदनसे पत्र[4] लिखा था। अब यह पत्र स्वेजमें डाकमें डाला जायेगा।

मीराबहन आदि तुम्हें पत्र लिखते रहते हैं, इसलिए तुम्हें पूरे समाचार तो मालूम होते ही रहते हैं। आश्रममें सबसे कहना कि मुझे सबको पत्र लिखनेका समय नहीं मिलता। मुझे आराम करना, लोगोंसे मिलना, गोलमेज सम्मेलनके बारेमें पढ़ना

१ और २. यह तार ब्रॉकवेके ५ सितम्बरके तारके उत्तरमें लिखा गया था जिसमें कहा गया था: "क्या हम २ अक्टूबरको गांधी सोसाइटीके सदस्योंके साथ एक प्रीति-भोजका आयोजन कर सकते हैं।..."

३. गांधीजीने ये शब्द उसी कागजके पीछे लिखे थे जिसपर उन्होंने ए० फेनर ब्रॉकवेको भेजे तार (पिछला शीर्षक) का मसविदा लिखा था।

४. देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", २-९-१९३१।

पड़ता है, 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' के लिए तैयारी करनी होती है और पत्रादि भी लिखने होते हैं। और फिर दायाँ हाथ भी खराब है, इसलिए जी-भरकर पत्र नहीं लिख सकता। देखता हूँ, विलायतमें क्या हाल होता है। आश्रममें अभी भी छोटी-मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, यह निःसन्देह शर्मकी बात है।

परशुराम आ गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४६७. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको

६ सितम्बर, १९३१

चि० प्रेमा,

तूने अभीतक पत्र नहीं लिखा। अब तो अगर तूने कोई हवाई डाकसे पत्र भेजा हो तो वह हमें विलायत पहुँचनेपर ही मिल सकता है; या १९ तारीखको मिलेगा।

तू मुझे चिन्तामें डाल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२६३) से।

४६८. अपील: मिस्रके मुसलमानोंसे

६ सितम्बर, १९३१

हजरत मुहम्मद शान्तिका फरिश्ता थे। उनके अनुयायियोंके रूपमें आपसे कमसे-कम यह अपेक्षा की जाती है कि आप एकता स्थापित करें। भारतकी एकता और स्वाधीनता पर अप्रत्यक्ष रूपसे विश्वकी शान्ति निर्भर करती है। लेकिन जबतक भारत विदेशी सत्ताकी गुलामीमें जकड़ा रहेगा तबतक अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर सच्ची शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-९-१९३१

४६९. वक्तव्य : 'अल अहराम' के प्रतिनिधिको[1]

[एस० एस० "राजपूताना"
६ सितम्बर, १९३१]

जहाँ तक सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी शक्तिका सवाल है, भारतमें स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन जहाँतक हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रश्न है वह सचमुच शोचनीय है। हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता स्थापित करनेके सारे प्रयत्न अभीतक व्यर्थ हुए हैं और हमें समस्त संसारकी, विशेषतया मुसलमानोंकी, सद्भावनाकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वे लोग महज मित्रताके बलपर दोनों जातियोंको शर्मिन्दा कर सकते हैं और उन्हें समझौतेके लिए राजी कर सकते हैं।

जैसी स्थिति मुझे इस समय दिखाई पड़ती है यदि मैं उसके आधारपर अनुमान लगाने बैठूँ तो मुझे सम्मेलनसे कतई कोई आशा नहीं है। लेकिन चूँकि मैं आशावादी हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई-न-कोई चीज अवश्य होगी जिससे भारतके राष्ट्रीय दृष्टिकोणके खयालसे यह सम्मेलन सफल होगा। यदि सम्मेलन असफल रहा तो केवल एक ही बात हो सकती है — सविनय अवज्ञा आन्दोलनका फिरसे छेड़ा जाना और लोगोंका पिछले वर्षसे भी ज्यादा कष्ट उठाना। स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए कांग्रेस हर कीमत चुकानेको तैयार है।

मिस्रके राष्ट्रवादियोंको मेरा सन्देश यह है: हमारी तरह आप भी एक प्राचीन देशके निवासी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप पश्चिमकी प्रत्येक चीजकी अन्धाधुन्ध नकल नहीं करेंगे। और यदि मैंने आपके देशके घटनाचक्रको सही समझा है तो मैं कहूँगा कि मिस्रको सच्ची आजादी अभी हासिल करनी है तथा मुझे पक्का विश्वास है कि यदि आप राजनीतिक मामलोंमें भी सत्य और अहिंसाके साधनोंको महत्त्व दे सकें और उन्हें अपना सकें तो आप किसी भी अन्य साधनकी अपेक्षा इन साधनोंसे अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कहीं जल्दी कर लेंगे। और यदि अनुचित न हो तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर बारह महीनोंमें भारतको सच्ची स्वतन्त्रता मिल जाती है तो मिस्र भी बहुत जल्द ही अपने समुचित स्थानको प्राप्त कर लेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत सत्य और अहिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है तो यह समस्त संसारके लिए और सब पूर्वी राष्ट्रोंके लिए तो निस्सन्देह एक महत्त्वपूर्ण बात होगी।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६४३) से।

१. यह वक्तव्य **अल अहराम**के प्रतिनिधिको लिखित रूपमें दिया गया था और इसमें गांधीजीने सम्पादक द्वारा पूछे गये पाँच प्रश्नोंका उत्तर दिया था। प्रश्न थे: (१) भारतमें क्या स्थिति है; (२) हिन्दुओं और मुसलमानोंमें साम्प्रदायिक एकताका प्रश्न; (३) उन्हें गोलमेज सम्मेलनसे क्या-क्या उम्मीदें हैं; (४) गोलमेज सम्मेलनके असफल होनेके क्या परिणाम होंगे; (५) मिस्रके राष्ट्रवादियोंको उनकी ओरसे क्या सन्देश है।

४७०. भेंट : 'डेली टेलीग्राफ' के प्रतिनिधिसे

एस० एस० "राजपूताना"
रविवार, ६ सितम्बर, १९३१

भेंटके दौरान सारा समय चरखा चलाते हुए श्री गांधीने कहा कि उन्होंने यात्राका पूरा-पूरा आनन्द उठाया है। वे गोलमेज सम्मेलनकी सफलताके प्रति आशा-वान नहीं दिखाई दिये। उन्होंने कहा :

अभी क्षितिज पर मुझे अभेद्य अन्धकारके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ईश्वरकी लीला अपरम्पार है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। हालाँकि मुझे अभी ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिससे कुछ आशा बँधे, फिर भी मैं निराश नहीं हुआ हूँ।

श्री गांधी शौकत अलीके इस बयानपर अत्यन्त क्रुद्ध थे कि उन्हें विवश होकर गांधीसे अलग होना पड़ा है, क्योंकि गांधीका उद्देश्य केवल साम्प्रदायिक तत्वोंको उभाड़ना और मुसलमानोंको हिन्दुओंका गुलाम बनाना है। श्री गांधीने कहा :

मेरा सारा जीवन ऐसे किसी भी आरोपको गलत सिद्ध करता है। मुझमें लेश-मात्र भी साम्प्रदायिकता नहीं है। मैं ऐसे किसी भी समझौतेमें भाग नहीं लूँगा जिसमें भारतमें किसी भी जातिको किसी अन्य जातिका दास बनाये जानेकी बात हो।

महात्माजीने, जो अभी भी केवल एक लँगोटी ही पहने हुए हैं, कहा कि उन्हें इंग्लैंडमें तापमानमें परिवर्तन होनेके बारेमें कोई चिन्ता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो वे अपने लिबासमें कुछ चीजें और जोड़ लेंगे, यथा शरीरको लपेटनेके लिए गर्म ऊनी शाल तथा जाकेट, लेकिन वे अपने आहारमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पूर्व और पश्चिमका सहयोग विश्व-शान्तिकी स्थापनामें महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा, बशर्ते कि वह पशुबलपर आधारित न हो।

. . . श्री गांधीको मिस्रके पत्रकारोंने भी घेर लिया और उनपर प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी। उन लोगोंने पूर्वकी ऐसी सामान्य समस्याओंके बारेमें, जिनका सीधे मिस्रपर असर होता हो, गांधीजीसे कुछ कहलानेकी कोशिश की। यह प्रश्न पूछे जानेपर कि "निकटवर्ती और मध्यपूर्व देशोंमें उन लोगोंको आपकी क्या सलाह है जो स्वाधीनताके लिए लड़ रहे हैं?" श्री गांधीने गम्भीरतापूर्वक कहा :

उन्हें स्वाधीनताकी लड़ाई सर्वथा अहिंसाकी पद्धतिसे लड़नी चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे अन्य किसी साधनकी अपेक्षा कहीं जल्दी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेंगे।

[अंग्रेजीसे]
डेली टेलीग्राफ, ७-९-१९३१

४७१. भाषण : प्रार्थना-सभामें

एस० एस० "राजपूताना"
[६ सितम्बर, १९३१][1]

आपमें ईश्वरके प्रति विश्वास उत्पन्न करना मेरी शक्तिके बाहर है।[2] कई बातें स्वयं-सिद्ध होती हैं और कई ऐसी होती हैं जो सिद्ध ही नहीं होतीं। ईश्वरका अस्तित्व ज्यामितिके स्वयं-सिद्ध सत्योंकी तरह है। यह सम्भव है कि वह हमारे लिए हृदयग्राही न हो। बुद्धिग्राह्यताकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। बौद्धिक प्रयत्न तो थोड़े-बहुत अंशमें निष्फल ही हैं। विवेकपूर्ण व्याख्यासे ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि यह बात बुद्धिकी ग्रहणशक्तिसे परे है। युक्तियाँ इसके सामने काम नहीं करतीं। ऐसी बहुत-सी घटनाएँ हैं, जिनसे ईश्वरके अस्तित्वकी दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी बुद्धिगम्य दलीलोंमें उतरकर मैं आपकी बुद्धिका अपमान नहीं करना चाहता। मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि ऐसी सब बौद्धिक दलीलोंको एक तरफ रख दीजिए और ईश्वरके सम्बन्धमें सीधी-सादी बालोचित श्रद्धा रखिए। यदि मेरा अस्तित्व है, – यदि मैं हूँ, तो ईश्वरका भी अस्तित्व है – ईश्वर भी है। करोड़ों लोगोंकी तरह यह मेरे जीवनकी एक आवश्यकता है। चाहे ये करोड़ों लोग ईश्वरके सम्बन्धमें व्याख्यान न दे सकें, किन्तु उनके जीवनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वरके प्रति विश्वास उनके जीवनका एक अंग है। आपका यह विश्वास, जो नष्ट हो गया है, उसे मैं केवल आपसे पुनःस्थापित करनेके लिए कहता हूँ। इसके लिए, आपकी बुद्धिको चौंधिया देनेवाला और आपको चंचल बना देनेवाला जो बहुत-सा साहित्य आपने पढ़ा है, उसे भुला देना होगा। आप श्रद्धासे आरम्भ कीजिए, जो नम्रताका भी प्रतीक है और इस बातकी स्वीकृति भी है कि हम कुछ नहीं जानते और हम इस संसारमें अणुसे भी छोटे हैं। हम अणुसे भी छोटे हैं, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि अणु तो प्रकृतिके नियमोंकी अधीनतामें रहकर उनका पालन करता है, जबकि हम अपनी अज्ञानताके मदमें प्रकृतिके नियमोंको भंग करते हैं। लेकिन जिन लोगोंमें श्रद्धा नहीं है, उन्हें समझा सकने-जैसी दलील मेरे पास है ही नहीं।

एक बार ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार कर लिये जानेपर प्रार्थनाकी आवश्यकता अपरिहार्य है। हमें इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए कि हमारा तो सारा जीवन ही प्रार्थनामय है, इसलिए हमें किसी खास समय प्रार्थनाके लिए बैठनेकी कोई जरूरत नहीं। यहाँतक कि जिन व्यक्तियोंका सारा समय ईश्वरके साथ तादात्म्यपूर्ण था

१. महादेव देसाईके अनुसार यह दूसरा प्रवचन था और 'दूसरी शाम' को दिया गया था; देखिए पृष्ठ ४३६ की पाद-टिप्पणी १।

२. एक नवयुवकने जो प्रश्न पूछा था, वह यह था : "लेकिन श्रीमान, आप तो ईश्वरमें विश्वास रखकर बात आरम्भ करते हैं, पर हम अविश्वाससे। फिर हम प्रार्थना कैसे करें?"

उन लोगोंने भी ऐसा दावा नहीं किया है। उनका जीवन सतत प्रार्थनामय होनेपर भी, हमें कहना चाहिए कि, हमारे लिए वे एक निश्चित समयपर प्रार्थना करते और प्रतिदिन ईश्वरके प्रति अपनी निष्ठाकी प्रतिज्ञाको दुहराते थे। अवश्य ही ईश्वरका ऐसी किसी प्रतिज्ञाके लिए आग्रह नहीं है, लेकिन हमें तो नित्य इस प्रतिज्ञाको दुहराना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि उस दशामें हम अपने जीवनके सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हो जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-९-१९३१

४७२. तार: मुस्तफा नहस पाशाको

[६ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][१]

हिज एक्सेलेंसी मुस्तफा[२]

आपके सहृदयतापूर्ण सन्देशके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। मैं भी आपको शुभकामनाएँ भेजता हूँ। यदि तनिक भी सम्भव हुआ तो मुझे आपके महान देशकी यात्रा करके अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६६७) से।

१. यह सन्देश मुस्तफा नहस पाशाके ६ सितम्बरके उस सन्देशके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें कहा गया था: मिस्रके नामपर, जो इस समय स्वाधीनता संग्राममें लगा हुआ है, मैं उस भारतके अग्रगण्य नेताके रूपमें आपका स्वागत करता हूँ जो हमारी ही भाँति स्वाधीनताकी लड़ाई लड़ रहा है और मैं आपको शुभ कामनाएँ भेजता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप राजी-खुशी वापस लौटें। मेरी भगवानसे यह भी प्रार्थना है कि वह आपको अपने ध्येयमें आपकी संकल्प शक्तिके अनुरूप सफलता प्रदान करे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी लन्दन-यात्राका चाहे कुछ भी परिणाम निकले, लेकिन स्वदेश लौटते समय हमें आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त होगा और आप फराऊनोंकी भूमिकी यात्रा करेंगे; और वफ्द पार्टीको तथा मिस्रकी जनताको आपने अपने देशके कल्याणके लिए जो-कुछ किया है, उसकी सराहना करने और अपने सिद्धान्तोंके समर्थनमें आपने जो महान त्याग किया हैं उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेका अवसर देंगे। ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आपको आपके प्रयत्नोंमें विजयश्री मिले और उसका परिणाम दूरगामी और स्थायी हो। स्वेज और पोर्ट सईद पर हमारे प्रतिनिधि आपसे मिलेंगे और वे हमारी ओरसे आपका स्वागत करेंगे तथा हमारी शुभकामनाएँ देंगे।" (एस० एन० १७६५९)।

२. वफ्द पार्टीके अध्यक्ष।

४७३. तार : मुहम्मद महमूद पाशाको[1]

[६ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात][2]

तारके लिए धन्यवाद। मैं भी आपको अपनी ओरसे शुभकामनाएँ भेजता हूँ। वापसीपर यदि सम्भव हुआ तो मैं बेशक आपके महान देश आना चाहूँगा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६६२) से।

४७४. तार : सफिया झगलूल पाशाको

[६ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][3]

श्रीमती झगलूल पाशा[4]
काहिरा

आपके स्नेहपूर्ण कृपा सन्देशके लिए सादर धन्यवाद। कृपया अपने महान देशके लिए मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६६७) से।

४७५. भाषण : मिस्रके अधिवासी भारतीयोंके सम्मुख

[६ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][5]

मैं अपने देशवासियोंको उनके मानपत्र और बहुमूल्य उपहारोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे विदेशमें अपनी मातृभूमिकी श्रेष्ठतम परम्पराओंका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस तरह वे उस देशकी सेवा कर रहे हैं जहाँ वे

१. मिस्रकी कांस्टीटयूशनल लिबरल पार्टीके नेता।

२. मुहम्मद महमूद पाशाके सन्देशपर ६ सितम्बरकी तारीख पड़ी थी।

३. यह तार ६ सितम्बर, १९३१ के बधाई सन्देशके उत्तरमें भेजा गया था।

४. वफ्द पार्टीके संस्थापक झगलूल पाशाकी विधवा।

५. साधन-सूत्रमें तिथि अथवा स्थानके बारेमें कुछ भी नहीं बताया गया है। गांधीजी ६ सितम्बरको स्वेज पहुँचे थे।

अपनी जीविका कमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे भारतमें भूखसे मर रहे करोड़ों व्यक्तियोंको हमेशा याद रखेंगे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-९-१९३१

४७६. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

७ सितम्बर, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

हमने अभी-अभी पोर्ट सईद छोड़ा है। 'बिग ब्रदर'[1] यहाँसे हमारे साथ हो गये हैं। आज मेरा मौन-दिवस है। कल हम लोग बातचीतके लिए मिलेंगे। पोर्ट सईदसे कुछ मित्र 'डेलीमेल' और 'डेली टेलीग्राफ' लाये थे। उसकी कुछ दिलचस्प कतरनें संलग्न कर रहा हूँ। इनसे तुम्हारा मनोविनोद और मनोरंजन होगा। देखनेके बाद तुम इन्हें वल्लभभाईको भेज देना।

देवदासने इंदिराको लिखे तुम्हारे और पत्र दिये हैं। उन्हें देखनेका मुझे अभी तक समय नहीं मिला है। 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के लिए सामग्री तैयार करने, चिट्ठियाँ लिखने, कुछ मुलाकातियोंसे भेंट करने और सोनेमें ही मेरा पूरा समय गया है।

आशा है संयुक्त प्रान्तमें स्थिति सुधरी होगी। मैं तुम्हारी तरफसे खबर पानेके लिए उत्सुक हूँ। मैं जानता हूँ कि जरूरी होनेपर तुम तार भेजनेमें संकोच नहीं करोगे।

क्या तुम अब्दुल गफ्फार खाँके साथ सम्पर्क कायम रख रहे हो?

जयप्रकाशके क्या हाल हैं?

मिस्रसे जो प्रेमपूर्ण सन्देश मिले हैं, उनके बारेमें तुम्हें 'यंग इंडिया' से[2] सब कुछ पता चल जायेगा।

मालवीयजीका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिनको छोड़कर समुद्रसे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। समुद्री-यात्राके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ मीराबहनको हुई। प्यारेलाल और देवदासको भी काफी हुई। महादेव तो इससे बचा ही रहा। और सबसे ज्यादा काम भी उसीने किया है।

तुम्हारा,
बापू

संलग्न : ३ कतरनें

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३१; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. शौकत अली।
२. २४ सितम्बर, १९३१ का।

४७७. पत्र : प्रभावतीको

७ सितम्बर, १९३१

चि० प्रभावती,

अदनसे लिखा हुआ मेरा पत्र तुम्हें मिला होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक रहती होगी। तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तर तो मैं जब हिन्दुस्तानमें था, तभी भेज चुका था। मैंने तुम्हें पता भेजा है। मेरी तबीयत अच्छी रहती है। अभी तो मैं जो खुराक हिन्दुस्तानमें लिया करता था वही लेता हूँ। मैंने चार दिनोंतक दूध नहीं लिया। उसकी जरूरत भी नहीं थी। दूध मेरे पास है। रेफरीजेरेटरमें रखा रहनेकी वजहसे वह बिगड़ता नहीं है। फल भी बहुत हैं, इतने कि बाँट देने पड़ते हैं। मीराबहनको यात्राकी वजहसे कै आदि हुई थी। महादेवको कुछ भी नहीं हुआ और मुझे तो जहाजी मतली (सी सिकनेस) कभी नहीं होती। अभीतक हम सबकी पुरानी पोशाक ही चल रही है। सर्दी महसूस ही नहीं हुई। अब बादमें जैसा होगा देखा जायेगा। आज मौनवार है। शनिवारको विलायत पहुँचनेपर तुम्हारे पत्रकी उम्मीद रखूँगा। तुम्हें जिस चीजकी जरूरत हो, आश्रमसे मँगवा लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४२०) से।

४७८. मदनमोहन मालवीयका अभिवादन[1]

विलायत जाते हुए
७ सितम्बर, १९३१

मैं तो मालवीजी महाराजका पूजारी हुं। पूजारी कैसे स्तुती के वचन लिख सके? जो कुछ लिखेगा उसे अपूर्ण-सा प्रतीत होगा। मालवीजीके दर्शन मैंने सन १८९० की सालमें चित्र द्वारा किया था। वह चित्र विलायतमें इंडिया नामक पत्र जो मी० डीगबी नीकालते थे उसमें था। माना जाय कि वही छवि मैं आज भी देख रहा हुं। जैसे उनके लिबासमें ऐसे हि उनके विचारमें ऐक्य चला आया है और इस ऐक्यमें मैंने माधुर्य और भक्ति पाये हैं। आज मालवीजीके साथ देशभक्तिमें कौन मुकाबला कर सकता है? यौवन कालसे आरंभ करके आज तक उनकी देशभक्तिका

१. यह शीर्षक ११ फरवरी, १९३२ को मालवीयजीको भेंट किये गये ग्रन्थमें शामिल था। उनका ७० वाँ जन्मदिन २५ दिसम्बर, १९३१ को था।

प्रवाह अविच्छन्न चलता आया है। काशी विश्वविद्यालयके मालवीजी प्राण हैं, का वि० विद्यालय मालवीजीका प्राण है। यह नरवीर हमारे लिये दीर्घायु हो।

मोहनदास गांधी

मालवीय कमेमोरेशन वॉल्यूममें प्राप्त हिन्दीकी एक अनुप्रतिसे।

४७९. तार : शरीफा रियाज पाशाको[1]

सिकन्दरिया
[७ सितम्बर, १९३१ के पश्चात्][2]

शुभकामनाओंके लिए धन्यवाद।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६६१)से।

४८०. वक्तव्य : के० सी० रायकी[3] मृत्युपर

एस० एस० "राजपूताना"
८ सितम्बर, १९३१

श्री रायकी मृत्युसे[4] मुझे गहरा आघात पहुँचा है। उनकी मृत्युसे भारतीय पत्रकारिताकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्री रायके उच्च चरित्र और मधुर व्यवहारकी मेरे मनमें अनेक सुखद स्मृतियाँ हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ९-९-१९३१

१. महिलाओंकी सादिस्ट कमेटीकी अध्यक्षा।

२. गांधीजी ७ सितम्बरको पोर्ट सईद पहुँचे और ११ सितम्बरको मारसाई। वे ७ सितम्बरके बाद ही किसी दिन सिकन्दरियामें रहे होंगे।

३. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके संस्थापक।

४. ७ सितम्बरको।

४८१. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

एस० एस० "राजपूताना"
८ सितम्बर, १९३१

यदि बैठक[1] सोमवारको होती है तो मैं अत्यन्त विषम स्थितिमें पड़ जाऊँगा। सोमवार मेरा मौनदिवस है, और जब मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी तब मैंने तीन बातोंको अपवाद रूप माना था। इस ढंगकी बैठक उन तीन बातोंमें आती है अथवा नहीं, यह विवादास्पद है। तथापि मैं आशा करता हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे विवश होकर अन्तिम निर्णय न लेना पड़े, बल्कि इस कठिनाईसे बच निकलनेके लिए कोई रास्ता निकल आये।

जब गांधीजीसे यह पूछा गया कि अपवाद रूप तीन बातें कौन-कौनसी हैं, तब उन्होंने कहा :

पहली तो यह कि मैं किसी ऐसी विपत्तिमें होऊँ जिसका निराकरण बोलकर ही हो सकता हो। दूसरी यह कि यदि कोई अन्य व्यक्ति संकटमें हो और मेरे बोलनेसे उसको राहत मिल सकती हो; और तीसरी यह कि यदि असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें, जैसे मुझे अचानक ही वाइसरायका अथवा किसी उच्च अधिकारीका बुलावा आ जाये और जिससे अपने उद्देश्यके हितमें मेरा मिलना अनिवार्य हो।

इस तरह मेरा सोमवारको समितिकी बैठकमें उपस्थित होना केवल तीसरे अपवादके अन्तर्गत ही आ सकता है और सो भी बहुत खींचतान करनेपर, क्योंकि यह अचानक ही और अनपेक्षित बलावा नहीं है। ऐसी परिस्थितियोंमें लोगोंने उदारतापूर्वक मेरे व्रत-पालनमें सहायता की है। लन्दनमें क्या होगा, सो मैं नहीं जानता।

गांधीजीने आगे बताया कि चूँकि उन्हें रविवारको सरकारके दो उच्चतम अधिकारियोंसे निजी वार्ताके लिए तैयार रहना होगा, इसलिए वह एक दिन पहले रविवारको मौन नहीं रख सकते, और उसे मंगलवारके लिए टाल भी नहीं सकते क्योंकि समितिकी बैठक सारा सप्ताह चलेगी।

[अंग्रेजीसे]

मॉर्निंग पोस्ट, ९-९-१९३१

१. संघ संरचना समितिकी बैठक जो सोमवार, १४ सितम्बर तकके लिए स्थगित कर दी गई थी।

४८२. तार: शैलेन्द्र नाथ घोषको

[८ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

अफसोस है नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं पहले ही अस्थायी तौरसे एसोसिएटेड प्रेस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कम्पनीके जरिये विश्व भरको सन्देश देनेकी स्वीकृति दे चुका हूँ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६७०) से।

४८३. तार: तेजबहादुर सप्रूको

[८ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][2]

मंजूर है।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६७६) से।

४८४. तार: लन्दन-स्थित भारतीय विद्यार्थियोंके केन्द्रीय संघको

[९ सितम्बर, १९३१ या उसके पश्चात्][3]

स्वागत समितिसे मिलें।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० १७६७५) से।

१. यह तार शैलेन्द्र घोषके ७ सितम्बरके ८ सितम्बरको प्राप्त तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें लिखा था: "प्रमुख अमेरिकियोंका यह आग्रह है कि आप लन्दन पहुँचनेपर ट्रान्सएटलान्टिक टेलीफोन ऐण्ड यूनाइटेड स्टेट्स ब्राडकास्टिंग स्टेशनोंके जरिये करोड़ों लोगोंको सन्देश दें। १३ तारीखको आपकी वार्ताके लिए समुचित प्रबन्ध किया जा चुका है। तार द्वारा अपनी सहमति तुरन्त सूचित करें"।

२. यह तार तेजबहादुर सप्रूके ८ सितम्बरको मिले तारके उत्तरमें दिया गया था जिसमें लिखा था: "अनुरोध है कि सोमवारसे पहले ही दो ब्रिटिश मित्रोंके साथ बातचीत करनेके लिए आप और मालवीयजी रविवारकी रातका समय बिल्कुल खाली रखें। सप्रू डॉर्के होटलके पतेपर उत्तर दें।"

३. ९ सितम्बर, १९३१ को मिले तारके उत्तरमें, जिसमें लिखा था: "आम जनता सहानुभूति प्रदर्शित करनेके लिए अवसर प्रदान किये जानेकी इच्छा रखती है। जुलूस निकालना अनिवार्य। स्टेशन पर औपचारिक ढंगसे किया जानेवाला स्वागत समारोह पर्याप्त नहीं। भारतीय स्वाधीनताके लिए अनुकूल लोकमत तैयार करनेमें जुलूस सहायक होगा। इण्डिसका लन्दनके पतेपर कृपया जल्दी उत्तर दें।..."

आप सत्यका पुजारी होनेका दावा करते हैं — उसी सत्यका जिसका उपासक मैं हूँ, किन्तु अर्धसत्यों, धूर्ततापूर्ण शब्दों और जानबूझकर किये छद्म-पूर्ण व्यवहार द्वारा गोलमेज सम्मेलनमें आप शामिल न होनेके अपने सोचे-समझे और पूर्व-निर्धारित निश्चयका दोष सरकारके मत्थे मढ़ रहे हैं।

जैसा कि आप अब खुलमखुल्ला कहते हैं, जब कांग्रेसका धर्म राजद्रोह है और उसका उद्देश्य सरकारको पलट देना है तब क्या आप सोची-समझी योजनाके द्वारा सरकारको इसके खिलाफ कार्रवाई करनेको मजबूर नहीं कर रहे हैं? आप अपने अनुगामियोंकी आँखोंमें धूल झोंकनेमें भले ही सफल हो जायें, आप यह तो जानते हैं कि कमसे-कम ईश्वरकी आँखोंमें आप धूल नहीं झोंक सकते। आप तनिक आत्म-निरीक्षण करके देखें। आप अपनी आत्माकी आवाजको ईमानदारीसे सुननेकी कोशिश कीजिए — उस राजनीतिज्ञ गांधीकी आत्माकी आवाजको नहीं, जो पण्डित मोतीलाल नेहरूके राजनीतिक मार्गदर्शनके बिना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और घटनाओंको ऐसा मोड़ देनेकी कोशिश कर रहा है जिससे लाभ होगा तो सिर्फ गुण्डोंको, बल्कि उस गांधीकी अन्तरात्माकी आवाजको जिसे करोड़ों लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उसके प्रेम-धर्म तथा उसके द्वारा दलित वर्गोंके लिए किये जा रहे शानदार कार्योंके लिए सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। यह गांधी आज पराजित हो गया है। आपके व्यक्तिगत अहंकार और तानाशाही प्रवृत्तिने उस गांधीको पराजित कर दिया है।

मैं चाहता हूँ — बल्कि प्रत्येक यूरोपीय चाहता है — कि भारत अपनी राजनीतिक आजादी हासिल करे, और गोलमेज सम्मेलन उस उद्देश्यकी प्राप्तिका संवैधानिक उपाय है। लेकिन आप जानबूझकर उसकी आजादी खूँरेजीके रास्ते प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने देखा कि आपके बिना भी सम्मेलनका आयोजन किया ही जायेगा तो आपके अहंकारको ठेस लगी। आप भले ही सम्मेलनमें शामिल न होनेको 'सत्याग्रह' या जो भी कहें, किन्तु इन तथ्योंसे आप बच नहीं सकते।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तनिक आत्मनिरीक्षण करें और आत्मशुद्धिके बाद पुनः सत्यकी वेदीके सामने जायें।

कोई गड़बड़ी हो जानेसे मैं कहीं उनके क्रोधसे बच न जाऊँ, इसलिए इन मित्रने पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजा है। यह पत्र मुझे जहाजपर ही मिल सका। इस पत्रका सबसे अच्छा उत्तर तो यही तथ्य है कि मैं यह उस जहाजपर बैठा लिख रहा हूँ जो मुझे लन्दन ले जा रहा है। मैं चाहता तो बड़े मजेमें इस पत्रको दबा देता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। कारण यह था कि मुझे जिन्दगी-भर इस तरहके जो पत्र मिलते रहे हैं, यह उन्हींका एक अच्छा नमूना है। जब मैं उनको खुश करने-

वाला कोई काम करता हूँ तो मेरे अंग्रेज मित्र मुझे ऐसे प्रशंसापत्र लिखते हैं जिन्हें पढ़कर मैं खुद भी पानी-पानी हो जाता हूँ। और जब मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो उन्हें बुरा लगता है तो वे मुझे गालियाँ देने लगते हैं। वे मुझसे यह पूछनेका भी धीरज नहीं बरतते कि मेरे गत और वर्तमान आचरणोंमें यदि उन्हें असंगति दिखाई देती है तो क्यों। ये ऊपरसे देखनेमें असंगत-सी लगनेवाली दो चीजोंके बीच वास्तविक संगति पहचाननेका धीरज नहीं दिखाते। जब ऐसे मित्रोंसे मेरा साबका पड़ता है तो मैं उनकी प्रशंसाका विश्वास नहीं करता और उसे निःस्वार्थ नहीं मानता और इसी-लिए उनकी आलोचनाका भी मुझपर कोई असर नहीं होता। आप इस जोरदार आलोचनाके लेखकको ले लीजिए। कुछ महीने पूर्व मैं उनके लिए एक भला आदमी था। अब एकाएक मैं सब तरहसे बुरा हो गया हूँ, यहाँतक कि झूठा भी। उनके इस मत-परिवर्तनका कारण सिर्फ इतना है कि उन्हें ऐसा सन्देह है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेमें विफल हो जानेकी वजहसे अब मैं लन्दन नहीं जाऊँगा। वे मुझसे इसका कारण पूछनेका भी सौजन्य दिखानेको तैयार नहीं हैं और पिछली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें दिये गये मेरे भाषणकी सरासर गलत रिपोर्टपर उन्होंने विश्वास कर लिया। आम लोग और यह पत्र-लेखक महोदय यह जान लें कि मेरे थैलेमें पण्डित सुन्दरलालका भेजा एक तार पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनपर जो बात कहनेका आरोप लगाया है वह बात उन्होंने कभी नहीं कही। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर पण्डित सुन्दरलालने वह बात कही भी हो जो कहनेका आरोप उनपर लगाया गया है, तो भी उसके आधारपर एक मित्रको मेरे खिलाफ दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो मैत्री तनिक-सा तनाव पड़ते ही टूट जाये और जो मित्र मेरे बारेमें फैली किसी भी अफवाहका विश्वास कर ले, ऐसी मैत्री और मित्र किसी कामके नहीं। जिन अंग्रेज मित्रोंने मुझे बधाईके तार और पत्र भेजे हैं उन्हें मैं आगाह कर देता हूँ कि कहीं वे ऐसा न करें कि ज्यों ही मेरे बारेमें कोई ऐसा काम करनेकी खबर सुनें जो उन्हें बुरा लगे त्यों ही कोई अनुचित धारणा बना लें। यह जरूरी नहीं कि इस प्रसंगकी तरह सभी प्रसंगोंके विषयमें छपी खबरें गलत ही हों। अगर दोनोंके समान उद्देश्यको ठीक से समझ लिया जाये तो उस उद्देश्यको आगे बढ़ानेके लिए की गई मैत्रीको गलतफहमियों, गलत खबरों आदिके रूपमें आनेवाले सभी तूफानोंको झेल सकना चाहिए।

इसलिए मैं अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देता हूँ। यह उद्देश्य है हर अर्थमें विदेशी-शासनसे पूर्ण मुक्ति और यह उद्देश्य करोड़ों मूक मानवोंके हितोंको ध्यानमें रखकर अपनाया गया है। इसलिए उनके हितोंके खिलाफ पड़नेवाले प्रत्येक हितमें परिवर्तन किया जाना चाहिए और अगर वे परिवर्तनके लायक न हों तो उन्हें मिटा ही देना चाहिए। इस स्वतन्त्रतामें से इंग्लैंडके साथ सर्वथा समानताके दर्जेपर ऐसी साझेदारी, जिसे कोई भी पक्ष अपनी इच्छासे तोड़ सकता है, कायम करनेकी सम्भावनाको बाहर नहीं रखा गया है और न उसे बाहर रखनेकी जरूरत ही है। जो अंग्रेज इस स्थितिके तुरन्त सम्पन्न होनेकी इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी इस बातके लिए पश्चात्ताप करने-

का अवसर नहीं आयेगा कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की। शेष लोगोंको तो मेरे निर्दोषसे-निर्दोष कार्योंमें भी बुराई ही नजर आयेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १७-९-१९३१

४८७. 'उर्दू नवजीवन'

[११ सितम्बर, १९३१ से पूर्व]

डॉ० युद्धवीर सिंह अपनी जिम्मेवारीपर दिल्लीसे 'नवजीवन' का साप्ताहिक उर्दू संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें वे 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' दोनोंमें से चुने हुए लेख देते हैं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि यह उर्दू संस्करण पूर्ण रूपसे 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के ढंगपर ही चलेगा। इसलिए इसमें कोई विज्ञापन नहीं होंगे, और वही लेख रहेंगे, जो उक्त दोनों पत्रोंमें प्रकाशित होंगे। वार्षिक चन्दा केवल तीन रुपये है। मैं इस प्रयत्नपर प्रसन्न हूँ। मैं हमेशा इस बातको अनुभव करता रहा हूँ कि इन दोनों साप्ताहिकोंके सन्देश उर्दू-भाषी जनतातक पहुँचें। मैं डॉ० युद्धवीर सिंहको इस देशभक्तिके कार्यके लिए बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि उर्दू-भाषी जनता उनके उत्साहको बढ़ायेगी। पता है — 'उर्दू नवजीवन,' चाँदनी चौक, दिल्ली।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १७-९-१९३१

४८८. "दूसरा रुख"

[११ सितम्बर, १९३१से पूव]

फर्ग्यूसन कालेजके एक विद्यार्थी द्वारा बम्बईके कार्यकारी गवर्नरकी हत्या करनेके प्रयत्नकी मैंने जो निन्दा की थी, उसका विरोध करते हुए एक पत्र-लेखकने उपर्युक्त शीर्षकसे मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। मैं उस पत्रका अत्यन्त संक्षिप्त सार नीचे देता हूँ :

> **'नवजीवन' के पिछले अंकमें 'गांडपण' (पागलपन) शीर्षकके अन्तर्गत आपकी टिप्पणी पढ़कर मुझे अत्यन्त दुख हुआ। मैं आरम्भमें ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सन् १९२१ से ही अहिंसात्मक असहयोगी रहा हूँ और कांग्रेसके अहिंसाके सिद्धान्तको अधिकसे-अधिक जितना सम्भव हो सकता है, उतने विश्वासके साथ और कुछ विरल स्थितियोंमें, जैसे स्त्रियों अथवा राष्ट्रीय झण्डेके सम्मानको ठेस पहुँचने जैसी कुछ विशिष्ट परिस्थितियोंमें,**

एक नीतिके रूपमें स्वीकार करता हूँ। जबतक इन दोनोंपर कोई वास्तविक खतरा नहीं आ पड़ता, तबतक अत्यन्त उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंमें भी सच्ची अहिंसा सम्भव हो सकती है। लेकिन जब कभी स्त्रियोंके साथ छेड़छाड़ होती है अथवा राष्ट्रीय झण्डेका अपमान होता हो, उस अवसरपर मुझे भय है कि मेरी अहिंसा गायब हो जायेगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका कारण मेरी कोई खूबी नहीं होगी वरन् अधिकांश अवसरोंपर मेरी शारीरिक दुर्बलता और केवल विशेष अवसरोंपर मेरा समझ-बूझकर किया हुआ आत्मसंयम ही होगा। यदि मैं बिना किसी आत्मश्लाघाके कह सकूँ, तो मैं कहूँगा कि शोलापुरमें मार्शल लॉके विरुद्ध सविनय अवज्ञा करनेका विचार करनेवाला और वास्तविक अवज्ञा करनेके फलस्वरूप जेल जानेवाला पहला व्यक्ति मैं ही था। यह सब-कुछ अपनी सफाईके तौरपर है।

मेरे विचारमें ऐसे व्यक्तिका तिरस्कार करनेसे कोई लाभ नहीं जो सर्वथा मृत्युके पंजेमें फँसा हुआ हो। वह तो केवल दयाका ही पात्र है। व्यावहारिक हिंसा ऐसा गुण या अवगुण है, जो जनताकी बड़ीसे-बड़ी प्रशंसासे भी फल-फूल नहीं सकता, क्योंकि यह एक जीवन और मरणका प्रश्न है; और न जनताकी तीव्रसे-तीव्र निन्दा अथवा सरकारी दमन, या दोनोंसे मिटाया ही जा सकता है, क्योंकि यह विद्रोही भावनाओंका परिणाम है। जो लोग फाँसीसे नहीं डरते वे जनताकी रायसे भयभीत नहीं होंगे। गुण हो या अवगुण, हिंसा एक असाधारण वस्तु है, जो केवल भयंकर दमन अथवा स्त्रियोंका अपमान होनेके फलस्वरूप ही फूट निकलती है; उसका समूल नाश केवल तभी हो सकता है, जबकि या तो शासक अपने तौर-तरीके सुधारें या खत्म हो जायें।

मृत्युकाल तक सुरक्षित और निर्विघ्न जीवित रहनेकी इच्छा हम उचित रूपसे तभी रख सकते हैं जब हम सच्चरित्र हों और पापसे डरते हों; किन्तु जघन्यसे-जघन्य पाप करनेके बाद यदि हमारे साथ विश्वासघात किया जाये, तो उससे दुखी होनेका हमें क्या अधिकार है? खासकर उस दशामें जब कि हमने बदला लेनेके खुले, सच्चे, सम्माननीय और बिना धोखेबाजीवाले सब मार्ग रोक दिये हों? बड़ेसे-बड़े देशका, यहाँतक कि भारत तकका गौरव दब्बूपनके साथ अन्याय, जुल्म और पाशविक अत्याचार सह लेनेमें नहीं है। 'प्रेम और युद्धमें कुछ भी अनुचित नहीं है,' यह एक सामान्य सूक्ति है और दो असमान दलोंमें कमजोरके लिए यह अधिक उपयुक्त है।

अब यजमान और मेहमानके फलसफेको लीजिए। श्री हॉटसन किसके मेहमान थे? क्या फर्ग्यूसन कालेजके? अवश्य ही वे प्रिंसिपलके और प्रोफेसरोंके भी मेहमान थे; किन्तु अनिच्छुक विद्यार्थियोंके मेहमान कभी भी नहीं थे। क्या ऐसे योग्य अतिथिको निमन्त्रित करनेसे पहले विद्यार्थियोंकी राय ली गई

थी ? क्या प्रिन्स ऑफ वेल्स भारत सरकारके और फलस्वरूप उसी दलीलके अनुसार भारतके भी मेहमान न थे ? लेकिन उनका स्वागत किस तरह किया गया ? इसलिए इस मामलेमें असाधारण आत्मसंयम न बरत सकनेके लिए श्री गोगटेको तो दोष सबसे बादमें देना चाहिए; असली जिम्मेवारी या गैर-जिम्मेवारी तो श्री महाजनीकी हैं और असली अपराधी या यों कहिए कि असली अर्थमें अपराधके लिए उकसानेवाले तो बम्बईके कार्यकारी गवर्नर हैं, जिन्हें ज्यादा कायदेसे पेश आनेकी सलाह दी जानी चाहिए।

मैं कार्यकारी गवर्नरकी उस साहसिक सूझ-बूझ और साथ ही असाधारण धीरजकी सराहना करता हूँ, जिसका परिचय देते हुए उन्होंने हत्याके असफल प्रयत्नके तुरन्त बाद श्री गोगटेसे कहा — "मेरे बच्चे, यह तो बहुत मूर्खताका काम था," और पूछा, "तुमने ऐसा किस कारणसे किया ?" किन्तु कार्यकारी गवर्नरका यह उदार और स्पष्टतया प्रेमपूर्ण भाव बहुत क्षणिक था। यदि उन्होंने श्री गोगटेको उनके हालपर छोड़कर और यह मानकर कि जैसे कोई असाधारण बात हुई ही न हो, उसी भावको साहसपूर्वक जरा और समयतक बनाये रखा होता, तो देशके क्रान्तिकारी लोगोंकी मनोवृत्तिपर इसका कैसा नाटकीय प्रभाव पड़ता ! सदैव अपने सैनिक अंगरक्षकों और ए० डी० सी० की संरक्षतामें रहनेवाले कार्यकारी गवर्नरको गोगटे जैसे छिटपुट लोगोंके बेवकूफीके कामोंसे डरनेकी जरूरत नहीं है। अभी समय निकला नहीं है। विश्वाससे ही विश्वास पैदा होता है। क्षमा कट्टरसे-कट्टर शत्रुको भी पिघला देती है। किन्तु क्षमा सबलकी ओरसे होनी चाहिए, निर्बलकी ओरसे कदापि नहीं। इस दिशामें श्रीगणेश करनेके लिए कार्यकारी गवर्नर उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु समयको देखते हुए तो यह नजर आता है कि ऐसी सद्बुद्धिके उदय होनेकी बहुत कम सम्भावना है।

चूंकि यह लेख एस० एस० "राजपूताना" जहाजपर से लिखा जा रहा है, इसलिए यह लिखे जानेके तीन सप्ताह बाद प्रकाशित होगा। किन्तु दुर्भाग्यसे विषय-वस्तुके सदा नवीन होनेके कारण, इस लेखको बासी समझनेकी जरूरत नहीं है। इस बातकी बड़ी आशंका है कि पत्र-लेखककी मनोवृत्ति उसी मनोवृत्तिकी परिचायक है जो बहुतसे विद्यार्थियोंमें फैली हुई है। लेकिन यह मनोवृत्ति इस कारण और अधिक घातक और हानिप्रद है, क्योंकि इस धारणामें ईमानदारी है। यह कहना, जैसाकि पत्र-लेखकका कहना है, अनुभवके विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक आसपासके वातावरणका खयाल न करके क्षणिक भावावेशमें कोई काम कर बैठेंगे। उनके उतावले व्यवहारके सम्बन्धमें कुछ सन्देह नहीं हो सकता; लेकिन मैं यह नहीं मानता कि उनमें इतना भी अभिमान नहीं है कि वे अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा तककी परवाह न करें। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्हें इस बातकी जानकारी हो कि उनके कार्यकी सर्वत्र निन्दा होगी, तो वे अपनी कीमती जिन्दगी हर्गिज नहीं गँवायेंगे। इसलिए मुझे

इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जो लोग अनुभव करते हैं कि ऐसे कार्योंसे राष्ट्रीय उद्देश्यको भयंकर हानि पहुँचती है, उनमें से प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे कृत्योंकी स्पष्ट शब्दोंमें निन्दा करे। शोलापुरके मार्शल-लॉ या उसके अन्तर्गत होनेवाले कार्योंके लिए कार्यकारी गवर्नरको जिम्मेदार ठहराना सर्वथा भ्रमात्मक है। यह दोष तो मौजूदा शासन प्रणालीका ही है। इसलिए कांग्रेस इस मुख्य बातको समझकर इस प्रणालीको ही खत्म करनेका प्रयत्न कर रही है, असहाय प्रशासकोंको नहीं। भारत जैसे विशाल देशका एक शक्तिशाली संस्था द्वारा शोषण करनेवाली शासन-प्रणालीको चलानेका काम यदि किसी फरिश्तेके सुपुर्द किया जाये तो वह भी अपनेको असहाय अनुभव करेगा, और अवसर आनेपर ठीक वही करेगा, जो कार्यकारी गवर्नरने किया। दस सिरवाला रावण कोई मानवी-राक्षस नहीं था, वरन् वह रावणके रूपमें प्रकट होनेवाली एक प्रणाली थी, जिसके पुराने सिर कटते ही नये उग आते थे। और रामके लिए रावणको भली प्रकार सँभाल सकना तभी सम्भव हुआ, जब उनका ध्यान उस मूल स्थानकी ओर दिलाया गया, जहाँसे सिर पैदा हो जाते थे।

हमारे सामने अनेक हत्याएँ हुई हैं और मारे गये प्रत्येक अफसरकी जगह नये अफसरकी नियुक्ति हो गई, और शासनतन्त्र हमेशाकी तरह मजेमें चलता रहा है। लेकिन यदि हम एक बार बुराईकी जड़को ही उखाड़नेमें सफल हो जायें तो न तो शोलापुरकी घटनाओंकी ही पुनरावृत्ति होगी और न अप्रिय फाँसियोंकी। इसलिए जहाँ तक उन बहुत-सी बुराइयोंकी निन्दाका सम्बन्ध है, जोकि नवयुवकोंके हृदयमें चुभती रहती हैं, मैं उनकी उतनी ही सख्तीसे निन्दा करूँगा, जितनी कि वे करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे चटकदार दलीलें छोड़ दें और इस प्रणालीका नाश करनेमें कांग्रेसको अपना सहयोग दें। व्यक्तियोंकी हत्याका मार्ग इस प्रणालीको नया जीवन प्रदान करता है। अहिंसात्मक युद्ध उसके जीवनको घटाता है, और यदि उसे पूर्ण रूपसे अंगीकृत कर लिया जाये, तो इस प्रणालीके पूर्ण रूपसे मूलोच्छेदनका निश्चय कराता है। जो लोग उक्त पत्र-लेखककी तरह दलीलें देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि हत्याकी मनोवृत्तिको बढ़नेसे रोका नहीं गया तो वह उलटी हमारे अपने सिरपर पड़ेगी और हमारी बादकी स्थिति पहलेकी स्थितिसे भी बदतर होगी। हमें उक्त प्रणालीको नये रूपमें पुनरुज्जीवित करनेका अत्यन्त भयंकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अंग्रेजोंके बजाय भारतीयों द्वारा उसी प्रणालीके अनुसार शासनकार्य होनेमें यदि बहुत ज्यादा नहीं, तो उतनी तबाही तो होगी ही जितनी कि आज हो रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-९-१९३१

४८९. कहीं हम धोखा न खा जायें

[११ सितम्बर, १९३१ से पूर्व]

मैं जैसे-जैसे इंग्लैंडके समीप पहुँचता जाता हूँ वैसे-वैसे मुझे वहाँसे कुछ मिलने की उम्मीद कम दिखाई देती है। इसके लिए मैं कोई खास कारण नहीं बता सकता, पर मनमें जो विचार उठते हैं उन्हें मैं पाठकोंके आगे प्रस्तुत करता हूँ। दूसरी ओर सारा संसार भारतसे जो आशा लगाये बैठा है उसका खयाल करता हूँ और हमारे पास जो साधन हैं उनके साथ उस आशाको रखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। अदनमें मुझे एक पढ़े-लिखे अरब भाई मिले। उन्होंने ही अरबीमें मानपत्र पढ़ा था। उन्होंने कहा: "हमारी समस्त आशाएँ आपपर आधारित हैं। आपका 'नान वायलेण्ट स्ट्रगल' हम बड़ी उत्सुकताके साथ देख रहे हैं। ईश्वर करे आपको इसमें विजयश्री मिले।" मिस्रके मुस्लिम पत्रकारोंके भी इसी आशयके तार हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वसे-वैसे ऐसे उद्‌गार यूरोपके लोगोंकी ओरसे भी मुझे सुनने को मिलेंगे। यदि हम शारीरिक बलके द्वारा अपनी स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़ रहे होते तो आज जिस तरह सारा संसार भारतकी ओर आँखें लगाये बैठा है वैसा न होता। पाखण्ड और रक्तकी नदियोंसे जगत थक गया प्रतीत होता है। जहाँ देखता है वहाँ उसे झूठही-झूठ दिखाई देता है और यद्यपि वह स्वयं उसमें भाग लेता रहा है फिर भी वह इससे सन्त्रस्त है और इसीसे हिन्दुस्ताननें अहिंसा और सत्यका जो दावा किया है उसे स्वीकार करके वह उससे आश्वासन प्राप्त करता है और इन दो साधनोंके द्वारा हिन्दुस्तानको विजय प्राप्त हो अर्थात् हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो, ऐसी कामना करता है। यह आशा कैसे पूरी की जाये?

हिन्दुस्तानके अन्य भागोंका विचार न करके इस समय, डाक बन्द करनेके समय मैं गुजरातका विचार करता हूँ। गुजरातके पास वल्लभभाई जैसा सरदार है; गुजरातमें सत्याग्रहका गढ़ है; गुजरातमें जितने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं उतने अन्य किसी स्थानपर नहीं हैं; गुजरातने स्वतन्त्रता संघर्षमें अच्छा योगदान दिया है, ऐसा सब स्वीकार करते हैं, सरकार भी यह मानती है। लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि गुजरात सत्य और अहिंसाकी कसौटीपर शत-प्रतिशत खरा उतरा है? गुजरातके स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएँ लालच, द्वेष, क्रोध, भय, असत्य आदिसे नितान्त मुक्त हैं? खादी अहिंसाका एक बहुत बड़ा बाहरी प्रतीक है। गुजरातमें रहनेवाले कांग्रेसवादी भी क्या पैरसे सिरतक सदा खादी पहननेवाले हैं? क्या वे दरिद्रनारायणके निमित्त नित्य कताई-यज्ञ करते हैं? क्या गुजरातने अस्पृश्यता, शराब और विदेशी वस्त्रका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है? ये भी सामुदायिक अहिंसाके बाह्य लक्षण हैं। ये और ऐसे अनेक प्रश्न मनमें उठते ही रहते हैं और मैं व्याकुल हो उठता हूँ। एक ओर तो, देशने सत्य और अहिंसाको ग्रहण कर लिया है, ऐसा मैं दावा

करता हूँ — उसके लिए सबल कारण है, लेकिन दूसरी ओर विचार करनेपर मैं देखता हूँ कि उसमें सम्पूर्ण सत्य तो नहीं ही है। जिन्हें मैं अब सत्य और अहिंसाके लक्षण मानता हूँ उन सबको हमने आत्मसात कर लिया है ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन आशावादी होनेके नाते, इस विचारसे कि कभी-न-कभी हम अपनी खामियोंको दूर कर सकेंगे, मैं अपनी नाव खेता चला जा रहा हूँ। लेकिन मुझे यह भी कह देना चाहिए कि इन सब आशाओंके पीछे गुजरातके प्रति मेरा विश्वास है। यदि गुजरात मेरे विश्वासपर पूरा उतरेगा तो सारा हिन्दुस्तान उसका अनुकरण करेगा और यदि सारा हिन्दुस्तान ऐसा करेगा तो विलायतमें भले ही चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे, तथापि निराशाके इस अन्धकारमें से आशाका सूरज उग आयेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-९-१९३१

४९०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

एस० एस० "राजपूताना"
११ सितम्बर, १९३१

जबतक सरकार अगले सप्ताह होनेवाली संघ संरचना समितिकी बैठकका दिन नहीं बदलती, श्री गांधी सोमवारकी बातचीतमें भाग तो लेंगे लेकिन चूँकि सोमवार उनका मौनवार है इसलिए वे सारा समय चुपचाप रहकर सुनते रहेंगे परन्तु वे मंगलवारको समितिके आगे अपने विचार रखेंगे। वे गोलमेज सम्मेलनकी समितिकी बैठकोंमें पहलेसे ही तैयार कोई भाषण नहीं देंगे, अपितु अवसर को देखते हुए उनके मनमें जो विचार उठेंगे उन्हें ही वे प्रस्तुत करेंगे। आज एक मुलाकातके दौरान उन्होंने कहा :

मैंने इंग्लैंडमें अपने ठहरनेके सिलसिलेमें न तो कोई योजना बनाई है, न भाषण तैयार किये हैं, न तर्क-वितर्क निश्चित किया है और न कोई कार्यक्रम ही बनाया है। मैं तो अपने अन्तरकी आवाजपर निर्भर रहते हुए जैसा अवसर होगा वैसा करूँगा। यदि इंग्लैंड राष्ट्रवादी आन्दोलनकी शक्तिको पहचानता है तो मुझे उम्मीद है कि वह हमारी माँगोंकी ओर जरूर ध्यान देगा, लेकिन दुर्भाग्यसे यदि वह यह समझता है कि हम अल्प-संख्यक हैं तो मुझे लड़ाई फिरसे शुरू करनेके लिए तैयार होकर भारत लौटना होगा।

[अंग्रेजीसे]

यॉर्कशायर पोस्ट, ११-९-१९३१

४९१. भेंट : 'डेली हेरल्ड' के प्रतिनिधिसे

मारसाई
११ सितम्बर, १९३१

"राजपूताना" जहाज जब सुबह बन्दरगाहमें आकर रुका, उसके शीघ्र ही बाद उनके छोटे-से सेकंड-क्लास कैबिनमें केवल हम दोनों बात कर रहे थे।

मेरे मनमें निराशा है। लेकिन मैं आशान्वित भी हूँ। भारत छोड़ते समय मैंने जो तथ्य देखे, उनसे मेरा मन निराश हो गया। और तबसे अबतक के बीच ऐसी कोई बात होनेकी मुझे जानकारी नहीं है जिससे मेरा यह मत बदले। लेकिन जो कुछ दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद मेरा विश्वास मुझे आशान्वित करता है, क्योंकि मैं सदासे आशावादी रहा हूँ।

मैंने पूछा, "समझौता-वार्ता करनेमें आप किस हदतक स्वतन्त्र हैं?"

मैं कराची कांग्रेसके प्रस्तावसे[1] पूरी तरह बँधा हुआ हूँ। लेकिन उसकी सीमाके भीतर मैं स्वतन्त्र हूँ।

कराची प्रस्तावोंमें वित्त, सेना और विदेशोंसे सम्बन्धके मामलेमें भारतके नियन्त्रणकी माँग की गई है। यह नियन्त्रण कुछ सुरक्षात्मक शर्तोंके साथ होगा जो "स्पष्ट रूपसे भारतके हितमें होंगे", लेकिन इन प्रस्तावोंमें प्रतिनिधिमण्डलको काफी हदतक यह अधिकार भी दिया गया है कि वह भारतके हितमें आवश्यक हो, ऐसा समंजन भी कर सकता है।

यदि मैं सिद्धान्तोंके मामलेमें सन्तुष्ट हूँ, यदि हम सिद्धान्तोंके ऊपर सहमत हैं — यही बुनियादी चीज है — तो संमजन किया जा सकता है।

मैं पहला अवसर मिलते ही अपनी स्थितिको — मुझे जो निर्देश दिये गये हैं उनकी शर्तोंको — सम्मेलनके सामने स्पष्ट कर दूँगा। तब यह साफ हो जायेगा कि उसके आधारपर हम आशाजनक रूपसे तफसीलके ऊपर विचार कर सकते हैं या नहीं। यदि ऐसा लगता है कि कर सकते हैं तो अच्छा है। यदि नहीं तो मैं अपने उद्देश्यमें विफल हुआ, ऐसा मानूँगा, और तब मैं भारत लौट आऊँगा।

"और तब?" मैंने पूछा। उनका मुख गम्भीर हो उठा। उनकी शान्त आँखें दूरीमें खो गईं।

तब शायद सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिरसे होगा। लेकिन यह कोई धमकी नहीं है कि यदि मैं लन्दनमें विफल हुआ तो भारतमें फौरन सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ होनेकी घोषणा कर दी जायेगी। मैं सरकारको अटपटी स्थितिमें नहीं डालना चाहता। इंग्लैंडमें लोग इस बातका विश्वास नहीं करते। ऐसा इसलिए है कि वे

१. देखिए खण्ड ४२।

समझते नहीं। ये हम नहीं हैं जो सरकारकी स्थिति अटपटी करते हैं। यह अटपटी हालत उस स्थितिके कारण है जो पैदा की गई है, उस अन्यायके कारण है जो पहले किया जा चुका है। यह अटपटी स्थिति अवश्यम्भावी है। जब भी किसी अन्यायको सुधारना होता है तब हमेशा यही होता है। लेकिन हम इस अटपटेपनकी भावनाको यथासम्भव कम करना चाहते हैं। हम मदद करना चाहते हैं। गलतीको सुधारना ही चाहिए। आधारभूत सिद्धान्त यही है।

मैं गलतीके सुधारको इंग्लैंड और भारत, दोनोंके लिए यथासम्भव सरल बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कितनी ही बार कहा है, मैं अंग्रेज जनताका भी और अपने देशकी जनताका भी मित्र हूँ।

[अंग्रेजीसे]

डेली हेरल्ड, १२-९-१९३१

४९२. चुंगी अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नोंके उत्तर

मारसाई

११ सितम्बर, १९३१

चुंगी इन्स्पेक्टर द्वारा यह पूछे जानेपर कि क्या आपके पास ऐसी कोई विशेष चीज है जिसके बारेमें आप हमें बताना चाहेंगे, गांधीजीने उत्तर दिया :

मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। मेरे पास तो केवल निम्नलिखित चीजें ही हैं —छः चरखे; जेलकी तश्तरियाँ, बकरीके दूधका एक डिब्बा, ५ हाथ-कते कपड़ेकी लँगोटियाँ; एक तौलिया; और मेरी ख्याति, जिसका मूल्य अधिक नहीं हो सकता।

इन्स्पेक्टरने आगे पूछा — "क्या आपके पास सिगरेट, सिगार, शराब, गोला-बारूद अथवा मादक द्रव्य हैं?"

ओह, नहीं, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता और न कभी मादक द्रव्योंका सेवन ही करता हूँ। इसके अतिरिक्त अहिंसाका हिमायती होनेके नाते मैं अपने पास कभी गोला-बारूद नहीं रखता।

[अंग्रेजीसे]

डेली मेल, १२-९-१९३१

४९३. भेंट : 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के प्रतिनिधिसे

मारसाई
११ सितम्बर, १९३१

महात्मा गांधीने यहाँ पहुँचनेपर 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के प्रतिनिधिसे एक भेंटमें कहा कि मेरा अमेरिका जानेका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँके लोगोंको मेरी कोई जरूरत नहीं है . . .।

उन्होंने आगे बताया कि जबतक मुझे निश्चित रूपसे विश्वास नहीं हो जाता कि अमेरिकावाले मुझे एक सामाजिक कौतुकके रूपमें नहीं अपितु भारतीय पक्षके प्रवक्ताके रूपमें बुला रहे हैं, तबतक मैं वहाँ जानेकी बात नहीं सोच सकता। उन्होंने आगे कहा कि मेरे अमेरिकी मित्रोंका कहना है कि अब यह बात सम्भव नहीं है।

[एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें] महात्माजीने बताया कि [किसी देशकी] हवाकी दशासे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुआ तो जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ जाऊँगा।

जहाँतक बाहरी लक्षणोंका प्रश्न है मुझे गोलमेज सम्मेलनमें भारतके लिए कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। लेकिन अदम्य आशावादी होनेके नाते मैं अब आशा लगाये बैठा हूँ कि कोई-न-कोई ऐसी बात अवश्य होगी जिससे वातावरणका स्वरूप ही बदल जायेगा। लेकिन चूँकि मेरी इस आशाका आधार बुद्धि नहीं अपितु विश्वास है, इसलिए यह एक भ्रान्ति भी हो सकती है।

मैं लन्दनमें न तो कोई निश्चित कार्यक्रम लेकर आया हूँ और न कोई सुझाव ही लाया हूँ। मैंने तो केवल ब्रिटिश सरकारके निमन्त्रणको स्वीकार किया है और अब मैं अपने-आपको पूरी तरह ब्रिटिश सरकारकी इच्छापर छोड़नेको तैयार हूँ तथा अपनी सामर्थ्यभर ब्रिटिश सरकारके सारे प्रश्नोंका उत्तर और जानकारी देनेके लिए तैयार हूँ। मैं लन्दनमें दो सप्ताह ठहरनेकी उम्मीदसे आया हूँ लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो मैं दो महीनेतक रुकनेके लिए भी तैयार हूँ।

मेरा तो एक कार्यक्रम है और वह भी तीर्थयात्राके ढंगका है। मैंने अपने मित्र, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक, रोमाँ रोलाँसे मिलनेका वादा किया है जो इस समय स्विट्जरलैंडमें टेरीटेटके समीप अपने घरमें बीमार पड़े हैं तथा जिनकी बहन मैडेलिन रोलाँने मारसाईमें मेरे आगमनपर अन्य पुराने मित्रोंके साथ मेरा स्वागत किया था।

यह पूछनेपर कि ग्रेट ब्रिटेनकी सरकारमें हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उससे क्या भारतके प्रति ब्रिटेनकी नीतिमें कोई परिवर्तन आयेगा, श्री गांधीने बिना हिचक उत्तर दिया :

नहीं। इसके अलावा नई सरकार मुझे पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि जहाँतक भारतका सम्बन्ध है वह पिछली सरकारकी नीतिका अनुसरण करेगी।

तथापि हिन्दुओं और मुसलमानोंके पारस्परिक मतभेदके सम्बन्धमें . . . महात्मा गांधीने स्वीकार किया :

मुझे भय है कि कुछ ऐसे कारणवश जिनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, हिन्दू-मुस्लिम समस्याका सुलझना अब लगभग असम्भव हो गया है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कोई-न-कोई रास्ता अवश्य निकल आयेगा। लेकिन मुसलमान चाहें तो भारतके भविष्यका निपटारा करनेके मार्गमें वे रोड़ा अटका सकते हैं, और इसी तरह ब्रिटिश सरकार भी चाहे तो उनके इस विरोधको, भारतको स्वायत्त शासन प्रदान न करनेका एक बहाना बना सकती है। लेकिन यदि ब्रिटिश सरकार सच्चे हृदयसे भारतके साथ मैत्रीपूर्ण ढंगसे इस प्रश्नका निपटारा करना चाहती है, तो उसे मुसलमानोंकी आड़ नहीं लेनी चाहिए।

मैंने श्री गांधीसे पूछा कि क्या वे इस बातसे पूर्णतया सन्तुष्ट हैं कि स्वशासित सरकारमें अर्थात् स्वराज्यमें, जहाँ आबादीके लिहाजसे हिन्दुओंकी संख्या ज्यादा होगी, मुसलमानोंको तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों और धार्मिक सम्प्रदायोंको न्याय मिलेगा ?

महात्मा गांधीने उत्तर दिया कि भविष्यमें जो भी कोई समझौता होगा उसमें अल्पसंख्यकोंकी माँगोंका पूरा ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही बार-बार हिन्दुओंसे मुसलमानोंकी सारी माँगोंको स्वीकार कर लेनेके लिए कहता रहा हूँ — कुछ तो भावनात्मक आधारपर और कुछ इसलिए कि मेरा निश्चित मत है कि उनमें से कुछ माँगोंको व्यवहारतः मूर्त रूप दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने जोरदार शब्दोंमें कहा कि मुसलमानोंको सन्तुष्ट और प्रसन्न किये बिना स्वराज्य असम्भव है। तथापि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें नहीं मालूम कि अशान्ति और अव्यवस्थाकी वर्तमान हालतमें इसे कैसे किया जायेगा।

तब मैंने गांधीजीसे पूछा कि भारतके ६ करोड़ जाति-बहिष्कृत हिन्दुओंके बारेमें, जिन्हें 'अस्पृश्य' कहा जाता है, आपके विचारोंमें जो स्पष्ट असंगतियाँ हैं और इस गम्भीर समस्याको लेकर व्यक्त किये गये उनके कुछ विचारोंपर भारत और अमेरिकामें उनके मित्रोंमें जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई है उनके बारेमें आपको क्या कहना है।

श्री गांधीने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कहा :

विश्वास कीजिए, अस्पृश्यताके प्रश्नको लेकर मेरा दृष्टिकोण कभी भी तनिक भी नहीं बदला है। अस्पृश्योंके सवालपर मेरा जो मत है वह अखण्डनीय है। मेरे आलोचक तो उस समय जन्मे भी नहीं थे जब मैंने अस्पृश्योंके अधिकारोंका समर्थन किया था। मेरे दृष्टिकोणको लेकर यह जो गलतफहमी हुई है उसका कारण यह है कि पिछले वर्षके आरम्भमें मैंने अस्पृश्योंके एक शिष्टमण्डलके नेताओंको फटकार

दिया था। लेकिन मैं हमेशा ही किसी-न-किसीको, और आमतौर पर अपने सर्वाधिक प्रिय मित्रोंको फटकारता रहता हूँ।

मैंने इस शिष्टमण्डलसे कहा था कि मैं सार्वजनिक रूपसे कतई यह घोषणा नहीं करूँगा कि किसी भी स्वशासित सरकारमें अस्पृश्य जातियोंको 'सुरक्षित' विषय माना जायेगा। मैंने इसलिए इनकार किया, क्योंकि मैं इसे सम्भव नहीं मानता था और आज भी मैं सम्भव नहीं मानता।

लेकिन मैं सच्चे हृदयसे विश्वास करता हूँ कि ऐसी कोई भी स्वराज्य सरकार जो अस्पृश्यताके सिद्धान्तमें विश्वास रखती हो, २४ घंटे भी नहीं टिक पायेगी। किसी भी अस्पृश्यको इस बातका भय नहीं होना चाहिए कि स्वराज्यमें उसके हितोंकी अव-हेलना की जायेगी, जैसाकि आज की जाती है। आज ब्रिटिश सरकार अस्पृश्योंकी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वह उन लोगोंको नाराज नहीं करना चाहती जो अस्पृश्यताको बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन एक सच्ची भारतीय सरकार इन हितोंके आगे सिर झुकानेको विवश नहीं होगी, क्योंकि उसके सामने इन हितोंकी अपेक्षा कहीं अधिक बड़े हितकी — राष्ट्रीय एकताकी — सेवा करनेका उद्देश्य होगा।

मैं अपने वक्तव्यको फिरसे दोहराता हूँ कि भारतका राष्ट्रीय अस्तित्व सर्वथा अस्पृश्योंके प्रश्नपर ही निर्भर करेगा।

[अंग्रेजीसे]

न्यूयॉर्क टाइम्स, १२-९-१९३१

४९४. भेंट : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे

मारसाई
११ सितम्बर, १९३१

महात्मा गांधीने स्वीकार किया कि सत्रह वर्षकी अनुपस्थितिके बाद इंग्लैंड जाते हुए मैं 'घबराहट' का अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि "जहाजके कप्तान और कर्मचारियोंकी अविरत कृपाके कारण" मेरी समुद्र-यात्रा सुखद रही।

गांधीजीने मित्रोंको बताया है कि वे लन्दनमें संघ-संरचना उप-समिति या गोलमेज सम्मेलनकी बैठकोंकी अपेक्षा नेताओंकी खानगी बैठकके जरिये ज्यादा ठोस परिणाम प्राप्त करनेकी आशा करते हैं।

गांधीजीने हमारे संवाददाताको बताया :

मैं अपने स्वप्नको — अपने देशकी स्वाधीनताके स्वप्नको — साकार करनेके लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ।

उन्होंने कहा कि इंग्लैंडमें सरकार बदलनेके विचारसे मेरी नीतिपर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सर सैमुअल मुझे एक ठेठ ब्रिटिश भद्रपुरुष प्रतीत होते हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी सहानुभूति मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे पक्षमें होगी।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप बकिंघम पैलेस जायेंगे, गांधीजीने कहा:

मैं ब्रिटिश सरकारका बन्दी हूँ — कहूँ कि खुशीसे उसका बन्दी हूँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-९-१९३१

४९५. भेंट: 'डेली मेल' के प्रतिनिधिसे

११ सितम्बर, १९३१

मैंने गांधीजीसे पूछा कि क्या वे लंकाशायर जायेंगे। उन्होंने उत्तर दिया:

अगर वहाँ वे मुझे मार भी डालें तो भी मैं जाऊँगा, लेकिन बिना निमन्त्रणके मैं नहीं जाऊँगा। मैं अदम्य रूपसे आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि सर सैमुअल होर एक ठेठ अंग्रेज भद्रपुरुष हैं, हालाँकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, और मैं इस सम्मेलनमें भारतके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेकी आशा करता हूँ।

इन सबसे ऊपर, मैं अपने शत्रुओंसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन सबोंसे मिलना चाहता हूँ जो मेरे विरुद्ध बोलते और लिखते हैं। इनमें श्री विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड रॉदरमियर भी शामिल हैं।

[अंग्रेजीसे]

डेली मेल, १२-९-१९३१

४९६. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे

मारसाई
११ सितम्बर, १९३१

श्री गांधीने आज एसोसिएटेड प्रेसको बताया कि उनका विश्वास है कि ब्रिटेनके सामने ऐसी जबर्दस्त घरेलू समस्याएँ खड़ी हैं कि उसके लिए भारतकी स्वराज्यकी माँगको अस्वीकार करना सम्भव नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस माँगको अस्वीकार करनेका मतलब होगा कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन और ब्रिटिश मालका बहिष्कार फिरसे शुरू किया जायेगा, और वह भी इतने बड़े पैमानेपर जितना पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जबतक पंच फैसलेकी सभी सम्भावनाएँ बिलकुल समाप्त नहीं हो जातीं, तबतक वे ऐसा कदम नहीं उठायेंगे। उन्होंने कहा:

ईश्वर न करे, किन्तु यदि संघर्ष फिरसे शुरू ही हुआ तो इसके परिणाम पिछले संघर्षके मुकाबले कहीं अधिक भयंकर होंगे। मुझे भय है कि इसका अर्थ यह होगा कि न केवल भारतीय लोग ही गोलियोंसे भूने जायेंगे, बल्कि अंग्रेज लोग भी मारे जायेंगे। आप ३६ करोड़ गुलाम लोगोंको अहिंसाके रस्सेसे हमेशाके लिए बाँधे नहीं रख सकते।[1]

यदि इंग्लैंड समझदार है तो वह राष्ट्रवादी आन्दोलनकी वर्तमान शक्ति और सम्भावनाओंको सावधानीपूर्वक तौलेगा और विशाल भारतीय उपमहाद्वीपकी स्वतन्त्रताकी अपीलपर ध्यान देगा। जिस वरदानको वह स्वयं सबसे अधिक मूल्यवान मानता है उसी वरदानसे उसे दूसरोंको वंचित नहीं रखना चाहिए।

गांधीजीने कहा कि इंग्लैंड जो भी सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तुत करता है वे स्पष्ट रूपसे भारतके हितमें भी होने चाहिए। उन्होंने कहा :

हमें वित्त और कर-सम्बन्धी मामलोंमें पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हमें प्रभावशाली औपनिवेशिक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके अर्थ यह नहीं हैं कि भारत साम्राज्यमें भागीदार नहीं होगा या उससे मैत्री-सम्बन्ध नहीं रखेगा।

[अंग्रेजीसे]
न्यूयॉर्क टाइम्स, १२-९-१९३१

४९७. भेंट : 'न्यूज क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे

मारसाई
११ सितम्बर, १९३१

मैं सरेआम यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं शान्तिका उपासक हूँ। अवश्य मैं एक सैनिक भी हूँ और इस नाते मुझे युद्धके लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन हृदयसे मैं शान्तिकी इच्छा करता हूँ।

साम्प्रदायिकताकी समस्याके बारेमें उन्होंने आशा प्रकट की।

जहाजपर शौकतअलीके साथ मेरी लम्बी-लम्बी बातचीत हुई है और मैंने उनका रुख मैत्रीपूर्ण और सन्तुलित पाया। जितनी भी आन्तरिक समस्याएँ हैं उनमें साम्प्रदायिकताकी समस्या सबसे महत्त्वपूर्ण है।

बाहरी समस्याओंके बारेमें मैं तबतक कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता जबतक कि मैं आपके राजनीतिज्ञोंसे न मिल लूँ। याद रखिए कि मैं नुमाइन्दा हूँ, निजी हैसियतमें यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे कराचीके निर्णयके अनुसार ही चलना है।

जो असहमत हैं उन देशी राजाओंके बारेमें चिन्ता मत कीजिए। अन्य समस्याएँ सुलझ जानेपर संघके सवालपर मेरी रायमें कोई वास्तविक कठिनाई नहीं होगी।

१. २९ सितम्बर, १९३१ को जूलिएट ई० ब्लूमको लिखे पत्रमें गांधीजीने इस बातसे इनकार किया है कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया था; देखिए खण्ड ४८, पृष्ठ १०१-१०२।

मैं आशा करता हूँ कि सरकार मेरे मौन-दिवसोंका ध्यान रखेगी। मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। मैं सम्मेलनकी बैठकोंमें भाग लूँगा, किन्तु बोलूँगा नहीं।

मैं बादशाहसे और आपके जितने राजनीतिक नेताओंसे सम्भव हो, उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ। यदि मुझे बादशाहसे मिलनेके लिए निमंत्रित किया गया तो मैं निश्चय ही जाऊँगा। मैं बादशाहका दुश्मन नहीं हूँ।

मैं इंग्लैंडमें ये ही कपड़े पहनूँगा। यहाँ मेरे बहुतसे मित्र हैं, और उनके हृदयकी ऊष्मामें मुझे यहाँ ठंड नहीं महसूस होगी।

[अंग्रेजीसे]

न्यूज क्रॉनिकल, १२-९-१९३१

४९८. भेंट: रायटरके प्रतिनिधिसे

मारसाई

११ सितम्बर, १९३१

महात्माजीने रायटरके संवाददातासे, जो कि उनके साथ ही भारतसे आया था, बातचीत करते हुए यह भविष्यवाणी की कि यदि बुनियादी सिद्धान्तोंके ऊपर मतभेदके कारण सम्मेलन पहले पखवाड़ेतक भंग नहीं हो गया, तो यह सम्मेलन शायद १५ नवम्बरतक चले।

संवाददाताने पूछा कि ब्रिटिश सरकारने भारतमें . . . जो भारी ऋण चढ़ा लिया है, उस ऋणका कुछ भाग इंग्लैंड अपने माथे ले, क्या इसके लिए गांधीजीका इरादा इंग्लैंडपर जोर डालनेका है? श्री गांधीने उत्तर दिया:

इंग्लैंडपर कुछ स्वीकार करनेके लिए दबाव डालनेका कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ऋणोंको अंगीकार करनेके मामलेमें जिन चीजोंपर समझौता नहीं हो सकता उन्हें पंच-फैसलेसे तय किया जाना चाहिए।

श्री गांधीने कहा कि शराब और भूमिकी आमदनी छोड़नेसे राजस्वमें जो घाटा होगा, स्वराज्य सरकार उस घाटेको सेनापर तथा सिविल सर्विसके अफसरोंके वेतनों पर तबाह कर देनेवाले वर्तमान खर्चेको कम करके पूरा कर लेगी।

यह पूछनेपर कि आपका कार्यक्रम क्या है, उन्होंने कहा:

मैं कैसे जान सकता हूँ? आपने कांग्रेसका निर्देश-पत्र देखा है। वही मेरा कार्यक्रम है।

फोटोग्राफरोंकी खातिर ऊपर देखनेको कहनेपर महात्माजीने कहा:

मैं फोटो-चित्रोंको कभी नहीं देखता। मैं आपके अनुशासनमें नहीं हूँ, और अब मैं अपनी कैबिनमें जा रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

मैनचेस्टर गार्जियन, १२-९-१९३१

४९९. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, मारसाईमें[1]

११ सितम्बर, १९३१

जब मैं १८९० में पेरिसमें हुई प्रदर्शनीको देखनेके लिए एक विद्यार्थीके रूपमें फ्रांस आया था[2] तबसे आपके और मेरे बीचमें कुछ घनिष्ठ तथा अधिक स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। उन सम्बन्धोंको स्थापित करनेका श्रेय आपके सुप्रसिद्ध देशबन्धु रोमाँ रोलाँको है, जिन्होंने अपनेको मेरे उस विनम्र सन्देशका व्याख्याता बना लिया है, जिसे मैं लगभग ३० वर्षोंसे अपने देशवासियोंको समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने आपके देशकी परम्पराओंका और रूसो तथा विक्टर ह्यूगोकी शिक्षाका कुछ अध्ययन किया है, और आज जबकि मैं उस कठिन कामको शुरू करने जा रहा हूँ जो मुझे लन्दनमें करना है, तब आप विद्यार्थियोंके इस स्वागतसे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

और जब उन्होंने उस युद्ध-प्रिय जातिके नवयुवकोंके सामने अहिंसाके सन्देशका स्पष्टीकरण किया और उन्हें समझाया कि अहिंसा निर्बलका नहीं, वरन् अत्यन्त शक्तिशालीका अस्त्र है; शक्तिका अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, "और अहिंसक व्यक्तिमें शारीरिक बल नहीं बल्कि बलवान हृदयका होना नितान्त आवश्यक है", तो इसपर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक हर्षध्वनि की। गांधीजीने उदाहरण देते हुए समझाया कि किस प्रकार एक बलिष्ठ जूलू हाथमें पिस्तौल लिये हुए अंग्रेज बालकके सामने काँपने लगता है, परन्तु इसके विपरीत भारतवर्षकी ललनाओंने लाठी-प्रहार और लाठियोंकी वर्षाको अत्यन्त दृढ़ताके साथ सहा। शत्रुके साथ युद्ध करते हुए उसे मार डालने या स्वयं मर जानेमें तो बहादुरी है ही, किन्तु अपने प्रतिद्वन्द्वीके प्रहारोंको सहन करना और बदलेमें प्रहार न करना उससे कहीं ऊँचे दर्जेकी बहादुरी है, और ठीक इसी बातके लिए भारत अपने-आपको तैयार कर रहा है। अन्तमें उन्होंने इसी प्रश्नके एक दूसरे पहलूकी भी चर्चा की।

अहिंसाकी इस लड़ाईको दूसरे शब्दोंमें आत्म-शुद्धिकी एक प्रक्रिया कहा गया है – जिसका तात्पर्य यही है कि राष्ट्र अपनी स्वन्तत्रता अपनी ही कुछ कमजोरियोंके कारण खोता है, और ज्यों ही हम अपनी कमजोरीको दूर कर देते हैं त्यों ही अपनी स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर लेते हैं। दुनियाकी कोई भी जाति अपने ऐच्छिक या अनैच्छिक सहयोगके बिना गुलाम नहीं बनाई जा सकती। अनैच्छिक सहयोग वह

१. इसका आयोजन मारसाईके नये और पुराने विद्यार्थियोंकी सभाने "भारतके आध्यात्मिक दूत"के सम्मानमें किया था। यह रिपोर्ट महादेव देसाईकी "लन्दनकी चिट्ठी" में से ली गई है।

२. देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ ६५-६।

होता है जिसमें आप किसी शारीरिक आघातके भयसे किसी अत्याचारी और निरंकुश शासककी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। . . . .

विद्यार्थियोंके बीच रहते हुए अपने आन्दोलनके आरम्भमें मैंने इस रहस्यको जाना कि इस प्रकारके आन्दोलनके संचालनका आधार चरित्रबल होना चाहिए। हमें यह भी अनुभव हुआ है कि सच्ची शिक्षाका अर्थ दिमागमें तथ्य और आँकड़े भर लेना नहीं है और न ही विविध पुस्तकें पढ़कर परीक्षाएँ पास कर लेना है, बल्कि उसका अर्थ है, चरित्र-निर्माण। मुझे पता नहीं कि आप लोग — फ्रांसके विद्यार्थीगण — बौद्धिक अध्ययनकी अपेक्षा चरित्र-निर्माणको कितना महत्त्व देते हैं। परन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आप अहिंसाकी सम्भावित शक्तियोंकी खोजबीन करें तो आपको मालूम होगा कि चरित्रके बिना आपका अध्ययन निरर्थक सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ कि यही सभा हमारे पारस्परिक परिचयका आदि और अन्त नहीं होगी। प्रत्युत मुझे आशा है कि यह परिचय आपके और मेरे देशवासियोंके बीचमें सजीव सम्बन्ध स्थापित करनेका शुभारम्भ होगा। जैसा आन्दोलन इस समय हम भारतवर्षमें चला रहे हैं, उसके लिए हमें सारे संसारकी बौद्धिक सहानुभूतिकी आवश्यकता है, और यदि इस आन्दोलनका और स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए प्रयुक्त हमारे साधनोंका विचारपूर्वक अध्ययन करनेके बाद आप यह अनुभव करें कि हम आपकी इस सहानुभूति और सहायताके पात्र हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वह सहानुभूति हमें दिये बिना न रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१०-१९३१

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एच० डब्ल्यू० इमर्सनका पत्र[1]

शिमला
४ जुलाई, १९३१

आपने अपने १४ जूनके पत्रमें कहा था कि अब सम्भवतः समय आ गया है कि समझौतेकी व्याख्या और दोनों पक्षों द्वारा शर्तोंके पूर्ण पालनके प्रश्नोंका निश्चय करनेवाले एक स्थायी पंच-मण्डलकी नियुक्ति की जाये। पुनः आपने २० जूनके पत्रमें एक और सुझाव दिया कि जहाँतक धरनोंका सम्बन्ध है, भारत सरकार स्थानीय सरकारोंको परामर्श दे कि वे धरनोंसे सम्बन्धित उभयपक्षकी शिकायतोंकी फौरी जाँच करानेके लिए जाँच-समिति नियुक्त करें जिसमें सरकार और कांग्रेस दोनोंका एक-एक नामजद सदस्य हो, और जहाँ भी ऐसा पता चले कि शान्तिमय धरनेके नियमका उल्लंघन किया गया है वहाँ धरना बिल्कुल रोक दिया जाये; दूसरी ओर सरकार जिम्मा ले कि जिन मामलोंमें शान्तिपूर्ण धरनेके बावजूद लोगोंके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जा रही है, उन मामलोंमें मुकदमे उठा लिये जायें।

समझौतेके फलस्वरूप जो विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, उनके सम्भावित कारणोंको दूर करनेके आपके उद्देश्यकी मैं बहुत कद्र करता हूँ, किन्तु मुझे खेद है कि दोनों ही प्रस्तावोंको स्वीकार करनेमें गम्भीर कठिनाइयाँ हैं। पहले छोटे प्रस्तावको ही लें। मेरी समझमें इसके अन्तर्गत मुख्यतः वे ही मामले आते हैं जिनमें शिकायत यह हो कि धरना देनेके ढंगसे सामान्य कानूनका उल्लंघन हुआ है और फलस्वरूप पुलिसने धरना देनेवालेके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है या करनेवाली है। आपके प्रस्तावका एक फल यह होगा कि कानूनी कार्रवाई करनेसे पहले सरकार द्वारा नामजद किया गया एक व्यक्ति और कांग्रेस द्वारा नामजद किया गया एक व्यक्ति मामलेकी फौरी जाँच करे, और आगेकी कार्रवाई उनके निर्णयपर ही निर्भर होगी।

दूसरे शब्दोंमें, इस विशेष मामलेमें व्यवस्था कायम रखनेका दायित्व पुलिस — जिसके हाथोंमें नियमानुसार ये दायित्व हैं — के हाथोंसे हटकर एक जाँच-समितिके हाथोंमें आ जायेगा और उस समितिके सदस्योंके निष्कर्ष भिन्न भी हो सकते हैं। हालाँकि पुलिसको केवल कानूनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए, लेकिन न तो यह व्यावहारिक ही है और न समझौतेका यह तात्पर्य था कि इस विषयमें उनके दायित्वोंको किसी भी प्रकार रद किया जाये।

१. देखिए पृष्ठ २१।

ऐसे मामलोंमें नियमका उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी व्यावहारिक कसौटी तो मुकदमेकी सुनवाई करनेवाली अदालतका निर्णय ही है और जबतक कि अपीलमें इस निर्णयको बदल नहीं दिया जाता तबतक अदालतका यह निर्णय कि धरनेके कारण कानूनका, और साथ ही समझौतेकी शर्तोंका भी अतिक्रमण हुआ है, प्रकट रूपसे यह अपेक्षा रखता है कि धरना देना भी फलस्वरूप स्वयमेव स्थगित कर दिया जाये। स्थायी पंच मण्डलोंके मामलेमें जो कठिनाइयाँ उठेंगी यह उनका एक दृष्टान्त है।

समझौतेके फलस्वरूप कांग्रेसपर जो दायित्व रखे गये हैं उनका सम्बन्ध मुख्यतः कानून और व्यवस्था-विषयक मामलोंसे, व्यक्तिकी कार्य करनेकी स्वतन्त्रतासे और प्रशासनका काम-काज जारी रखनेसे है। तात्पर्य यह कि समझौतेके उल्लंघनकी किसी भी गम्भीर घटनाकी इनमें से एक-न-एक चीजपर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी। जिस हदतक समझौतेके उल्लंघनसे साधारण कानूनका अतिक्रमण होगा, उस हदतक स्थिति वैसी ही होगी जैसी कि धरनेके मामलेमें होगी। यदि समझौतेके सामान्य रूपसे उल्लंघनके कारण कानून और व्यवस्थाको प्रभावित करनेवाले नीति-विषयक प्रश्न उत्पन्न होते हैं अथवा प्रशासनके कारगर ढंगसे संचालनसे सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो वैसी स्थितिमें सरकारके लिए अपने कार्य करनेकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगा लेने और उन मामलोंको पंच-मण्डलके सामने पेश करनेकी बात स्वीकार करना स्पष्ट ही असम्भव है। समझौतेका, और विशेष रूपसे उसकी अन्तिम धाराका मसविदा तैयार करते समय ऐसी कोई बात नहीं सोची गई थी और न ही यह बात सरकारके अपने बुनियादी दायित्वोंके प्रतिपालनके साथ मेल खाती है।

मुझे तो यही प्रतीत होता है कि समझौतेका पालन मूलतः दोनों पक्षोंकी नेकनीयती पर निर्भर होना चाहिए। जहाँतक सरकारका सवाल है, उसकी इच्छा समझौतेकी शर्तोंका तो दृढ़तापूर्वक पालन करनेकी है, और हमारी सूचनासे पता चलता है कि स्थानीय सरकारें समझौते द्वारा आरोपित अपने दायित्वोंका पालन बड़ी सावधानीसे कर रही हैं। कुछ सन्दिग्ध मामले तो अवश्यम्भावी रूपसे होंगे ही, किन्तु स्थानीय सरकारें उनकी अत्यन्त सावधानीके साथ जाँच करनेको तैयार हैं, और केन्द्रीय सरकारके सामने जो मामले लाये जायेंगे, उनकी ओर वह स्थानीय सरकारोंका ध्यान खींचती रहेगी और आवश्यकता होनेपर वह स्वयं तथ्यातथ्यका पता चलायेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट २

सर अर्नेस्ट हॉटसनका पत्र[1]

महाबलेश्वर
३० जून, १९३१

वाइसराय महोदयने मुझे कहा है कि आपको सरकारी निमन्त्रण भेजा जाये उससे पूर्व मैं आपसे व्यक्तिगत रूपसे पता कर लूं कि क्या आप आगामी ५ सितम्बरसे लन्दनमें आरम्भ होनेवाले गोलमेज सम्मेलनकी संघ संरचना समितिका सदस्य बननेको तैयार होंगे?

आप अपना उत्तर यथाशीघ्र भेजनेकी कृपा करें, और इस बीच इस सूचनाको नितान्त गोपनीय मानें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-८-१९३१

परिशिष्ट ३

गांधीजीके साथ हुई चर्चाके बारेमें एच० डब्ल्यू० इमर्सनका विवरण[2]

१५/१६ जुलाई, १९३१

आज दोपहरको श्री गांधीसे मिला। उनके पास समझौतेके तथाकथित भंगकी घटनाओंसे सम्बन्धित कागजात नहीं थे, और हमारी बातचीतमें कई विषयोंपर चर्चा हुई। इनमें से कुछके बारेमें हम बादमें फिर बातें करेंगे।

२. पहले मैंने उनसे गुजरातके विषयमें पूछा। कुल मिलाकर वे वहाँकी स्थितिसे सन्तुष्ट ही लगे। उनकी मुख्य शिकायत किसानोंको जारी की गई चेतावनीकी नोटिसों और अवैध रूपसे रोक रखी गई बकाया लगानकी वसूलीके लिए जोर-दबावके इस्तेमालको लेकर थी। उनका प्रधान तर्क यही था कि उन्होंने स्वयं तथा दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंने लगान-वसूलीमें सहायता दी थी और ईमानदारीसे भरसक यत्न किया था कि लगान देनेवालोंसे अधिकाधिक रकमका भुगतान करवा दें; कुछ मामलोंमें नोटिसें और सम्मन जारी कर दिये गये और उन्हें इस बातका मौका ही नहीं दिया गया कि जो-कुछ लगान की उगाही सम्भव हो, वह उगाही वे करवा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियोंकी अपेक्षा वह और उनके साथी किसानोंकी लगान

१. देखिए "पत्र: सर अर्नेस्ट हॉटसनको", ३-७-१९३१।
२. देखिए "भेंट: **अमृतबाजार पत्रिका** के प्रतिनिधिसे", १५-७-१९३१।

दे सकनेकी क्षमताका ज्यादा सही अनुमान लगा सकते हैं। मैंने कहा कि सभी इस बातको मानते हैं कि स्वयं उन्होंने लगानदाताओंसे ईमानदारीसे लगान दिलवानेका हर सम्भव प्रयत्न किया है, किन्तु उनके कुछ मित्रोंके विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती, और लगान भरनेमें जानबूझकर देरी की जा रही थी या नहीं, इसकी व्यावहारिक कसौटी तो इसी तथ्यसे हो जाती है कि नोटिस और सम्मन जारी होते ही तत्काल भारी संख्यामें लोगोंने लगान भर दिया। भारत सरकार, स्थानीय सरकार तथा गांधीजीमें सिद्धान्तका कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। सभी सहमत थे कि चाहे चालू वर्षका लगान हो या बकाया लगान हो, जो लोग कर सकते हैं उन्हें लगान अदा कर देना चाहिए, और कठिनाई तो वहीं उठती थी जहाँ अदायगीकी सामर्थ्य सन्दिग्ध थी। श्री गांधीने स्वीकार किया कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके प्रयत्नोंके बावजूद भी लगान अदायगीसे कतरा रहे हों, किन्तु उनका दावा था कि वास्तवमें स्थानीय अधिकारियोंकी आशासे कहीं अधिक वसूली हो गई थी और लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी कि इससे ज्यादा वसूली करना ज्यादती बन जाता। लगता है कि उन्होंने हालमें सूरतके कलेक्टरसे मिलकर वसूलीमें कांग्रेसकी और अधिक सहायता लेनेका प्रस्ताव रखा था और उनके अनुसार कलेक्टरने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैंने अवसरका लाभ उठाकर कहा कि गुजरातकी विशिष्ट परिस्थितियोंके कारण खेड़ामें लगान वसूलीके मामलेमें सरकारी अफसरों और कांग्रेस-का घनिष्ठ सहयोग सुविधाजनक था, किन्तु भूमि-कर प्रशासनमें यह सम्भव नहीं है कि किसी तीसरे पक्षको सामान्य रूपसे यह तय करनेका अधिकार दे दिया जाये कि किसान लोग कितना लगान दे सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस समय जो लगान नाजायज तौरपर बकाया पड़ा हुआ है यदि उसकी वसूलीको औपचारिक रूपसे स्थगित कर दिया जाये तो उसका क्या फल निकलेगा। वे बोले कि वह सामान्य रूपसे अगली फसलके बाद वसूल लिया जायेगा, बशर्ते कि कोई प्राकृतिक विपत्ति न आ पड़ी तो। मैंने कहा कि उस परिस्थितिमें अगली फसलके बाद भू-राजस्व व्यवस्था-के सामान्य नियमोंके अनुसार ही लगान वसूला जायेगा, और कांग्रेस बीचमें बिल्कुल नहीं आयेगी और किसानोंके खिलाफ सामान्य नियमोंके अनुसार कदम उठाये जायेंगे। श्री गांधीने इससे सहमति प्रकट करते हुए कहा कि तथ्य तो यह है कि वे पहले ही लगानदाताओंको कह रहे हैं कि इस फसलके बाद कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी और वे साधन-संग्रह कर रखें और लगानकी जो वसूली स्थगित न की गई हो उस लगानको अदा करनेको तैयार रहें। मैंने सावधानी बरत कर श्री गांधीको यह नहीं बताया कि स्थानीय सरकार माननेको तैयार थी कि चालू लगान-वसूलीकी सीमा समाप्त हो गई है। साथ ही साथ यह बात निश्चित रूपसे तय पाई गई कि इस फसलके बाद गुजरातमें राजस्व-प्रशासन फिरसे साधारण पद्धतिके अनुसार चलेगा। यह बात काफी महत्त्वकी लगती है।

३. फिर मैंने कहा कि पिछले दिनोंमें ये आरोप बड़े पैमानेपर छपे हैं कि सरकार द्वारा समझौतेका उल्लंघन हुआ है, और सरकार यह स्वीकार नहीं करती

कि इस आरोपका कुछ आधार भी है। उलटे, सरकारका कहना है कि कांग्रेसने समझौतेका कई बार गम्भीर उल्लंघन किया है। मैंने शिकायतोंको दो वर्गोंमें रखा और उनके अन्तरको स्पष्ट किया। पहले वर्गमें वे शिकायतें थीं जिनमें कहा गया था कि समझौतेकी कुछ खास-खास शर्तोंका पालन नहीं हुआ था। दूसरे वर्गमें आनेवाली शिकायतें वे थीं जिनमें अस्पष्ट रूपसे समझौतेका पालन न करनेका आरोप लगाया गया था, लेकिन जिनकी जाँच करनेपर पता चलता है कि इन मामलोंमें समझौतेका कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, प्रत्युत उनका सम्बन्ध स्थानीय सरकार द्वारा सामान्य प्रशासनके दौरान उठाये गये कदमोंसे था। मैंने कहा कि सामान्यतया हम इन शिकायतोंका समझौतेसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं मानते और इनका सम्बन्ध सामान्य प्रश्नोंसे है जिनपर बादमें चर्चा की जायेगी। सरकार इस प्रकारके उल्लंघनोंका आरोप हटानेके लिए बहुत उत्सुक है और श्री गांधीको याद दिलाया कि दो मास पूर्व पिछली भेंटमें मैंने उनसे स्पष्ट उदाहरण माँगे थे जो उन्होंने अभीतक नहीं दिये हैं। वे बोले कि ऐसा करनेका कारण यह था कि वे लोग (श्री गांधी और उनके साथी) सीधे स्थानीय सरकारोंके साथ ही मामला सुलझा लेना चाहते थे और कहा कि वे मुझे एक सूची दे देंगे।

४. धरनेके विषयमें कुछ चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अभी-अभी उन्हें मद्रास-से राजगोपालाचारीका तार मिला है कि स्थानीय सरकार शराबके ठेकोंकी नीलामी-बिक्री पर धरना देनेका निश्चित निषेध कर रही है। मैंने कहा कि तथ्यकी जानकारीके अभावमें यह राय देना सम्भव नहीं है कि स्थानीय सरकारका कार्य उचित है या नहीं, किन्तु किसी भी हालतमें, यदि नीलामी-बिक्रीपर धरना देना समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत हो तो भी मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इससे नशाबन्दी आन्दोलनकी कोई प्रगति होती है और सामान्यतः कांग्रेसकी अपनाई हुई पद्धतियोंसे कुछ स्थायी लाभ होता नहीं दीखता। मुझे इस बातका विश्वास करना बड़ा कठिन लगता है कि जो व्यक्ति इस उम्मीदसे नीलामीमें बोली लगाने आया हो कि यदि वह लाइसेंस प्राप्त करनेमें सफल हुआ तो मुनाफा कमायेगा, वह व्यक्ति बिना किसी जोर-दबाव या किसी किस्मकी असुविधाके अपने-आप पीछे हट जायेगा और नीलामीमें भाग नहीं लेगा। मैंने उन्हें बताया कि समझौतेके अन्तर्गत जिस ढंगके धरने दिये जा सकते हैं, वैसे धरनोंके मामलेमें भी कांग्रेस लोगोंके अन्दर बहुत रोष पैदा करनेकी गलती कर रही है, और धरनोंके कारण रोषकी यह भावना बढ़ती जा रही है। जवाहरलाल-ने इलाहाबादमें जो कुछ किया, मैंने उसका उदाहरण दिया और बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय सरकारने साम्प्रदायिक झगड़ेका खतरा टालनेके लिए दफा १४४ के अन्तर्गत आदेश जारी करनेकी आवश्यकतापर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। मैंने उन्हें स्पष्ट रूपसे समझा दिया कि समझौतेकी विशिष्ट व्यवस्थाओंके बावजूद यह सर्वोपरि है कि शान्ति कायम रखी जाये और धरना देनेसे यदि कहीं भी सार्व-जनिक शान्तिके भंग होनेका भय हो और विशेषतः साम्प्रदायिक दंगेका भय हो तो दफा १४४ लागू करनेमें सरकार बिल्कुल नहीं हिचकेगी। श्री गांधीने इस सिद्धान्तको

तो स्वीकार कर लिया, किन्तु बोले कि तथ्य यह है कि इलाहाबादमें कोई गड़बड़ होनेका अन्देशा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानोंकी दुकानोंपर धरना नहीं दे रही थी। मैंने कहा कि यह तो बड़ी उपयुक्त बात है, क्योंकि मुसलमानोंमें आन्दोलन चल रहा है कि हिन्दू धरनेदारोंपर धरना दिया जाये, और इससे फसाद होनेकी सम्भावना है। मैंने यह भी कहा कि मुसलमानोंमें विदेशी कपड़ेका व्यापार बढ़ानेकी भी बात चल रही है और इससे भी हिन्दू जनतामें कांग्रेसके तरीकोंके विरुद्ध रोष उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। कांग्रेसके तरीकोंके कारण लोगोंमें रोषकी भावना बहुत फैल रही है, और आज ही मुझे पंजाब सरकारसे सूचना मिली है कि एक नगरमें हिन्दू व्यापारियोंने कांग्रेसके विरोधमें सिर उठाया है। गांधीजी बोले कि वास्तवमें अब चूँकि शान्तिमय धरना देनेका तरीका अपनाया गया है, इसलिए सच तो यह है कि धरना देनेके लिए स्वयंसेवक मिलना ही मुश्किल है। मैंने उनसे कार्य-समितिके उस प्रस्तावका उल्लेख किया जिसके अनुसार कांग्रेस विदेशी कपड़ेकी बिक्री नहीं होने देगी। मैंने उन्हें बताया कि उस प्रस्तावके कारण इंग्लैंड और भारत, दोनों जगह भारी आलोचना हुई है, और उनसे कहा कि भविष्यम जब कांग्रेसको अपने सिद्धान्तों-का निरूपण करनेकी अनिवार्यता प्रतीत हो तो वैसा वह स्पष्ट शब्दोंमें करे, ताकि उसकी मनचाही व्याख्या न की जा सके। मैंने उन्हें यह बताया कि हमने सोचा था कि स्थितिका स्पष्टीकरण करनेके लिए एक विज्ञप्ति निकालनेकी आवश्यकता पड़ सकती है, और अभी भी शायद निकालनी ही पड़ जाये।

५. इसके बाद हमने संयुक्त प्रान्तकी भूमि-सम्बन्धी परिस्थितिपर लम्बी बातचीत की जिसमें लगभग उन्हीं प्रश्नोंकी चर्चा हुई जिनपर हमने पिछली बार बातचीत की थी। मैंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार आरम्भसे ही संयुक्त प्रान्तमें कांग्रेसकी गति-विधियोंको समझौतेका गम्भीर अतिक्रमण मानती रही है और तीन मास पूर्व गांधीजी-को सूचित कर दिया गया था कि ये गतिविधियाँ जारी रहेंगी तो बखेड़ा होना अवश्य-म्भावी है जिसके कारण स्थानीय सरकारको न केवल सामान्य कानूनके अन्तर्गत कदम उठाना पड़ सकता है, प्रत्युत विशेष कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। वे बोले कि यदि सरकार कांग्रेसकी गतिविधियोंको समझौतेका उल्लंघन समझती है तो समझौतेको समाप्त कर सकती है, किन्तु सरकारने ढंग यह अपनाया है कि समझौतेको तो समाप्त नहीं किया है किन्तु कांग्रेसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखा है। मैंने समझाया कि हमने समझौतेको इस कारण समाप्त नहीं किया है, क्योंकि हमें आशा थी कि स्थिति सुधर जायेगी और सब मामले शान्त हो जायेंगे। ठीक इसी कारण हमने कांग्रेसपर समझौते-के अतिक्रमणका कोई प्रकट दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि हमने समझ लिया था कि यदि हम लोग आरोप और प्रत्यारोपकी राहपर चल पड़े तो समझौतेका पालन बड़ा दुष्कर हो जायेगा। किन्तु साथ ही यह भी कि यदि सरकारकी नीयतपर शक जाहिर करनेवाले एकतरफा वक्तव्य निकलते रहे तो हमारे लिए अपनी यह नीति जारी रखना असम्भाव्य हो जायेगा। इसके बाद मैंने उन्हें संक्षेपमें संयुक्त प्रान्तमें कांग्रेसी गतिविधियोंके बारेमें जो सूचना हमें थी, वह बताई। उन्होंने यह तो स्वीकार

नहीं किया कि सूचना सही है, किन्तु उन्होंने वही सामान्य स्थिति अपनाई जिसे वे पहले भी अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसने हमेशा किसानोंका साथ दिया है और किसान सभाएँ वास्तवमें कांग्रेसकी ही रचना हैं तथा अपने सिद्धान्तका त्याग किये बिना कांग्रेस किसानोंके हितोंसे अपनेको विमुक्त नहीं कर सकती। मैंने उनके इस कथनकी सत्यताको चुनौती दी कि कांग्रेस और किसान एक ही हैं और कहा कि यह हितोंका निकट तादात्म्य समझौतेके बाद ही प्रस्फुटित हुआ है और नये संघर्ष-की तैयारीके लिए ग्रामीण इलाकोंमें कांग्रेसकी स्थिति मजबूत बनानेकी नीतिका ही अंग है और मुख्यतः इसी अन्तिम विशेषताके कारण सभी स्थानीय सरकारें कांग्रेसकी गतिविधियोंको सन्देहकी दृष्टिसे देखती हैं और कांग्रेसको उतना सहयोग नहीं दे पातीं जितना दे पाना सम्भव था। मैंने कहा कि संयुक्त प्रान्तमें कांग्रेसी कार्य-कलापोंके विरुद्ध अभियोगोंकी एक सूची बनाना बड़ा आसान है जिससे विश्व-मतपर भी प्रकट हो जायेगा कि कांग्रेसने बेईमानी की है। इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसके विषयमें किसी वक्तव्यका कोई डर नहीं बशर्ते कि उसमें तथ्य सही-सही दिये जायें। उन्होंने कहा कि प्रमुख तथ्य तो ये हैं कि मिली हुई छूटें अपर्याप्त हैं, सरकार हमेशा काश्तकारोंके विरुद्ध जमींदारोंका पक्ष लेती है और काश्तकारोंके पक्षका उचित निरूपण नहीं हो पाता। वे बोले कि सर मैलकम हेलीने भेंटके समय स्वीकार किया था कि जो छूटें दी गई हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, किन्तु उन्हें आर्थिक स्थिति तथा शासन-व्यवस्थाके प्रति अपने कर्त्तव्यका भी ध्यान रखना था। मैंने इसपर आपत्ति की और कहा कि सर मैलकम हेलीने वस्तुतः जो कहा उसका अभिप्राय यह रहा होगा कि उन्हें सरकार, जमींदारों तथा काश्तकारोंके दावोंके बीच एक सन्तुलन बनाये रखना है और हालाँकि वर्तमान परिस्थितियोंमें न तो वे और न कोई अन्य व्यक्ति ही पक्के विश्वाससे कह सकता है कि जो छूटें दी गई हैं वे बिल्कुल ठीक हैं अथवा नहीं, किन्तु यह दावा तो किया जा सकता है कि दी हुई छूटोंका आधार पहला-पहला निकटतम अनुमान था। छूटोंके पीछे यह व्यावहारिक सिद्धान्त था कि वास्तविक वसूलीकी दशामें यदि उनकी अपर्याप्तता सिद्ध हुई तो उनमें यथासमय हेरफेर कर दिया जायेगा, क्योंकि स्थानीय सरकार यह नहीं चाहती कि सरकार या जमींदारों द्वारा वसूलीमें सख्ती बरती जाये। मैंने उन सारे पुराने तर्कोंको दोहराते हुए कहा कि कांग्रेसी हस्तक्षेपके फलस्वरूप सरकारकी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। श्री गांधीने कहा कि संयुक्त प्रान्तमें परिस्थिति न तो खतरनाक है न निपट उलझी हुई और तत्काल ही उसे सुलझानेका उपाय मिल सकता है। मैंने उपाय पूछा तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिला अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंसे सलाह करें और लगभग उन्हींकी सलाहके अनुसार वसूल की जानेवाली मालगुजारी और लगानकी रकम निर्धारित करें। मैंने उन्हें साफ-साफ बता दिया कि यह उपाय अव्यावहारिक है और सरकार इन विषयोंपर स्वयं निर्णय करनेके अपने कर्त्तव्यको त्याग नहीं सकती और कितना लगान दिया जाना चाहिए, इस बारेमें जमींदारोंकी रायको स्वीकार करना सरकारके लिए अनुचित होगा। फिर उन्होंने यह सुझाव दिया कि जाँच की

जा सकती है, किन्तु यह भी स्वीकार किया कि सर मैलकम हेलीने उन्हें सहमत करा लिया था कि कोई फौरी जाँच करना नितान्त असम्भव होगा। हमने फिर इस प्रश्न पर विचार किया कि मूल्योंमें भारी गिरावटके परिणामस्वरूप मालगुजारी और लगानमें क्या अस्थायी समंजन करना जरूरी है, इसका निश्चय करनेके लिए एक व्यापकतर जाँच करना सम्भव है अथवा नहीं। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि इस प्रश्नको तो मूलतः स्थानीय सरकार ही तय कर सकती है और स्थानीय सरकारके विचार और स्थानीय स्थितिकी जानकारी न होनेके कारण हमारा वाद-विवाद अनिवार्य रूपसे सैद्धान्तिक ही हो सकता है। मैंने यह दर्शाया कि यदि इस सवालका अध्ययन करनेके बाद स्थानीय सरकारको ऐसी जाँच करानेकी आवश्यकता प्रतीत हो तो भी ऐसी जाँचमें महीनोंका समय लगेगा और सामान्य सुझाव भी प्रान्तके भिन्न डिविजनोंके लिए काफी भिन्न होंगे और उन डिविजनोंमें भी इन सुझावोंमें स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार कुछ समंजन करना होगा तथा प्रत्येक फसलके साथ मूल्योंमें जो परिवर्तन होगा उसके अनुसार फिर-फिर समंजन करनेकी जरूरत होगी। मैंने श्री गांधीको बताया कि यह जाँच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा होगी और जाँच-समिति जितनी छोटी होगी उतना ही उसका कार्य प्रभावकारी होगा, और अनुमान यही है कि जाँचका स्वरूप सार्वजनिक होगा जिसमें एक ओर जमींदारों और दूसरी ओर काश्तकारोंकी गवाही ली जायेगी तथा यदि कांग्रेसी प्रतिनिधि उसके समक्ष तथ्य और आँकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे तो इसमें आपत्तिका कोई कारण नहीं दीखता। श्री गांधी इस प्रकारकी जाँच करानेके लिए बहुत उत्सुक प्रतीत हुए और मुझे लगता है कि यदि शीघ्र ही जाँच-समिति नियुक्त की जा सके तो स्थिति सुधरनेमें काफी मदद मिलेगी। इस विषयपर स्थानीय सरकारके साथ परामर्श करना चाहिए। मैंने श्री गांधीको समझाया कि यदि ऐसी कोई जाँच कराई भी जाती है तो भी वर्तमान वसूली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरी दृष्टिमें इस सम्बन्धमें एक ही रास्ता है, और वह यह कि सरकार वसूली चालू रखे। हाँ, यह अवश्य मान लिया जाये कि यथाशक्य रूपसे जहाँ वास्तवमें भूमिधारी करकी अदायगीमें असमर्थ हों वहाँ सरकार बल-प्रयोगकी विधियाँ व्यवहारमें नहीं लायेगी और जो काश्तकार दुराग्रहवश लगान चुकानेसे इनकार करेंगे उनके विरुद्ध कानूनके अन्तर्गत कार्रवाई तो करेगी, किन्तु उनकी सामर्थ्यसे अधिक लगान वसूलनेमें जमींदारोंकी मदद नहीं करेगी। श्री गांधी वर्तमान वसूलीके बारेमें बताई गई इस स्थितिसे पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं थे। उनका दावा था कि बहुतसे जमींदार कांग्रेसकी सलाह मान रहे थे और समझ गये थे कि इसीमें उनका हित है।

६. विदा लेनेसे पहले हमने पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी भी संक्षिप्त चर्चा की। मैंने उन्हें बताया कि हमारे लिए यह चिन्ताका दूसरा विषय है और किसी भी दिन हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। मैंने उनसे कहा कि सबसे अच्छा तो यह हो कि आप अब्दुल गफ्फार खाँको अपना सलाहकार बनाकर अपने साथ लन्दन लेते जायें। वे हँस पड़े और बोले कि यह तो उनके लिए असम्भव है, क्योंकि वे (गांधीजी)

कोई भी सलाहकार नहीं ले जायेंगे। उन्होंने पूछा कि हम अब्दुल गफ्फार खाँ को गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधिके रूपमें आमन्त्रित करके इस झंझटसे क्यों नहीं पार पा लेते? मैंने विनोद-पूर्वक उत्तर दिया कि किसी भी सूरतमें गफ्फार खाँ एक राष्ट्रवादी मुसलमानकी हैसियतसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि जैसाकि श्री गांधीको पता ही है, दूसरे मुसलमानोंको इस बातपर बहुत आपत्ति है कि कोई मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमानकी हैसियतसे सम्मेलनमें जाये। श्री गांधीने स्वीकार किया कि अब्दुल गफ्फार खाँ राष्ट्रवादी मुसलमानके रूपमें नहीं जा सकते, किन्तु उनका कहना था कि कोई वजह नहीं कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके प्रतिनिधिके रूपमें गफ्फार खाँ क्यों न जायें।

१६ जुलाई, १९३१

७. श्री गांधीके साथ मेरी बातचीत १६ जुलाईको भी जारी रही। उन्होंने सरकार द्वारा समझौतेके तथाकथित भंगकी काफी लम्बी सूची पढ़कर सुनाई और मुझे दे दी, जिसकी एक प्रति संलग्न है। जहाँतक समझौतेकी विशिष्ट व्यवस्थाओंके तथाकथित भंगके आरोपोंकी बात है, उनमें से कुछ तो बहुत मामूली ढंगके हैं, कुछ इतने अस्पष्ट हैं कि उनके बारेमें कोई अस्थायी राय कायम करना भी सम्भव नहीं है, कुछ आरोप स्पष्ट ही समझौतेके क्षेत्रसे बाहर हैं और कुछ अवश्य ऐसे हैं जिनके सम्बन्धमें भारत सरकारको पक्की तरह जान लेना चाहिए कि कोई भंग तो नहीं हुआ है। समझौतेके टूटनेकी आशंकाको ध्यानमें रखकर वास्तवमें सम्भवत: स्थानीय सरकारोंको कष्ट देना पड़ेगा कि सब घटनाओंके वास्तविक तथ्योंकी जानकारी हमें दें जिससे आवश्यकता पड़नेपर हम सभी आरोपोंका उत्तर दे सकें। समझौतेके तथाकथित भंगके स्पष्ट उदाहरणके अतिरिक्त श्री गांधीने एक सामान्य टिप्पणी भी दी जिसमें

(क) बम्बई,
(ख) संयुक्त प्रान्त,
(ग) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, तथा
(घ) अन्य प्रान्तोंके बारेमें कहा गया था।

इस टिप्पणीमें उल्लिखित आरोपोंके विषयमें भी स्थानीय सरकारोंसे तथ्योंकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

८. पाश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके सम्बन्धमें जो शिकायतें थीं, उनमें से एक ही घटना थी जिसके बारेमें मुझे सूचना थी, और वह थी सरबन्दकी, जिसके तथ्य श्री गांधीकी टिप्पणीमें वर्णित तथ्योंसे काफी भिन्न हैं। मैंने श्री गांधीको तथ्य बताये और कहा कि उनको जो विवरण प्राप्त हुआ है वह जितना गलत है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि दूसरे आरोपोंके बारेमें कमसे-कम कहा जाये तो वे अतिरंजित अवश्य होंगे। मैंने उन्हें दूसरे पक्षके तथ्योंसे अवगत कराया और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी स्थितिके बारेमें, विशेष रूपसे वहाँके कबीली क्षेत्रों, अफगानिस्तानमें होनेवाली सम्भावित प्रतिक्रियाओं, लालकुर्ती आन्दोलनके कारण शासनके प्रति उत्पन्न होनेवाली अवमाननाकी

भावना और अब्दुल गफ्फार खाँके राजद्रोहात्मक भाषणोंके बारेमें बताया, और कहा कि इस बातका खतरा है कि लोगोंके मनमें यह धारणा घर कर ले कि सरकार इन समस्याओंसे निपटनेमें डरती है। मैंने कहा कि इसके विपरीत तथ्य यह है कि सरकार किसी प्रकारकी अनबनको टालनेके लिए हदसे ज्यादा धीरजसे काम ले रही है, और आगे भी वैसा ही करनेका इरादा रखती है, लेकिन किसी भी वक्त इस धीरजका बाँध टूट सकता है। श्री गांधी स्वयं सीमाप्रान्तके विषयमें असन्तुष्ट थे और पूरी चर्चामें सीमाप्रान्तकी समस्याका स्थान गौण ही रहा, विशेष रूपसे श्री गांधीने गोलमेज सम्मेलनमें शामिल होनेमें जो कठिनाइयाँ बताईं, उनमें उसका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था।

उन्होंने सीमाप्रान्तकी अपनी यात्राका प्रश्न तो उठाया, किन्तु उसका विशेष आग्रह नहीं किया। मैंने कहा कि यदि उनकी जानेकी इच्छा हो ही, तो सरकार उसपर निषेध लगानेका कोई इरादा नहीं रखती, किन्तु मैंने बताया कि इससे स्थिति सुधरनेके बदले अधिक उलझनेकी हर सम्भावना है। उन्होंने कहा कि अब्दुल गफ्फार खाँने वचन दिया है कि वह गांधीकी किसी भी आज्ञाका पालन करेंगे और खास तौरपर यह वचन भी दिया है कि यदि चीफ कमिश्नर उन्हें मिलनेको बुलायेंगे तो वह उनसे मिलने जायेंगे।

९. इस आरोपके बारेमें कि मिदनापुर जिलेमें शान्तिपूर्वक रचनात्मक-कार्यमें संलग्न कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किये गये हैं, मैंने श्री गांधीको विस्तारसे बताया कि हमारी सूचनाके अनुसार वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओंने सरकारी अदालतोंके मुकाबले अपनी अदालतें स्थापित की हैं और फौजदारीके मामलोंमें कांग्रेस कार्यकर्ता हस्तक्षेप कर रहे हैं और जुर्माना कर रहे हैं। मैंने श्री गांधीको बताया कि स्थानीय सरकारने स्थितिकी सूचना भारत सरकारको दे दी है। भारत सरकार इस बातपर सहमत हो गई है कि पहले तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओंके पास शिकायत भेजना उचित होगा और यदि इसका कोई परिणाम न निकले तो सामान्य कानून लागू किया जाये, और यदि वह भी सफल न हो और एसोसिएशनके सदस्योंकी गतिविधियाँ पंच-निर्णयके वैध तरीकोंकी सीमाका अतिक्रमण करती हों तो सम्बन्धित एसोसिएशनको अवैध संस्था घोषित कर दिया जाये। श्री गांधीने मुझे बताया कि वस्तुतः उन्होंने सुना था कि कांग्रेसने उनका पंच-फैसलेका सिद्धान्त (जिसमें फौजदारीके मामलोंमें हस्तक्षेप और जुर्माने या दण्ड लगाना सम्मिलित नहीं है) अंगीकार कर लिया था। तदुपरान्त बंगाल सरकारसे प्राप्त एक पत्रसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है। श्री गांधीने यह भी कहा कि मिदनापुरमें दो दल हैं, आतंकवादी दल तथा नरमपंथी कांग्रेस दल जो पहले दलको निकाल बाहर करनेका भरसक यत्न कर रहा है।

१०. आजकी चर्चामें मुख्य रूपसे संयुक्त प्रान्तकी स्थितिपर ही विचार किया गया। वैसे यह विषय भिन्न-भिन्न अवसरोंपर वार्ताके बीच उठा, किन्तु सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधित्वसे सम्बद्ध होनेके कारण इस विषयमें हुई चर्चाको एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना सुविधाजनक होगा। मैंने चर्चाके लगभग अन्तिम चरणमें ही श्री गांधीसे

यह प्रश्न किया कि वे सम्मेलनमें शामिल होनेवाले हैं या नहीं। उत्तरमें उन्होंने कहा कि वह शामिल होना चाहते हैं, लेकिन शामिल वह इसी शर्त पर हो सकते हैं कि भारतमें उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे सरकार उनको मुक्त कर दे। मैंने उनसे इसका ठीक तात्पर्य पूछा। वे बोले कि जबतक उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लैंड पहुँच कर भी उन्हें वहाँ लाठीचार्ज या कांग्रेसजनोंके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या सामान्यतः दमनकारी कार्योंकी सूचना देनेवाले तार लगातार मिलते रहेंगे, तबतक वे जानेकी बात सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा कि सरकारको इसमें बेईमानी प्रतीत होगी कि उन्हें इस प्रकारका कोई पक्का वचन देकर इंग्लैंड जानेको राजी करनेका प्रयास किया जाये। मैंने उन्हें बताया कि उनकी अनुपस्थितिमें कोई घटनाएँ नहीं होंगी, क्योंकि भारतमें तो सामान्य शान्तिपूर्ण अवस्थामें भी घटनाएँ होती ही रहेंगी और भारत सरकार प्रान्तीय सरकारोंके न्याय और व्यवस्था कायम रखनेके सामान्य विवेकाधिकार-पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती, जो ऐसे वचनका एक अनिवार्य परिणाम होगा। मैंने उन्हें बताया कि हर कोई यह चाहता है कि जहाँतक सम्भव हो कानूनी कार्रवाई न की जाये और विशेष कदम न उठाये जायें। मैंने यह भी कहा कि स्थानीय सरकारोंका न कभी रुझान रहा है और न होगा कि वास्तविक आवश्यकतासे अधिक कठोर कदम उठाये जायें और कांग्रेसके सदस्योंके लिए कानूनी शिकंजेसे दूर रहनेका सबसे अच्छा उपाय है कि वे कानूनकी सीमाके अन्तर्गत रहें और जिन मामलोंमें ऐसी कानूनी कार्रवाई करनेकी आवश्यकता पड़ी है, उनमें यही देखा गया है कि कांग्रेसने शासन-व्यवस्थाका उल्लंघन नहीं, बल्कि समझौतेकी भावनाका उल्लंघन किया है। मैंने कहा कि सामान्य रूपसे कुछ हदतक शान्तिपूर्ण दशा लानेका एकमात्र उपाय यह है कि कांग्रेस आन्दोलनको बन्द कर दे और संघर्षकी तैयारियाँ कमसे-कम ३–४ महीनोंके लिए, जबतक कि गोलमेज सम्मेलन समाप्त नहीं हो जाता, तबतकके लिए तो स्थगित कर ही दे। ऐसे कार्यका अवश्य ही सरकार अच्छा प्रत्युत्तर देगी। श्री गांधी बोले कि उन्हें प्रतीत होता है कि प्रान्तीय सरकारें कांग्रेसको नष्ट करनेपर तुली हैं और उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि यदि गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व न हो तो आई० सी० एस० के सदस्य तो हर्षित होंगे। मैंने इन दोनों कथनोंका खण्डन किया और उनके दूसरे कथनके सम्बन्धमें कहा कि यह मान लेना हास्यास्पद है कि सर्विसके सदस्य, जिनके कन्धोंपर कानून और व्यवस्था बनाये रखनेकी जिम्मेदारी है, ऐसी किसी स्थितिका स्वागत करेंगे जिसके कारण उनका कार्य-भार और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। प्रान्तीय सरकारोंके तथाकथित रुखके बारेमें मैंने उन्हें याद दिलाया कि सरकार कई अवसरोंपर यह स्पष्ट कर चुकी है कि कांग्रेसकी संघर्षकी तैयारी के कारण कांग्रेसके साथ सहयोग करना बहुत कठिन हो जाता है और यदि स्थानीय सरकारोंको कांग्रेसके सदस्योंके विरुद्ध कार्रवाई करनेको मजबूर होना पड़ा है तो बहुत बेमनसे और केवल इस कारण कि कांग्रेसियोंकी कार्रवाइयोंको देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनेके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने इस बार भी वही तर्क दिया जो उन्होंने पहले भी कई अवसरोंपर दिया था; वह यह कि

सरकार और कांग्रेसके बीच हुए समझौतेने कांग्रेसको विशेष स्थिति प्रदान की है जिसके अनुसार उसके सदस्योंके खिलाफ कोई कार्रवाई करनेसे पहले उसके साथ परामर्श करना आवश्यक बन जाता है, और यह कि सरकार तथा कांग्रेसको मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैंने उनसे इसका ठीक तात्पर्य पूछा तो उन्होंने कई सुस्पष्ट उदाहरण दिये। मसलन, उन्होंने कहा कि कांग्रेसको अपने किसी सदस्यको ठीक राह पर लानेका मौका दिये बिना, उस सदस्यके खिलाफ भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२४ (अ)के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। मैंने उन्हें वे मौजूदा सिद्धान्त समझाये जिनके आधारपर इस धाराके अन्तर्गत कानूनी अदालती कार्रवाई की जाती है। मैंने कहा कि कुछ विशेष अवसरोंपर तो एक चेतावनी देना अपेक्षित हो सकता है और कभी-कभी ऐसा किया भी जाता है, किन्तु इस बातको एक सामान्य नियमके रूपमें नहीं स्वीकार किया जा सकता कि कानून तोड़नेपर एक व्यक्तिको संगठन-विशेषका सदस्य होनेके नाते कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायें, जबकि अन्य लोगोंको, जो उस संगठनके सदस्य नहीं हैं, वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने यह दिया कि दण्ड-प्रक्रिया संहिताकी सुरक्षा-धाराओंके अन्तर्गत संयुक्त प्रान्तमें किसी भी किसानके विरुद्ध तबतक कार्रवाई न की जाये जबतक कांग्रेसको पूर्व चेतावनी न दी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि भला जिला मजिस्ट्रेटको यह कैसे पता चलेगा कि अमुक किसान कांग्रेसका सदस्य है; और मैंने उनकी इस बातको माननेसे इनकार कर दिया कि संयुक्त-प्रान्तका प्रत्येक किसान कांग्रेसका सदस्य है। मैंने यह भी समझाया कि सुरक्षा धाराओंका बहुधा वहीं उपयोग किया गया जहाँ शान्तिभंगका आसन्न खतरा रहा है, और जहाँ जिला-मजिस्ट्रेटके लिए यह सम्भव नहीं है कि फौरी कार्रवाई करनेसे पहले वह तीसरे पक्षसे सलाह-मशविरा करे। मेरे विचारमें श्री गांधी समझ गये कि उनके ये विशिष्ट सुझाव औचित्यकी सीमासे परे हैं, और उन्होंने इनपर आग्रह नहीं किया। फिर उन्होंने संयुक्त प्रान्तके मामलेपर विस्तृत चर्चा की और तर्क दिया कि वहाँ सरकार कांग्रेसके विरुद्ध सक्रिय लड़ाई कर रही है। मैंने कहा कि जहाँतक मैं स्थितिको समझा हूँ, कार्रवाई व्यक्तियोंके विरुद्ध हुई थी, इस कारण नहीं कि वे कांग्रेसके सदस्य थे बल्कि इस कारण कि वे कुछ विशिष्ट क्रियाकलापोंमें रत थे और ऐसी ही कार्रवाई दूसरे व्यक्तियोंके विरुद्ध भी की गई थी, चाहे वे कांग्रेसके सदस्य थे या नहीं। जिन व्यक्तियोंके विरुद्ध कार्रवाई की गई उनमें से अधिकांश व्यक्ति कांग्रेस-सदस्य थे तो इसका कारण यही है कि कांग्रेस एक ऐसे आन्दोलनके लिए जिम्मेदार थी जिसका संकटमय स्थिति पैदा करनेमें स्पष्ट योग था। मैंने सरकारका यह दृष्टिकोण दोहराया कि संयुक्त प्रान्तमें कांग्रेस जो लगानबन्दी आन्दोलन चला रही है वह समझौतेका स्पष्ट भंग है और चाहे आन्दोलनका एक लक्ष्य काश्तकारोंकी आर्थिक दशाका सुधार करना हो, फिर भी उसे कांग्रेसकी इस घोषित नीतिसे असम्बद्ध मानना असम्भव है कि नये संघर्षकी सम्भावनाको ध्यानमें रखकर कांग्रेस तैयारीके रूपमें ग्रामीण क्षेत्रोंमें अपनी स्थिति दृढ़ बनाये। श्री गांधी इस कथनसे सहमत नहीं हुए और यही रुख

बनाये रखा कि कांग्रेस हमेशा किसानोंकी हितचिन्तक रही है और अपने कार्यके इस पक्षको कदापि त्याग नहीं सकती। मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि समझौतेके ठीक पहलेतक संयुक्त प्रान्तमें इस प्रकारका आन्दोलन बहुत मामूली था, किन्तु समझौतेके बादसे ही कांग्रेसने आन्दोलनको बड़े व्यापक और अभूतपूर्व पैमानेपर संगठित किया और चलाया है। श्री गांधीने दावा किया कि संयुक्त प्रान्तके कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि काश्तकारोंको उनकी सामान्य सामर्थ्यसे अधिक लगान भरनेको बाध्य न किया जाये, पर साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान संकट की स्थितिके अलावा कांग्रेसका ध्येय जमींदारी प्रथामें मौलिक परिवर्तन लानेका और काश्तकारोंकी दशामें स्थायी सुधार करनेका है। उन्होंने इस बातसे इनकार किया कि कांग्रेसकी नीति जमींदारोंकी भूमि छीननेकी है। हालाँकि मैं अब भी ऐसा मानता हूँ कि वह इस हदतक जानेको तैयार नहीं हैं जिस हदतक जवाहरलाल जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातचीतका सामान्य रुख यही दिखाता था कि उनकी योजनामें किसानोंके हितोंके मुकाबले जमींदारोंके वैध हितोंका बहुत कम महत्त्व है। उनका उद्देश्य स्पष्ट रूपसे कांग्रेसको किसानोंके हितोंकी रक्षक और किसानोंकी ओरसे बोलने-वाली संस्थाके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका है। उनका इस समय कहना यह है कि सर-कार काश्तकारोंके मुकाबले जमींदारोंका पक्ष लेती है, उन्हें ऐसा लगान लगानेकी छूट देती है जो किसान नहीं दे सकते, लगान-वसूलीमें जमींदारोंकी औचित्यकी सीमासे आगे जाकर मदद करती है और खराब जमींदारोंके अत्याचारोंका यदि समर्थन नहीं करती, तो अनदेखी तो करती ही है। मैंने उनके इस मतका विरोध किया। मैंने उनसे एकाधिक बार पूछा कि संयुक्त प्रान्तकी मौजूदा कठिनाइयोंको दूर करनेका उपाय उनकी दृष्टिमें क्या है, और उनका जवाब हमेशा यह रहा कि सरकारको कांग्रेसका सहयोग लेना चाहिए और कितना लगान वसूला जाये, इसके बारेमें कांग्रेस की सलाह माननी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि इसके मतलब तो यह होंगे कि सर-कार अपना कार्य एक ऐसी राजनीतिक पार्टीको सौंप दे जिसने जमींदारोंके खिलाफ किसानोंका पक्ष ग्रहण किया है। ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बातसे इनकार किया कि उनका उद्देश्य ऐसा कुछ है, लेकिन उनके सुझावका वास्तवमें और दूसरा क्या असर होगा, यह वह नहीं बता सके। मैंने कहा कि जबतक संयुक्त प्रान्तमें कांग्रेस अपने कार्य-कलाप बन्द नहीं कर देती और किसानों तथा जमींदारोंके बीच यथाशक्ति संतुलन बनाये रखनेका काम सरकारके ऊपर नहीं छोड़ देती तबतक मौजूदा कठिनाइयाँ किस प्रकार दूर हो सकेंगी, यह मैं नहीं देख पाता। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह वचन दे कि जमींदारों द्वारा लगानकी वसूली करनेमें मदद करते समय वह जोर-जबर्दस्तीके तरीके नहीं अपनायेगी, बल्कि समझाने-बुझानेके तरीकोंका ही सहारा लिया जायेगा तो वह सारे स्वयंसेवकों और कार्यकर्त्ताओंको मैदानसे हटा लेंगे। हमने इस बातपर और चर्चा की, लेकिन विचार करनेपर पता चला कि श्री गांधीके मतानु-

सार इसके मतलब यह होंगे कि जिन मामलोंमें काश्तकारोंके खिलाफ अदालतसे बेदख-लीकी डिग्री मिल गई होगी, उनमें सरकार जमींदारोंको दखल दिलानेके लिए डिग्रीको लागू नहीं करेगी। दूसरे शब्दोंमें, इसके मतलब यह होंगे कि किसान लोग जितना कम लगान चाहें, देंगे और उन्हें परिणामका कोई भय नहीं होगा, और जमींदारोंको कानूनके मुताबिक जो उपाय करनेका हक है उससे वे वंचित हो जायेंगे। श्री गांधीने बेदखलियोंके बारेमें व्यापक रूपसे बहुत-कुछ कहा और यह भी कहा कि बहुत बार वर्तमान आर्थिक स्थितिका लाभ उठाकर जमींदार लोग पट्टेदारों और मौरूसी काश्तकारोंको भी बेदखल कराके उनकी जगह इच्छानुसार नये काश्तकार रख रहे थे। ठीक तथ्योंकी जानकारीके अभावमें इस विषयपर मैं थोड़ा ही कह सकता था, किन्तु मैंने यह अवश्य कहा कि सचमुच ऐसी बात हो तो भी कांग्रेस दोनों पक्षोंके सम्बन्धोंमें कड़वाहट पैदा करके मामलेको और भी बिगाड़ रही है। फिर मैंने जूनके आरम्भसे लेकर अभीतक प्राप्त संयुक्त प्रान्तके गुप्तचर विभागकी साप्ताहिक रिपोर्टोंका वह अंश उन्हें पढ़कर सुनाया जिसका सम्बन्ध ग्रामीण आन्दोलनसे था। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं-की गतिविधियोंके बारेमें हर सप्ताहकी जिलेवार रिपोर्टें सुनकर श्री गांधी भौंचक्केसे रह गये और मेरा अनुमान है कि उन्हें लगा कि समझौतेके टूटनेकी स्थितिमें कांग्रेस प्रकट ही विश्वमतके सम्मुख जो अपील करनेका इरादा रखती है उसकी सफलताको सरकारी पक्षकी बातें उजागर होनेपर भारी धक्का पहुँचेगा। उन्होंने खेद प्रगट किया कि इससे पूर्व इन रिपोर्टोंकी ओर उनका ध्यान नहीं खींचा गया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मार्चमें संयुक्त प्रान्तमें होनेवाली सरगर्मियोंकी ओर उनके सम्भावित खतरनाक परिणामोंकी उनको सूचना दी गई थी। फिर अप्रैलके आरम्भमें उन्हें इनके विशिष्ट दृष्टान्त भी दिये गये थे, और यह भी बता दिया गया था कि आवश्यकता पड़नेपर प्रान्तीय सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा सकते हैं उनके बारेमें भारत सरकारका क्या रुख है। मैंने उन्हें बताया कि मईमें मैंने फिर परिस्थितिके विषयमें अनेक तथ्य जताते हुए उनसे विस्तृत चर्चा की थी। मैंने यह भी कहा कि वे नैनी-तालमें सर मैलकम हेलीसे मिले थे, और सर मैलकम हेलीसे उन्हें पता चला होगा कि क्या हो रहा है, कि पिछले कई महीनोंसे संयुक्त प्रान्तमें जो स्थिति चल रही है उसका सम्बन्ध कोई इक्की-दुक्की घटनाओंसे नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा बहुत बड़े पैमानेपर आयोजित आन्दोलनसे है, और स्थानीय नेताओंने श्री गांधीको तथ्योंसे अव-गत भले न कराया हो, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं होगा कि ये नेतागण जो-कु हो रहा था उससे अनभिज्ञ थे। संयुक्त प्रान्तके विषयमें हमारी बातचीतमें कोई प्रगति नहीं हो सकी। मैंने कहा कि मौजूदा स्थितिके बारेमें और भविष्यमें कोई जाँच करानेकी सम्भावनाके बारेमें हम शायद प्रान्तीय सरकारसे परामर्श करेंगे। मैंने कहा कि जहाँ तक मौजूदा स्थितिका सवाल है, मुझे किसी ऐसे हलकी सम्भावना नहीं

दीख पड़ती जिससे श्री गांधीके विचारोंका मेल बैठ सके। जाँचके बारेमें मैंने कहा कि वह तो मूलतः प्रान्तीय सरकारके तय करनेकी बात है।

११. गोलमेज सम्मेलनमें अपने भाग लेनेके बारेमें श्री गांधीने आज जो-कुछ कहा उसे संक्षेपमें यों रखा जा सकता है। वह सम्मेलनमें तभी भाग लेंगे जब —

(क) कांग्रेसके सदस्योंके विरुद्ध कानूनी कार्रवाईके विषयमें सरकार सामान्य तौरपर आश्वासन दे; इस आश्वासनके फलस्वरूप कांग्रेसके सदस्योंको अन्य लोगोंके मुकाबले एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जायेगी और कानून तथा व्यवस्था कायम रखनेके अपने दायित्वको निभानेके मामलेमें प्रान्तीय सरकारके हाथ बँध जायेंगे।

(ख) संयुक्त प्रान्तकी सरकार लगानमें छूट देनेकी अपनी वर्तमान योजनाको खत्म कर दे, जमींदारोंको उनके हालपर छोड़ दे और लगानकी रकम तय करनेमें कांग्रेसकी सलाह माने और इस प्रकार अपना काम कांग्रेसको सौंप दे।

हमने विभिन्न दृष्टिकोणोंसे स्थितिपर कई बार चर्चा की। लगभग हर बार जो निष्कर्ष निकले वे ये थे। मुझे सन्देह है कि (क)के बारेमें उन्होंने जो स्थिति अपनाई है उसे वे गम्भीरतासे लेंगे और उसके कारण समझौता भंग करेंगे और सम्भव है कि वह (ख)के मामलेमें झूठी धमकी ही दे रहे हैं। तथापि यदि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेसे इनकार करती है तो मुख्यतया संयुक्त प्रान्तके सवाल पर ही ऐसा करेगी, और कांग्रेसके प्रति प्रान्तीय सरकारोंके तथाकथित शत्रुतापूर्ण रवैयेके बारेमें सामान्य किस्मके आरोपोंको अतिरिक्त कारण बना लिया जायेगा।

१२. श्री गांधीसे मैंने कहा कि यदि वे स्वयं गोलमेज सम्मेलनमें जायें तो वह अपने स्थानपर अपने एक प्रतिनिधिको नामजद कर सकते हैं और मेरे विचारमें उसके जरिये समझौतेके विषयमें भारत सरकारसे सम्पर्क बनाये रखनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने यह शर्त जरूर रखी कि वह प्रतिनिधि चाहे जो भी व्यक्ति हो, यह बात उसीके हाथमें होगी कि वह कोई ऐसा भाषण आदि न दे जिससे उसके और भारत सरकारके प्रतिनिधिके बीच होनेवाली मुलाकातोंके बारेमें भ्रामक धारणाएँ फैल सकें। श्री गांधीने भी इस शर्तको उचित माना।

१३. मैंने श्री गांधीको अपनी भरसक यह विश्वास दिलानेकी कोशिश की कि यदि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनमें अपना प्रतिनिधि नहीं भेजती तो यह उसकी गलती होगी और इसके लिए मैंने कई तर्क दिये जो पिछले मौकोंपर भी मैंने दिये थे। मैंने इस बातपर जोर दिया कि समझौता तो एक उद्देश्यको प्राप्त करनेका साधनमात्र है। उद्देश्य यह है कि एक सर्वस्वीकृत संवैधानिक हल निकाला जाये और समझौतेका हेतु इसमें मदद करना है। समझौता मुख्यतः एक अस्थायी कदम है, और साधारण प्रशासनिक तन्त्रमें इसका जितनी जल्दी समावेश हो जाये उतना ही सबके लिए हित-कर है। मैंने यह भी कहा कि यह मान भी लिया जाये कि अगले कुछ महीनोंमें शान्तिपूर्ण स्थिति पूरी तरह नहीं कायम की जा सकती तो भी अन्ततः शान्ति प्राप्त

करनेका तरीका गोलमेज सम्मेलन ही है। विशेष रूपसे मैंने इस बातपर जोर दिया कि साम्प्रदायिक समझौतेके लिए वह लन्दनमें अपने निजी प्रभावका प्रयोग कर सकेंगे और अगर इंग्लैंडमें सब-कुछ ठीक-ठीक तरीकेसे चला, तो वह भारतकी जनताको इस बातका यकीन दिलानेमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे कि भारतके प्रति इंग्लैंडके इरादे नेक और सच्चे हैं। कांग्रेस द्वारा सम्मेलनमें भाग न लेनेके क्या सम्भावित परिणाम हो सकते हैं, यह भी मैंने उन्हें बताया और कहा कि आम धारणा यही बनेगी कि कांग्रेसने राजनीतिक सूझ-बूझके शोचनीय अभावका परिचय दिया है। मैंने उन्हें अच्छी तरह बता दिया कि कांग्रेस शामिल हो अथवा न हो, सम्मेलनकी बैठक अवश्य होगी।

१४. हमारी बातचीतके दौरान श्री गांधीने कई बार पूछा कि यदि सरकार समझती है कि कांग्रेसने समझौतेकी शर्तोंका पालन नहीं किया है, तो उसने समझौतेको समाप्त क्यों नहीं कर दिया। मैंने उन्हें इसके प्रत्यक्ष कारण बताये। किन्तु श्री गांधीने यह सवाल इतनी बार पूछा जिससे निश्चित रूपसे लगता था कि कांग्रेसकी चाल यही थी कि अगर समझौतेको सरकार समाप्त करके कांग्रेसको समझौतेसे भागनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर देती तो यह कांग्रेसकी चालके ज्यादा अनुकूल होता।

१५. मैंने श्री गांधीको बताया कि यदि कांग्रेस सम्मेलनमें अपना प्रतिनिधि भेजनेसे इनकार करती है तो इसके अर्थ होंगे कि समझौता तत्त्वतः खत्म हो गया है। श्री गांधीने यह स्वीकार किया कि इसका यही अर्थ है। तब मैंने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस फिरसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। उनकी बातोंसे मैंने यह समझा कि कांग्रेस घटनाओंका रुख देखकर ही इसके बारेमें कुछ तय करेगी। मैंने उन्हें बताया कि समझौतेके कारण संयमसे काम लेनेकी जो भावना उत्पन्न हुई थी, वह समझौतेके एक अत्यावश्यक भागकी विफलताके परिणामस्वरूप कमजोर पड़ जायेगी, और यह एक अतिरिक्त कारण है कि समझौतेको बरकरार रखा जाये। श्री गांधीने इस बातको स्वीकार किया, और मेरा खयाल है कि वह ऐसा मानकर चल रहे हैं कि एक बार कोई निर्णय होनेके बाद पिछले चार महीनेके मुकाबले घटनाचक्र ज्यादा तेज रफ्तारसे घूमेगा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३७२) से; सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

परिशिष्ट ४

गांधीजी के साथ हुई चर्चापर सर जेम्स क्रेररकी टिप्पणी[1]

१७ जुलाई, १९३१

आज तीसरे पहर डेढ़ घंटेतक श्री गांधीके साथ वार्ता हुई। श्री इमर्सनके साथ जिन विषयोंपर उनकी चर्चा हो चुकी थी बहुत कुछ तो वे उन्हीं विषयोंपर बोले; अतः उसे यहाँ दोहराना जरूरी नहीं है। उनके लन्दन जानेके पक्षमें मैंने जोरदार दलीलें उनके सामने रखीं, लेकिन इस सवालपर उन्होंने अपना रवैया गोलमोल ही रखा। जिस एक मुद्देपर वे खूब हठपूर्वक डटे रहे वह यह था कि विशेष रूपसे संयुक्त प्रान्तमें सरकारका रुख या कमसे-कम सरकारी अफसरोंका रुख निश्चित रूपसे कांग्रेस और उनके सदस्योंके प्रति द्वेषभावका है। उन्होंने इस बातके दृष्टान्त दिये कि मजिस्ट्रेटोंकी अदालतोंमें जिन कांग्रेसियोंने शिकायतें दाखिल की थीं उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। मैंने बताया कि ऐसी दशामें उचित मार्ग यह होगा कि उन मामलोंको अदालतोंमें पुनर्विचारके लिए पेश किया जाये अथवा मजिस्ट्रेटोंके निर्णयोंके विरुद्ध अपील की जाये। श्री गांधी इससे सहमत हुए और कहा कि इसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे मामलोंका भी जिक्र किया जिनमें किसानोंको नोटिस जारी किये गये थे कि वे कांग्रेसके सदस्योंके साथ कोई सम्बन्ध या सम्पर्क न रखें। सबसे ज्यादा आग्रहपूर्वक जो बात उन्होंने कही वह यह थी कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें समझौतेकी शर्तोंको शब्द और भावना, दोनों ही दृष्टियोंसे भंग किया गया था। उन्होंने कहा कि वे लन्दन तभी जा सकते हैं जब उन्हें इस बातका आश्वासन दिया जाये कि इन मामलोंकी जाँच किसी निष्पक्ष अधिकरण द्वारा कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इससे उनका अभिप्राय समझौता भंगके मामलोंकी जाँचके लिए कांग्रेस और सरकारका कोई संयुक्त पंचायती बोर्ड नियुक्त करनेसे नहीं है, बल्कि उस प्रकारकी एक निष्पक्ष जाँच-पड़तालसे है जो प्रशासनिक सत्ताके दुरुपयोगकी शिकायत होनेपर सरकार करानेको तैयार रहती है। अन्तमें उन्होंने कहा कि जबतक इस मुद्देपर उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तबतक वे ऐसा मानेंगे कि उनका प्रथम कर्त्तव्य लन्दन जानेके बजाय भारतमें ही रहकर शान्ति बनाये रखना है। उन्होंने संघर्ष फिरसे आरम्भ करनेके किसी इरादेसे इनकार किया, और कहा कि जबतक मुझे यह भरोसा न हो जाये कि मैं निश्चिन्त होकर लन्दन जा सकता हूँ तबतक

१. देखिए "भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे", १७-७-१९३१।

मेरा मुख्य ध्येय भारतमें शान्ति कायम रखना होगा ताकि सम्मेलन अपना काम कर सके। हमारी बातचीत शुरूसे आखिरतक मैत्रीपूर्ण रही।

(हस्ताक्षर) जे० क्रेरर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९३७४) से; सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

परिशिष्ट ५

एच० डब्ल्यू० इमर्सनका पत्र[1]

शिमला
३० जुलाई, १९३१

आपके २१ जुलाईके पत्रके लिए धन्यवाद। उस पत्रमें

(क) आपने अनुरोध किया है कि ५ मार्चके समझौतेकी व्याख्यासे सम्बन्धित मामलोंका निर्णय करनेके लिए एक निष्पक्ष अधिकरण नियुक्त किया जाये, और

(ख) आपने ११ विशिष्ट मुद्दे उठाये हैं, और यह इच्छा व्यक्त की है कि उनकी व्याख्याके बारेमें सरकार और कांग्रेसके बीच असहमति होनेकी स्थितिमें उन्हें उक्त अधिकरणको निर्णयार्थ सौंपा जाये।

आपने इससे पहले अपने १४ जूनके पत्रमें सुझाव दिया था कि "एक स्थायी पंच-बोर्ड स्थापित किया जाये जिसका काम समझौतेकी व्याख्यासे सम्बन्धित और एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष द्वारा समझौतेकी शर्तोंका पूरा पालन करनेके सवालसे सम्बन्धित प्रश्नोंका निर्णय करना होगा"।

मैंने अपने ४ जुलाई, १९३१ के अर्द्ध-सरकारी पत्र (नं० एफ० ३३/१/३१ – पोलिटिकल) में कारण बताये थे कि सरकार आपके सुझावोंको क्यों स्वीकार नहीं कर सकती।

२. आपने वाइसराय महोदयके साथ २१ जुलाईको हुई अपनी भेंटमें यह मत व्यक्त किया था कि १४ जूनके आपके पत्रमें दिये गये सामान्य प्रस्तावको स्वीकार करना शायद सरकारके लिए सम्भव न भी हो, लेकिन समझौतेकी व्याख्याको लेकर उत्पन्न होनेवाले सवालोंको पंच-फैसलेसे तय करानेका जो अपेक्षतः सीमित प्रस्ताव आपने रखा था उसे अमान्य करना सरकारके लिए अनुचित होगा। थोड़ी चर्चाके बाद वाइसराय महोदयने आपसे कहा कि आप उन विशिष्ट मुद्दोंको लिखित रूपमें भेजें जो आप समझते हैं कि पंच-फैसलेके लिए पेश किये जानेके उपयुक्त हैं, और उन्होंने वचन दिया कि आपका पत्र मिलनेपर सरकार आपके प्रस्तावपर विचार करेगी।

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", २१-७-१९३१।

३. भारत सरकारने इस विषयपर बड़ी सावधानीसे विचार किया है। सरकार देखती है कि हालाँकि आपने फिलहाल इस बातपर जोर नहीं दिया है कि सरकार और कांग्रेसके बीच मतभेद उत्पन्न होनेकी स्थितिमें तथ्योंकी जाँच करनेवाले एक पंचायत बोर्डकी नियुक्ति की जाये, लेकिन साथ ही आपने इस माँगको पूरी तरह छोड़ा भी नहीं है और आप यह भी कहते हैं कि ऐसे अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जब इस माँगपर आग्रह करना आवश्यक हो जाये। आप इस बातसे अवश्य ही सहमत होंगे कि आपके इस अनुरोध और आपके १४ जूनके पत्रमें दिये गये सुझावके बीच एकमात्र अन्तर यही है कि अब आप व्यापकतर सवालको स्थगित रखनेकी इच्छा व्यक्त करते हुए साथ ही यह माँग कर रहे हैं कि व्याख्याके सवालपर पंच-फैसला करानेके लिए सरकार तत्काल राजी हो जाये। मैंने अपने ४ जुलाईके पत्रमें जो कारण बताये थे उन्हीं कारणोंवश भारत सरकारको खेद है कि पहलेवाले सवालपर उसने जो मत व्यक्त किया था उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

४. सरकारने अपेक्षतया सीमित प्रस्तावपर और विचार किया है जिसमें व्याख्यासे सम्बन्धित सवालोंको पंच-निर्णयके लिए सौंपनेकी बात कही गई है। निर्णय करनेसे पहले सरकारने आपके पत्रमें उल्लिखित उन ११ मुद्दोंपर विशेष ध्यान दिया जो आपकी रायमें इस श्रेणीमें आते हैं। शासनकी जो जिम्मेदारियाँ और कार्य होते हैं उनका विशेष रूपसे ध्यान रखते हुए इस बातपर भी विचार किया गया कि इन मुद्दोंपर पंच-निर्णय कराना स्वीकार करनेके क्या फलितार्थ होंगे। निश्चय ही आप स्वीकार करेंगे कि सरकारके लिए ऐसी किसी व्यवस्थापर सहमत होना सम्भव नहीं होगा जिसका उद्देश्य सामान्य कानून अथवा सामान्य प्रशासनिक तन्त्रको निलम्बित करना हो अथवा जिसमें एक ऐसे बाहरी अधिकरणकी नियुक्तिकी बात शामिल हो जिसके हाथोंमें सरकार उन मामलोंमें निर्णय करनेकी जिम्मेदारी सौंप दे जिनका प्रशासनिक कार्योंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, अथवा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव ऐसी विशेष प्राविधि मुहय्या करना होगा जिसका लाभ कांग्रेसके सदस्योंको तो मिलेगा, किन्तु जिससे जनताके अन्य वर्ग वंचित रहेंगे और जो न्यायालयोंके अधिकार-क्षेत्र और विवेकाधिकारका अतिक्रमण करेगी। ५ मार्चके समझौतेमें ऐसी कोई व्यवस्था करनेका विचार नहीं किया गया था।

५. उपरोक्त सिद्धान्तोंके विषयमें आपने अपने पत्रमें जो मुद्दे उठाये हैं अब मैं उनकी विवेचना करूँगा। पहले तीन मुद्दे धरनेसे सम्बन्धित हैं और सामान्य ढंगके हैं। धरनेसे सम्बन्धित विशिष्ट मामलोंमें जो कदम उठाने जरूरी हो सकते हैं वे विशिष्ट परिस्थितियोंके ऊपर निर्भर करेंगे और सरकार ऐसे किसी सामान्य ढंगके निर्णयके लिए सहमत नहीं हो सकती जिसका शान्ति और व्यवस्था बनाय रखनेकी कार्यपालिका और न्यायपालिकाकी जिम्मेदारीके निर्वाहपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा जिससे व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप होता हो। सामान्य ढंगके मामलोंको

पंच-निर्णयके लिए भेजनेका आपने जो सुझाव दिया है वह तो इन्हीं कारणोंसे अमान्य हो जाता है। और सरकार विशिष्ट मामलोंको भी पंच-निर्णयके हेतु सौंपनेके लिए सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ४ जुलाईके पत्रमें बताये गये कारणोंके अलावा एक कारण यह भी है कि इससे इन मामलोंसे सम्बन्धित व्यक्तियोंको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जायेगी जो उसी प्रकारकी परिस्थितियोंमें जनताके अन्य लोगोंको प्राप्त नहीं होगी।

जहाँतक चौथे मुद्देका सवाल है, भारत सरकारको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि प्रान्तीय सरकारें आबकारी कानूनके उल्लंघनके मामलोंकी अनदेखी कर रही हैं। जहाँतक आबकारीसे सम्बन्धित मामलोंका कानूनके अनुसार संचालन करनेकी बात है, आप निश्चय ही स्वीकार करेंगे कि एक ऐसे अधिकरणकी स्थापना करना व्यवहार्य नहीं है जिसको यह तय करनेका अधिकार हो कि प्रान्तीय सरकारें आबकारी कानूनको किस प्रकार लागू करें। यहाँ यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि आबकारी-प्रशासन एक प्रान्तीय हस्तान्तरित विषय है।

१० और ११ नम्बरके मुद्दोंमें एक भिन्न किन्तु बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। उनमें उल्लिखित प्रश्नोंपर न तो समझौतेसे पहले होनेवाली वार्ताओंमें कोई चर्चा हुई थी, न ही समझौतेमें उनके बारेमें कोई व्यवस्था की गई थी। अतः इन विषयोंको न्यायाधिकरणके सम्मुख पेश करनेका मतलब होगा यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेना (और स्पष्ट है कि इस सिद्धान्तको खींचतान कर कितना ही व्यापक बनाया जा सकेगा) कि न्यायाधिकरणको यह अधिकार है कि वह सरकारकी सहमतिके बिना भी समझौतेको उसके मौलिक क्षेत्र और उद्देश्यसे आगे जाकर लागू कर सके।

६. सरकारकी रायमें इन उदाहरणोंसे साफ दिखाई पड़ता है कि पंच-फैसलेके मार्गमें अलंघनीय बाधाएँ हैं, भले ही प्रकट रूपसे पंच-निर्णयके लिए केवल व्याख्या विषयक प्रश्न ही भेजे जायें। कोई प्रश्न व्याख्याका प्रश्न है या नहीं, इसीपर अविरत विवाद चलते रहेंगे और इस प्रबन्धसे पुरानी कठिनाइयाँ दूर होनेके बदले नई उठ खड़ी होंगी।

७. ग्यारह मुद्दोंमें से कई मुद्दोंके सामान्य पहलूपर सरकार पहले ही ध्यानपूर्वक विचार कर चुकी है और इस सिलसिलेमें मैं आपका ध्यान अपने २ जुलाई, १९३१ के पत्र (संख्या डी० ४२९१–पोलिटिकल)की ओर, जो विद्यार्थियोंके सम्बन्धमें था और अपने २० जून, १९३१ के पत्र (संख्या डी० ३८०१–३१-पोलिटिकल)की ओर, जो शस्त्रास्त्रोंके लाइसेंसोंके सम्बन्धमें था, दिलाना चाहूँगा। आपने शिमलामें समझौतेकी विशिष्ट व्यवस्थाओंके तथाकथित भंगकी जो सूची दी थी उसमें आपके लगभग इन सभी ग्यारह विषयोंके अन्तर्गत आनेवाले स्पष्ट उदाहरणोंका समावेश था। मिलनेके कुछ दिनोंके भीतर ही यह सूची तथ्योंका पता चलानेके लिए प्रान्तीय सरकारोंको भेज दी गई थी, और भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें इस बातका इत्मीनान कर लेंगी कि वास्तवमें समझौतेका कोई भंग हुआ है या नहीं। इसी प्रकार भविष्यमें भी समझौतेकी

विशिष्ट व्यवस्थाओंके भंग होनेके आरोपोंके बारेमें भी तथ्यातथ्यका पता चलानेके लिए भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें तैयार हैं, क्योंकि सरकार इसे अपने सम्मान-का प्रश्न मानती है कि समझौतेका पालन किया जाये। सरकारको इसमें सन्देह नहीं है कि आपके लिए भी यह सम्मानका प्रश्न है। सरकारका विश्वास है कि पंच-फैसले-का सहारा लेनेके बजाय कठिनाइयोंको दूर करनेका सर्वोत्तम तरीका यही है कि समझौतेके पालनके लिए दोनों पक्ष इसी भावनासे काम करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ६

लॉर्ड विलिंग्डनका पत्र[1]

३१ जुलाई, १९३१

आपके २९ जुलाईके पत्रके लिए धन्यवाद। कल इमर्सनने आपको पंच-न्याय सम्बन्धी प्रस्तावोंके विषयमें सरकारी तौरपर पत्र भेजा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके प्रस्तावोंपर सरकारने बड़े ही ध्यानपूर्वक विचार किया और वे केवल इसी कारण स्वीकार नहीं किये गये, क्योंकि इसमें अलंघ्य कठिनाइयाँ थीं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपके अभियोग-पत्र (जैसा कि आपने उसे नाम दिया है) पर पूरा ध्यान नहीं दिया जायेगा। मैंने तो समझौतेसे सम्बन्धित प्रत्येक मामलेमें व्यक्तिगत रूपसे दिलचस्पी ली है और ऐसा ही करता रहूँगा, विशेषतः समझौतेके तथाकथित भंगकी घटनाओंकी सूचीमें जिसके विषयमें स्थानीय सरकारोंके विवरणकी हमें प्रतीक्षा है। मुझे पता है कि प्रान्तोंमें भी इसी प्रकार गवर्नर लोग समझौतेसे सम्बन्धित मामलोंमें व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं और आप विश्वास रखिए कि भंगके आरोपोंको महत्त्वपूर्ण मामला माना जायेगा।

अभीतक हमें गुजरातके विषयमें पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु मुझे आशा है कि कठिनाइयाँ दूर होती जा रही हैं तथा आपकी बम्बई सरकारके साथ होनेवाली वार्ता सभी सम्बन्धित लोगोंके लिए सन्तोषजनक सिद्ध होगी। आतंकवादी अपराध चल रहे हैं और यदि ये जारी रहे तो इनकी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया होनी अवश्यम्भावी है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तकी स्थिति भी चिन्तोत्पादक है। इन दो बातोंको छोड़ दें तो देशकी सामान्य स्थिति एक महीने, बल्कि १५ दिन पहलेकी स्थितिके मुकाबले कम तनावपूर्ण है। मुझे यह जानकर हर्ष है कि निरर्थक

१. देखिए २९ जुलाई, १९३१ तथा १४ अगस्त, १९३१ को वाइसरायको लिखे पत्र।

राजनीतिक हत्याओंके इस आन्दोलनको रोकनेके लिए आप अपनी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

आपके समान ही मैं भी यही महसूस करना चाहता हूँ कि वातावरण पूर्णतः निरभ्र हो गया है और आप विश्वास रखें कि मेरी सरकार और मैं इसी दिशामें अनवरत प्रयत्न करेंगे। किन्तु मुझे पूरा निश्चय है कि वर्तमान कठिनाइयोंके वास्तविक तथा स्थायी समाधानका सर्वोत्तम उपाय गोलमेज सम्मेलनके माध्यमसे ही प्राप्त हो सकता है तथा इस महान् रचनात्मक कार्यमें ही आप देशके वास्तविक हितोंकी सर्वोत्तम ढंगसे सेवा कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ७

आर० एम० मैक्सवेलका पत्र[१]

गणेशखिण्ड

१० अगस्त, १९३१

गवर्नर महोदयने मुझे निर्देश दिया है कि आपकी उनके साथ हुई हालकी मुलाकातमें जो विषय उठे थे उनके बारेमें जितनी सूचना अब उपलब्ध है उसके आधार पर उनका सुचिन्तित उत्तर भेज दूँ। यह तो आप समझ ही लेंगे कि आपने जिन अधिक विस्तृत मामलोंका उल्लेख किया था उनमेंसे कुछकी जाँच-पड़ताल करनेमें समय लगेगा, किन्तु गवर्नर महोदयका विचार है कि आपके लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा कि सारे मामलोंका खुलासा होनेकी प्रतीक्षा न की जाये और जो अधिक महत्त्वपूर्ण विषय हैं उनके बारेमें उत्तर तत्काल भेज दिया जाये।

२. आपने गुजरातमें और विशेषतः बारडोलीमें लगान वसूलीके बारेमें जो मुद्दे उठाये थे उन सभीपर गवर्नर महोदयने ध्यानपूर्वक विचार किया है। प्राप्त सूचनाओंके आधारपर उन्हें सन्तोष है कि बारडोलीमें लगान-वसूलीके लिए जो कदम उठाये गये हैं उनसे समझौतेका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। समझौतेमें स्पष्ट रूपसे अपेक्षित था कि जो लोग दे सकते हों वे सब लोग चालू लगान और बकाया लगानका फौरन भुगतान कर देंगे। जो-कुछ भी हो, कलेक्टरने बल-प्रयोगकी कार्रवाई करनेमें विशेष धैर्य दिखाया और कुछ महीनोंके विलम्बके बाद ही कार्रवाई की और वह भी केवल सावधानीपूर्वक चुने गये मामलोंमें ही। करदाताओंने इस फुर्तीके साथ

१. देखिए "भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंसे", ४-८-१९३१, "तार: वाइसरायको", ११-८-१९३१ और "तार: आर० एम० मैक्सवेलको", ११-८-१९३१।

अदायगी की, और जब्तीकी जरूरत इनने कम मामलोंमें पड़ी जिससे पता चल गया कि बहुतसे व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सामर्थ्य होनेपर भी लगानकी अदायगी नहीं की थी। इससे इस तथ्यकी भी पुष्टि हो गई कि उनके द्वारा समझौतेका पालन न करनेके फलस्वरूप ही कार्रवाई करनेकी आवश्यकता पड़ी।

३. गवर्नर महोदय आपसे इस बातपर भी सहमत नहीं हैं कि कलेक्टर द्वारा किसी प्रकारका वचन-भंग हुआ है। कलेक्टरने केवल यही वचन दिया था कि यदि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने विश्वासके अनुसार आंशिक या पूर्ण कर का भुगतान कर सकनेमें असमर्थ चूककर्ताओंकी सूचियाँ उनके सम्मुख प्रस्तुत करें तो वह उनपर ध्यान देंगे; इसी प्रकार वह सीधे खातेदारोंसे प्राप्त इसी प्रकारके प्रार्थनापत्रोंपर भी ध्यान देनेको राजी थे। किन्तु प्रत्येक मामलेका उसके गुण-दोषोंके आधारपर स्वयं निर्णय करनेका अधिकार उन्होंने अपने पास रखा था। न सरकारने और न कलेक्टरने कभी इस स्थितिको स्वीकारा है कि भूमिकर-वसूली कांग्रेसकी सलाहपर निर्भर होनी चाहिए और गवर्नर महोदयको विश्वास है कि आप स्वयं इस बातको समझ सकेंगे कि अमुक व्यक्ति कर-अदायगीकी सामर्थ्य रखता है अथवा नहीं, इसके निर्णयका अधिकार कलेक्टरको ही होना चाहिए। चूँकि गवर्नर महोदय ऐसा मानते हैं कि किसी भी कार्रवाईसे न तो वचन-भंग हुआ है और न समझौतेका उल्लंघन हुआ है, अतएव सपरिषद् गवर्नर महोदय वसूल की हुई रकमोंको वापस करनेकी बात स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं।

४. तथापि मुझे यह स्पष्ट करनेका आदेश है कि वे कौनसे कारण हैं जिनके रहते इस प्रश्न-विशेषका अब कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं रह गया है। दोनों ही पक्ष यह मानते हैं कि इस समय जो लोग कर-अदायगीमें समर्थ हों वे कर अदा कर दें, और यह कि जनवरी या फरवरीमें आनेवाली अगली किस्तकी वसूलीके समय भूमिकर व्यवस्थाकी सामान्य पद्धतियाँ अपनायी जायेंगी। अतएव व्यावहारिक प्रश्न तो इस मध्यवर्ती कालका है। इसके सम्बन्धमें आम प्रथा यह रही है कि भूमिकर-वर्षके अन्तपर अर्थात् ३१ जुलाईके बाद वसूलीकी कार्रवाईमें ढिलाई कर दी जाती है। इस नियमके अनुसार सामान्यतः वर्षाकालका अन्त होनेसे पहले वसूलीके लिए बलप्रयोगके तरीके नहीं अपनाये जाते, और गवर्नर महोदयको इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सामान्य परिस्थितियोंमें आगामी अक्टूबरतक बकाया लगान वसूल हो जाता है। तथापि मुझे आपको सूचित करना है कि इस वर्षकी विशिष्ट परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए और समझौतेके सुचारु कार्यान्वयनके खयालसे सपरिषद् गवर्नर महोदयने निर्णय किया है कि बकाया रकमकी वसूलीके लिए आगे बलप्रयोगकी कोई कार्रवाई तभी की जायेगी जब यह बकाया रकम अगली किस्तके वक्ततक यानी जनवरी या फरवरी, १९३२ तक भी बेचुकता रहेगी।

५. अतः स्थिति यह है कि जो लोग अभी अदायगीमें समर्थ हैं वे बेहिचक अदा कर दें, और जो-कुछ रकम बकाया बचेगी उसकी वसूली कर-व्यवस्थाके सामान्य नियमानुसार अगली किस्तके समय चालू लगानके साथ ही हो जायेगी।

६. यों तो ये आदेश जारी करनेका तात्कालिक कारण बारडोलीकी परिस्थिति है, किन्तु सरकारका इरादा इसी प्रकारके आदेशोंको सूरत, भड़ौंच और खेड़ा जिलोंमें भी वहाँकी स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार लागू करनेका है।

७. किसी प्रकारका भ्रम उत्पन्न न हो, इस विचारसे मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन आज्ञाओंका यह तात्पर्य नहीं कि पहली किस्तकी तारीखसे पहले अनधिकृत बकाया लगानकी वसूलीके लिए कोई प्रयत्न होंगे ही नहीं, किन्तु वे समझाने-बुझानेकी सामान्य पद्धतितक ही सीमित रहेंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किस व्यक्तिसे बकाया लगानकी वसूली स्थगित रखी जाये और किस व्यक्तिके बकाया लगानको अनधिकृत बकाया माना जाये, इसका निर्णय करनेके लिए चूककर्ताओंकी आर्थिक स्थितिकी और ठीकसे जाँच-पड़तालकी आवश्यकता पड़ सकती है और गवर्नर महोदयको आशा है कि ऐसी पड़तालका गलत अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

८. यहाँ आपने गवर्नर महोदयका ध्यान जम्बुसर तालुकेमें जब्त किये गये सामानकी नीलामीकी ओर खींचा था। उसके बारेमें मुझे कहना है कि यह नीलामी अब रोक दी गई है और उन मामलोंका निर्णय उन सामान्य आदेशोंके अनुसार किया जायेगा जो अब जारी किये जा रहे हैं।

९. सिरसी तथा सिद्धपुर तालुकोंमें लगान वसूलीके सिलसिलेमें आपको भेंटके समय ही स्थिति समझा दी गई थी और गवर्नर महोदयका मत है कि चूँकि इन तालुकोंमें कोई विशेष कड़ी कार्रवाईके बिना ही लगभग सारी लगानकी वसूली हो चुकी है, इसलिए और किसी कार्रवाईकी आवश्यकता नहीं है।

आपने जिन अधिक ब्यौरेवार मामलोंकी ओर ध्यान दिलाया था, अब मैं उनमें से कुछकी चर्चा करता हूँ।

१०. आप कृपया मेरे १० जुलाईके पत्रका अन्तिम अनुच्छेद, जिसमें स्थितिका स्पष्टीकरण था, फिरसे देखें। जमीनें काजे-इनाम जमीनें हैं जो अमुक सेवाके निमित्त प्राप्त हुई थीं और चूँकि अब वे ऐसे व्यक्तिके हाथोंमें पहुँच चुकी थीं जो दानके मूल उद्देश्य अर्थात् सेवा सम्पन्न करनेमें अयोग्य था, इसलिए उनको वापस लेना और दूसरे व्यक्तिको प्रदान करना साधारण नियमोंके अनुसार ही था और समझौतेकी परिधिमें नहीं आता था।

११. जैसाकि गवर्नर महोदय आपको बता चुके हैं, सरकार जबतक आश्वस्त न हो जाये कि स्थिति शान्त रहेगी तबतक सभी जब्त लाइसेंस लौटानेकी सरकारकी नीति नहीं है; फिर भी आदेश जारी किये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटोंको

अधिकार होगा कि वे उपयुक्त मामलोंमें स्वनिर्णयका उपयोग करें और इन आज्ञाओं के अनुसार निस्सन्देह श्री श्राफके मामलेपर भी नये सिरेसे विचार किया जायेगा।

१२. गवर्नर महोदयको पता चला है कि भूतपूर्व पटेलकी बहालीके लिए दो बार आदेश जारी किये गये, किन्तु दोनों ही अवसरोंपर उसे रद कर देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि नये पटेल फकीरभाई महमदभाईको वुटवाड़ाकी जनताके हाथों बड़ा कड़ा उत्पीड़न भुगतना पड़ा। ऐसे उत्पीड़नके पूर्णतः प्रमाणित अनेक उदाहरण गवर्नर महोदयके सम्मुख हैं जिनके फलस्वरूप सरकारने हाल ही में फकीरभाईके पटेल पदकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी है जिसके उपरान्त इस अवधिके बीच ग्रामवासियोंके आचरणको ध्यानमें रखकर इस मामलेका पुनर्विचार और निर्णय होगा। इस कालमें उत्पीड़नकी किसी भी घटनाका यही अर्थ लिया जायेगा कि इस गाँवके लोगोंका मन्शा समझौतेका पालन करनेका नहीं है।

१३. यह पता चला है कि जहाँगीर पटेलके आचरणकी जाँच मामलातदारने १ अगस्तको आरम्भ कर दी है। उस दिन पाँचमें से दो वादी प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि उनके साक्षी अदालत द्वारा बुलाये बिना नहीं आयेंगे। जो भी वादी खुली अदालतमें प्रस्तुत होकर गवाही पेश करना चाहें उन्हें पूरी सुविधा दी जायेगी।

१४. जिला खेड़ामें जिन तलाटियोंकी पुनर्नियुक्ति नहीं हुई उनकी संख्या ग्यारह है। इनमें से दस स्थानोंपर तो दूसरोंकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी और शेष अन्तिम स्थानपर उस तलाटीकी पुनर्नियुक्ति इसलिए नहीं की गई, क्योंकि बारम्बार अवज्ञाकारिताके कारण उसको बर्खास्त किया गया था। जिला सूरतमें जिन तलाटियोंकी पुनर्नियुक्ति नहीं की गई उनकी संख्या इस प्रकार है: ओलपदमें एक, जलालपुरमें दो तथा चिखलीमें दो। इस जिलेमें स्थिति यह है कि १९२२-२३ की छँटनी-समितिके सुझावोंके अनुसार तलाटियोंके अनेक पदोंकी कटौती हो जानी चाहिए और जैसे-जैसे पद रिक्त होते जाते हैं, इन पदोंका क्रमशः विलय किया जा रहा है। अतएव कुछ बर्खास्त तलाटियोंको भविष्यमें खाली होनेवाली जगहोंमें रखना शायद सम्भव हो सके, किन्तु फालतू होनेके कारण जिन पदोंको खत्म कर दिया गया है वहाँ नई नियुक्तियाँ करना अब सम्भव नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ८

सर मैलकम हेलीका तार[1]

नैनीताल
६ अगस्त, १९३१

आपके पाँच अगस्तके तारके लिए बहुत धन्यवाद। लखनऊमें मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया था। अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। जहाँतक जमींदारों द्वारा काश्तकारोंकी बेदखलीका सवाल है, हमारे पास ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है कि इस वर्ष बेदखलियोंकी संख्या बहुत ज्यादा है। साधारण परिस्थितियोंमें भी प्रतिवर्ष काफी संख्यामें बेदखलियाँ होती ही हैं, किन्तु मुझे बताया गया है कि कम-से-कम कुछ जिलोंमें तो वे साधारण संख्यासे कुछ कम ही हैं। एक-दो क्षेत्रोंमें संख्या साधारणसे अधिक बताई गई है, किन्तु हमने बेदखलियोंके आँकड़े मँगवाये हैं, और उनके मिलनेपर हम स्थितिका ज्यादा ठीक मूल्यांकन कर सकेंगे। अनेक सम्बन्धित व्यक्तियोंके साथ हुए वार्तालाप परसे मेरी धारणा बनी है कि अनेक जिलोंमें जमींदार गिरते हुए मूल्योंके इस कालमें नये काश्तकार बनानेकी कठिनाईके कारण बेदखलीके इच्छुक भी नहीं हैं और मुझे यह भी पता है कि आम तौरपर जिला अधिकारी इस बातकी कोशिश कर रहे हैं कि जमींदार लोग पुराने काश्तकारोंको ही फिरसे रख लें। जहाँतक लगान वसूलीके लिए सामान्य रूपसे जोर-दबावके तरीकोंकी बात है, ऐसा माननेका हमारे पास कोई कारण नहीं है कि समूचे प्रान्तमें ऐसे मामलोंकी संख्या सामान्यसे बहुत ज्यादा है। फिर भी, इस मामलेमें अपनी तसल्लीके लिए हम जाँच-पड़ताल कर रहे हैं कि काश्तकारोंको कोई अनावश्यक कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है। कार्य तथा उद्देश्य दोनों दृष्टियोंसे सरकारकी नीति यह है कि जमींदारों और काश्तकारों, दोनोंके हितोंका ध्यान रखा जाये, लेकिन साथ ही इस बातकी हरचन्द कोशिश की जाये कि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियोंके कारण काश्तकारोंको अनावश्यक

१. देखिए "तार: सर मैलकम हेलीको", ५-८-१९३१।

कष्ट न पहुँचे। सरकारने गिरते मूल्योंका सामना करनेके लिए समूचे प्रान्तमें लगानके व्यापक समंजनकी अन्तरकालीन योजना बनाई है जिसपर अगले सप्ताह विधान परिषदके सभी दलोंके प्रतिनिधियोंकी एक समिति विचार करेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ९

दूसरा समझौता[1]

शिमला
२८ अगस्त, १९३१

१. वाइसराय महोदय तथा श्री गांधीकी वार्ताओंके परिणामस्वरूप अब गोलमेज सम्मेलनमें श्री गांधी कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करेंगे।

२. ५ मार्च, १९३१ का समझौता क्रियाशील रहेगा। जहाँ कहीं इसका अतिक्रमण सिद्ध हो जाये वहाँ भारत सरकार तथा स्थानीय सरकार समझौतेकी विशेष व्यवस्थाओंका पालन करवायेंगी तथा इस सन्दर्भमें दिये गये प्रतिवेदनपर ध्यानपूर्वक विचार करेंगी। उधर कांग्रेस भी समझौतेमें निर्दिष्ट अपने उत्तरदायित्वोंको पूरा करेगी।

३. जिला सूरतमें लगान-वसूलीके सम्बन्धमें विचारणीय प्रश्न यह है कि बारडोली तालुकेके अन्य गाँवोंमें किसानोंसे जितना लगान माँगा और वसूला गया, क्या उसकी तुलनामें बारडोली तालुकेके वालोड महालके कुछ गाँवोंमें किसानोंसे ज्यादा लगान माँगा और वसूला गया? कहा जाता है कि १९३१ के जुलाई मासमें राजस्व अधिकारी पुलिस-दलके साथ इन गाँवोंमें गये और किसानोंसे उनकी आर्थिक सामर्थ्यसे ज्यादा लगान माँगा और पुलिसकी सहायतासे जोर-जबर्दस्ती करके उसकी वसूली की। भारत सरकारने बम्बई सरकारकी सलाह और पूरी सहमतिसे निम्नलिखित प्रश्नोंपर जाँच करानेका निश्चय किया है: "इन आरोपोंकी जाँच की जायेगी कि बारडोली तालुकेके दूसरे गाँवोंमें जिस मानदण्डको लेकर ५ मार्च, १९३१ के उपरान्त पुलिसकी सहायताके बिना राजस्व वसूला गया उसी मानदण्डके अनुसार इन विशिष्ट

१. देखिए पृष्ठ ३९५, ४०५-९ और ४२२-२६।

गाँवोंमें जो लगान वसूला जाता उसकी तुलनामें यहाँके खातेदारोंसे पुलिसके जोर-दबावके जरिये अधिक लगान वसूला गया और यह कि यदि ऐसा हुआ था तो अदायगीकी अतिरिक्त रकम कितनी थी।" विचारार्थ विषयोंके अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषयपर साक्षी पेश की जा सकती है। बम्बई सरकारने नासिकके कलेक्टर श्री आर० जी० गॉर्डन, आई० सी० एस० को जाँचके लिए नियुक्त किया है।

४. कांग्रेस द्वारा उठाये गये अन्य दूसरे विषयोंपर भारत सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारें जाँच करानेको तैयार नहीं हैं।

५. कांग्रेसकी उन शिकायतोंके बारेमें, जो समझौतेकी विशिष्ट व्यवस्थाओंके तहत नहीं आतीं, यह निर्णय किया गया है कि ऐसी शिकायतोंको सामान्य प्रशासनिक विधि और कार्य-प्रणालीके अनुसार निपटाया जायेगा, और यदि जाँच करानेका कोई सवाल उठा तो जाँच कराई जाये अथवा नहीं, और यदि कराई जाये तो उसका रूप क्या होगा, इस बातका निर्णय स्थानीय सरकारों द्वारा सामान्य प्रशासनिक विधि और कार्य-प्रणालीके अनुसार किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-९-१९३१

सामग्रीके साधन-सूत्र

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कागजात।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३५५।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जिसमें गांधीजी के दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं; देखिए खण्ड १, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३५५।

'अमृतबाजार पत्रिका': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'आज': बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

'गुजराती': बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'टाइम्स': लन्दनसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'ट्रिब्यून': अम्बालासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'डेली टेलीग्राफ': लन्दनसे प्रकाशित।

'डेली मेल': लन्दनसे प्रकाशित।

'डेली हेरल्ड': लन्दनसे प्रकाशित।

'नवजीवन': गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'न्यूज क्रॉनिकल': लन्दनसे प्रकाशित दैनिक।

'न्यूयॉर्क टाइम्स': न्यूयॉर्कसे प्रकाशित दैनिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'मॉर्निंग पोस्ट': लन्दनसे प्रकाशित दैनिक।

'मैनचेस्टर गार्जियन': मैनचेस्टरसे प्रकाशित दैनिक।

'यंग इंडिया': गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'यॉर्कशायर पोस्ट': यॉर्कशायरसे प्रकाशित दैनिक।

'स्टेट्समैन': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दी नवजीवन': गांधीजी द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबादसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स': नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्रासके प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

इंडिया ऑफिस रेकार्ड्स': लन्दनकी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरीमें सुरक्षित कागजात और दस्तावेज जो भारत-मंत्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले भारतीय मामलोंके बारेमें हैं।

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, १९३१: बम्बई सरकारके सरकारी कागजात।

'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स': (अंग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस।

'बापुना पत्रो-६: गं० स्व० गंगाबहेनने' (गुजराती): सम्पादक: काकासाहब कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो-७: श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती): सम्पादक: छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो-९: श्री नारणदास गांधीने', भाग १ (गुजराती): सम्पादक: नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापूज लेटर्स टु मीरा' (अंग्रेजी): नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९४९।

'मालवीय कमेमोरेशन वॉल्यूम' (अंग्रेजी): बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, १९३२।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१८ जून, १९३१ से ११ सितम्बर, १९३१ तक)

१८-२४ जून: गांधीजी का बोरसदमें प्रवास जारी रहा।

२२ जून: बोरसद तालुकेके किसानोंसे जितना ज्यादा हो सके उतना लगान अदा करनेका आग्रह किया।

२४ जून: बम्बईके लिए प्रस्थान किया।

२५ जून: बम्बई पहुँचे; पत्र-प्रतिनिधियोंको बताया कि यदि मैं गोलमेज सम्मेलनमें सम्मिलित हुआ तो संघ संरचना समितिकी बैठकमें भी भाग लूँगा; मिल-मालिकोंसे कहा कि उन्हें अपनी मिलोंमें विदेशमें तैयार सूतका प्रयोग नहीं करना चाहिए; यंग यूरोपियन्स डिनर क्लबमें भाषण दिया।

२६ जून: बम्बईमें; महिलाओंकी सभामें और बादमें 'दलित' वर्गोंकी सभामें भाषण दिये।

२७ जून: बम्बईसे बोरसदके लिए रवाना हुए; उदवाड़ामें पारसियोंकी सभामें भाषण दिया।

२८ जून-६ जुलाई: बोरसदमें।

२९ जून: कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकका स्थान सचीनके बदले बम्बई होनेके सम्बन्धमें वक्तव्य जारी किया।

३० जून: बम्बईके कार्यवाहक गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसनने वाइसरायकी ओरसे गांधीजी से पूछा कि क्या वे संघ संरचना समितिके सदस्य बननेको सहमत होंगे; गांधीजी ने एच० डब्ल्यू० इमर्सनसे पंडित जगतरामको रिहा करनेकी अपील की; प्रेस-प्रतिनिधियोंको भेंटमें बताया कि यदि निमन्त्रण मिला तो मैं लंकाशायर जाकर मिल-मालिकोंके सम्मुख विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके प्रति कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट करूँगा।

६ जुलाई: बम्बईके लिए प्रस्थान किया।

७ जुलाई: बम्बईमें; कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकोंमें सम्मिलित हुए।

१० जुलाई: गांधी सेवा मण्डल, बम्बईकी सभामें भाषण दिया।

११ जुलाई: वाइसरायने गांधीजी को सरकार द्वारा तथाकथित समझौतेके भंग करनेके सम्बन्धमें एच० डब्ल्यू० इमर्सनके साथ चर्चा करनेके लिए आमन्त्रित किया।

१२ जुलाई: सूरतके लिए प्रस्थान।

१३ जुलाई: सूरत पहुँचे; एच० डब्ल्यू० इमर्सनके साथ बातचीत करनेके निमित्त शिमलाके लिए रवाना हुए।

१५-२२ जुलाई: शिमलामें; एच० डब्ल्यू० इमर्सनके साथ समझौतेके उल्लंघनोंके सिलसिलेमें बातचीत की।

१७ जुलाई: गृह-सदस्य सर जेम्स क्रेररके साथ बातचीत की।

१८ जुलाई: वाइसराय लॉर्ड विलिंग्डनके साथ बातचीत की।

२० जुलाई: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिके साथ भेंटमें कहा कि लन्दनमें संघ संरचना समितिकी बैठकमें सम्मिलित होनेके लिए मैं सम्भवत: १५ अगस्तको रवाना हो जाऊँगा।

२१ जुलाई: समझौतेके उल्लंघनके दृष्टांत गिनाते हुए एच० डब्ल्यू० इमर्सनको शिमला में 'अभियोग-पत्र' दिया। वाइसरायसे दूसरी बार बातचीत की; एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंटमें बताया कि वाइसरायके साथ बातचीत अनिर्णीत ही है।

२२ जुलाई: शिमलासे दोपहरको रवाना हुए; बम्बईके कार्यकारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसनकी हत्याका प्रयत्न किया गया।

२४ जुलाई: गांधीजी बारडोली पहुँचे; काश्तकारोंके दमन तथा उनसे बलपूर्वक लगान वसूल करनेकी शिकायतोंके सम्बन्धमें निष्पक्ष खुली जाँचकी माँग की।

२५ जुलाई: बारडोलीमें; एच० डब्ल्यू० इमर्सनको आश्वासन दिया कि उन्हें सूचित किये बिना उतावलीमें कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

२७ जुलाई: अलीपुर (कलकत्ता)के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज गारलिककी अदालतमें हत्या; बोरसदके लिए प्रस्थान।

२८-३१ जुलाई: बोरसदमें।

३१ जुलाई: बोरसदसे रवाना होकर अहमदाबाद पहुँचे; एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंट की।

१-२ अगस्त: अहमदाबादमें।

२ अगस्त: चीनूभाई माधवलालके पारिवारिक मन्दिरको अस्पृश्योंके लिए खोला।

३ अगस्त: बम्बई पहुँचे; रातको पूनाके लिए प्रस्थान।

४ अगस्त: पूनामें, बम्बईके गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसनके साथ बातचीत की; शामको बम्बई वापस आ गये।

५-१४ अगस्त: बम्बईमें।

५ अगस्त: बम्बईमें कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई।

६ अगस्त: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें भाषण दिया।

७ अगस्त: पारसियोंकी सभामें भाषण दिया।

८ अगस्त: आँखोंके अस्पतालका शिलान्यास किया; अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें भाषण दिया।

९ अगस्त: हिन्दुस्तानी सेवा दलकी सभामें भाषण दिया।

११ अगस्त: वाइसराय तथा बम्बई सरकारको नार भेजे कि मेरे लन्दन रवाना हो सकनेके लिए सरकारका रुख अनुकूल नहीं है।

१३ अगस्त: दिल्ली समझौतेका पालन करते रहने किन्तु गोलमेज सम्मेलनमें भाग न लेनेके सम्बन्धमें कांग्रेस कार्य-समितिने प्रस्ताव पास किया; पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की।

१४ अगस्त: पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की; रातको बम्बईसे अहमदाबादके लिए रवाना।

१५-२३ अगस्त: अहमदाबादमें।

१८ अगस्त: गांधीजी ने सरकारके साथ बातचीत टूटनेसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया; पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की।

२२ अगस्त: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिके साथ भेंट की।

२३ अगस्त: अहमदाबादसे शिमलेके लिए प्रस्थान।

२५ अगस्त: सुबह ११ बजे शिमला पहुँचे, साथमें वल्लभभाई पटेल, प्रभाशंकर पट्टणी, मु० अ० अन्सारी तथा जवाहरलाल नेहरू थे; एच० डब्ल्यू० इमर्सनसे भेंट की।

२६ अगस्त: सुबह तीन घंटेतक वाइसरायके साथ बातचीत की; पत्र-प्रतिनिधयोंको बताया कि मैं २९ अगस्तको बम्बईसे लन्दनके लिए रवाना होऊँगा।

२७ अगस्त: शिमलासे शामको बम्बईके लिए प्रस्थान।

२८ अगस्त: 'दूसरा समझौता' के रूपमें ख्यात सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की।

२९ अगस्त: ट्रेनमें 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे भेंट की; बम्बई पहुँचे; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया; गोलमेज सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिए एस० एस० "राजपूताना" नामक जहाजसे लन्दनके लिए रवाना हो गये।

२ सितम्बर: भारतकी जनतासे अपील की कि वह मेरी अनुपस्थितिमें पूर्णतः अहिंसक वातावरण कायम रखे और कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमका पालन करे।

३ सितम्बर: अदन पहुँचे; रायटरके प्रतिनिधिसे भेंट की; एक स्वागत समारोहमें गांधीजी को मानपत्र तथा थैली भेंट की गई जिसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि भारत स्वतन्त्र होनेपर समस्त मनुष्य जातिकी सेवा करनेवाली एक जबर्दस्त ताकत बन सकता है।

६ सितम्बर: स्वेज पहुँचे।

७ सितम्बर: मौन दिवस; पोर्ट सईद पहुँचे; काहिराके 'अल अहराम' के प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान कहा कि गोलमेज सम्मेलनकी असफलताका परिणाम होगा सविनय अवज्ञा आन्दोलनका फिरसे जारी होना; मिस्रके राष्ट्रवादियोंसे आग्रह किया कि वे अहिंसक संघर्ष ही करें; 'डेली टेलीग्राफ' के प्रतिनिधिसे विशेष भेंटमें कहा कि मैं ऐसे किसी भी समझौतेमें भाग नहीं लूँगा जिसमें भारतमें किसी भी जातिको किसी अन्य जातिका दास बनाये जानेकी बात हो।

मुस्तफा नहस पाशाका स्वागत-सन्देश प्राप्त हुआ जिसमें गांधीजी को लौटते समय मिस्र आनेका निमन्त्रण था।

पोर्ट सईद पहुँचनेपर अधिकारियोंने गांधीजी के बहुतसे श्रद्धालुओंको उनसे मिलने नहीं दिया, जिसपर गांधीजी ने भारी दुःख प्रकट किया।

११ सितम्बर: जहाजपर एक भेंटमें कहा कि इंग्लैंडमें अपने प्रवासके लिए मैंने न तो कोई योजना बनाई है, न भाषण तैयार किये हैं, न तर्क-वितर्क निश्चित किया है और न कोई कार्यक्रम ही बनाया है।

मारसाई पहुँचे; रुग्ण रोमाँ रोलाँकी ओरसे उनकी बहन मैडेलीन रोलाँने गांधीजी का स्वागत किया; गांधीजी ने पत्र-प्रतिनिधियोंसे कहा "मैं अपने स्वप्नको – अपने देशकी स्वाधीनताके स्वप्नको – साकार करनेके लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ"।

'न्यूयॉर्क टाइम्स' के प्रतिनिधिके साथ भेंटमें कहा कि मेरा अमेरिका जानेका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँके लोगोंको मेरी कोई जरूरत नहीं है।

एक दूसरी भेंटके दौरान गांधीजी ने कहा कि अगर लोग मुझे मार भी डालें तो भी मैं लंकाशायर जाऊँगा।

तीसरे पहर साढ़े चार बजे पी० ऐंड ओ० एक्सप्रेससे कैलाईके लिए रवाना हो गये।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

ऐ

ओ

औ

क

ख

ग

च

छ

ज

झ

ट

ठ

ड

ढ

त

द

ध

न

प

फ

ब

भ

म

य

ल

व

श

स

ह